IDBI

IDBI BANK

1964 - 2014

Celebrating 50 epoch making years

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT 2013-14

Strengthening Friendship. **Touching** Lives.

IDBI BANK

Bank Aisa Dost Jaisa

विषयवस्तु

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

02 दोस्ती ऐसी जो समृद्ध करे और टिकी रहे
04 उत्पादों का अभिनव पोर्टफोलियो
08 दीर्घावधि संभाव्यता के साथ कार्य-निष्पादन
10 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश
15 निदेशक मंडल की रूपरेखा
18 नेतृत्व टीम की रूपरेखा
20 गहराती दोस्ती संवरती जिंदगी
- संबंधों को प्रगाढ़ बनाना
- सहभागिता को मजबूत करना
- आकांक्षाओं को पंख लगाना
- हर एक की आवाज़ सुनना
- हरित अधिदेश का अनुसरण
30 यादगार लम्हें
32 पुरस्कार एवं सम्मान

सांविधिक रिपोर्टें

66 निदेशकों की रिपोर्ट
78 प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण
- कारोबारी परिवेश
- कारोबार समीक्षा
- जोखिम प्रबंध
- प्रबंध, नियंत्रण एवं प्रणालियां
162 कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

196 एकल वित्तीय विवरण
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- तुलन पत्र
- लाभ-हानि लेखा
- टिप्पणियां
- नकदी प्रवाह विवरण
276 समेकित वित्तीय विवरण
- स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- तुलन पत्र
- लाभ-हानि लेखा
- टिप्पणियां
- नकदी प्रवाह विवरण
- पिलर III प्रकटन

CONTENTS

CORPORATE OVERVIEW

34 Friendship that enriches and endures
36 Innovative portfolio of products
40 Performing with a long-term potential
42 Chairman & Managing Director's Message
47 Profiles of the Board of Directors
50 Profiles of the Leadership Team
52 Strengthening Friendship. Touching Lives
- Deepening relationships
- Strengthening partnerships
- Propelling aspirations
- Making every voice heard
- Pursuing a green mandate
62 Memorable moments
64 Awards and Accolades

STATUTORY REPORTS

72 Directors' Report
120 Management Discussion and Analysis
- Business Environment
- Business Review
- Risk Management
- Management, Controls & Systems
180 Corporate Governance Report

FINANCIAL STATEMENTS

196 Standalone Financial Statements
- Auditors' Report
- Balance Sheet
- Profit and Loss Account
- Notes
- Cash Flow Statement
276 Consolidated Financial Statements
-Independent Auditors' Report
-Balance Sheet
-Profit and Loss Account
-Notes
- Cash Flow Statement
- Pillar III Disclosures

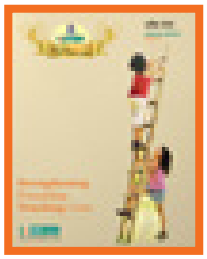

वार्षिक रिपोर्ट का मुख पृष्ठ ज़िंदगियों को छूकर और उनमें बदलाव लाने में दोस्ती की भावना पर बल देता है. मुख पृष्ठ में सीढ़ी के नीचे एक बच्ची को खड़े हुए दिखाया गया है जो अपने दोस्त का उपलब्धि के चरम तक पहुँचने के लिए शारीरिक और नैतिक रूप से साथ दे रही है. उसके हाथ और पैर आधार का कार्य कर रहे हैं जबकि उसकी सोच उसके दोस्त का जरूरत की घड़ी में मार्गदर्शन कर रही है.

यहां बच्ची को उस आंतरिक और बाह्य शक्ति के ऊर्जा स्रोत के रूप में दर्शाया गया है जो अपनी दोस्त को शीर्ष पर पहुंचने की नींव प्रदान करती है. वह भारतीय नारीत्व के सत्व को प्रदर्शित करती है जिससे समस्त जीवन ऊर्जा का सृजन होता है. वह शक्ति का चिर परिचित खजाना है जो समस्त जीवन का पोषण करता है और उन्हें समृद्ध बनाता है.

मुख पृष्ठ के विपरीत अंतिम पृष्ठ पर यह दिखाया गया है कि मित्र के लक्ष्य पर पहुंचने के बाद भी छोटी बच्ची धैर्यपूर्वक सीढ़ी पकड़े खड़ी है और दृढ़ता से इस बात पर नज़र रखे हुए है कि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाने पर वह उसे संभाल सके. अपनी इस दोहरी अभिव्यक्ति के ज़रिए कवर डिज़ाइन शर्त रहित दोस्ती के बंधन को प्रदर्शित करता है, ठीक यही दोस्ती का रिश्ता आईडीबीआई बैंक का उसके सभी ग्राहकों और अंशधारकों के साथ है.

पचास वर्ष की दोस्ती - एक झलक

भारत की औद्योगिक और बुनियादी संरचना के धरातल को सुदृढ़ करने में पचास वर्षों के सार्थक योगदान और उद्यम भावना से परिपूर्ण ऐसे स्वप्नदृष्टाओं के प्रादुर्भाव में सहायक जो आज घर-घर में एक परिचित नाम बन चुके हैं और अपने तरीके से अपने - अपने कार्य क्षेत्रों में प्रकाश पुंज के रूप में रोशन हैं.

राष्ट्र के आर्थिक विकास और हर तरह से सोचे गए सामाजिक समावेशीकरण में तेजी लाने के लिए पचास वर्षों की दूरदर्शिता और धैर्य.

भारत के औद्योगिक और पूंजी बाजार क्षेत्र को सुशोभित करने वाली लगभग सभी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के पचास वर्ष.

सार यह है कि किस प्रकार आईडीबीआई बैंक अपने चुने हुए क्षेत्र में पचास से भी अधिक युगांतरकारी वर्षों से एक प्रतिबद्ध सहयोगी के रूप में राष्ट्र की प्रगति में सहायक रहा है, पहले उद्योग क्षेत्र की शीर्ष विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) और बाद में पूर्ण सेवा वाले ग्राहक उन्मुख वाणिज्य बैंक के रूप में.

बैंक ने कई अग्रणी औद्योगिक घरानों को लगभग उनके आरंभ से पोषित किया है और कॉरपोरेट भारत तथा जीवन के सभी क्षेत्रों के ग्राहकों और अंशधारकों के व्यापक समुदायों की आकांक्षाओं का साथी रहा है. आनेवाले पचास वर्षों में बैंक की यात्रा को आकार देनेवाली प्राथमिकताएं हैं- इस विशाल देश में चारों ओर अपने परिचालनों के नेटवर्क को व्यापक बनाना और ग्राहकों तथा अंशधारकों को वैशिष्ट्यपरक मूल्य उपलब्ध कराना. इस संबंध में बैंक का प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और एकीकृत परिचालन महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे.

सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे युवा, पूर्ण सेवावाले वाणिज्य बैंक के रूप में आईडीबीआई बैंक विकास की दिशा में अग्रसर राष्ट्र की महत्त्वाकांक्षाओं को प्रेरित करने के लिए दोस्ती के समृद्ध और अटूट बंधन को पोषित करता रहेगा.

दोस्ती ऐसी जो समृद्ध करे और टिकी रहे

आईडीबीआई बैंक - जानने योग्य ज़रूरी बातें

- आईडीबीआई बैंक ने कई लब्ध-प्रतिष्ठित संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिनमें अन्य के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जैसी संस्थाएं हैं.
- आईडीबीआई बैंक देश में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बड़ा बैंक है जिसने अपनी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर शत-प्रतिशत नेटवर्किंग हासिल की.
- आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की औसत आयु 33 वर्ष है-जो भारत के उद्योगों में शायद और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में निश्चित ही सर्वाधिक युवा है.
- आपके बैंक की लगभग 30% श्रमशक्ति महिलाएं हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यदि अधिकतम न भी हों तो उस अधिकतम की श्रेणी वाले बैंकों में से एक है.
- आईबीआई बैंक 'हरित बैंकिंग' में अग्रगामी रहा है और दो दशक से भी ज्यादा समय यानी इसके अनिवार्य होने से काफी पहले से इस क्षेत्र में सक्रिय है.

दोस्ती हमारी नींव को और मजबूत बनाती है

1,388
संपूर्ण भारत में शाखा नेटवर्क

2,301
संपूर्ण भारत में एटीएम नेटवर्क

16,438
कुल मानव बल

₹ 4.3
लाख करोड़
31 मार्च 2014 को
कुल कारोबार

₹ 3.3
लाख करोड़
31 मार्च 2014 को कुल
तुलन-पत्र आकार

नए मीडिया में उपस्थिति

1,80,000+
यू ट्यूब हिट्स

20,000+
गूगल+ :
आईडीबीआई बैंक उनके सर्कल्स में है.

10,000+
ट्विटर फॉलोअर

800,000+
फेसबुक फैन्स

3,000+
कॉरपोरेट ग्राहक

6.5 मिलियन+
खुदरा ग्राहक आधार

उत्पादों का अभिनव पोर्टफोलियो

आपका बैंक वर्तमान में दो सुस्पष्ट कारोबार समूहों के माध्यम से परिचालन करता है: कॉरपोरेट और खुदरा (रिटेल) जिनमें खुदरा बैंकिंग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समूह (एमएसई और कृषि कारोबार), इन्फ्रास्ट्रक्चर और कॉरपोरेट बैंकिंग के लिए अलग - अलग वर्टिकल हैं.

खुदरा बैंकिंग उत्पाद

देयता उत्पाद

चालू खाता

फ्लेक्सी चालू खाता (खुदरा), फ्लेक्सी चालू खाता (सहकारी और अन्य बैंक), थोक के लिए फ्लेक्सी खाते (टीएएससी, शिक्षा संस्थाएं, सरकारी खाते)

कोर बचत खाता और इसके विभिन्न रूप

वित्तीय समावेशन बचत खाता

सबका बेसिक बचत खाता - पूर्ण केवाईसी, छोटा बचत खाता, बेसिक सेविंग्स बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते के लिए अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा (गैर कृषक और भूमिहीन मजदूरों सहित)

नियमित (गैर- वित्तीय समावेशन) बचत खाता.

सुपर बचत खाता, पॉवरकिड्ज़ बचत खाता, सुपर शक्ति बचत खाता, जुबली प्लस बचत खाता, बिइंग मी खाता, पेंशन बचत खाता (केंद्र सरकार के लिए), फैमिली अकाउंट (भारतीय सेना के लिए), कैपिटल गेन्स अकाउंट.

एचएनडब्ल्यू बचत खाते

पॉवर प्लस खाता, प्रिफर्ड खाता, रॉयल और रॉयल प्लस खाता.

कॉरपोरेट पेरोल खाते (बचत बैंक खाता)

प्राइम सैलरी खाता, स्टार सैलरी खाता, क्राउन सैलरी खाता, इम्पीरियल सैलरी खाता, प्राइड सैलरी खाता.

खुदरा (रिटेल) मीयादी जमा

स्थिर ब्याज दर खुदरा मीयादी जमा, अस्थिर ब्याज दर खुदरा मीयादी जमा, गोधुली खुदरा मीयादी जमा, सुविधा कर बचत सावधि जमा, मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के साथ सावधि जमा.

आवर्ती जमा

सुविधा आवर्ती जमा, सुविधा सुरक्षा आवर्ती जमा.

एनआरआई उत्पाद

एनआरई/एनआरओ बचत बैंक खाते, अनिवासी भारतीयों के लिए एनआरई/एनआरओ सावधि जमा योजना, निवासी विदेशी मुद्रा खाता/सावधि जमा, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमा योजना, एनआरआई आवर्ती जमा, एनआरआई ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना, विदेशी मुद्राओं की खरीद और बिक्री और टीसी खरीद, विदेश से वैयक्तिक आवक विप्रेषण(स्पीड विप्रेषण सेवा, मनी ट्रांसफर सेवा योजना; 'इंडिया रेमिट') का उपयोग कर यूके से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सेवा, आईडीबीआई रूपी यील्ड एनहान्सर [एनआरआई ग्राहकों के लिए एनआरई/एफसीएनआर (बी) जमा पर वायदा विदेशी मुद्रा संविदा].

संरचित परिसंपत्ति उत्पाद

आवास ऋण और इसके विभिन्न रूप

सामान्य आवास ऋण, आवास ऋण- इंटरेस्ट सेवर (एचएल-आईएस), बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए ऋण(एलआईपी), टॉप-अप ऋण, 25-वर्षीय आवास ऋण योजना, टर्नओवर आधारित आवास ऋण, ग्रामीण निवासियों के लिए आवास ऋण, 'श्रेणी ए' बिल्डर से लिए गए आवास के ऋण के लिए विशेष योजना, ग्रामीण निवासियों के लिए आवास ऋण योजना, राजीव ऋण योजना, प्रियदर्शिनी आवास योजना, ग्रामीण और अर्धशहरी हाउसिंग के वित्तपोषण के लिए योजना.

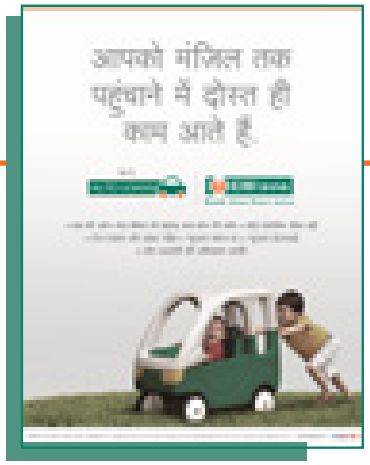

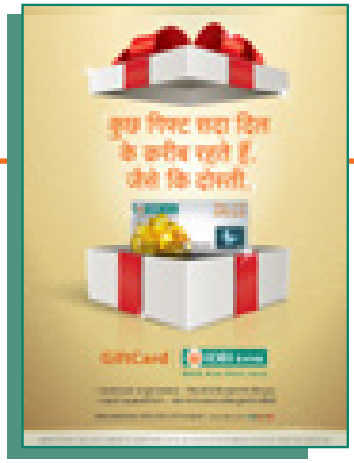

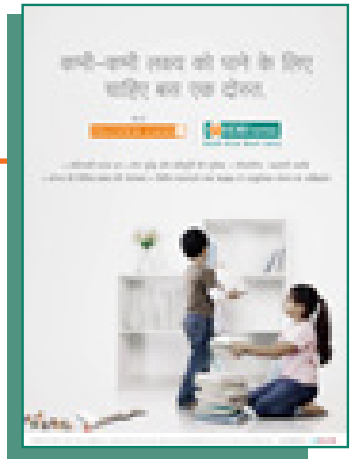

.

संपत्ति पर ऋण और इसके विभिन्न रूप

संपत्ति पर ऋण(एलएपी), संपत्ति पर ऋण (ओवरड्राफ्ट) (एलएपी-ओडी), प्राप्य किराए पर ऋण (एलएआरआर), टर्नओवर आधारित एलएपी, वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद के लिए ऋण(एलसीपीपी), प्रतिगामी बंधक ऋण(आरएमएल), प्रॉपर्टी इंटरेस्ट सेवर पर ऋण, आईडीबीआई बैंक के भू-स्वामियों को प्राप्य किराए पर ऋण, आईडीबीआई बैंक के भू-स्वामियों को करेंसी चेस्ट के लिए प्राप्य किराए पर ऋण.

शिक्षा ऋण और इसके विभिन्न रूप

व्यावसायिक तथा गैर- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण, शिक्षा ऋण-प्रबंधन कोटे के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अन्य छात्रों के लिए विशेष योजना, प्रीमियर संस्थानों के छात्रों के लिए विशेष योजना, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम (एफआईपी) के अंतर्गत शिक्षा ऋण, शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण.

ऑटो ऋण

ऑटो ऋण-वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए कॉम्बो ऑफर, वर्तमान ग्राहकों के लिए स्पीड ऑटो ऋण, ऑटो ऋण-आईडीबीआई-टाटा नैनो योजना.

वैयक्तिक ऋण और इसके विभिन्न रूप

व्यक्तियों के लिए वैयक्तिक ऋण, अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ सैलरी खाता, आईडीबीआई बैंक लि. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन खाते पर वैयक्तिक ऋण.

कार्ड/ वैकल्पिक चैनल उत्पाद

डेबिट-सह-एटीएम कार्ड

इंटरनेशनल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड , गोल्ड डेबिट कार्ड

प्रीपेड कार्ड

प्रीपेड गिफ्ट कार्ड, वर्ल्ड करेंसी कार्ड, इट्ज़ कैश के साथ ओपन लूप फ्रीडम प्रीपेड कार्ड, कैश कार्ड

व्यापारिक प्रतिष्ठान ओवरड्राफ्ट

व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए ओवरड्राफ्ट / कार्ड प्राप्तियों पर ऋण

मर्चेन्ट उत्पाद

पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस), इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी)

एटीएम सेवाएं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग

पूंजी बाजार उत्पाद

प्रतिभूतियों पर ऋण, जीवन बीमा पॉलिसियों सहित

शेयरों पर ऋण, म्युचुअल फंड पर ऋण, जीवन बीमा पॉलिसी पर ऋण, अन्य प्रतिभूतियों (एनएससी, केवीपी, भारत सरकार बांड और कर-मुक्त बांड, गोल्ड ईटीएफ़ और गोल्ड फंड) पर ऋण, कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईसॉप) वित्तपोषण.

डीमैट खाता

उत्पादों का अभिनव पोर्टफोलियो

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उत्पाद

कृषि उत्पाद

किसान क्रेडिट कार्ड, फार्म मशीनीकरण ऋण, सिंचाई कार्यों का वित्तपोषण, बागबानी और वानिकी विकास ऋण, डेयरी ऋण, मुर्गी पालन, मछली पालन, बेसल डोज़, कटाई और परिवहन ऋण, मालगोदाम रसीदों पर वित्त, भंडारण सुविधाओं के निर्माण और उन्हें चलाने के लिए ऋण, कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केन्द्रों का वित्तपोषण, सामान्य क्रेडिट कार्ड, भूमि विकास, आईडीबीआई किसान मित्र - कर्ज स्वैप योजना, आईडीबीआई किसान तत्काल, कृषि सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का वित्तपोषण, आईडीबीआई गोल्ड ऋण, व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों/जेएलजी सदस्यों के लिए सूक्ष्म ऋण, कृषि से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों के लिए वित्तपोषण, आईडीबीआई सूर्य शक्ति, अनुबंध कृषि (कांट्रैक्ट फार्मिंग), सूक्ष्म वित्त संस्थानों को ऋण देना.

एमएसई उत्पाद

लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एलयूसीसी), सरल व्यापार, सुलभ व्यापार, आईडीबीआई उद्यमी ऋण, मैडिकल प्रैक्टिशनर को वित्त, व्यावसायिकों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए आईडीबीआई ऋण, शिल्पकार क्रेडिट कार्ड, संपत्ति पर ऋण, लघु सड़क और जल परिवहन परिचालकों को ऋण(एसआरडब्ल्यूटीओ), वेंडर वित्त कार्यक्रम, कॉरपोरेटों के डीलरों के लिए चैनल फाइनेंस, एग्रो क्लस्टर वित्तपोषण.

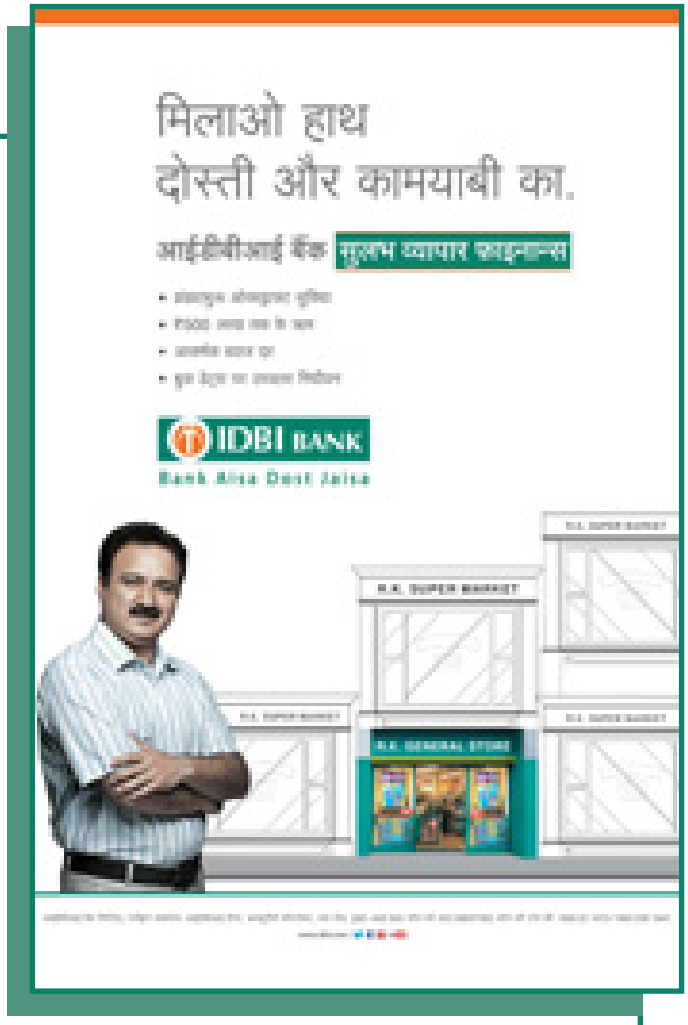

कॉरपोरेट बैंकिंग उत्पाद

निधि आधारित सहायता

मीयादी ऋण- परियोजना और कॉरपोरेट ऋण, अल्पावधि ऋण, कार्यशील पूंजी (नकदी ऋण), निर्यातकों के लिए पैकिंग ऋण, दायित्व सहित प्राप्य खरीद, कॉरपोरेट के डीलरों के लिए चैनल फाइनेंस, एटीएम/कैश डिस्पेन्स वेंडरों के वित्तपोषण के लिए योजना, बिल भुनाई (खरीद और बिक्री दोनों की बिल भुनाई), वस्त्र और जूट उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी(एनबीएफसी)/एचएफसी को उधार, वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को उधार, वेंडर बिलों की भुनाई, कर्मचारी सहकारी ऋण समितियों को उधार, स्टॉक ब्रोकिंग संस्थाओं को निधि सहायता.

गैर-निधि आधारित सहायता (व्यापार वित्त उत्पाद)

साख पत्र (एलसी), बैंक गारंटी (बीजी), निर्यात ऋण - लदान पूर्व और लदानोत्तर, आयात ऋण- व्यापारिक उधार, प्रेषण आवक और जावक, पूंजी खाता लेनदेन, बिल भुनाई और क्रेता साख निधीयन (डीआईएफ़सी दुबई शाखा का उत्पाद).

परियोजना मूल्यांकन, सिंडिकेशन और कॉरपोरेट सलाहकारी सेवा के अंतर्गत विशेष उत्पाद

रुपया ऋणों का समूहन (मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी आदि), ऋण की हामीदारी, ईसीबी की व्यवस्था करना, एफसीसीबी, ईसीए और अन्य तरह का एफसी निधीयन, एम एंड ए निधीयन की व्यवस्था करना, बांडों/डिबेंचरों/अधिमान शेयरों का निजी नियोजन, परियोजना मूल्यांकन/व्यापारी मूल्यांकन, परियोजना सलाहकारी सेवाएँ (बोली पूर्व और बोली पश्चात् अवस्था), आईपीओ निगरानी, प्रतिभूतिकरण, विलय और अधिग्रहण सलाहकारी सेवाएं, शेयर/कारोबार मूल्यांकन, कॉरपोरेट/ कारोबार /वित्तीय पुनर्गठन, विदेशी अधिग्रहण के लिए सलाहकारी सेवाएं.

पर्यावरणीय सेवाएं

कार्बन क्रेडिट सेवाएं, कार्बन क्रेडिट प्राप्तियों पर अग्रिम वित्तपोषण, बहुपक्षीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन, परियोजना कार्यान्वयन संस्था (पीआईई) और इंडिया चिलर एनर्जी दक्षता परियोजना (आईसीईईपी) के लिए वित्तीय मध्यस्थ (एफआई) सेवाएं, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस (ओडीएस-IV) के लिए वित्तीय एजेंसी (एफए) सेवाएं-सीटीसी सेक्टर योजना कार्यान्वयन परियोजना.

दीर्घावधि संभाव्यता के साथ कार्य-निष्पादन

कुल कारोबार

(₹ करोड़ में) ▲ 9.1% 5-वर्षीय सीएजीआर

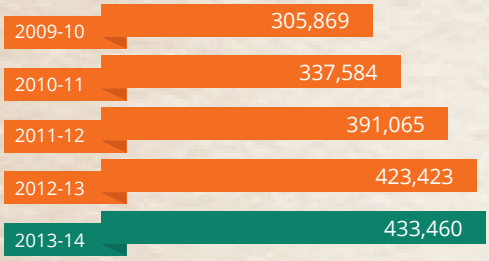

कर्मचारी उत्पादकता

(₹ करोड़ में) ▲ 0.5% 5-वर्षीय सीएजीआर

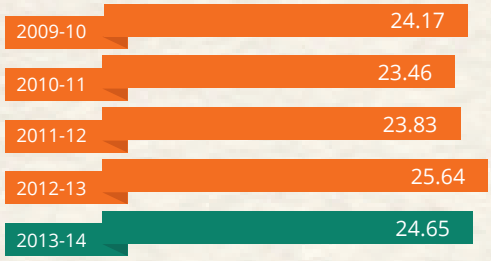

*प्रति कर्मचारी कारोबार

जमाराशियां

(₹ करोड़ में) ▲ 8.9% 5-वर्षीय सीएजीआर

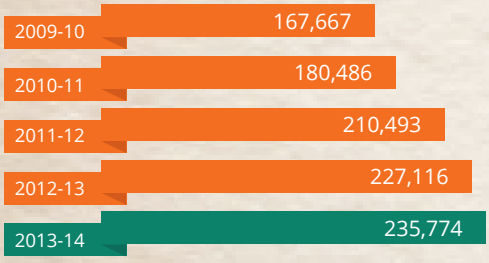

अग्रिम

(₹ करोड़ में) ▲ 9.4% 5-वर्षीय सीएजीआर

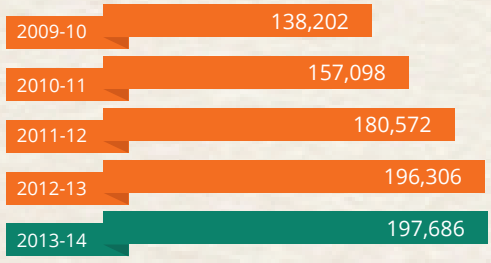

सकल आय*

(₹ करोड़ में) ▲ 13.9% 5-वर्षीय सीएजीआर

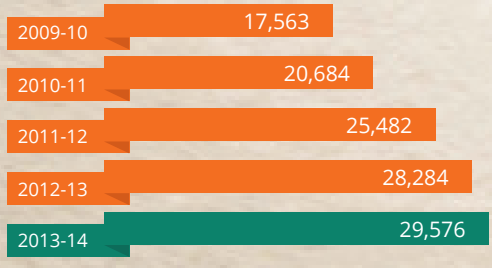

*सकल ब्याज आय+अन्य आय

कर पश्चात् लाभ

(₹ करोड़ में) ▲ 2.1% 5-वर्षीय सीएजीआर

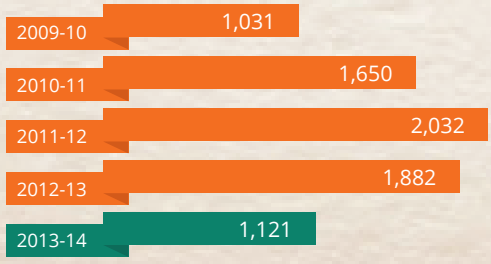

निवल ब्याज मार्जिन

(%)

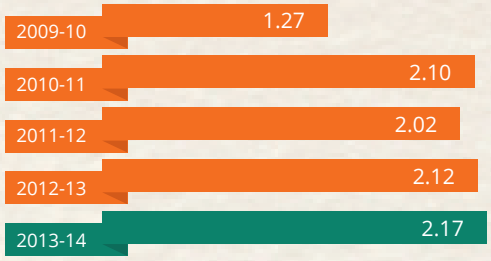

आय लागत अनुपात

(%)

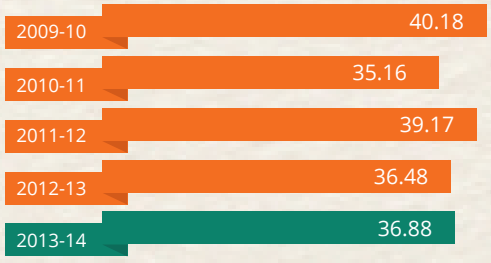

ईक्विटी पर प्रतिलाभ

(%)

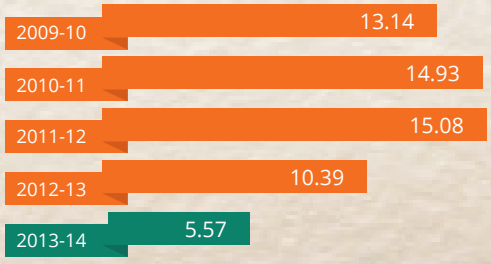

अग्रिम संमिश्र

(%)

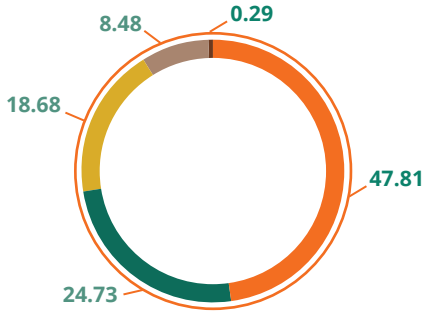

- कॉरपोरेट बैंकिंग समूह
- इंफ्रास्ट्रक्चर उधार
- रिटेल बैंकिंग समूह
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र
- वसूली

जमा संमिश्र

(%)

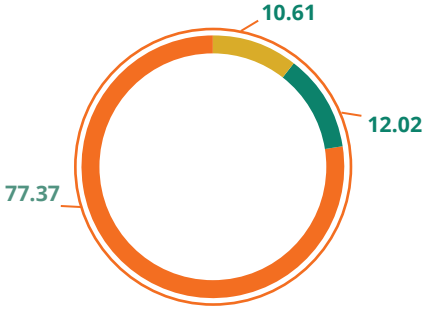

- चालू
- बचत
- मीयादी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

अक्सर सबसे अंधेरी रातों में ही हमें सबसे चमकीले तारे नज़र आते हैं

रिचर्ड पाल इवांस, सामाजिक इतिहासविद

एम. एस. राघवन / *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

''भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2013-14 असामान्य रूप से एक कठिन वर्ष रहा जिसका प्रतिकूल असर बैंकिंग क्षेत्र पर और आपके बैंक के कार्य-निष्पादन पर भी पड़ा. 2014-15 में अर्थव्यवस्था के संभलने के संकेतों को देखते हुए मुझे ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि एक शानदार पृष्ठभूमि, बेहतरीन छवि, अग्रणी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से लैस ब्रांड और साथ ही उद्योग में अतुलनीय रूप से सबसे युवा और प्रतिभावान कर्मचारियों के साथ हम इस अस्थायी प्रतिकूलता पर जीत क्यों नहीं हासिल कर सकते. निश्चित रूप से इसके लिए हमें पूरी तरह से 'टिक-बॉक्स' से बाहर निकलकर प्रत्याशित कॉरपोरेट मॉडल के कारोबार स्वरूप का एक जोरदार 'आउट ऑफ द बॉक्स' दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी कारोबारी और सामाजिक चुनौतियों का प्रत्यक्ष रूप से समाधान करना होगा.

आपके बैंक में इसके पुनः सृजन का आधार सभी स्तरों से निकलेगा, न कि यह केवल शीर्ष स्तर से आएगा. बैंक की समृद्धि और इसे आगे ले जाने के लिए हम सभी में अपनेपन का अहसास और सभी की सहभागिता होनी चाहिए. अंततः बैंकिंग अमूर्तों में एक निवेश है और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आपके बैंक के कर्मचारियों ने बैंक के पहल कार्यों को प्रतिस्पर्धा में निर्णायक रूप से आगे बनाए रखा है. यह कह सकते हैं कि सबकी

भूमिका एक समान नहीं होगी किन्तु सभी को इस एकीकृत लक्ष्य के लिए जुटना होगा - एक ओर सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद बैंक बनकर अपने सभी अंशधारकों का मूल्यवर्धन करना और दूसरी तरफ एक कर्तव्यनिष्ठ कॉरपोरेट नागरिक के रूप में सभी संभव तरीकों से भारत को आधुनिक और सामाजिक रूप से एक संतुलित राष्ट्र बनाने में अपनी दीर्घकालिक भूमिका निभाना''.

"हमारी महानतम उपलब्धि कभी नीचे न गिरने में नहीं, अपितु गिरने के बाद हर बार उठ खड़े होने में है.

कन्फ़्यूशियस, चीनी दार्शनिक

प्रिय शेयरधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से वित्त वर्ष 2013-14 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट जानकारी हेतु प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है. व्यक्तिगत रूप से मुझे जल्दी ही आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में एक वर्ष पूरा होने वाला है. इस अवसर पर मैं सभी अंशधारकों का उनसे प्राप्त निरंतर सहयोग के लिए और ऐसे रणनीतिक उपायों के लिए मुझमें भरोसा बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ जिन्हें मैंने और मेरी टीम ने विशेष रूप से इस चुनौतीपूर्ण वर्ष में अवसरों का समुचित लाभ उठाने के लिए उपयुक्त समझा.

प्राथमिक रूप से कुछ अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं, विशेषतः अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में थोड़ी मजबूती देखने में आई, खासकर 2013 की दूसरी छमाही में; किन्तु यूरोपीय क्षेत्र के देशों और जापान में धीमी वृद्धि और ईएमडीई, विशेषतः चीन में विकास की गति शिथिल होने के कारण यह निस्तेज रही. भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे साल 2013-14 में भी वैश्विक गतिविधियों के असर के कारण और घरेलू आपूर्ति की बाधाओं के चलते कमजोर रही जबकि मुद्रास्फीति, खासकर मूल मुद्रास्फीति अच्छे मानसून के बावजूद उच्च स्तर पर बनी रही. कमजोर बुनियादी और कॉरपोरेट निवेश के चलते मंदी ने अर्थव्यवस्था के अन्य मोर्चों पर भी असर डाला. कॉरपोरेटों की वित्तीय स्थिति में प्रतिकूल आस्ति गुणवत्ता के कारण गिरावट आई जिसका असर बैंकों की लाभप्रदता पर भी पड़ा. तथापि, हाल ही के संकेतों के अनुसार वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति थम सकती है जबकि अर्थव्यवस्था की औद्योगिक गतिविधियों के धीमे बने रहने की संभावना है. विदेशी व्यापार और खास तौर से चालू खाता घाटे (सीएडी) में एक वर्ष से पूर्व के स्तरों की तुलना में वर्ष 2013-14 की दूसरी छमाही में अन्य के साथ-साथ सुधरी हुई बाह्य स्थितियों के चलते उल्लेखनीय कमी आई है. वर्ष 2013-14 के दौरान औसत डब्ल्यूपीआई व सीपीआई मुद्रास्फीति में 2012-13 के स्तरों की तुलना में आधारभूत कारकों के प्रभावों के चलते सुधार आया. साथ ही, भारत में नीतिगत कार्रवाई के चलते पुनः मजबूत प्रतिरोधक बने जिन्होंने प्रभावी रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का बचाव किया और खास तौर पर अवांछित विनिमय दर अस्थिरता को हालिया बाह्य प्रभावों से बचाए रखा. चालू और वित्तीय घाटे; दोनों में कमी होने के कारण और साथ ही 2013-14 की चौथी तिमाही में पूंजीगत प्रवाहों के जरिए विदेशी मुद्रा भण्डारों की भराई होने से रुपये की विनिमय दर में वृद्धि हुई और उससे भी महत्वपूर्ण यह कि अस्फीतिकारी प्रभावों में गति आने से सामने दिख रही बड़ी अस्थिरता का जोखिम टल गया. इसमें संदेह नहीं कि निहित जोखिमों के चलते और बुनियादी बाधाओं को दूर करने की दिशा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

अधिकाधिक प्रयास करने से कारोबार में भरोसे का निर्माण होता है और विकास को सुनिश्चित करने के लिए निवेशों के समर्थन हेतु वित्तीय स्थितियाँ बनाने की जरूरत होती है. किन्तु आगे 2014-15 में बृहत् आधारभूत तत्वों में कभी भी बदलाव होने की बड़ी आशा है.

आपके बैंक ने 2013-14 के दौरान जारी प्रतिकूल परिचालन वातावरण के 'संक्रामक असर' से कतई विचलित हुए बिना मेहनत की और एक सीमा तक अपने कारोबार और वित्तीय कार्यनिष्पादन को इसके प्रभावों से बचाए रखने में सफल भी हुआ. वर्ष के दौरान बैंक का कुल कारोबार ₹4.23 लाख करोड़ से 2% से अधिक (वर्ष दर वर्ष आधार पर) बढ़कर ₹ 4.34 लाख करोड़ हो गया. बैंक के तुलनपत्र का आकार भी 31 मार्च 2014 को बढ़कर ₹ 3.29 लाख करोड़ हो गया जो एक वर्ष पूर्व की अवधि की तुलना में लगभग 2% अधिक है. 2013-14 में आपके बैंक के परिचालनों से ₹1121 करोड़ का निवल लाभ हुआ. चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभप्रदता का मुख्य संकेतक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5 आधार बिन्दु बढ़कर 2.17 % रहा. बैंक अपनी निधियों की कुल लागत को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 8.31% से घटाकर 2013-14 के दौरान 7.87% के स्तर पर लाने में सफल रहा है.

संयोगवश यह वर्ष एक संस्था के रूप में आईडीबीआई की स्थापना का 50वां वर्ष भी है. बैंक अपने सुदीर्घ और विशिष्ट ट्रैक रिकार्ड के चलते प्रतिकूल परिस्थितियों में उसी तरह से उभरा है जैसा कि इसने कई विगत अवसरों पर भी किया है. शाखा नेटवर्क में उल्लेखनीय विस्तार के साथ-साथ कम लागत वाली जमाराशियों, विशेषकर कासा के जरिए, जमा संग्रहण के एकमात्र लक्ष्य ने लाभप्रद रूप से निधियों की लागत

आपके बैंक की रणनीतिक योजना को इस उभरते हुए परिचालन वातावरण में मौजूदा अवसरों तथा इसके कारोबार के समक्ष इनसे उपस्थित चुनौतियों के अनुरूप बनाना होगा.

पर असर डाला है. इसी तरह बैंक ने अपनी रिटेल और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की बहियों को बढ़ाने की ओर भी खासा ध्यान दिया है जिसके लिए आकर्षक दरें और नवोन्मेषी योजनाएँ एवं सेवाएँ आरंभ की गई हैं जिनसे आस्ति पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करने और अपने दायरे को बढ़ाने में सहायता मिली है. साथ ही, हमारे कॉरपोरेट पोर्टफोलियो पर पड़ने वाले भारी दबाव के लिए, जो कि डगमगाते विकास और शिथिल निवेश के वातावरण में बड़े रूप में दिखता था, आपके बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों और एनपीए से अधिकतम वसूलियाँ करने के लिए बहुत से कारगर उपाय किए जिनकी सहायता से आपके बैंक को वर्ष के अंत में अपने समग्र एनपीए के स्तर को तार्किक स्तर तक बनाए रखने में मदद मिली. फीस आय जुटाने के लिए किए गए कठिन परिश्रम के भी अच्छे परिणाम मिले. इसी तरह एक कर्तव्यनिष्ठ कॉरपोरेट नागरिक के रूप में बैंक ने अपनी गतिविधियों के दायरे को परंपरागत बैंकिंग क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों जैसे ग्रीन बैंकिंग और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व तक पहुंचाया. ऐसे बहुत से पहल कार्यों और उनके परिणामों के बारे में इस रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट के तहत और साथ ही प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण खंड में अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसका अवलोकन करें. खास तौर पर यह काफी प्रसन्नता की बात है कि वर्ष के दौरान आपके बैंक के कई पहल कार्यों और प्रयासों का स्वागत किया गया और तत्संबंधी फोरमों पर उन्हें सम्मानित भी किया गया.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने चार साल के बड़े अंतराल के बाद अपने लक्ष्य समूह से फिर से जुड़ते हुए अपने ब्रांडिंग अभियान की एक नई टैग लाइन - 'बैंक ऐसा, दोस्त जैसा' के साथ

शुरुआत की जिसमें कोर ब्रांड की विशेषता और स्थिति की जानकारी दी गई है. इस अभियान में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आईडीबीआई बैंक एक मित्रवत बैंक है जो गर्मजोशी से अपने ग्राहकों का हर हाल में ध्यान रखता है.तात्कालिक रूप से कराए गए कई सर्वेक्षणों में यह बताया गया कि इसका मुख्य संदेश आपके बैंक के लिए अपने लक्ष्य समूहों के साथ सुदीर्घ और गंभीर संबंध बनाने में सहायक सिद्ध होगा. इसके बंद होने के बाद खुदरा उत्पादों में से मुख्य उत्पाद के लिए अभियान शुरू किया गया जिसमें उत्पादों की प्रमुख विशेषताएं प्रचारित की गई. इस प्रचार ने ब्रांड आईडीबीआई और आपके बैंक के प्रस्तावित उत्पादों को लेकर बाजार में दृश्यता की कमी को मिटाने का काम किया.

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2014 की पहली तिमाही के दौरान अस्थायी कारकों के चलते वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मामूली नरमी आई. फिर भी, इससे सहमत हुआ जा सकता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में सन्निहित तेजी, जो कि 2013 के बाद के हिस्से में आरंभ हुई थी; उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य रूप से और यूएस में अधिकेन्द्र के रूप में यथावत बनी रही और फलस्वरूप 2014 में निहित जोखिमों के होते भी, जिसमें नए भौगोलिक राजनीतिक जोखिम और राष्ट्रों एवं क्षेत्रों में असमान कार्य-निष्पादन शामिल हैं; इसके पिछले वर्ष के अर्धवार्षिक स्तरों से इस वर्ष के अर्धवार्षिक स्तरों पर ऊपर बने रहने की संभावना है. जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में हाल ही के महीनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद दिखाई दी है. निर्यात में वृद्धि की गति में हाल के घाटे के बावजूद वैश्विक विकास और परिणामस्वरूप सुधरी हुई बाहरी मांग, घरेलू आपूर्ति अवरोधों को आसान बनाने की दिशा में हालिया नीतिगत कार्रवाइयों से व्यापार और ग्राहक के भरोसे में हुई वृद्धि तथा रूकी हुई परियोजनाओं के आंशिक समाधान के साथ-साथ आधारभूत प्रभावों से उभरे लाभकारी आंकड़ों से 2014-15 के दौरान लगभग 5.5% की एक मध्यम वृद्धि की वापसी होनी चाहिए. फिर भी, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ इसकी बहाली पर असर डाल सकती हैं जैसे स्फीतिकारी गतिविधियों का उलट-प्रवाह, तिस पर नरमी की संभावना, उद्योग और सेवाओं के स्थायी पुनर्वास में अवांछित देरी, विभिन्न अनिश्चितताएं यथा कृषि पर प्रभाव डालने वाला ईआई निनो फैक्टर, संकुचित वैश्विक मौद्रिक एवं वित्तीय परिस्थितियाँ, विदेशी भौगोलिक राजनीतिक घटनाएं या इसमें निहित आर्थिकितर कारक आदि; इनसे कुल मिलाकर एक संकुचित मौद्रिक स्थिति बन सकती है जिसका असर निवेशों के प्रवाह की गति पर पड़ सकता है और जिसके कारण वृहद रूप में सुधारों के अनिश्चित रहने की संभावना है.

आपके बैंक की रणनीतिक योजना को इस उभरते हुए परिचालन वातावरण में मौजूदा अवसरों तथा इसके कारोबार के समक्ष इनसे उपस्थित चुनौतियों के अनुरूप बनाना होगा. इस वर्ष में किए गए शाखा विस्तार के मुक़ाबले एक ज्यादा असरदार योजना बनाना जिससे हमारी रिटेल फ्रेंचाईजी ज़रूरतमंद वर्गों को ऋण दे सके जो हमारी कासा बही और निधियों की लागत के लिए एक अनुकूल संकेत बन सके, रिटेल और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारों में खास तौर पर दूसरे में सेवा आधार पर अनुपूरक स्थायी बढ़ोत्तरी करना जिससे हमारे पोर्टफोलियो के पुनः संतुलन में सहायता मिल सके और साथ ही साथ कॉरपोरेट बैंकिंग और बुनियादी वित्त में हमारी विशिष्ट स्थिति को भी बनाए रखा जा सके. ग्राहक की बढ़ती और अव्यक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई योजनाओं को आरंभ करना, बकाया दबावग्रस्त आस्ति पोर्टफोलियो से शीघ्र वसूलियों हेतु समाधान करना जिससे सुधारित वृद्धि से हमारी फीस आय में बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ कुल मिलाकर वर्तमान संबंधों को और अधिक गहरा बनाने की ओर ध्यान दिया जा सके, यह सभी 2014-15 के लिए आपके बैंक के प्रमुख कार्यक्षेत्र होंगे. इन सभी कॉरपोरेट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संस्था की पुनः संरचना किया जाना अनिवार्य है और इस समय यह अनुपालन की स्थिति में है. आपके बैंक की स्वयंसिद्ध सुदृढ़ता में सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग-कौशल व संचालन और इसकी प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि के साथ-साथ अपने लक्ष्य समूहों में इसकी शानदार ब्रांड इक्विटी, जो हाल के ब्रांड पुनः निर्धारण अभियान से जुटाई गई है; इन सबके जरिये बैंक अपने लिए तय किए गए चुनौतीपूर्ण व्यापक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर सकेगा.

मुश्किल वक्त नहीं टिकता है, मजबूत लोग टिके रहते हैं. पिछले कुछ महीनों के दौरान संस्था में मुझे बड़ी संख्या में इस श्रेणी के कर्मचारियों को देख कर काफी खुशी हुई है और यह वास्तव में बहुत विनम्रकारी बात है कि उनके इसी ज़ज़्बे ने मुझे बड़ा स्वप्न देखने के लिए प्रेरित किया है. आईडीबीआई बैंक के एक संस्था के रूप में 50 वर्ष पूर्ण करने के गौरवशाली अवसर पर मैं आपसे निरंतर निष्ठा और सहयोग बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ ताकि हम सब साथ मिलकर बैंक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकें और सभी अंशधारकों का मूल्यवर्धन कर सकें.

आपको और आपके परिजनों को शुभ कामनाओं सहित,

एम.एस. राघवन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल

बैठे हुए(बाएं से दाएं): श्री पी. एस. शेनॉय, श्री एम. एस.राघवन, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव
खड़े हुए (बाएं से दाएं): श्री मेल्विन रेगो, श्री बी. के. बत्रा, श्री सुभाष तुली, श्री एस. रवि, श्री पंकज वत्स, श्री निनाद कर्पे

निदेशक मंडल की रूपरेखा

श्री एम. एस. राघवन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राघवन विज्ञान में स्नातक हैं तथा उन्होंने मैनेजमेंट एवं फायनेन्शियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा किया है. उन्होंने अपना बैंकिंग कैरियर इंडियन ओवरसीज़ बैंक (आईओबी) में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में आरंभ किया. आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले वे बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे.

आईओबी में अपने साढ़े तीन दशक से अधिक के लंबे कार्यकाल में श्री राघवन ने ऋण, परिचालन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. उन्हें मानव संसाधन प्रबंध, जोखिम प्रबंध, कॉरपोरेट ऋण, सूचना प्रौद्योगिकी व अनुपालन के क्षेत्र में व्यावसायिक दक्षता हासिल है. इंडियन ओवरसीज़ बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के महाप्रबंधक के रूप में उन्होंने बैंक की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) कार्यान्वित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बैंकिंग प्रणाली और विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के संदर्भ में श्री राघवन के योगदान की उद्योग द्वारा व्यापक प्रशंसा की गई है.

श्री बी. के. बत्रा
उप प्रबंध निदेशक

श्री बत्रा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली से बी. कॉम (ऑनर्स) स्नातक हैं और उन्होंने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स से सीएआईआईबी किया है. उन्होंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दिल्ली से एमबीए तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फायनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया, हैदराबाद से सीएफए की डिग्री भी प्राप्त की है.

श्री बत्रा 1983 में आईडीबीआई बैंक की पूर्ववर्ती संस्था-आईडीबीआई, विकास वित्तीय संस्था में औद्योगिक वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए और उन्होंने बैंक के सभी प्रमुख विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया. उन्हें विशेष रूप से परियोजना वित्त (इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित) और कॉरपोरेट बैंकिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावसायिक दक्षता हासिल है. उन्हें 13 जनवरी 2012 से बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री मेल्विन रेगो
उप प्रबंध निदेशक

श्री रेगो पुणे के सिंबोइसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से वित्त में एमबीए रैंक होल्डर हैं. वे आईडीबीआई से इसके विकास वित्त संस्था के दिनों से लेकर लगभग तीन दशकों से जुड़े रहे हैं. उन्हें 30 अगस्त 2013 से बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले वे बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने कॉरपोरेट बैंकिंग समूह, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट समूह, परियोजना मूल्यांकन, ऋण समूहन, संरचना एवं सलाहकारी विभाग, अंतराष्ट्रीय बैंकिंग (डीआईएफसी में बैंक की एकमात्र विदेशी शाखा सहित) और ट्रेज़री पहल कार्यों का नेतृत्व किया है.

आईडीबीआई में अपने कैरियर के दौरान, श्री रेगो ने पुनर्वास वित्त, परियोजना वित्त, कॉरपोरेट बैंकिंग, ट्रेज़री और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में विभिन्न पदों पर कार्य किया है.

निदेशक मंडल की रूपरेखा

सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव
सरकारी निदेशक

भूगोल में पोस्ट ग्रैजुएट तथा रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में एम. फिल सुश्री श्रीवास्तव भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की 1982 बैच के मध्य प्रदेश कैडर से हैं. वे मध्य प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाल चुकी हैं जिनमें उप सचिव (उर्जा विभाग), अपर सचिव (वित्त), कार्यपालक निदेशक (खान एवं खनिज), प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) तथा अध्यक्ष (शिक्षा विभाग) शामिल हैं. वे केंद्र सरकार में भी विभिन्न पदों पर कार्य कर चुकी हैं. वर्तमान में वे वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव के पद पर पदापित हैं.

श्री सुभाष तुली
स्वतंत्र निदेशक

श्री तुली कॉमर्स ग्रैजुएट तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. वे 1971 से लखनऊ के अग्रणी चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्म के वरिष्ठ पार्टनर हैं. आपको विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा परीक्षा, कराधान एवं प्रबंध परामर्श समनुदेशन कार्यों के संचालन का विषद् अनुभव है. इनमें से कुछ संस्थाएं हैं - आईआईएम लखनऊ; उ.प्र. राज्य चीनी निगम; उ.प्र. वन निगम; उ.प्र. राज्य कृषि औद्योगिक निगम लि. और कुछ अन्य एसएमई कंपनियां. उन्होंने इसी तरह के कार्य कई बैंकों की शाखाओं में किए हैं जिनमें इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा इसकी 27 शाखाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा एवं अन्य शामिल हैं.

श्री पी. एस. शेनॉय
स्वतंत्र निदेशक

श्री शेनॉय मैसूर यूनिवर्सिटी से बी. कॉम (गोल्ड मैडलिस्ट) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनेंस के फैलो हैं. वे 2000 से 2005 तक बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं. उन्हें बैंकिंग उद्योग में चार बैंकों अर्थात् बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक तथा सिंडीकेट बैंक में चार दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है. विदेश में कई वर्ष तक पदापित रहने के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में गहन अनुभव हासिल है. वे भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं.

श्री एस. रवि
स्वतंत्र निदेशक

श्री रवि बीएससी तथा एम. कॉम की डिग्री प्राप्त और एफसीए हैं; वे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के सेंटर फार मैनेजमेंट स्टडीज़ से पीएचडी भी कर रहे हैं. श्री रवि को सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं, के बोर्डों में निदेशक होने के फलस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र का व्यापक अनुभव प्राप्त है. वे सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जैसे-भेल और ओएनजीसी लिमिटेड तथा अन्य के बोर्ड में भी नामित हैं.

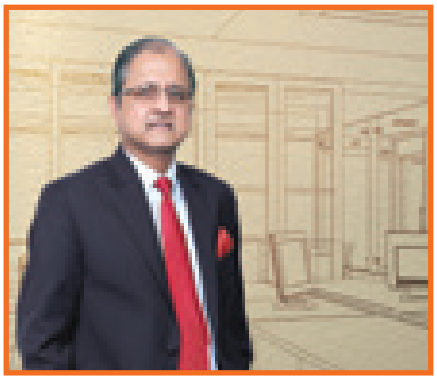

श्री निनाद कर्पे
स्वतंत्र निदेशक

श्री कर्पे एप्टेक लि. के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं. उन्होंने बी. कॉम, एलएलबी (जनरल) की डिग्री प्राप्त की है और एफसीए हैं. एप्टेक लि. में कार्य ग्रहण करने से पहले वे सीए इंडिया में एमडी के पद पर थे जहां उन्होंने कंपनी की प्रौद्योगिकी के दायरे को बढ़ाने और शीर्ष भारतीय आईटी महारथियों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने कराधान पर किताबें लिखी हैं और भारत में विदेशी निवेश तथा कार्यनीति पर सेमिनार तथा कार्यक्रम आयोजित किए हैं. वे बीएनपी पारिबस असेट मैनेजमेंट इंडिया प्रा. लि. और इंडिया एसएमई असेट रीकंस्ट्रक्शन कं. लि. तथा अन्य के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं.

श्री पंकज वत्स
स्वतंत्र निदेशक

उद्योगपति श्री वत्स, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली से बी. कॉम (ऑनर्स) हैं तथा उन्हें लघु उद्योग चलाने का तीन दशक से भी अधिक का अनुभव है. लघु उद्योग में उनके गहन अनुभव और विशेष ज्ञान, जो बैंक के निदेशकों के लिए आवश्यक योग्यता है, के कारण उन्हें भारत सरकार द्वारा बैंक के संस्था के अंतर्नियम के नियम 116(1)(डी) के अनुसार 30 सितंबर 2013 से आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

नेतृत्व टीम की रूपरेखा

श्री बी. रविन्द्रनाथ
कार्यपालक निदेशक

श्री रविन्द्रनाथ एम. जी. एम. कॉलेज, उडिपि के रैंक होल्डर हैं. उन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, सुरथकल से विशेष योग्यता (डिस्टिंक्शन) के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) में कार्यग्रहण किया और मैनेजमेंट एवं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया. उन्होंने एचएएल में पांच वर्ष तक कार्य किया. उन्होंने 1982 में पूर्ववर्ती विकास वित्तीय संस्था-आईडीबीआई में अपना बैंकिंग कैरियर आरंभ किया. वर्तमान में वे बैंक के जोखिम प्रबंध, ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप, ट्रेज़री, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, लेखा परीक्षा, वसूली, कॉरपोरेट रणनीति और संवाद, केंद्रीकृत परिचालन, शाखा परिचालन सहायता एवं नीति तथा विधि विभाग के प्रभारी हैं. उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट वित्त पोषण, परियोजना मूल्यांकन और ऋण समूहन संरचना एवं सलाहकारी सेवाएं, मिड कॉरपोरेट, एसएमई तथा कृषि कारोबार में गहन अनुभव प्राप्त है. वे कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना कक्ष के पूर्व अध्यक्ष हैं. वे स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष भी हैं. वे कई प्रतिष्ठित सूचीबद्ध/गैर सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में भी निदेशक हैं.

श्री बंसल रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएआईआईबी हैं. बैंक के पूर्ववर्ती डीएफआई में प्रबंध प्रशिक्षार्थी के रूप में कार्य ग्रहण करने के बाद से आईडीबीआई बैंक में उनका लगभग 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है. इस अवधि में उन्होंने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे ट्रेज़री, निवेश, वित्त एवं लेखा (सीएफओ), परियोजना मूल्यांकन, संसाधन, वसूली, खुदरा बैंकिंग आदि में कार्य किया है. श्री बंसल आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी तथा आईडीबीआई म्यूच्युअल फंड ट्रस्टी कंपनी स्थापित करने के कार्य से जुड़े रहे. उन्होंने बैंक की दो सहायक संस्थाओं अर्थात् आईडीबीआई होमफाइनेंस लिमिटेड और आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड के विलय का कार्य देखा. वे युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड के बैंक में समन्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स के भी सदस्य थे. वे 1 जुलाई 2013 से 31 जनवरी 2014 तक आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के कार्यकारी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ भी थे.

वर्तमान में वे बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग समूह, वित्त एवं लेखा विभाग, स्ट्रैटेजिक एवं असोसिएट निवेश कक्ष तथा सीडीआर कक्ष के प्रमुख हैं. वे सीडीआर एम्पॉवर्ड समूह के भी अध्यक्ष हैं.

श्री आर. के. बंसल
कार्यपालक निदेशक

श्री विनय कुमार
कार्यपालक निदेशक

श्री कुमार पंजाब यूनिवर्सिटी से कैमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं तथा उन्होंने सीएआईआईबी किया है. उन्होंने जमनालाल बजाज इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फायनेंशियल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. उन्होंने अगस्त 1983 में पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) में कार्य ग्रहण किया. 2003 से बैंक के मध्यम तथा बृहद कॉरपोरेट सम्बन्धों से जुड़े कार्य देखते हुए वे इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त, कॉरपोरेट बैंकिंग, ट्रांजेक्शन बैंकिंग व्यवसाय जैसे विभिन्न समूहों के प्रमुख रहे. वे विभिन्न पदों पर मुख्यतः बैंक की पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र की शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी भी रह चुके हैं.

उनके वर्तमान दायित्वों में बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट समूह, संकेंद्रित परिसंपत्ति प्रबंधन समूह, परियोजना मूल्यांकन विभाग, ऋण समूहन, संरचना व सलाहकारी सेवा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा एमआईएस विभाग शामिल हैं.

श्री श्रीनिवासन ने इंजीनियरिंग में स्नातक के साथ वित्त (पीजीडीबीएम) तथा बैंकिंग (सीएआईआईबी) में व्यावसायिक अर्हता प्राप्त की है. ट्रांजैक्शन बैंकिंग, मिड कॉरपोरेट, एसएमई, वैयक्तिक और कृषि कारोबार के साथ वाणिज्यिक बैंकिंग के क्षेत्र में उनका लगभग तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. श्री श्रीनिवासन ने अपने कैरियर की शुरूआत बैंक ऑफ इंडिया से की जहां वे देशभर में फैली शाखाओं तथा प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य कर अग्रसर होते हुए मुख्य अधिकारी बने. उन्होंने आईडीबीआई की पूर्ववर्ती बैंकिंग सहायक संस्था-आईडीबीआई बैंक में 1997 में कार्यग्रहण किया जो 2005 में मूल संस्था में विलय हो गई. उन्होंने विभिन्न पदों जैसे क्षेत्रीय प्रमुख, वर्टिकल प्रमुख और वर्तमान में कार्यपालक निदेशक के रूप में बैंक के उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में कारोबार का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया.

कार्यपालक निदेशक के रूप में वर्तमान में वे बैंक के खुदरा बैंकिंग समूह, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समूह (कृषि और एमएसई), वित्तीय समावेशन विभाग, प्रशासन विभाग और सुविधा एवं संरचना प्रबंध विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं. कई प्रतिष्ठित कंपनियों के बोर्ड में निदेशक होने के अलावा वे सिडबी और आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कं. लि. के निदेशक मंडल में नामिती निदेशक हैं.

श्री एस. के. वी. श्रीनिवासन
कार्यपालक निदेशक

संबंधों को प्रगाढ़ बनाना

आपका बैंक ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर विश्वास रखता है: ऐसे संबंध जो वित्तीय लेन- देनों से आगे हों और जिनमें दोस्ती की गरमाहट छलकती हो.

ग्राहकों के साथ गहरी मित्रवत सहभागिता और दीर्घकालिक ध्येय ने बैंक को देश के सुदूर कोने तक पहुंचने और असंख्य लोगों के दिलों को छूने में मदद की है.

बैंक से बढ़कर बहुत कुछ ..... 24x7 का साथी

''आईडीबीआई बैंक मेरी सभी बैंकिंग ज़रूरतों का ध्यान रखता है; चाहे म्युचुअल फंड, शेयर और सावधि जमा में निवेश हो अथवा बचत खाता. जब भी आपको ज़रूरत हो बैंक आपके लिए हाज़िर है. आपके सभी सवालों और चिंताओं के समाधान के लिए वे हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं. आईडीबीआई बैंक से भी बढ़कर है. ऐसा दोस्त जिस पर आप विश्वास कर सकें''.

अनु मलिक, संगीत निदेशक, 2001 से ग्राहक

बैंक जो आपके दिल में घर कर रहा है : एक पारिवारिक अहसास

''बैंक के साथ मेरा संबंध 16 वर्ष पुराना है; और पिछले वर्षों में हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं. मैं बैंक की खार (मुंबई) शाखा के पहले ग्राहकों में से एक हूं. मुझे याद है बैंक की शाखा से मुझे पहला डेबिट कार्ड जारी किया गया था. इस बात को एक दशक से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन बैंक की सेवाओं की गुणवत्ता अब भी बेजोड़ है.

आज बैंक के साथ मेरे संबंध दैनंदिन लेन-देन से आगे बढ़ कुछ ऐसे हो गये हैं जो भावनात्मक हैं. मैं जब भी बैंक के परिसर में आता हूं अपने आप को बैंक के परिवार का सदस्य महसूस करता हूं. मैंने आईडीबीआई बैंक के साथ हमेशा भावनात्मक संबंध अनुभव किया है. इस शाखा के लोग आपकी अपेक्षा से एक कदम आगे सेवाएं देने का प्रयास करते हैं. ऐसा लगता है मानो वे ज़रूरतमंद दोस्त की मदद कर रहे हों. ***मैं बैंक का गौरवान्वित प्रतिनिधि हूं.''***

शैलेश बी दवे, 1998 से ग्राहक

सुखकर सेवा - भरोसेमंद दोस्त

''पिछले दो वर्षों से मुंबई और बेंगलूर दोनों ही जगह आईडीबीआई बैंक के साथ बैंकिंग करता रहा हूं और मैं उनकी सेवाओं के स्तर से बहुत ही संतुष्ट हूं. वे तत्पर, कुशल, शिष्ट और जब भी जरूरत हो आपके लिए उपलब्ध हैं. ***मैंने किसी दूसरे बैंक में ऐसी सेवाएं नहीं देखी हैं.*** उनके साथ बैंकिंग करना एक सुखद अनुभव है और ऐसी सेवाओं के साथ और आगे बढ़ने के लिए मेरी शुभकामनाएं.''

प्रकाश पादुकोण, पूर्व ऑल इंग्लैंड बैंडमिंटन चैंपियन

जरूरत के समय सच्चा दोस्त, हमेशा के लिए

''जब तक मेरे पति जीवित थे, ***मैं वैयक्तिक वित्त के मामले में लापरवाह हुआ करती थी.*** उनका अचानक स्वर्गवास हो जाने पर उस मुश्किल घड़ी में आईडीबीआई बैंक मेरी मदद करने के लिए सामने आया. जब मेरे साथ यह त्रासदी हुई तब मैं असुरक्षित महसूस कर रही थी और मुझे विश्वसनीय सहायता की जरूरत थी. मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके साथ मैं अपनी समस्याओं को बांट सकूं और उनसे सलाह ले सकूं. एक ऐसा असली दोस्त जो मुझ पर ध्यान दे और संवेदना के साथ मुझे सहारा दे. आईडीबीआई बैंक ने मेरी जिंदगी में यही भूमिका निभाई है. आईडीबीआई ने इस बदलाव प्रक्रिया में मेरा साथ दिया और चौबीसों घंटे काम में लग कर यह सुनिश्चित किया कि मेरे सभी कागजात सुव्यवस्थित हैं. बैंक कर्मियों द्वारा दर्शायी गई समानुभूति मेरे लिए यादगार बन चुकी है. ***बैंक के साथ मेरा अनुभव इतना सुखद रहा है कि मैंने अपने परिचितों को भी यहां भेजा है.***''

ज्योतिका कोठारी, 1999 से ग्राहक

सहभागिता को मजबूत करना

सहभागिता एक दिन में नहीं बनती. अपने आरंभ से ही आईडीबीआई बैंक ने राष्ट्र के औद्योगिक पुनरुत्थान के सृजन के लिए भारत के बड़े औद्योगिक घरानों के साथ सहभागिता की है. औद्योगिक खिलाड़ी भारत के औद्योगिक विकास और समृद्धि में आईडीबीआई की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के प्रति आश्वस्त हैं. पिछले पाँच दशकों के दौरान आपके बैंक ने आधुनिक भारत बनाने में विशेष कर औद्योगिक महाव्योम को छूने के हर संभव प्रयास किये हैं.

दीर्घकालीन सहभागी के रूप में सेवा

आईडीबीआई बैंक का जेएसडब्ल्यू समूह के साथ संबंध 1994 से है, जब आईडीबीआई ने वित्तीय संस्था के रूप में कर्नाटक में ग्रुप के स्टील प्लांट का वित्त पोषण किया था. इस ग्रुप ने आज स्टील, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और खनन के क्षेत्र में विशाखीकरण कर लिया है. मुख्य कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है. यह साथ पिछले दो दशकों में बढ़ा है और ग्रुप को आईडीबीआई बैंक की ऋण सहायता में कई गुना वृद्धि हुई है. यह साथ भी परीक्षा की घड़ी से गुजरा है जब आईडीबीआई ने नब्बे के दशक के दौरान और इस सदी के आरंभ में स्टील उद्योग में गिरावट के दौर में कंपनी का कठिन समय में साथ दिया था. जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने अपनी ओर से आईडीबीआई से अपने सुदृढ़ और दीर्घकालिक संबंध की स्पष्ट रूप से सराहना की और उन्होंने अपने विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास वित्त संस्था/ बैंक का सहयोग लिया है.

जेएसडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री सज्जन जिंदल ने आपके बैंक के बारे में यह कहा है: ''नब्बे के दशक की शुरुआत से ही जिंदल ग्रुप का आईडीबीआई बैंक के साथ दीर्घकालिक संबंध रहा है और आईडीबीआई ने अपने नाम के अनुसार ही बड़े उद्योगों के विकास में हमेशा ही मदद की है. औद्योगिक घरानों का आईडीबीआई के पास जाने का एक मुख्य कारण देश के औद्योगिकीकरण में उनका बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है. उन्होंने औद्योगिक घरानों अथवा कंपनियों का मुश्किल समय में साथ दिया है जबकि ज्यादातर बैंक उद्योगों के कठिन दौर में उनका साथ छोड़ देते हैं. ***इसके परिणाम स्वरूप हमारा आईडीबीआई बैंक के साथ केवल सुख के साथी होने के बजाए दीर्घकालिक सहभागी के रूप में जुड़े रहने का पूरा विश्वास है.***''

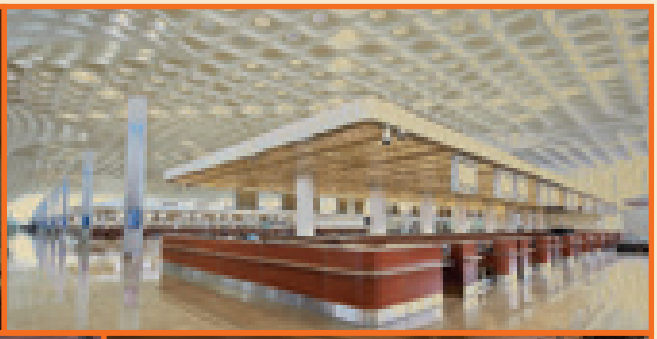

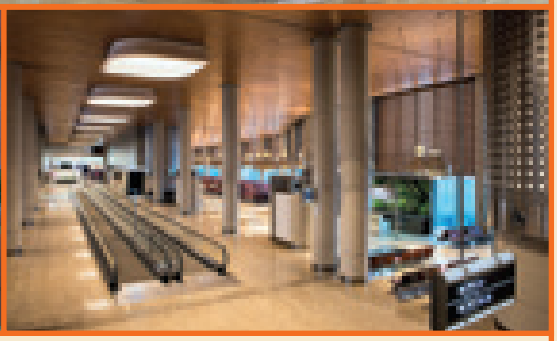

राष्ट्र निर्माण में साथी

आईडीबीआई बैंक और जीवीके ग्रुप का साथ 1979 से है और बैंक ने इस ग्रुप के विभिन्न उद्योगों को, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में प्रवेश के लिए, निधीयन और सम्बद्ध सहायता दी है. आईडीबीआई ने कठिन स्थितियों के बावजूद आवश्यकतानुसार हमेशा ही ग्रुप को यथासंभव सहायता दी है. आज यह ग्रुप नामी भारतीय कंपनी है जिसकी मौजूदगी ऊर्जा, संसाधन, एयरपोर्ट, परिवहन, आतिथ्य और जीवन विज्ञान क्षेत्रों में है. कंपनी विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता में आईडीबीआई का साथ चाहती है और कंपनी बैंक के साथ अपने लंबे समय के संबंधों को और मजबूत करने और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है. आईडीबीआई बैंक का मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की टी 2 टर्मिनल परियोजना में सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि बैंक ने इस परियोजना में बिडिंग स्तर से और बाद में एयरपोर्ट की वित्तीय सहायता/उन्नयन के लिए संयुक्त अग्रणी अरेंजर के रूप में भूमिका निभाई है. आपका बैंक भारत के सर्वप्रथम और अत्याधुनिक पैसेंजर टर्मिनल, जिसकी डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिचालनगत क्षमता विश्व स्तरीय है और जिसमें भारतीय मूल्य, परम्पराएं और संस्कृति का सघन समावेश है; को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाते हुए गौरवान्वित महसूस करता है.

जीवीकेपीआईएल के संस्थापक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डॉ. जी.वी.के. रेड्डी, आईडीबीआई बैंक के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के सुखद अनुभवों को याद करते हुए कहते हैं:

''आईडीबीआई बैंक पिछले तीन दशकों से हमारे अग्रणी बैंकरों में से एक है और इसने हमेशा ही जीवीके उद्यमों को वित्तीय सहायता दी है जिसमें विश्व में विमानन उद्योग में नये प्रतिमान स्थापित करनेवाल मुंबई एयरपोर्ट भी शामिल है. मैं यहाँ बहुत गर्व के साथ यह कहना चाहता हूं कि आईडीबीआई बैंक मेरी सफल विकास यात्रा का आधार बना है और आईडीबीआई बैंक के साथ हमारे दीर्घकालिक, सुदृढ़ और सफल संबंधों की आधारशिला हमारा आपसी भरोसा और सम्मान है. मैं आईडीबीआई को देश के एक भरोसेमंद और विश्वसनीय वित्तीय संस्था के रूप में पचास स्वर्णिम वर्ष पूरे करने पर बधाई देता हूं. ***मैं उनके लिए और अधिक सफलता की कामना करता हूं और उनके साथ हमारे संबंधों को और मजबूत करने की आशा करता हूं.***''

आकांक्षाओं को पंख लगाना

सामाजिक पिरामिड में जनसंख्या का एक बड़ा तबका अपनी जीवन शैली के स्तर को उठाना चाहता है. इन्हें ज़रूरत है एक भरोसेमंद साथी की जो उनकी आकांक्षाओं के साथ समानुभूति रखता हो और उनकी आकांक्षाओं को उपलब्धि के द्वार तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता हो. आईडीबीआई बैंक का ध्येय ऐसी आकांक्षाओं में सहभागी बनना और लोगों की ज़िन्दगियों में हर तरह की परिस्थितियों में परिवर्तन लानेवाले एजेन्ट के रूप में उभरना है.

एक सच्चा दोस्त

वर्ष 2000 में जब शेवंतीलाल दोशी का निधन हुआ था तब उनके बड़े बेटे डायमंड दोशी की उम्र केवल 17 वर्ष थी. इस छोटी सी उम्र में उन्हें दुकान के परिचारक के रूप में परिवार का कारोबार संभालना पड़ा था. संकट की इस घड़ी में आईडीबीआई बैंक एक सच्चे दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में सामने आया. उसी वर्ष आपके बैंक ने (उस समय यूडब्ल्यूबी) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उन्हें ₹ 90,000 की सहायता दी. योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई थी.

इस आर्थिक सहायता से डायमंड ने बेलगाम, कर्नाटक में 150 वर्ग फीट की किराए की दुकान से उपभोक्ता माल का व्यवसाय शुरू किया. 14 वर्षों के भीतर डायमंड और उनके भाइयों ने मिलकर शहर के बीचों-बीच 700 वर्ग फीट की दुकान और स्वयं के दो मकान (इसके लिए भी आईडीबीआई बैंक ने वित्तीय सहायता की) बना लिये. उनकी फर्म का मौजूदा टर्न ओवर ₹ 4.5 करोड़ है. उनकी फर्म बेलगाम और आसपास के जिलों में सभी बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के लिए वितरक का काम करती है. आईडीबीआई बैंक की आरंभिक सहायता आज एक महत्वपूर्ण कैश क्रेडिट आऊटले के रूप में बढ़ चुकी है. डायमंड और उनके भाई बैंक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समय पर पूरा करते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपने कैश फ्लो का प्रभावी रूप से प्रबंध कर रहे हैं.

बैंक के साथ उनके लाभप्रद संबंध के बारे में डायमंड दोशी का कहना है:

''आईडीबीआई बैंक ने कठिन समय में मेरे और मेरे परिवार का साथ दिया है. बैंक ने वर्षों से मेरा साथ दिया है और यह मेरे फर्म और मेरे परिवार का एकमात्र बैंकर है. ***मेरा परिवार इस दशक के दौरान संपन्न हुआ है और मैं बैंक द्वारा समय पर दी गई सहायता के लिए उनका अत्यंत शुक्रगुज़ार हूं''.***

बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना

आईडीबीआई बैंक 2007 से बंधन फायनेंशियल सर्विसेस प्रा. लि (बंधन) जो एक प्रतिष्ठित माइक्रो फाइनेंस संस्था है, का पार्टनर रहा है. इस अवधि के दौरान बंधन ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता किये बिना माइक्रो फायनेंस क्षेत्र में भौगोलिक पहुंच, उधारकर्ताओं की संख्या और प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. इन सात वर्षों के दौरान आईडीबीआई बैंक द्वारा इस समूह को दी जानेवाली ऋण सहायता में कई गुना वृद्धि हुई है और अन्य बातों के साथ-साथ बैंक ने बंधन को 5.4 मिलियन उधारकर्ता प्राप्त करने में सहायता की है, जो कि एक ऐसा असाधारण कार्य था जिसे कोई भी अन्य माइक्रो फायनेंस संस्था नहीं कर पाई है.

बंधन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री चंद्र शेखर घोष आईडीबीआई की खुलकर प्रशंसा करते हैं:

''मैं बेझिझक यह उल्लेख करना चाहता हूं कि माइक्रो फायनेंस क्षेत्र में हमारी असाधारण प्रगति आईडीबीआई बैंक की अबाधित सहायता और मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थी और इसके लिए मैं आभारपूर्वक उनकी सराहना करता हूं और इस अनुभव को संजोये रखना चाहता हूं. बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता ने ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने में सहायता की है. हमारी इस यात्रा में सभी क्षेत्रों के साथियों के साथ सामना हुआ है लेकिन आईडीबीआई बैंक ने 'सदा के दोस्त' के रूप में हमारा साथ दिया है जैसे वह हमारे परिवार का ही हिस्सा हो. हम बंधन में आईडीबीआई बैंक के साथ हमारी दोस्ती को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम आनेवाले कल के पारस्परिक सुनहरे भविष्य के लिए अपने समाज के पात्र तबकों की ज़िन्दगियों को बेहतर बनाने में सफल हो सकें. मेरे लिए ***आईडीबीआई बैंक के मायने हैं - ''बैंक ऐसा दोस्त जैसा''.***

संबंधों को पल्लवित करना

एन रंगा राव एण्ड सन्स (एनआरआरएस) 60 वर्षों से 'साईकिल अगरबत्ती' ब्रांड के अंतर्गत सुगंधित अगरबत्ती का उत्पादन कर रहे हैं. यह ब्रांड इस दौरान एक अनुभवहीन कुटीर उद्योग से वैश्विक उद्यम बन गया है. एनआरआरएस वर्तमान में पूरे भारत में अपनी 17 शाखाओं से 34 बिक्री डिपो के साथ 250 प्रकार की अगरबत्ती बनाते हैं और 40 से भी अधिक देशों में इनका निर्यात करते हैं. एनआरआरएस और आईडीबीआई बैंक का साथ 2005 से है और यह साथ आईडीबीआई बैंक द्वारा फर्म को दी गयी वित्तीय सहायता में कई गुना बढ़ोत्तरी के साथ और गहरा होता गया है.

एनआरआरएस के पार्टनर श्री आर. गुरु, आपके बैंक द्वारा फर्म को दिये गये साथ और उसकी मूल्य आधारित सहायता की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं.

''बैंक और हमारा साथ लगभग एक दशक का है. बैंक ने हमें उच्च विकास के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बैंक हमारे साथ-साथ हमारे आसपास के अनेक कुटीर उद्योगों की सहायता करने और 30,000 से अधिक गरीब बेरोजगार महिलाओं को रोजी-रोटी उपलब्ध कराने में हमारी सहायता कर रहा है और उनके उत्थान में उनकी मदद कर रहा है. आईडीबीआई बैंक की सहायता से हम अगरबत्ती बनाने वाले घरेलू समूहों की भी मदद कर पा रहे हैं जो कि हमारे गृह राज्य कर्नाटक से ओड़िशा, असम और बिहार जैसे अन्य राज्यों तक फैले हैं. बैंकिंग संस्था के रूप में उन्होंने समय पर निपटान और हमारे वेंडरों को बिना किसी झंझट के मौद्रिक मूल्य के अंतरण में सहायता करने में उत्सुकता दिखाई है. ***हम आईडीबीआई बैंक की प्रगतिशील विचारधारा की और हमारी ज़रूरत से पहले ही हमारे लिए उपलब्ध रहने की सराहना करते हैं.''***

हर एक की आवाज़ सुनना

हम आईडीबीआई बैंक में यह मानते हैं कि समुदाय में हरेक की आवाज़ मायने रखती है और हम समुदाय की सेवा द्वारा सहयोगी मार्ग अपना कर बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. आईडीबीआई बैंक में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व अल्पकालिक प्राथमिकता नहीं है; बल्कि यह बैंक के दीर्घकालिक कॉरपोरेट दर्शन और ध्येय में पूरी तरह से रचा बसा है.

विकास वित्त संस्था के रूप में आईडीबीआई ने चार दशकों तक उद्योग, संरचनागत सुविधाओं और अग्रणी पूंजी बाजार संस्थाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित कर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई थी. सबसे युवा वाणिज्यिक बैंक के रूप में आपके बैंक ने 2004 से अपने कार्यकलापों के हर क्षेत्र में इसी भावना को पल्लवित किया है. आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति समाज के वंचित वर्गों के लोगों के जीवन में वास्तविक, दृश्य और स्थायी बदलाव लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यह कार्य अन्य क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण संरचनागत सुविधाओं, सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यावरण, सामुदायिक कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों में सक्रिय सहभागिता के जरिए किया जाता है.

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक ने प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही मान्यताप्राप्त संस्थाओं के सहयोग से अपने क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग अपने सीएसआर संबंधी पहल कार्यों के कार्य क्षेत्र को विस्तारित करने और अपने कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए किया. आपका बैंक ऐसे कुछ प्रभावी सबंधों को गर्व के साथ याद करता है जिनसे समाज के हाशिये पर बसर करनेवाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता मिली है.

निर्माण स्थलों पर मजदूरों के बच्चों का संपूर्ण विकास

भवन निर्माण मजदूरों को जीवन में मजदूरी की असुरक्षा, खराब स्थितियों में काम करने और कल्याणकारी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ता है. इन मजदूरों के बच्चे, जिनकी तादाद 30 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है, का भविष्य इस प्रतिकूल माहौल में अंधकारमय है.

मुंबई मोबाइल क्रेश इन निर्माण स्थलों पर बच्चों (चौदह वर्ष की आयु तक) के लिए व्यापक डे-केयर सेंटर चलाते हैं. आईडीबीआई बैंक एक जागरूक कॉरपोरेट नागरिक के रूप में ***मुंबई मोबाइल क्रेशों द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा, आहार और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता करता है.***

ख्याल रखना, सहभागी होना, प्रतिसंवेदी होना

आईडीबीआई ने वर्ष 2011 के पूर्वार्द्ध में लद्दाख क्षेत्र के तरु गाँव के बाढ़ प्रभावित निवासियों की सहायता के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टीआईएसएस) की साझेदारी में और लद्दाख स्वायत्त विकास परिषद की सक्रिय सहभागिता से निधि सहायता तथा अन्य प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आपके बैंक ने स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए समग्रता पूर्वक और निरंतर लोगों की मदद करने पर विशेष ध्यान दिया है. बैंक की पहल का उद्देश्य विशिष्ट सामुदायिक सहभागिता और स्वामित्व मॉडल के आधार पर गाँव को 'कुछ नहीं की स्थिति' से उठाकर 'मॉडल गाँव' के तौर पर रूपांतरित करना रहा है. इस परियोजना के दिसंबर 2014 तक पूरा हो जाने की आशा है और उसके बाद यह दूसरी जगहों पर इसी प्रकार की पहल के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगी.

सलाहकार के रूप में इस परियोजना से निकटता से जुड़े रहे डॉ. भास्कर चटर्जी, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने आपके बैंक की इस अप्रतिम सीएसआर पहल के बारे में निम्नलिखित शब्दों में अपनी राय दी है:

''इस अद्भुत परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण बात पंचायत और ग्राम सभा की सहभागिता थी. परियोजना के प्रत्येक घटक ने सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्य किया और उनका आपसी मैत्री भाव देखना सुखद अनुभव रहा. इसका श्रेय बैंक को जाता है कि उन्होंने समूची परियोजना को योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार कार्यान्वित किया है कि यह तय समय सीमा के भीतर ठोस परिणाम प्रस्तुत कर रही है.

आपके बैंक का योगदान कठिनाई झेल रहे गाँववालों के लिए स्थायी परिसंपत्तियाँ निर्माण करने में सहायता देगा ताकि वे स्थायी जीवनयापन और सम्मानपूर्ण जीवन की उम्मीद कर सकें.''

आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री बी. के. बत्रा, भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एवं भारतीय कॉरपोरेट मामला संस्थान के महानिदेशक और मुख्य एक्जीक्यूटिव अधिकारी श्री भास्कर चटर्जी और ग्रीनटेक फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री कमलेश्वर शरण से प्लेटिनम श्रेणी का ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड-2013 प्राप्त करते हुए.

आपका बैंक जहां जागरूक कॉरपोरेट नागरिक के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है, बैंक के कर्मचारी रक्त दान शिविरों, नेत्र दान अभियान के जरिए सीएसआर पहल कार्यों में हिस्सा लेकर जरूरतमंदों के लिए स्वयं ही भौतिक और वित्तीय सहायता प्रदान कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

हरित अधिदेश का अनुसरण

हरित बैकिंग विश्व में अब कोई नयी संकल्पना नहीं रही है. सभी कारोबारी उद्योगों के समान वैश्विक बैंक भी पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु हरित पहल कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में नीति निर्माताओं की सहायता कर रहे हैं. आपका बैंक निर्वाह योग्य आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के लिए भारत सरकार की नीतियों, पहल कार्यों तथा लक्ष्यों के अनुसरण में बैकिंग परिचालनों में 'हरित अधिदेश' का लगातार पालन कर रहा है.

आपके बैंक ने बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के सहयोग से 1990 की शरुआत से जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है. यह ओजोन अपक्षय पदार्थ (ओडीएस) के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से तेजी से खत्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनुपालन हेतु भारत सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दे रहा है.

जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना को सहयोग देने के लिए आपका बैंक नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है. अपनी सहायता प्राप्त नवीकरणीय और ऊर्जा कार्यक्षम परियोजनाओं को यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के सीडीएम के लाभ प्राप्त करने हेतु सहायता और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु आईडीबीआई बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऐसा पहला बैंक है जिसने कार्बन क्रेडिट कारोबार में प्रवेश किया है. इसने सीडीएम परियोनाओं को तकनीकी और वाणिज्यिक सेवाओं के लिए एकल बिंदु समाधान उपलब्ध कराने हेतु एक विशिष्ट कक्ष स्थापित किया है.

आपके बैंक ने कार्बन क्रेडिट प्राप्तियों पर अपफ्रंट वित्त प्रदान करने के लिए एक संरचित उत्पाद तैयार किया है. यह पात्र सीडीएम परियोजनाओं को कार्यान्वयन की अवधि के दौरान भावी कार्बन क्रेडिट प्राप्तियों पर अपनी कैपेक्स और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है. यह उत्पाद सीडीएम परियोजनाओं के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी खरीदने और ग्रीन हाउस गैसों को घटाने में सहायता करने के अलावा उनके कारोबार को दीर्घावधि तक बनाए रखने के लिए नकदी उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक रहा है.

आपके बैंक ने न्यून-कार्बन फ्यूचर सुनिश्चित करने की अपनी पहल के एक भाग के रूप में कार्बन प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी) पर हस्ताक्षर किये हैं.

यह पांच वर्षों से अधिक समय से अपने सीडीपी उत्सर्जन का प्रकटीकरण कर रहा है. बैंक ने अपने कार्बन पद चिह्न घटाने के लिए विभिन्न पहल कार्य अपनाए हैं जिनमें सीएफएल और एलईडी के प्रयोग जैसे ऊर्जा बचानेवाले उपकरण का उपयोग, सोलर वाटर हीटर लगाना, अपने परिसर में सेंसर आधारित बिजली प्रणालियां लगाना तथा अन्य शामिल हैं.

आपका बैंक नियमित रूप से 'आईडीबीआई कार्बन डेवलपमेंट' (मासिक न्यूज़लेटर) प्रकाशित करता है और इसे बैंक की वेबसाइट पर भी रखा जाता है. न्यूजलेटर से पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करने में सहायता मिलती है और यह पाठकों को हरित पहल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है.

1ला

आईडीबीआई बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से पहला बैंक है जिसने कार्बन क्रेडिट कारोबार में प्रवेश किया है.

5+ वर्ष

आईडीबीआई बैंक कार्बन प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी) का हस्ताक्षरकर्ता है और यह पांच से भी अधिक वर्षों से अपने सीडीपी उत्सर्जन का प्रकटीकरण कर रहा है.

आपका बैंक निर्वाह योग्य आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के लिए भारत सरकार की नीतियों, पहल कार्यों तथा लक्ष्यों के अनुसरण में बैंकिंग परिचालनों में 'हरित अधिदेश' का लगातार पालन कर रहा है.

उर्जा कार्यक्षमता को बढ़ाना

एबीसी लि. (गोपनीयता के लिए ग्राहक का नाम बदल दिया गया है), नई दिल्ली ने इंडिया चिलर एनर्जी इफिशिएन्सी प्रोजेक्ट (आईसीईईपी) में भाग लेने के लिए अनुरोध करते हुए 26 फरवरी 2010 को आपके बैंक से संपर्क किया. प्राप्त पुष्टि के अनुसार, कंपनी ने 1999 में लगाए गए प्रत्येक 350 टीआर क्षमता वाले अपने दो सीएफसी चिलर्स का प्रतिस्थापन कर उनके स्थान पर प्रत्येक 400 टीआर क्षमता के दो गैर सीएफसी चिलर्स क्रमशः मई 2013 और जून 2013 में संस्थापित किए. आपके बैंक ने परियोजना की विस्तृत सम्यक सावधानी की जांच की और संवितरण-पूर्व विजिट कर इस बात की पुष्टि की कि पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के अनुसार सीएफसी चिलर्स के पुराने कम्प्रेसरों को नष्ट कर दिया गया था. कंपनी ने दोनों पुराने चिलर्स से 450 किलोग्राम सीएफसी प्राप्त किया. इसे कंपनी के बेसमेंट में उपयुक्त रूप से बंद सिलेंडर में रखा गया है.

कंपनी द्वारा सीएफ़सी इनवेंटरी के ब्योरों का उल्लेख करते हुए पत्र की एक प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ़) के ओज़ोन कक्ष को भेजी गई है. संतोषजनक अनुपालन पर आपके बैंक ने 9 नवंबर 2013 को परियोजना के अंतर्गत ₹ 26.46 लाख की पात्र अनुदान प्रोत्साहन राशि संवितरित की. ***कंपनी ने सूचित किया है कि ऊर्जा सक्षम नए गैर सीएफसी चिलर्स की संस्थापना से वह आधार रेखा खपत से लगभग 25% की ऊर्जा सक्षमता प्राप्त कर रही है.***

The GREEN MANDATE 100%

यादगार लम्हें

ई-एसबीटीआर सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण. साथ में हैं - आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन और उप प्रबंध निदेशक श्री बी. के. बत्रा एवं अन्य अधिकारी.

उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सहायता हेतु राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा को ₹ 1 करोड़ की राहत राशि का चेक भेंट करते हुए आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन और उप प्रबंध निदेशक श्री बी. के. बत्रा.

चक्रवात से उत्पन्न हुए संकट में सहायता हेतु ओड़िशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को ₹ 1 करोड़ की राहत राशि का चेक भेंट करते हुए आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन और कार्यपालक निदेशक श्री एस. के. वी. श्रीनिवासन एवं अन्य अधिकारी.

'आईडीबीआई समृद्धि पोर्टल' द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए इन्फ़्लेशन इंडेक्स बॉन्ड सुविधा का उद्घाटन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान, (बीच में). साथ में हैं आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन, उप प्रबंध निदेशक श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक श्री मेल्विन रेगो और मुख्य महा प्रबन्धक श्री एन. एस. वेंकटेश.

पुरस्कार एवं सम्मान

बैंक समग्र रूप में

- बिजनेस टुडे के 'सर्वश्रेष्ठ बैंक' (दिसंबर 2013) अंक द्वारा बृहत बैंकों में कुशलता और उत्पादकता के मामले में सर्वोत्तम बैंक के रूप में चयनित
- एडीएफआईएपी अवार्ड बोर्ड द्वारा एडीएफआईएपी अवार्ड 2014 में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट (2012-13) का पुरस्कार
- ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट (बीटीआर) इंडिया स्टडी 2014 द्वारा विभिन्न श्रेणियों के टॉप 1,200 ब्रांडों में से 85 वां स्थान (ब्रांड विश्वसनीयता के मामले में) (2013 के स्तर से 74 स्थान ऊपर)

ब्रांड प्रचार से संबन्धित

- वर्ष 2013 के लिए तमिल प्रिंट मीडिया में सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन हेतु 'कालकी सदाशिवम मेमोरियल अवार्ड' प्राप्त हुआ.
- पीआरसीआई कॉरपोरेट कोलेटरल अवार्ड 2014 में कॉरपोरेट एडवरटाइज़मेंट प्रचार श्रेणी में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ.
- ओगिल्वी एंड माथर द्वारा आयोजित 'दि एन्वीज़' में 350 प्रविष्टियों में पुरस्कृत
- exchange4media.com द्वारा 2013 के सर्वश्रेष्ठ 5 विज्ञापनों में से एक के रूप में चयनित
- फाइनेंसियल एक्स्प्रेस के सप्लीमेंट, दि ब्रांड वैगन द्वारा थ्री स्टार रेटिंग
- इंडियन एक्सप्रेस के लेख ऍड मैड वर्ल्ड में 2013 के सबसे पसंदीदा 5 विज्ञापनों में से एक के रूप में चयन

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं कारोबार निर्वहन

- बैंकिंग (सार्वजनिक क्षेत्र) श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2013 के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु गोल्डन पिकॉक अवार्ड
- उच्चतम प्लेटिनम श्रेणी में तृतीय वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड 2013 जीता
- बीएफएसआई अवार्ड 2014 में बैंकिंग श्रेणी में 'बेस्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस' हेतु अवार्ड प्रदत्त
- 'तारु जमीन पर' फिल्म के लिए पीआरसीआई कॉरपोरेट कोलेटरल अवार्ड 2014 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ.
- एडफिएप अवार्ड 2014 में 'पर्यावरण विकास' के अंतर्गत दो परियोजनाओं के लिए मान्यता

मानव संसाधन एवं आंतरिक संवाद

- एडफिएप डेवलपमेंट अवार्ड 2013 में मानव पूंजी विकास श्रेणी में 'लेवरेजिंग ह्यूमन कैपीटल टू डिलीवर कस्टमर डिलाइट एंड इंपैक्ट ओवरआल ग्रोथ' के लिए पुरस्कार
- 53 वें एबीसीआई (एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया) वार्षिक पुरस्कार में आंतरिक प्रकाशन के लिए 3 पुरस्कार
- पीआरसीआई कॉरपोरेट कोलेटरल अवार्ड 2014 में आंतरिक प्रकाशन के लिए प्रशंसित

आईटी और प्रौद्योगिकी संबंधी

- आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड 2012-13 में 5 श्रेणियों में पुरस्कार
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा आयोजित 9वें नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) यूजर अधिवेशन में तकनीकी और परिचालनगत उत्कृष्टता के लिए 'बेस्ट बैंक-ज्यूरी अवार्ड' से सम्मानित
- अपने ई-एसबीटीआर (इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित बैंक और ट्रेजरी रसीद) परियोजना के लिए आईसीटी श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच रिनेसन्स अवार्ड 2013 जीता
- आईडीबीआई समृद्धि पोर्टल के लिए फिनोविटी 2013 पुरस्कार जीता
- वित्तीय समावेशन श्रेणी में वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली (एफआईपीएस) 2013 पुरस्कार विजेता के रूप में चयनित

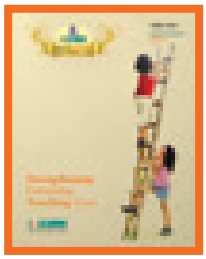

The Annual Report cover reinforces the spirit of friendship to touch and transform lives. The front cover shows a girl child standing at the bottom of the ladder and providing her friend physical and moral support to scale the acme of achievement. Her hands and feet provide the anchor, while her vision guides her friend in his hour of need.

The girl child here is being portrayed as the wellspring of internal and external strength that provides the foundation for her friend's ascent to the top. She depicts the essence of Indian womanhood from whom all life force emanates. She is the proverbial reservoir of strength that sustains and enriches all life.

In contrast to the front cover, the back cover shows that even when her friend has reached his goal, the girl child is still patiently holding the ladder and keeping an unwavering vigil to address any unforeseen adversity. The cover design in its twin manifestation showcases the bond of unconditional friendship, much like the relationship IDBI Bank shares with all its stakeholders.

Fifty years of friendship – A Glimpse

Fifty years of meaningful contribution to strengthening India's industrial and infrastructure landscape, of handholding visionaries who were driven by the spirit of enterprise and have, over the course of time, become household names and luminaries in their own right and respective domains.

Fifty years of foresight and fortitude to help accelerate the nation's economic prosperity and social inclusion in every conceivable way.

Fifty years of playing an instrumental role in the establishment of almost all the prominent institutions that form the bedrock of India's industrial and capital market sector.

That, in essence, is how IDBI Bank has catalysed the nation's progress, in its chosen arena, as a committed ally over 50 epoch-making years, first, as an apex DFI in the realm of industry and thereafter as a full-service customer-friendly commercial bank.

Your Bank has nurtured many leading industrial houses of India almost from their inception, and supported the aspirations of corporate India and the wide fraternity of customers and other stakeholders from all walks of life. The priorities that will shape your Bank's journey in the next 50 years are those of expanding its network of operations across the length and breadth of this vast country, and to provide differentiated value to customers and other stakeholders. Your Bank's technology platform and integrated operations will play a key role in this regard.

As the youngest full-service public sector commercial bank, IDBI Bank will continue to foster enriching and enduring bonds of friendship to support the ambitions of a nation progressively on the move.

Friendship that enriches & endures

IDBI Bank must-knows

- IDBI Bank was instrumental in setting up such iconic institutions as the Securities and Exchange Board of India, the National Stock Exchange and the National Securities Depository Limited, amongst others
- IDBI Bank was the first large PSU bank in the country to achieve 100% networking on the Core Banking Solution (CBS) platform of all its branches
- The average age of IDBI Bank employees is 33 years – perhaps, the youngest in the industry in India and certainly in the PSU banking arena
- Nearly 30% of your Bank's workforce are women, arguably one of the highest, if not the highest, among PSU Banks
- IDBI Bank is a pioneer in 'green banking' and has been active in the field for over two decades – much before it emerged as an imperative

Friendship strengthens our foundation

1,388
Branch network pan–India

2,301
ATM network pan–India

16,438
Total team strength

₹ 4.3
lakh crore
Total business as on March 31, 2014

₹ 3.3
lakh crore
Aggregate balance sheet size as on March 31, 2014

New media presence

180,000+
YouTube hits

20,000+
Have IDBI Bank in their Google+ circles

10,000+
Twitter followers

800,000+
Facebook fans

3,000+
Corporate clients

6.5 million+
Retail customer base

Innovative portfolio of products

Your Bank currently operates through two distinct business groups: corporate and retail with separate verticals for Retail Banking, Priority Sector Group (MSE and Agri-business), Infrastructure and Corporate Banking.

Retail Banking Products

Liability Products

Current Account

Flexi Current Account (Retail), Flexi Current Account (Co-op and Other Banks), Flexi Accounts for Bulk (TASC, Educational Institutes, Govt. Accounts).

Core Savings Accounts and its variants

Financial Inclusion Savings Account

Sabka Basic Savings - Complete KYC, Small Account Savings, In-built Overdraft facility for Basic Savings Bank Deposit (BSBD) Account (including Non-Farmer and Landless Labourers).

Regular (Non-Financial Inclusion) Savings Account

Super Savings Account, Powerkidz Savings Account, Super Shakti Savings Account, Jubilee Plus Savings Account, Being Me Account, Pension Savings Account (For Central Govt.), Family Account (For Indian Army), Capital Gains Account.

HNW Savings Accounts

Power Plus Account, Preferred Account, Royale and Royale Plus Account.

Corporate Payroll Accounts (Savings Bank A/C)

Prime Salary Account, Star Salary Account, Crown Salary Account, Imperial Salary Account, Pride Salary Account.

Retail Term Deposit

Fixed Interest Rate Retail Term Deposit, Floating Rate of Interest Retail Term Deposit, Godhuli Retail Term Deposit, Suvidha Tax Savings Fixed Deposit, Fixed Deposit with Motor Accident Tribunal.

Recurring Deposit

Suvidha Recurring Deposit, Suvidha Suraksha Recurring Deposit.

NRI Products

NRE/NRO Savings Bank Account, NRE/NRO Fixed Deposit Scheme for NRIs, Resident Foreign Currency Account / FD, Foreign Currency Non- Resident (B) Deposit Scheme, NRI Recurring Deposit, Portfolio Investment Scheme for NRIs, Purchase and Sale of Foreign Currencies and Purchase of TC, Personal Inward Remittances from Abroad (Speed Remittance Service; Money Transfer Service Scheme; Online Money Transfer Service from UK using 'India Remit'), IDBI Rupee Yield Enhancer [Forward Foreign Exchange Contract on NRE/FCNR (B) Deposit for NRI Customers].

Structured Asset Products

Home Loan & its variants

Normal Home Loans, Home Loans-Interest Saver (HL-IS), Loans for payment of Insurance Premium (LIP), Top-up Loans, 25-year Home Loan Scheme, Turnover-based Home Loan, Home Loans to Rural Inhabitants, Special Scheme for Housing Loan through 'Category A' builders, Housing Loan Scheme for Rural Inhabitants, Rajiv Rinn Yojana, Priyadarshini Awas Yojana, Scheme for financing Rural and Semi-Urban Housing.

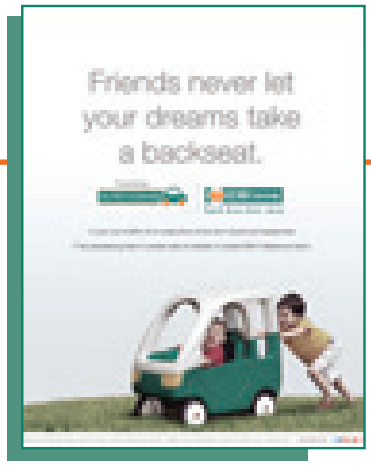

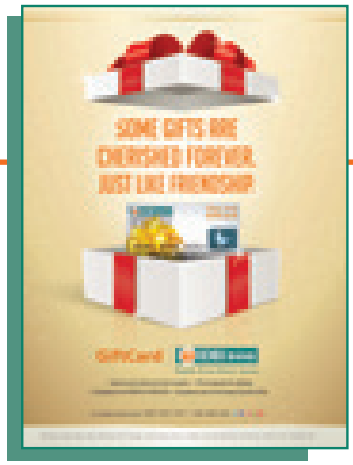

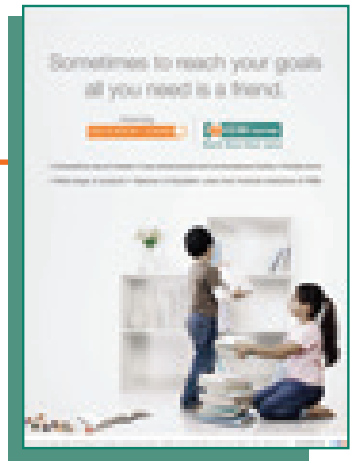

Loan Against Property and its variants
Loan against Property (LAP), Loan against Property (Overdraft) (LAP-OD), Loan against Rent Receivables (LARR), Turnover-based LAP, Loan for Commercial Property Purchase (LCPP), Reverse Mortgage Loans (RML), Loan against Property Interest Saver, Loan against Rent Receivables to landlords of IDBI Bank, Loan against Rent Receivables to landlords of IDBI Bank for Currency Chests.

Education Loan and its variants
Education Loan for Vocational and non-vocational courses, Education Loan - Special Scheme for other students who have secured admission under Management Quota and for students of premier institutes, Education Loan under Financial Inclusion Programme (FIP), Education Loan to physically handicapped students.

Auto Loan
Auto Loan – Combo offer to existing Home Loan borrowers, Speed Auto Loan to existing customers, Auto Loan: IDBI – TATA Nano Scheme.

Personal Loan and its variants
Personal Loan to Individuals, Salary Accounts with in-built Overdraft Facility, Personal Loan to Pension Account for retired employees of IDBI Bank Ltd.

Card / Alternate Channel Products

Debit-plus-ATM Cards
International Debit-plus-ATM Card, Gold Debit Card.

Prepaid Cards
Prepaid Gift Card, World Currency Card, Open Loop Freedom Prepaid Card in association with ITZ Cash, Cash Card.

Merchant Establishments' Overdraft
Overdraft/Loan against Card Receivables to Merchant Establishments.

Merchant Products
Point of Sale (POS), Internet Payment Gateway (IPG).

ATM Services, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking

Capital Market Products

Loan Against Securities, including Life Policies
Loan against Shares, Loan against Mutual Funds, Loan against Life Insurance Policy, Loans against other Securities (NSC, KVP, GOI Bonds and Tax Free Bonds, Gold ETF and Gold Fund), Employees Stock Options (ESOP) Financing.

Demat Account

Innovative portfolio of products

Priority Sector Products

AGRI–Products

Kisan Credit Card, Farm Mechanisation Loan, Financing Irrigation Activities, Horticulture and Forestry Development Loans, Dairy Loans, Poultry Farming, Pisciculture, Basal Dose, Harvesting and Transport Loan, Finance against Warehouse Receipts, Loan for Construction and Running of Storage Facilities, Financing for Agri–Clinics and Agri–business Centres, General Credit Card, Land Development, IDBI Kisan Mitra-Debt Swap Scheme, IDBI Kisan Tatkal, Financing to Agri–Input Suppliers, IDBI Gold Loan, Micro Loans for individuals and SHG/JLG members, Financing Agri–linked other activities, IDBI Surya Shakti, Contract Farming, Lending to Micro Finance Institutions.

MSE Products

Laghu Udhyami Credit Cards (LUCC), SARAL Vyapar, Sulabh Vyapar, IDBI Udhyami Loan, Finance to Medical Practitioners, IDBI Loan to Professionals and Self-employed, Artisan Credit Card, Loan against Property, Loans to Small Road and Water Transport Operators (SRWTOs), Vendor Finance Programme, Channel Finance for Dealers of Corporates, Agro–Cluster Financing.

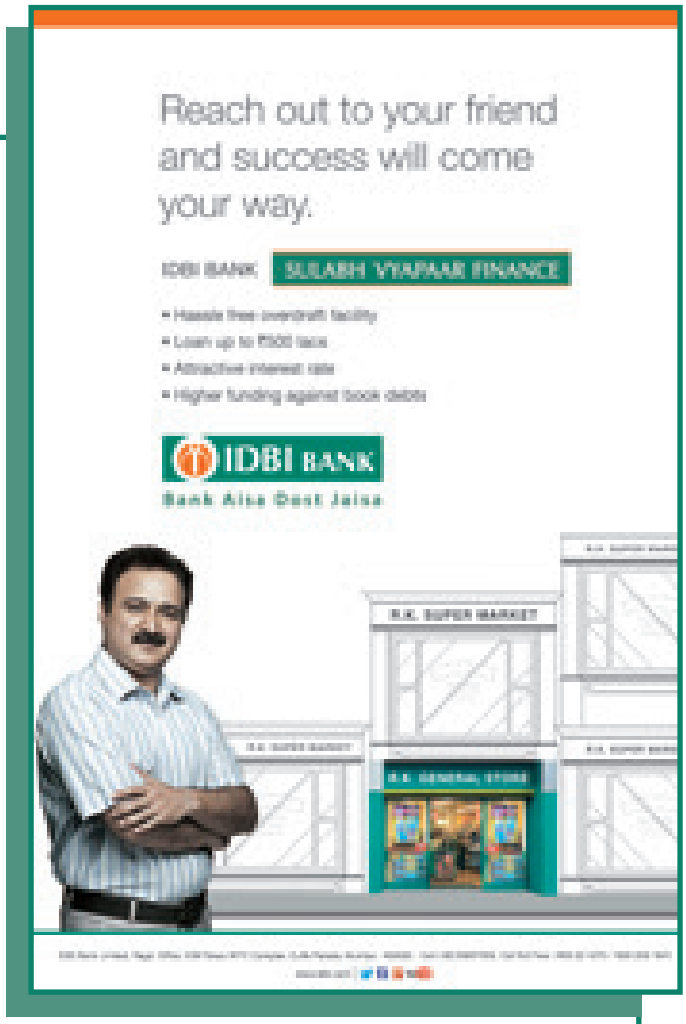

Corporate Banking Products

Fund based assistance

Term Loans–Projects and Corporate Loans, Short–Term loans, Working Capital (Cash Credit), Packing Credit to Exporters, Receivable Buyout with recourse, Channel Financing for Dealers of Corporate, Scheme for financing ATM/Cash Dispense Vendors, Bill discounting (both Purchase and Sale Bill Discounting), Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) for Textile and Jute Industries, Lending to NBFC/ HFC, Lending to Commercial Real Estate sector, Vendor Bills Discounting, Lending to Employees Co-operative Credit Societies, Funding for Stock Broking Entities

Non-fund based assistance (Trade Finance Products)

Letter of Credit (LC), Bank Guarantees (BG), Export Credit (Pre and Post Shipment), Import Credit–Trade Credit, Remittances (Inward and Outward), Capital Account Transactions, Bill Discounting and Buyers' Credit Funding (Product of DIFC, Dubai branch).

Products exclusively under Project Appraisal, Syndication and Corporate Advisory

Syndication of Rupee Debt (Term Loan, Working Capital, among others), Underwriting of Debt, Arranging ECB, FCCB, ECA and other types of FC funding, Arranging M&A Funding, Private Placement of Bonds/Debentures/ Preference Shares, Project Appraisal/Merchant Appraisal, Project Advisory services (Pre and Post bid stages), IPO Monitoring, Securitisation, Merger and Acquisition Advisory, Share/Business Valuation, Corporate/Business/Financial Restructuring, Advisory for Overseas acquisition.

Environmental services

Carbon Credit Services, Upfront Finance against Carbon Credit Receivables, Implementation of Multilateral Projects, Project Implementing Entity (PIE) and Financial Intermediary (FI) services for India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP), Financial Agency (FA) services for Ozone Depleting Substance (ODS - IV) - CTC Sector Plan Implementation Project.

Performing with a long-term potential

Total Business

(In ₹ crore) ▲ 9.1% 5-year CAGR

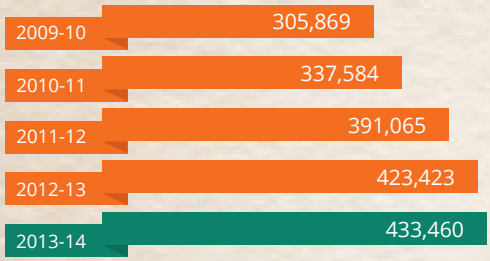

Employee Productivity*

(In ₹ crore) ▲ 0.5% 5-year CAGR

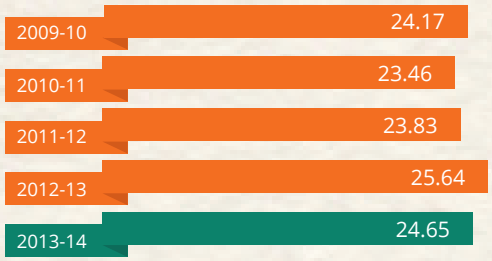

*Business per Employee

Deposits

(In ₹ crore) ▲ 8.9% 5-year CAGR

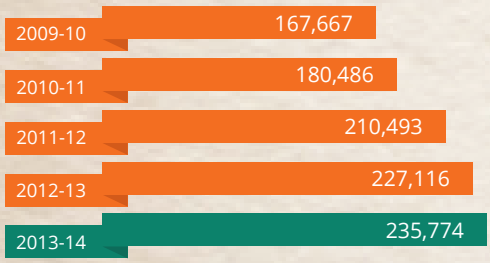

Advances

(In ₹ crore) ▲ 9.4% 5-year CAGR

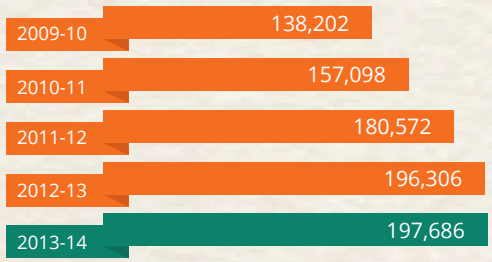

Gross Income*

(In ₹ crore) ▲ 13.9% 5-year CAGR

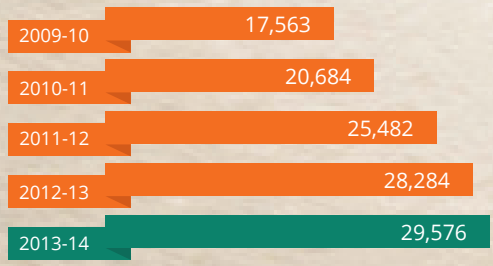

*Gross Interest Income plus Other Income

PAT

(In ₹ crore) ▲ 2.1% 5-year CAGR

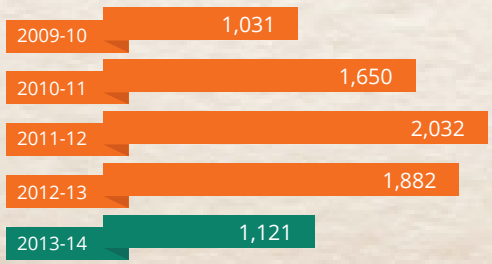

Net Interest Margin (NIM)

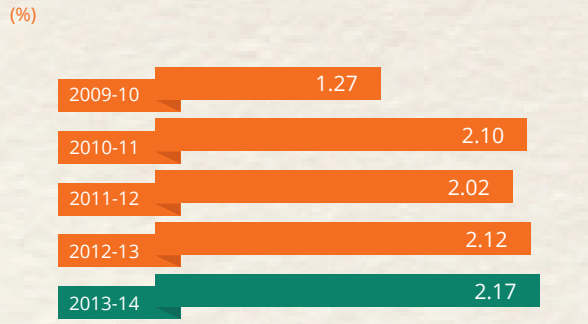

Cost-to-Income Ratio

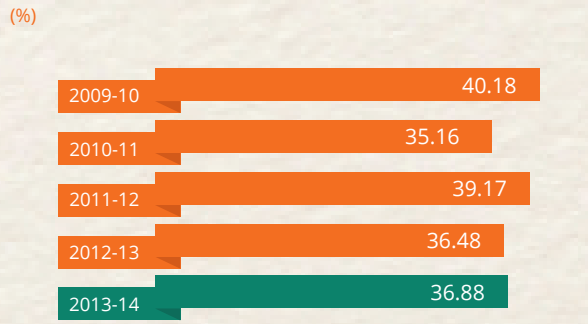

Return on Equity (RoE)

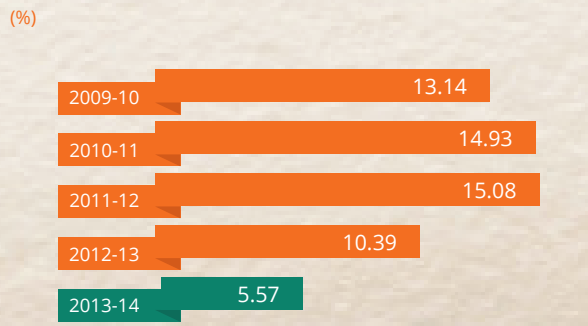

Advances mix

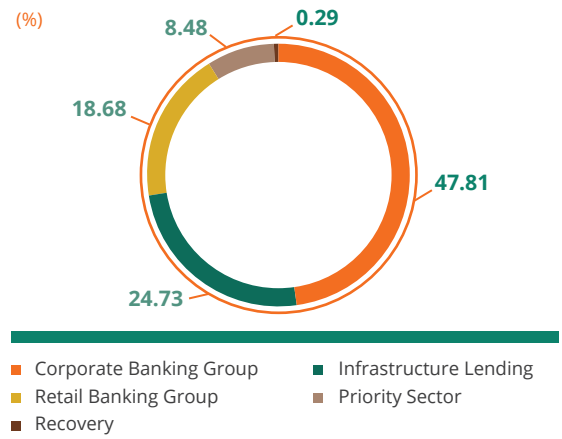

Deposits mix

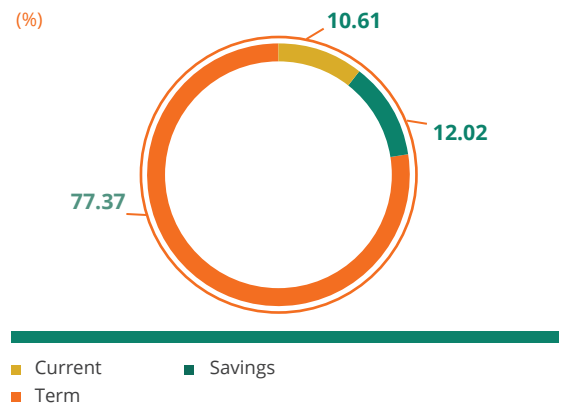

Chairman & Managing Director's Message

> "It is often in the darkest skies that we see the brightest stars"
>
> *Richard Paul Evans, social historian*

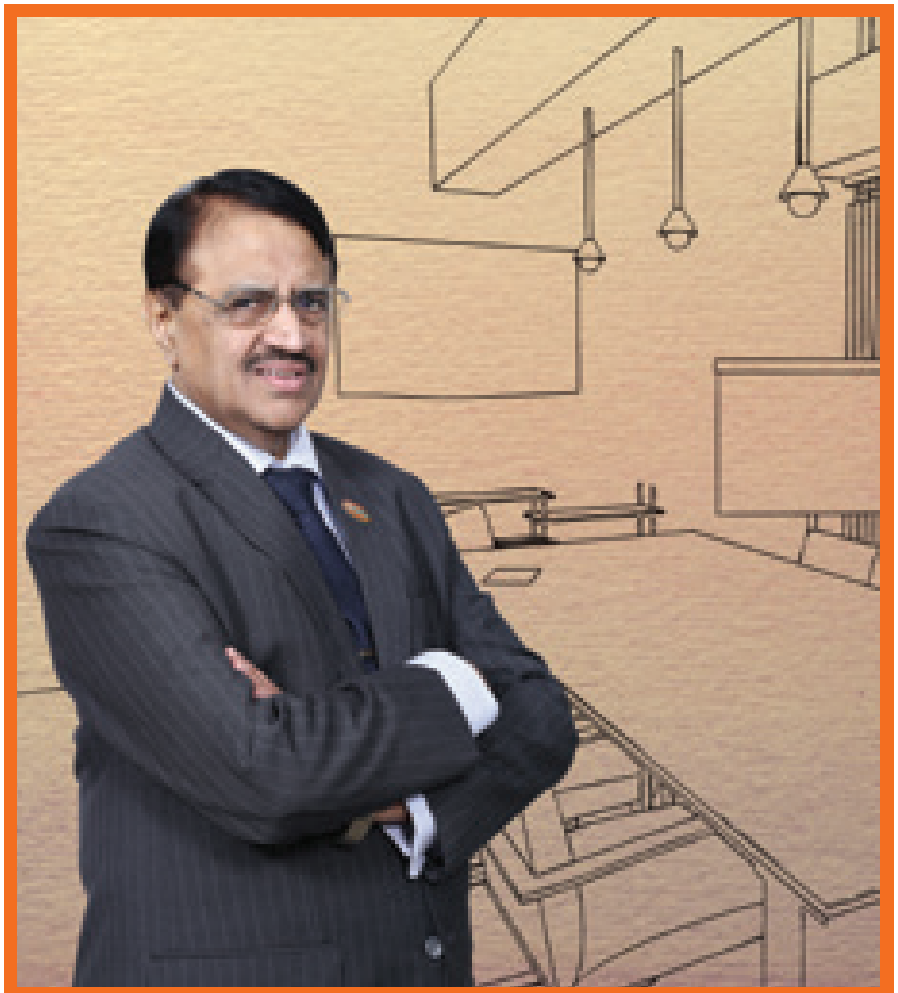

M.S. Raghavan / *Chairman & Managing Director*

"2013-14 was an unusually difficult year for the Indian economy, which inevitably impacted the performance of both banking as a sector as well as your Bank. With cautious optimism of revitalisation of the economy in 2014-15, I see no reason why we cannot triumph over this temporary adversity considering our sheer track record and robust brand image, a leading-edge technology platform and with arguably the most youthful and talented employee base in the industry. Of course, it would require a clean break from the 'tick-box' and predictable corporate business model in favour of an 'out of the box' holistic approach to address some of our seemingly intractable business and societal challenges.

The blueprint for the resurgence would emanate from granular levels in your Bank, instead of being scripted by the top echelons, to infuse a sense of ownership and participation in the Bank's prosperity, going forward. After all, banking is an investment in intangibles and I am proud to assert that your Bank's employees impart a decided competitive advantage to the Bank's initiatives. Admitted, everyone will not pull equally, but

everyone must pull, for a unified cause – to emerge, on the one hand, as the most preferred and trusted bank, enhancing value for all our stakeholders and, on the other, as a conscientious corporate citizen, to continue our secular role of helping build a modern and socially equitable India."

"

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.

Confucius, Chinese philosopher

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I am pleased to present the Bank's Annual Report for 2013-14 for your perusal. On a more personal note, I shall shortly complete one year as CMD of your Bank. I would like to take this opportunity to express my gratitude to all stakeholders for their unstinted co-operation and trust and for giving me a free hand to help fashion a strategy matrix, which my Team and I deemed appropriate to gainfully leverage on the opportunities afforded in a particularly challenging year.

The pace of global economic activity and world trade witnessed acceleration in the second half of 2013 although the pace of growth was skewed in favour of advanced economies, particularly US. In contrast, Euro Zone countries and Japan witnessed muted growth and a languid pace of growth prevailed in the EMDEs, especially China. India's economy stayed subdued for the second successive year, in 2013-14, reflecting global developments and domestic supply constraints, while inflation, particularly core inflation, remained stubbornly high despite a supportive monsoon. Led by falling infrastructure and corporate investment, the slowdown has generalised to other sectors of the economy. The financial position of corporates deteriorated, with adverse implications for asset quality, which, in turn, also impacted banks' profitability. However, there are recent indications that growth may have bottomed out, although industrial activity continues to be a drag on the economy. Both foreign trade and, more importantly, Current Account Deficit (CAD) have narrowed significantly in the second half of 2013-14 from a year ago levels, aided by improved external conditions, among others. Further, average WPI and CPI inflation during 2013-14 moderated, helped by base effect and transient factors, as compared to 2012-13 levels. More reassuringly, policy action in India has rebuilt buffers, which effectively bulwarked the Indian economy and, in particular, undue exchange rate volatility from recent external headwinds. With the anticipated narrowing of the twin deficits – both current account and fiscal – as well as the replenishment of foreign exchange reserves through capital inflows in fourth quarter of 2013-14, appreciation in the Rupee exchange rate, and more importantly, setting in motion of disinflationary impulses, the risks of near-term macro instability have diminished. No doubt, underlying risks persist and much more efforts in terms of removing structural impediments, building business confidence and creating fiscal space to support investments will be needed to secure growth. But, on balance, there is cautious optimism of a rebound in the macro-fundamentals sometime into 2014-15.

Your Bank could not altogether shake-off the 'contagion effect' of an inimical operating environment prevalent during 2013-14 but laboured, with a fair measure of success, to contain their

Chairman & Managing Director's Message

impact on its business and financial performance. During the year, total business of the Bank moved up by well over 2% (y-o-y) from ₹ 4.23 lakh crore to ₹ 4.34 lakh crore. Aggregate balance sheet of the Bank also moved up to ₹ 3.29 lakh crore as on March 31, 2014, which was nearly 2% higher than a year ago period. Your Bank's operations in 2013-14 resulted in net profit of ₹ 1,121 crore. A key indicator of profitability – Net Interest Margin (NIM) – for the current financial year was higher by 5 basis points at 2.17% as compared to the previous financial year. The Bank was able to reduce its Cost of Funds to 7.87% during 2013-14 from 8.31% in the immediately preceding financial year.

Incidentally, the year also marked the ingress of IDBI into its 50th year of existence as an organisation. The Bank brought to bear its long and distinguished track record to rise above the adversity as it has done on several occasions in the past. A significant expansion in our branch network along with a single-minded pursuit of mobilisation of low-cost deposits, particularly CASA, beneficially impacted cost of funds. Simultaneously, the Bank bestowed particular attention towards ramping up the Retail and Priority Sector book, armed with attractive pricing and innovative products and services, which helped to rebalance the asset portfolio and improve spreads. Further, mindful of the likely stress on our corporate portfolio, due in large measure to faltering growth and flaccid investment climate, your Bank undertook a slew of countervailing measures to resolve stress assets and maximise recoveries from NPAs, which helped your Bank to contain overall NPAs by the year-end to reasonably manageable levels. Assiduous efforts on fee income mobilization in a difficult year have also yielded reasonably good results. Simultaneously, the Bank, as a conscientious corporate citizen, increased its activity meter in areas beyond traditional banking, like green banking and Corporate Social Responsibility. The myriad initiatives and their outcomes have been documented in some detail in the Directors' Report as well as Management Discussion and Analysis section of this Report and I would urge you to peruse the same. It is particularly gratifying that several of your Bank's initiatives and interventions during the year were feted and recognized at the relevant forums.

Your Bank's strategic manoeuvres would draw upon this emerging operating environment and the opportunities and challenges they represent for its business.

During the year, your Bank reconnected with its Target Group, after a long gap of four years, with a Brand Repositioning campaign bearing a new tagline - 'Bank Aisa, Dost Jaisa' – conveying the core brand attribute and positioning. The tonality of the campaign stressed that IDBI Bank is a warm, friendly Bank that reaches out to its constituents under all circumstances. According to quick impact surveys, the core message has managed to establish a lasting and emotional connect with your Bank's target constituents. As it closed out, retail product campaigns of the Bank's flagship products were launched, drawing upon the DNA and tonality of brand campaign communication. Together, they served to address the

visibility gaps that had crept in, both with regard to Brand IDBI and the Bank's products on offer.

According to available data, global economic activity softened marginally during the first quarter of 2014 due to temporary factors. However, the broad consensus is that the underlying acceleration in the world economy, which commenced in the latter part of 2013, remains intact, with advanced economies in general and the US in particular serving as its epicentre and has the potential to upscale growth in the second half of the year to well above preceding half-year levels. Consequently, buoyancy in global economic activity is poised to strengthen further in 2014, albeit with downside risks, including new geopolitical risks and uneven performance across nations and clusters. As I mentioned earlier, the outlook for the Indian economy appears to have taken a turn for the better in recent months. The encouraging prospects for global growth and resultant improved external demand, notwithstanding some recent loss in export growth momentum, a business and consumer confidence boost from recent policy actions centred around improving investment scenario through inter alia easing of domestic supply bottlenecks and part-resolution of stalled projects, apart from beneficial statistical pull exerted by base effects, should deliver a modest growth rebound, centred around a median forecast of 5.5%, during 2014-15. Several headwinds could, however, slow the recovery, be it a slew of events with inflationary overtones, albeit with potential for eventual softening, undue delay in sustained revival of industry and services, various uncertainties such as the El Nino factor, which could impact agriculture, tighter global financial and monetary conditions, geo-political developments abroad or extra-economic factors within. These inter alia could lead to a tighter monetary stance impacting the momentum of investment activity, upon which recovery remains contingent to a large extent.

Your Bank's strategic manoeuvres would draw upon this emerging operating environment and the opportunities and challenges they represent for its business. A still more ambitious branch expansion plan than that achieved this year, so crucial to lending critical mass to our retail franchise, with positive connotations for our CASA book and blended cost of funds, complementary sustained spike in Retail and Priority Sector lending, particularly the latter, on mission-mode basis, which would help rebalance our portfolio further while sustaining our privileged position in corporate banking and infrastructure finance, introduction of new products and services to address emerging and latent customer requirements, speedy resolution of stressed and recovery out of delinquent asset portfolio, which the improved growth impulses would favour, along with buoying up of fee income through inter alia deepening of extant relationships would be key focus areas for your Bank in 2014-15. An enabling organisation restructuring is a sine qua non to achieve these corporate objectives and is currently under implementation. Your Bank's proven strengths by way of the prowess and drive of its soft infrastructure and its technology backbone as also the enviable brand equity it enjoys amongst its Target Group, reinforced by its recent Brand Repositioning campaign, would stand it in good stead to successfully negotiate the plethora of otherwise daunting goals the Bank has set for itself.

Tough times don't last, tough people do. The large complement of employees in this genre, which I have happily discovered in the organisation during the last few months, has been truly humbling and it is their tribe which inspires me to dream big. On this landmark 50th year of IDBI Bank's epoch-making odyssey as an organisation, I solicit your continued loyalty and support so that we can together propel the Bank to a new high and maximise value for all stakeholders.

With best wishes to you and your families,

M. S. Raghavan
Chairman & Managing Director

The Board of Directors

Seated (left to right): Shri P.S. Shenoy, Shri M.S. Raghavan, Ms. Snehlata Shrivastava
Standing (left to right): Shri Melwyn Rego, Shri B.K. Batra, Shri Subhash Tuli, Shri S Ravi, Shri Pankaj Vats, Shri Ninad Karpe

Profiles of the Board of Directors

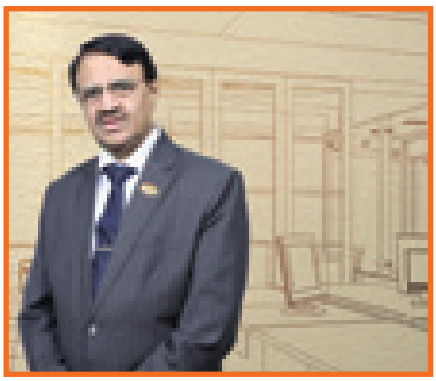

Shri M.S. Raghavan
Chairman & Managing Director

Shri Raghavan is a science graduate and a postgraduate diploma holder in Management and Financial Management. He started his banking career as a Probationary Officer in Indian Overseas Bank (IOB). Prior to his appointment as the Chairman and Managing Director of IDBI Bank, he was posted as an Executive Director in Bank of India.

During his long stint with IOB, which spanned over three and a half decades, Shri Raghavan held important positions in Credit, Operations and Information Technology. His professional expertise encompasses Human Resource Management, Risk Management, Corporate Credit, Information Technology and Compliance. As General Manager-IT in IOB, he helped the Bank implement Core Banking Solution (CBS) across all its branches. Shri Raghavan's contributions to the banking system, especially with regard to IT, are widely acclaimed by the industry.

Shri B.K. Batra
Deputy Managing Director

Shri Batra is a B.Com (Hons) graduate from Shri Ram College of Commerce, New Delhi, and CAIIB from the Indian Institute of Bankers. He also holds an MBA degree from the Faculty of Management Studies, Delhi, and a CFA degree from the Institute of Chartered Financial Analysts of India, Hyderabad.

Shri Batra joined IDBI Bank's predecessor entity, IDBI, the DFI, in 1983 as an Industrial Finance Officer and served in all major departments of the Bank in various capacities. His professional expertise particularly resides in the critically important areas of Project Finance (including Infrastructure) and Corporate Banking. He was appointed as the Bank's Deputy Managing Director on January 13, 2012.

Shri Melwyn Rego
Deputy Managing Director

Shri Rego is a MBA rank holder in Finance from the Symbiosis Institute of Business Management, Pune. He has been associated with IDBI for nearly three decades, from its DFI days. He was appointed as the Bank's Deputy Managing Director w.e.f August 30, 2013. Prior to his appointment as the DMD, he was working as an Executive Director for the Bank and has led the Corporate Banking Group, Infrastructure Corporate Group, Project Appraisal, Syndication, Structuring and Advisory, International Banking (including the Bank's sole overseas branch at DIFC) and Treasury initiatives.

During his career in IDBI, Shri Rego handled assignments in Rehabilitation Finance, Project Finance, Corporate Banking, Treasury and International Banking in various capacities.

Profiles of the Board of Directors

Ms. Snehlata Shrivastava
Govt. Director

A postgraduate in Geography and M.Phil in Regional Planning and Economic Growth, Ms. Shrivastava belongs to the 1982 batch of the Indian Administrative Service (IAS) from the Madhya Pradesh Cadre. She held senior positions in the MP Govt., including Deputy Secretary (Energy Dept.), Addl. Secretary (Finance), Executive Director (Mines and Minerals), Principal Secretary (Higher Education, and Science & Technology) and as Chairperson (Education Dept.), and held different positions in the Central Government too. Currently, she is posted as Additional Secretary in the Dept. of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Shri Subhash Tuli
Independent Director

Shri Tuli is a Commerce graduate and Chartered Accountant. He is a Senior Partner of a firm comprising leading Chartered Accountants of Lucknow, since 1971. He has extensive experience in handling Audits, Taxation and Management Consultancy assignments of various Banks, Insurance Companies and Public Undertakings. Some of these institutions include IIM Lucknow, UP State Sugar Corporation, UP Forest Corporation, UP State Agro Industrial Corporation and a few other SME companies. He also handled similar operations across branches of Allahabad Bank, Union Bank of India, Punjab National Bank, State Bank, Bank of India, Bank of Baroda, Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank and statutory audit of its 27 branches, among others.

Shri P.S. Shenoy
Independent Director

Shri Shenoy is a B.Com (Gold Medallist) from the University of Mysore and a Fellow of the Indian Institute of Banking and Finance. After a five-year tenure from 2000-2005, he retired as the Chairman and Managing Director of Bank of Baroda. He has over four decades of experience in the banking industry across four Banks, viz., Bank of Baroda, Bank of India, Canara Bank and Syndicate Bank. He possesses rich expertise in the realm of international banking as he was posted abroad for several years. He has been a member of various Committees of the Reserve Bank of India as well as the Government of India.

Shri S. Ravi
Independent Director

Shri Ravi holds B.Sc. and M.Com degrees, and is a FCA; he is also pursuing Ph.D from the Centre for Management Studies, Jamia Millia Islamia University, New Delhi. Shri Ravi garnered wide exposure in the banking sector due to his directorship on the boards of various public sector banks such as Union Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank, UCO Bank and Punjab & Sind Bank. His directorships include Public Sector giants, viz. BHEL and ONGC Ltd., among others.

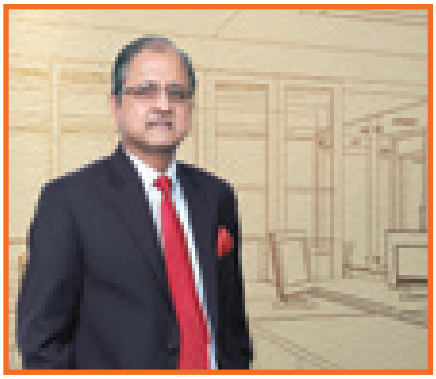

Shri Ninad Karpe
Independent Director

Shri Karpe is the Managing Director & CEO of Aptech Ltd. He is a B.Com, LLB (Gen.) degree holder, and is a FCA. Prior to joining Aptech Ltd., he held the position of the MD in CA India where he was responsible for extending the Company's technology reach and building strategic partnerships with leading Indian IT players. He has authored books on Taxation and conducted seminars and events on Foreign Investment and Strategy in India. He is on the Boards of BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd. and India SME Asset Reconstruction Co. Ltd. as an Independent Director, among others.

Shri Pankaj Vats
Independent Director

Shri Vats, an industrialist, is a B.Com (Hons.) from Shri Ram College of Commerce, Delhi, and has over three decades of experience in running small-scale industry. Owing to his rich experience and special knowledge in small-scale industry being a requisite qualification for Directors of Banks, he was nominated by the Government of India as a Director of IDBI Bank Ltd. w.e.f. September 30, 2013 in terms of Article 116(1)(d) of the Articles of Association of the Bank.

Profiles of the Leadership Team

Shri B. Ravindranath
Executive Director

Shri Ravindranath, a rank holder from M.G.M. College, Udupi, earned a degree in Mechanical Engineering with distinction from Regional Engineering College, Surathkal. He joined Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) as a Management Trainee and underwent one and a half years' training in Management and Production Technology. He worked in HAL for five years. He started his banking career with IDBI, the erstwhile DFI, in 1982. Currently, he is in charge of the Bank's Risk Management, Transaction Banking Group, Treasury, International Banking, Audit, Recovery, Corporate Strategy and Communications, Centralised Operations, Branch Operations Support and Policy and Legal Department. He has rich experience in Infrastructure Corporate Financing, Project Appraisal and Syndication, Structuring and Advisory services, Mid-corporate, SME and Agri business. He is the former Chairman of the Corporate Debt Restructuring Cell. He is the Non-executive Chairman of the Stock Holding Corporation of India Limited. He is also a Director on the Boards of many reputed listed/ unlisted companies.

Shri Bansal is a rank holder Chartered Accountant and CAIIB by qualification. He has over 30 years of experience in IDBI Bank, after joining the predecessor DFI entity of the Bank, as a Management Trainee. During this period, he worked in various functional areas, such as Treasury, Investments, Finance and Accounts (CFO), Project Appraisal, Resources, Recovery and Retail Banking, among others. Shri Bansal was involved in setting up IDBI Asset Management Co. and IDBI Mutual Fund Trustee Co. He oversaw the merger of the two Bank subsidiaries, viz. IDBI Homefinance Ltd. and IDBI Gilts Ltd. He was a member of the Task Force for integration of the United Western Bank Ltd. with the Bank. He was also the Acting MD and CEO of IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd. from July 1, 2013 to January 31, 2014.

Currently, he heads the Bank's Corporate Banking Group, Finance and Accounts Department, Strategic and Associate Investment Cell and CDR Cell. He is also the Chairman of the CDR Empowered Group.

Shri R. K. Bansal
Executive Director

Shri Viney Kumar
Executive Director

Shri Kumar is a graduate in Chemical Engineering from Punjab University and a qualified CAIIB. He also has a Masters Degree in Financial Management from Jamnalal Bajaj Institute of Management. He joined the erstwhile Industrial Development Bank of India (IDBI) in August 1983. Since 2003, he has, at various times, headed the Infrastructure Finance, Corporate Banking and Transaction Banking functions, dealing with the Bank's Mid and Large Corporate relationships. Prior to that, he was in charge of the Bank's branch and regions, mainly in the West and South, in various capacities.

His current responsibilities comprise the Bank's Infrastructure Corporate Group, Focused Asset Management Group, Project Appraisal Department, Syndication, Structuring and Advisory Department, Information Technology and MIS Department.

Shri Srinivasan is a graduate in Engineering with professional qualification in Finance (PGDBM) and Banking (CAIIB). He has over three decades of commercial banking experience, covering Transaction Banking, Mid-Corporate, SME, Personal and Agri-business. Shri Srinivasan started his career in Bank of India, serving in various capacities in branches and administrative offices across the country and rose to the position of Chief Officer. Since joining IDBI's erstwhile Banking subsidiary in 1997, which merged into the parent entity in 2005, he successfully led the Bank's business across all the above segments in various capacities, as the Regional Head, Vertical Head and currently as Executive Director.

As Executive Director, he currently spearheads the Bank's Retail Banking Group, Priority Sector Group (Agri and MSE), Financial Inclusion Department, Administration Department and Facilities and Infrastructure Management Department. He is the Nominee Director on the board of SIDBI and IDBI Asset Management Co. Ltd., apart from being a Director on the Boards of several reputed companies.

Shri S.K.V. Srinivasan
Executive Director

Deepening Relationships

Your Bank believes in strengthening relationships with customers; relationships that extend beyond financial transactions and exude the warmth of friendship.

A warm, friendly partnership with customers and a long-term vision have enabled your Bank to reach the furthest corners of India and touch people in myriad ways.

MORE THAN JUST A BANK... A 24X7 FRIEND

"IDBI Bank handles my every banking requirement: from Mutual Funds, shares and investments to Fixed Deposits or maintaining a savings account. The Bank is there when you need it. They are available 24x7 to address queries and concerns. IDBI is more than a Bank. A friend you can count upon."

Anu Malik, Music Director, Customer since 2001

A BANK THAT GROWS ON YOU: A FAMILIAL FEELING

"My association with IDBI Bank goes back 16 years; over the years our relationship has grown from strength to strength. I am among the first customers of Khar (Mumbai) branch. I remember being issued the first debit card from the branch. More than a decade has passed, but the quality of service has remained unmatched.

Today, my relationship with the Bank extends beyond routine transactions to something deeply emotional. I feel like I am part of the family whenever I enter the Bank premises. I have always felt an emotional bond with IDBI Bank. The people here travel the extra mile, when it comes to rendering services. It's as if they are serving a friend in need. ***I am a proud ambassador of the Bank."***

Shailesh B. Dave, Customer since 1998

SERVICE TO SAVOUR - A FRIEND TO BANK ON

"I have been banking with IDBI Bank both in Mumbai and Bangalore for the past two years and am extremely satisfied with their level of service. They are prompt, efficient, courteous and available whenever required. ***I have not seen this kind of service in any other bank.*** It is a pleasure to bank with them and I wish them all success going forward with their activities."

Prakash Padukone, Former All England Badminton Champion

A FRIEND IN NEED, FOR KEEPS

"I used to be oblivious to personal finances, until my husband suddenly passed away. IDBI Bank stepped in to help me during those hours of grief. I felt vulnerable when the tragedy struck and sought reliable support. I needed somebody, with whom I could share my problems and seek advice. A genuine friend who could handhold me with care and compassion. This was the role IDBI Bank played in my life. They guided me through the transition process; working round the clock to ensure that all paperwork was filed correctly. The empathy shown by the people at the Bank has stayed with me all these years. ***My experience has been so wonderful at the Bank that I have introduced my acquaintances here as well."***

Jyothika Kothari, Customer since 1999

Strengthening Partnerships

Partnerships are not created in a day. Since its inception, IDBI has partnered some of the biggest industrial houses of India to help create an industrially resurgent nation. Industry players are confident of IDBI's long-term commitment to India's industrial growth and prosperity. Over the last five decades, your Bank has helped build modern India in every possible way, particularly in the industrial firmament.

SERVING AS A LONG-TERM PARTNER

IDBI Bank's relationship with JSW Group goes back to 1994 when IDBI, in its avatar as a Development Financial Institution, financed the Group's steel plant in Karnataka. The Group today has diversified interest in sectors like steel, energy, infrastructure, cement and mining. JSW Steel, the flagship company, is today the largest private sector steel producer in the country. The association has grown over the last two decades as IDBI Bank's exposure to the Group has increased manifold. The association has stood the test of time with IDBI supporting the company during the downturn in the steel industry in late '90s and the early '00s. JSW Group has, on its part, been transparently appreciative of its robust and secular association with IDBI and has always looked to the DFI/Bank to partner its growth aspirations.

Mr. Sajjan Jindal, Chairman and Managing Director, JSW Group, had this to say about your Bank: "The Jindal Group has had a long association with IDBI since the early 90s and IDBI, true to its name, has always supported the development of large industries. One of the reasons for the industrial houses to go to IDBI is that their attitude towards the industrialisation of the country has been very positive. They handhold industrial houses or companies through difficult times, unlike most other Banks who tend to withdraw themselves as industries go through a downturn. ***As a result, we have a tremendous amount of confidence in associating with IDBI Bank as a long term partner rather than a fair weather friend."***

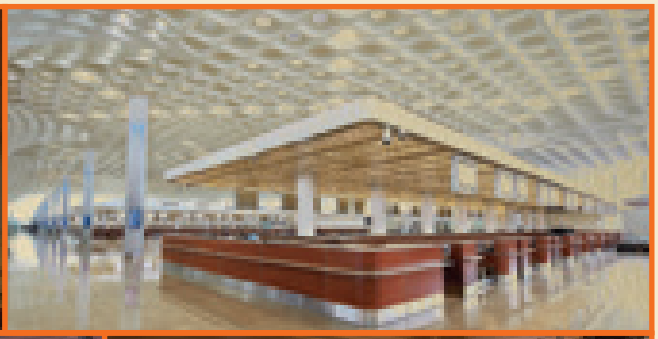
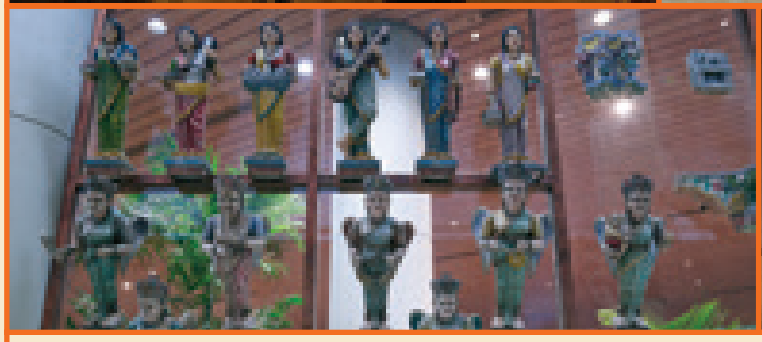

PARTNERING FOR NATION BUILDING

IDBI Bank's association with GVK Group dates back to 1979 and has encompassed funding and allied support to the Group's forays in diverse industrial, particularly infrastructure sectors. IDBI has always provided need-based succour to the Group to the maximum extent, despite headwinds. The Group is today a leading Indian conglomerate with presence across energy, resources, airports, transportation, hospitality and life sciences. It continues to look up to IDBI for varied support and is committed to strengthen its long-standing relationship with your Bank, going forward. IDBI Bank's association with the T2 Terminal project at Mumbai's Chhatrapati Shivaji International Airport bears a special mention since your Bank has been involved in the project from the bidding stage and subsequently assumed the role of Joint Lead Arrangers for financing/upgrading of the Airport. Your Bank is proud to have essayed a lead role in the fructification of India's first and most advanced passenger terminal that integrates world class design, architecture, infrastructure and operational efficiency, with a rich infusion of Indian values, heritage and cultural character.

Dr. G V K Reddy, Founder Chairman and Managing Director, GVKPIL, fondly recounts his long-standing relationship with your Bank.

"IDBI has been one of our lead bankers for over three decades and has always supported all the GVK ventures, including the Mumbai Airport, which is set to raise new benchmarks in aviation globally. I am very proud to mention here that IDBI has been the backbone for my successful growth story and our long, strong and fruitful relationship with IDBI rests on pillars of mutual trust and respect. I congratulate IDBI on successful completion of 50 Golden years as one of the most trusted and credible financial institutions in the country. ***I wish them even greater success and am looking forward to strengthening our relationship further."***

Propelling Aspirations

A significant section of the population, across the social pyramid, wants to elevate their quality of life. All they need is a caring friend, who empathises with their aspirations and provides a viable roadmap to take aspirations forward to the threshold of achievement. IDBI Bank's vision is to partner such aspirations and emerge as an agent of change in people's lives, irrespective of their circumstances.

A FRIEND INDEED

When Shevantilal Doshi died in 2000, his eldest son Diamond Doshi was only 17 years old. At such an early age, he had to take over the reins of his family, working as a shop attendant. During those moments of crisis, IDBI Bank stepped in as a reliable friend and guide. In the same year, your Bank (then UWB) supported him with ₹ 90,000 under the Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) scheme. It was set up by the Government of India to provide employment to educated unemployed youth.

With this assistance, Diamond started trading consumer goods from a 150 sq ft rental shop in Belgaum, Karnataka. Within 14 years, Diamond and his brothers have graduated to 700 sq ft area in the heart of the city and also own two houses (also assisted by IDBI). Their firm has a current turnover of ₹ 4.5 crore. It is a distributor of all major FMCG companies for Belgaum and surrounding districts. IDBI Bank's initial assistance has grown to a significant cash credit outlay today. Diamond and his brothers honour their timely commitment to your Bank and are also efficiently managing their cash flows to maximise profits.

This is what Diamond Doshi has to say about his rewarding relationship with your Bank:

"IDBI Bank stood by my family and me during difficult times. The Bank has stood by me through the years and is today the sole banker to my firm and my family. ***My family has prospered over the decade and we are very grateful to the Bank for providing timely support."***

REACHING THE UNBANKED

IDBI Bank has partnered Bandhan Financial Services Pvt. Ltd. (Bandhan), a respected Microfinance Institution, since 2007. During this period, Bandhan has taken significant strides in the microfinance arena in terms of geographical reach, number of borrowers and assets under management, without compromising upon asset quality of its lending portfolio. IDBI Bank's exposure to the Group has multiplied many times over during this seven year period and has inter alia helped Bandhan acquire around 5.4 million borrowers, a feat no other Microfinance Institution has reached.

Mr. Chandra Shekhar Ghosh, Chairman and Managing Director of Bandhan, is unambiguous in his admiration for IDBI Bank.

"Let me unequivocally state that our phenomenal strides in the microfinance arena would not have been possible without IDBI Bank's unstinted support and guidance, which I gratefully acknowledge and treasure. The Bank's financial support has ultimately benefited women in rural/semi-urban areas to uplift their standard of living. In our odyssey, we have encountered friends of all hues, but IDBI Bank has been a steadfast 'all-weather' friend, indeed an extended family of sorts. We, at Bandhan, look forward to further strengthen our friendship with your Bank for a mutually enriching tomorrow as our combined initiatives succeed in touching more lives across deserving sections of our society. IDBI Bank to me simply means ***Bank Aisa Dost Jaisa."***

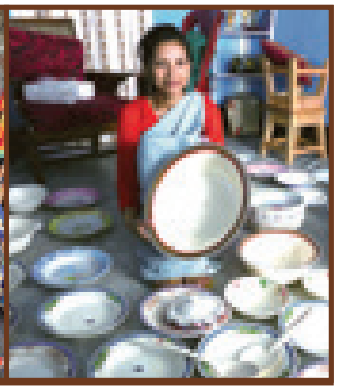

A NURTURING RELATIONSHIP

N Ranga Rao & Sons (NRRS) has been manufacturing incense sticks (Agarbattis) for over 60 years under the 'Cycle Agarbatti' brand. The brand has grown from a fledgling cottage industry to a global enterprise over this period. NRRS currently vends over 250 varieties of incense sticks from 17 branches with 34 sales depots across India and exports to over 40 countries. IDBI Bank's relationship with NRRS, which dates back to 2005, has deepened over the years with IDBI Bank's exposure to the firm multiplying manifold.

R. Guru, Partner, NRRS, candidly acknowledges the value-additive support arising from the firm's association with your Bank.

"We have been associated with IDBI Bank for nearly a decade now. The Bank has been instrumental in helping us achieve a high growth trajectory. It is also helping us to support several cottage industries, peripheral to ours and to provide empowerment and livelihood to over 30,000 poor rural unemployed women. With the support of IDBI Bank, we were also able to help household clusters that roll the agarbattis, starting from our home base in Karnataka through to other states such as Odisha, Assam and Bihar. As a banking institution, they have shown lot of eagerness in timely settlement and transmission of monetary value to our vendors in a hassle-free manner. ***We appreciate IDBI Bank for their progressive thinking and for being there for us even before we needed them."***

Making every Voice Heard

At IDBI Bank, we believe every voice in the community matters, and our commitment is to make a difference by adopting a collaborative approach in community service. Corporate Social Responsibility is not a short-term priority at IDBI Bank, but is deeply embedded in your Bank's secular corporate philosophy and vision.

As a DFI, IDBI had, for four decades, been a frontrunner in nation building with particular emphasis on industry, infrastructure and creation of legendary capital market institutions. As the youngest commercial Bank, your Bank, has, since 2004, inculcated this spirit in every sphere of its activity. IDBI Bank's Board-approved CSR policy is designed to make a material, visible and enduring difference to the lives of the vulnerable sections of society. Its delivery assumes the form of proactive interventions in areas such as rural infrastructure, social empowerment, education, environment, community welfare and healthcare, among others.

During the current financial year, your Bank leveraged its sector-specific learning to broad-base the bandwidth of its CSR initiatives and to increase the gradient of its activities, both directly as well as in association with accredited organisations. Your Bank recounts with justifiable pride a few impactful associations, which helped elevate the quality of life for marginalised sections of society.

HOLISTIC DEVELOPMENT FOR WORKERS' CHILDREN AT CONSTRUCTION SITES

Lives of construction workers are characterised by insecurity of wages, inhospitable working conditions and lack of access to welfare facilities. The children of these workers – estimated to be over 30 million – stare at a bleak future in a hostile environment.

Mumbai Mobile Creches run comprehensive day-care centres for children (up to 14 years of age) on construction sites. IDBI Bank, as a conscientious corporate citizen, is lending a helping hand to support the ***education, nutrition and health programmes of Mumbai Mobile Creches.***

CARING SHARING RESPONDING

IDBI Bank played a key role in funding and allied support in early 2011, in partnership with Tata Institute of Social Sciences (TISS) and the active participation of Ladakh Autonomous Development Council, to help the flood-affected inhabitants of Taru village of Ladakh region. Your Bank focused on helping people in a holistic and sustainable manner, involving the local community. Your Bank's initiative aims to transform the village from 'Ground Zero' into a 'Model Village', based on a unique community participation and ownership model. The project is expected to be completed by December 2014 and can serve as an inspiration for similar initiatives elsewhere.

Dr. Bhaskar Chatterjee, Director General and CEO, Indian Institute of Corporate Affairs, who has been closely associated with the project in an advisory role, had this to say about this unique CSR initiative of your Bank:

"The important thing about this wonderful project was the involvement of the Panchayat and the Gram Sabha. Each and every constituent of the project worked in a cordial manner and the mutual camaraderie was heartening to see. It is to the credit of the Bank that they were able to plan and implement the entire project in such a manner that it generates concrete results within a specific timeframe.

Your Bank's contribution will help build permanent assets for the suffering villagers, so that they can look forward to sustainable livelihoods and a life of dignity."

Shri B. K. Batra, DMD, receiving the Greentech CSR Award 2013 in the Platinum category from Shri Bhaskar Chatterjee, DG & CEO, Indian Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs and Shri Kamleshwar Sharan, President, Greentech Foundation

While your Bank continues to discharge its responsibility as a conscientious corporate citizen, employee engagement in CSR initiatives through blood donation camps, eye-pledge drives, and spontaneous physical and financial support to people in need continue unabated.

Pursuing a Green Mandate

Green Banking is no longer a new normal in the world. Like all business enterprises, global banks are pushing forward green initiatives to spread awareness about environmental sustainability and help policymakers combat climate change. Your Bank is relentlessly pursuing a 'green mandate' in banking operations in line with the Government of India's (GOI) policies, initiatives and targets for sustainable economic development and environment protection.

Your Bank, in association with multilateral agencies like World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB) and the United States Agency for International Development (USAID), has successfully completed several projects for combating climate change since early 1990s. It has been supplementing GOI's efforts for compliance under the Montreal Protocol for accelerated phasing out of production and consumption of Ozone Depleting Substances (ODS).

To support India's National Action Plan on Climate Change, your Bank has been providing financial assistance for setting up Renewable Energy (RE) projects. To provide assistance and advisory services to its assisted renewable and energy efficiency projects, to avail benefits of Kyoto Protocol's CDM under UNFCCC. IDBI Bank is the first among the public sector banks to have entered into carbon credit business. It has set up an exclusive cell for providing one-stop solution for technical and commercial services to CDM projects.

Your Bank has devised a structured product for providing Upfront Finance against Carbon Credit Receivables. It provides assistance to eligible CDM projects against future carbon credit receivables to meet its capex as well as working capital requirement during the period of implementation. The product has helped CDM projects, ensuring cash flow for long-term sustainability of their business, besides assisting them to procure clean technology and reduce Green House gases.

Your Bank is a signatory to the Carbon Disclosure Project (CDP) as part of its initiative to ensure a low-carbon future.

It has been disclosing its emissions to CDP for over five years. Your Bank has adopted various initiatives to reduce its carbon footprint, which include introduction of energy saving lighting like the use of CFLs and LEDs, installation of solar water heaters, sensor based lighting systems in its premises, among others.

Your Bank regularly publishes 'IDBI Carbon Development' (a monthly newsletter) and it is also hosted on your Bank's website. The newsletter helps create environmental awareness and encourages readers to adopt green initiatives.

1st

IDBI Bank is the first among the public sector banks to have entered into carbon credit business

5+ years

IDBI Bank has been a signatory to the Carbon Disclosure Project & has been disclosing its emissions for over 5 years

Your Bank is relentlessly pursuing a 'green mandate' in banking operations in line with the Government of India's (GOI) policies, initiatives and targets for sustainable economic development and environment protection.

ELEVATING ENERGY EFFICIENCY

ABC Ltd. (name changed for client confidentiality), New Delhi, approached your Bank with its request to participate in the India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP) on February 26, 2010. As confirmed, the company conducted the replacement of its two old CFC chillers of 350TR capacity, each installed in 1999, with two new Non-CFC energy efficient chillers with 400TR capacity each on May 2013 and June 2013, respectively. Your Bank conducted a detailed due diligence of the project and carried out pre-disbursement visit for confirming destruction of old compressors of CFC chillers as per Environment Management Plan (EMP). The company has recovered 450 kgs of CFC from both the old chillers. It is kept in a properly capped cylinder at its basement.

A copy of the letter specifying the CFC inventory details has been submitted to the Ozone Cell, Ministry of Environment & Forests (MoEF), Government of India, by the company. On satisfactory compliance, your Bank disbursed an eligible amount of grant incentive of ₹ 26.46 lakh under the Project on November 09, 2013. ***The company has reported that following the installation of energy efficient new non-CFC chillers, it is achieving energy efficiency of around 25% over baseline consumption.***

Memorable moments

Hon'ble Chief Minister of Maharashtra, Shri Prithviraj Chavan at the launch of e-SBTR with Shri M. S. Raghavan, CMD, Shri B.K.Batra, DMD and other officials

Shri M. S. Raghavan, CMD, along with Shri B. K. Batra, DMD, presenting a cheque of ₹ 1 crore to Shri Vijay Bahuguna, Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand, towards relief for the disaster affected areas in the state

Shri M. S. Raghavan, CMD, along with Shri S. K. V. Srinivasan, ED, and other officials presenting a cheque of ₹ 1 crore to Hon'ble Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik towards relief in the aftermath of the cyclone

Shri H. R. Khan, Deputy Governor, Reserve Bank of India (C) with Shri M. S. Raghavan, CMD, Shri B. K. Batra, DMD, Shri Melwyn Rego, DMD, and Shri N. S. Venkatesh, CGM, at the launch of Inflation Indexed Bonds through 'IDBI Samriddhi Portal' for retail investors

Awards & Accolades

Bank as a whole

- Adjudged Best Bank among large banks, in terms of efficiency and productivity, in Business Today's "Best Banks" issue (December 2013)
- Adjudged Best Annual Report (2012-13) at the ADFIAP Awards 2014 by ADFIAP Awards Board
- Ranked 85th (in terms of trust in the brand) among the top 1,200 brands across categories, (up by 74 places from 2013 levels) by Brand Trust Report (BTR) India Study 2014

Brand Campaign-related

- Received 'Kalki Sadasivam Memorial Award' for best ad in Tamil print media for 2013
- Received Silver award in Corporate Advertisement Campaign category at PRCI Corporate Collateral Awards 2014
- Received award at 'The Envies' organised by Ogilvy & Mather from among 350 entries
- Rated among top 5 commercials of 2013 by exchange4media.com
- Rated three-star by The Brand Wagon, a supplement of the Financial Express
- Rated as one of the top 5 favourite ads of 2013 by Indian Express in its article Ad Mad World

Corporate Social Responsibility (CSR) & Business Sustainability

- Received the Golden Peacock Award for CSR for 2013 under the Banking (PSU) category
- Won the Third Annual Greentech CSR Award 2013 in the highest Platinum category
- Conferred award for 'Best Corporate Social Responsibility Practices' in the Banking Category at the BFSI Awards 2014
- Received Silver award at the PRCI Corporate Collateral Awards 2014 for 'Taru Zameen Par' film on CSR
- Recognised for two projects under 'Environmental Development' at the ADFIAP Awards 2014

Human Resources & Internal Communication

- Won in the Human Capital Development Category for 'Leveraging Human Capital to Deliver Customer Delight and Impact Overall Growth' at ADFIAP Development Awards 2013
- Won 3 awards at the 53rd ABCI (Association of Business Communicators of India) Annual Awards for in-house publications
- Garnered appreciation at the PRCI Corporate Collateral Awards 2014 for in-house publication

IT and technology-related

- Won awards in five categories in the IBA Banking Technology Awards 2012-13
- Awarded the 'Best Bank – Jury Award' for technical and operational excellence at the 9th National Financial Switch (NFS) user meet organised by the National Payments Corporation of India (NPCI).
- Won the Skoch Renaissance Award 2013 under ICT Category for its e-SBTR (Electronic Secure Bank and Treasury Receipt) project.
- Won the Finnoviti 2013 Award for IDBI Samriddhi Portal
- Adjudged winner of the Financial Inclusion and Payment Systems (FIPS) 2013 Award under the Financial Inclusion Category

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

एक सचेत कारोबार नीति के रूप में, अधिक संतुलित कारोबार सम्मिश्र प्रदान करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने उत्तरोत्तर बृहत् खुदरा कारोबार पोर्टफोलियो पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा. यह रणनीति इसके एक पूर्ण सेवा प्रदाता, नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंक के रूप में इसके अभिप्रेत प्रतिष्ठापन के अनुरूप ही है. इसके साथ ही, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पोर्टफोलियो (पीएसएल) को तेजी से लक्ष्य स्तर तक पहुँचाने को रणनीतिक प्राथमिकता दी गई. सामान्यतः कारोबारी मात्रा में वृद्धि और कासा जमाओं में बढ़ोतरी के लिए आपका बैंक तीव्रता से अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2013-14 में 309 शाखाओं को जोड़ते हुए मार्च 2014 के अंत में बैंक का कुल शाखा नेटवर्क 1388 हो गया है. आपके बैंक की उत्पाद श्रृंखला की आवधिक समीक्षा की जाती है और ग्राहक आह्लाद और कारोबार को तीव्रता से बढ़ाने के लिए वर्तमान उत्पादों में संशोधन/नवोन्मेषण/ग्राहकोन्मुखीकरण के साथ-साथ नए उत्पादों को लाने के उपाय लगातार किए जा रहे हैं.

31 मार्च 2014 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 3.8% एवं 0.7% की वृद्धि हुई और ये बढ़कर क्रमशः ₹ 2,35,774 करोड़ एवं ₹ 1,97,686 करोड़ हो गए. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं तालिका 1 में प्रस्तुत की गई हैं:

तालिका 1 : वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़)

31 मार्च की स्थिति	2013	2014
पूंजी	1,332.75	1,603.94
रिज़र्व और अधिशेष	19,902.51	22,034.92
जमाराशियां	2,27,116.47	2,35,773.63
उधार राशियां	65,808.87	60,146.29
अन्य देयताएं और प्रावधान	8,607.91	9,437.85
कुल देयताएं	**3,22,768.51**	3,28,996.63
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	10,543.95	12,711.11
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	7,380.57	4,106.80
निवेश	98,800.93	1,03,773.50
अग्रिम	1,96,306.45	1,97,686.01
अचल और अन्य परिसंपत्तियां	9,736.61	10,719.21
कुल परिसंपत्तियां	**3,22,768.51**	3,28,996.63
इस अवधि में	**2012-13**	2013-14
कुल आय	28,283.81	29,576.27
कुल व्यय (प्रावधान छोड़कर)	22,825.55	23,894.88
प्रावधान (कर छोड़कर)	2,836.48	3,940.26
कर - पूर्व का लाभ	2,621.78	1,741.13
कर के लिए प्रावधान*	739.70	619.73
कर - पश्चात् लाभ	1,882.08	1,121.40

* वर्तमान आयकर और आस्थगित आयकर को घटाकर

लाभ एवं विनियोग

वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक की सकल आय ₹ 29,576 करोड़ रही, जिसमें ₹ 26,597 करोड़ की ब्याज आय तथा ₹ 2,979 करोड़ की अन्य आय शामिल है. वर्ष के दौरान ₹ 20,576 करोड़ के ब्याज व्यय तथा ₹ 3,319 करोड़ के परिचालन व्यय के चलते प्रावधान व आकस्मिकताओं को छोड़कर कुल व्यय ₹ 23,895 करोड़ रहा. वर्ष के दौरान कुल ₹ 4,560 करोड़ के प्रावधान किये गये, जिनमें अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और निवेश के लिए ₹ 1,862 करोड़, बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 1,393 करोड़, पुनर्संरचित परिसंपत्तियों के लिए ₹ 486 करोड़, मानक परिसंपत्तियों के लिए वृद्धिशील विवेकपूर्ण प्रावधान हेतु ₹ 173 करोड़ तथा कर के लिए ₹ 620 करोड़ शामिल हैं. वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक के परिचालनों से कर-पूर्व लाभ ₹ 1,741 करोड़ रहा. कराधान के लिए ₹ 620 करोड़ का प्रावधान करने के बाद कर-पश्चात् लाभ ₹ 1,121 करोड़ रहा. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर-पश्चात् लाभ का विनियोग तालिका 2 में दिया गया है.

तालिका 2 : लाभ का विनियोग

(₹ करोड़)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2013	2014
वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	1,882.08	1,121.40
आगे लाया गया लाभ/(हानि)	672.65	903.86
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	2,554.73	2,025.26
विनियोग		
सांविधिक रिज़र्व में अंतरित	470.83	281.00
पूंजी रिज़र्व में अंतरित	191.82	9.32
सामान्य रिज़र्व में अंतरित	150.00	400.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरित	300.00	250.00
लाभांश		
- इक्विटी शेयर	466.47	160.41
- लाभांश पर कर	71.75	27.76
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष लाभ	903.86	896.77

वर्ष के दौरान ₹ 10 अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹ 8 रही और मार्च 2014 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 136.52 रहा. निदेशकों ने वर्ष 2013-14 के लिए पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर 2.75% लाभांश की सिफारिश की है जो वर्ष के दौरान प्रदत्त 7.25% के अन्तरिम लाभांश के साथ कुल 10% हो जाता है.

पूंजी पर्याप्तता

बासेल मानदंडों के अंतर्गत, पिलर-I दिशानिर्देशों के अनुपालन में आपका बैंक ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता का भी परिकलन करता है. आपका बैंक बासेल III ढांचे पर अंतरित हुआ है और 01 अप्रैल 2013 से बासेल III मानदंडों के अनुसार तिमाही आधार पर पूंजी अनुपात की गणना कर रहा है. आपका बैंक 31 मार्च 2009 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बासेल II मानदंडों वाले पूंजी अनुपात की गणना भी करता है. बासेल III मानदंडों के अंतर्गत दर्शाई गई उच्च गुणवत्ता पूंजी आवश्यकता के संबंध में, वर्तमान में, आपके बैंक के पास दिशानिर्देशों में निर्धारित विनियामक आवश्यकतानुसार पर्याप्त सामान्य इक्विटी है.

निदेशकों की रिपोर्ट

वर्तमान में ऋण जोखिम की गणना के लिए बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है, बाजार जोखिम का निर्धारण मानकीकृत गणना अवधि प्रणाली (एसएमएम) से किया जाता है और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाया जाता है. बासेल II के अंतर्गत आधुनिक दृष्टिकोण लाने के लिए बैंक अपनी प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को उन्नत कर रहा है. बासेल पिलर II मानदंडों का अनुपालन करने के लिए आपके बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है. बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर III की आवश्यकताओं के अनुपालन में आपके बैंक ने एक प्रकटन नीति भी लागू की है. प्रत्येक तिमाही के प्रकटन आपके बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

31 मार्च 2014 को आपके बैंक का जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) 11.7% रहा जो बासेल III की 9% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से अधिक है. इसी प्रकार बैंक का सीईटी 1 अनुपात 7.8% है जो रिज़र्व बैंक के न्यूनतम मानक सीईटी 1 अनुपात 5.0% से अधिक है. 31 मार्च 2014 का टियर-1 अनुपात 7.8% पर 6.5% की विनियामक आवश्यकता के प्रतिकूल है.

कारोबार रणनीति

वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने चालू खाता और बचत खाता (कासा) जमाराशियाँ बढ़ाने पर विशेष ज़ोर देते हुए खुदरा कारोबार खंड में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए. आपके बैंक ने कॉरपोरेट बैंकिंग और निवेश बैंकिंग संबंधों को प्रगाढ़ और गहरा करने के लिए रणनीतियाँ अपनाईं. साथ ही प्राथमिकता क्षेत्र कारोबार के अर्जन एवं विस्तार हेतु विशेष बल दिया, जिसके अंतर्गत कमजोर वर्गों, एमएसई व कृषि कारोबार को उधार शामिल हैं, ताकि परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को व्यापक बनाया जा सके.

प्रमुख कारोबारी पहल कार्य

वर्ष के दौरान खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में कारोबारी पहल कार्यों में शाखा नेटवर्क में उल्लेखनीय विस्तार और उसके अनुरूप कुशल मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया. आपके बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 309 नई शाखाएँ खोलीं जिससे 31 मार्च 2014 तक शाखाओं की कुल संख्या 1388 हो गई. आपके बैंक ने, ग्राहक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, एटीएम नेटवर्क की संख्या 31 मार्च 2013 के 1702 से 31 मार्च 2014 को 2301 तक बढ़ाकर वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को और मजबूत किया.

आपका बैंक संरचित खुदरा वित्तीय क्षेत्र में एक ऐसे प्रभावी, प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा खिलाड़ी के रूप में उभरा है जो सभी क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवोन्मेषी उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है. बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंचने और बढ़ते डिलीवरी नेटवर्क से निर्मित बड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपके बैंक ने खुदरा परिसंपत्ति उत्पादों की श्रृंखला को बढ़ाने के अतिरिक्त, संरचित खुदरा परिसंपत्ति उत्पादों के लिए सरल और ग्राहक अनुकूल दिशा-निर्देशों को अपनाया है. इससे आपके बैंक का बाजार शेयर बढ़ाया जा सकेगा. आपके बैंक ने कई मुख्य पहल कार्यों को लागू करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है जिसके ब्यौरे रिपोर्ट के प्रबंध परिचर्चा और विश्लेषण भाग में दिए गए हैं.

आपके बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल), विशेषतः कमज़ोर वर्गों को उधार, कृषि, एमएसई, आवास और शिक्षा ऋण क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए आक्रामक रुख बरकरार रखा है. समर्थकर्ता के रूप में, बैंक के कृषि और एमएसई वर्टिकल का विलय करके एक समर्पित कारोबार वर्टिकल अर्थात् प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र समूह (पीएसजी) बनाया गया है. पीएसएल प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ युक्त 6 समर्पित पीएसजी केन्द्रों के अलावा अनन्य रूप से पीएसएल कारोबार के लिए 44 समर्पित शाखाएँ हैं. आपके बैंक ने देश भर में एमएसई और कृषि ग्राहकों की सेवा के लिए खुदरा शाखाओं को भी अधिकार प्रदान किए हैं. आपके बैंक ने पीएसजी उत्पादों, सुविधाओं और सेवाओं से वर्तमान तथा संभावित ग्राहकों को परिचित कराने के लिए विभिन्न कृषि और एमएसई समूहों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया. बैंक ने इस क्षेत्र में अपनी पहुँच का विस्तार करने के लिए विभिन्न सम्मेलनों, व्यापार मेलों और संवर्धन कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की.

आपके बैंक ने शाखाओं पर ग्राहकों की निर्भरता को कम करने के लिए एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और अन्य सुविधाओं जैसे वैकल्पिक चैनलों को मजबूत करना जारी रखा, साथ ही 24x7 घंटे सुविधाओं को जारी रखा. बैंक के परिप्रेक्ष्य में ये सुविधाएं शाखा चैनलों की तुलना में कम लागत वाली हैं. आपके बैंक ने त्यौहारों के मौसम में प्रीपेड कार्ड उत्पादों की अधिकतम

बिक्री के लिए शाखा नेटवर्क का कुशलता से इस्तेमाल किया. आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को पीओएस स्थानों पर खरीददारी हेतु आईडीबीआई बैंक डेबिट कार्ड का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कई नए उपाय किए. वैकल्पिक चैनल और व्यापार अधिग्रहण कारोबार शुल्क आधारित आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं, साथ ही नए संबंध बनाने/वर्तमान सम्बन्धों को मजबूत करने में मदद करते हैं. आपका बैंक साइबर धोखाधड़ी और इसे रोकने के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय पहल करता रहा है. साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए आपके बैंक ने वैकल्पिक चैनलों विशेषकर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी संबंधी सुरक्षा स्तर में सुधार के उपाय किए हैं.

आपके बैंक के पास मध्यम और बृहद् कॉरपोरेट ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समर्पित वर्टिकल अथात् कॉरपोरेट बैंकिंग समूह (सीबीजी) है. यह समूह हमारे सात क्षेत्रों, 25 शहरों तथा 29 विशिष्ट कॉरपोरेट शाखाओं (एससीबी) द्वारा संचालित है. रणनीतिक पहल के रूप में पोर्टफोलियो को ठोस बनाया गया ताकि जोखिम संकेन्द्रण से बचा जा सके और अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के गैर-निधि कारोबार तथा फीस आधारित कारोबार हासिल करने पर आक्रामक रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया. ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएँ देने के लिए क्षेत्रीय तथा शाखा स्तरों पर ग्राहक सेवा दल गठित किए गए जिनमें विभिन्न उत्पाद वर्टिकलों के सदस्यों को शामिल किया गया. अस्थिर बृहत् आर्थिक वातावरण और ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए एक समर्पित संकेंद्रित आस्ति प्रबंध समूह (एफएएमजी) स्थापित किया गया है ताकि मुद्दों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके और परिसंपत्तियों का प्रभावी प्रबंध किया जा सके.

वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने यूरो तथा जीबीपी मुद्राओं के दो नए नोस्ट्रो खाते खोले. इसके अतिरिक्त, निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दर पर विदेशी मुद्रा निधियां समय पर उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने अपने विदेशी प्रतिनिधि बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा उधार के लिए करार पर हस्ताक्षर किए.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने पूरे भारत में 12 नए पूर्ण सुविधा संपन्न व्यापार वित्त (टीएफ) केंद्र (विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर) खोले हैं जिससे कुल व्यापार वित्त (टीएफ) केन्द्रों की संख्या 52 हो गयी है. आपके बैंक ने व्यापार वित्त कारोबार को सुगम बनाने के लिए विदेशी बैंकों के साथ संबंध मजबूत बनाना जारी रखा. इस अवधि के दौरान बैंक ने 21 प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ संबंध प्रबंधन अनुप्रयोग (आरएमए) स्थापित किए जिससे इनकी संख्या बढ़कर 1,442 हो गई. इस बढ़े हुए नेटवर्क के साथ अब बैंक विश्व के अधिकांश हिस्सों में द्वि-दिशाओं से जुड़े व्यापार लेनदेनों को निपटाने में सक्षम है.

आपके बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहल करने वाले बैंक की भूमिका को बनाए रखा. यह भारत का पहला बैंक है जिसने महाराष्ट्र में ई-एसबीटीआर (इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित ऑनलाइन बैंक ट्रेज़री रसीद) द्वारा स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के भुगतान को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को विकसित किया. बैंक एनएचएआई के पथकर वसूली परियोजनाओं का पहला ऋण प्रदाता हो गया. दीर्घावधि परिचालन-रखरखाव-अंतरण (ओएमटी) व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी ओएमटी परियोजना के लिए एनएचएआई द्वारा चुने गए 1800 किलोमीटर के कुल राजमार्ग में से 275 किलोमीटर के लंबे राजमार्ग से जुड़ा यह कार्य हमारे बैंक को सौंपा गया है.

आपके बैंक को परिचालन उत्कृष्टता और कोर बैंकिंग कारोबार के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों से भी पुरस्कार और सराहनाएं प्राप्त होती रहीं.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विज्ञापन और प्रचार पहल कार्यों को चार वर्ष के अंतराल के बाद इसके रिब्रांडिंग कैंपेन द्वारा और तेज किया जो इसका केंद्र बिन्दु रहा. यह अभियान अक्टूबर 2013 के अंत से फरवरी 2014 के प्रारम्भ तक मीडिया के सभी माध्यमों किन्तु मुख्य रूप से टेलीविज़न कमर्शियल के रूप में प्रसारित हुआ. जिसमें ब्रांड की विशेषता और दृष्टिकोण को दर्शाते हुए 'दोस्ती' जैसी सहज अवधारणा का इस्तेमाल कर बैंक के नए अवतार पर ध्यान केन्द्रित किया गया. एक नई प्रचार पंक्ति 'बैंक ऐसा दोस्त जैसा' तैयार की गई ताकि ग्राहकों का ख्याल रखने वाले एक उत्साही, मित्रवत बैंक के रूप में बैंक की ब्रांड की मुख्य विशेषता (यूएसपी) का प्रचार-प्रसार किया जा सके. नए ब्रांड अभियान के बंद होने के बाद खुदरा उत्पादों में से मुख्य उत्पादों के लिए अभियान प्रारम्भ किए गए जिसमें उत्पादों की प्रमुख विशेषताएं प्रचारित की गईं. इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी इसी ब्रांड प्रचार की मुख्य थीम 'गहराती दोस्ती, संवरती जिंदगी' को सर्वत्र रखा गया है.

निदेशकों की रिपोर्ट

वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक के महत्वपूर्ण पहल कार्यों का विवरण प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

संगठनात्मक संरचना

आपके बैंक का सुदृढ़ ग्राहक आधार तैयार करने, कासा और खुदरा-सह-पीएसएल वृद्धि को सुगम बनाने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने और समावेशी बैंकिंग बढ़ाने की मुख्य रणनीति के कार्यान्वयन हेतु बैंक ने शाखा-श्रेणी अनुसार विस्तार कार्यक्रम चलाते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान 309 नई शाखाएं खोलीं. 31 मार्च 2014 के अनुसार आपके बैंक की देश में कुल 1387 शाखाओं में से 319 शाखाएं महानगरीय केन्द्रों में, 426 शहरी केन्द्रों में, 372 अर्ध-शहरी केन्द्रों में तथा 146 ग्रामीण केन्द्रों में और 124 शाखाएँ ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. इसके अलावा इंटरनेशनल फायनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में एक पूर्ण परिचालनगत अंतर्राष्ट्रीय शाखा भी है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों से शासित होता है और यह स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार में वर्णित एक अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं को पूरा करता है. बोर्ड स्वयं और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2014 को आपके बैंक के बोर्ड में नौ निदेशक थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) तथा दो उप प्रबंध निदेशक, एक गैर-कार्यपालक निदेशक और पाँच स्वतंत्र निदेशक थे. बोर्ड का कोई भी निदेशक बैंक के बोर्ड के किसी अन्य निदेशक से किसी भी रूप में संबद्ध नहीं है.

शीर्ष समितियां

बोर्ड की कुल 13 समितियां हैं जो बैंक के कारोबार और परिचालन से संबद्ध विभिन्न कामकाजी पहलुओं की देख-रेख करती हैं. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दो नई समितियां अर्थात् कारोबार समीक्षा समिति और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति जोड़ी गई हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक की यह मान्यता है कि उचित कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि शेयरधारिता मूल्य में वृद्धि के लिए एक सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कथन

ऐसा कोई कार्मिक समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक की सेवा में नहीं रहा जिसे ₹ 60 लाख से अधिक वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष की किसी आंशिक अवधि के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे बैंक की सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह ₹5 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित अधिनियम की धारा 217 (1) (ई) के प्रावधान आपके बैंक पर लागू नहीं होते हैं.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा यह घोषणा और पुष्टि करता है कि:

क. लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है.

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें सुसंगत रूप से प्रयुक्त किया है तथा ऐसे निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि लेखा वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर पेश की जा सके.

ग. निदेशकों ने आपके बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए विनियामक प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है.

घ. निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर लेखे तैयार किये हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और अन्य सभी सांविधिक / विनियामक प्राधिकारियों को उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ हार्दिक धन्यवाद देता है. निदेशक मंडल राज्य सरकारों और अन्य बैंकिंग / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरर्राष्ट्रीय बैंकों / संस्थाओं से समय-समय पर मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी शेयरधारकों और ग्राहकों को भी वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आने वाले वर्षों में भी उनसे निरंतर सहयोग की आशा करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. बैंक के प्रयासों को मिली सराहना के लिए बोर्ड इन सभी संस्थाओं/ एजेंसियों का आभारी है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और आपके बैंक के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करता है.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2014

(एम.एस. राघवन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on the business and operations for the financial year ended March 31, 2014.

As a conscious business policy, your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business-mix. This strategy is aligned with its intended positioning as a full-service, new generation commercial bank. At the same time, strategic priority is accorded to ramping up the Priority Sector Lending (PSL) portfolio to target levels. For enhancing business volumes in general and boosting CASA deposits, your Bank is pursuing a rapid network expansion which resulted in an addition of 309 branches during the financial year 2013-14, taking the total branch network to 1388 at end-March 2014. The bouquet of your Bank's products continue to be periodically reviewed and modifications/ innovations/customisation of existing products as well as introduction of new products are carried out regularly for eliciting customer delight and ramping up business growth. As on March 31, 2014, aggregate deposits and advances stood at ₹ 2,35,774 crore and ₹ 1,97,686 crore, reflecting a growth of 3.8% and 0.7%, respectively, over the previous year. Your Bank's performance highlights for the period under review are presented in Table 1.

TABLE 1 : FINANCIAL HIGHLIGHTS

(₹ crore)

As on March 31,	2013	2014
Capital	1,332.75	1,603.94
Reserves & Surplus	19,902.51	22,034.92
Deposits	2,27,116.47	2,35,773.63
Borrowings	65,808.87	60,146.29
Other Liabilities & Provisions	8,607.91	9,437.85
TOTAL LIABILITIES	**3,22,768.51**	**3,28,996.63**
Cash & Balances with RBI	10,543.95	12,711.11
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	7,380.57	4,106.80
Investments	98,800.93	1,03,773.50
Advances	1,96,306.45	1,97,686.01
Fixed & Other Assets	9,736.61	10,719.21
TOTAL ASSETS	**3,22,768.51**	**3,28,996.63**
For the period	**2012-13**	**2013-14**
Total Income	28,283.81	29,576.27
Total Expenses (other than provisions)	22,825.55	23,894.88
Provisions (other than tax)	2,836.48	3,940.26
Profit Before Tax	2,621.78	1,741.13
Provision for Tax*	739.70	619.73
Profit After Tax	1,882.08	1,121.40

* Net of Current Income Tax and Deferred Income Tax

PROFIT AND APPROPRIATIONS

During 2013-14, your Bank's gross income amounted to ₹ 29,576 crore, comprising interest income at ₹ 26,597 crore and other income at ₹ 2,979 crore. Interest expenses of ₹ 20,576 crore and operational expenses of ₹ 3,319 crore accounted for total expenditure, excluding provisions and contingencies, of ₹ 23,895 crore. Total provisions during the year were at ₹ 4,560 crore, which mainly include ₹ 1,862 crore towards provision for bad and doubtful debts and investments, ₹ 1,393 crore towards bad debts written off, ₹ 486 crore towards restructured assets, ₹ 173 crore towards incremental prudential provisions for standard assets and ₹ 620 crore towards tax. During 2013-14, your Bank's operations resulted in Profit Before Tax (PBT) of ₹ 1,741 crore. After a provision of ₹ 620 crore towards tax, Profit after Tax (PAT) amounted to ₹ 1,121 crore. The appropriation of PAT, as approved by the Board of Directors, is given in Table 2.

TABLE 2 : APPROPRIATION OF PROFITS

(₹ crore)

For the year ended March 31,	2013	2014
Net Profit/(Loss) for the year	1,882.08	1,121.40
Profit/(Loss) brought forward	672.65	903.86
Profit available for Appropriations	2,554.73	2,025.26
Appropriations		
Transferred to Statutory Reserve	470.83	281.00
Transferred to Capital Reserve	191.82	9.32
Transferred to General Reserve	150.00	400.00
Transferred to Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961	300.00	250.00
Dividend		
- Equity Shares	466.47	160.41
- Tax on Dividend	71.75	27.76
Balance of Profit carried to Balance Sheet	903.86	896.77

For each share with face value of ₹ 10, Earnings per Share (EPS) during the year stood at ₹ 8.00, while Book Value per Share stood at ₹ 136.52 as on end-March 2014. The Directors are pleased to recommend dividend at 2.75% on the fully paid-up equity share capital for 2013-14, which along with Interim dividend at 7.25% paid during the year, aggregates to 10%.

CAPITAL ADEQUACY

Your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks in compliance with the Pillar-I guidelines under Basel norms. Your Bank has migrated to the Basel III framework and has been calculating capital ratios on a quarterly basis as per Basel III norms since April 1, 2013. Your Bank also computes capital ratios following the Basel II norms as stipulated by RBI since March 31, 2009. With regard to the requirement for higher quality capital highlighted under Basel III norms, your Bank, at present, has sufficient common equity to meet the regulatory requirements as stipulated in the guidelines.

Directors' Report

Currently, your Bank follows the Standardised Approach for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risk and the Basic Indicator Approach (BIA) for operational risk. Your Bank is upgrading its systems and processes in order to migrate to advanced approaches under Basel II. To comply with the Basel Pillar II norms, your Bank has a Board-approved policy on the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). In compliance with the Pillar III requirements under Basel norms, your Bank has implemented a Disclosure Policy. The disclosures for every quarter are available on your Bank's website.

As on March 31, 2014, your Bank's Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) works out to 11.7%, which is above the minimum regulatory requirement under Basel III of 9.0%. Similarly, your Bank has a CET1 ratio of 7.8%, which is above the minimum applicable CET1 ratio of 5.0% as stipulated by the RBI. The Tier-I ratio also stands at 7.8% as on March 31, 2014 against the regulatory requirement of 6.5%.

BUSINESS STRATEGY

During 2013-14, your Bank has undertaken various initiatives to register growth in the retail business segment with special emphasis on higher mobilisation of Current Account and Savings Account (CASA) deposits. Your Bank followed a strategy of deepening and widening the corporate banking and investment banking relationships. Simultaneously, special emphasis was laid on acquisition and expansion of its Priority Sector Business, which includes lending to weaker sections, MSE and Agri business, to broaden its asset portfolio.

KEY BUSINESS INITIATIVES

Business initiatives in the retail banking space during the year were driven by significant expansion in branch network and matching skilled manpower. Your Bank added 309 new branches during the current financial year, taking the total number of branches to 1388 as on March 31, 2014. Your Bank, as part of customer convenience, also demonstrably strengthened its alternate delivery channels by expanding its ATM network from 1,702 as on March 31, 2013 to 2301 as on March 31, 2014.

Your Bank has emerged as one of the dominant, competitive and sought-after players in the structured retail finance segment, offering an array of innovative products catering to the financial needs of all customer segments in this domain. To ensure wider customer coverage and tap the growing opportunities emerging from the expanding delivery network, your Bank, apart from expanding its bouquet of retail asset offerings, introduced a simplified and customer-friendly process for structured retail asset products. This is expected to augment your Bank's market share. Your Bank has also leveraged its state-of-the-art technology platform to implement several key initiatives, which are detailed in the Management Discussion and Analysis section of the Report.

Your Bank continued to aggressively pursue a ramp up in its Priority Sector Lending (PSL), broadly comprising loans to weaker sections, agriculture, MSE, housing and education loan segments. As an enabler, a dedicated business vertical, viz. Priority Sector Group (PSG) was formed by merging your Bank's Agri and MSE business verticals. In addition to six dedicated PSG Processing Centres (PPCs) with trained staff to process PSL proposals expeditiously, there are 44 dedicated branches exclusively for PSL business. Your Bank has also empowered retail branches to service the MSE and Agri customers across India. Additionally, it conducted workshops in various Agri and MSE clusters for acquainting existing and potential clients with its PSG products, facilities and services. Your Bank also actively participated in various conferences, trade fairs and promotional events to expand its reach in this sector.

Your Bank continued to strengthen its Alternate Banking Channels like ATMs, internet banking, mobile banking, among others, to reduce customers' dependence on the branch channel, while simultaneously offering 24x7 facilities. From your Bank's perspective, these facilities are cost-effective as the transaction cost is less compared to the branch channel. Your Bank gainfully leveraged the

branch network during the festive season for maximising sales of Prepaid Card products. Your Bank also initiated various measures to induce its customers to use the IDBI Bank Debit Card more frequently for purchases at Point-of-Sale (POS) locations. The Alternate Channels and Merchant Acquisition Business provide avenues for augmenting fee-based income, besides helping acquire/ deepen existing relationships. Your Bank has also been actively engaged in initiatives aimed at enhancing customer awareness on cyber frauds and its prevention. It undertook measures to improve the security level of Alternate Channels, especially through internet banking, in view of rising incidence of cyber frauds.

Your Bank has a dedicated vertical, viz. Corporate Banking Group (CBG), which caters to the financial needs of medium and large corporate clients. The Group is organised across seven regions spanning 25 cities and operates through 29 Specialised Corporate Branches (SCBs). As a strategic initiative, the portfolio was granularised to avoid concentration of risk and Non-Fund business/Fee based Income from its corporate clientele was aggressively pursued. To provide personalised services to customers, Client Service Teams (CSTs), comprising members from various product verticals, have been formed at regional and branch levels. In view of the turbulent macroeconomic environment and difficulties confronting the customers, a dedicated Focused Asset Management Group (FAMG) was established to ensure timely resolution of issues, and thereby, manage assets effectively.

During 2013-14, your Bank opened two new Nostro Accounts in EURO and GBP currencies. Further, to make available timely foreign currency funds to the exporters at a competitive rate, your Bank signed Agreements with its Foreign Correspondent Banks for Foreign Currency Borrowing.

During the year, your Bank opened 12 new full – fledged Trade Finance (TF) Centres (Authorized Dealer in Foreign Exchange) pan-India, taking the total number of TF locations to 52. Your Bank continued to strengthen its relationship with foreign banks for facilitating Trade Finance business. During the reference period, your Bank established Relationship Management Application (RMA) with 21 major Foreign Banks, taking the total number of RMAs to 1,442. With the enhanced networking, your Bank has been able to handle bi-directional trade transactions in major parts of the world.

Your Bank continued to derive first-mover advantage in a number of key areas. It was the first Bank in India to develop online payment of stamp duty and registration fees by issuing e-SBTR (Online Secured Bank Treasury Receipt) in Maharashtra. Your Bank was the first lender to finance the toll collection projects of NHAI, awarded under a long-term Operate-Maintain-Transfer (OMT) arrangement, spanning a stretch of 275 km-long highways out of the total 1,800 km highways identified by NHAI for such OMT projects.

Your Bank continued to garner awards and accolades from various quarters for operational excellence and its initiatives beyond its core banking business.

Your Bank's advertising and publicity initiatives intensified during the year with its re-branding campaign, launched after a gap of four years, serving as its centre-piece. The campaign, which spanned from end-October 2013 to early February 2014 in assorted media, but primarily as a television commercial, focused on repositioning your Bank, using a simple concept like friendship to convey the brand attribute and positioning. A new tagline, 'Bank Aisa Dost Jaisa', was conceived to echo the brand's USP as a warm, friendly Bank that cares for its constituents. After the new brand campaign closed out, retail product campaigns of its flagship products were launched, drawing upon the DNA and tonality of brand campaign communication. The brand campaign also finds its echo in the core theme of this year's Annual Report: 'Strengthening Friendship. Touching Lives.'

The details of your Bank's key initiatives during 2013-14 are featured under the Management Discussion and Analysis section of this Annual Report.

Directors' Report

ORGANISATION STRUCTURE

To execute its core strategy of building a robust customer base, facilitate CASA and retail-cum-PSL growth, improve customer service and enhance inclusive banking, your Bank embarked on a calibrated branch expansion drive, while adding 309 branches during 2013-14. Of the domestic branch network of 1387 branches as on March 31, 2014, 319 branches are located in metropolitan centres, 426 in urban centres, 372 in semi-urban centres, 146 in rural centres and 124 branches at rural unbanked centres. Besides, your Bank has one fully operational overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai.

BOARD OF DIRECTORS

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, the Articles of Association of your Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges. The Board functions directly as well as through various Board-level Committees constituted to provide focused governance in your Bank's important functional areas.

As on March 31, 2014, the Board comprised nine Directors, including the Chairman and Managing Director (CMD), two Deputy Managing Directors (DMDs), one Non-Executive Director and five Independent Directors. No Director is related to any other Director on the Board.

APEX COMMITTEES

The Board has a total of 13 committees to oversee various functional aspects of your Bank's business and operations. Two new Committees, viz. Business Review Committee and Corporate Social Responsibility Committee, were added during the reporting period.

CORPORATE GOVERNANCE

Your Bank is committed to adopting the best corporate governance practices. It believes that proper corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under Management Discussion and Analysis.

STATEMENT UNDER SECTION 217 (2A) OF THE COMPANIES ACT 1956

There were no personnel in your Bank's services, during the financial year under review, who received remuneration over ₹ 60 lakh annually. Besides, there were no personnel in the service of your Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 5 lakh per month. The provisions of Section 217(1) (e) of the Act relating to conservation of energy and technology absorption do not apply to your Bank.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors hereby declares and confirms that:

a. In the preparation of accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departure.

b. The Directors had adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent to give a true and fair view of the state of affairs of your Bank at the end of the accounting year and of your Bank's profit or loss for that year.

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the regulatory provisions, to safeguard your Bank's assets, prevent and detect fraud and other irregularities.

d. The Directors had prepared the accounts on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENTS

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance

Regulatory and Development Authority (IRDA) and all other Statutory/ Regulatory Authorities for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banking/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their periodic support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year and looks forward to their continued association in the years ahead.

During the financial year, your Bank has received various recognitions and accolades for its excellence in the core banking domain and beyond. The Board is thankful to all such organisations/ agencies for formally recognising your Bank's efforts. The Board appreciates the sincere and devoted services displayed by its entire staff and highly values their commitment in improving your Bank's performance on a sustained basis.

Place: Mumbai **[M.S. Raghavan]**

Date: April 30, 2014 Chairman and Managing Director

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

3.0%
2013 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि

4.9%
2013-14 में भारत की जीडीपी वृद्धि (पूर्वानुमान)

कारोबारी परिवेश

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2013 की दूसरी छमाही में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के निर्धारक प्रोत्साहनों के चलते वैश्विक आर्थिक कार्यकलापों और विश्व व्यापार में ऊर्जा का संचार हुआ, हालांकि उनकी सुधार गति असमान बनी रही. निर्यात वृद्धि में सुधार हुआ, जबकि देशी मांग की वृद्धि दर कमोबेश अपरिवर्तित रही. 2013 के उत्तरार्द्ध में वैश्विक कार्यकलापों में अपेक्षा से अधिक की दर से हुई वृद्धि कुछ हद तक स्टॉक संचयन में हुई वृद्धि से संचालित थी जिससे उसके पुनः उसी स्थिति में आने की संभावना है. उपलब्ध अद्यतन आंकड़े भी 2014 की पहली छमाही में आर्थिक वृद्धि में मामूली सुधार का संकेत दे रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) द्वारा अप्रैल 2014 में प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय देशों एवं जापान की अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त सुस्ती, साथ ही उभरती बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं विशेषकर चीन में मंदी के बावजूद अमरीका में अच्छी वृद्धि के चलते 2013 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.0% की वृद्धि हुई. आईएमएफ़ के नजरिए से वृद्धि की गति के मूल रूप में एक महत्वपूर्ण अपवर्तन यह है कि विशेष रूप से परिवर्तित समग्र आर्थिक परिदृश्य में सुधार की स्थिति अंततोगत्वा थोड़ी और संतुलित हुई है. पिछले पाँच वर्षों में उभरती बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ही मुख्य रूप से सुधार की संवाहक रही हैं और 2009 से वैश्विक वृद्धि में इनका 75% योगदान रहा है. अमरीका की अगुआई में 'सम्पन्न विश्व' वैश्विक वृद्धि में 20% का योगदान करता है किन्तु इसकी चीन पर अतिशय निर्भरता है.

आईएमएफ़ ने 2013 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 1.3% की वृद्धि दर्ज की है जो 2012 की 1.4% की दर से थोड़ी कम है. यद्यपि अमरीका में 2013 के पूरे समय सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 1.9% के न्यून स्तर पर रही, तथापि निर्यातों में हुई जोरदार वृद्धि और इनवेंटरी मांग में अस्थाई वृद्धि के कारण 2013 की दूसरी छमाही में वृद्धि दर अच्छी बढ़त के साथ 3.3% रही. अर्थव्यवस्था अधिकतम रोजगार के अपने लक्ष्य के करीब है और उम्मीद की जाती है कि बढ़ी हुई स्थिर कीमतों और सामान्य दीर्घावधि ब्याज दर जैसी स्थितियों से लाभ उठाएगी. बढ़ती घरेलू प्रवृत्ति और कारोबारी व्यय जैसे अन्य संकेतक यह दर्शाते हैं कि 2014 की पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि दर उतार-चढ़ाव झेल जाने की स्थिति में बनी रहेगी. 2013 में यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर में 0.5% की कमी आई जो गत वर्ष आई 0.7% की कमी से थोड़ी बेहतर किन्तु अमरीका और यूके द्वारा दर्ज लगभग 2.0% की दर से काफी नीचे थी. निवल निर्यातों के योगदान से मूल यूरो क्षेत्र से बाहर व्यवसाय के कायापलट में सहायता मिली क्योंकि घरेलू मांग में भी स्थिरता आई है. व्यापक मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों के बावजूद 2013 की दूसरी छमाही में जापानी अर्थव्यवस्था ने आर्थिक सुधार की अपनी गति खो दी जिसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में केवल 1.5% की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष के 1.4% की तुलना में मामूली रूप से अधिक थी.

वर्ष 2013 की दूसरी छमाही में वृद्धि दर में आई थोड़ी तेजी के बावजूद उभरती बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2012 के 5.0% की वृद्धि की तुलना में 2013 के दौरान 4.7% की धीमी गति से वृद्धि हुई. विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष कमजोर चक्रीय गति वृद्धि पर दो शक्तियों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है जिनके 2014 में अधिकांश समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है. हालांकि विकसित देशों में मजबूत कार्यकलापों से इन देशों की निर्यात वृद्धि को लाभ मिला और मुद्रा अवमूल्यन, व्याप्त निवेश कमजोरियों तथा देशी वित्तीय स्थितियों से चीन, कोरिया, मलेशिया आदि जैसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मांग/ वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव लगातार बढ़ता गया. सबसे तेज गति से विकासरत अर्थव्यवस्था चीन ने चक्रीय आर्थिक चिंताओं और ढांचागत कमजोरियों के बीच संतुलन साधने के इरादे से कठोर मौद्रिक नीति का दौर लागू किया है. परिणामस्वरूप 2013 के दौरान वृद्धि दर 7.7% की दर पर बनी रही. तथापि,

समग्र रूप से वैश्विक वृद्धि में उभरती बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा बना रहा.

देशी आर्थिक परिवेश

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि गति 2013-14 में भी लगातार दूसरे वर्ष सुस्त बनी रही जो वैश्विक घटनाक्रमों और आपूर्ति संबंधी देशी चिंताओं को प्रतिबिम्बित करती है. इन्फ्रास्ट्रक्चर और कॉरपोरेट निवेश में आ रही कमी के कारण इस मंदी का असर सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ा. हालांकि अस्थाई कारकों से आंशिक फ़ायदों के चलते दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक मुख्य मुद्रास्फीति में मामूली कमी जरूर आई, फिर भी मूल मुद्रास्फीति अनचाहे तौर पर उच्च बनी रही. परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों के साथ कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खराब हुई है और इसके चलते बैंकों की लाभप्रदता पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है. तथापि, हाल में कुछ ऐसे संकेत उभरकर सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि वृद्धि दर अब और नीचे नहीं जाएगी; किन्तु औद्योगिक कार्यकलापों की सुस्त गति अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. विदेशी व्यापार और विशेषकर चालू खाता घाटा (सीएडी) दोनों ही 2013-14 की दूसरी छमाही में एक वर्ष पूर्व के स्तर से काफी कम हो गये जिन्हें बेहतर विदेशी परिस्थितियों जैसे अन्य कारकों से पूरा किया गया. पूंजी प्रवाह को सहारा देने वाली नीतियां बाह्य संवेदनशीलता को और कम करने में सहायक हुई हैं. और अधिक आश्वस्त करते हुए, भारत में नीतिगत कार्रवाई ने प्रतिरोधकों का पुनर्निर्माण किया है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेषकर, अनुचित विनिमय दर अस्थिरता का हालिया बाह्य अड़चनों से बचाव किया है. 2013-14 की अंतिम तिमाही में चालू खाता तथा राजकोषीय दोनों घाटों में प्रत्याशित कमी और साथ ही पूंजी अंतर्वाह द्वारा विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की पुनःपूर्ति के कारण रुपया विनिमय दर में अधिमूल्यन और विशेष रूप से मुद्रा अवस्फीतिकारी प्रभावों के बारे में आसन्न बृहद् अस्थिरता का जोखिम कम हो गया है.

संपदा क्षेत्र

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 2013-14 के लिए जारी राष्ट्रीय आय के पूर्वानुमानों में 2013-14 के लिए 4.9% की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है जो कि 2012-13 के 4.5% की वृद्धि की तुलना में अधिक है. 2013-14 के अनुमान में पूर्ववर्ती अनुमानों से 50 आधार-बिन्दु की कमी की गई जिसका मुख्य कारण खनन और विनिर्माण में तीव्र मंदी के साथ-साथ 2011-12 में वृद्धि दर में ऊर्ध्वमुखी संशोधन के कारण उत्पन्न उच्चतर आधार दर का प्रभाव रहा. कृषि क्षेत्र के मुख्य वृद्धि संवाहक बने रहने की उम्मीद है; जबकि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में मंदी की आशंका है. समग्र जीडीपी में उनके सापेक्ष योगदान का समग्र समष्टि-आर्थिक आंकड़ों पर निर्णायक प्रभाव पड़ेगा. औसत से अच्छे मानसून की बदौलत कृषि क्षेत्र में वृद्धि के चलते खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई. औद्योगिक क्षेत्र में मंदी का कारण मुख्यतः खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में निरंतर गिरावट रही जिसने बिजली क्षेत्र द्वारा दर्ज की गई जोरदार वृद्धि को समंजित कर दिया है.

> वर्ष 2013 की दूसरी छमाही में वैश्विक आर्थिक कार्यकलापों और विश्व व्यापार में ऊर्जा का संचार हुआ. यूरोपीय देशों एवं जापान की अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त सुस्ती, साथ ही उभरती बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं विशेषकर चीन में मंदी के बावजूद अमरीका में अच्छी वृद्धि के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई.

अप्रैल - दिसंबर 2013 की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कारक लागत पर दर्ज भारत की आर्थिक गतिविधियां गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के 4.5% की तुलना में 4.6% के स्तर पर कुछ अधिक रही. तथापि सेवा क्षेत्र द्वारा सतत् अव-संभाव्य कार्य-निष्पादन जारी रहा जो कि समग्र जीडीपी में इसके उच्च योगदान को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए एक अशुभ संकेत है. इसके अलावा सेवा क्षेत्र में मंदी का कृषि और उद्योग दो अन्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन क्षेत्रों में मांग मुख्यतः सेवा क्षेत्र के कार्य-निष्पादन द्वारा संचालित होती है. इसके अलावा

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

0.1%
2013-14 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में कमी आई.

9.5%
2013-14 में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

कम खपत मांग और मंद निवेश धारणाएँ भी सम्पूर्ण 2013-14 के दौरान आर्थिक कार्यकलापों की गति पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिसकी वर्तमान गणना के अनुसार पूर्वानुमानों से 4.9% कम ही रहने की संभावना है. शुभ संकेत यह है कि 2013-14 की तीसरी तिमाही के अंत में विकास की गति फिर से बढ़ चली है जिसके चलते 2014 के पहले तीन महीनों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में सुधार हो सकता है.

औद्योगिक परिदृश्य

वर्ष 2013-14 के दौरान संचयी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) विगत वर्ष की अनुरूपी अवधि में दर्ज 1.1% की वृद्धि की तुलना में 0.1% कम हुआ. घरेलू उपभोग मांग में सतत् कमी, जिसे बढ़ते निर्यात से सहारा न मिल सका, निवेश में आभासी यथावत् स्थिति, संरचनागत अड़चनों के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब, आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं, गिरावट पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत अनिश्चितता और विलंब से हस्तक्षेप और कड़ी मौद्रिक नीति व्यवस्था, जिसे मुद्रास्फीति आंकड़ों ने अपरिहार्य बना दिया, ये कुछ अन्य उल्लेखनीय अड़चनें थीं जिनसे ये और बढ़ीं. प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र में सतत् मंदी के चलते समग्र औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन कमजोर रहा. विनियामक और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण खनन क्षेत्र में सतत् गिरावट ने औद्योगिक गतिविधि की समग्र कमी में भी योगदान दिया है. बिजली क्षेत्र पूरे राजकोषीय वर्ष के दौरान एकमात्र वृद्धि वाला क्षेत्र बना रहा किन्तु आईआईपी में इसके सापेक्ष हिस्से को देखते हुए अन्य संघटक क्षेत्रों में मंदी को पूरा करने के दृष्टिकोण से यह तेजी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी. उपयोग - आधारित श्रेणी में निवेश और उपभोक्ता मांग में कमी के कारण पूंजीगत माल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन घटा है. पूंजीगत माल क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सतत् कमी मंद निवेश वातावरण दर्शाती है जिसमें कमजोर उपभोग मांग और अधिक मूल्य दबावों से पहले से प्रभावित विनिर्माण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.

आठ प्रमुख उद्योगों में से बुनियादी संरचनागत क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में वृद्धि की संभावनाओं के माध्यम से उद्योग वृद्धि दर की मंदी में सुधार हुआ है. वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र के बेहतर कार्य-निष्पादन के बावजूद, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन में सतत् गिरावट के कारण मूल उद्योगों के उत्पादन - समग्र आईआईपी में लगभग 38.0% योगदान - में एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान 6.5% की तुलना में 2.6% की कमी आई. चूंकि इन उद्योगों की विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र से तथा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था से उत्पादनोत्तर सहबद्धता होती है, इसलिए इस क्षेत्र का अपेक्षा से कम कार्य-निष्पादन सतत् औद्योगिक और आर्थिक सुधार का शुभ संकेत नहीं देता है.

मुद्रास्फीति

वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान बढ़ती कीमतों के दबाव तथा अपेक्षाओं ने अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के अलावा इस अवधि तथा इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक के नीतिगत हस्तक्षेपों के दिशात्मक ज़ोर का अनुकूलन किया. अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि, केंद्रीय बैंक के नीतिगत प्रतिसाद के लिए केंद्रीय संकेतक के रूप में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) की वास्तविक पहचान थी, जो अब तक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में उतार-चढ़ाव द्वारा संचालित थी. वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, जो 2013 के अंत तक लगभग दो अंकों में थी, ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से समष्टि-वित्तीय स्थिरता को कमजोर किया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई, वित्तीय गैर-मध्यस्थता में योगदान दिया, वित्तीय तथा समग्र बचत कम हुई और वर्ष की पहली छमाही के लिए व्यापक चालू खाता घाटा और कमजोर मुद्रा की चरमसीमा में परिणत हुआ. मुद्रास्फीति की ऊंची दर का वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. जबकि प्रमुखतया मौद्रिक कड़ाई में ऊर्ध्वमुखी वृद्धि के दौरान पुनरावृत्तीय दौर में भी जारी रहा, दरों में नरमी के संकेत के बावजूद जनवरी 2014 में रेपो दर में 25 आधार बिन्दु की वृद्धि का उद्देश्य जून-नवंबर 2013 के दौरान

खाद्य मूल्यों में महसूस किए गए दबावों के दूसरे दौर के प्रभावों पर अंकुश लगाना था. अप्रैल से नवंबर 2013 के दौरान मुद्रास्फीति का निर्माण, इसके बाद फरवरी 2014 के दौरान मुद्रास्फीति में गिरावट और पुनः मार्च 2014 में ऊर्ध्वमुखी वृद्धि खाद्य मूल्यों द्वारा संचालित थी. दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान खाद्येतर तथा ईंधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में और वृद्धि के बिना इन मूल्यों में मौसमी गिरावट के साथ पूर्व के महीनों में सब्जियों की ऊंची कीमतों से सापेक्ष मूल्य आघातों में सुधार से लाभ हुआ है. केंद्रीय बैंक ने हाल ही में कहा है कि मौसमी सुधार कमोबेश हो चुका है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमान से सब्जियों एवं फलों की कीमतों में विशेषकर थोक बाजार में कुछ बढ़ोतरी हुई. आगे चलकर, मार्च 2014 में थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों में तीव्र वृद्धि के चलते यह आशंका सही सिद्ध हुई. इन क्षेत्रों द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति को आगामी महीनों में मार्च के स्तरों पर स्थिर रखने की संभावना है. तथापि 2013-14 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान औसत थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति की दर 2012-13 के दौरान व्याप्त 7.4% (डब्ल्यूपीआई) तथा 10.2% (सीपीआई) की तुलना में क्रमशः 5.9% तथा 9.5% के कमतर स्तर पर थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन आधारभूत कारकों का योगदान रहा है.

विगत कुछ महीनों में प्रमुख मुद्रास्फीति की दर में देखी गई नरमी के बावजूद मुख्य चिंता यह रही है कि मूल मुद्रास्फीति, जो मांग पक्ष दबावों की प्रतिनिधि है, या तो बढ़ रही है (डब्ल्यूपीआई) या रिज़र्व बैंक के सुविधाजनक स्तरों से ऊपर है (सीपीआई) और सामान्यतः स्थिर रही है. इसके अलावा आगामी महीनों में अल-नीनो की आशंकाओं, मानसून के पैटर्न पर परिणामी प्रभावों और मुद्रास्फीति के परिणामी आविर्भाव से उत्पन्न मुद्रास्फीति के कई ऊर्ध्वमुखी जोखिम हैं. कृषि पण्यों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करने पर अनिश्चितता और साथ ही साथ विशेषकर बिजली तथा कोयला के नियंत्रित मूल्यों में संशोधन के समय और मात्रा का प्रभाव राजकोषीय नीति, भौगोलिक राजनीतिक घटना-क्रमों के साथ 2014-15 में मुद्रास्फीति के प्रचलन और पण्यों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर भी पड़ सकता है. दूसरी ओर अगले वर्ष कच्चे तेल की अपेक्षाकृत स्थिर कीमतों और पण्यों की वैश्विक कीमतों के दायरे में रहने की संभावना के संदर्भ में मुद्रास्फीति की दर में नरमी आ सकती है. उच्च आधार प्रभाव लागतों के अलावा घरेलू मांग में सतत् कमजोरी खुदरा मुद्रास्फीति दर पर ऊर्ध्वमुखी दबाव को सीमित कर सकती है, इस प्रकार संतुलन पर 2014-15 में ऊर्ध्वमुखी जोखिम बने रहेंगे. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का दौर प्रत्याशित विसर्पण पथ, नकारात्मक उत्पादन अंतर की मात्रा और खाद्य मूल्यों में उतार-चढ़ाव के संबंध में नीतिगत कार्रवाइयों से अवस्फीतिकारी संवेगों की शक्ति पर निर्भर करेगा. केन्द्रीय बैंक के सुविचारित नीतिगत हस्तक्षेप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति घटकर जनवरी 2015 तक 8.0% और जनवरी 2016 तक 6.0% तक आ जाने की उम्मीद है.

विगत कुछ महीनों में प्रमुख मुद्रास्फीति की दर में देखी गई नरमी के बावजूद मुख्य चिंता यह रही है कि मूल मुद्रास्फीति, जो मांग पक्ष दबावों की प्रतिनिधि है, या तो बढ़ रही है (डब्ल्यूपीआई) या रिज़र्व बैंक के सुविधाजनक स्तरों से ऊपर है (सीपीआई) और सामान्यतः स्थिर रही है. इसके अलावा, आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति के बढ़ने के कई जोखिम हैं.

चलनिधि और ब्याज दरें

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि परिदृश्य पिछले वर्ष दृष्टिगत चलनिधि बाधाओं की तुलना में 2013-14 में सहज स्तर पर बनी रही. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्फीतिकारी दबावों में कमी ने केन्द्रीय बैंक को क्रमिक मौद्रिक नरमी की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया. तथापि, मई 2013 से बड़े पैमाने पर हुए पूंजी बहिर्गमन के चलते विनिमय बाजार में मची असंगत उथल-पुथल को स्थिर करने की अभिभावी आवश्यकता ने केन्द्रीय बैंक की योजनाओं को निष्फल कर

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

27% (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) 2013-14 में व्यापार घाटे में कमी आई

जीडीपी का 2.3% दिसंबर 2013 के अंत में चालू खाता घाटा

दिया. इन सभी जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए जुलाई 2013 के मध्य में सीमांत स्थायी सुविधा दर (एमएसएफ) में 200 आधार बिन्दुओं की वृद्धि तथा एलएएफ के तहत उधारियों को प्रत्येक बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 0.5% तक रखना जैसे कुछ विशिष्ट तथा प्रतिकारी मौद्रिक उपाय कार्यान्वित किए गए. इन उपायों से विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में व्याप्त उतार-चढ़ाव में कमी आई जिसके चलते सितंबर 2013 के आरंभ में रिज़र्व बैंक इन मौद्रिक उपायों को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने में समर्थ हुआ. परिणामस्वरूप, बैंकिंग प्रणाली में कठोर चल निधि स्थिति प्रेरित नीति को 2013-14 की तीसरी तिमाही के शुरूआत से आसान बनाया गया. तथापि चलनिधि स्थिति को राजकोषीय वर्ष के अंत में मुख्यतः अग्रिम करों के बहिर्गमन, सरकारी व्यय में उछाल और मुद्रा संचलन में वृद्धि के चलते पुनः कठोर बनाया गया. रिज़र्व बैंक ने बढ़ते चलनिधि दबावों को नियंत्रित करने के लिए वांछित परिणामों के साथ त्वरित तरलता वृद्धिकारी उपाय शुरू किए.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिमय बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपायों के परिणामस्वरूप सितंबर 2013 तक बैंकों के जमा तथा उधार दरों में मजबूती रही. इन उपायों को सुविचारित रूप से वापस लेने के परिणामस्वरूप 2013-14 की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में मामूली रूप से नरमी आई. हालांकि उधार दरें वर्ष के दौरान कमोबेश स्थिर रहीं, केन्द्रीय बैंक के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मध्यावधि जमा दरों में पूरे वर्ष के दौरान 35 आधार बिंदु की वृद्धि हुई, हालांकि राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही में यह लगभग अपरिवर्तित रही.

21 मार्च 2014 को 14.6% (वार्षिकीकृत) की सकल जमा वृद्धि सकल बैंक ऋण वृद्धि (14.3%) से अधिक रही, साथ ही गत वर्ष की अनुरूपी अवधि में इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही जब संबंधित वृद्धि 14.2% (जमा) तथा 14.1% (ऋण) थी. 21 मार्च 2014 को बकाया जमा तथा ऋण क्रमशः ₹ 77,39,390 करोड़ तथा ₹60,13,090 करोड़ रहे. ऋण-जमा अनुपात गत वर्ष की इसी तारीख को 77.9% की तुलना में इस बार 77.7% पर रहा. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2013-14 के लिए ऋण में 15% वृद्धि तथा जमा में 14% की वृद्धि का अनुमान लगाया है.

22 मई 2013 को मात्रात्मक सुलभता में संभावित कमी के बारे में यूएस फेडरल के पुरोगामी दिशानिर्देशों और रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए मात्रात्मक सुगमता के तीसरे चरण (क्यूई3) के क्रमिक उपायों के फलस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ पर ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ा. तथापि रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों के चरणबद्ध रूप से समापन के चलते आधारभूत सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ कम हुआ. तथापि घरेलू उथल-पुथल तथा वैश्विक घटनाक्रम, विशेषकर अमेरिका की स्थूल आर्थिक स्थिति में कायापलट के कारण प्रतिलाभ पर ऊर्ध्वमुखी दबाव बना रहा. राजकोषीय वर्ष की समाप्ति पर सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ में दोतरफा उतार-चढ़ाव देखा गया. मुद्रास्फीति में कमी की प्रत्याशा में 2013-14 की अंतिम तिमाही के प्रारंभ में प्रतिलाभ शुरू में कम रहा लेकिन जनवरी 2014 में नीतिगत दर में वृद्धि के साथ-साथ प्रतिलाभ में मजबूती आई. तथापि, जनवरी - फरवरी 2014 के दौरान प्राथमिक नीलामी के रद्द होने और मूल्य दबावों में कमी के चलते 10 वर्षीय आधारभूत सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ में मार्च 2014 के अंत में कमी आई.

बाह्य क्षेत्र के कार्यकलाप

हाल के महीनों में कुछ गिरावट के बावजूद भारत के व्यापार घाटे में, मुख्यतः आयात में तीव्र कमी तथा निर्यात में मामूली वृद्धि के कारण 2013-14 में 51.7 बिलियन अमरीकी डॉलर यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 27% की कमी आई. 2013-14 में समग्र व्यापार संतुलन की स्थिति में 138.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का घाटा दर्ज हुआ जो 2012-13 के 190.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से बहुत कम है.

जुलाई-अक्टूबर 2013 अवधि के दौरान निर्यातों में दर्ज दो अंकों की वृद्धि के चलते पण्य निर्यात 2013-14 में 312.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो निर्धारित लक्ष्यित स्तरों का 96% और पिछले राजकोषीय वर्ष से 4% अधिक था. इसके

विपरीत पण्य निर्यात 2013-14 के दौरान 8.1% घटकर 450.9 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो एक वर्ष पहले 490.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था. इसका श्रेय अवांछित आयातों विशेषकर सोने के आयातों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कई प्रतिबंधात्मक नीतिगत उपायों को जाता है जिनसे रुपया विनिमय दरों में असंगत अस्थिरता आई थी. 2013-14 में गैर पीओएल आयातों में 13.3% की तीव्र गिरावट हुई जबकि पीओएल आयातों में 2.2% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई. 2013-14 में सोने और चाँदी का आयात 40% (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) घटकर 33.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा.

व्यापार आंकड़ों ने भी भुगतान संतुलन की समग्र स्थिति को प्रभावित किया है जिसके सरकारी आंकड़ें वर्तमान में दिसंबर 2013 तक उपलब्ध हैं. निवल अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि के साथ ही व्यापार घाटे में 43.2% की तीव्र गिरावट के चलते चालू खाता घाटे में अप्रैल-दिसंबर 2012 के 69.8 बिलियन अमरीकी डॉलर, जो जीडीपी का 5.2% रहा, की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2013 में 31.1 बिलियन अमरीकी डॉलर यानि जीडीपी के 2.3% तक की कमी आई. तथापि, पूंजी तथा वित्तीय खाते के अंतर्गत निवल अंतर्वाह, विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन को छोड़कर ऋणात्मक पोर्टफोलियो निवेश (निवल), ऋणों की उच्चतर चुकौती तथा व्यापार ऋण एवं अग्रिमों के चलते निवल बहिर्वाहों के कारण अप्रैल-दिसंबर 2012 के 68.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2013 में घटकर 39.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया. तथापि चालू खाता घाटा की तुलना में पूंजी अंतर्वाह के अधिक होने से देश का भुगतान संतुलन दिसंबर 2013 के अंत में अधिशेष में हो गया. राजकोषीय वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.40 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो गतवर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.15 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि से बहुत अधिक है.

निर्यात वृद्धि में अस्थिरता के बावजूद आयातों में हुई तीव्र कमी के साथ ही निवल पूंजी अंतर्वाहों के चलते 2013-14 की अंतिम तिमाही के दौरान व्यापार घाटे में कमी का दौर बने रहने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में भुगतान संतुलन की स्थिति के सुखद स्तर पर बने रहने की आशा है. सभी संकेतों के अनुसार 2013-14 के दौरान चालू खाता घाटा 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% की अपेक्षा आधे से अधिक कम हो सकता है.

भारत का विदेशी ऋण मार्च 2013 के अंत के 5.2% यानि 21.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर दिसंबर 2013 के अंत में 426.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया. विदेशी ऋण में दीर्घावधि ऋणों की प्रधानता रही जोकि दिसंबर 2013 के अंत में कुल विदेशी ऋण का 78.2% था. विदेशी ऋण में उछाल का मुख्य कारण दीर्घावधि ऋणों, विशेषकर एनआरआई जमा राशियों में तीव्र वृद्धि रही, जो सितंबर-नवंबर 2013 की अवधि के दौरान स्वैप योजना के अंतर्गत जुटाई गयी नई एफ़सीएनआर (बी) जमा राशियों का प्रभाव दर्शाता है. विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी ऋण का केवल 69.0% हिस्सा पूरा कर सका जो मार्च 2013 के अंत के 72.1% से कम था. 2009-10 तक विदेशी मुद्रा भंडार भारत के कुल विदेशी ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त होता था, लेकिन 2010-11 से इसमें निरंतर गिरावट आती गई, जो विदेशी क्षेत्र की देनदारियों को पूरा करने के लिए बढ़े हुए दबाव को दर्शाती है.

> निवल प्राप्तियों में वृद्धि के साथ ही व्यापार घाटे में तीव्र गिरावट के चलते चालू खाता घाटे में कमी आई जिससे दिसंबर अंत में भारत का भुगतान संतुलन अधिक रहा.

भारत के विदेशी क्षेत्र की स्थिति में हुए सुधार और साथ ही विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अस्थिरता पर लगाम लगाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2014 के अंत में बढ़कर लगभग 304 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो मार्च 2013 के स्तर से लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है. यह नवंबर 2011 से विदेशी मुद्रा भंडार का उच्चतम स्तर है. मई 2013 में यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा 'अपेक्षित समय से पहले' क्यूई 3 की घोषणा के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में हुई उथल-पुथल के बाद रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उपायों को लागू किया जिनमें बैंकों द्वारा नए एफ़सीएनआर(बी) जमा राशियों तथा विदेशी उधार के संग्रहण के लिए रिज़र्व बैंक

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

3.6%
2014 में आईएमएफ़ का वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वानुमान

5.4%
2014-15 में आईएमएफ़ का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वानुमान

द्वारा विशेष रियायती स्वैप विंडो को लागू करना भी शामिल है. इसके परिणामस्वरूप अंतर्वाह में वृद्धि हुई. दिसंबर 2013 से पोर्टफोलियो अंतर्वाह में भी पुनः तेजी आने लगी.

चालू खाता घाटे में कमी और सुदृढ़ विदेशी मुद्रा भंडार के चलते मुद्रा पर बने हुए अधोगामी दबावों और भारतीय रुपये की अस्थिरता में कमी आनी शुरू हो गई है. रुपये की विनिमय दर नवबंर 2013 को ₹ 68.36 के अपने सबसे निचले स्तर की तुलना में नवंबर 2013 से लेकर 28 मार्च 2014 तक ₹ 60.10 - ₹ 62.99 प्रति अमरीकी डॉलर के बीच बनी रही. परिणामस्वरूप मार्च 2014 के अंत तक अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में वार्षिक आधार पर 10.5% की गिरावट आई, जबकि अगस्त 2013 में ₹ 68.36 की रिकॉर्ड निम्न विनिमय दर की तुलना में 12.1 % की मजबूती आई.

भावी संभावनाएं

नवीनतम रुझान विश्लेषण के आधार पर यह देखा गया है कि 2014 की पहली तिमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास की गति अस्थायी कारकों के कारण धीमी रही जिसके चलते विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा. ये अस्थायी कारक 2014 की पहली छमाही में वैश्विक वृद्धि दर को अब तक के परिकल्पित स्तर से भी नीचे ला सकते हैं. तथापि इसके सुदृढ़ संकेत हैं कि कुछ प्रतिकूल भौगोलिक-राजनीतिक कारकों, जिन्होंने अर्थव्यवस्था की विकास दर को नीचे लाने वाले जोखिमों को बढ़ाया है, के बावजूद, परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित गति, जो 2013 की दूसरी छमाही में नजर आई थी, आगे भी जारी रहेगी तथा इसमें 2014 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में साथ ही पूरे 2015 के दौरान बढ़ोतरी होने की संभावना है.

आईएमएफ़ ने भी अप्रैल 2014 में जारी अपने नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मजबूत रहने का पूर्वानुमान लगाया है तथा इसके 2013 के 3.0% के मुक़ाबले 2014 में 3.6% होने का अनुमान किया है, किंतु विभिन्न देशों में वृद्धि दर असमान रहेगी तथा अमरीका का इसमें प्रमुख योगदान होगा. 2014 में सम्पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2.2% की वृद्धि दर तथा ईएमडीई में 4.9% की वृद्धि दर परिकल्पित है. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र सुधार अनेक गतिरोधों के दूर होने से संभव हुआ है, जैसे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में आई शिथिलता कम हो रही है और वित्तीय प्रणाली में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है जबकि अनिश्चितता में कमी आ रही है. यूरो राष्ट्र संभवतः सकारात्मक लेकिन दुर्बल और विविध तथा भीतर से अपेक्षाकृत सशक्त वृद्धि दर्ज करनेवाले हैं, लेकिन अत्यधिक कर्ज, महंगे ऋण, आसन्न राजकोषीय समस्याओं, अत्यधिक बेरोजगारी, मुद्रा अवस्फीति और धीमे वित्तीय सुधार वाले देशों में यह वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी होगी और इससे देशी मांग में कमी आएगी. ईएमडीई में अपेक्षाकृत कम गति से वृद्धि का अनुमान है पर आंकड़ों में यथोचित रूप से वृद्धि होगी. विकसित देशों से अत्यधिक बाह्य मांग जैसे समर्थकारी कारकों द्वारा वृद्धि को अनुकूल बनाया जाएगा, जबकि कुछ-कुछ कठिन वित्तीय स्थिति बनी रहेगी जो देशी मांग के अवरोधक के रूप में काम करेगी. एक अधिक संतुलित और स्थायी वृद्धि पथ पर धीरे-धीरे बढ़ने के परिणामस्वरूप चीन 2014 में अपना वृद्धि लक्ष्य लगभग 7.5% रखने के लिए धीरे-धीरे ऋण में वृद्धि को कम करने का प्रयास जारी रखते हुए उन्नत सुधारों की नीति को आगे बढ़ाएगा. विकसित अर्थव्यस्थाओं से प्रबल मांग में अत्यधिक वृद्धि, कमजोर मुद्राओं और/ या मजबूत देशी मांग से लाभ उठाते हुए उदीयमान और विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ धैर्यपूर्वक लेकिन लचीलेपन के साथ सक्रिय सुधार के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही, अमरीका द्वारा हाल ही में घटाई गई परिसंपत्ति क्रय सीमाओं के परिणामस्वरूप मात्रात्मक सहजता (क्यूई) की सुविचारित विधि से वापसी के कारण उदीयमान अर्थव्यस्थाएँ बाजारों की अस्थिरता का सामना करने में अब पहले से बेहतर स्थिति में हैं. तथापि, बेहतर संभावनाओं के बावजूद वैश्विक सुधार कुछ कमजोर है और अब भी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सुधार के मार्ग में भारी अवरोध है जो भौगोलिक जोखिम, जिसमें वृद्धि का अवसर मिलने पर स्थानीय प्रभाव से बाहर समन्वय करने की संभावना उसके सहित परिकल्पित वृद्धि दरों में गिरावट का जोखिम दर्शाते हैं. आईएमएफ़ डब्ल्यूईओ इस बात पर ज़ोर देता है कि गिरावट का जोखिम पूरी तरह

समाप्त होने पर भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपेक्षा से कम मुद्रास्फीति के जोखिम को दर्शाता है, उदीयमान बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय अस्थिरता बढ़ी हुई है तथा पूंजी लागत में वृद्धि से निवेश संभवतः कम हो जाएगा और वृद्धि चिंताजनक हो जाएगी. आईएमएफ़, ईएमडीई के नीति निर्धारकों से उनकी संबंधित अर्थव्यस्थाओं में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तनशील मूलभूत तत्वों के अनुसार विनिमय दरों में अंश-शोधन की अनुमति प्रदान करने, बाह्य सामंजस्य को सुसाध्य करने, बढ़ते स्फीतिकारी दबावों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर कड़ी मौद्रिक नीति अपनाने, राजकोषीय स्थिरता और संरचनात्मक सुधार हेतु उपायों को अपनाने की उम्मीद करता है.

वैश्विक रूप से एकीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग्य 2014-15 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदीयमान प्रवृति के कारण पुनरुक्तिपूर्ण रूप से अंशतः नियंत्रित होगा, लेकिन ढेर सारी देशी घटनाओं के परिणाम भी प्रतिबिंबित होंगे. आईआईपी के अनुसार 2013-14 के लिए जीडीपी वृद्धि, विनिर्माण और समग्र औद्योगिक वृद्धि सहित सीएसओ के संशोधित अग्रिम अनुमान 4.9% की तुलना में कम होने की संभावना है जो नकारात्मकता को दर्शाती है और यह समष्टि-अर्थव्यवस्था के संकेतकों को कम करेगी. तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2014 के प्रथम तीन महीनों के दौरान कुछ सुधार की संभावनाएं दिखती हैं. वैश्विक विकास के लिए बेहतर संभावनाओं, विशेषकर 2014 की दूसरी छमाही में, और बाह्य मांगों पर इसके लाभकारी प्रभाव, निर्यात वृद्धि में मंदी के बावजूद हालिया नीतिगत कार्रवाइयों से कारोबार और उपभोक्ता का विश्वास देशी आपूर्ति के अवरोधों को कम करने और विलंबित परियोजनाओं की समस्याओं को दूर करने में लगा है. इन बुनियादी प्रभावों के कारण सांख्यिकीय आंकड़ों में दिखाई देने वाले सुधारों से पता चलता है कि 2014-15 के दौरान वृद्धि में लगभग 5.5% के आसपास उछाल की संभावना है. आईएमएफ ने यह मत व्यक्त किया है कि निवेश समर्थनकारी नीतियों और हालिया नीतिगत कार्रवाइयों से विश्वास बढ़ने के चलते 2014-15 में समग्र वृद्धि 5.4% तक बने रहने की आशा है, लेकिन यह रुझान कम रहेगा. तथापि कई रुकावटें सुधारों की गति को मंद करेंगी जो मुद्रास्फीती दबावों के कारण हो सकती हैं, यद्यपि वे अंततः गिरावट की ओर उन्मुख होंगी. उद्योग और सेवाओं के सतत् पुनरुत्थान में अनावश्यक विलंब हो सकता है जिसमें अल-निनो कारक जो सामान्य मानसून को प्रभावित और कृषि संबंधी उत्पादन को बाधित कर सकता है सहित कई अनिश्चितताएं हो सकती हैं तथा इसे विदेशों में भौगोलिक-राजनीतिक घटनाएं या आंतरिक अतिरिक्त आर्थिक कारक प्रभावित कर सकते हैं. कुछ देशों में जारी राजकोषीय समायोजन के अतिरिक्त कठिन वैश्विक वित्तीय और मौद्रिक स्थितियाँ भी समुत्थान को बाधित कर सकती हैं. इनसे अन्य बातों के साथ-साथ मौद्रिक स्थिति कठिन हो जाएगी जो निवेश कार्यकलापों की गति को प्रभावित करेगी और जिस पर अर्थव्यवस्था में सुधार काफी हद तक निर्भर करता है.

> वैश्विक रूप से एकीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 2014-15 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदीयमान प्रवृति के कारण अंशतः नियंत्रित होगा, लेकिन ढेर सारी देशी घटनाओं के परिणाम भी प्रतिबिंबित होंगे. कुल मिलाकर वर्ष 2014-15 के दौरान बृहद् बुनियादी स्थितियों में पुनः सुधार होने की उम्मीद है.

कई अंतर्निहित जोखिमों के चलते और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने, कारोबार के प्रति विश्वास जगाने और निवेश समर्थन हेतु राजकोषीय संभावनाएँ निर्मित करने की दृष्टि से और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है. कुल मिलाकर 2014-15 के दौरान बृहद् बुनियादी स्थितियों में पुनः सुधार होने की उम्मीद है.

कारोबार समीक्षा

एक सजग व्यवसाय नीति के तौर पर और ज्यादा संतुलित व्यवसाय मिश्रण को सुगम बनाने के लिए आपके बैंक ने क्रमिक रूप से बड़े रिटेल व्यवसाय पोर्टफोलियो पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा. यह व्यावसायिक रणनीति बैंक को सभी प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करनेवाले नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापित करने

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

309
नई शाखाएं
2013-14 में खोली गईं

1,387
देशी शाखाएं मार्च 2014
अंत में

में अनुकूल साबित हुई है. रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधारों (पीएसएल) को तेजी से बढ़ाने के लिए अभियान के रूप में दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में पहल कार्य किए गए. मिशनरी भाव से पूरे भारत में अपनी भौगोलिक पहुँच बढ़ाने का हमारा अभियान जारी है क्योंकि सामान्य तौर पर व्यवसाय में वृद्धि करने और विशेष रूप से कम लागतवाली चालू खाता-बचत खाता जमाओं (कासा) के संग्रहण को बढ़ाने के लिए यह एक निर्णायक कारक है. इसे आपके बैंक की देशी भौतिक शाखाओं के नेटवर्क में हुई उल्लेखनीय वृद्धि में देखा जा सकता है जिसकी संख्या मार्च 2013 के अंत की 1079 से बढ़कर 2013-14 के अंत में 1387 तक जा पहुंची है अर्थात् इस दौरान 309 शाखाएँ बढ़ी हैं. इस नेटवर्क में महानगरीय क्षेत्र में स्थित 319 शाखाएँ, शहरी केन्द्रों में स्थित 426 शाखाएँ, अर्ध-शहरी केन्द्रों में स्थित 372 शाखाएँ और ग्रामीण केन्द्रों में स्थित 170 शाखाओं का समावेश है, जिसमें अब तक बैंकिंग सुविधारहित केन्द्रों में स्थित 124 शाखाएँ भी शामिल हैं. आपके बैंक के उत्पादों की पूरी श्रृंखला की आवधिक रूप से समीक्षा और वर्तमान उत्पादों में आशोधन/नवोन्मेष/अनुकूलीकरण का कार्य जारी रहा और साथ ही ग्राहकों के आनंद को बढ़ाने और व्यवसाय वृद्धि में तेजी लाने के लिए नियमित रूप से नए उत्पाद भी शुरू किए गए.

खुदरा देयता उत्पाद

खुदरा देयता उत्पाद खंड में आपके बैंक ने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने तथा कम लागत वाली निधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी वर्तमान देयता उत्पाद समूहों जैसे बच्चों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध उत्पादों की समीक्षा करते हुए इसमें निरंतर सुधार किया.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देयता उत्पादों में कई महत्वपूर्ण पहल कार्य आरंभ किये गये. बचत खाता खोलने संबंधी औपचारिकताएं पूरी होते ही तत्काल खाता संख्या उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 2013 से एक 'एक्सप्रेस अकाउंट ओपनिंग'सुविधा की शुरुआत की गई है. इस प्रक्रिया में ग्राहकों को पासबुक के साथ तत्काल खाता संख्या दी जाती है. अन्य सुपुर्दगी-योग्य उत्पाद जैसे डेबिट कार्ड और चेकबुक उसी दिन दिये जाते हैं. संशोधित सुविधा सुरक्षा रिकरिंग जमा (एसएसआरडी) को पुनःआरंभ किया गया जिसके अंतर्गत ग्राहक को वार्षिक आधार पर सामूहिक बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा और इसे परिपक्वता अवधि तक नवीकृत किया जाएगा. ''अन्य बैंक'' एटीएम लेन देनों (वित्तीय/गैर वित्तीय) की गैर-प्रभारित सीमा को कुछ विशेष बैंक बचत श्रेणियों में प्रति माह 5 से बढ़ाकर 10 किया गया. इसी प्रकार चालू खाते वाले कुछ विशेष वर्ग के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा आरटीजीएस और एनईएफटी को निःशुल्क किया गया.

आरबीआई द्वारा निर्धारित वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को जारी रखते हुए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान बीएसबीडीए के अंतर्गत ''छोटे खाते'' आरंभ किये जिसके अंतर्गत शून्य बैंलेस के साथ और आगंतुक ग्राहकों द्वारा न्यूनतम केवाईसी दस्तावेज़ों के साथ खाता खोला जा सकता है. सभी मूल बचत बैंक खाता जमा (बीएसबीडी) खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की गई. गैर-किसान और भूमिहीन कृषक (एनएफ़एलएल) के अंतर्गत मौजूदा ओवरड्राफ्ट सुविधा की उत्पाद विशेषताओं और उसके निबंधनों के अनुरूप बनाने के लिए समीक्षा की गई है.

आपके बैंक ने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी रिटेल फिक्स्ड जमा राशियों को एक नई फिक्स्ड जमा राशि नाम दिया. बैंक की 50 वर्ष की यात्रा को यादगार बनाने के लिए आपके बैंक ने सीमित समय के लिए अधिमान्य दरों पर दो विशेष बकेट 500 दिन और 50 माह के विशेष 'गोल्डन जुबली फ्रीडम डिपॉज़िट' पेश किये. यह जमा ग्राहकों को जमाराशि की अवधि के दौरान किसी भी समय बिना किसी समयपूर्व पेनल्टी के आहरण की स्वतंत्रता देता है. आपके बैंक ने गोल्डन जुबली फ्रीडम डिपॉजिट के अंतर्गत 31 दिसंबर 2013 को समाप्त ऑफर अवधि के दौरान 5821 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है.

आपके बैंक ने परिपक्व मीयादी जमाराशियों /सावधि जमाराशियों के रोल ओवर के लिए ब्याज जमा प्रणाली को वार्षिक तिमाही से कैलंडर

तिमाही में संशोधित किया. इससे ग्राहकों को वर्ष के अंत में कर जमा कराने के लिए उपचित सटीक ब्याज भुगतान का पता चलता है और स्त्रोत पर कर कटौती से संबंधित समस्याएं भी कम होती हैं. आपके बैंक ने सभी ग्राहकों (नेट बैंकिंग व गैर नेट बैंकिंग ग्राहक) के लिए जमाराशियों हेतु टीडीएस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन डाऊनलोड सुविधा भी आरंभ की है.

एनआरआई सेवाएँ

आपका बैंक एनआरआई ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को खास महत्व देता है तथा इन समुदाय के हितों के अनुरूप उनकी सेवा के लिए तत्पर है. वर्तमान में आपका बैंक विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सभी प्रकार के वित्तीय उत्पाद तथा सेवाएं प्रस्तुत करता है. तेज, किफ़ायती तथा सुविधाजनक निधि अंतरण के लिए बैंक ने एनआरआई को कई तरह के विकल्प उपलब्ध कराए हैं जिनसे उनकी निधि बिना किसी दिक्कत के भारत में पहुँच सके. अपने एनआरआई ग्राहकों को अपने से जोड़ने तथा उनसे रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए आपके बैंक ने तिमाही एनआरआई न्यूज़ लेटर 'एनआरआई संपर्क' प्रारम्भ किया है. यह न्यूज़ लेटर आपके बैंक के एनआरआई ग्राहक से तिमाही स्तर पर संपर्क साधने तथा एनआरआई से संबंधित विषयों पर उनको समाचार, अपडेट और संगत जानकारी देता है.

संरचित रिटेल परिसंपत्ति कारोबार

आपका बैंक उभरते संरचित रिटेल परिसंपत्ति के क्षेत्र में एक प्रभावी, प्रतिस्पर्धी और सबसे पसंदीदा बैंक के रूप में उभरा है. रिटेल ग्राहकों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने और संभावित रिटेल ग्राहकों के लिए बैंक ने प्रतिभूत और गैर-प्रतिभूत नवोन्मेषी योजनाओं की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत की है. इसके अलावा, शाखा नेटवर्क के बढ़ने से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और ग्राहकों का दायरा बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने संरचित रिटेल परिसंपत्ति उत्पादों का सरलीकरण कर इन्हें बाज़ार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाया है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में कई नये पहल कार्य आरंभ किये गये. ग्राहक ऑनलाइन माध्यम से आवास ऋण, शिक्षा ऋण, ऑटो ऋण और वैयक्तिक ऋण के लिए आवेदन कर सकें और उसके आवेदन की खोज-खबर रखने के उद्देश्य से आपके बैंक की वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है. आपके बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऋण पात्रता कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराया गया है. आपके बैंक ने फ्लैगशिप आवास ऋण उत्पाद में ग्राहकोन्मुखी उपाय के रूप में आकर्षक प्राइसिंग और प्रोसेसिंग शुल्क को घटाने /छूट देने और बही खाते को बढ़ाने के अतिरिक्त प्रयास के रूप में ऐसे वर्तमान ग्राहकों को घटी हुई ब्याज दरों का लाभ पहुंचाने के लिए जिन्होंने बैंक के अस्थिर दर होम लोन और प्रॉपर्टी पर ऋण व इसके विभिन्न रूपों के तहत सुविधाएं ली हुई हैं, मामूली प्रभार के साथ मौजूदा ब्याज दरें देने का निर्णय लिया है. इस योजना से बैंक के मूल्यवान ग्राहकों को ईएमआई में कमी और/अथवा ऋण की अवधि का लाभ मिलेगा. साथ ही, बैंक ने पोर्टफोलियो आकार में वृद्धि के लिए आवास ऋण के लिए शेष राशि अंतरण अभियान के साथ - साथ एक सीमित अवधि वाली पुरस्कार उन्मुख रेफरल योजना प्रारम्भ की है. प्रोत्साहन पे आउट देने के साथ कॉरपोरेट को पसंदीदा ऑफर और विशेष बिल्डर टाइ-अप योजना के अलावा आवास ऋण के लिए सरोगेट बैलेंस ट्रांसफर उत्पाद स्व-नियोजित व्यावसायिक और गैर -व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए भी प्रारम्भ किया गया है जहां ग्राहक के पुनर्भुगतान ट्रेक रेकॉर्ड के आधार पर ऋण खाते का अंतरण किया जाता है.

> आपके बैंक ने नई पीढ़ी के पूर्ण सेवा वाले वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्वयं को स्थापित करने की अपनी रणनीति को ध्यान में रखते हुए एक अधिक संतुलित कारोबार संमिश्र को सुसाध्य बनाने के लिए उत्तरोत्तर बृहत् खुदरा कारोबार पोर्टफोलियो के लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है.

छोटे उद्यमियों को सहायता देने के लिए आपका बैंक संपत्ति पर ऋण (एलएपी), प्राप्य किराया राशियों पर ऋण (एलएआरआर) और कारोबार आधारित एलएपी (इसके विभिन्न रूपों को शामिल करते हुये) पर न्यूनतम ब्याज दर ऑफर करता है जो ऐसे व्यवसाय उद्यमों को चल निधि उपलब्ध कराता है.

आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को लागू रखने के लिए समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडबल्यूएस) तथा निम्न आय समूह (एलआईजी) को वित्तीय

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

599
नए एटीएम
2013-14 में लगाए गए

2,301
एटीएम
मार्च 2014 अंत में

सहायता देने के पहल-कार्य में सहयोग देने के आशय से अपने रिटेल ग्राहकों के लिए अन्य के साथ-साथ सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं यथा; राजीव ऋण योजना (आरआरवाई), इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई), राजीव गांधी ग्रामीण निवास योजना (आरजीजीएनवाई) को चलाया हुआ है. आबादी के ईडबल्यूएस और एलआईजी वर्गों को वित्तीय सहायता देने हेतु आपके बैंक ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के साथ एक करार किया है और साथ ही क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड (सीआरजीएफ़) ट्रस्ट की सदस्यता भी ली है. सामाजिक रूप से सार्थक शिक्षा ऋण खंड में उत्प्रेरित उधार देने के क्रम में, बैंक ने इस खंड के विभिन्न घटकों के लिए आकर्षक और आवश्यकतानुरूप अन्य प्रबंधन कोटा विद्यार्थियों के लिए योजना, प्रीमियर शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए योजना, व्यावसायिक शिक्षा के लिए योजना और शिक्षा ऋण के लिए टेक-ओवर/शेष राशि अंतरण योजना को शामिल करते हुये कई योजनाओं को पेश किया है. आगामी दाखिला सत्र में मौजूद अवसरों का लाभ उठाने के लिए बैंक ने शिक्षा उत्पाद की डिजिटल मार्केटिंग भी आरंभ की है. आपके बैंक ने अपनी शैक्षणिक आशाओं को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग युवा और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता लेने में आ रही कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए पूर्वोपाय किए हैं. इनमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफ़डीसी), फ़रीदाबाद के साथ 40% व अधिक विकलांगता स्तर के विद्यार्थियों के लिए कुछ शर्तों एवं निबंधनों पर घटी हुई ब्याज दर पर छात्रों को शैक्षणिक ऋण देने में साझेदारी करना शामिल है.

ऑटो ऋण के क्षेत्र में जहां आपका बैंक अपनी मौजूदगी अधिक अर्थपूर्ण तरीके से दर्ज करने का प्रयास कर रहा है, उसमें कई आकर्षक योजनाएं जैसे साधारण दस्तावेज़ों और तेज़ी से ऋण प्रक्रिया सहित स्पीड ऑटो ऋण, बैंक के मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए ऑटो ऋण कॉम्बो ऑफर और चुने हुए कार ब्रांडों के लिए विशेष ऑटो ऋण जैसी योजनाएं आरंभ की गई. बैंक ने भारत भर में मुख्य वाहन निर्माताओं के साथ टाई-अप भी किया है. इन उपायों के कारण वर्ष के दौरान ऑटो ऋण क्षेत्र में 3.5 गुना की बढ़ोतरी हुई और 2014-15 में भी ऑटो ऋण में आई इस तेजी को बनाये रखने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं.

बैंक ने बाजार में अपने वैयक्तिक ऋण उत्पादों की स्वीकार्यता के लिए विभिन्न पहल कार्य किये हैं. पीएल उत्पादों के लिए ऋण पात्रता कैलक्युलेटर और ट्रैकिंग प्रणाली के साथ ऑनलाइन ऋण आवेदन आरंभ किया. वर्ष के दौरान अपने सभी ग्राहकों के लिए लगातार ईमेल पर अभियान चलाये गये.

वैकल्पिक चैनल तथा कार्ड्स

आपका बैंक अन्य बातों के साथ-साथ वैकल्पिक बैंकिंग चैनल जैसे कि एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग को भी लगातार मजबूत कर रहा है जिससे कि ग्राहकों की शाखा पर निर्भरता को कम किया जा सके तथा साथ ही उन्हें 24x7 सुविधाएं दी जा सके. बैंक के नजरिए से देखा जाए तो शाखा चैनल के मुकाबले लेन-देन लागत कम होने से यह एक किफ़ायती विकल्प है. 31 मार्च 2014 को आपके बैंक के एटीएम की कुल संख्या 2301 थी जिसमें पिछले वर्ष के स्तर के मुकाबले 599 की वृद्धि हुई. वैकल्पिक चैनल तथा व्यापारिक अधिग्रहण कारोबार बैंक की शुल्क आधारित आय को बढ़ाने में मदद करते हैं और साथ ही यह नए संबंध बनाने / वर्तमान संबंध प्रगाढ़ करने में भी सहायक हैं.

आपके बैंक ने अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाएँ अक्तूबर 2001 में शुरू की थीं. तब से इस चैनल के दायरे को लगातार बढ़ाते हुए इसमें विविध लेन-देन शामिल किए गए हैं जैसे खाते संबंधी पूछताछ, एफडी तथा आरडी खोलना, खाता विवरण, फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन टैक्स जमा करना, ऑनलाइन शॉपिंग / बिल भुगतान, कार्ड से कार्ड राशि का अंतरण, मोबाइल रीचार्ज, हवाई/ रेल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन आईपीओ एएसबीए(असबा), प्रतिभूतियों का ऑनलाइन कारोबार और डीमैट/ सरकारी बॉन्ड के परिचालन.

वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने ईएमवी चिप आधारित डेबिट कार्ड जारी करने का कार्य सफलतापूर्वक किया तथा आरबीआई के अधिदेश के अनुपालन में बिक्री बिंदु (पीओएस) पर पिन

को कार्यान्वित किया. इस वर्ष के दौरान आपके बैंक ने कॉरपोरेट प्रयोग के लिए वर्तमान गिफ्ट कार्ड की सुविधा व्यक्तिगत तौर पर 'थर्ड लाइन एम्बोसिंग' के आधार पर आरंभ की है. इस सुविधा के अंतर्गत कंपनियों के नाम गिफ्ट कार्ड पर थर्ड लाइन एम्बोसिंग के रूप में मुद्रित किए जाएंगे जिससे वैयक्तिक कार्ड प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी.

आपके बैंक ने त्योहारों के मौसम में अपने शाखा नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए प्री-पेड कार्ड उत्पादों की अधिकतम बिक्री की. बैंक के वर्ल्ड करेंसी कार्ड (डबल्यूसीसी) उत्पाद में कई आकर्षक विशेषताएँ जोड़ी गईं ताकि इसे अभिदाता के आधार को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके. विभिन्न विदेशी मुद्रा घटकों के लिए भारतीय रुपये में कार्ड शुल्क लगाया जाएगा; न्यूनतम प्रारम्भिक राशि को 500 अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा से तर्कसंगत बनाकर 200 अमरीकी डॉलर किया गया और यह एनआरआई और पीओआई ग्राहकों को जारी किया जा सकता है. आपके बैंक ने पीओएस लोकेशनों पर ख़रीदारी के लिए आईडीबीआई डेबिट कार्ड के उपयोग करने की आदत को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए. इसके लिए आपके बैंक ने 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान जारी किए गए नए डेबिट कार्डों के लिए कैश-बैक ऑफर आरंभ किया. आपके बैंक ने ई-कॉमर्स लेनदेनों को अधिक सुरक्षित बनाने के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में एकबारीय पासवर्ड (ओटीपी) द्वारा प्रमाणीकरण करना आरंभ किया जिसे बैंक के पास पंजीकृत कार्डधारक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. इसके परिणामस्वरूप, कार्डधारक के कार्ड के विवरण और एटीएम पिन को हासिल कर लेने पर भी धोखाकर्ता ई-कॉमर्स पंजीकरण/ पासवर्ड बदलने का कार्य पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी पासवर्ड को डाले बिना नहीं कर पाएगा.

ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ियों के प्रति जागरूक बनाने तथा इन्हें रोकने के लिए, ग्राहकों को समय-समय पर बैंक के सुरक्षा उपायों की जानकारी ई-मेल, एसएमएस और विवरणियों के माध्यम से दी जा रही है. लॉगिन से पहले सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग के लिए सावधानी बरतने संबंधी पृष्ठ भी प्रदर्शित किया जाता है. आपके बैंक की वेबसाइट पर नेट बैंकिंग का उपयोग करने हेतु सुरक्षा उपायों (क्या करें और क्या ना करें) को भी प्रदर्शित किया गया है. सभी चैनल लेनदेनों के लिए एसएमएस एलर्ट भेजे जाते हैं ताकि ग्राहकों को इनकी जानकारी रहे तथा संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके.

ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ियों के प्रति जागरूक बनाने तथा इन्हें रोकने के लिए, ग्राहकों को समय-समय पर बैंक के सुरक्षा उपायों की जानकारी ई-मेल, एसएमएस और विवरणियों के माध्यम से दी जा रही है.

टीपीडी तथा पूंजी बाजार उत्पाद

आपका बैंक अपने ग्राहकों के वित्तीय लक्ष्यों तथा जोखिम रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए उन्हें मूल्यवर्धित सेवाएं पहुँचाने का लगातार प्रयास कर रहा है. ग्राहकों को उनके निवेश की जरूरत के अनुसार विविध वित्तीय उत्पादों का एक बढ़िया समूह पेश करने के लिए आपके बैंक ने आईडीबीआई म्यूचुअल फंड सहित 35 से अधिक आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के साथ गठजोड़ किया किया है. आपका बैंक नियत आय प्रतिभूतियों जैसे कि कैपिटल गेन बॉन्ड, भारत सरकार के बॉन्ड, विविध कर मुक्त तथा कर बचत बॉन्ड आदि का वितरक भी है. आपका बैंक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में नई पेंशन योजना (एनपीएस) में उपस्थिति बिंदु (पीओपी) के रूप में पंजीकृत है. आपका बैंक 'कॉरपोरेट के लिए एनपीएस मॉड्यूल' जारी करने के लिए पूरी तैयारी की स्थिति में है जिसे कुछ समय पहले ही पीएफआरडीए ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए जारी किया है जिससे कि वे अपने कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दे सकें. आपके बैंक ने अपने शाखा नेटवर्क के जरिये आरबीआई द्वारा जारी किए गए इनफ्लेशन इंडेक्सेड नेशनल सेविंग सेक्युरिटीज- क्यूमुलेटिव (आईआईएनएसएस-सी) के वितरण में सक्रिय भूमिका निभाई है.

ग्राहकों की निवेश तथा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जरिये विविध ग्राहक वर्गों को जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई है. आपका बैंक बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. का एक कॉरपोरेट एजेंट

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

8.79 लाख
बीएसबीडी खाते 31 मार्च 2014 को

32 लाख
मार्च 2014 अंत तक आधार के अंतर्गत नामांकन

है जो कि 'गैर-जीवन' बीमा उत्पादों के साथ परिसंपत्ति, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की पेशकश भी करता है.

वित्तीय समावेशन

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से वित्तीय समावेशन को तेज करते हुए भारत में समावेशी विकास के मिशन को ज़ोरशोर से प्रारंभ किया है. इसे सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के कमजोर और कम आय वाले समूहों जैसे अति संवेदनशील समूहों की जरूरत के अनुसार उन्हें किफ़ायती लागत और उचित तथा पारदर्शी तरीके से उपयुक्त वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्राप्त हो सकें. आपका बैंक इस महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य हेतु राष्ट्र की इस पहल को पूरे उत्साह से समर्थन देता है.

वित्तीय समावेशन योजना (एफ़आईपी) 2013-16

पूर्ववर्ती त्रिवर्षीय वित्तीय समावेशी योजना (एफ़आईपी) 2010-13 की समाप्ति पर रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि 2013-16 की तीन वर्षीय अवधि के लिए एक नई वित्तीय समावेशी योजना तैयार की जाए ताकि समाज के वंचित वर्ग तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जारी रखा जा सके. बैंक के बोर्ड ने बैंकरहित और कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तीन वर्षीय कार्य योजना (2013-16) अनुमोदित की है जिसमें राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा आपके बैंक को कारोबार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए आबंटित गाँवों के आधार पर 2000 से अधिक की आबादी के गाँवों में 340 बैंकिंग आउटलेट और 2000 से कम की आबादी वाले गांवों में 1,500 बैंकिंग आउटलेट बनाने की परिकल्पना की गई है. एफआईपी 2013-16 के दौरान मार्च 2016 की समाप्ति तक 382 ग्रामीण शाखाएं खोलने की परिकल्पना की गई है जिनमें से 262 बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में होंगी तथा 767 कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

चालू वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 183 बीसी नेटवर्क, 164 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और 62 वास्तविक शाखाओं द्वारा 785 गांवों को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल किया है. वर्ष के दौरान बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गई 103 शाखाओं में से 47 शाखाएँ एसएलबीसी द्वारा वित्तीय समावेशन (एफ़आई) के लिए आपके बैंक को आबंटित गांवों में स्थित हैं.

इसके अतिरिक्त शहरी वित्तीय समावेशन के अधीन बैंक की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने चंद्रपुर, महाराष्ट्र के चार और शहरी बैंकरहित स्थानों के निवासियों के लिए आधारभूत बैंकिंग सुविधाएं शुरूकर उन्हें औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाने का कार्य भी किया है.

आपके बैंक की वित्तीय समावेशन योजना कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के जरिए सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित स्मार्ट कार्ड के उपयोग से, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), वेब आधारित किओस्क बैंकिंग सोल्यूशन और शाखाओं के जरिये लागू की गई है.

वित्तीय समावेशन के तहत प्रस्तुत उत्पाद

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत 31 मार्च 2014 के अंत तक आपके बैंक ने 8.79 लाख साधारण बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले जिनमें से 1.78 लाख खाते कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के तहत शामिल हैं. आपके बैंक ने रियायती शर्तों पर कई अन्य उत्पाद जैसेः शिक्षा ऋण, सावधि जमा, आवर्ती जमा, अति लघु बीमा उत्पाद जिसे 'ग्रामीण सुरक्षा' के नाम से जाना जाता है तथा ग्राहकों की सुविधा के अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा आदि भी ऑफर किए.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने की कुंजी माना जाता है तथा यह नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरी है. इसके महत्व को समझते हुए आपके बैंक ने ग्रामीण शाखाओं के आसपास आईडीबीआई वित्तीय साक्षरता जानकारी केंद्रों (आईवीएसजेके) की स्थापना की है. इन केन्द्रों ने साक्षरता कैंपों के माध्यम से मुद्रा प्रबंधन, बचत का महत्व, बैंकों में बचत करने के लाभ, बैंकों

द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं तथा बैंक से उधार लेने के फायदे जैसे अनेक विषयों पर आने वाले ग्राहकों सहित समुदाय के अन्य लोगों के बीच जागरूकता फैलाई. वर्ष के दौरान आपके बैंक की ग्रामीण शाखाओं ने शाखा से बाहर ऐसे 500 से अधिक साक्षरता कैंप आयोजित किए तथा इस प्रक्रिया में 11,000 से अधिक ग्रामवासियों को शिक्षित किया गया.

शाखाओं द्वारा ग्रामीण स्थलों पर आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में स्कूलों में छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम तथा शाखा में चल रहे विभिन्न बैंकिंग क्रियाकलापों को देखने के लिए जनजाति समूह के सदस्यों के लिए आयोजित साक्षरता कार्यक्रम शामिल थे. कुछ वित्तीय साक्षरता कैंपों में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. इन ग्रामीण लांच कार्यक्रमों से पहले जागरूकता अभियान चलाए गए जिसमें ग्राम के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर/बैनर लगाए गए थे. इसके अलावा, बैंक के कर्मचारी नियमित रूप से प्रमुख ग्रामवासियों से मिलकर उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की वित्तीय समावेशन के पहल के विषय में जागरूक बनाते हैं. इसके अतिरिक्त, ग्राम के युवकों को रोजगार आधारित फील्ड प्रशिक्षण देने के लिए आपके बैंक ने सातारा, महाराष्ट्र में ग्रामीण स्व-नियोजन प्रशिक्षण केंद्र (आर-एसईटीआई) स्थापित किया है. वर्ष के दौरान 23 कार्यक्रम संचालित किए गए तथा 507 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया.

शहरी वित्तीय समावेशन तथा मनरेगा (एमएनआरईजीए) मजदूरी का वितरण

शहरी वित्तीय समावेशन की पहुँच को बढ़ाने तथा सुविधाओं के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के सरकारी उद्देश्य में तेजी लाने के लिए आपके बैंक ने रायपुर नगर निगम से प्राप्त अधिदेश के अनुसार स्मार्ट कार्ड के माध्यम से रायपुर, छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण को 22,000 उम्रदराज पेंशनभोगियों के बीच जारी रखा. आपके बैंक ने छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में मनरेगा मजदूरी के वितरण को भी जारी रखा है. इस पहल से लगभग 192 ग्राम पंचायतों में लगभग एक लाख लोगों को लाभ पहुंचा है. 31 मार्च 2014 तक की स्थिति के अनुसार आपके बैंक द्वारा लाभार्थियों के 60,796 खाते खोले गए हैं.

आधार नामांकन

आपका बैंक आधार नामांकन करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ पंजीकृत है. अब तक आपके बैंक ने 10 राज्यों में डीबीटी जिलों के 16.8 लाख नामांकन समेत 32 लाख निवासियों का नामांकन किया है. आपके बैंक ने 2014-15 में आधार नामांकन के लिए चार और राज्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है.

> शाखाओं द्वारा ग्रामीण स्थलों पर आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में स्कूलों में छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम तथा शाखा में चल रहे विभिन्न बैंकिंग क्रियाकलापों को देखने के लिए जनजाति समूह के सदस्यों के लिए आयोजित साक्षरता कार्यक्रम शामिल थे.

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/ एलपीजी योजना के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा 121 जिलों में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) में सक्रिय रूप से भाग लिया. इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के लाभ/सब्सिडी जैसे स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा योजना, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आदि को आधार नंबर से जुड़े लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरण करना है. इस योजना के तहत बैंकों को हिताधिकारियों का खाता खोलकर उनकी खाता संख्या को आधार संख्या से जोड़कर हिताधिकारियों को पर्याप्त संख्या में पहुंच बिंदु (शाखा/एटीएम) उपलब्ध कराना है जिससे हिताधिकारी नकदी का आहरण कर सकें.

आपका बैंक 24 राज्यों में इन 121 जिलों में से 97 जिलों में अपनी 328 रिटेल शाखाओं के ज़रिए उपस्थित है. आपके बैंक ने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन शाखाओं में ऑन-साइट एटीएम लगाये हैं.

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

14,115
खाते डीबीटी/डीबीटीएल योजना के अंतर्गत खोले गए.

₹38 करोड़
डीबीटी/डीबीटीएल सब्सिडी इन खातों के माध्यम से प्रदान की गई.

इन जिलों में आपके बैंक को 325 गांव आबंटित किए गए हैं जिनमें बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थात् शाखा/एटीएम/बीसी की सुविधाएं उपलब्ध हैं.

सरकार ने 1 जून 2013 से 1 जनवरी 2014 तक विभिन्न चरणों में 291 जिलों में एलपीजी ग्राहकों के लिए डीबीटी योजना की शुरुआत की है जिसे डीबीटीएल के नाम से जाना जाता है. 291 जिलों में से आपका बैंक 248 जिलों (20 राज्यों में) में अपनी ऑन-साइट एटीएम वाली 839 रिटेल शाखाओं के साथ उपस्थित है.

डीबीटी/डीबीटीएल के तहत उन सभी हिताधिकारियों के खाते खोले गए हैं जिनकी जानकारी अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम)/सरकारी प्राधिकारियों से मिली है. जिला प्राधिकारियों/एलडीएम द्वारा दिए गए आधार नंबर के साथ हिताधिकारियों की सूची के संदर्भ में आधार नंबर से जोड़ने का शत-प्रतिशत कार्य हो गया है. इसके अलावा, आधार नंबर के साथ सभी खातों को एनपीसीआई मैपर पर मैप किया गया है. आपका बैंक यह सुनिश्चित करता है कि एनपीसीआई मैपर पर आधार नंबरों की जानकारी रोजाना अपलोड की जाए. 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 5.2 लाख आधार नंबर अपलोड हो चुके हैं. सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शाखाएँ सेवा क्षेत्र के हिताधिकारियों की सूची प्राप्त करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे लाभार्थी जिनके खाते नहीं हैं, उनके खाते खोले जाएँ; लीड बैंक के लीड जिला प्रबन्धक (एलडीएम) के साथ लगातार संपर्क में रहती हैं. किसी भी योजना के तहत खोले गए सभी योग्य खाताधारकों को एटीएम डेबिट कार्ड दिया जाता है. इसके अलावा कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के ग्राहकों को अधिप्रमाणन तथा पीओएस मशीन से लेनदेन के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है.

आपके बैंक ने जिला प्राधिकारियों द्वारा सूचित किए गए सभी हिताधिकारियों के आधार नंबर सृजित करने के लिए कैंप आधारित दृष्टिकोण अपनाया है. आपके बैंक ने आम जनता को डीबीटी/डीबीटीएल के महत्व के विषय में जागरूक करने तथा बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं. इसमें शाखा परिसर तथा ऑफ-साइट एटीएम पर बैनर लगाना शामिल है. डीबीटी/डीटीबीएल के अंतर्गत हिताधिकारियों को खाता खोलने तथा खाते को आधार नंबर से जोड़ने में विशेष प्राथमिकता दी जाती है. शाखाओं ने व्यक्तिगत संपर्क/पत्रों के माध्यम से हिताधिकारियों से सीधे संपर्क किया है. ग्राहकों को अपने खाते के साथ आधार नंबर जोड़ने के लिए एसएमएस तथा ई-मेल भेजे गए हैं. बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी ग्राहकों से उनके खाते को आधार नंबर से जोड़ने का अनुरोध रहता है. आपके बैंक की वेबसाइट पर भी खाते को आधार नंबर से जोड़े जाने का बैनर प्रदर्शित किया गया है. आधार नंबर जोड़ने के लिए शाखाओं में प्राप्त लिखित अनुरोधों को स्वीकार करने के साथ-साथ आधार नंबर जोड़ने के अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु अन्य वैकल्पिक चैनलों अर्थात् एसएमएस, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग का भी उपयोग किया जा रहा है.

31 मार्च 2014 तक आपके बैंक ने एलडीएम द्वारा सूचित डीबीटी/डीबीटीएल के तहत 14,115 हिताधिकारियों के खाते खोले हैं. 13,458 हिताधिकारियों के आधार नंबर उनके खाते से जोड़े जा चुके हैं. आपके बैंक के ग्राहकों के खाते के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी सहित कुल ₹ 38 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई.

वित्तीय समावेशन के तहत प्रौद्योगिकीय पहल कार्य

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकीय कदम उठाए हैं. इनमें निम्न शामिल हैं:

(i) वित्तीय समावेशन गेटवे (एफ़आईजी) तथा केन्द्रीय अधिप्रमाणन सर्वर (सीएएस)की स्थापना, जो आपके बैंक में अंतर-परिचालन की सुविधा प्रदान करता है.

(ii) आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) तथा राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) का एकीकरण, जो आधार पर आधारित तथा आधार से इतर लेनदेन की प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है. इसके अलावा एनपीसीआई तथा स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग

(एसटीपी) के साथ होस्ट टू होस्ट संपर्क ने पूरी भुगतान प्रक्रिया को स्वचालित बना दिया है.

(iii) भुगतान सिस्टमों जैसेः आरटीजीएस, एनईएफटी तथा निधि अंतरण का सेंट्रल प्लान एंड मॉनिटरिंग सिस्टम(सीपीएसएमएस) के साथ एकीकरण करना जो सरकारी व्ययों से संबंधित विभिन्न प्रकार के एमआईएस के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा तथा एक सुरक्षित नेटवर्क पर भुगतान फाइलों के निर्बाध प्रेषण को सक्षम बनाएगा.

(iv) आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस-ऑन-यूएस) की शुरुआत, जो आपके बैंक के ग्राहकों को यूआईडीएआई की आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है.

(v) विभिन्न चैनल जैसे- शाखा, एसएमएस, एटीएम तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त खातों को आधार संख्या से जोड़े जाने के अनुरोधों का सत्यापन करने के लिए रिमोट आधार सीडिंग फ्रेमवर्क (आरएएसएफ़)तथा वरहोफ एल्गोरिथ्म की शुरुआत करना. यह बैंक को ग्राहकों के बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ने के लिए ग्राहक की पहचान तथा आधार नंबर की सत्यता पुष्ट करने के लिए सक्षम बनाती है.

आपके बैंक ने जनवरी 2014 में कियोस्क बैंकिंग सोल्यूशन की शुरुआत की है जो बैंकिंग सेवाओं के ऑनलाइन वेब इनेबल्ड बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन की सुविधा प्रदान करता है. यह आपके बैंक की ग्रामीण जनता को अधिक प्रभावशाली रूप से मुख्य बैंकिंग धारा में लाने में मदद करेगा. वर्तमान में, आपके बैंक ने सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)/ ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) को कारोबार प्रतिनिधि एजेंट (बीसीए) के रूप में नियुक्त किया है जिनकी निगरानी सीएससी ई- गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड करती है, जो कि इसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनी (एसपीवी) है. इसकी स्थापना भारत सरकार के विद्युत तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने की है.

प्राथमिकता-प्राप्त समूह

आपका बैंक एक सजग कारोबारी रणनीति और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. आपके बैंक के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) कारोबार में कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), आवास तथा स्व-नियोजित व्यावसायिक और शिक्षा आते हैं. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र कारोबार के प्रमुख खंड कृषि तथा एमएसई पर ध्यान देने के लिए पूर्व के कृषि तथा एमएसई वर्टिकल का पुनर्नियोजन कर अलग से एक कारोबार वर्टिकल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र समूह गठित किया गया.

> आपके बैंक में पीएसएल प्रस्तावों की शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए छह समर्पित प्रोसेसिंग केंद्र तथा 44 अलग शाखाएँ हैं जिनमें प्रशिक्षित स्टाफ हैं. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक की देश भर में सभी रिटेल शाखाएँ एमएसएमई तथा कृषि-ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में सक्षम हैं.

आपके बैंक में पीएसएल प्रस्तावों की शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए छह समर्पित प्रोसेसिंग केंद्र तथा 44 अलग शाखाएँ हैं जिनमें प्रशिक्षित स्टाफ है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक की देश भर में सभी रिटेल शाखाएँ एमएसएमई तथा कृषि-ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में सक्षम हैं.

आपका बैंक देश के आर्थिक विकास में कृषि तथा एमएसएमई क्षेत्र के अति निर्णायक महत्व को समझता है. इस दिशा में आपके बैंक ने एक समर्थक की भूमिका निभाते हुए विभिन्न कृषि तथा एमएसई समूहों में कृषि तथा एमएसएमई घटकों में उनके लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सेवाओं तथा सुविधाओं के विषय में उन्हें शिक्षित तथा जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित कीं. साथ ही, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने इस क्षेत्र की विभिन्न सम्मेलनों, व्यापार मेलों तथा विकासकारी गतिविधियों में भाग लिया.

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

23
प्रशिक्षण कार्यक्रम आईडीबीआई-आरएसईटीआई द्वारा

62
सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को मीयादी ऋण सुविधायें उपलब्ध कराई

कृषि ऋण में सीधे कृषकों अथवा कृषकों के समूह को, कॉरपोरेट अथवा कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग में लगे कोऑपरेटिव तथा कृषि क्षेत्र को समर्थन देने वाली संस्थाओं को ऋण देना शामिल है. देश भर में कृषि कारोबार के लिए आपके बैंक के पास अधिकारियों की एक समर्पित टीम है जो कृषि करने वाले समुदाय को कृषि उत्पादकता तथा हमारी ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ज्ञान आधारित क्रेडिट देती है.

आपका बैंक किसानों तक सीधे पहुँचने के अलावा, अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचने और विशाखित पोर्टफोलियो को बनाने के उद्देश्य से कृषि कारोबार में लगे कॉरपोरेट तथा सहकारी समितियों के साथ गठबंधनों के माध्यम से कृषि ऋण पर ध्यान दे रहा है.

आपके बैंक ने खरीफ तथा रबी के मौसम में कृषि कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अभियान चलाया. ऐसी पहलों से आपके बैंक को आनेवाले वर्षों में अपना खुदरा ग्राहक आधार और कारोबार बढ़ाने में सहायता मिल सकेगी.

देश के सुदूरतम भाग तक पहुँचने के लिए आपके बैंक ने देश भर में 15 कारोबार प्रतिनिधि/कारोबार सुविधाकर्ता (बीसीबीएफ) नियुक्त किए हैं. आपके बैंक ने पीएसएल कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं में व्यक्तिगत कारोबार प्रतिनिधियों को नियुक्त करना भी शुरू किया है.

सभी मौजूदा केसीसी के एटीएम समर्थित डेबिट कार्ड में परिवर्तन संबंधी वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने रूपे प्लेटफार्म पर केसीसी एटीएम सह डेबिट कार्ड की शुरुआत की जो सभी मौजूदा केसीसी धारकों को जारी किया गया है/भविष्य में पात्र होने वाले नए केसीसी धारकों को जारी किया जाएगा.

आपके बैंक ने अपनी ग्रामीण शाखाओं के अंतर्गत आने वाले गांवों में कृषक क्लब के गठन को प्रोत्साहित करना जारी रखा है. बैंक कृषक क्लब के सदस्यों को बुनियादी स्तर के वास्तविक कृषिवर्धक कर्मी मानता है तथा ऐसे सभी कार्यों में उन्हें सहयोग देता है जिनमें सह-कृषकों के साथ उनकी जानकारी बांटी जाती हो. कृषकों तथा अन्य कृषि मध्यवर्तियों के साथ बैंक का संबंध देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए विविध एग्री एक्स्पो, किसान मेला तथा लोन मेला के माध्यम से बढ़ा है.

आपके बैंक ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में आईडीबीआई ग्रामीण स्व-नियोजन प्रशिक्षण केंद्र (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) की स्थापना की है. यह केंद्र जिले में ग्रामीण बेरोजगार युवकों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण देता है. वर्तमान वर्ष के दौरान आईडीबीआई-आरएसईटीआई ने 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जिनमें 507 उम्मीदवारों ने भाग लिया. केंद्र से प्रशिक्षित लोगों में से बड़ी संख्या में सहभागियों ने अपने खुद के उद्यम शुरू किए हैं तथा उन्हें सफलता पूर्वक चला रहे हैं. आपका बैंक ऐसे युवाओं को भी ऋण की सुविधा प्रदान करता है.

देश के आर्थिक विकास में एमएसई क्षेत्र के महत्व को समझते हुए एमएसई को आपके बैंक की कारोबार रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गयी है तथा आपके बैंक ने इस क्षेत्र में कारोबार की वृद्धि के लिए अपना पूरा ध्यान देना जारी रखा है. इस रणनीति के कार्यान्वयन के लिए किए गए पहल कार्यों में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पाँच विशेषीकृत एमएसई शाखाएँ खोलना, एमएसई के लिए समपार्श्विक प्रतिभूतियों की उपलब्धता और बाह्य साख निर्धारण से जुड़ी रियायतों सहित पृथक् ब्याज दर ढांचे की शुरुआत, अग्रणी साख निर्धारण एजेंसियों जैसे केयर, क्रिसिल और एसएमईआरए के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना शामिल है जिससे एमएसई कम लागत पर बाह्य साख निर्धारण प्राप्त कर सकें.

आईडीबीआई बैंक पूरे देश में एमएसई की संख्या को बढ़ाने के इरादे से इन इकाइयों की संपूर्ण ऋण आवश्यकताओं के लिए एक ही जगह समाधान उपलब्ध कराना चाहता है. इस व्यवस्था को अनुमोदन मिल गया है और कुछ ही दिनों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे.

आपका बैंक कृषि तथा एमएसई क्षेत्रों को खाद्य क्षेत्र, उद्योग तथा सेवाओं में उनके विकास के लिए नवोन्मेषी तथा प्रयोक्ता-अनुकूल उत्पाद तथा सेवाएँ देने के लिए प्रतिबद्ध है. एमएसई के लिए

ऐसा ही एक उत्पाद है वेंडर बिल भुनाई उत्पाद जो बड़े कॉरपोरेटों के वेंडरों को उन्हें प्राप्य राशियों की तत्काल वसूली से निधि उपलब्ध कराता है. इस उत्पाद ने एमएसई के लिए अनुकूल मुख्य विशेषताओं जैसे बहुत अल्प टीएटी और न्यूनतम दस्तावेजीकरण के कारण बाज़ार में अपना स्थान बना लिया है.

पीएसएल के अंतर्गत अपने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने एमएसई और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में संगठित समूहों में अपनी मौजूदगी और प्रभावी पैठ बना ली है. केन्द्रीकृत रवैये और प्रभावी पैठ को बनाने के उद्देश्य से कुछ विशेष घटकों में कुछ समूहों का अध्ययन किया गया. इस अध्ययन के आधार पर चावल, दाल और पोहा मिल और साबुदाना, गरी प्रक्रियाओं के लिए राज्य विशेष कृषि समूह योजनाएँ आरंभ की गयीं जिन्हें बाजार में अच्छा प्रतिसाद मिला.

आपका बैंक एमएसई क्षेत्रों पर लगातार कार्य कर रहा है और इसके लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर नवोन्मेषी उत्पाद उपलब्ध करा रहा है. इस दिशा में आपके बैंक ने आईडीबीआई उद्यमी ऋण आरंभ किया जो विनिर्माताओं के लिए एक सरलीकृत उत्पाद है और 'व्यावसायिकों और स्वरोजगारों' के लिए वर्तमान उत्पाद की विशेषताओं में भी संशोधन किया है.

कॉरपोरेट कार्यालय/ अंचल कार्यालय में एमएसई पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य रुग्ण और अर्थक्षम इकाइयों का अभिनिर्धारण करना और उनके पुनर्वास की प्रगति पर निगरानी रखना है.

आपका बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को सक्रियता से ऋण दे रहा है जिससे निर्धन वर्ग को उधार मिल सके. आपका बैंक अंतिम उधारकर्ताओं को उनकी ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अप्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध करा रहा है जो कि एमएफआई ऋण के द्वारा उनके जीवन के स्तर को सुधारेगी. यथा 31 मार्च 2014 को आईडीबीआई बैंक ने पूरे देश में 62 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को मीयादी ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. आपके बैंक ने देश के मुख्य शहरों में मौजूद लगभग सभी मुख्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराया है. सूक्ष्म वित्त उन उद्यमियों और छोटे कारोबारों को, जिन्हें बैंकिंग और संबंधित सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं, उन्हें वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने का स्त्रोत है.

अतः आपका बैंक गुणात्मक, सुदृढ़ तथा आपके बैंक की सभी शाखाओं तथा खंडों के साथ अनवरत पीएसएल पोर्टफोलियो बनाने के पथ पर अग्रसर है.

> पीएसएल के अंतर्गत अपने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये आपके बैंक ने एमएसई और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में संगठित समूहों में अपनी मौजूदगी और प्रभावी पैठ बना ली है.

कॉरपोरेट वित्त

वर्ष 2012-13 के दौरान की गई आपके बैंक की संगठनात्मक पुनर्संरचना के परिणाम स्वरूप कॉरपोरेट बैंकिंग समूह (सीबीजी) वर्तमान में सभी कॉरपोरेट ग्राहकों के 5 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है. व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सीबीजी को सात क्षेत्रों में गठित किया गया है जो 25 शहरों में अपनी मौजूदगी के साथ 29 विशेषीकृत कॉरपोरेट शाखाओं (एससीबी) के माध्यम से कार्य कर रहा है.

सीबीजी मौजूदा कॉरपोरेट ग्राहकों के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने और उन्हें मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उन कंपनियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु विभिन्न अवसरों की तलाश करता है जो वर्तमान में बैंक के पास नहीं हैं. सीबीजी अपने बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार परिसंपत्ति व देयताओं के लिए तैयार किए गए उत्पादों की पेशकश करता है जो आपके बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों की जरूरतों पर निर्भर करते हैं. इसके अलावा सीबीजी कॉरपोरेटों के डीलरों / विक्रेताओं के लिए चैनल व विक्रेता वित्तपोषण जैसे उत्पादों की पेशकश कर प्राथमिकता-प्राप्त प्राप्त क्षेत्र के ग्राहकों को उधार (पीएसएल) पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है.

वर्ष 2013-14 के दौरान सीबीजी ने संकेंद्रित जोखिम से बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने और अपने

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

1 ला ऋणदाता
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की दीर्घावधि परिचालन-रखरखाव-अंतरण (ओएमटी) परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु

124
ऋण समूहन अधिदेश सात वर्षों में

कॉरपोरेट ग्राहकों से अधिक गैर-निधि व्यवसाय / शुल्क आधारित आय प्राप्त करने की रणनीति अपनाई है. सीबीजी अन्य गतिविधियों के साथ-साथ सक्रिय रूप से व्यापार वित्त, सरकारी कारोबार, नकद प्रबंधन सेवाओं, वेतन खातों और ट्रेज़री सेवाओं की परस्पर बिक्री से मौजूदा ग्राहकों के साथ दूसरी सेवाओं में रिश्तों को गहरा करने में लगा है.

आपके बैंक के ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय और साथ ही शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा दल (सीएसटी) का गठन किया गया है जिनमें विभिन्न उत्पाद वर्टिकलों के सदस्यों को शामिल किया गया है.

आपका बैंक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत वस्त्र उद्योग (गैर-एमएसई क्षेत्र) के लिए नोडल एजेंसी है . इस योजना के तहत एक नोडल बैंक के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर अपने बैंक के ग्राहकों से संबंधित मामलों की प्रोसेसिंग के अलावा आपके बैंक को 61 प्रमुख ऋणदात्री संस्थाओं में शामिल किया गया है जिनमें वाणिज्यिक बैंक, एआईएफ़आई, राज्य वित्त निगम, एसआईडीसी और सहकारी बैंक शामिल हैं - ये सब नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं. सरकार ने हाल ही में 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक प्रभावी 'संशोधित पुनर्संरचित टीयूएफएस (आरआरटीयूएफ़एस)' के रूप में इस योजना को फिर से शुरू किया है.

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी किए गए हाल के परिपत्र के अनुसार आपका बैंक भी 'चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना, 2014' के तहत चीनी मिलों को ऋण देता है.

अर्थव्यवस्था द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों का परिणाम विभिन्न स्तर पर कॉरपोरेट खातों की वित्तीय स्थिति और संभावनाओं पर पड़ा है. इन ग्राहकों के समक्ष आ रहे मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान उनके कार्यनिष्पादन या समस्या के समाधान की सूक्ष्मता से निगरानी के लिए फोकस्ड एसेट मैनेजमेंट ग्रुप नामक एक समर्पित समूह बनाया है, जिसने इन परिसंपत्तियों के प्रबंधन में प्रभावी रूप से बैंक की मदद की है.

बुनियादी क्षेत्र को वित्त

आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों जैसे बिजली, दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डों, शहरी बुनियादी ढांचों, लॉजिस्टिक्स, निर्माण/ संविदागत कार्यों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सहायता करने में अग्रणी रहा है.

आपके बैंक का इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल देश में कुल सात रणनीतिक रूप से स्थित शाखाओं और दुबई में स्थित एक विदेशी शाखा के माध्यम से प्रभावी रूप से इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र को ऋण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध करा रहा है. बैंक के कॉरपोरेट केंद्र में स्थित एक परियोजना मूल्यांकन टीम की मदद से यह वर्टिकल बुनियादी संरचना के विकास से जुड़े ग्राहकों को आदि से अंत के समाधान ऑफर कर रहा है.

वर्टिकल के तहत आपके बैंक के पोर्टफोलियो में 50,000 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता की बिजली परियोजनाएं, 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा दे रहे दूरसंचार सेवाप्रदाता, 7,000 किमी से अधिक की राजमार्ग परियोजनाएं, 50 एमटीपीए कार्गो क्षमता के नए बंदरगाह, 5 लाख उपभोक्ताओं के आधार को सेवा देने में लगी बिजली वितरण कंपनियां, मुंबई में मेट्रो परियोजना, शहरी बुनियादी संरचना, लॉजिस्टिक्स और एसईजेड क्षेत्रों में असंख्य परियोजनाओं के अलावा सभी तीन निजी क्षेत्र द्वारा संचालित देश के बड़े हवाई अड्डे शामिल हैं.

वर्ष के दौरान आपका बैंक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परिचालन-रखरखाव-अंतरण (ओएमटी) परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु एनएचएआई की चुने हुए 1,800 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के 275 किमी पर फैले खंड का सबसे पहला ऋणदाता बन गया.

बुनियादी संरचना क्षेत्रों की परियोजनाओं को कार्यान्वयन स्तर पर प्रभावित करनेवाली मंदी से ग्रसित अर्थव्यवस्था के बावजूद आपके बैंक ने उनका साथ देते हुए अतिरिक्त प्रयासों द्वारा उनकी कठिन जरूरतों के चलते पुनर्वित्त, पुनर्गठन, प्रतिभूतिकरण के जरिए उन्हें सहायता प्रदान की. आपका बैंक विभिन्न विभागों / मंत्रालयों को महत्वपूर्ण जानकारी देकर इस क्षेत्र के उच्च विकास हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों में शामिल रहा है.

ऋण समूहन, सरंचनागत एवं सलाहकारी सेवाएं

आपका बैंक बुनियादी व विनिर्माण क्षेत्र के कॉरपोरेटों को ऋण समूहन, संरचनागत व सलाहकारी सेवाएं देने में सक्रिय रहा है. आपका बैंक भारत और समग्र एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख ऋण समूहनकर्ता के रूप में हमेशा ही जाना जाता रहा है. आपके बैंक ने पिछले सात वर्षों में लगभग ₹ 2.5 लाख करोड़ से अधिक के 124 ऋण समूहन अधिदेश पूरे किए हैं.

आपके बैंक ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पर्यावरण बैंकिंग के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभायी है और पिछले दो दशकों से इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है. विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा आपका बैंक क्योटो प्रोटोकॉल तथा स्वैच्छिक उत्सर्जन न्यूनीकरण (वीईआर) के अंतर्गत स्वच्छता विकास व्यवस्था (सीडीएम)/ कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहा है. आपका बैंक पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न बहुपक्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान निधियों के संवितरण को सुगम बनाने के लिए विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ मिलकर से वित्तीय एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है. क्लोरोफ़्लोरो कार्बन (सीएफसी) तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड (सीटीसी) और अन्य रसायनों के उत्पादन और प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए मांट्रियल प्रोटोकॉल (एमपी) की अपेक्षाओं के तहत 1994 से पृथ्वी को प्रभावित करनेवाली ओज़ोन डिप्लीटिंग सबस्टैंस (ओडीएस) फेज-आउट परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. हेलोन और सीएफएस के क्रमिक समापन हेतु आपका बैंक पहले भी ओडीएस I, II और III परियोजनाओं में सहभागी रहा है जो सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं. कार्बन टेट्रा क्लोराइड (सीटीसी) के उत्पादन और प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए वर्तमान में कार्बन टेट्रा क्लोराइड (सीटीसी) सेक्टर प्लान कार्यान्वयन परियोजना- ओडीएस IV कार्यान्वयन के अधीन है. यह परियोजना जुलाई 2014 तक पूरी हो जाएगी. वित्तीय एजेंसी के रूप में ओडीएस IV परियोजनाओं के अंतर्गत 38.10 मिलियन अमरीकी डालर की कुल मंजूर अनुदान राशि में से आपके बैंक ने संचयी रूप से 37.28 मिलियन की राशि संवितरित की है, इसमें उत्पादन क्षेत्र के पांच लाभार्थियों को 28.5 मिलियन अमरीकी डॉलर, उपभोक्ता क्षेत्र के 29 लाभार्थियों को 7.41 मिलियन अमरीकी डॉलर और तकनीकी सहायता घटक के अंतर्गत परियोजना प्रबंध यूनिट ऑफ ओज़ोन सेल, एमओईएफ को 1.37 अमरीकी डॉलर की राशि शामिल है.

> आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों जैसे बिजली, दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डों, शहरी बुनियादी ढांचों, लॉजिस्टिक्स, निर्माण/ संविदागत कार्यों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सहायता करने में अग्रणी रहा है.

आपका बैंक चिलर क्षेत्र में ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस (ओडीएस) को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए तैयार की गई अनूठी परियोजना 'भारत में चिलर ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजना' (आईसीईईपी) के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईई) और वित्तीय मध्यवर्ती के रूप में कार्य कर रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा पुराने सीएफसी चिलर को नए गैर-सीएफसी ऊर्जा कुशल चिलरों से बदलना है. आईसीईईपी की कुल मूल निधि 7.3 मिलियन अमरीकी डालर है और इसे ग्लोबल एनवायरनमेंट सुविधा (ईईएफ) तथा ओजोन ट्रस्ट फंड (ओटीएफ) द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं. 26 अगस्त 2009 के अनुदान करार के अनुसार परियोजना की अवधि 30 जून 2014 को समाप्त हो जाएगी.

अभी तक आपके बैंक ने 59 सीएफसी चिलरों को बदलने के लिए 20 लाभार्थियों को कुल ₹ 1,042 लाख की अनुदान राशि प्रदान की है.

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

95.1%
मानक ऋण आस्तियां

₹2 लाख करोड़ रुपए से अधिक
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर और शुल्क संग्रहण

इनमें से आपके बैंक ने 23 नए ऊर्जा कुशल गैर-सीएफसी चिलरों सहित 24 सीएफसी चिलरों को बदलने के लिए 14 लाभार्थियों को कुल ₹ 328 लाख की अनुदान राशि संवितरित की है और लाभार्थियों ने लगभग 5,473 किग्रा. सीएफसी (जो पुराने चिलरों में इस्तेमाल होनेवाला रेफ्रीजरेंट है) बचा लिया है. वर्तमान वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने आठ नए लाभार्थियों को ₹ 199 लाख की अनुदान राशि संवितरित की है. ₹ 146 लाख के संवितरण हेतु पांच और नए लाभार्थी पाइपलाइन में हैं.

आपका बैंक उन चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में से एक है जो कार्बन डिस्क्लोजर परियोजना (सीडीपी) के हस्ताक्षरकर्ता हैं, बैंक का यह कार्य कार्बन को कम करने के लिए एक जिम्मेदार कारोबारी व्यवस्था की दिशा में किए गए पहल कार्यों को सहयोग देने में से एक है. इसके अतिरिक्त आपका बैंक अपने कार्बन पदचिन्हों को कम करने के लिए विभिन्न पहल कार्य कर रहा है जिसमें ऊर्जा बचाने वाली लाइटिंग की शुरुआत करना, सोलर पैनल एवं सोलर वॉटर हीटर लगाना शामिल है. ये कदम जल और ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने में सहायक हैं.

आपका बैंक सीडीएम परियोजनाओं तथा कार्बन क्रेडिट बाजार से संबंधित सभी सेवाओं जैसे सीडीएम परियोजनाओं का निधीयन, सीडीएम परियोजना के पंजीयन हेतु तकनीकी परामर्शी सेवा तथा प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण (सीईआर) एवं सत्यापित उत्सर्जन न्यूनीकरण (वीईआर) ट्रेडिंग के लिए सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने, कार्बन क्रेडिट/ कार्बन क्रेडिट प्राप्तियों पर प्रारम्भिक वित्तपोषण को सुगम बना रहा है.

वसूली

आस्ति गुणवत्ता

आपका बैंक आस्ति गुणवत्ता के निर्णायक प्रभाव और उसकी कमाई में आई गिरावट के प्रति पूरी तरह सचेत हैं, जिसके चलते इस अपेक्षाकृत मुश्किल वर्ष में बैंक ने मौजूदा एनपीए को अपग्रेड करने, नए एनपीए बनने से रोकने, मौजूदा एनपीए से अधिकतम नकद वसूली करने और आस्ति गुणवत्ता में न्यूनतम कमी के लिए न्यूनीकरण उपायों को अपनाना जारी रखा है. आपके बैंक ने अनुशासित ऋण जोखिम प्रबंधन के माध्यम से आस्ति गुणवत्ता के संबंध में उच्च मानक भी बनाए रखे हैं. मार्च 2014 के अंत में आपके बैंक की ऋण आस्तियों में 95.1% ऋण आस्तियां मानक थीं; 1.4% आस्तियां अवमानक थीं; जबकि संदिग्ध आस्तियां 3.3% रहीं तथा आपके बैंक की ऋण आस्तियों में 0.2% हानि आस्ति बनी हैं. संदिग्ध आस्तियों और ऋण आस्तियों के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण विनियमों के अनुपालन में पर्याप्त प्रावधान किये गये.

आस्ति गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए तमाम कानूनी / गैर-कानूनी वसूली उपायों के अलावा आपके बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों के त्वरित और निश्चित समाधान के लिए 1 अगस्त 2013 से 31 दिसंबर 2013 के दौरान 'ओन योर एनपीए' नामक एक नवोन्मेषी अभियान चलाया. विभिन्न स्तरों के कारोबारी कार्यकर्ताओं ने संकेन्द्रित वसूली उपायों के लिए विशिष्ट दोषी खातों को निर्धारित किया; इस पहल कार्य से काफी सफलता मिली. एनपीए से वसूली को बढ़ाने और अधिकतम सफलता हासिल करने के लिए संबंधित स्टाफ को प्रेरित करने हेतु पूरे देश में एक प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई. इसके अतिरिक्त आपके बैंक ने चूक की स्थिति में सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के साथ-साथ वसूली आवेदन फाइल करने, दिवालिया कार्यवाहियों और चूक करनेवाले उधारकर्ताओं/ गारंटीकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की मांग करनेवाले आवेदनों के जरिए उधारकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं के खिलाफ वसूली उपायों की शुरुआत कर दी है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक ने देशी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त कारोबार में अपने पदचिन्हों का विस्तार कर और उच्च वृद्धि दर हासिल कर नई ऊँचाइयां छूना जारी रखा है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने संपूर्ण भारत में 12 नए सर्व सुविधा संपन्न व्यापार वित्त (टीएफ) केंद्र (विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर) खोले हैं, जिससे कुल व्यापार वित्त (टीएफ) केन्द्रों की संख्या 52 हो गयी है. आपके बैंक ने यूरो और जीबीपी मुद्राओं में दो नए नोस्ट्रो खाते खोले हैं. इसके अतिरिक्त, निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दर पर विदेशी मुद्रा निधि समय से उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा

उधार के लिए अपने विदेशी संपर्की बैंकों के साथ करार किया है. आपका बैंक व्यापार वित्त कारोबार को सुगम बनाने के लिए विदेशी बैंकों के साथ सुदृढ़ संबंध बनाए हुए है. इस अवधि के दौरान आपके बैंक ने 21 प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ संबंध प्रबंधन अनुप्रयोग (आरएमए) स्थापित किए जिससे इनकी संख्या बढ़कर 1,442 हो गई. इस बढ़े हुए नेटवर्क के साथ अब बैंक विश्व के अधिकांश हिस्सों में द्वि-दिशाओं से जुड़े लेनदेनों को निपटाने में सक्षम हैं.

आपके बैंक का गैर-निधि आधारित कारोबार अर्थात् साख-पत्र (एलसी) और बैंक गारंटी कारोबार (बीजी) ₹ 83,245 करोड़ (स्वीकृत बिलों को मिलाकर) तक पहुंचा. इस अवधि में आपके बैंक ने व्यापार शुल्क आय में ₹ 781 करोड़ की सुदृढ़ प्रगति दर्ज की है. आपके बैंक ने उक्त अवधि के दौरान वचन-पत्र जारी करके ग्राहकों को निर्यात ऋण के प्रति ₹ 9,196 करोड़ संवितरित किए और अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को ₹ 30,641 करोड़ तक का आयात वित्त सुलभ कराया.

सरकारी कारोबार

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान अदम्य उत्साह के साथ सरकारी कारोबार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र सरकार व विभिन्न राज्य सरकारों के कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण पर विशेष बल दिया है. आपके बैंक ने अपने सरकारी कारोबार को बढ़ाते हुए अपनी प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के विभिन्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर और शुल्क संग्रहण द्वारा ₹ 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान ₹ 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रत्यक्ष कर संग्रहण किया. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का कुल संग्रहण लगभग ₹ 1,95 लाख करोड़ था जो 2012-13 में किए गए ₹ 1,59 लाख करोड़ से अधिक था. आपका बैंक अभी भी सरकारी कारोबार में अपनी भौगोलिक बढ़त बना रहा है. आज की तारीख में आपका बैंक 16 राज्यों में वाणिज्य कर/सरकारी रसीद संग्रहण के लिए प्राधिकृत है.

आईडीबीआई बैंक सम्पूर्ण भारत में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क के भुगतान के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्लेटफॉर्म के साथ 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधा देता है जिसे करदाताओं द्वारा पसंद किया गया है और उनका बेहतर प्रतिसाद मिला है. 26 जुलाई 2013 को आईडीबीआई बैंक महाराष्ट्र में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क (ईएसबीटीआर के माध्यम से) हेतु ऑनलाइन भुगतान सेवा पेश करने वाला पहला बैंक बना जिसे व्यापक समर्थन भी मिल रहा है. ई-एसबीटीआर (ऑनलाइन सुरक्षित बैंक ट्रेजरी रसीद) स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की एक रसीद है जो कि आपके बैंक द्वारा सुरक्षित स्टेशनरी पर मुद्रित कर भुगतान करने वाले व्यक्ति को जारी की जाएगी. आपके बैंक ने महाराष्ट्र की अपनी सभी शाखाओं से ई-एसबीटीआर जारी करने हेतु शुरुआत कर दी है.

> आपका बैंक मौजूदा एनपीए को अपग्रेड करने, नए एनपीए बनने से रोकने, मौजूदा एनपीए से अधिकतम नकद वसूली करने और आस्ति गुणवत्ता में न्यूनतम कमी के लिए न्यूनीकरण उपायों पर ध्यान केन्द्रित किए हुए है.

नकदी प्रबंधन सेवाएं

नकदी प्रबंध सेवाएं (सीएमएस) बैंक के प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हैं. सीएमएस के एक भाग के रूप में आपका बैंक संग्रहण तथा भुगतान उत्पादों का सेट ऑफर कर रहा है. ये समाधान - आभासी खाता सुविधा, म्युनिसिपल कर के लिए ऑनलाइन वैधीकरण तथा शाखा डाटा एंट्री मॉड्यूल के माध्यम से अन्य उपयोगिता वस्तुओं के भुगतान हेतु तथा बदलती बाजार अपेक्षाओं के अनुरूप ग्राहक सिस्टमों के प्रौद्योगिकी एकीकरण (होस्ट टू होस्ट) सहित अन्य विशेषीकृत ई-समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. आपके बैंक ने इस कारोबार खंड में मजबूती से पैर जमा लिए हैं और कुछ प्रतिष्ठित लाभांश अधिदेश भी प्राप्त किए हैं. आपका बैंक रेलवे के ई- वहन-शुल्क भुगतान प्रणाली में भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है तथा इसने विभिन्न अंचलों के साथ कारोबार पहले ही शुरू कर दिया है.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत ट्रेजरी है जिसमें निधियों के बेहतर प्रबंधन तथा ट्रेजरी परिचालन के लिए मुद्रा बाजार, नियत आय,

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

10
ट्रेजरी परिचालन सहायक केंद्र

7.3%
कुल परिसंपत्तियों में डीआईएफसी शाखा का योगदान

विदेशी मुद्रा विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी क्रय-विक्रय परिचालनों के विभिन्न कार्य किए जाते हैं. ट्रेजरी नकदी रिज़र्व अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात के विनियामक अनुपालन के प्रबंधन के साथ-साथ ग्राहक को बाजार उत्पादों में लेनदेन, संसाधन जुटाने, विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार और बाजार निर्माण का कार्य करता है. आपके बैंक के ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने तथा बेहतर कारोबार परिचालन के लिए ट्रेजरी विभाग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है.

आपके बैंक ने तुलन पत्र में वृद्धि और देयताओं के भुगतान हेतु चलनिधि का प्रबंध करने के लिए जमाराशियों के अलावा जमा प्रमाणपत्र, अंतर बैंक उधारराशियां, बांडों के निर्गम, विभिन्न संस्थाओं से पुनर्वित्त और विदेशी मुद्रा उधार राशियां सहित विभिन्न लिखतों का प्रयोग किया. तरलता को विभिन्न अल्पावधि / मुद्रा बाजार लिखतों के माध्यम से निधि तथा बाजार की स्थिति के आधार पर उपयुक्त स्तर पर रखा गया. आपका बैंक लगातार विभिन्न बाजारों पर भी नजर रखता है तथा व्यापार लाभ के लिए अपनी स्थिति में स्वीकार्य स्तर को अपनाता है.

आपके बैंक की ट्रेजरी की 10 केंद्रों में फैली हुई एक बड़ी सेल्स टीम है जो विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव प्रोडक्ट की प्रभावी मार्केटिंग करती है. यह टीम कॉरपोरेट ग्राहकों से नियमित रूप से संपर्क करती है और उन्हें मुद्रा तथा दर बाजारों में अस्थिरता से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए तत्परतापूर्वक समाधान उपलब्ध कराती है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक ने ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने और उनकी ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी विनिमय दर जोखिम से बचाव के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत विकल्पों व स्वैप के जरिए प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न प्रकार के ग्राहकीकृत समाधान प्रदान किये.

इसके अलावा आपके बैंक ने सामान्यतः नियत आय उत्पादों तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए विभिन्न केंद्रों पर ऋण विक्रय टीमों का गठन किया है. यह टीम स्क्रीन आधारित एनडीएस-ओएम मार्केट से बाहर के लेनदेन करने हेतु निवेशकों की आवश्यकता पूरी करती है.

आपका बैंक ट्रेजरी नवोन्मेषी वित्तीय समाधानों को शुरू करने तथा विभिन्न बाजार विकास पहल करने में फिर से अग्रणी रहा. वर्ष के दौरान निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए इन्फ़्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को 'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक पोर्टल' से जोड़ा गया. निवेशकों को उनके खरीदे गए स्टॉक पर प्रतिदिन मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) स्थिति उपलब्ध कराने हेतु 'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक पोर्टल' को भी पुनर्निर्मित किया गया है. कॉरपोरेट बॉन्डस में रेपो के विकास हेतु विभिन्न बाजार प्रतियोगी वैश्विक प्रधान पुनर्खरीद करारों (जीएमआरए) को करने में आपका बैंक का अग्रणी स्थान जारी रहा.

इस वर्ष के दौरान बाजार की स्थिति विशेषकर विनिमय दर तथा ब्याज दर खंडों में उच्च अस्थिरता की रही. आपके बैंक ने उभरते बाजार विकासों पर लगातार कड़ी नजर रखी तथा तरलता, ब्याज दर और विनिमय दर एक्सपोजर के तत्पर प्रबंधन को सुनिश्चित किया. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस वर्ष के दौरान की गई पहलों जैसे विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के विस्तार हेतु स्वाइप सुविधा, एफ़सीएनआर (बी) जमा/ विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ाने के उपायों, में अन्य के साथ-साथ सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दी तथा उनमें सम्मिलित हुआ.

प्राथमिक व्यापार(पीडी) कारोबार में आपके बैंक ने विभिन्न अवधियों के ऋण की अधिक राशि की हामीदारी दी है. आपके बैंक ने नीलामी बोली प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी कर निधियाँ जुटाने में विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता की है. ट्रेजरी बिल खंड में भी प्राथमिक व्यापार ने अपेक्षित सफलता अनुपात को हासिल करने के संबंध में सभी लागू वचनबद्धताओं को पूरा किया है और सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों व ट्रेजरी बिलों में गौण बाजार टर्नओवर को पूरा किया है.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

क) आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक पोर्टल

वर्ष 2012-13 में प्रारंभ आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक पोर्टल भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन करने वाले खुदरा निवेशकों के लिए समर्पित पोर्टल है. इसकी प्रमुख विशेषता इसकी अभिगम्यता, सरलता और सुरक्षा है. यह पोर्टल सभी के लिए उपलब्ध है और सिर्फ आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए सीमित नहीं है. वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए नए मुद्रास्फीति सूचकांक बांड पोर्टल में जोड़े गए हैं. निवेशकों हेतु उनके खरीदे गए स्टाक की प्रतिदिन की मार्क-टु-मार्केट (एमटीएम) स्थिति उपलब्ध कराने हेतु भी पोर्टल को पुनर्निर्मित किया गया है. निवेशक बैंक की वेबसाईट www.idbi.com के जरिए पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति / कॉरपोरेट / संस्था, जिसके पास वैध पैन कार्ड, सक्रिय डिपौजिटरी खाता, सक्रिय बैंक खाता तथा ई-मेल आईडी है, वह आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद तथा बेच सकता है.

ख) ऑनलाइन सीडी पोर्टल

जमा प्रमाण पत्र (सीडी) जो भारत में 1989 में शुरू किए गए, लंबे समय तक संस्थागत निवेशकों के लिए संरक्षित थे. खुदरा निवेशकों में निवेश के माध्यम के रूप में जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने अगस्त 2012 में देश में पहले ऑनलाइन सीडी पोर्टल आईडीबीआई समृद्धि सीडी पोर्टल का शुभारंभ किया. इस पोर्टल से खुदरा निवेशक आईडीबीआई द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) में न्यूनतम ₹ 1 लाख और इसके बाद ₹ 1 लाख के गुणकों में ऑनलाइन अभिदान कर सकते हैं. यह पहल खुदरा ग्राहकों द्वारा पसंद की जा रही है.

आपके बैंक की ट्रेजरी नवोन्मेषी वित्तीय समाधानों को शुरूकरने तथा विभिन्न बाजार विकास पहल करने में फिर से अग्रणी रहा. वर्ष के दौरान निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा नए शुरूकिए गए इन्फ़्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को 'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक पोर्टल' से जोड़ा गया.

सीमा-पार शाखाएं

आपके बैंक ने भारतीय ग्राहक समूह की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज़ की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद ऑफर कर अपनी देशी बैंकिंग मजबूती का फायदा उठाया है.

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीएफआईसी), दुबई स्थित आपके बैंक की पहली विदेशी शाखा ने अपने परिचालनों के चार वर्ष पूरे कर लिये हैं. इस शाखा के माध्यम से आपका बैंक भारतीय ग्राहकों के भारतीय परिचालनों और समुद्रपारीय उद्यमों के लिए निधि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रदान करने, विदेशी मुद्रा ऋण समूहन तथा व्यापार वित्त उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार की कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है.

आपके बैंक की डीआईएफसी शाखा ने 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए 87.95 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवल लाभ अर्जित किया जिसमें 2012-13 में 35.34 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवल लाभ की तुलना में लगभग 149% की वृद्धि दर्ज की गई है. आपके बैंक की कुल परिसंपत्तियों में डीआईएफ़सी शाखा की 7.3 % परिसंपत्ति सम्मलित है.

आपका बैंक अपनी विदेशी उपस्थिति बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहा है.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा दोनो उधारियों के लिए ऋण रेटिंग प्राप्त करता है. रुपया संसाधनों के लिए रेटिंग नीचे दी गई है:

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

रुपया उधार राशियों के लिए रेटिंग (यथा 31 मार्च 2014)

31 मार्च 2014 को	क्रिसिल	इक्रा	फिच
सावधि जमा राशियां	एफएएए / स्टेबल	एमएए+	इंड टीएएए
अल्पावधि उधार राशियां (जमा प्रमाण-पत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1+	इंड ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टीयर II बांड)	क्रिसिल एए+/स्टेबल	[इक्रा]एए+/ निगेटिव	इंड एए+
हाइब्रिड - अपर टीयर II बांड	क्रिसिल एए/स्टेबल	[इक्रा]एए+/ निगेटिव	इंड एए-
हाइब्रिड - आईपीडीआई	क्रिसिल एए/स्टेबल	[इक्रा]एए+/ निगेटिव	-

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग तीन अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज (मूडीज), स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) तथा फिच रेटिंग्स (फिच) एजेंसियों द्वारा की जाती है जो निम्नानुसार है:

विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए रेटिंग (यथा 31 मार्च 2014)

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज (मूडीज)	
दीर्घावधि रेटिंग	बीएए3/स्टेबल
बैंक की वित्तीय क्षमता की रेटिंग (बीएफएसआर)	डी-/नेगेटिव
स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी)	
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (आईसीआर)*	बीबी+/निगेटिव
स्टैंड-एलोन क्रेडिट प्रोफ़ाइल (एसएसीपी)	बीबी
फिच रेटिंग्स	
दीर्घावधि निर्गमकर्ता चूक रेटिंग	बीबीबी-/स्टेबल
अर्थक्षमता रेटिंग	बीबी

विदेशी मुद्रा संसाधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा के समतुल्य 3,875.79 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जुटाई जिसमें (i) 590 मिलियन अमरीकी डॉलर द्विपक्षीय/क्लब ऋणों के जरिए जुटाई गई (ii) 2,945.22 मिलियन डॉलर की समतुल्य राशि बैंकों से अल्पावधि उधारों के रूप में जुटाई गई. (iii) 340.57 मिलियन अमरीकी डॉलर 5 बिलियन मध्यावधि नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के अंतर्गत बॉन्ड निर्गमों के जरिए जुटाए गए.

एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए बांड में (i) जारी किए गए 249 चीनी युआन (लगभग 40.57 मिलियन अमरीकी डॉलर) के एक वर्षीय बांड (ii) 300 मिलियन अमरीकी डॉलर के 5.5 वर्षीय बांड सम्मिलित हैं.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अक्टूबर 2013 में दुबई में अपनी डीआईएफसी शाखा के माध्यम से केएफ़डबल्यू, जर्मनी के साथ 340 मिलियन अमरीकी डॉलर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये. यह करार मुख्यतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण राशि प्रदान करने के लिए है एवं ऋण का एक हिस्सा स्वास्थ्य एवं जीवन स्थिति में सुधार लाने के लिए नगरपालिकाओं एवं समुदायों के समर्थन हेतु चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए समर्पित है.

आपके बैंक द्वारा, देयता प्रबंधन के एक भाग के रूप में 500 मिलियन अमरीकी डॉलर में से 9.68 मिलियन मूल्य के नोट्स खरीदे और निरस्त किए गए, 3.75% नोट्स जनवरी 2019 में देय हैं.

31 मार्च 2014 तक भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक व्यवहार योजना के अंतर्गत उधार की बकाया राशि (51.8 मिलियन अमरीकी डॉलर), बैंक की टियर I पूंजी के 100% की आरबीआई अनुबद्ध समग्र अनुमत सीमा के भीतर थी.

आपके बैंक ने सिंगापुर स्टॉक एक्स्चेंज पर सूचीबद्ध एमटीएन कार्यक्रम की राशि बढ़ाकर 5 बिलियन अमरीकी डॉलर (3.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से) कर दी है और इसे दिसंबर 2013 में अद्यतन कर दिया है. 2013-14 की समाप्ति पर एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत आपके बैंक की कुल निर्गम बकाया राशि 2.1 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य है.

जोखिम प्रबंध

आपके बैंक का जोखिम प्रबंध दर्शन दो उद्देश्यों से संचालित होता है - शेयरधारकों के मूल्य में सतत् वृद्धि और पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग. जोखिम प्रबंध रणनीति चालू आधार पर कारोबार जोखिमों के अभिनिर्धारण, आकलन, निगरानी तथा नियंत्रण पर आधारित है जिससे पूंजी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित हो सके. रणनीति का प्राथमिक उद्देश्य उपयुक्त न्यूनीकरण तथा कीमत - लागत निर्धारण के ज़रिए बैंकिंग कारोबार से जुड़े जोखिम प्रतिफल को उपयुक्त रूप से संतुलित करना है. इससे प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने में सहायता मिलती है. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रभावी पद्धतियों में सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीतियों की स्थापना और आपके बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप जोखिम सीमाओं तथा प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करना शामिल है. आवधिक नीति विनियामक परिप्रेक्ष्य से कारोबारी गतिकी, नवोन्मेष और परिवर्तनों में कारकों को अद्यतन करती है.

> आपके बैंक का जोखिम प्रबंध दर्शन दो उद्देश्यों से संचालित होता है - शेयरधारकों के मूल्य में सतत् वृद्धि और पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग.

आपका बैंक अपने सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदाकर और उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाकर जोखिम संस्कृति में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है. समग्र जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) की है, किन्तु दैनंदिन कार्यकलाप जोखिम अभिशासन संरचना पर आधारित विभिन्न स्तरों पर किये जाते हैं.

निरंतर जटिल होती जा रही वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए जोखिम प्रबंध प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को निरंतर उन्नत और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है. जोखिम-तंत्र प्रणाली को और भी अधिक सुदृढ़ तथा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंध संरचना (आईआरएमए) को कार्यान्वित किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान अर्थात् जोखिम आकलन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी आकलन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

11.68%
31 मार्च 2014 को सीआरएआर

7.79%
31 मार्च 2014 को टियर I अनुपात

मूल्यांकक (कोर) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण तथा परिचालन जोखिमों का अभिनिर्धारण करने तथा उन्हें मापने में सहायता करता है, जिनसे बदले में उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ तैयार करने में सुविधा होती है.

बासेल मानदंडों का कार्यान्वयन

बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर I दिशानिर्देशों के अनुपालन में आपका बैंक ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामक पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. आपका बैंक बासेल III ढांचे में कार्य करने लगा है और 1 अप्रैल 2013 से बासेल III के मानदंडों के अनुसार पूंजी अनुपात की तिमाही आधार पर गणना की जा रही है. 31 मार्च 2009 से रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार आपका बैंक पूंजी अनुपात की गणना बासेल II के मानदंडों के अनुसार भी कर रहा है. बासेल III के मानदंडों के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता पूंजी की आवश्यकता के संबंध में आपके बैंक के पास वर्तमान में दिशानिर्देशों में निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामान्य इक्विटी है.

31 मार्च 2014 को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) 11.68% था जो 9% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक है. सामान्य इक्विटी टियर-I (सीईटी-I) अनुपात 7.78% है जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 5% की निम्नतम अपेक्षा से अधिक है. 31 मार्च 2014 को टियर-I अनुपात 7.79% रहा जबकि विनियामक अनुपात 6.5% है.

वर्तमान में, आपका बैंक पूंजी की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण का अनुसरण करता है. यह आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोणों में अंतरण की दिशा में तैयारी के लिए अपनी ऋण जोखिम प्रबंध प्रणाली को निरंतर उन्नत तथा मजबूत बना रहा है. इसी तरह, बाजार जोखिम के लिए आपका बैंक विनियामक पूंजी की गणना करने के लिए मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का प्रयोग करता है. यह आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) में निर्बाध अंतरण के लिए जोखिम-मूल्य आधारित प्रणाली पर मूल्य कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का अनुसरण करता है. उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में अंतरण प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, विभिन्न कारोबारी खंडों में मुख्य जोखिम संकेतकों और जोखिम एवं नियंत्रण स्व-निर्धारण (आरसीएसए) ढाँचे का एक व्यापक सेट विभिन्न कारोबारी खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है.

बासेल पिलर - II मानदंडों के अनुपालन में, आपके बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है. इस नीति द्वारा बैंक उन जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन और गणना कर सकता है जो पिलर-I में सामने नहीं आ पाए हैं और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में ऐसे जोखिमों के प्रबंध के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ भी बना सकता है. आपके बैंक द्वारा एक व्यापक दबाव परीक्षण ढांचा कार्यान्वित किया गया है जिससे असाधारण किन्तु तर्कयुक्त घटनाओं के अंतर्गत जोखिम प्रबंध ढांचे की शक्ति का आकलन करने में सहायता मिलती है. यह ढांचा किसी प्रतिकूल स्थिति में उपयुक्त रणनीतियाँ लागू करने में सहायक होता है.

पिलर-III मानदंडों के अनुपालन में आपके बैंक ने एक प्रकटन नीति कार्यान्वित की है. प्रत्येक तिमाही के लिए प्रकटन आपके बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

ऋण जोखिम

आपके बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंध प्रणाली लागू की है जिसमें प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम) और पूंजी की गणना के लिए स्वचालित प्रणाली (सीएएम) शामिल है.

कार्यक्षम ऋण मूल्यांकन, ऋण वितरण, पोर्टफोलियो प्रबंध और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आपका बैंक एक सक्रिय ऋण नीति का अनुसरण करता है. इसे आपके बैंक के कारोबारी उद्देश्यों को सम्मिलित करने के लिए मौजूदा कारोबारी तथा सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

शीर्ष स्तरीय रेटिंग समिति ऋण रेटिंग को प्रमाणित करती है और जोखिम विश्लेषकों तथा संपर्क प्रबंधकों का मार्गदर्शन भी करती है. एक सक्रिय उपाय के रूप में आपका बैंक विभिन्न ऋण सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी करता है जिसमें विभिन्न कारोबारी समूहों, देशों, खंडों, क्षेत्रों तथा उद्योगों में ऋण निवेश शामिल हैं.

बाजार जोखिम

वित्तीय क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में भारी अस्थिरता देखी. इसके चलते प्रभावी बाजार जोखिम प्रबंध उपायों की महत्ता पर बल दिया गया. अनुक्रियाशील जोखिम प्रबंध संरचना, सक्रिय जोखिम प्रबंध प्रणालियों के साथ मिलकर, अधिक प्रतिकूल प्रभाव के बिना इन घटनाक्रमों का समाधान कर सकती है. बाजार जोखिम मानदंडों अर्थात् ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य तथा विदेशी मुद्रा विनिमय और उनकी अस्थिरता के प्रभाव का प्रबंधन जोखिम उठाने की क्षमता के भीतर परिचालन करते हुए निवेश पोर्टफोलियो के योगदान को इष्टतम बनाने के लिए किया गया. इस दिशा में सीमाएं निर्धारित करने में, निरंतर निगरानी तथा पोर्टफोलियो का बाजार दरों पर मूल्यांकन करने सहित संबन्धित उपाय व्यापारिक बही की गतिकी के प्रत्युत्तर में किए जाते हैं. अन्य के साथ साथ संबन्धित आघातों, परिदृश्य विश्लेषण के माध्यम से बाजार दरों, पिछली प्रवृत्तियों, दबाव परीक्षणों में परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में विभिन्न स्थितियों के मूल्य में परिवर्तन सूचित करने के लिए व्यापरिक बही का आवधिक विश्लेषण भी किया जाता है.

कार्यों तथा कारोबार स्थितियों के अनुसार बाजार जोखिमों का प्रबंध परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुसार किया जाता है. सामान्य तौर पर ये नीतियां जोखिम उठाने के उपयुक्त स्तरों का निर्धारण करती हैं और जोखिमों और अपवादों, यदि कोई हैं, के आकलन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि हेतु व्यवस्थाएं तय करती हैं.

चल निधि व ब्याज दर जोखिम में आपके बैंक के एक्सपोजर को सुरक्षित करने के लिए बोर्ड अनुमोदित जोखिम सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं. परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) वास्तविक जोखिम स्थिति पर नियमित निगरानी रखती है और आवश्यकतानुसार परिसंपत्ति-देयता के अंतर को विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर रखने के लिए कदम उठाए जाते हैं. आपके बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) स्थिति के बारे में एल्को, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) व रिज़र्व बैंक को आवधिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है.

> अनुक्रियाशील जोखिम प्रबंध संरचना, सक्रिय जोखिम प्रबंध प्रणालियों के साथ मिलकर, अधिक प्रतिकूल प्रभाव के बिना इन घटनाक्रमों का समाधान कर सकती है. बाजार जोखिम मानदंडों के प्रभाव का प्रबंधन जोखिम उठाने की क्षमता के भीतर परिचालन करते हुए निवेश पोर्टफोलियो के योगदान को इष्टतम बनाने के लिए किया गया.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक ने प्रभावी परिचालनगत जोखिम प्रबंधन और स्वस्थ परिचालन प्रक्रियाओं के पालन के लिए एक समर्थकारी संगठनात्मक संरचना स्थापित की है. यह सुपरिभाषित परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंध नीति द्वारा संचालित है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिमों पर अंकुश लगाने / उन्हें कम करने के लिए पर्याप्त तथा तत्पर उपाय करता है जिनमें निम्न शामिल हैं:

- मुख्य जोखिम संकेतकों की निगरानी
- विभिन्न जोखिमों तथा नियंत्रणों का स्व-मूल्यांकन
- परिचालनगत हानि घटनाओं की निगरानी
- उत्पाद / प्रणाली अंतरालों का आकलन तथा निर्धारण
- नये उत्पादों / प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिमों का आकलन तथा न्यूनीकरण

आपके बैंक ने परिचालनगत जोखिमों के प्रभावी प्रबंध तथा निगरानी के लिए एक व्यापक आईटी प्रणाली लागू की है. इसके अलावा, परिचालनगत

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

आईएसओ 27001
डाटा केंद्र के लिए प्रत्यायन

बीएस25999
बीसीएम प्रक्रिया के लिए प्रमाणन

जोखिम प्रबंध समिति तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति को इसकी प्रगति तथा मापन की आवधिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है.

आपका बैंक वर्तमान में परिचालनगत जोखिम के पूंजी प्रवाह की गणना के लिए बासेल II के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल संकेतक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है. तथापि, उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में अंतरण के उद्देश्य से आपका बैंक सतत् आधार पर कौशल, प्रौद्योगिकी तथा प्रकियाओं के उन्नयन के लिए कई प्रकार के कदम उठा रहा है. संस्था में जोखिम जागरूकता संस्कृति सुस्थापित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं.

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंध (बीसीएम) प्रक्रिया है जो कारोबार व्यवधान तथा जीवन से संबंधित खतरनाक घटनाओं को न्यूनतम करती है. बीसीएम के भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजनाएं (बीसीपी) हैं. यह कारोबार व्यवधान / आपदा के बावजूद ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए हैं. इसके अलावा, आपके बैंक ने व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की है ताकि आपदा की संभावना व उनके प्रभाव को कम किया जा सके और मानव जीवन व महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की रक्षा की जा सके. इन बीसीपी तथा डीएमपी की समुत्थानशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, डिजास्टर रिकवरी तथा मॉक इवैक्यूवेशन ड्रिलों के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है. आपके बैंक को उसकी व्यापक तथा सुदृढ़ बीसीएम प्रक्रियाओं के लिए बीएस 25999 प्रमाणन (वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त प्रमाणन) प्रदान किया गया है.

उत्पाद जोखिम

आपका बैंक एक सुदृढ़ अनुमोदन तथा समीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण करता है जिसमें संकल्पना वैधीकरण, महत्वपूर्ण धारणाओं की पुष्टि, प्रौद्योगिकीय क्षमता आदि जैसे व्यापक जोखिम मूल्यांकन तथा न्यूनीकरण प्रणाली शामिल हैं. प्रत्येक ग्राहक खंड के लिए उत्पाद विशेषताओं में ऋण-चयन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मानक और सुरक्षा मानदंड शामिल होते हैं.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

हालांकि आपका बैंक ग्राहकों तथा अन्य अंशधारकों को बेहतर सेवाएं / योजनाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रयोग करने में अग्रणी रहा है, यह प्रभावी आईटी जोखिम प्रबंध की आवश्यकता को भी महसूस करता है. आपके बैंक की आईटी जोखिम न्यूनीकरण रणनीति में सूचना सुरक्षा पहलुओं के अलावा अनुपालन व निजता के विविध पहलू भी शामिल हैं.

आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सिस्टम को एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है. आपके बैंक के केंद्रीकृत डाटा सेंटर को प्रतिष्ठित सूचना सुरक्षा प्रमाणन आईएसओ 27001 प्राप्त है. 'फिशिंग' हमलों के प्रति कारगर कार्रवाई करने हेतु सुरक्षा स्तरों को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं.

आपके बैंक ने एक सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) लागू की है जो यह सुनिश्चित करती है कि सूचना अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रहे. इसके अलावा, सूचनाओं की गोपनीयता तथा विश्वनीयता बनी रहे और साथ ही अधिकृत उपयोगकर्ताओं को आईटी संसाधन समय पर उपलब्ध हो सकें. उच्च स्तरीय सूचना सुरक्षा संवीक्षा समिति (आईएसएससी) यह सुनिश्चित करती है कि आईटी संसाधनों के सतत् संरक्षण की व्यवस्था बनी रहे. कर्मचारियों के लिए सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के नियमित आयोजन के अलावा ग्राहकों को विभिन्न सूचना सुरक्षा सावधानियों के बारे में भी सूचित किया जाता है.

आपका बैंक सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंध और साइबर धोखाधडियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में परिकल्पित रूप में बैंकिंग प्रक्रियाओं में संरक्षा, सुरक्षा तथा कार्यकुशलता को और बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है.

संक्षेप में, आपके बैंक के पास जोखिम के विभिन्न पहलुओं की पहचान करने और उनके प्रभावी एवं कार्यक्षम प्रबंध के लिए एक सुसंरचित जोखिम

प्रबंध ढांचा है. शीर्ष प्रबंध-तंत्र के दिशानिर्देश के अंतर्गत सतत् प्रयासों के साथ आपके बैंक में जोखिम के बारे में जागरूकता आम स्टाफ तक पहुँच गयी है.

प्रबंध, नियंत्रण एवं प्रणालियां

मानव संसाधन पहल कार्य

आपके बैंक की मानव संसाधन संबंधी रणनीति को आपके बैंक के ध्येय के निर्बाध समर्थन हेतु नियुक्ति, अभिनियोजन, प्रशिक्षण, प्रतिभा प्रतिधारण एवं प्रेरणास्प्रद पहलों/ रणनीतियों के लिए मानव संसाधन नीतियों के साथ प्रभावी रूप से कारोबार आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार किया गया है.

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान उच्च कार्य निष्पादन कर्ताओं के सम्मान एवं नकदी प्रोत्साहन के द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नए पहल कार्य किए हैं. मुख्य पहलों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

1) **नेतृत्व की क्षमता का पोषण :**
नेतृत्व की पहल को प्राथमिकता दी गई है. वर्ष के दौरान, पहली बार आपके बैंक ने कर्मचारियों को आगे आने और अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसके विस्तार का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया. 'प्रोजेक्ट फर्स्ट माइल' नामक पहल ने यथातिथि 159 अधिकारियों को शाखा प्रमुख की भूमिका ग्रहण करने के लिए पोषित किया. मौजूदा क्षेत्रीय/ शाखा प्रमुखों के लिए सघन नेतृत्व कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी शुरू की गई है.

2) **भविष्य के प्रबंधकों/ लीडरों का अभिनिर्धारण:**
'क्षमतावान अधिकारियों' को पहचानने और जटिल/नेतृत्ववाली भूमिका के लिए उन्हें सुव्यवस्थित रूप से तैयार करने हेतु आपके बैंक ने मूल्यांकन विकास केंद्र (एडीसी) अभ्यास की शुरुआत की है. आगे बढ़ने की दिशा में जटिल/ महत्वपूर्ण/ मार्गदर्शक भूमिका के लिए आंतरिक बेंच स्ट्रेन्थ का निर्माण करना ही एडीसी अभ्यास का अंतिम लक्ष्य है.

3) **प्रोत्साहन योजनाएं :**
वर्ष के दौरान कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने तथा कारोबार वर्टिकलों/अन्य विभागों को निरंतर सहयोग करने के उद्देश्य से विविध प्रोत्साहन कार्यक्रमों का सक्रियता से आयोजन किया गया. इनके संरक्षण के तहत कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

i) कार्य निष्पादन-संबद्ध नकदी प्रोत्साहन योजना: भारत सरकार (जीओआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार इस योजना को मूल्यांकन वर्ष 2013-14 से लागू किया गया.

ii) रिटेल शाखा प्रमुखों के लिए प्रोत्साहन योजना: यह योजना प्रत्येक अंचल के सर्वोच्च कार्य निष्पादन वाले पाँच शाखा प्रमुखों को विदेश / भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्मानित करती है. इन अधिकारियों को बैंक के भावी लीडरों के रूप में तैयार किया जा रहा है.

iii) उत्तम ग्राहक सेवा के लिए पुरस्कार/ सम्मान: ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुसार आपके बैंक ने एक पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें प्रत्येक अंचल के दो कर्मचारियों को 'तिमाही के लिए अंचल के सर्वाधिक ग्राहक अनुकूल कर्मचारी' के रूप में सम्मानित किया जाता है.

iv) धोखाधड़ी/ अनाचार के निवारण के लिए पुरस्कार/ सम्मान: आपके बैंक ने धोखाधड़ी की खोजबीन और निवारण में सक्रिय कदम उठानेवाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के

> आपके बैंक की मानव संसाधन संबंधी रणनीति को नियुक्ति, अभिनियोजन, प्रशिक्षण, प्रतिभा प्रतिधारण एवं प्रेरणास्प्रद पहलों/ रणनीतियों के लिए मानव संसाधन नीतियों के साथ प्रभावी रूप से कारोबार आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार किया गया है.

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

लिए इस पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की है. प्रत्येक तिमाही में पाँच कर्मचारियों का चयन किया जाता है और उन्हें नकद पुरस्कार एवं अन्य लाभों से पुरस्कृत किया जाता है.

4) **उत्तराधिकार योजना :**
आपके बैंक ने बैंक में प्रमुख / महत्वपूर्ण पदों का भार ग्रहण करने के लिए प्रतिभा समूह को सुनिश्चित करने हेतु उत्तराधिकार योजना अभ्यास की शुरुआत की है. इन महत्वपूर्ण पदों की पहचान करने का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है तथा इन महत्वपूर्ण पदों हेतु क्षमतावान उत्तराधिकारियों की तैयारी के लिए विस्तृत विकास कार्यक्रम भी बना लिया गया है.

5) **भर्ती एवं कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि:**
वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने 2,456 कर्मचारियों (1,933 अधिकारी और 523 एक्जीक्यूटिव) की भर्ती की, जिनमें से अनुसूचित जाति (अजा) के 408, अनुसूचित जनजाति (अजजा) के 87, अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के 690 और अशक्त व्यक्ति श्रेणी के 109 कर्मचारी थे. 31 मार्च 2014 को आपके बैंक में 16,438 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें 13,071 अधिकारी, 1165 एक्जीक्यूटिव (संविदा पर), 1,199 लिपिकीय स्टाफ (श्रेणी III) और 1,003 अधीनस्थ कर्मचारी (श्रेणी IV) थे.

अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) और अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) का प्रतिनिधित्व
आपका बैंक अप्रैल 1977 से सीधी भर्ती में और फरवरी 1980 से पदोन्नति में अजा/ अजजा के लिए आरक्षण के नियमों को कार्यान्वित कर रहा है. आपका बैंक सीधी भर्ती में सितंबर 1993 से अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के लिए भी आरक्षण कार्यान्वित कर रहा है. भारत सरकार द्वारा जारी "सेवाओं में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) एवं अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के लिए आरक्षण संबंधी ब्रोशर" के संशोधित अनुदेशों के अनुसार आरक्षण रजिस्टर को विधिवत् अपनाया गया है. आपके बैंक में 31 मार्च 2014 को विभिन्न संवर्गों की कुल संख्या में अजा, अजजा और अपिव का प्रतिनिधित्व नीचे तालिका 4 में दिया गया है.

तालिका 4 : अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व

31 मार्च 2014 को	कुल संख्या	जिनमें से		
	1,332.70	अजा	अजजा	अपिव
अधिकारी	13071	1635	524	2443
एक्जीक्यूटिव	1165	205	35	385
लिपिकीय		अजा	अजजा	अपिव
अधीनस्थ स्टाफ (स्वीपरों को छोड़कर)	1199	133	37	100
स्वीपर	1003	238	78	180
कुल	16438*	2211	674	674
कुल संख्या का %		13.45%	4.10%	18.91%

*बैंक में अधिकारी वर्ग में 9 कर्मचारी संविदा नियुक्ति पर तथा 1165 एक्जीक्यूटिव संविदा आधार पर हैं.

31 जनवरी 2014 को बैंक में 33 भूतपूर्व सैनिक और 387 शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति थे. आपका बैंक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों (पीडब्यूडी) के लिए अलग से रोस्टर रखता है. आपके बैंक ने अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूडी तथा अपिव के कर्मचारियों के लिए संबंधित श्रेणी में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की है तथा इंट्रानेट पर उनके नाम प्रदर्शित किए गए हैं ताकि कल्याण संघों के सदस्य इन कर्मचारियों की शिकायतों के प्रभावी रूप से निराकरण हेतु संपर्क अधिकारी तक पहुँच सकें.

6) प्रशिक्षण एवं विकास

एक सक्षम कार्यबल ही प्रत्येक सफल संगठन का आधार होता है. उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आपके बैंक ने हमेशा प्रशिक्षण और विकास पहल कार्यों को सबसे आगे रखा है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 583 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 14,431 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया. 540 अधिकारियों ने बैंक के कार्य निष्पादन को प्रभावित करनेवाले देशी और वैश्विक परिवर्तनों के समतुल्य बने रहने के लिए भारत और विदेश के कुछ प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने सशक्त 90 दिवसीय परिचय कार्यक्रम के माध्यम से 1,438 ग्रेड 'ए' अधिकारियों को शामिल किया है, जिन्हें सभी मुख्य कारोबार वर्टिकलों के बारे में कक्षागत प्रशिक्षण और गहन ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण देने के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स पर जानकारी भी दी गई है.

आपके बैंक का ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, आई-वर्सिटी यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने डेस्कटॉप से आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सके. इसने बैंक में ज्ञानवर्धक वातावरण को बढ़ावा दिया है.

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कारोबार पर विशेष ध्यान होने के कारण प्रशिक्षण अनुसूची में आरबीजी के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) प्रशिक्षण पर नियमित कार्यक्रम शामिल किए गए हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रमुखों, आरबीजी शाखा प्रमुखों और परिसंपत्ति अधिकारियों को पीएसएल कारोबार को लक्ष्य स्तरों को प्राप्त करने के लिए कार्यशाला सम्मिलित है. आपका बैंक निरंतर रूप से ग्राहक केन्द्रित कौशल विकास कार्यक्रमों, जैसे ''ग्राहक अनुभव प्रबंध'' कार्यक्रम, के संचालन द्वारा ''ग्राहक आह्लाद'' के अपने मुख्य ध्येय कथन पर खरा उतरने का प्रयास करता रहता है.

> एक सक्षम कार्यबल ही प्रत्येक सफल संगठन का आधार होता है. उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आपके बैंक ने हमेशा प्रशिक्षण और विकास पहल कार्यों को सबसे आगे रखा है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसके प्रीमियम स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (जेएनआईबीएफ) को जनवरी 2014 में आईएसओ 9001-2008 प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक के कार्य में कोई बड़ी बाधा नहीं आई तथा प्रस्तुत अधिकांश मामलों का निपटान मैत्रीभाव से किए जाने के कारण औद्योगिक संबंध का वातावरण सामान्यतः मैत्रीपूर्ण रहा.

सुविधाएं एवं बुनियादी सेवाएं

2013-14 के दौरान आपके बैंक ने 309 रिटेल शाखाएं खोली हैं, 16 शाखाओं का स्थान परिवर्तन तथा 13 शाखाओं का नवीकरण किया है. बैंक ने सीबीडी-बेलापुर कार्यालय परिसर में नया 33 केवी सब स्टेशन स्थापित किया है. वर्ष के दौरान आपके बैंक को पूर्व किदवई नगर, दिल्ली में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे, कार्यालय-सह-आवासीय कॉम्प्लेक्स में कार्यालय के लिए 1,22,088 वर्गफुट माप का स्थान और 36 आवासीय फ्लैट सहित 150 कारों की पार्किंग का स्थान आबंटित किया गया है. एनबीसीसी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परियोजना के लिए नियुक्त कार्यान्वयन एजेंसी है. इस स्थान के लिए निर्माण कार्य नवंबर 2013 में आरंभ किया गया है और 2016 तक इस कार्य के पूरा हो जाने का लक्ष्य रखा गया है. आपके बैंक ने आईडीबीआई टॉवर, मुंबई में लगी 12 यात्री लिफ्टों के आधुनिकीकरण का कार्य भी पूरा किया है.

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित अत्याधुनिक करेंसी चेस्ट

आपका बैंक उद्योग जगत में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के कार्यान्वयन में अग्रणी है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पंचकुला, कोची, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में अपने अत्याधुनिक करेंसी चेस्ट (सीसी) की श्रृंखला में जालंधर केंद्र को शामिल किया. ये सीसी सभी संबद्ध शाखाओं से नकदी प्रोसेस करते हैं तथा एटीम एवं शाखाओं के तंत्र के माध्यम से विपणन के लिए स्वच्छ नोट प्रदान करते हैं. अहमदाबाद और जालंधर के नए सीसी को छोड़कर अन्य सभी सीसी को आईएसओ 9001-2008 गुणवत्ता प्रमाणपत्र के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है.

आंतरिक लेखा परीक्षा

आपके बैंक में एक परिपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो विभिन्न कारोबार/ सहायता वर्टिकलों, शाखाओं तथा सहायक संस्थाओं द्वारा किये जा रहे सभी कार्यकलापों की नियमित लेखा परीक्षा करता है. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के दिशानिर्देशों तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत लेखा परीक्षा की जाती है. लेखा परीक्षा, नियत कार्यों को करते समय अपनी स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता को बनाए रखती है. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कार्यों के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा को अपनी रणनीति के रूप में अपनाया है तथा आंतरिक एवं समवर्ती लेखा परीक्षा पर भारत सरकार द्वारा हाल में जारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है. इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की प्रभावशीलता को वेब आधारित लेखा परीक्षा प्रबंध प्रणाली का कार्यान्वयन, ऑफ-साइट अलर्ट प्रबंध प्रणाली तथा महत्वपूर्ण केंद्रों पर लेखा परीक्षा केंद्र (ऑडिट हब) की स्थापना के पश्चात् और अधिक बढ़ाया गया है

आपके बैंक के पास परिचालनों के स्वरूप और जटिलताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी और आईटी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था के हिस्से के रूप में अनुभवी आंतरिक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (आई एस ऑडिट) टीम मौजूद है.

आपके बैंक ने विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के पूरक के रूप में एक व्यापक समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली भी कार्यान्वित की है. अपनी ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से पिछले साल एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली 2012-13 से लागू की गयी. यह प्रणाली व्यापक रूप से ऋण मूल्यांकन, ऋणों की मंजूरी और ऋण प्रशासन के क्षेत्र में आपके बैंक की नीतियों के अनुपालन का आकलन करती है. आपका बैंक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करता है तथा विभिन्न जोखिमों का समय पर समाधान करने के लिए नियंत्रणों को मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उपाय सुझाता है. इसे ध्यान में रखते हुए आपका बैंक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति, समवर्ती लेखा परीक्षा नीति, सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा नीति और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति की वार्षिक आधार पर समीक्षा करता है.

धोखाधड़ी प्रबंध प्रणाली

आपके बैंक ने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफएमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था की शरुआत की है. धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए धोखाधड़ी समीक्षा परिषद् (एफआरसी) का गठन किया गया है जिससे प्रणालीगत खामियों, यदि कोई हैं, की पहचान की जा सके, सुधारात्मक उपाय शुरू किये जा सकें तथा जांच की प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी की जा सके. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है. इस प्रकार की कार्रवाई में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता आधारित उपचारात्मक उपाय करना शामिल है. धोखाधड़ियों के संभावित क्षेत्रों को एक प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध नीति कार्यान्वित की गई है. इस नीति में धोखाधड़ी का पहले ही पता लगा लेना, नियंत्रण, रिपोर्टिंग, निगरानी और उस पर कार्रवाई के लिए कार्यपद्धति भी शामिल है.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति कार्य-निष्पादन की निरंतर आधार पर समीक्षा करती है, आंतरिक लेखा परीक्षा के कर्मियों को दिशानिर्देश देती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता और इसी प्रकार विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करती है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के कॉरपोरेट केंद्र में स्थित पूर्ण रूप से सुसज्जित सतर्कता विभाग, सतर्कता से जुड़ी शिकायतों की जांच करने के लिए शीर्ष प्रबंधन को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने तथा नियंत्रण प्रणालियों और निर्धारित प्रक्रियाओं में कमियों, यदि कोई हैं, में सुधार लाने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है. यह सतर्कता से संबंधित अनुशासनिक-कार्रवाई मामलों में दंड की मात्रा और प्रकार के बारे में सुझाव भी प्रदान करता है. आपके बैंक ने सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है, जिसके अंतर्गत जनता / किसी अन्य स्रोत से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है. इस संवेदनशील पहलू पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को सूचना एवं अनुपालन हेतु कर्मचारियों के लिए आंतरिक साइट पर प्रदर्शित किया गया है.

वर्ष के दौरान बिना पूर्व सूचना दिए विभिन्न शाखाओं के सतर्कता दौरे किये गये ताकि कदाचार, यदि कोई हो तथा निर्दिष्ट प्रणालियों और प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन का पता लगाया जा सके. जहां आवश्यक समझा गया वहां सुधारात्मक उपाय सुझाए गए. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक के कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्ष के दौरान निवारक एवं सहभागितात्मक सतर्कता पर केंद्रित कई चर्चापरक कार्यशालाएं व विशेषज्ञों के व्याख्यान/ प्रस्तुतियां आयोजित की गईं.

कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में 28 अक्तूबर 2013 से 02 नवंबर 2013 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया.

विनियामक अनुपालन

आपके बैंक ने विभिन्न सांविधिक और विनियामक शर्तों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं. मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित अनुपालन विभाग है जो निम्नलिखित प्रकार के अनुपालन संबंधी कार्यकलापों पर नजर रखता है :

क) सांविधिक प्रावधान (बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, फेमा, धनशोधन निवारण अधिनियम आदि),

ख) विनियामक दिशानिर्देश (आरबीआई, आईआरडीए, सेबी आदि),

ग) उद्योग संघ/ स्व-विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानक एवं पद्धतियां (बीसीएसबीआई, आईबीए, फेडाई, फिम्मडा आदि)

घ) आपके बैंक की आंतरिक नीतियां

> आपके बैंक ने विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के पूरक के रूप में एक व्यापक समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली कार्यान्वित की है. अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली लागू की गयी है.

विभाग बेहतर अनुपालन सुगम बनाने के लिए पूरे संगठन में सांविधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं के बारे में सूचना भी संप्रेषित करता है. इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा विभाग के साथ उचित समन्वय करके कारोबार और अन्य वर्टिकलों में विनियमों के अनुपालन की निगरानी करता है. यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि जहां कहीं भी कमी हो वहाँ उपयुक्त जांच की जाए.

ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड

आपका बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है. आपके बैंक के निदेशक मंडल ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कोड अपनाया है. दोनों कोड स्वैच्छिक हैं जो बैंकिंग पद्धतियों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं. आपके बैंक द्वारा इन कोडों के अनुपालन के अभिन्न हिस्से के रूप में कोडों के बारे में शाखा कार्यालयों में तथा वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों को जानकारी प्रदान की जाती है.

शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण भारत में आपके बैंक के क्षेत्रीय प्रमुखों को कोड अनुपालन अधिकारी के रूप में

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

आईएसओ 9001:2008 ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) के लिए प्रमाणन

पदनामित किया गया है और उनके संपर्क ब्योरे शाखाओं में तथा आपके बैंक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किये गये हैं. आपके बैंक में ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के बीसीएसबीआई के वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंक की योजनाओं, प्रक्रियाओं और सेवाओं को समय-समय पर कारगर बनाया जाता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों पर आवेदनों का उत्तर देने के लिए 25 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किये हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने और प्राप्त आवेदनों को नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने व्यथित आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शिता अधिकारी को नामित किया है. आपके बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पर एक लिंक अलग से उपलब्ध कराया गया है.

2013-14 दौरान बैंक को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगने के लिए .... आवेदन प्राप्त हुए. अधिकांश आवेदन बैंक के खुदरा बैंकिंग परिचालन कार्यों से संबंधित थे. आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी आवेदनों के उत्तर दिए गए.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते आईडीबीआई बैंक केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देता है तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. आपके बैंक की शाखाओं तथा कॉरपोरेट सेंटर में विभागों द्वारा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं. ग्राहकों के प्रति आपके बैंक की प्रतिबद्धता के रूप में बैंक अधिकांश एटीएम पर क्षेत्रीय भाषा के अलावा हिन्दी और अँग्रेजी में अनुदेश प्रदर्शित कर रहा है. आपके बैंक की वेबसाइट पर भी हिन्दी और अँग्रेजी में जानकारी उपलब्ध है. प्रौद्योगिकी आधारित वातावरण में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं. बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिन्दी के प्रयोग में सराहनीय प्रगति करनेवाली शाखाओं को प्रमाणपत्र, नकद पुरस्कार और राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया.

स्टाफ सदस्यों में जागरूकता फैलाने और उन्हें राजभाषा नीति के प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम से परिचित कराने के लिए कॉरपोरेट केंद्र एवं शाखाओं में नियमित रूप से राजभाषा अभिप्रेरणा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आपके बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की. स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए हिन्दी दिवस समारोह के भाग के रूप में कॉरपोरेट केंद्र और शाखाओं में हिन्दी व्याख्यानों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया.

आपके बैंक की अनेक शाखाओं को वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रयोग में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से प्रोत्साहन और सम्मान मिला. आपके बैंक को महाराष्ट्र राज्य स्तर बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा भी 'ख' क्षेत्र में हिन्दी के उल्लेखनीय प्रयोग के लिए राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया.

ग्राहक सेवा एवं शिकायत प्रबंध

उत्पाद निर्माण और सेवा सुपुर्दगी में आपके बैंक का ग्राहक उन्मुख होना उसके संकल्प और लक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है. आपके बैंक का मुख्य ध्येय अपनी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक श्रृंखला से ग्राहकों को आनंदित करना है ताकि सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने का संकल्प पूरा हो सके. आपके बैंक का यह सतत प्रयास रहता है कि इस कॉरपोरेट दर्शन का प्रत्येक ग्राहक संपर्क बिन्दु पर अनुपालन किया जाए. ग्राहक सेवा पर बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति जो पहली समिति को रिपोर्ट करती है, सुनिश्चित करती हैं कि ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन मामलों पर उचित ध्यान दिया जाए.

शाखा अधिकारियों तथा सदस्य के रूप में ग्राहकों को शामिल कर शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समितियों की स्थापना की गई है जिसकी बैठक प्रत्येक माह की 15 तारीख को होती है. इसमें ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए मुद्दों और सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा उनका उपयुक्त कार्यान्वयन किया जाता है.

आपका बैंक अपनी वेबसाइट पर प्राप्त फीडबैक फॉर्म के माध्यम से नियमित आधार पर ग्राहकों की संतुष्टि की निगरानी रखता है. इससे ग्राहक आपके बैंक का मूल्यांकन करने तथा सुधार के लिए सुझाव देने में समर्थ होते हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने प्रसिद्ध मार्केट रिसर्च एजेंसियों के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि के बारे में कई केंद्रों पर सर्वेक्षण किया तथा आपके बैंक के सेवा मानकों पर ग्राहकों से मूल्यवान सुझाव प्राप्त किए.

आपके बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी), जो आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित है, अन्य बातों के साथ-साथ चुनिंदा पद्धतियों के माध्यम से शिकायतों के प्रबंधन का ध्यान रखता है. इसमें शाखाओं से प्राप्त ग्राहक शिकायतों के अलावा ईमेल, वेबसाइट के माध्यम से और कॉरपोरेट केंद्र में प्राप्त पत्र, सोशल मीडिया और सतत प्रयत्नशील फोन बैंकिंग टीम के माध्यम से प्राप्त शिकायतें और उनका निवारण शामिल है. सीसीसी बैंकिंग लोकपाल, रिज़र्व बैंक, भारत सरकार और अन्य विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त शिकायतों पर भी विचार करता है. आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण नीति है जो शाखा स्तर पर शिकायतों के निवारण और सीसीसी को भेजी गई शिकायतों के निवारण के लिए समय-सीमा निर्धारण सहित, इसके शिकायत निवारण और ग्राहक सेवा के प्रति दृष्टिकोण को रेखांकित करती है.

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, ग्राहक सेवा के कार्यान्वयन और ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निवारण करने के लिए आपके बैंक ने प्रधान कार्यालय में मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी (सीजीआरओ) और अंचल कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) की नियुक्ति की है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक सेवा प्रावधान में और अधिक सुधार लाने, ग्राहकों की शिकायत निवारण में लगनेवाले समय को कम करने और बैंकिंग लोकपाल/रिज़र्व बैंक के पास शिकायतों को कम करने के लिए मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी के रूप में एक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की है.

> समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक सेवा प्रावधान में और अधिक सुधार लाने, ग्राहकों की शिकायत निवारण में लगनेवाले समय को कम करने और बैंकिंग लोकपाल/रिज़र्व बैंक के पास शिकायतों को कम करने के लिए मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) के रूप में एक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की है.

आंतरिक रूप से विकसित ग्राहक मूल्य प्रबंध (सीवीएम) सॉफ्टवेयर, उद्योग मानकों के अनुरूप है तथा यह ग्राहक से संबंधित सभी बिंदुओं पर शिकायत निवारण प्रक्रिया के मानकीकरण के माध्यम से ग्राहक संबंधों को मजबूत करने और ग्राहक सेवा गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है.

रिज़र्व बैंक की लेखा परीक्षा सिफ़ारिशों के अनुसार तथा बैंक की कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के हिस्से के रूप में फोन बैंकिंग परिचालन के लिए हैदराबाद में एक आपदा रिकवरी (डीआर) साइट की स्थापना की गई है. वर्ष के दौरान वर्तमान फोन बैंकिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है, जबकि शिकायत निवारण को तेज और ग्राहक सेवा को बेहतर करने के लिए मुंबई और हैदराबाद साइट की कुल क्षमता को बढ़ाया गया है.

कॉरपोरेट संवाद

वर्ष के दौरान आपके बैंक के री-ब्राडिंग अभियान के साथ विज्ञापन और प्रचार को तेजी से बढ़ाया गया और चार वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ अभियान आपके बैंक के बाह्य संचार के रूप में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है. यह अभियान अक्तूबर 2013 के अंत से फरवरी 2014 की शुरुआत तक कुछ चुनिंदा मीडिया में चलाया गया, जो मुख्य रूप से टेलीविजन कमर्शियल के रूप में था जिसमें ब्रांड की विशेषता और बैंक

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

श्री वयम

भारत की उन चुनिंदा गृह पत्रिकाओं में से एक, जिसे आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त है

के दृष्टिकोण को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए दोस्ती की सामान्य अवधारणा को अपनाते हुए ब्रांड विशेषता और उसकी पोजिशनिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया. अभियान की शैली में इस बात पर जोर दिया गया कि आईडीबीआई बैंक एक जोशीला और मित्रवत बैंक है जो अपने ग्राहकों का ख्याल रखता है. इस अभियान, जिसे अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ने असंदिग्ध रूप से जेंडर का फर्क किए बिना 'बच्चों' की सहज मासूमियत का उम्दा प्रयोग करते हुए रुचिकर बातचीत के माध्यम से वास्तविक जीवन के विविध पक्षों को छूने, खुशी, सावधानी एवं सुरक्षा का मूल संदेश देने तथा यह बताने का प्रयास किया है कि आईडीबीआई बैंक एक सच्चा दोस्त है जिस पर ग्राहक कठिन समय में भी आँख बंद कर के विश्वास कर सकता है. नया प्रचार वाक्य 'बैंक ऐसा, दोस्त जैसा' (बैंक से अधिक एक दोस्त) निश्चित रूप से ब्रांड के यूएसपी को प्रतिध्वनित करता है. ब्रांड अभियान की प्रतिध्वनि इस वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के मूल विषय 'गहराती दोस्ती, संवरती जिंदगी' में गुंजित होती है.

आपके बैंक के पैनल में शामिल सृजनात्मक एवं मीडिया विक्रेता एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित प्रचार अभियान के समेकित प्रभाव विश्लेषण से, साथ ही ब्रांड अभियान द्वारा अर्जित किए गए सम्मान एवं पुरस्कारों से साफ पता चलता है कि अभियान का समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा इसने प्रतिक्रिया देनेवालों से अनुकूल फीडबैक प्राप्त किए हैं. ब्रांड अभियान सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया देनेवालों ने बताया कि उन्होंने अभियान के संवाद में एक युवा, आधुनिक, ग्राहक-केंद्रित, प्रौद्योगिक रूप से उन्नत और विश्वसनीय बैंक को देखा, जो अपनापन और व्यवसायी भाव दोनों को साथ लेकर चलता है. ''बैंक ऐसा, दोस्त जैसा'' टैगलाइन को प्रतिक्रिया देनेवालों ने बिना किसी सहायता के जोरदार ढंग से दोहराया. मुख्य उपलब्धि यह रही कि इसका मूल संदेश आपके बैंक के लक्ष्य घटकों के साथ स्थायी और भावात्मक संबंध स्थापित करने में सफल रहा.

नए ब्रांड अभियान के बंद होने के बाद आपके बैंक ने रिटेल उत्पाद अभियानों की श्रृंखला की शुरुआत की जिसमें 2013-14 की चौथी तिमाही में अंशांकित श्रृंखलाओं में सर्वोत्कृष्ट उत्पाद और विभिन्न माध्यम शामिल थे तथा जो ब्रांड अभियान संवाद के परिवेश और सामंजस्यता को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे. इनका उद्देश्य आपके बैंक के प्रस्तावों की ग्राहकों पर अमिट छाप छोड़ते हुए विज्ञापनों में निवेश पर प्राप्त लाभ को बढ़ाना था जिसके लिए यह मूल रूप से है. आपके बैंक के सर्वोत्कृष्ट पीएसजी उत्पादों से ग्राहकों को परिचित कराने के लिए बीटीएल संपार्श्विकों जैसे बैनरों, स्टैंडी,पोस्टरों और फ्लायरों के साथ-साथ विज्ञापनों के आर्टवर्क भी जारी किए गए.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अत्यधिक संख्या में छपनेवाले प्रकाशनों - समाचार पत्र और पत्रिकाओं दोनों - में भी विज्ञापन जारी किए तथा कुछ इवेंट में भाग लिया/को प्रायोजित किया जिससे आपके बैंक की दृश्यता और छवि के प्रचार में बढ़ोतरी हुई.

प्रोत्साहन और व्यवसाय प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने प्रशंसकों और ग्राहकों को फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब और गूगल पर निरंतर व्यस्त रख कर आपके बैंक ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया. ब्रांडिंग अभियान को डिजिटल माध्यम से बढ़ावा दिया गया जिसे ऑनलाइन जगत में भी मान्यता तथा सराहना मिली.

आपके बैंक की पुनर्निर्मित वेबसाइट न केवल अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल वेब इंटरफेस एवं अपने विजिटरों के लिए बेहतर नेवीगेटिंग अनुभव प्रदान करती है बल्कि इसमें शाखाओं और एटीएमों को लोकेट करने के लिए एक नवोन्मेषी टूल भी शामिल है. आपका बैंक शीघ्र ही, मोबाइल फ्रेंडली, डिवाइस रिस्पोंसिव वेबसाइट, जो शेयरधारकों को चलते-फिरते भी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करा सकेगी, के जरिए मोबाइल वेब कम्युनिकेशन में जल्द ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा.

वर्ष के दौरान आपके बैंक के जन संपर्क से संबंधित कार्यकलाप बैंक की दृश्यता बढ़ाने और अमिट छाप छोड़ने, मीडिया एवं वित्तीय समुदाय में आईडीबीआई बैंक के प्रोफ़ाइल को बढ़ाने तथा निवेशकों के बोध को संचालित करने के उद्देश्य के साथ किए गए. आपके बैंक ने कई

प्रमुख आयोजनों/ प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया तथा जिन्हें भारत भर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त हुआ. इसमें ऐसे आयोजन भी शामिल थे जो आपके बैंक की एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में सुस्थापित साख को दर्शाते हैं. बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों के विचार प्रमुख दैनिकों, पत्रिकाओं और टीवी चैनलों में प्रसारित हुए जिससे बैंक की छवि और पहचान में बढ़ोतरी हुई .

आंतरिक संवाद

आपके बैंक के आंतरिक संवाद (आईसी) के लिए यह जरूरी है कि उससे मानव पूंजी के संकल्प मूल्यों और संस्कृति का प्रभावी सम्प्रेषण किया जा सके. इस उद्देश्य से आंतरिक संवाद के लिए अंशधारकों हेतु विभिन्न माध्यमों जैसे - गृह पत्रिका, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म और स्टाफ सुझाव योजना (एसएसएस) का प्रयोग किया जाता है.

प्रतिष्ठित द्विभाषी तिमाही गृह-पत्रिका श्रीवयम्, जो अब अपने 28वें वर्ष में है, आपके बैंक के महत्वपूर्ण आयोजनों और कर्मचारियों की उपलब्धियों को प्रकाशित एवं रेखांकित करती है. यह जीवन के सभी पहलुओं खेल, कल्याण, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापों को शामिल करती है. यह भारत की उन चुनिन्दा गृह पत्रिकाओं में से एक है, चाहे केवल यही न हो, जिसे आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त है.

आपके बैंक द्वारा ज्ञान के परस्पर आदान-प्रदान के लिए विकसित प्लेटफ़ार्म आई-शेयर, दूसरों के साथ उत्पाद/ नीतियों/ सेवाओं पर अपने सुझाव, अनुभव और टिप्पणी बांटने में कर्मचारियों की सहायता करता है. आई-शेयर का उद्देश्य कर्मचारियों को उनसे और आपके बैंक से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने में समर्थ कर संवाद की बाधाओं को दूर करना है. यह कर्मचारियों को समान रुचि के विषयों पर भी अपने विचार, अनुभवों और ज्ञान को बांटने के लिए एक प्रभावशाली सहभागितापूर्ण माध्यम प्रदान करता है.

अध्यक्ष के विचारों को समर्पित एक ब्लॉग साइट है जो सम्पूर्ण भारत के कर्मचारियों के लिए उनके साथ संवाद स्थापित करने हेतु एक प्रत्यक्ष चैनल का काम करती है.

> आपका बैंक इस बात के महत्व को समझता है कि कैसे सीएसआर कार्यकलाप समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में सार्थक एवं दीर्घकालिक सुधार ला सकते हैं. इस संदर्भ में सीएसआर आईडीबीआई बैंक की जीवन शैली है जो आपके बैंक के कॉरपोरेट दर्शन में सन्निहित है.

लोकप्रिय स्टाफ सुझाव योजना (एसएसएस) ग्राहक आह्लाद, वित्तीय बचत, समय की बचत, नीरसता दूर करने व परिचालन में उत्पादकता / दक्षता बढ़ाने के संबंध में स्टाफ सदस्यों को रचनात्मक सुझाव प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है, जो अंततः आपके बैंक और ग्राहकों दोनों को लाभान्वित करती है. एसएसएस नकद पुरस्कार भी प्रदान करती है.

इंट्रानेट पर उपलब्ध केंद्रीकृत उत्पाद सूचना किओस्क (सेनपिक) आपके बैंक के सभी उत्पादों व सेवाओं के विवरण प्रदान करता है. सभी उत्पादों व सेवाओं के विवरण के लिए एक ही प्लेटफ़ार्म प्रदान करने के साथ-साथ, सेनपिक परिचालन स्तर पर उठने वाली किसी भी शंका का समयबद्ध तरीके से शीघ्र समाधान करने के लिए विंडो भी प्रदान करता है.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

विकास वित्त तथा राष्ट्र निर्माण गतिविधियों से घनिष्ठ समन्वय की पृष्ठभूमि होने के नाते आपका बैंक इस बात के महत्व को समझता है कि कैसे सीएसआर कार्यकलाप समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में सार्थक एवं दीर्घकालिक सुधार ला सकते हैं. इस संदर्भ में सीएसआर आईडीबीआई बैंक की जीवन शैली है जो आपके बैंक के कॉरपोरेट दर्शन में सन्निहित है. आपके बैंक के जनवरी 2013 की बोर्ड-अनुमोदित मौजूदा सीएसआर नीति एक सक्रिय पहल है जो ग्रामीण बुनियादी संरचना, सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यावरण, समुदाय कल्याण और स्वास्थ्य की देखरेख जैसे क्षेत्रों में सम्मिलित हस्तक्षेप रखती है और जिनके लिए इसके लाभ से विभिन्न योग्य पहल कार्यों के लिए समर्पित सीएसआर बजट रखा गया है.

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

आईएसओ 9001:2008 सीपीयू, सभी आरपीयू और सभी सीसीयू के लिए प्रमाणन

हाल ही में लागू हुए कंपनी अधिनियम, 2013 जिसका एक खंड सीएसआर के लिए समर्पित है, के चलते आपके बैंक की सीएसआर पॉलिसी को इस अधिनियम के उपबंधों तथा फरवरी 2014 में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में अधिसूचित स्वीकार्य गतिविधियों एवं नियमों के अनुपालन के लिए फिर से पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की गई. जैसा कि अधिनियम में दिया गया है तथा उसके अनुसरण में आपके बैंक के निदेशक मण्डल ने वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दोनों उप प्रबंध निदेशक तथा विशिष्ट उत्तरदायितवों के साथ दो स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए एक पाँच सदस्यीय कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर) का गठन किया है. मार्च 2014 में सीएसआर समिति ने अपने अधिदेश के रूप में आपके बैंक की संशोधित सीएसआर नीति की बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए सिफारिश की है. अनुमोदित होने पर नई सीएसआर नीति मौजूदा सीएसआर नीति को प्रतिस्थापित करेगी तथा यह 1 अप्रैल 2014 से पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रभावी होगी. संशोधित सीएसआर नीति की मुख्य बातें, अप्रैल 2014 से इसके तत्वाधान में की गई गतिविधियों तथा संबद्ध खर्चों को अगले वर्ष निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाएगा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिदेशित है.

आईडीबीआई बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और मान्यता- प्राप्त संगठनों के सहयोग; दोनों से समाज के लक्षित स्तर पर और अधिक प्रभाव डालने के लिए अपनी निधि और गतिविधि को बढ़ा दिया है. इनमें विभिन्न राज्यों के आदिवासी समूहों और सुविधा से वंचित, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आय-सृजन गतिविधियों को प्रचारित करने हेतु तैयार की गई परियोजनाओं के लिए सहयोगपूर्ण दीर्घावधि निधि; स्कूलों तथा युवा-प्रशिक्षण केन्द्रों को बुनियादी संरचना सहायता; सोलार स्ट्रीट लाइटों के जरिए ग्रामीण विद्युतीकरण; नेत्रहीनों, शारीरिक रूप से अक्षमों और सुविधा से वंचित समाज के अन्य वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है. आपका बैंक यूनिसेफ के सहयोग से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 400 स्कूलों के 80,000 छात्रों के लिए जल, निस्तारण और हाइजीन (डबल्यूएएसएच) सुविधाओं में सुधार पर केंद्रित एक परियोजना पर कार्य कर रहा है. हाल ही में, आपके बैंक ने कैंसर इंस्टीट्यूट, अड्यार, चेन्नई के साथ डे केयर कीमोथिरेपी मरीजों के लिए सुविधा हेतु निधि प्रदान करने में सहभागिता की है. इसके अलावा, 'बैंक ऐसा दोस्त जैसा' के अपने ब्रांड वादे को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक कई राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहा है. आपका बैंक बैंकिंग सुविधारहित क्षेत्रों और समाज के वित्तीय रूप से छूटे हुए वर्गों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करने के लिए अपनी सीएसआर पहलों के सह-उत्थान का प्रयास कर रहा है. वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2014 के दौरान आपके बैंक की कुल सीएसआर वचनबद्धता लगभग ₹ 12.2 करोड़ है. आपके बैंक के सीएसआर संबंधी प्रयास को कई मंचों पर उपयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त हुई है.

सूचना प्रौद्योगिकी

ग्राहकों को विशिष्ट अनुभव प्रदान करने के प्रयास में आपके बैंक ने नई प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित किया है तथा प्रभावी उत्पादों, सेवाओं और सुपुर्दगी प्रणालियों को शुरू कर रहा है. यह ग्राहकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए है ताकि वे लेन-देन करते समय आरामदेह महसूस कर सकें. ये प्रौद्योगिकी नवोन्मेष कार्य केवल परिचालनात्मक सुविधा में सुधार के लिए नहीं हैं बल्कि प्रणालियों और प्रक्रियाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए भी हैं.

विभिन्न प्रौद्योगिकी पहलों के व्यावसायिक रूप से संचालन और प्रबंधन के लिए आपके बैंक के पास एक समर्पित सूचना प्रौद्योगिकी सहायक संस्था है जो आपके बैंक की आईटी जरूरतों पर ध्यान देती है. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के प्रबंधन, नियंत्रण और निगरानी के लिए बैंक में आईटी प्रभाग की स्थापना की गई है जो सूचना प्रौद्योगिकी सहायक संस्था और बैंक के मध्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है.

वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक ने बैंकिंग के विभिन्न खंडों को शामिल करते हुए नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं को शुरू किया. नई विशेषताओं का लाभ लेने के लिए आपके बैंक द्वारा प्रयोग किए जा रहे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर को आगामी स्तर तक उन्नत किया जा चुका है.

आपके बैंक ने पूरी गंभीरता से, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में बॉयोमैट्रिक एक्सेस शुरूकिया और इस प्रकार एक्सेस नियंत्रण को आधुनिकतम और सुरक्षित तरीकों में से एक को प्राप्त कर लिया है. शाखा नेटवर्क की वृद्धि और कारोबार के निरंतर बढ़ते आकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर शक्ति को बढ़ाने के लिए आईटी हार्डवेयर को अद्यतन किया गया. इसके साथ-साथ आपके बैंक ने कई आईटी पहलों को लागू किया है जैसे कि सीआरएम, डाटा वेयरहाउस तथा यह जोखिम आधारित लेन-देन निगरानी प्रणाली की स्थापना पर कार्य कर रहा है.

आपके बैंक ने महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान को सुगम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर बैंक एंड ट्रेजरी रसीद (ई-एसबीटीआर) हेतु सफलतापूर्वक एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है.

ग्राहकों को संबंधित जानकारी कम से कम क्लिक में प्रदान करने के लिए आपके बैंक की वेबसाइट को पुनः डिजाइन किया गया. आपका बैंक वैयक्तिक और कॉरपोरेट ग्राहकों को निर्बाध सुविधा के जरिए विभिन्न करों का भुगतान करने की सुविधा प्रदान कर रहा है, नेट बैंकिंग के जरिए करों का भुगतान करने हेतु और अधिक राज्यों को शामिल किया गया है. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के अधिदेश के अनुसार चेन्नई और दिल्ली ग्रिड पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है. मुंबई ग्रिड के लिए परियोजना चल रही है. वर्ष के दौरान प्रारम्भ की गई कई प्रमुख उत्पाद उन्मुख प्रोद्योगिकी नवोन्मेषी पहलों की जानकारी रिपोर्ट के तदनुरूपी उत्पाद खंड में दी गई है.

आपका बैंक ग्राहक की सूचना और आंकड़ों की सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. अपनाए जा रहे विभिन्न सुरक्षा उपायों के अलावा, आपका बैंक अपने 24x7 राष्ट्रीय संपर्क केंद्र और ई-मेल / डाक पत्राचार के जरिए ग्राहकों को किसी फिशिंग अटैक या साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए सर्वोत्तम व्यवहार की आदत डालने हेतु शिक्षित भी करता है. अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में, आपके बैंक ने खरीदारी करते समय डेबिट कार्ड के प्रयोग को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पीओएस विशेषता के रूप में पिन शुरू किया है.

आपके बैंक का प्राथमिक उद्देश्य निर्बाध और सुचारू बैंकिंग के जरिए ग्राहकों की सेवा करना है. इसलिए आपके बैंक ने कारोबार निरंतरता को बनाए रखने के लिए वैश्विक मानकों को अपनाया है.

> वर्ष के दौरान आपके बैंक ने महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान को सुगम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर बैंक एंड ट्रेजरी रसीद (ई-एसबीटीआर) हेतु सफलतापूर्वक एक ऑनलाइन पोर्टल शुरूकिया है.

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक के पास केंद्रीकृत सेवाओं जैसे- एटीएम कार्ड विनिर्माण और सुपुर्दगी, पिन मेलर विनिर्माण और सुपुर्दगी, डीमैट खाता खोलने और अन्य परिचालनों के लिए मुंबई में एक आधुनिकतम केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) है. आपके बैंक के पास बचत बैंक खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता खोलने के लिए विश्वस्तरीय क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाइयां (आरपीयू) भी हैं जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद में स्थित हैं. सीपीयू और आरपीयू खाता खोलते समय केवाईसी और एएमएल के दृष्टिकोण से, लगने वाले समय (टीएटी) में कटौती और लागत की बचत पर और बेहतर तथा एकीकृत नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे के सीपीयू आरपीयू को आईएसओ 9001-2008 के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणपत्र से प्रमाणित किया गया है.

आपके बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रांची, गुवाहाटी और भुवनेश्वर में तीन नए केंद्रीय समाशोधन यूनिट (सीसीयू) शुरू किए हैं, इसके साथ आपके बैंक के सीसीयू की कुल संख्या 29 हो गई है तथा सभी आईएसओ 9001-2008 प्रमाणित हैं. सीसीयू दिल्ली और दक्षिणी चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) ग्रिड के सभी सीसीयू को सीटीएस क्लियरिंग में रूपांतरित कर दिया गया है. सीटीएस को चेन्नई शहर की सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों में 'ग्रिड मॉडल' के आधार पर लागू

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण

बिजनेस टुडे पत्रिका द्वारा कार्यक्षमता एवं उत्पादकता के आधार पर बैंक को बृहद् बैंकों के बीच सर्वोत्तम बैंक का स्थान दिया गया है.

किया गया है. यह संक्रमण बहुत सुगमता तथा रिज़र्व बैंक तथा एनपीसीआई द्वारा प्रस्तावित अनुसूचियों के अनुसार कड़े अनुपालन में संपन्न हुआ. सीसीयू मुंबई की क्लियरिंग कार्यकलापों को सीटीएस में रूपांतरित किया गया. सीसीयू के जरिए लगभग 700 शाखाओं और सीटीएस के अंतर्गत 300 शाखाओं को सेवा दी गई.

वर्ष 2013-14 के दौरान पुरस्कार और सम्मान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके बैंक को बैंकिंग क्षेत्र और उससे इतर क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

अग्रणी कारोबार पत्रिका, बिजनेस टुडे ने 8 दिसंबर 2013 को ''सर्वोत्तम बैंक'' नाम से प्रकाशित अंक में कार्यक्षमता एवं उत्पादकता के आधार पर बृहद बैंकों के बीच आईडीबीआई बैंक को सर्वोत्तम बैंक करार दिया है. आपके बैंक ने एडफिएप अवाड्र्स 2014 में अपनी 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के लिए विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत सर्वोत्तम वार्षिक रिपोर्ट अवार्ड भी प्राप्त किया है.

द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट (बीटीआर) अध्ययन 2014 जो ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी (टीआरए) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रकाशन है, ने विभिन्न श्रेणियों के शीर्ष 1200 ब्रांडों में से आईडीबीआई बैंक को 85वां स्थान (ब्रांड में भरोसे के अनुसार) प्रदान किया है जोकि बीटीआर 2013 में 159 वीं रैंक से 74 पायदान ऊपर है. आपके बैंक ने बीएफ़एसआई-पीएसयू श्रेणी में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया. लोगों का इस ब्रांड पर बढ़ा हुआ विश्वास आंशिक रूप से यह दिखाता है कि इस वर्ष लोगों को जानकारी देने के लिए की गई ब्रांडिंग तथा उत्पादों के प्रचार अभियान से आपका बैंक अपने ग्राहकों के साथ हर समय एक दोस्त की तरह खड़ा दिखता है.

आईडीबीआई बैंक लंबे समय से अपनी प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, जिसके लिए वर्ष के दौरान इसने कई पुरस्कार भी जीते हैं. आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2012-13 में आपके बैंक ने पाँच श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं. ये हैं: टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द इयर तथा सर्वोत्तम भुगतान पहल श्रेणी में प्रथम रनर अप, सर्वोत्तम इंटरनेट बैंक में दूसरा रनर अप, कारोबारी बुद्धिमता तथा सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा पहल श्रेणी में दूसरा रनर अप. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा आयोजित नवें नेशनल फायनेंशियल स्विच (एनएफ़एस) में सर्वोत्तम चार्जबैक मैनेजमेंट, बेस्ट टेक्निकल डिक्लाइन और बिजनेस डिक्लाइन स्टैंडर्ड के लिए बैंक को 'सर्वोत्तम बैंक-जूरी अवार्ड' से सम्मानित किया गया. आईसीटी श्रेणी में बैंक को ई-एसबीटीआर (इलेक्ट्रॉनिक रक्षित बैंक तथा खजाना रसीद) के लिए स्कॉच रिनैसा अवार्ड 2013 प्राप्त हुआ है. बैंकिंग क्षेत्र में आईडीबीआई बैंक की अदभुत पेशकश- आईडीबीआई समृद्धि पोर्टल- को फिन्नोविटी 2013 अवार्ड में (इंस्पायरिंग इनोवेशन) का पुरस्कार प्रदान किया गया. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जिलों में वित्तीय समावेशन श्रेणी के अंतर्गत (वित्तीय समावेशन) 'आधार परियोजना' को आरंभ करने के लिए आपके बैंक को 2013 में वित्तीय समावेशन तथा भुगतान प्रणाली (एफ़आईपीएस) अवार्ड में विजेता घोषित किया गया है.

आपके बैंक का पुनः ब्रांडिंग अभियान मुख्यतः टेलीविज़न विज्ञापन के रूप में प्रचारित मिश्रित मीडिया में प्रचारित हुआ. अपने लक्ष्य समूह के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने के साथ-साथ संकल्पता उसकी सृजनात्मक प्रस्तुति को असंख्य अवार्ड तथा प्रशंसा मिली. 2013 में तमिल प्रिंट मीडिया में सर्वोत्तम विज्ञापन के लिए हमारे अभियान के एक प्रिंट विज्ञापन को 'कालकी सदाशिवम मेमोरियल अवार्ड' दिया गया. पीआरसीआई कोलेटरल अवाड्र्स 2014 में कॉरपोरेट विज्ञापन अभियान श्रेणी में आपके बैंक के ब्रांड अभियान को सिल्वर अवार्ड से

नवाजा गया. ओगिल्वी एंड माथर आयोजित आंतरिक अवार्ड कार्यक्रम में 350 प्रविष्टियों में से बैंक को 'द एनवीस' अवार्ड प्राप्त हुआ. मीडिया डोमेन के प्रीमियर वेब अखबार Exchange4media.com ने विज्ञापन तथा विपणन के लिए एक टीवी कमर्शियल अभियान को 2013 के श्रेष्ठ पाँच कमर्शियल में स्थान दिया है. फायनेंशियल एक्सप्रेस के सप्लीमेंट दि ब्रांड वैगन ने टीवी विज्ञापनों को तीन स्टार रेटिंग दी है. इंडियन एक्सप्रेस ने अपने लेख एड मैड वर्ल्ड में आईडीबीआई बैंक के टीवी विज्ञापन को 2013 के पाँच सर्वाधिक पसंदीदा विज्ञापनों में से एक माना है.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के क्षेत्र में आईडीबीआई बैंक के पहल कार्यों को उपयुक्त फोरमों में सराहा गया है. सीएसआर क्षेत्र में इसके उत्कृष्ठ प्रदर्शन तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिए निरंतर प्रतिबद्धता दिखाने के लिए आईडीबीआई बैंक को 2013 में बैंकिंग (पीएसयू) श्रेणी के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया. आपके बैंक ने लद्दाख के बाढ़ से प्रभावित तरु गाँव का पुनर्निर्माण कर उसे एक 'आदर्श गाँव' बनाने के अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्लेटिनम श्रेणी- जो कि अवार्ड की उच्चतम श्रेणी है- में तीसरा वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड जीता. 2014 की शुरुआत में आपके बैंक को बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेस एंड इंश्योरेंस (बीएफएसआई) अवार्ड, 2014 में बैंकिंग श्रेणी में 'बेस्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी प्रैक्टिस' अवार्ड प्रदान किया गया. आपके बैंक की डॉक्यूमेंटरी फिल्म 'तरू जमीन पर', जो लद्दाख के बाढ़ प्रभावित तरू गाँव के पुनर्निर्माण में इसकी सीएसआर पहल को दिखाती है, को पीआरसीआई कॉरपोरेट कॉलेटरल अवार्ड 2014 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

एडफिएप अवार्ड, 2014 में हरित बैंकिंग श्रेणी में आपके बैंक ने 'पर्यावरण विकास' के क्षेत्र में दो परियोजनाओं अर्थात् पर्यावरण बैंकिंग तथा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस (ओडीएस) चरणबद्ध रूप से समापन परियोजना के माध्यम से लो - कार्बन बिजनेस सस्टेनेबिलिटी परियोजना के लिए आईडीबीआई की पहल तथा इंडिया चिलर एनर्जी एफीशियेंसी परियोजना (आईसीईईपी) के लिए पुरस्कार जीते. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई स्थित आपके बैंक के कार्यालय को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौंसिल द्वारा लीड इंडिया 'गोल्ड' रेटिंग से सम्मानित किया गया.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके बैंक को बैंकिंग क्षेत्र और उससे इतर क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

मानव पूंजी विकास में कर्मचारियों का पोषण, उनके विकास तथा एक उत्साहपूर्ण तथा प्रतिबद्ध कार्यदल को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक, ऊर्जावान तथा कार्य निष्पादन आधारित वर्क कल्चर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक के योगदान की प्रशंसा की गई. इसे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट श्रेणी में 'ग्राहक को अच्छी सेवा प्रदान करने तथा समुचित विकास पर प्रभाव डालने के लिए मानव पूंजी के उत्थान' हेतु एडफिएप डेवलपमेंट अवार्ड, 2013 में विजेता घोषित किया गया था.

आंतरिक सम्प्रेषण के क्षेत्र में आपके बैंक के गृह प्रकाशनों ने 53वें एबीसीआई (एसोसियेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर) वार्षिक अवार्ड में 3 श्रेणियों में पुरस्कार जीते; श्री वयम ने फीचर (अंग्रेजी) के लिए स्वर्ण पुरस्कार तथा हेडलाइन के लिए रजत पुरस्कार जीता तथा इसकी हिन्दी की सह- गृह पत्रिका- विकास प्रभा ने फीचर (हिन्दी) के लिए रजत पुरस्कार जीता. पीआरसीआई कॉरपोरेट कॉलेटरल अवार्ड 2014 में भी विकास प्रभा की प्रशंसा की गयी.

Management Discussion & Analysis

3.0%
Global GDP growth in 2013

4.9%
India's GDP growth in 2013-14 (AE)

BUSINESS ENVIRONMENT

Global Economic Scenario

The pace of global economic activity and world trade gathered steam in the second half of 2013, with deterministic impetus from the advanced economies, although their recoveries remain uneven. While export growth improved, domestic demand growth remained mostly unchanged. The stronger-than-expected acceleration in global activity in the latter part of 2013 was partly driven by increases in inventory accumulation that is likely to be reversed; latest incoming data also suggest a slight moderation in economic growth in the first half of 2014. According to the World Economic Outlook (WEO) Report published by International Monetary Fund (IMF) in April 2014, global economy grew by 3.0% in 2013, supported by healthy growth in the US but weighed down by muted performance in the Euro-Zone and Japan as also slowdown in the Emerging Market and Developing Economies (EMDEs), especially China. Another important seismic movement in the origin of the growth momentum, from IMF's perspective, is that the recovery is finally becoming a bit more balanced in an overall economic landscape that has changed significantly. For the past five years, the EMDEs had been shouldering the burden of recovery, accounting for 75% of increase in global growth since 2009. The 'rich world', led by US, now contributes towards 20% of global growth but is dangerously reliant on China.

IMF put the growth in the advanced economies at 1.3% in 2013 – marginally below 1.4% in 2012. Although GDP growth in the US remained subdued at 1.9% for the entire 2013, there was a smart spurt in growth of 3.3% in the second half of 2013 due to strong export growth and temporary increase in inventory demand. The economy is nearing its goal of maximum employment and is expected to reap the upside of stable prices and moderate long term interest rates. Other indicators like rising propensity of household and business spending suggest that GDP growth will remain resilient in the first half of 2014. The Euro area contracted by 0.5% in 2013, marking only a slight improvement on contraction by 0.7% in the previous year, but far below growth of around 2.0% seen in the US and the UK. Contributions from net exports have helped the turnaround outside the core Euro area, as has the stabilisation of domestic demand. Despite the extensive monetary and fiscal stimulus, economic recovery in the Japanese economy lost pace in the second half of 2013, resulting in a full year growth of 1.5%, just nominally above 1.4% in the previous year.

Despite a slight pick-up in growth in the second half of 2013, the EMDEs grew at a slower pace of 4.7% in 2013 compared to 5.0% in 2012. The weaker cyclical momentum, relative to advanced economies, reflects opposite effects of two forces on growth, which are expected to play through much of 2014. While their export growth benefitted from stronger activity in advanced countries and from currency depreciation, investment weakness persisted and domestic financial conditions increasingly tightened, impacting demand/growth in some economies like China, Korea, Malaysia among others. China, the fastest growing economy, has embarked on a phase of tight monetary policy in order to strike a balance between cyclical economic concerns and structural weaknesses. Consequently, for 2013, the growth rate was maintained at 7.7%. Overall, however, EMDEs continued to contribute more than two-thirds of global growth.

Domestic Economic Environment

Growth momentum in Indian economy stayed subdued for the second successive year, in 2013-14, reflecting global developments and domestic supply constraints. Led by falling infrastructure and corporate investment, the slowdown has generalised to other sectors of the economy. Core inflation remained stubbornly high, despite some moderation in headline inflation from December 2013 through February 2014, helped in part by transient factors. The financial position of corporate sector deteriorated, with adverse implications for asset quality, which, in turn, also impacted banks' profitability. However, there are recent indications that growth may have bottomed out, although industrial activity continues to be a drag on the economy. Both trade deficit and more importantly, Current Account Deficit (CAD) narrowed significantly in the second half of 2013-14 from a year ago levels, aided by improved external conditions, among others. Policy measures to bolster capital flows have further helped reduce external vulnerabilities. More reassuringly, policy action in India has rebuilt buffers, which effectively bulwarked the Indian economy and, in particular, undue exchange rate volatility from recent external headwinds. With the anticipated narrowing of the twin deficits – both current account and fiscal – as well as the replenishment of foreign exchange reserves through capital inflows in the last quarter 2013-14, appreciation in the Rupee exchange rate, and more importantly, setting in motion of disinflationary impulses, the risks of near-term macro instability have diminished.

Real Sector

Gross Domestic Product (GDP)

Advance estimates of National Income for 2013-14, released by the Central Statistical Office (CSO), has put out a GDP growth of 4.9% in 2013-14, higher than the growth of 4.5% in 2012-13. The latter represented a 50 basis points reduction from earlier estimates mainly due to sharper slowdown in mining and construction, as well as higher base rate effect on account of an upward revision in growth rate in 2011-12. Agriculture sector is expected to be the primary growth driver while Industry and Services sectors are likely to witness slowdown. Their relative shares in overall GDP would exert a deterministic influence on overall macro-economic numbers. Growth in Agriculture sector follows a boost in food production, induced by above-average monsoons. The deceleration in Industrial sector is mainly on account of continued contraction in Mining and Manufacturing sectors that has offset the robust growth evidenced in the Electricity sector.

> The pace of global economic activity and world trade gathered steam in the second half of 2013. Global GDP growth was supported by healthy growth in the US but weighed down by muted performance in the Euro-Zone and Japan as also slowdown in the EMDEs, especially China.

India's economic activity, as captured by GDP at factor cost, for the April - December 2013 period, for which data is currently available, was marginally higher at 4.6%, compared to 4.5% in the corresponding period of the previous year. However, a persistent sub-potential performance by the Services sector continues to sustain, which augurs ill for the revival of the Indian economy, considering its high contribution to the overall GDP. Further, the deceleration in the Services sector will adversely impact the performance of the other two sectors - Agriculture and Industry - as demand in these sectors are largely driven by the performance in the Services sector. Additionally, muted consumption demand and flaccid investment sentiments is also likely to

Management Discussion & Analysis

0.1%
De-growth in IIP in 2013-14

9.5%
Average CPI in 2013-14

impact the pace of economic activity during 2013-14, which, on current reckoning, would most likely end up short of the 4.9% mark put out in the advance estimates. The happy augury is that growth appears to have bottomed out by the end of third quarter of 2013-14 with an improved outlook for the Indian economy during the first three months of 2014.

Industrial Scenario

During 2013-14, cumulative Index of Industrial Production (IIP) fell by 0.1% against a growth of 1.1% registered in the corresponding period of the previous year. Sustained weakness in domestic consumption demand, which rising exports failed to cushion, a virtual standstill in investment, delayed implementation of projects due to structural roadblocks, supply-side constraints, policy uncertainty and lagged intervention to arrest the downturn and a tight monetary policy regime, which inflation numbers rendered inevitable, were other notable headwinds to an upturn in this segment. A sustained deterioration in the predominant manufacturing sector constituent performance weighed down on overall industrial sector performance. Persistent contraction in the Mining sector due to regulatory and environmental hurdles also contributed to the overall decline in industrial activity. Electricity sector continued to be the sole growth segment throughout the fiscal but its buoyancy was clearly inadequate, given its relative share in IIP, to overturn the weakness in the other constituent sectors. In the use-based category, subdued investment and consumption demand resulted in a decline in the production of capital goods and consumer durables. The persistent weakening in the capital goods segment performance highlights a weak investment climate, which adversely influenced the manufacturing segment, already affected by poor consumption demand and elevated price pressures.

The weakness in the industry growth numbers seeped through to the performance logged by the Infrastructure sector as gauged by growth in the eight core industries. During the year, core industries' output – accounting for nearly 38.0% in overall IIP – decelerated to 2.6% from 6.5% during a year ago period, notwithstanding a smart contribution from Electricity sector, due to continuous contraction in output of natural gas and crude oil. As these industries have forward linkages to the Manufacturing sector, in particular, and the economy as a whole, the sub-par performance of the sector does not bode well for sustained industrial and economic recovery.

Inflation

Elevated price pressures and expectations during the first three quarters of the financial year, apart from posing a formidable headwind to revitalisation of the economy, conditioned the directional thrust of the RBI's policy interventions during this period and beyond. The other landmark development was the de facto identification of Consumer Price Inflation (CPI) as the nodal indicator for fashioning the central bank's policy response, going forward, which was hitherto driven by movements in the Wholesale Price Index (WPI). Annual average CPI inflation, which remained at or around double digits up to the end of 2013, impaired macro-financial stability through several channels, resulted in a rise in inflation expectations, contributed to financial disintermediation, lowered financial and overall savings and, for the first half of the year, culminated in a wider CAD and a weaker currency. High inflation also had adverse consequences for growth. While monetary tightening continued in iterative bursts during

the period of upward tick in headline inflation, the 25 basis points hike in repo rate in January 2014, despite moderation having set in, was aimed at containing the second round effects of the food price pressures felt during June-November 2013. The build-up in inflation during April - November 2013, the subsequent fall in inflation through February 2014 and again an upward tick in March 2014 was driven by food prices. During December 2013 through February 2014, moderating inflation expectations have benefitted from correction in relative price shock from higher vegetable prices of earlier months along with a seasonal fall in these prices, without further escalation in ex-food and fuel CPI inflation. The central bank had recently stated that seasonal correction has more or less played out and the RBI projections suggest some uptick in prices of vegetable and fruits, especially in the wholesale market, going forward. This apprehension proved true with a flare-up in both WPI and CPI in March 2014, and these factors are likely to keep retail inflation sticky at March levels in the coming months. During the entire 2013-14, however, average WPI and CPI inflation was lower at 5.9% and 9.5% respectively compared to 7.4% (WPI) and 10.2% (CPI) obtained during 2012-13, inter alia, aided by base-effect factors.

A major concern, notwithstanding the observed moderation in headline inflation in the last few months, is that core inflation, a proxy for demand side pressures, is either rising (WPI) or above RBI's comfort levels (CPI) and has generally remained sticky. Besides, there are several upside risks to inflation in the coming months stemming from apprehension of El Nino, consequential impact on monsoon patterns and resultant resurgence of food inflation. The uncertainty on the setting of Minimum Support Prices (MSP) for agricultural commodities as well as the timing and magnitude of revisions in administered prices, particularly electricity and coal, is also likely to affect the trajectory of inflation in 2014-15 along with the outlook for fiscal policy, geo-political developments and their impact on international commodity prices. On the other hand, inflation may moderate in the context of the likelihood of relatively stable crude oil and range-bound global commodity prices next year, continued weakness in domestic demand, apart from high base effect factors might limit the upside pressure on retail inflation. Thus, on balance, upside risks continue to remain in 2014-15. The course of CPI inflation will hinge on the strength of disinflationary impulses from monetary policy actions in relation to its anticipated glide path, the extent of negative output gap and movements in food prices. The central bank's calibrated policy intervention would be led by the intention to cajole CPI inflation to taper down to 8.0% by January 2015 and 6.0% by January 2016.

A major concern, notwithstanding the observed moderation in headline inflation in the last few months, is that core inflation, a proxy for demand side pressures, is either rising (WPI) or above RBI's comfort levels (CPI) and has generally remained sticky. Besides, there are several upside risks to inflation in the coming months.

Liquidity & Interest Rates

The liquidity scenario in the Indian banking system was maintained at a comfortable level in 2013-14, compared to the liquidity constraints witnessed in the previous year. Softening inflationary pressures early into the financial year prompted the central bank to work towards a gradual monetary easing. However, the overriding need to stabilise irrational volatility in India's exchange rate in the face of large capital outflows since May 2013, aborted the central

Management Discussion & Analysis

27% (y-o-y)
Reduction in trade deficit in 2013-14

2.3% of GDP
CAD at end-December 2013

bank's plans. A slew of exceptional and countervailing monetary measures viz. raising the Marginal Standing Facility (MSF) rate by 200 basis points in mid-July 2013 and capping the borrowing under LAF to 0.5% of each bank's Net Demand and Time Liabilities (NDTL) were implemented to address these risks. Subsequently, the volatility in the foreign exchange market ebbed, enabling the RBI to initiate a phased rollback of these exceptional measures, beginning September 2013. Resultantly, the policy induced tight liquidity condition in the banking system eased from the beginning of the third quarter of 2013-14. However, the liquidity scenario tightened towards the end of the fiscal primarily on account of advance tax outflow, pruned Government spending, upsurge in the Government's cash balances, and an increase in currency circulation. The RBI initiated prompt liquidity enhancement measures to manage evolving liquidity pressures, with the desired results.

The deposit and lending rates of banks firmed up by September 2013 as a result of the exceptional measures undertaken by the RBI to curb the exchange market volatility. Following the calibrated rollback of these measures, lending rates softened marginally in the second half of 2013-14. While lending rates were by and large sticky during the year, according to the central bank, median deposit rates of Scheduled Commercial Banks (SCBs) rose by 35 basis points over the year, although it remained almost unchanged in the second half of the fiscal.

As on March 21, 2014, aggregate deposits growth at 14.6% (annualised) outpaced gross bank credit growth (14.3%); even in the corresponding period of the previous year, a similar trend was obtained when the respective growth stood at 14.2% (deposit) and 14.1% (credit) growth. Outstanding deposits and credit, as on March 21, 2014, stood at ₹ 77,39,390 crore and ₹ 60,13,090 crore, respectively. Credit-deposit ratio clocked 77.7% as on that date, compared to 77.9% in the previous year. The RBI has estimated credit growth of 15% and deposit growth of 14% for 2013-14.

The yields on Government Securities witnessed significant upward pressure following the US Federal Reserve's forward guidance on May 22, 2013 on prospective Third Phase of Quantative Easing (QE3) tapering and the successive measures initiated by the RBI. However, yields on the benchmark G-sec paper softened for a while thereafter with the cautious unwinding of exceptional measures by the RBI. Nevertheless, the upward pressure on yields continued to persist due to domestic vulnerabilities and global developments, especially the turnaround in the US macroeconomic fundamentals. Towards the end of the fiscal, G-sec yields witnessed two-way movements: yields initially softened at the beginning of the last quarter of 2013-14 in anticipation of tapering inflation but the hike in policy rate in January 2014 resulted in subsequent hardening of yields. However, with cancellation of primary auction and abating price pressures during January - February 2014, yields on the 10 year benchmark G-sec paper softened towards end-March 2014.

External Sector Developments

India's trade deficit narrowed by US$ 51.7 billion or 27% (y-o-y) in 2013-14, mainly on account of sharp compression in imports and marginal growth in exports, despite some slippage in recent months. Overall Balance of Trade position showed up a deficit of US$ 138.6 billion in 2013-14, well below US$ 190.3 billion in 2012-13.

Merchandise exports clocked US$ 312.4 billion in 2013-14, which was 96% of targeted levels and was up 4.0% over the previous fiscal, supported by double-digit growth in exports registered during July–October

2013 period. Merchandise Imports, in contrast, contracted by 8.1% to US$ 450.9 billion during the financial year 2013-14 as compared to US$ 490.7 billion a year ago. This is attributable to a slew of restrictive policy measures to curb unwarranted imports, especially gold imports, which had imparted a measure of irrational volatility in Rupee exchange rates. Non-POL imports contracted sharply by 13.3% in 2013-14, whereas, POL imports registered a marginal growth of 2.2%. Gold and silver imports declined by 40% (y-o-y) to US$ 33.5 billion in 2013-14.

The trade data also impacted the overall Balance of Payments position, for which official data is currently available up to December 2013. A sharp narrowing in trade deficit by 43.2%, coupled with a rise in net invisibles receipts, fashioned a pronounced reduction in CAD to US$ 31.1 billion or 2.3% of GDP in April-December 2013 from US$ 69.8 billion in April-December 2012, which constituted 5.2% of GDP. However, net inflows under the Capital and Financial account, excluding change in foreign exchange reserves, moderated at a lower clip, to US$ 39.7 billion, in April-December 2013, compared to US$ 68.5 billion in April-December 2012 owing to net outflows on account of negative portfolio investment (net), higher repayment of loans and trade credit & advances. Nevertheless, with capital inflows outstripping CAD, the country's Balance of Payments turned surplus at end-December 2013. Over the first nine months of the fiscal, India's forex reserves rose by US$ 8.40 billion, sharply above the accretion of US$ 1.15 billion during the same period of the previous year.

With trade deficit continuing to narrow during the final quarter of 2013-14, led by robust contraction in imports even as export growth ran out of steam, complemented by net capital inflows, the Balance of Payments position is expected to have continued to stay comfortable at the financial year-end. The CAD, by all indications, would have more than halved during 2013-14 from 4.8% of GDP in 2012-13.

India's External Debt increased to US$ 426.0 billion as at end-December 2013, up by 5.2% or US$ 21.1 billion from end-March 2013. External debt continues to be dominated by long-term debt, which accounted for 78.2% of total external debt at end-December 2013. The surge in external debt was on the back of a sharp increase in the long-term debt, especially NRI deposits, reflecting the impact of fresh FCNR (B) deposits mobilised under the swap scheme during September-November 2013 period. Forex reserves covered only 69.0% of external debt, down from 72.1% at end-March 2013. The reserves, which were adequate to cover India's entire external debt till 2009-10, started declining persistently since 2010-11, highlighting the increased pressure to meet external sector liabilities.

> A sharp narrowing in trade deficit fashioned a pronounced reduction in CAD which coupled with positive net inflows enabled India's BoP to turn surplus at end-December.

The improvement in India's external sector position as well as various measures adopted by the RBI to curb the volatility in the foreign exchange market resulted in build-up in foreign exchange reserves to around US$ 304 billion as at end-March, 2014, nearly US$ 12 billion higher than end-March 2013 levels. This was the highest level of forex reserves since November 2011. After a period of turbulence in the forex market following the May 2013 announcement of 'earlier-than-expected' tapering of QE3 by the US Federal Reserve, the RBI introduced various measures including special concessional swap windows by the RBI for banks' mobilisation of fresh FCNR (B) deposits and overseas borrowing, which saw increase in inflows. Portfolio flows have also revived since December 2013.

Management Discussion & Analysis

3.6%
IMF's forecast for global growth in 2014

5.4%
IMF's forecast for India's growth in 2014-15

With a lower CAD and build-up of foreign exchange reserves, the downward pressure on the currency and the volatility in the Indian Rupee has begun to subside. The Rupee exchange rate has been range-bound at ₹ 60.10 – ₹ 62.99 per US Dollar since end-November 2013 through March 28, 2014, compared to its record low of ₹ 68.36 on August 28, 2013. Resultantly, while the Rupee depreciated by 10.5% against the US Dollar, on an annualised basis, as at end-March 2014, it appreciated by 12.1% from the record low exchange rate of ₹ 68.36 in August 2013.

Future Outlook

Based on latest trend analysis, the pace of growth of the global economy softened during the first quarter of 2014 due to temporary factors that impacted activity in different directions. These temporary blips are likely to pull down world growth in first half of 2014 from hitherto projected levels. However, there are robust indications that, notwithstanding certain inimical geopolitical factors, which have added to downside risks, the underlying acceleration in global economy, which surfaced in the second half of 2013, led by mature economies, remain intact and have the potential to upscale growth in the second half of 2014 from first half levels as well as through 2015.

IMF, in its recent World Economic Outlook (WEO) Update released in April 2014, has also forecast world growth to strengthen, albeit unevenly across nations, from 3.0% in 2013 to 3.6% in 2014, with US providing the major impetus. Advanced economies as a whole and EMDEs are projected to grow by 2.2% and by 4.9%, respectively, in 2014. The stronger recovery in advanced economies is facilitated by the easing of various headwinds: the drag from fiscal consolidation is diminishing, the financial system is slowly healing while uncertainty is decreasing. The Euro nations are likely to post positive but fragile and varied growth, stronger in the core but weaker in countries with high debt, tight credit, ongoing fiscal headwinds, high unemployment, disinflation and slow financial healing, which will weigh on domestic demand. EMDEs are expected to grow at a slower than expected pace but the print numbers would be reasonably high. Growth will be conditioned by enablers such as stronger external demand from advanced countries while being reined in somewhat by tighter financial conditions, which would act as a dampener to domestic demand growth. China will leverage the policy space to advance reforms while continuing efforts to gradually slow credit growth to keep growth around its pruned 7.5% target in 2014, pursuant to ensuring a gradual transition to a more balanced and sustainable growth path. Emerging and developing Asian economies are poised to post passive but resilient recovery, benefitting from higher growth in stronger demand from advanced economies, weaker currencies and/or robust domestic demand. Along with this, emerging economies are in a better position now to handle the volatility in markets likely to be caused by calibrated withdrawal of QE3 as borne out when the US Federal Reserve reduced asset purchase limits further recently. However, despite improved prospects, global recovery is somewhat fragile and there are still formidable bumps in the road to global economic recovery, which pose downside risks to the projected growth numbers, including new geopolitical risks, which have the potential to graduate beyond localised impact, if allowed to escalate. The IMF WEO asserts that although downside risks have diminished overall, lower-than-expected inflation poses risks for advanced economies, there is increased financial volatility in emerging market economies, and increases in the cost of capital will

likely dampen investment and weigh on growth. IMF expects EMDEs' policymakers to adopt measures to allow calibration of exchange rates to changing fundamentals, facilitate external adjustment, further monetary policy tightening as dictated by evolving inflationary pressures and expectations, fiscal stability and a fresh round of structural reforms to stimulate growth in their respective economies.

The fortunes of a globally integrated Indian economy in 2014-15 would tautologically be conditioned, in part, by emerging trends in the global economy but would also reflect the outcome of a slew of events of purely domestic origin. GDP growth for 2013-14 appears likely to fall short of the CSO's revised advance estimates of 4.9%, with manufacturing and overall industrial growth, in terms of IIP, poised to turn negative, dragging down the macroeconomic print numbers. The outlook for the Indian economy, however, appears to have somewhat improved during the first three months of 2014. The improved prospects for global growth, particularly in the second half of 2014 and its beneficial impact on external demand, notwithstanding some recent loss in export growth momentum, a business and consumer confidence uptick accruing from recent policy actions centred around easing of domestic supply bottlenecks and part-resolution of stalled projects, apart from beneficial statistical pull exerted by base effects, has the potency to deliver a rebound in growth, centred around a median forecast of 5.5%, during 2014-15. IMF has also opined that overall growth is expected to firm up to 5.4% in 2014-15 on policies supporting investment and a confidence boost from recent policy actions, but will remain below trend. Several headwinds could, however, slow the recovery, be it probable events with inflationary overtones although they could ultimately move onto a downward trajectory, undue delay in sustained revival of industry and services, various uncertainties including the El Nino factor, which could impede a normal monsoon and prune agricultural production, geo-political developments abroad or extra-economic factors within. Tighter global financial and monetary conditions in addition to continued fiscal adjustment in some countries could also impede recovery. These, inter alia, could lead to a tighter monetary stance impacting the momentum of investment activity, upon which recovery remains contingent to a large extent.

> The fortunes of a globally integrated Indian economy in 2014-15 would tautologically be conditioned, in part, by emerging trends in the global economy but would also reflect the outcome of a slew of domestic events. There is cautious optimism, on balance, of a rebound in the macro-fundamentals during 2014-15.

There are persistent underlying risks and much more efforts in terms of removing structural impediments, building business confidence and creating fiscal space to support investments will be needed to secure growth. But, on balance, there is cautious optimism of a rebound in the macro-fundamentals during 2014-15.

BUSINESS REVIEW

As a conscious business policy, your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business-mix. This strategy is aligned with its intended positioning as a full-service, new generation commercial bank. A dogged focus on speedily ramping up the Priority Sector Lending (PSL) book to target levels, almost in mission mode, attended initiatives in this area. A quantum jump in your Bank's geographical presence pan-India is being pursued with similar missionary

Management Discussion & Analysis

309
New branches added in 2013-14

1,387
Domestic branches as at end-March 2014

zeal as a critical enabler for enhanced business generation in general and increasing the mobilisation of low cost CASA deposits and PSL book in particular. This was appositely reflected in robust expansion in your Bank's domestic brick and mortar branch network from 1079 obtained at end-March 2013 to 1387 at the close of 2013-14, an addition of 309 branches. These comprised 319 branches at metro locations, 426 branches at urban centres, 372 branches at semi-urban centres and 170 rural centres, including 124 branches at hitherto unbanked centres. The bouquet of your Bank's products continue to be periodically reviewed and modifications/ innovations/ customisation of existing products as well as introduction of new products are carried out regularly for eliciting customer delight and ramping up business growth.

Retail Liability Products

In the retail liability product segment, your Bank continued to review and improve upon the features of existing bouquet of liability products for all segments like kids, women, youth, senior citizens to meet emerging customer needs and enhance the complement of low cost funds.

During the year under review, a number of noteworthy initiatives were unveiled in the liability products area. An 'Express Account Opening' facility was introduced from August 2013 whereby your Bank provides an instant account number along with passbooks on the completion of Savings Account opening formalities. Other deliverables like Debit Card and chequebooks are indented on the same day. A modified Suvidha Suraksha Recurring Deposit (SSRD) was re-launched wherein group insurance cover will be extended to the customers on a yearly basis and renewed thereafter till maturity. The cap on non-chargeable "other Bank" ATM Transactions (financial/ non-financial) was increased from 5 to 10 per month for certain Savings Bank categories. Similarly, for certain categories of Current Account customers, your Bank made RTGS and NEFT transactions free of cost.

Pursuant to the objective of Financial Inclusion as articulated by the RBI, your Bank, during the year, introduced "Small Account" under BSBDA, which allows account opening with no balance requirement and minimum KYC documents for walk-in customers. An overdraft facility was introduced in all Basic Savings Bank Deposit (BSBD) Accounts. The existing overdraft facility under Non-Farmers and Landless Labourers (NFLL) was reviewed to align the product features and terms thereof.

Your Bank coined a new term - Freedom Deposits for its Retail Fixed Deposits on Independence Day. To commemorate the ingress of IDBI Bank as an organisation in its 50th year, a special 'Golden Jubilee Freedom Deposit' was introduced for a limited period with two special buckets of 500 days and 50 months at preferential rates. These deposits gave a freedom to the customer to withdraw the deposit at any time during the currency of the deposit without any premature penalty. Your Bank has been able to garner a business of ₹ 5821 crore under Golden Jubilee Freedom Deposits during the offer period ended December 31, 2013.

Your Bank has modified the system of interest credit for Matured Term Deposits/ rolling over of Fixed Deposits from anniversary quarter to calendar quarter. This helps the customer to calculate the exact interest payment accrued for tax filing during the year end and reduces issues related to Tax Deduction at Source (TDS). Your Bank has also initiated online download

facility for TDS certificates for deposits for all customers (Net Banking & Non Net Banking customers).

NRI Services

Your Bank highly values its relationship with NRI clients and is keen to serve interests of the community. Your Bank today offers the full spectrum of financial products and services to Indians located abroad. With a view to enable a fast, economical and convenient fund transfer, your Bank offers various options to NRIs for hassle-free fund remittances to India. Further, in order to connect, engage and deepen the relationship with its NRI clients, your Bank has introduced a quarterly NRI newsletter named 'NRI Sampark'. The newsletter is intended to be a medium to establish contact with your Bank's NRI clients on a quarterly basis and communicate news, updates and information of relevance and importance from the NRI perspective.

Structured Retail Asset Business

Your Bank is trending towards emerging as one of the dominant, competitive and most sought after player in the structured retail asset segment. To meet the growing needs of retail customers, your Bank is offering an array of innovative products, both secured and unsecured, to existing and prospective retail customers. Further, with a view to ensure wider customer coverage and to tap the growing opportunities emerging from the spreading branch network, your Bank has simplified the guidelines for structured retail asset products, making them the most competitive in the market.

A slew of new initiatives were introduced in this arena during the year under review. With a view to enable the customers to apply for Housing Loan (HL), Education Loan (EL), Auto Loan (AL) and Personal Loan (PL) online and to keep a track of his/her application, a facility has been provided on the website of your Bank. Online Loan Eligibility Calculator has also been made available on the website of your Bank. In the flagship Home Loan product, apart from attractive pricing and reduction/waiver of processing fee, as a customer friendly measure, your Bank has decided to offer prevailing interest rates with a marginal conversion charge to its existing customers who have availed facilities under the Bank's products viz. Floating Rate Home Loan and Loan Against Property and its variants. The scheme has benefited your Bank's valued customers by way of reduction in EMI and/ or tenure of the loan. Further, your Bank introduced a limited period reward-driven referral scheme as well as a Balance Transfer Campaign for Housing Loans to increase portfolio size. Surrogate Balance Transfer product for Home Loan for self-employed professionals and self-employed non-professionals was also introduced wherein the loan accounts are transferred based on the repayment track record of the customers, apart from preferential offers to corporate and special builder tie-up scheme with incentive payout.

> Your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business-mix. This strategy is aligned with its intended positioning as a full-service, new generation commercial bank.

In a bid to assist small entrepreneurs, your Bank offers lower rate of interest for Loan Against Property (LAP), Loan Against Rent Receivables (LARR) and Turnover based LAP (inclusive of its variants), which provide liquidity in such business enterprises.

Your Bank sustained its support to Government sponsored schemes for the Economically Weaker Sections (EWS) and Lower Income Groups (LIG) strata of the society through Government sponsored schemes viz. Rajiv Rinn Yojana (RRY), Indira Awas Yojana (IAY), Rajiv Gandhi Gramin

Management Discussion & Analysis

599
ATMs added in 2013-14

2,301
ATMs as at end-March 2014

Nivara Yojana (RGGNY), among others, to its retail customers. To provide financial assistance to EWS and LIG category of the population, your Bank has entered into an agreement with the National Housing Bank (NHB) and has also become a member of Credit Risk Guarantee Fund (CRGF) Trust. In order to catalyse lending in the socially significant Education Loan segment, your Bank offered attractive and customised schemes for various constituents of this segment, including Scheme for other Management Quota students, Scheme for students studying in Premier Education Institutes, Scheme for Vocational Courses and Take-over / Balance Transfer Scheme for Education Loan. Your Bank has also started digital marketing of Education Loan product to tap the opportunities presented in the ensuing admission season. Your Bank has taken proactive steps to address the difficulties faced by young and bright physically challenged students in getting financial assistance for fulfilling their educational aspirations. These include a partnership with the National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) to offer educational loans to students with handicap levels of 40% and more at a subsidised rate of interest, subject to certain terms and conditions.

In the Auto Loan area, your Bank is seeking larger, attractive schemes such as Speed Auto Loan with simple documentation and fast processing, Auto Loan Combo offer for existing Home Loan borrowers of your Bank, Special Auto Loan scheme for select car brands. Your Bank also entered into a pan-India tie-up with major passenger vehicle manufacturers. These measures helped to increase the book size by 3.5 times during the year, and all efforts are being made to sustain the current momentum in Auto Loan Book growth in 2014-15.

Your Bank took various initiatives to increase the acceptability of your Bank's Personal Loan product in the market. Loan Eligibility Calculator and online loan application facility with tracking mechanism were introduced for PL product. Continuous e-mailer campaigns to all your Bank's existing customers were carried out throughout the year.

Alternate Channels & Cards

Your Bank continued to strengthen its Alternate Banking channels like ATMs, internet banking, mobile banking, among others, to provide customers with enabling options to reduce their dependence on the branch channel, while simultaneously offering 24x7 capabilities. As on March 31, 2014, your Bank's ATM count stood at 2301, clocking a growth of 599 numbers from a year ago levels. The Alternate Channels and Merchant Acquisition Business also provide avenues to your Bank for augmenting fee-based income, apart from helping acquire/ deepen existing relationships.

Your Bank launched its Internet Banking services in October 2001. Since then, the ambit of this channel has progressively broadened to include transactions such as account enquiry, opening of FDs and RDs, statement of account, fund transfer, online tax payment, online shopping/ bill payments, card-to-card money transfer, mobile recharge, online booking of Air/Rail tickets, online IPO ASBA, online trading of securities and Demat / GOI bond operations.

During 2013-14, your Bank successfully issued EMV Chip-based Debit Card and implemented PIN at Point of Sale (POS) in compliance with the RBI mandate. Your Bank has rolled out a 'Third Line Embossing' personalisation facility for existing Gift Cards for corporate use during the year. Under this facility,

the names of the corporates will be printed on the Gift Card face as third line embossing, thereby facilitating personalised card printing.

Your Bank gainfully leveraged the branch network during the festive season for maximising sales of Pre-paid Card products. A number of attractive features were embedded into your Bank's World Currency Card (WCC) product to make it more competitive and increase the subscriber base. The card fee will be charged in Indian Rupee across multiple foreign currency variants; the minimum threshold amount has been rationalised from present limit of US$ 500 to US$ 200 and can be issued to NRI & PIO customers. Your Bank initiated various measures to help inculcate a habit of using the IDBI Bank Debit Card frequently for purchases at POS locations. Towards this end, your Bank launched a cash-back offer for the new Debit Cards issued during January 1, 2014 to March 31, 2014 period. To further strengthen the process for e-commerce transactions, your Bank introduced an additional factor of authentication by way of One Time Password (OTP), to be sent to the cardholder's mobile number, which is registered with your Bank. Resultantly, even if the card credentials and ATM PIN of the cardholder are compromised, the fraudster will not be able to proceed with the e-commerce registration/ changed password process, without entering the OTP received on the registered mobile number.

To enhance customer awareness on cyber frauds and its prevention, customers are being educated about your Bank's security measures through emails, SMS and inserts sent in statements periodically. A pre-login caution page explaining safe internet banking practices is also displayed. A series of safety (dos and don'ts) measures to use Net Banking has also been displayed on your Bank's website. SMS alerts for all channel transactions are sent to keep the customers informed and avoid possible misuse.

To enhance customer awareness on cyber frauds and its prevention, customers are being educated about your Bank's security measures through emails, SMS and inserts sent in statements periodically.

TPD and Capital Market Products

Your Bank constantly endeavours to provide value-additive services to its customers, aligned to their risk profile and financial goals. Towards this objective, your Bank has tied up with over 35 Asset Management Companies (AMCs), including IDBI Mutual Fund, to provide a bouquet of diversified financial products to suit the investment needs of its customers. Your Bank is also a distributor of Fixed Income Securities such as Capital Gain Bonds, Government of India Bonds, various Tax-Free and Tax Saving Bonds. Your Bank is a registered Point of Presence (PoP) of Pension Fund Regulatory and Development Authority's (PFRDA) New Pension Scheme (NPS). Your Bank is now system-ready to offer the 'NPS module for Corporates', recently launched by PFRDA, to its corporate customers, which would enable the latter to provide pension benefits to their employees. Your Bank actively participated in distribution of Inflation Indexed National Savings Securities-Cumulative, launched by the RBI, through its branch network.

To cater to the customers' investment and safety needs, your Bank offers Life Insurance solutions, through IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, to various customer segments. Your Bank, as a Corporate Agent of Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd., offers `Non-life' insurance products

Management Discussion & Analysis

8.79 lakh
BSBD Accounts as on March 31, 2014

32 lakh
enrolled under Aadhaar as on end-March 2014

including asset, health and personal accident insurance.

Financial Inclusion
The Government of India, in collaboration with the RBI, has embarked upon the mission of fostering India's inclusive growth by accelerating the process of financial inclusion. This is done by ensuring access to appropriate financial products and services needed by vulnerable groups, such as weaker sections and low-income groups at an affordable cost in a fair and transparent manner. Your Bank continued to enthusiastically support and complement the nation's initiatives in this crucial socio-economic objective.

Financial Inclusion Plan (FIP) 2013-16
On closure of the earlier three-year Financial Inclusion Plan (FIP) 2010-13, the RBI directed banks to chalk out a fresh FIP for the three-year period 2013-16 in order to continue with the process of ensuring access to banking services to the excluded sections of the society. Your Bank's Board approved a three-year road-map (2013-16) for providing banking services across unbanked and under-banked areas, which envisaged having 340 banking outlets in villages with a population of over 2,000 and 1,500 banking outlets across villages with a population of less than 2,000, based on villages allotted to your Bank by the State Level Bankers Committee (SLBCs), keeping in mind rural business opportunities. The FIP 2013-16 has envisaged opening of 382 rural branches, of which 262 are located in unbanked rural centres and deployment of 767 Business Correspondents (BCs) by March 2016.

During the current year, your Bank covered 785 villages through a network of 183 BCs, 164 Common Service Centres (CSCs), and 62 brick and mortar branches. Of the 103 branches opened in unbanked rural centres during the year, 47 branches were located in villages allotted to your Bank by SLBCs for Financial Inclusion (FI).

Further, in order to widen your Bank's reach under urban financial inclusion, your Bank brought four more urban unbanked localities at Chandrapur, Maharashtra, under the ambit of formal banking by introducing basic banking facilities to the inhabitants of these localities.

The FIP of your Bank has been implemented by using Information & Communication Technology (ICT) through BCs using smart card solution, through CSCs using web-enabled Kiosk Banking Solution and also through branches.

Products offered under Financial Inclusion
As on March 31, 2014, your Bank opened 8.79 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDAs) under the financial inclusion programme. These include 1.78 lakh accounts serviced through the BC model. Your Bank also offered various other products on relaxed terms, such as Education Loan, Fixed Deposit, Recurring Deposit, Micro–Insurance product known as 'Grameen Suraksha' and in-built overdraft facility for the benefit of customers.

Financial Literacy
Financial literacy has been identified as a key to fulfilling the objectives of financial inclusion and has emerged as a focus area for policymakers. Realising its importance, your Bank set up the IDBI Vittiya Sakhsharta Jankari Kendras (IVSJK) across rural branches. These centres spread awareness on a number of issues, including management of money, importance

of savings, advantages of saving with banks, other facilities provided by banks and benefits of borrowing from banks to walk-in customers as well as to communities through literacy camps. During the year, your Bank's rural branches conducted more than 500 such outdoor literacy camps, educating more than 11,000 villagers in the process.

Financial literacy programmes organised by branches at rural locations included programmes organised for students at schools and literacy programme for the members of tribal communities invited to the branch to witness live demonstration of various banking activities. A few financial literacy camps were also attended by senior officials of the Bank. These rural launch programmes are preceded by an awareness campaign, wherein posters/banners are put up at various locations in the village. Besides, Bank officials regularly meet prominent villagers to make them aware of your Bank's FI initiatives, among other things. In addition, to impart job-oriented fields training to rural youth, your Bank has set up Rural Self Employment Training Institute (R-SETI) at Satara in Maharashtra. During the year, 23 programmes were conducted and 507 entrepreneurs were trained.

Urban Financial Inclusion & distribution of MNREGA wages

To widen the reach under urban financial inclusion and also accelerate the Government's objective of electronic transfer of benefits, your Bank continued with the distribution of social security pension to about 22,000 old-age pensioners through smart cards in Raipur, Chhattisgarh, as per the mandate obtained from Raipur Nagar Nigam. Your Bank has also continued the distribution of MNREGA wages across three districts in Chhattisgarh. This initiative has benefited around one lakh people across approximately 192 Gram Panchayats. As on March 31, 2014, 60,796 accounts of beneficiaries have been opened by your Bank.

Financial literacy programmes organised by branches at rural locations included programmes organised for students at schools and literacy programme for the members of tribal communities invited to the branch to witness live demonstration of various banking activities.

Aadhaar Enrolment

Your Bank is registered with Unique Identification Authority of India (UIDAI) as Registrar to undertake 'Aadhaar' enrolments. Your Bank has so far enrolled around 32 lakh residents across 10 states, including 16.83 enrolments in DBT districts. Your Bank has decided to cover four more states for Aadhaar enrolment in 2014-15.

Direct Benefit Transfer / Direct Benefit Transfer for LPG Scheme

Your Bank actively participated in the Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme introduced by the Government of India across 121 districts. The scheme is aimed at direct transfer of various benefits/subsidies like scholarships to school children, Janani Suraksha Yojna, Girl Child scholarship, Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna, etc. into the beneficiary's bank account linked with Aadhaar number. Under the scheme, banks have to open accounts of beneficiaries, seed Aadhaar number into the beneficiary's account number and provide adequate number of access points (Branch / ATM / BC) to enable the beneficiary to withdraw money.

Your Bank has a presence in 97 districts in 24 states out of these 121 districts through its 328 retail branches. Your Bank installed on-site ATMs in these branches to cater to the requirement of the customers. Your Bank has been allotted 325 villages in these districts,

Management Discussion & Analysis

14,115
Accounts opened under DBT/DBTL scheme

₹ 38 crore
DBT/DBTL Subsidy routed through these accounts

all of which have been covered through banking infrastructure, viz., Branch / ATM / BC.

The Government also introduced the DBT scheme for LPG customers, known as DBTL, in 291 districts, in phases from June 1, 2013 to January 1, 2014. Out of the 291 districts, your Bank has a presence in 248 districts (in 20 states) through its 839 retail branches with on-site ATMs.

Accounts for all the beneficiaries under DBT/DBTL, which are communicated by the Lead District Manager (LDM)/ Government authorities, have been opened. Seeding of Aadhaar number is 100% in respect of the list of beneficiaries with Aadhaar numbers provided by the district authorities/ LDM. Besides, all the accounts with Aadhaar numbers have been mapped onto the NPCI Mapper. Your Bank ensures that the data of seeded Aadhaar numbers is uploaded on to NPCI's Mapper on a daily basis. As on March 31, 2014, 5.2 lakh Aadhaar numbers have been uploaded. As per Government directives, branches are in constant touch with the LDM of the lead bank to collect the list of beneficiaries within the service area and to ensure that accounts of beneficiaries, who do not have an account, are opened. All eligible account holders, irrespective of the scheme under which the account is opened, are issued ATM Debit Cards. Besides, customers under the BC model are issued smart cards for authentication as well as for transactions at the POS machine.

Your Bank has undertaken a camp-based approach for generating Aadhaar numbers of all beneficiaries reported by district authorities. Your Bank has taken several steps with an aim to sensitise common people about the importance of DBT/DBTL and seeding of Aadhaar number into bank account. These include displaying banners at branch premises and off-site ATMs. Beneficiaries under DBT/DBTL are accorded priority for opening of account and seeding of Aadhaar numbers. Branches have directly approached beneficiaries for seeding of Aadhaar numbers through personal contact/letters. SMS and e-mails have been sent to customers requesting them to seed Aadhaar numbers into their bank accounts. The Bank Account Statement includes a message requesting the customers to seed their Aadhaar number. A web banner for Aadhaar seeding is also displayed on your Bank's website. In addition to accepting physical requests for seeding of Aadhaar at branches, other alternate channels, viz., SMS, ATM, Internet Banking, are also being used to receive the Aadhaar seeding requests.

As on March 31, 2014, your Bank opened accounts for 14,115 beneficiaries under DBT/DBTL as advised by LDM. Aadhaar numbers for 13,458 beneficiaries have all been seeded into accounts. A subsidy amount of ₹ 38 crore, including LPG subsidy, was routed through the accounts of your Bank's customers.

Technological Initiatives under Financial Inclusion

During the year, your Bank has taken various technological steps to enable effective implementation of Financial Inclusion and DBT/DBTL scheme. These initiatives include:

i) Setting up of Financial Inclusion Gateway (FIG) and Central Authentication Server (CAS), which facilitates inter-operability within your Bank;

ii) Integration of Aadhaar Payment Bridge System (APBS) with National Automated Clearing House (NACH), which enables

processing of Aadhaar and Non-Aadhaar based transactions. Further, implementation of Host-to-Host Connectivity with NPCI and Straight Through Processing (STP) has made the complete payment process automated;

iii) Integration of payment systems, viz., RTGS, NEFT, Fund Transfer with Central Plan and Monitoring System (CPSMS), which will facilitate generation of various MIS related to Government expenditure and allows seamless transmission of payment files, over a secured network;

iv) Implementation of Aadhaar Enabled Payment System (AEPS-On-Us), which facilitates payment using UIDAI's Aadhaar authentication services for your Bank's customers;

v) Implementation of Remote Aadhaar Seeding Framework (RASF) and Verhoeff Algorithm to validate the customer Aadhaar seeding request received through various channels viz., Branch, SMS, ATM and internet banking. This enables your Bank to ascertain the identity and correctness of Aadhaar number seeding into the customer's bank account.

Your Bank has launched a Kiosk Banking Solution in January 2014, which offers online web-enabled biometric authentication banking services. This will help your Bank to bring rural people into the mainstream banking system more efficiently. At present, your Bank has engaged Common Service Centres (CSCs)/Village Level Entrepreneurs (VLE) as Business Correspondent Agents (BCAs), which are monitored by CSC e-Governance Services India Limited, a Special Purpose Vehicle (SPV) set up by the Department of Electronics and Information Technology, Government of India.

Priority Sector Group

Your Bank is playing an active role in lending to Priority Sector, both as a conscious business strategy as also to be in line with the regulatory guidelines issued by the RBI from time to time. Priority Sector Lending (PSL) business of your Bank, by definition, comprises lending to Agriculture, Micro and Small Enterprises (MSE), Housing, Self Employed Professionals and Education. To focus on PSL business in the major segments like Agri and MSE, a dedicated business vertical viz. Priority Sector Group (PSG), has been created by re-organising the erstwhile Agri and MSE business verticals.

There are 44 branches in your Bank exclusively for PSL business besides six dedicated Processing Centres (PPCs) to process the PSL proposals expeditiously with trained staff. In addition, all the retail branches of your Bank are empowered to service the MSE and Agri customers pan-India.

There are 44 branches in your Bank exclusively for PSL business besides six dedicated Processing Centres (PPCs) to process the PSL proposals expeditiously with trained staff. In addition, all the Retail branches of your Bank are empowered to service the MSE and Agri customers pan-India.

Your Bank appreciates the critical deterministic influence of Agri and MSE sectors in the nation's overall economic development. As an enabler in this direction, your Bank conducted workshops in various Agri and MSE clusters for educating and creating awareness among Agri, MSE sector constituents about various facilities and services available to them. Besides, your Bank has also actively participated in various conferences, trade fairs, and promotional events in this area during the year under review.

Management Discussion & Analysis

23
Training programmes by IDBI-RSETI

62
MFIs given term loan facilities

Agricultural lending comprises direct lending to the farmers or group of farmers, assistance to corporate or cooperatives engaged in processing of agriculture produce and entities in supporting agriculture sectors. Your Bank has a dedicated team of officers in Agri business group across the country, which extends knowledge–based credit to the farming community to improve farm productivity and quality of life of our rural population.

Apart from directly reaching the farmers, your Bank is also engaged in Agri lending through tie-ups with corporate and cooperatives engaged in the Agri business to reach out to a large number of farmers and generate a granular portfolio.

Your Bank also launched campaigns for Kisan Credit Cards (KCC) during Kharif and Rabi seasons to promote Agri business. Such initiatives are expected to help your Bank increase its retail customer base and business in the coming years.

To further reach out to the remotest part of the country, your Bank has appointed 15 Business Correspondents/ Business Facilitators (BCBF) across the country. Your Bank has also started appointing individual business correspondents at all rural and semi-urban branches to further PSL business.

Pursuant to the directive of Ministry of Finance for conversion of all existing KCC into ATM-enabled Debit Cards, your Bank introduced KCC ATM-cum-Debit Card on RuPay platform, which is/will be issued to all existing/new eligible KCC customers.

Your Bank continues to encourage the formation of Farmers' Club in the villages covered by its rural branches. Your Bank considers the members of Farmers' Clubs as true grassroots-level agriculture extension workers and supports them in all activities that involve sharing of their knowledge amongst fellow farmers. Your Bank's engagement with farmers and other agriculture intermediaries is also enhanced through participation in various Agri Expo, Kisan Mela and Loan Mela conducted at different locations of the country.

Your Bank has set up the IDBI Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) at Satara District, Maharashtra. The Institute conducts free residential training for the rural unemployed youth in the district. During the current year, IDBI-RSETI conducted 23 training programmes, in which 507 candidates participated. A large number of the trained candidates from the Institute have subsequently started their own ventures and are running them successfully. Your Bank also extends credit facility to such youth.

Appreciating the importance of MSE sector in the nation's economic growth, MSEs have been accorded an important role in your Bank's corporate strategy and your Bank continues to aggressively pursue business growth in this sector. The initiatives taken towards implementation of this strategy include opening of five specialised MSE branches during the year under review, introduction of a separate interest rate framework for MSEs, together with concessions linked to external credit rating and availability of collaterals, entering into Memorandum of Understanding (MoUs) with leading credit rating agencies like CARE, CRISIL, and SMERA enabling the MSEs to obtain external credit rating at a lower cost.

Your Bank intends to reach a large number of MSE units across the country by providing a one-stop solution for entire credit requirements of these units. The

arrangement has already been approved and MoU is expected to be signed in a few days.

Your Bank is committed to offer innovative and user-friendly products and services to Agri and MSE sectors for promoting their growth in the sphere of food, industry and services. One such product is the Vendor Bill Discounting product offered to MSEs which provides immediate liquidity to the vendors of large corporates by realising their receivables quickly. The product with its MSE-friendly features like very short TAT and minimal documentation has been well received in the market.

As your Bank is focused on increasing its asset portfolio under PSL, an initiative was undertaken to improve your Bank's presence and penetration into organised clusters in both MSE and Agri sectors. In order to have focused approach and effective penetration, a study of a few clusters was undertaken in certain segments. Based on the study, state-specific Agro Cluster schemes for rice, dal and poha mills as also for sago and copra processing, were launched, which have been well received in the market.

Your Bank constantly revisits the needs of MSE sector and offers innovative products at competitive prices. Towards this end, your Bank has introduced 'IDBI Udyami Loan', a simplified product for manufacturers and revised the existing product features for 'Professionals and Self-employed'.

MSE Rehabilitation Centres have been formed at Corporate Office/ Zonal Office for identification of sick and viable units and monitoring the progress of their rehabilitation.

Your Bank has been actively lending to Micro Finance Institutions (MFIs) for on-lending to the poor. Your Bank has been indirectly supporting the ultimate borrowers for fulfilling their credit requirements by uplifting their standard of living through MFI lending. As on March 31, 2014, your Bank has extended term loan facilities to 62 MFIs across the entire spectrum. Your Bank has extended credit to almost all the major MFIs having presence in major parts of the country. Microfinance is a source of financial services for entrepreneurs and small businesses lacking access to banking and related services.

> As the Bank is focused on increasing its asset portfolio under PSL, an initiative was undertaken to improve your Bank's presence and penetration into organised clusters in both MSE and Agri sectors.

Thus, your Bank is on the path of creating qualitative, robust and sustainable PSL Portfolio with a wider spread across all your Bank's branches.

Corporate Finance

Following your Bank's organisational restructuring effected during 2012-13, the Corporate Banking Group (CBG) currently caters to all corporate clients with funding requirements of more than ₹ 5 crore. To effectively operationalise the business, the CBG has been structured into seven regions and operates through 29 Specialised Corporate Branches (SCBs) with a presence in 25 cities.

The CBG not only focuses on maintaining and deepening business relationships with existing corporate clients, but also explores various opportunities for meeting the financial needs of corporates which are currently not in your Bank's fold. The CBG offers tailor-made structured products, in both assets as well as liabilities area, depending on the specific needs of your Bank's corporate clientele. Besides, the CBG focuses on Priority Sector Lending (PSL) clients

Management Discussion & Analysis

1st Lender
To finance NHAI toll collection projects under long-term OMT arrangements

124
Debt syndication mandates in 7 years

by offering products like channel and vendor financing for dealers/vendors of corporates.

During 2013-14, the CBG adopted a strategy of granularising its portfolio to avoid concentration risk and tapping more non-fund business/fee-based income from its corporate clientele. The CBG is also actively pursuing deepening of existing clientele by cross-selling of, inter-alia, Trade Finance, Government Business, Cash Management Services, Salary Accounts and Treasury Services.

To provide personalised services to your Bank's clients, Client Service Teams (CSTs) have been formed at regional as well as branch levels, comprising members from various product verticals.

Your Bank is the Nodal Agency for Textile Industry (non-MSE sector) under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) of Government of India and Government of Maharashtra. In addition to processing cases pertaining to your Bank's clients on a pan-India basis as a Nodal Bank under the scheme, your Bank has also co-opted 61 Prime Lending Institutions, which includes Commercial Banks, AIFIs, SFCs, SIDCs and Co-operative Banks in the capacity as a Nodal Agency. The Government has recently re-launched the scheme as 'Revised Restructured TUFS (RRTUFS)', which is effective from April 01, 2012 till March 31, 2017.

In terms of a recent circular issued by the Ministry of Finance, Department of Financial Services, your Bank also extends loans to sugar mills under the 'Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2014.'

The stress faced by the economy inexorably seeped into the financials and prospects of corporate accounts in varying degrees. To ensure timely resolution of issues faced by such clients, your Bank put in place a dedicated group christened as Focused Asset Management Group (FAMG) during the year for close monitoring of their performance and problem resolution, which has helped your Bank in managing these assets effectively.

Infrastructure Finance

As a pioneer in the realm of infrastructure financing, your Bank has been a dominant player in the structuring and financing of long gestation infrastructure projects, across various sectors such as Power, Telecom, Roads, Ports, Airports, Urban Infrastructure, Logistics, Construction/ Contracting and Special Economic Zones (SEZs).

The Infrastructure vertical of your Bank, through seven strategically positioned branches in the homeland and the sole overseas branch at Dubai, has been effectively delivering credit to this critically important sector and related services. Supported by a Project Appraisal Team located at your Bank's Corporate Centre, the vertical has been offering end-to-end solutions to clients engaged in Infrastructure Development.

Your Bank's portfolio under the vertical includes Power projects with an aggregate generation capacity of over 50,000 MW, Telecom Service Providers catering to over 500 million subscribers, Highway projects covering more than 7,000 km, new Ports to handle 50 MTPA of cargo, Power Distribution Companies serving to a base of 5 million consumers, the Metro project in Mumbai, all three large private sector operated airports of the country, besides a host of projects in Urban Infrastructure, Logistics and SEZ segments.

During the year, your Bank became the first lender to finance the toll collection projects of NHAI, awarded under a long-term Operate-Maintain-Transfer (OMT) arrangement, spanning a stretch of 275 km out of 1,800 km long highways identified by NHAI for such OMT projects.

Despite a sluggish economy impacting the fortunes of infrastructure sector projects at the implementation stage, your Bank has walked the extra mile to handhold them and address their pressing requirement, be it through refinancing, restructuring or securitisation. Your Bank continues to actively involve itself in various measures initiated by the Government for resurgence of high growth in the sector by giving critical inputs to various Departments/Ministries associated with infrastructure.

Syndication, Structuring and Advisory Services

Your Bank has been secularly active in providing debt syndication, structuring and advisory services to corporates in infrastructure as well as in manufacturing sectors. Your Bank has been consistently ranked as one of the leading debt syndicators in India, as well as in the entire Asia Pacific region. Your Bank has completed more than 124 debt syndication mandates, aggregating to about ₹ 2.5 lakh crore during the last seven years.

Your Bank has undertaken a pioneering role in Indian banking sector in the area of environmental banking and has been active in this area for over two decades. Besides offering various banking services, your Bank has been providing services in the area of Clean Development Mechanism (CDM)/ Carbon Credits under Kyoto Protocol and Voluntary Emission Reductions (VERs). Your Bank has also been acting as Financial Agency (FA) in association with the World Bank and other multilateral agencies for channelising disbursement of grant funds for the implementation of various multilateral projects for over two decades. The Ozone Depleting Substance (ODS) Phase-out Projects are being implemented from 1994 under Montreal Protocol (MP) obligation to phase out the production/ consumption of Chloro Fluoro-Carbons (CFCs), Carbon Tetra Chlorides (CTC) and other chemicals, which are known to affect the Earth's Ozone layer. Your Bank had been earlier associated with the implementation of ODS I, II and III projects for phasing out Halons and CFCs, which have been successfully completed. Currently, CTC Sector Plan Implementation Project - ODS IV is under implementation for phasing out CTC in Production and Consumption sectors. The project will be completed by July 2014. As a Financial Agency, out of the sanctioned grant of US$ 38.10 million for ODS IV project, your Bank has cumulatively disbursed US$ 37.28 million to five beneficiaries (US$ 28.5 million) in the production sector, 29 beneficiaries (US$ 7.41 million) in consumption sectors and Project Management Unit of Ozone Cell, MoEF (US$ 1.37 million) under Technical Assistance component.

> As a pioneer in the realm of infrastructure financing, your Bank has been a dominant player in structuring and financing of projects, across various sectors such as Power, Telecom, Roads, Ports, Airports, Urban Infrastructure, Logistics, Construction/ Contracting and Special Economic Zones (SEZs).

Your Bank has been acting as Project Implementing Entity (PIE) and Financial Intermediary (FI) for India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP), a unique project aimed at phasing out of ODS and mitigating global warming. The objective of this project is to replace existing old CFC chillers with new non-CFC energy efficient chillers. ICEEP has a total corpus of US$ 7.3 million and has been funded by

Management Discussion & Analysis

95.1%
Standard loan assets

₹ 2 lakh crore plus
Mobilisation of Direct/ Indirect Taxes/ Duties

Global Environment Facility (GEF) and Ozone Trust Fund (OTF). As per Grant Agreement dated August 26, 2009, the project period ends on June 30, 2014.

Till date, your Bank has committed grants aggregating ₹ 1,042 lakh to 20 beneficiaries for the replacement of 59 CFC chillers. Of this, your Bank has disbursed grants aggregating ₹ 328 lakh to 14 beneficiaries for the replacement of 24 CFC chillers with 23 new energy efficient non-CFC chillers and the beneficiaries have recovered approximately 5473 kg of CFC (which is the refrigerant used in old chiller). During the current year, your Bank has disbursed a grant of ₹ 199 lakh to eight new beneficiaries. Another five new beneficiaries are in the pipeline for the disbursement amount of ₹ 146 lakh.

Your Bank is one among a handful of Public Sector Banks/ FIs who are signatories to Carbon Disclosure Project (CDP), as part of its initiatives to support a responsible business regime striving towards a low-carbon future. Besides, your Bank is also taking various initiatives to reduce its carbon footprint, which includes the introduction of energy-saving lighting, installation of solar panels and solar water heaters. These steps help create awareness for water and energy conservation.

Your Bank is facilitating all the services related to CDM projects and carbon credit market, viz. funding of the CDM projects, providing technical advisory services for registration of CDM project and advisory services for trading of Certified Emission Reductions (CERs) and Verified Emission Reductions (VERs), upfront financing against the carbon credits/ carbon credits receivables.

Recovery

Asset Quality

Your Bank, being conscious of the deterministic influence of asset quality and slippage therein on earnings, continued to soldier on in an otherwise difficult year towards upgrading the existing NPAs, compressing fresh NPAs, maximising cash recovery from existing NPAs and adopting appropriate mitigation measures for minimal slippages. Your Bank has also maintained high standards with respect to asset quality through disciplined credit risk management. As at end-March 2014, 95.1% of your Bank's loan assets were standard assets; 1.4% were sub-standard assets, while doubtful assets constituted 3.3% and loss assets formed 0.2% for which adequate provisions were made in conformity with extant prudential regulations.

Apart from various legal/non-legal recovery efforts rigorously pursued to improve asset quality, your Bank launched an innovative 'Own Your NPA' campaign from August 1, 2013 to December 31, 2013 for speedy and focused resolution of NPAs. Business functionaries at various levels earmarked specific delinquent accounts for focussed recovery efforts; the initiative met with considerable success. A pan-India incentive scheme was also introduced towards motivating line staff to ramp up and maximise recovery from NPAs. Additionally, your Bank has also initiated recovery measures against borrowers / guarantors by filing Recovery Applications, Insolvency Proceedings and applications seeking issue of arrest warrants against defaulting borrowers/ guarantors, apart from initiating action under SARFAESI Act in the event of defaults.

Trade Finance

Your Bank continues to expand its footprint and thereby register impressive growth in Domestic as well as International Trade Finance Business. During the period under review, your Bank opened 12

new full-fledged Trade Finance (TF) Centres (Authorised Dealer in Foreign Exchange) pan-India, thereby increasing the total number of TF locations to 52. Your Bank opened two new Nostro Accounts in EURO and GBP currencies. Further, to make available timely Foreign Currency funds to the exporters at a competitive rate, your Bank signed agreements with its Foreign Correspondent Banks for Foreign Currency Borrowing. Your Bank continued to strengthen relationship with foreign banks for facilitating Trade Finance Business. During the reporting period, your Bank established (Relationship Management Application) with 21 major foreign banks taking the total RMAs to 1,442. With this enhanced networking, your Bank has been able to handle bi-directional trade transactions across major parts of the globe.

Aggregate non-fund based (NFB) business viz. Letters of Credit (LCs) and Bank Guarantees (BGs) of your Bank stood at ₹ 83,245 crore level (including bills accepted). During the year, your Bank earned a trade fee income of ₹ 781 crore in trade fee income. Your Bank disbursed ₹ 9,196 crore towards Export Credit to customers and facilitated import finance of over ₹ 30, 641 crore to its corporate clients by issuing Letter of Undertaking during the said period.

Government Business

Your Bank continued to focus on Government Business with missionary zeal, with particular emphasis on collection of Direct and Indirect Taxes of the Central Government and various State Governments. Your Bank succeeded in scaling up its Government business, eclipsing the ₹ 2 lakh crore mark in respect of mobilisation of various Direct/ Indirect taxes and duties of Central and various State Governments through its authorised branches. Your Bank also surpassed the ₹ 1 lakh crore mark in Direct tax collection during the year. The aggregate collection of Direct and Indirect taxes was around ₹ 1.95 lakh crore, up from ₹ 1.59 lakh crore clocked in 2012-13. Your Bank continues to expand the geographical bandwidth of its Government business. As on date, your Bank is authorised to collect Commercial Tax/ Government receipts across 16 states.

Your Bank focused on upgrading the existing NPAs, compressing fresh NPAs, maximising cash recovery from existing NPAs, adopting appropriate mitigation measures for minimal slippages, besides maintaining high standards with respect to asset quality.

Your Bank leverages its best-in-class technology platform to inter alia offer 24x7 internet banking facility for pan-India payment of direct taxes, excise duty, service tax and customs duty, which has found favour with a vast complement of taxpayers. On July 26, 2013, your Bank became the first bank to launch online payment of stamp duty and registration fee (through e-SBTR module) in Maharashtra, which has been extremely well patronised. The e-SBTR is a receipt of online payment of stamp duty and registration fee printed on secured stationery and will be issued by your Bank to the individuals making the payment. Your Bank has activated all its branches in Maharashtra to issue e-SBTR.

Cash Management Services

Cash Management Services (CMS) is one of your Bank's key thrust areas. As a part of CMS, your Bank is offering a suite of collection and payment products. These solutions - Virtual Account facility, online validations for municipal tax and other utility payments through Branch Data Entry Module and other customised e-solutions - ride on cutting-edge technological integration (Host-to-Host) with client systems in tune with evolving market trends. Your Bank bagged some prestigious dividend distribution mandates during the year

Management Discussion & Analysis

10
Centres supporting Treasury operations

7.3%
Contribution of DIFC branch to Total Assets

and has a significant market presence in this segment. Your Bank is also authorised to participate in e-freight payment system of Railways and has already commenced business in various zones for e-freight collections.

Treasury Operations

An integrated Treasury at your Bank's Corporate Centre covers various segments like Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities trading for efficient fund management and treasury operations. The Treasury facilitates customer transactions in market products, resource raising, trading and market making in various market segments while managing the regulatory compliance on Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR). The Treasury is equipped with state-of-the-art technology to deliver quality solutions to your Bank's customers and for its business operations efficiently.

In addition to mobilising deposits, your Bank used various instruments including Certificates of Deposits, Inter-Bank borrowings, issuance of bonds, Refinance from various sources and foreign currency borrowings to manage liquidity for balance sheet growth and maturity of liabilities. Liquidity was managed at appropriate levels depending upon fund position and market situation through various short-term / money market instruments. Your Bank also regularly tracks various markets and adopts acceptable level of positions for trading gains.

Your Bank's Treasury is supported by a large sales team across 10 centres for effective marketing of foreign exchange and derivative products. The team constantly interacts with corporate clients and proactively provides them solutions to effectively manage their exposures in currencies and rates. During the year, your Bank provided various types of standard and customised solutions at competitive rates to the customers for their foreign exchange and interest rate hedging requirements through a mix of forex, options and swaps, as permitted by the RBI.

In addition, your Bank has set up debt sales teams at various centres for retailing of fixed income products in general and Government Securities in particular. The Team caters especially to the needs of the investors for undertaking transactions outside the screen-based NDS-OM market.

Your Bank's Treasury continues to be at the forefront of introducing innovative financial solutions which indirectly contributes towards market development. During the year, the newly launched Government of India's Inflation Indexed Bond, offering protection against inflation to the investors, has been added to the 'IDBI Samriddhi G-Sec' portal. The 'IDBI Samriddhi G-Sec' portal was also revamped to provide daily mark-to-market (MTM) position to the investors on their purchased stocks. Your Bank continues to be in the forefront of entering into Global Master Repurchase Agreements (GMRA) with various market participants facilitating development of repo in corporate bonds.

The financial markets condition, especially in the exchange rate and interest rate segments, experienced high volatility during the year. Your Bank closely tracked the emerging market developments and regularly ensured proactive management of liquidity, interest rate and exchange rate exposures. Your Bank also proactively responded and participated in the various initiatives taken by the RBI during the year, like swap facility for expansion of export credit in foreign currency, measures for attracting FCNR (B) deposits / foreign currency inflows, among others.

In the Primary Dealer (PD) business, your Bank has underwritten large amount of debts of various tenures

as raised by the Government of India. Your Bank has also assisted various State Governments in raising funds by participating in the auction bidding processes. In the T-Bills segment also, the PD business has fulfilled all the applicable commitments with regard to achievement of the required success ratio and secondary market turnover in Government dated securities and T-Bills.

Key Business Initiatives

a) IDBI Samriddhi G-Sec Portal

IDBI Samriddhi G-Sec Portal, introduced in 2012-13, is dedicated to retail individuals desirous of dealing in Government Securities issued by the Government of India. The key features of the portal are accessibility, simplicity and security. This portal is open to all and is not restricted to IDBI Bank customers only. During the year, the newly launched Government of India's Inflation Indexed Bond has been added to the portal. The portal has also been revamped to provide daily mark-to-market (MTM) position to the investors on their purchased stocks. Investors can access the portal through your Bank's website www.idbi.com. An individual / corporate / entity who / which possesses a valid PAN Card, an active Depository Account, an active Bank account and an Email ID can purchase and sell Government of India securities through IDBI Samriddhi G-Sec Portal.

b) Online CD portal

Certificates of Deposit (CDs), introduced in India in 1989, has for long remained a preserve of the institutional investors. To popularise CDs as a mode of investment among retail investors, your Bank, in August 2012, launched the first online CD portal in the country called IDBI SAMRIDDHI CD portal, wherein retail investors can subscribe online to CDs issued by IDBI Bank with a minimum of ₹ 1 lakh and in multiples of ₹ 1 lakh thereafter. This initiative continues to be patronised by retail customers.

Your Bank's Treasury continues to be at the forefront of introducing innovative financial solutions which indirectly contributed towards market development. During the year, the newly launched Government of India's Inflation Indexed Bond, offering protection against inflation to the investors, has been added to the 'IDBI Samriddhi G-Sec' portal.

Cross-Border Branches

Your Bank has established its presence in the overseas markets to cater to the financing needs of its Indian clientele and also leverage its domestic banking strengths to offer competing products internationally.

Your Bank's first overseas branch at the Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai has completed four full years of operations. From DIFC Branch, your Bank provides a range of corporate banking services, including extending of External Commercial Borrowings (ECB), Foreign Currency Loans (FCL), syndication of ECB / FCL and trade finance products to meet Indian clients' fund requirements for their Indian operations as well as overseas ventures.

Your Bank's DIFC Branch has earned a Net Profit of US$ 87.95 million during the current year ended March 31, 2014 as against US$ 35.34 million in 2012-13 registering a growth of about 149%. Assets of DIFC Branch comprise 7.3% of the total assets of your Bank.

Management Discussion & Analysis

Your Bank is also looking to expand its overseas presence further.

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both domestic and foreign currency borrowings. The ratings for the Rupee resources are as follows:

RATINGS FOR RUPEE BORROWINGS (AS ON MARCH 31, 2014)

As on March 31, 2014	CRISIL	ICRA	Fitch
Fixed Deposit	FAAA / Stable	MAA+	IND tAAA
Short Term Borrowings (Certificate of Deposits)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	IND A1+
Long Term Rupee Bonds (Senior & Lower Tier II bonds)	CRISIL AA+/Stable	[ICRA] AA+/Negative	IND AA+
Hybrid - Upper Tier II Bonds	CRISIL AA /Stable	[ICRA] AA/Negative	IND AA–
Hybrid - IPDI	CRISIL AA/Stable	[ICRA] AA/Negative	-

The Foreign Currency Borrowings of your Bank are rated by three International Rating Agencies viz. Moody's Investor Services (Moody's), Standard & Poor's (S&P) and Fitch Ratings (Fitch) as given below:

RATINGS FOR FOREIGN CURRENCY BORROWINGS (AS ON MARCH 31, 2014)

Rating Agency	Rating
Moody's Investor Services (Moody's)	
Long Term Rating	Baa3/stable
Bank Financial Strength Rating (BFSR)	D-/Negative
Standard & Poor's (S&P)	
Issuer Credit Rating (ICR)	BB+/Negative
Stand-alone Credit Profile (SACP)	Bb
Fitch Ratings	
Long Term Issuer Default Rating	BBB-/Stable
Viability Rating	Bb

Foreign Currency Resources

During the year under review, your Bank raised an aggregate sum of US$ 3,875.79 million equivalent in Foreign Currency, of which (i) US$ 590 million was raised by way of Bilateral/ Club loans, (ii) US$ 2,945.22 million was raised by way of short term borrowings from banks and (iii) US$ 340.57 million equivalent was raised by way of Bond issuances under the US$ 5 billion Medium Term Note (MTN) programme.

The bond issuances made under the MTN Programme comprised (i) CNY 249 million (about US$ 40.57 million) 1 year bond issuance (ii) US$ 300 million 5.5 year bond issuance.

During the year, your Bank signed a loan agreement for US$ 340 million with KfW, Germany, through its DIFC Branch in Dubai, in October 2013. The agreement is mainly for funding loans to the micro and small enterprises (MSE) and a part of the loan is dedicated for selected infrastructure projects to support municipalities and communities to improve health and living conditions.

Your Bank, as a part of liability management exercise, purchased and cancelled the Notes amounting to US$ 9.68 million out of the US$ 500 million 3.75% Notes due in January 2019.

As on March 31, 2014, the outstanding amount of borrowings under the Inter-bank Dealings Scheme of RBI (US$ 51.8 million) was within the permitted overall RBI stipulated limit of 100% of Tier I capital of your Bank.

Your Bank has upsized its MTN programme listed on the Singapore Stock Exchange to US$ 5 billion (from US$ 3.5 billion) and updated the same in December 2013. At the end of 2013-14, your Bank's total issuance outstanding under the MTN Programme is equivalent to US$ 2.1 million.

RISK MANAGEMENT

Your Bank's risk management philosophy is governed by the twin objectives of sustainable enhancement of shareholders' value and judicious use of capital. The risk management strategy is based on the identification, measurement and monitoring of business risks on an on-going basis to ensure efficient usage of capital. The prime objective of the strategy is to appropriately balance the risk-return tradeoff inherently associated with the banking business through appropriate mitigation and pricing. This also helps to maintain a competitive edge. Some of the effective methods for controlling risks include the setting up of well-defined risk-management policies and outlining risk limits and procedures in line with your Bank's risk appetite. Periodic policy updates factor in business dynamics, innovation and changes from the regulatory perspective.

> Your Bank's risk management philosophy is governed by the twin objectives of sustainable enhancement of shareholders' value and judicious use of capital.

Your Bank constantly endeavours to improve the risk culture by spreading risk awareness across all its verticals and making it an essential decision-making criterion. The Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is responsible for overall risk management, but day-to-day activities are conducted at various levels based on the Risk Governance structure.

The risk management systems and processes are consistently upgraded to meet the challenges of an increasingly complex financial system and aligned to regulatory requirements. For a more robust and technologically advanced Risk Management System, your Bank has implemented an Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz.

Management Discussion & Analysis

11.68%
CRAR as on March 31, 2014

7.79%
Tier-I ratio as on March 31, 2014

Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). IRMA helps identify and measure credit and operational risks, which, in turn, facilitates formulation of suitable risk mitigation strategies.

Implementation of Basel Norms

In compliance with the Pillar I guidelines under Basel norms, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market & operational risks. Your Bank has migrated to the Basel III framework and has been calculating capital ratios as on a quarterly basis as per Basel III norms since April 1, 2013. Your Bank also computes capital ratios following the Basel II norms as stipulated by RBI since March 31, 2009. With regard to the requirement for higher quality capital under Basel III norms, your Bank, at present, has sufficient common equity to meet the regulatory requirements as stipulated in the guidelines.

As on March 31, 2014, the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) was 11.68%, above the minimum regulatory requirement of 9%. The Common Equity Tier 1 (CET1) ratio is 7.78%, above the minimum applicable requirement of 5%, as stipulated by the RBI. The Tier I ratio was 7.79%, as on March 31, 2014, against the regulatory requirement of 6.5%.

Currently, your Bank follows a Standardised Approach under credit risk for capital computation. It is continuously upgrading and strengthening its Credit Risk Management System to migrate to Internal Rating-Based approaches. Similarly, for market risk, your Bank uses the Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital. It is in the process of implementing the Value at Risk (VaR) based system for smooth migration to Internal Models Approach (IMA). The Basic Indicator Approach (BIA) is followed to compute regulatory capital charge for operational risk. As an initiative to implement Advance Measurement Approach (AMA), a comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self Assessment (RCSA) framework is being rolled out across different business segments.

To comply with the Basel Pillar II norms, your Bank has a Board-approved policy on the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). It enables to internally assess and quantify the risks, which are not captured under Pillar I, and also develop appropriate strategies to manage risks under normal and stress conditions. A comprehensive stress testing framework has been deployed by your Bank, which helps to assess the strength of its risk management framework under exceptional, but plausible events. The framework facilitates appropriate strategies to be put in place in the event of any adverse circumstances.

In compliance with the Pillar III requirements under Basel norms, your Bank has implemented a Disclosure Policy. The disclosures for every quarter are available on your Bank's website.

Credit Risk

Your Bank has deployed a comprehensive Credit Risk Management System, which includes a Risk Assessment Model (RAM) for credit rating of proposals, and CAM for automation of capital computation.

To ensure efficient credit evaluation, credit delivery, portfolio management and monitoring, a proactive Credit Policy is followed. It is prepared to assimilate your Bank's business

objectives by taking prevailing business and socio-economic environment into consideration.

The rating committee at the apex level validates credit ratings and provides guidance to Risk Analysts and Relationship Managers. As a proactive measure, your Bank regularly monitors various exposure limits to different business groups, countries, segments, sectors and industries.

Market Risk

The financial sector witnessed heightened foreign exchange volatility during the financial year. This accentuated the criticality and importance of effective market risk management tools. Responsive risk management architecture, combined with proactive risk management practices, helped address these developments without much adverse impact. The influence of market risk parameters, viz. interest rate, equity prices and foreign exchange, as well as their volatility, were managed to optimise contribution of investment portfolio, while operating within the defined risk appetite threshold. In this direction, relevant measures, including setting limits, continuous monitoring and valuing the portfolio at market rates are undertaken to respond to the dynamics of trading book. Periodic analysis of trading book are also carried out, signifying change in value of various positions in response to changes in market rates, past trends, stress tests through relevant shocks, scenario analysis, among others.

Market risks, in terms of its functions and business positions, operate in line with policy framework defined in the Asset-Liability Management (ALM) Policy, Market Risk Policy, Investment Policy and Derivative Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implement mechanism for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions.

Responsive risk management architecture, combined with proactive risk management practices, helped address developments in the financial sector without much adverse impact. The influence of market risk parameters were managed to optimise contribution of investment portfolio, while operating within the defined risk threshold.

To safeguard your Bank's exposure to liquidity and interest rate risk, Board-approved risk limits have been specified. The Asset-Liability Management Committee (ALCO) regularly monitors the actual risk positions. Subsequently, depending on the requirements, steps are taken to keep gap positions within the specified level. Your Bank's ALM position is being periodically reported to the ALCO, RMC of the Board and the RBI.

Operational Risk

Your Bank has established an enabling organisational structure for effective Operational Risk Management and adherence to sound operating procedures. It is guided by a well-defined Operational Risk and Business Continuity Management Policy. Your Bank takes adequate and proactive measures to contain/ mitigate operational risks including:

- Monitoring of key risk indicators
- Self-assessment of various risks and controls
- Monitoring of operational loss events
- Assessment and fixing of product/ system gaps
- Assessment and mitigation of risk attached to new products/ processes

Management Discussion & Analysis

ISO 27001
Accreditation for Data Centre

BS25999
Certification for BCM processes

Your Bank has a comprehensive IT system in place for effective management and monitoring of operational risks. Besides, the progress and measurement is periodically reported to the Operational Risk Management Committee as well as the Risk Management Committee of the Board.

Your Bank currently follows the Basic Indicator Approach (BIA) under Basel II for computation of capital charge for operational risk. However, to migrate to the Advanced Measurement Approach (AMA), various steps for upgradation of skills, technology and processes are being taken continuously. Various training programmes are undertaken to instill a risk awareness culture across the organisation.

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life threatening events. As a part of BCM, well-defined Business Continuity Plans (BCP) are in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers, despite business disruption/disaster. Besides, comprehensive Disaster Management Plans (DMP) are deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disasters. The resilience of these BCPs and DMPs is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery and mock evacuation drills. Your Bank has been awarded the BS25999 certification (a globally accredited certification) for its comprehensive and robust BCM processes.

Product Risk

Your Bank follows a strong product approval and review process. It comprises a comprehensive risk evaluation and mitigation system, which includes concept validation, confirmation of critical assumptions and technological capability, among others. For each customer segment, product features dovetail suitable standards and security norms to ensure consistency of credit selection.

Information Technology Risk

While your Bank has been at the forefront in leveraging Information Technology (IT) to extend better services / products to customers and other stakeholders, it recognises the need for effective IT risk management. Apart from Information Security aspects, the IT risk mitigation strategy includes multiple aspects of compliance and privacy.

The IT infrastructure and systems are implemented within a robust Information Security framework. Your Bank's centralised Data Centre has been accredited with ISO 27001, a reputed information security certification. Measures to enhance the security levels for taking effective action against 'Phishing' attacks are in place.

Your Bank has instituted an Information Security Policy (ISP), which ensures that information is protected from unauthorised access. Besides, the confidentiality and integrity of information are maintained, along with timely availability of IT resources to legitimate users. A high-level Information Security Steering Committee (ISSC) ensures that systems are in place for continued protection of IT resources. Apart from conducting regular information security awareness programmes for employees, various Information Security precautions are communicated to the customers.

Your Bank is taking necessary steps to enhance safety, security and efficiency in banking processes on information security, electronic banking, technology risk management and cyber frauds, as envisaged in the RBI guidelines.

In essence, your Bank has a well-structured risk management framework recognising various facets of risk and their effective and efficient management. With continued efforts and guidance of the Top Management, the culture of risk awareness has percolated through the organisation considerably.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

HR Initiatives

The HR strategy of your Bank has been framed to effectively align HR policies with business requirement in the areas of recruitment, deployment, training, talent retention and motivational initiatives/ strategies to seamlessly support your Bank's Mission.

Your Bank has taken several new initiatives during the year to motivate its employees by recognising and incentivising high performers. Some of the major initiatives include:

1) **Leadership Grooming:**
   Leadership initiatives have been prioritised. During the year, for the first time, your Bank motivated employees to come forward and lead its expansion into semi-urban and rural areas. The initiative, christened 'Project First Mile', has groomed 159 officers till date to take up the role of Branch Heads. A series of intensive leadership programmes have also been launched for existing Regional/ Branch Heads.

2) **Identifying Managers/ Leaders of the Future:**
   To identify 'high potential officers' and systematically groom them for critical/ leadership roles, your Bank initiated an Assessment Development Centre (ADC) exercise. The ultimate goal of the ADC exercise is to create internal bench strength for critical/ key/ leader roles, going forward.

> The HR strategy of your Bank has been framed to effectively align HR policies with business requirement in the areas of recruitment, deployment, training, talent retention and motivational initiatives/ strategies.

3) **Incentive Plans:**
   Various motivational programmes to boost employee morale and provide continued support to business verticals/other departments was actively pursued during the year. Some of the major initiatives under its aegis are as under:

   i) Performance-linked Cash Incentives Scheme: The scheme was introduced with effect from Appraisal Year 2013-14, in line with the Government of India (GoI) guidelines.

   ii) Incentive Scheme for Retail Branch Heads: The scheme rewards the top five performing Branch Heads in each zone with training programmes abroad/ in reputed institutes of India. These officers are groomed as the future leaders of your Bank.

   iii) Reward/ Recognition for Exemplary Customer Service: In line with the recommendations of the Damodaran Committee on Customer Service, your Bank introduced a reward programme to recognise two employees per zone as the 'Most Customer Friendly Employee of the Zone for the Quarter'.

Management Discussion & Analysis

iv) Reward/ Recognition for prevention of Fraud/Malpractice: Your Bank introduced a reward programme to recognise employees who have taken proactive steps in detecting and minimising fraud. Five employees are selected in each quarter and awarded cash rewards and other benefits.

4) **Succession Planning:**
Your Bank has initiated a Succession Planning exercise to ensure that there is a talent pool to take up key/ critical positions in your Bank. The first phase of identifying critical positions has been completed and an elaborate development programme has been devised to groom potential successors for these critical positions.

5) **Recruitment and Staffing:**
During 2013-14, your Bank recruited 2,456 employees (1,933 Officers and 523 Executives), of which 408 belong to Scheduled Castes (SCs), 87 belong to Scheduled Tribes (STs), 690 belong to Other Backward Classes (OBCs) and 109 are Persons With Disabilities (PWDs). As on March 31, 2014, your Bank had 16,438 employees on its rolls, comprising 13,071 Officers, 1,165 Executives (on contract), 1,199 clerical (Class-III) and 1,003 sub-staff (Class-IV) employees.

Representation of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs)
Your Bank has been implementing the Rules of Reservation/ Concessions for SCs/ STs in direct recruitment with effect from April 1977, and in policies relating to promotion from February 1980. Your Bank has also been implementing reservation for Other Backward Classes (OBCs) in direct recruitment with effect from September 1993. In terms of revised 'Brochure on Reservation for SCs, STs and OBCs in services' issued by the Government of India, Reservation Registers have been duly adopted. The representation of SCs, STs and OBCs, out of the total strength of your Bank in various cadres as on March 31, 2014, is presented in Table 4 below:

TABLE 4: REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs

As on March 31, 2014	Total Strength	Out of which		
		SCs	STs	OBCs
Officers	13071	1635	524	2443
Executives	1165	205	35	385
Clerical				
Sub-staff (excluding Sweepers)	1199	133	37	100
Sweepers	1003	238	78	180
Total	16438*	2211	674	3108
% of Total Strength		13.45%	4.10%	18.91%

* 9 Number of employees are on contractual employment with your Bank in the officers' cadre and 1165 Executives are on contract basis.

There were 33 ex-Servicemen and 387 PWDs in your Bank, as on March 31, 2014. Your Bank maintains separate rosters for PWDs, according to the GOI guidelines. Your Bank has appointed Liaison Officers for SCs/ STs/ OBCs and PWDs and also hosted their names on your Bank's Intranet to enable members of Welfare Associations to approach the Liaison Officer to effectively redress the grievances of these employees.

6) **Training and Development**

A competent workforce is the foundation for every successful organisation. To achieve excellence, your Bank has always put training and development initiatives at the forefront. During the year, your Bank trained 14,431 employees through 583 in-house training programmes. A total of 540 officers attended external training programmes in some of the best training institutes of India and abroad to keep abreast of domestic and global developments that impact your Bank's performance. Further, your Bank inducted 1,438 new Grade 'A' recruits through a robust 90-day induction programme that includes classroom training and intensive on-the-job training, covering all the major business verticals followed by inputs on soft skills.

i-varsity, the online learning portal of your Bank ensures that each employee has access to their learning needs at their desktop. This has given an impetus to the learning environment in your Bank.

Regular programmes on Priority Sector Lending (PSL) training for RBG have been incorporated in the training schedule, given the mission-mode focus on ramping up PSL business to targeted levels, including PSL workshops for Regional Heads, RBG Branch Heads and Asset Officers. Your Bank endeavours to live up to its mission statement of "Customer Delight" by continuously undertaking customer-centric skill development programmes viz., Programme on "Customer Experience Management".

During the year under review, your Bank achieved an important milestone with its Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), the premier staff training college, being awarded the ISO 9001:2008 certification in January 2014.

> A competent workforce is the foundation for every successful organisation. To achieve excellence, your Bank has always put training and development initiatives at the forefront.

The industrial relations climate in your Bank has been largely cordial during the year with no major disruption in work, and most issues raised have been amicably resolved.

Facilities & Infrastructure

During 2013-14, your Bank opened 309 retail branches, relocated 16 branches and renovated 13 branches. Your Bank also commissioned a new 33 KV Substation at its CBD-Belapur office premises, Navi Mumbai. During the year, your Bank was allotted an office space admeasuring 1,22,088 sq.ft. and 36 residential flats, including 150 car parking spaces, in the office-cum-residential complex being developed by the National Building Construction Corporation (NBCC) in East Kidwai Nagar, Delhi. NBCC is the implementing agency appointed by the Ministry of Urban Development for the project. Construction work for the space commenced in November 2013, and is scheduled to be completed by 2016. Your Bank has also taken up the work of modernisation of 12 passenger lifts installed at the IDBI Tower, Mumbai.

Your Bank is at the forefront of the industry in implementing the Clean Note Policy of the RBI. Your Bank

Management Discussion & Analysis

ISO 9001:2008
Certified state-of-the-art Currency Chests

added Jalandhar during the year to its existing state-of-the-art Currency Chests (CCs) at Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Panchkula, Kochi, Hyderabad, Pune and Ahmedabad. These CCs process cash from all linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and the network of branches. Barring Ahmedabad and the new CC at Jalandhar, all the other CCs are ISO 9001:2008 Quality certified.

Internal Audit

Your Bank has a well-equipped Internal Audit Department, which carries out regular audit of various activities undertaken by different business / support verticals, branches and subsidiaries. Audits are conducted under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board. The audit function maintains its independence and objectivity, while carrying out the assignments. Your Bank has adopted risk-based internal audit as its strategy in line with the RBI guidelines and implemented recent guidelines issued by the Government of India on Internal and Concurrent Audits. Effectiveness of the Internal Audit function has been further enhanced after Implementation of a web-based Audit Management System, Off-site Alerts Management System, and setting up of Audit Hubs at important centres.

Your Bank has an experienced in-house Information System Audit (IS Audit) team, as a part of Internal Audit mechanism, to address technology and IT-related security issues commensurate with the nature and complexities of its operations.

Your Bank has, in line with the regulatory requirements, also put in place a comprehensive concurrent audit system to supplement its internal audit function. To achieve continuous improvement in the quality of its credit portfolio, a Credit Audit System has been put in place since 2012-13. The system broadly captures compliance with your Bank's policies in the area of credit appraisal, sanction of loans and credit administration. Your Bank consistently evaluates the adequacy and effectiveness of internal control mechanism, adherence to policies and procedures, and suggests measures to strengthen and streamline control for addressing various risks. Keeping this in mind, your Bank annually reviews the Risk Based Internal Audit Policy, Concurrent Audit Policy, Information Security Audit Policy and Fraud Risk Management Policy.

Fraud Management System

Your Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through the Fraud Monitoring Group (FMG) under the Internal Audit Department. Fraud Review Councils (FRC) have been constituted to monitor and review all frauds to identify systemic lacunae, if any, initiate corrective measures and monitor progress of investigations and recovery position. The FMG also reviews efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds. These actions include strengthening of internal controls and deploying need-based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management Policy has been implemented to provide a system to effectively manage and control potential areas of frauds. The policy also covers a framework for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds.

The Audit Committee of the Board and Audit Committee of Executives reviews the performance consistently, gives directions to internal audit functionaries and reviews the effectiveness of internal control systems and compliance with regulatory guidelines.

Vigilance Mechanism

A full-fledged Vigilance Department, located at your Bank's Corporate Centre, operates as a channel for providing inputs to the Top Management by carrying out

investigation into vigilance-related complaints, and suggest corrective measures for reducing deficiencies, if any, in the control systems and procedures. It also gives suggestions on the quantum and type of penalties in regard to vigilance-related disciplinary action cases. Your Bank has implemented the guidelines laid down by the Central Vigilance Commission (CVC) for improving Vigilance Administration, and has implemented a system through which complaints received from the public / any other sources are attended to, promptly. Important guidelines on this critical aspect are uploaded on the in-house intranet site for employees' information and compliance.

During the year, surprise vigilance visits were made to various branches to detect malpractices, if any, and non-adherence of laid down systems and procedures. Suitable corrective measures were suggested, wherever deemed necessary. Further, in order to spread vigilance awareness among employees of your Bank, numerous interactive workshops and talks / presentations with a focus on preventive and participative vigilance were organised during the year.

Vigilance Awareness Week was observed during October 28, 2013 - November 2, 2013 at the Corporate Centre, Zonal Offices and Branch Offices to sensitise employees about the evils of corruption.

Regulatory Compliance

Your Bank has taken adequate steps to ensure compliance with various statutory and regulatory stipulations and guidelines. A dedicated Compliance Department, headed by the Chief Compliance Officer, oversees compliance-related activities like:

a) Statutory provisions (Banking Regulation Act, RBI Act, FEMA, Prevention of Money Laundering Act, and so on)

b) Regulatory guidelines (RBI, IRDA, SEBI, and so on)

c) Standards and Practices prescribed by industry associations /self-regulatory bodies (BCSBI, IBA, FEDAI, FIMMDA, among others)

d) Your Bank's internal policies

The Department also transmits information regarding statutory and regulatory requirements across the organisation. Further, in close co-ordination with Internal Audit Department, it monitors observance of regulations by the business and other verticals. It also ensures that proper checks are implemented, wherever gaps are observed.

Your Bank has, in line with the regulatory requirements, put in place a comprehensive concurrent audit system to supplement its internal audit function. To achieve continuous improvement in the quality of its credit portfolio, a Credit Audit System has been put in place.

Code of Bank's Commitments to Customers

Your Bank is a member of the Banking Codes & Standards Board of India (BCSBI), set up by the RBI. The Board of Directors has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers as well as the Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises. Both the codes are voluntary and set minimum standards of banking practices. As an integral part of your Bank's compliance with these codes, information on the codes is provided to customers at branch offices and through the website.

To improve the robustness of the Grievance Redressal Mechanism the Regional Heads of your Bank pan-India have been designated

Management Discussion & Analysis

ISO 9001:2008 Certification for Customer Care Centre (CCC)

as Code Compliance Officers and their contact details are prominently displayed at branch offices and on your Bank's website. Your Bank's products, processes and services are periodically fine-tuned to meet the desired objectives of the BCSBI in achieving customer satisfaction.

Right to Information (RTI) Act

Your Bank has designated 25 Central Public Information Officers (CPIOs) to respond to applications on various functional areas. In addition, all Branch Heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications received under the RTI Act to CPIOs. Your Bank has designated a Senior Officer as Appellate Authority for dealing with appeals of aggrieved applicants and a Transparency Officer for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link on the RTI Act has been provided on your Bank's website (www.idbi.com).

During 2013-14, your Bank received 864 applications seeking information under the RTI Act. A majority of the applications pertained to the Retail Banking operations of your Bank. All applications received were disposed of according to the provisions of the RTI Act.

Progressive use of Hindi

As a Public Sector Bank, your Bank promotes the use of Hindi as the Official Language as per the directives of Central Government and ensures compliance of various provisions of Official Language Act & Rules. Assiduous efforts are made to achieve the targets regarding use of Hindi by Departments at Corporate Centre and Branches of your Bank. As part of your Bank's commitment to its customers, most of the ATMs of your Bank provide display of instructions in Hindi and English, apart from the regional language. Your Bank's website also provides information in Hindi and English. Concerted efforts are made to increase the use of Hindi in the technology-enabled environment. With a view to encourage use of Hindi in your Bank, branches which have made commendable progress in the use of Hindi are awarded Certificates, Cash Prizes and Rajbhasha Shield.

In order to create awareness among staff members and familiarise them with the provisions of Official Language Policy and Annual Programme issued by the Government of India, Rajbhasha Orientation Programmes are regularly organised at the Corporate Centre and branches. The third Sub-committee of Parliamentary Committee on Official Language commended the efforts made by your Bank in implementing the Official Language Policy. As a part of Hindi Day celebrations, Hindi lectures and competitions were organised in Corporate Centre and in branches for the benefit of staff members.

Several of your Bank's branches received due appreciation and awards from respective Town Official Language Implementation Committees for commendable performance in use of Hindi during the year. Your Bank was also awarded the Rajbhasha Shield for remarkable use of Hindi in region 'B' by the Maharashtra State Level Banker's Committee (SLBC).

Customer Service and Complaints Management

Your Bank's customer-centric orientation in product construct and service delivery is reflected in its Vision and Mission Statement. The Mission of your Bank is to delight customers with excellent service and a comprehensive suite of best-in-class financial solutions to achieve the Vision of being the most preferred and trusted Bank by enhancing value for all stakeholders. Your Bank endeavours on a sustained basis to adhere to this corporate philosophy at each customer touch-point. The Board's Customer Service Committee and the Standing Committee on Customer Service, which reports in to the former, ensures that Customer Service and

Complaints Management matters receive deserved attention.

Branch Level Customer Service Committees (BLCSC), comprising branch officials and customers as members, meet on the 15th of every month to discuss issues and suggestions to improve customer service for suitable implementation.

Your Bank monitors customer satisfaction on an ongoing basis through a Feedback Form hosted on its website. This enables customers to rate your Bank and provide suggestions for improvement. During the year, your Bank conducted a Customer Satisfaction Survey across multiple locations through a reputed market research agency and received valuable insights from customers on your Bank's service standards.

The Customer Care Centre (CCC) of your Bank, which is ISO 9001:2008 certified, inter-alia deals with complaints management through assorted modes. It includes receiving and redressing customer complaints escalated from branches and received through email, website and letters at the Corporate Centre, social media and in-bound Phone Banking Team. CCC also handles complaints received through the Banking Ombudsman, RBI, GOI and other regulatory authorities. Your Bank has a Board-approved Customer Care and Grievance Redressal Policy in place, which outlines its approach to complaint resolution and customer care, including the timeframes for resolution at the branch-level and on escalation to CCC.

In line with the Government guidelines, your Bank has appointed a Chief Grievance Redressal Officer (CGRO) at the Corporate Centre and Grievance Redressal Officers (GRO) at the Zonal Offices for better customer service through timely resolution of customer grievances. During the period under review, your Bank also appointed an Internal Ombudsman, designated as Chief Customer Service Officer (CCSO), to further enhance customer service provision, reduce lead time in customer grievance resolution and limit referrals to the Banking Ombudsman, RBI.

During the period under review, your Bank appointed an Internal Ombudsman, designated as Chief Customer Service Officer (CCSO), to further enhance customer service provision, reduce lead time in customer grievance resolution and limit referrals to the Banking Ombudsman, RBI.

The Customer Value Management (CVM) software, developed in-house, is in line with industry standards and is helping to deepen customer relationships and enhancing customer service quality through standardisation of grievance management process across all customer touch-points.

In line with the RBI's Audit recommendations and as part of your Bank's Business Continuity Plan (BCP), a Disaster Recovery (DR) site for Phone Banking operations has been set up at Hyderabad. The existing Phone Banking software was upgraded during the year, while the total capacity at Mumbai and Hyderabad sites were increased to ensure faster resolution of complaints and enhanced customer service.

Corporate Communications

Your Bank's advertising and publicity initiatives intensified during the year with your Bank's re-branding campaign, launched after a gap of four years, serving as the centre-piece of your Bank's external communications. The campaign, which ran from end-October 2013 to early February 2014 in assorted media, but primarily as a television commercial, focused on repositioning your Bank, using a simple

Management Discussion & Analysis

Shree Vayam

House Journal, among very few in India, with ISO 9001:2008 certification

concept like friendship, to convey the brand attribute and positioning. The tonality of the campaign stressed that your Bank is a warm, friendly Bank that cares for its constituents. The campaign, which won a slew of awards and accolades, ingeniously used the innate innocence of 'children' in an unambiguously gender-neutral sense, to convey, through mundane conversations touching upon various facets of real life, the core message of happiness, safety and security and that your Bank is a true friend that a client can implicitly trust, even during trying times. The new tagline appositely echoes the USP of the brand: 'Bank Aisa Dost Jaisa'. The Brand campaign also finds its echo in the core theme of this year's Annual Report: 'Strengthening Friendship. Touching Lives.'

A consolidated impact analysis of the advertising campaign, based on findings of the surveys carried out by your Bank's empanelled Creative and Media selling agencies, as also the awards and accolades which the Brand campaign has garnered, clearly indicates that the campaign has had a positive impact and elicited favourable feedback from respondents, belonging to various sections of the society. Respondents to the brand campaign survey saw in the campaign communication a young, modern, customer-centric, technologically progressive and trustworthy Bank, exuding warmth and professionalism at the same time. The tagline of "Bank Aisa Dost Jaisa" was robustly recalled unaided by the respondents. The key take away was that its core message has managed to establish a lasting and emotional connect with your Bank's target constituents.

After the new brand campaign closed out, your Bank launched a series of retail product campaigns covering its flagship products in calibrated tranches and various mediums during the last quarter of 2013-14, drawing upon the DNA and tonality of brand campaign communication. These were intended to maximise returns on investment in advertising by establishing a sustained 'top of the mind' recall of your Bank's offerings and the core proposition of what it stands for. Below the Line (BTL) collaterals, like banners, standees, posters and fliers as well as artwork for one-off ads were also unveiled to familiarise customers and clients with your Bank's flagship PSG products.

During the year, your Bank also released advertisements in high volume publications - both newspapers and magazines - and participated in / sponsored a few events that offered your Bank high visibility and image enhancement.

Your Bank strengthened its social media presence across Facebook, Twitter, YouTube and Google+ by regularly engaging its fans and followers on these platforms through a series of promotional and engagement contests. The Branding Campaign was promoted through the digital medium, garnering recognition and appreciation in the online space as well.

Your Bank's revamped website not only facilitates a more user-friendly web interface and better navigating experience to its visitors, but also includes an innovative tool for locating your Bank's Branches and ATMs. Your Bank will be shortly making its presence felt in mobile web communication through a mobile-friendly, device-responsive website, which will enable stakeholders to access the required information on the move.

Public Relations related activities of your Bank during the year were undertaken with the objectives of increasing the visibility and top-of-mind recall of your Bank, enhancing your Bank's profile in the media and financial community and managing investor perceptions. Your Bank organised a number of major events/ press conferences, which were well attended and received extensive

coverage across India, in print and electronic media. These also encompassed events, which reasserted your Bank's established standing as a responsible corporate citizen. Erudite views of Senior Executives of your Bank found their way into leading dailies, magazines and TV Channels, which enhanced your Bank's image and visibility.

Internal Communications

Your Bank's Internal Communications (IC) has to effectively communicate your Bank's vision, values and culture to its human capital. To this end, IC deploys various media like a House Journal, Knowledge Sharing Platform(s) and Staff Suggestion Scheme (SSS) for the stakeholders.

Shree Vayam, the prestigious bilingual quarterly House Journal, now in its 28th year, generates and highlights your Bank's key events and achievements of employees. It covers the spectrum of life in sports, welfare, cultural, academic and other extracurricular activities. It is among the very few, if not the only, House Journal in India to have an ISO 9001:2008 certification.

i-Share, a knowledge sharing platform developed by your Bank, helps employees articulate their suggestions, experiences and comments on products/ policies/ services, among others. The objective of i-Share is to eliminate barriers to communication by enabling employees to post their views on issues relevant to them and your Bank. It also provides an effective collaborative tool for employees to share ideas, experiences and knowledge on common issues of interest.

A blog site dedicated to the Chairman's views continues to serve as a direct channel for employees pan-India to interface with him, leading to a flattening in the corporate hierarchy.

The popular Staff Suggestion Scheme (SSS) encourages staff members to offer constructive suggestions relating to specific areas such as customer delight, financial savings, time savings, eliminating drudgery and improving productivity/efficiency in operations, which ultimately benefits both your Bank and its customers. The SSS also carries monetary incentives.

> Your Bank understands the importance of how CSR activities can bring about a meaningful and lasting improvement in the lives of the marginalised sections of society. In that sense, CSR is a way of life at IDBI Bank, ingrained into your Bank's corporate philosophy.

A Centralised Product Information Kiosk (CENPIK) on the intranet provides access to the details of all Products and Services of your Bank. Besides offering a one-stop platform for all products and services details, CENPIK also provides a window for quick resolution of any doubts arising from the operating levels in a time-bound manner.

Corporate Social Responsibility (CSR)

With a background of development finance and intimate association with nation building activities, your Bank understands the importance of how CSR activities can bring about a meaningful and lasting improvement in the lives of the marginalised sections of society. In that sense, CSR is a way of life at IDBI Bank, ingrained into your Bank's corporate philosophy. Your Bank's extant Board-approved CSR policy of January 2013 - a pro-active initiative - encompasses interventions in areas, such as rural infrastructure, social empowerment, education, environment, community welfare and healthcare with a dedicated CSR budget carved out of its profits for assorted, but deserving initiatives.

Management Discussion & Analysis

ISO 9001:2008
Certification for CPU, all RPUs and all CCUs

The recent enactment of the Companies Act, 2013, which has a section devoted to CSR, has necessitated a recast of your Bank's CSR Policy to make it compliant with the provisions of the Act and the rules and admissible activities notified therein by Ministry of Corporate Affairs in February 2014. As provided in the Act and pursuant to the same, your Board of Directors has, during the year, constituted a five-member Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of the Board, comprising of CMD, both DMDs and two Independent Directors with specific responsibilities. As part of its mandate, the CSR Committee has, in March 2014, recommended the revised CSR Policy of your Bank, to the Board for approval. The new CSR Policy, on approval, will supersede the extant policy and take retrospective effect from April 1, 2014. The highlights of the revised CSR policy, details of activities undertaken under its aegis from April 2014 and associated spends will be featured in the coming year's Director's Report, as mandated under the Companies Act 2013.

Your Bank ramped up its funding and activity meter in the CSR area during the current financial year, both directly and in association with accredited organisations, to make a greater impact on the targeted strata of society. These included, but were not limited to, collaborative long-term funding for projects designed to promote income-generating activities for tribal groups and the underprivileged, particularly women, across various states, infrastructure support to schools and youth training centres, rural electrification through solar street lights, financial aid for socio-economic empowerment of the blind, disabled and other under-privileged sections of society. Your Bank, in association with UNICEF, is undertaking a project aimed at improving the Water, Sanitation and Hygiene (WASH) facilities for 80,000 students from 400 schools in Uttar Pradesh and Maharashtra over a period of two years. Recently, your Bank has partnered with Cancer Institute, Adyar, Chennai to fund a facility for Day Care Chemotherapy patients. Besides, in line with its brand promise of 'Bank Aisa Dost Jaisa', your Bank was at the forefront in providing financial aid and other support during natural calamities across several states. Your Bank is endeavouring to cross-leverage its CSR initiatives to provide micro-finance to the unbanked areas and financially excluded sections of the society. Your Bank's CSR commitments during the financial year till March 31, 2014 aggregated to nearly ₹ 12.2 crore. Your Bank's CSR efforts continue to be suitably recognised at various forums.

Information Technology

In an endeavour to provide a unique experience to customers, your Bank has been implementing new technologies and introducing efficient products, services and delivery systems. This is to ensure a secure environment for the customers so that they feel comfortable while carrying out banking transactions. These technology innovations not only improve operational convenience, but also enhance efficiency of systems and processes.

In an effort to professionally operate and manage various technology initiatives, your Bank has a dedicated Information Technology subsidiary, which gives focused attention to your Bank's Information Technology needs. An IT Division has also been set up within your Bank during the year to oversee, control and monitor Information Technology functions and also act as an interface between the IT subsidiary and your Bank.

During 2013-14, your Bank introduced several innovative products and services, covering various segments of banking. Core Banking software, used by your Bank, has been upgraded to the next level to take advantage of new features.

Your Bank initiated, in right earnest, biometric based access to the Core Banking Software, thus achieving one of the modern and secured ways of access-control. IT hardware was upgraded to enhance computing power to cater to a growing network of branches and ever-increasing volume of business. Additionally, your Bank has embarked on various IT initiatives like CRM, Data Warehouse and is working towards setting up a Risk-based transaction monitoring system.

During the year, your Bank has successfully launched an online portal for Electronic Secure Bank and Treasury Receipt (e-SBTR) facilitating payment of Stamp Duty and Registration Fee in Maharashtra.

Your Bank's website was redesigned to provide relevant information to customers with minimum of clicks. To provide individual and corporate customers with a seamless facility to pay taxes, the system of tax payment through net banking was expanded to cover more State Governments. Your Bank has successfully implemented the Cheque Truncation System (CTS), as mandated by the RBI, at Chennai and Delhi Grid. The project for Mumbai Grid is underway. A number of major product specific technology innovations introduced during the year have been covered in the corresponding product section of the Report.

Your Bank gives top priority to security and confidentiality of customer information and data. Apart from taking various security measures, your Bank also educates its customers through its 24x7 National Contact Centre and e-mail / postal communications to inculcate best practices for averting any phishing attacks or cyber frauds. As additional security, your Bank has introduced PIN at POS feature to enhance security, while shopping using Debit cards.

Your Bank's primary objective is to serve the customers through seamless and uninterrupted banking. Your Bank has, therefore, adopted global standards in maintaining business continuity.

During the year, your Bank has successfully launched an online portal for Electronic Secure Bank and Treasury Receipt (e-SBTR) facilitating payment of Stamp Duty and Registration Fee in Maharashtra.

Centralised Operations

Your Bank has a state-of-the-art Central Processing Unit (CPU) at Mumbai for centralised services such as ATM card production and delivery, PIN mailer production and delivery, Demat Account opening, and so on. It also has world-class Regional Processing Units (RPU) for opening Savings Bank, Current Account and Fixed Deposit Accounts which are located in Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Pune and Ahmedabad. The CPU and RPUs ensure enhanced and uniform controls at the time of opening the accounts from KYC and AML point of view, reduction in Turn-Around- Time (TAT) and savings in cost. The CPU and RPUs at Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Pune are certified under ISO 9001:2008 Quality Certificate.

Your Bank started three new Central Clearing Units (CCUs) at Ranchi, Guwahati and Bhubaneswar during the year under review. With these, the total number of CCUs in your Bank aggregate to 29, all of which are ISO 9001:2008 certified. CCU Delhi and all the CCUs in the Southern Cheque Truncation System (CTS) Grid have migrated to CTS clearing. CTS have been rolled out in areas beyond Chennai city-limits on a 'Grid Model'. The transition was very smooth and strictly according to the schedules proposed by the RBI and NPCI. The

Management Discussion & Analysis

Ranked as Best Bank amongst large banks in terms of efficiency and productivity in Business Today mag

clearing activities of CCU Mumbai were migrated to CTS. Around 700 branches are serviced through the CCUs while 300 branches are under CTS.

Awards and Accolades during 2013-14

During the period under review, your Bank received various awards for its achievements in the banking space and also beyond.

The leading business magazine, Business Today, ranked your Bank as the Best Bank among large banks in terms of efficiency and productivity in its "Best Banks" issue published on December 8, 2013. Your Bank also received the Best Annual Report Award under the Special Awards Category for its Annual Report 2012-13 at the ADFIAP Awards 2014.

The Brand Trust Report (BTR) India Study 2014, an annual publication published by Trust Research Advisory (TRA), ranked your Bank at 85th position (in terms of trust in the brand) among the top 1,200 brands across categories, 74 places above the 159th place ranking in BTR 2013. Your Bank was placed second in the BFSI- PSU category after State Bank of India (SBI). The enhanced trust in the brand is a reflection, in part, of the branding and product campaigns undertaken during the year to communicate that your Bank is a friend that will stand by its customers at all times.

Your Bank has long been recognised for its technological excellence, for which it won a number of awards during the year as well. Your Bank won awards in five categories in the IBA Banking Technology Awards 2012-13: first Runner Up in the Technology Bank of the Year and Best Payments Initiative categories, second Runner Up in the Best Internet Bank, Best Use of Business Intelligence and Best Risk Management and Security Initiative categories. Your Bank was also awarded the 'Best Bank – Jury Award' for technical and operational excellence in maintaining the best chargeback management, best technical decline and business decline standards at the 9th National Financial Switch (NFS) user meet organised by the National Payments Corporation of India (NPCI). For its e-SBTR (Electronic Secure Bank and Treasury Receipt) project, your Bank won the Skoch Renaissance Award 2013 under ICT Category. Your Bank's unique offering - IDBI Samriddhi Portal – was conferred the Finnoviti 2013 Award as an 'Inspiring Innovation' in the Banking segment. Your Bank was also adjudged winner of the Financial Inclusion and Payment Systems (FIPS) 2013 Award under Financial Inclusion Category for undertaking 'Aadhaar Project' as a financial inclusion initiative in Direct Benefit Transfer (DBT) districts.

Your Bank's re-branding campaign appeared in assorted media, but primarily as a television commercial. Apart from establishing an emotional connect with its target group, the concept and creative depiction won a number of awards and recognition. One of the print ads of the campaign won the 'Kalki Sadasivam Memorial Award' for best ad in Tamil print media for the calendar year 2013. At the PRCI Corporate Collateral Awards 2014, your Bank's brand campaign won the Silver award in the Corporate Advertisement Campaign category. It also fetched an award in the internal award show organised by Ogilvy & Mather, called 'The Envies', from among 350 entries. The campaign TVCs was placed among the top five commercials of 2013 by exchange4media.com, the premier web newspaper in the domain of media, advertising and marketing. The Brand Wagon, a supplement of the Financial Express,

gave the commercials a three-star rating. In its article Ad Mad World, the Indian Express rated your Bank's TVC as one of the top five favourite ads of 2013.

In the Corporate Social Responsibility (CSR) area, your Bank's initiatives found suitable recognition in appropriate forum. Your Bank was conferred the prestigious Golden Peacock Award for Corporate Social Responsibility for 2013 under the Banking (PSU) category for its outstanding achievements in the CSR field and for demonstrating consistent commitment towards upliftment of weaker sections of the society. Your Bank also won the Third Annual Greentech CSR Award 2013 in the Platinum category – the highest category instituted under the award – for its outstanding work in reconstructing and developing the flood-affected Taru village in Ladakh into a 'Model Village'. In early 2014, your Bank was conferred the award for 'Best Corporate Social Responsibility Practices' in the Banking Category at the Banking, Financial Services & Insurance (BFSI) Awards, 2014. Your Bank's documentary film 'Taru Zameen Par', which showcases its CSR initiative in reconstructing the flood-affected village of Taru in Ladakh, was conferred the Silver award at the PRCI Corporate Collateral Awards 2014.

In the green banking arena, your Bank won awards for two projects in the domain of 'Environmental Development', viz. IDBI initiative for Low-Carbon Business Sustainability through Environment Banking and Ozone Depleting Substance (ODS) Phase-out Project and India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP) at the ADFIAP Awards 2014. Your Bank's office building at Bandra Kurla Complex, Mumbai was awarded the LEED INDIA 'GOLD' Rating by Indian Green Building Council.

During the period under review, your Bank received various awards for its achievements in the banking space and also beyond.

Your Bank was lauded for its contribution towards human capital development for encouraging a positive, dynamic and performance-driven work culture to nurture employees, groom them and build a passionate and committed workforce. It was adjudged the winner in the Human Capital Development Category for 'Leveraging Human Capital to Deliver Customer Delight and Impact Overall Growth' at the ADFIAP Development Awards 2013.

In the realm of internal communication, your Bank's in-house publications won awards in three categories at the 53rd ABCI (Association of Business Communicators of India) Annual Awards; Shree Vayam won the Gold Award for Features (English) and Silver Award for Headlines while its sister house journal in Hindi- Vikas Prabha- won the Silver Award for Features (Hindi). Vikas Prabha also garnered appreciation at the PRCI Corporate Collateral Awards 2014.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन

आपका बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामक प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित बेहतरीन कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में आपका बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आपके बैंक के निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग आदि आपके बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. आपका बैंक बोर्ड को सभी संबद्ध जानकारी, सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम एवं बैंक के संस्था अन्तर्नियमों से शासित है तथा यह स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार में वर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं को पूरा करता है. बोर्ड स्वयं और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2014 को बोर्ड में नौ निदेशक थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) सहित एक गैर-कार्यपालक निदेशक और 5 स्वतंत्र निदेशक थे. 31 मार्च 2014 को बोर्ड में श्री एम. एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-कार्यपालक निदेशक के रूप में; श्री बी.के. बत्रा और श्री एम. ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक- कार्यपालक निदेशक के रूप में; सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, केंद्र सरकार की अधिकारी- गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में तथा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री सुभाष तुली, श्री पी.एस. शेनॉय, श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स बोर्ड में शामिल थे.

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक बैंक के बोर्ड के अन्य निदेशक से संबद्ध नहीं है.

निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2013 से 31मार्च 2014) के दौरान बोर्ड की कुल 13 बैठकें हुईं जो 25 अप्रैल 2013, 28 मई 2013, 20 जून 2013, 18 जुलाई 2013, 26 अगस्त 2013, 4 सितंबर 2013, 30 अक्तूबर 2013, 26 नवंबर 2013, 30 दिसंबर 2013, 13 जनवरी 2014, 1 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2014 और 13 मार्च 2014 को संपन्न हुईं. इनमें से 20 जून 2013 और 18 जुलाई 2013 की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गईं और बाकी बैठकें मुंबई में आयोजित हुईं.

आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा

निदेशकों के नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (संपन्न बैठकों की कुल संख्या - 13)	04 सितंबर 2013 को संपन्न गत वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशकता	अन्य कंपनियों में एसीबी/एसजीसी सदस्यता (अध्यक्षता)
पूर्णकालिक निदेशक				
श्री एम. एस. राघवन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05.07.2013 से)	10(10)	उपस्थित	5	शून्य
श्री आर. एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.05.2013 तक)	2(2)	लागू नहीं	5	शून्य
श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक	13(13)	उपस्थित	4	2(0)
श्री एम.ओ.रेगो, उप प्रबंध निदेशक(30.08.2013 से)	7(8)	उपस्थित	2	शून्य
गैर-कार्यपालक निदेशक				
सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव	13(13)	उपस्थित नहीं	2	2(0)
स्वतंत्र निदेशक				
श्री सुभाष तुली	11(13)	उपस्थित	0	शून्य
श्री पी. एस. शेनॉय	12(13)	उपस्थित	5	4(1)
श्री एस. रवि	13(13)	उपस्थित	7	8(3)
श्री निनाद कर्पे	11(13)	उपस्थित	5	2(1)
श्री पंकज वत्स (30.09.2013 से)	7(7)	लागू नहीं	शून्य	शून्य

अंतिम कॉलम में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समितियों की अध्यक्षता की संख्या दर्शाते हैं.

निदेशकों के पारिश्रमिक

पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा की जाती हैं तथा उनका (STAT) पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां भी भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण तालिका 2 में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के आपके बैंक के साथ आर्थिक संबंध/लेन-देन शून्य रहे.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

तालिका 2 : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक

वेतन और भत्ते (सरकारी आदेशों के अनुसार)	श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (5 जुलाई 2013 से) ₹ 80,000 /- प्रति माह का वेतन और 90% की दर से ₹ 72,000/- महंगाई भत्ता. कुल ₹ 1,52,000/-. श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2013 तक) - ₹ 80,000/- प्रति माह का वेतन और 72% की दर से ₹ 57,600/- महंगाई भत्ता. कुल ₹ 1,37,600/-. श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक - ₹ 71,030/- प्रति माह का वेतन और 90% की दर से ₹ 63,927/- महंगाई भत्ता. कुल ₹ 1,34,957/-. श्री एम.ओ.रेगो, उप प्रबंध निदेशक (30 अगस्त 2013 से) ₹ 65,000 /- प्रति माह का वेतन और 90% की दर से ₹ 58,500/- महंगाई भत्ता. कुल ₹ 1,23,500/-.
आतिथ्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य) .
आवास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक दोनों को किराया-मुक्त सज्जित आवास.
वाहन व्यय	कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए बैंक की कार का निःशुल्क उपयोग.
छुट्टी यात्रा रियायत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार.
पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर हैं, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई है,प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा छः माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.
कार्यकाल	श्री एम.एस. राघवन को भारत सरकार की दिनांक 5 जुलाई 2013 की अधिसूचना सं एफ.नं. 4/4/2012-बीओ.। द्वारा 30 जून 2015 तक की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त. श्री राघवन ने 5 जुलाई 2013 को कार्य ग्रहण किया. श्री आर.एम. मल्ला - 07 जुलाई 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं. 9/12/2009-बीओ.I द्वारा 9 जुलाई 2010 से 31.05.2013 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री बी. के. बत्रा - 12 जनवरी 2012 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.9/14/2009-बीओ.I द्वारा 13 जनवरी 2012 से अधिवर्षिता की तारीख (31.07.2016) तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री एम.ओ.रेगो 30 अगस्त 2013 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.7/3/2011-बीओ.I द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री रेगो ने 30 अगस्त 2013 को पदभार ग्रहण किया.

अन्य स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक ₹ 10,000/- का बैठक शुल्क प्रति बोर्ड, ईसी और एसीबी के लिए और बोर्ड समिति की अन्य बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 5,000/- अदा किये गये. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा आपके बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर कोई और पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की राशि का विवरण नीचे दिया गया है

स्वतंत्र निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री पी. एस. शेनॉय	4,57,500
श्री सुभाष तुली	2,50,000
श्री एस. रवि	4,50,000
श्री निनाद कर्पे	3,45,000
श्री पंकज वत्स	1,10,000

क. बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल तेरह समितियां हैं, यथा:

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- कारोबार समीक्षा समिति
- कार्यपालक समिति
- शेयरधारक/ निवेशक शिकायत निवारण समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- जोखिम प्रबंध समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- वसूली समीक्षा समिति

1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2014 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) में एक कार्यपालक निदेशक / पूर्ण कालिक निदेशक (डीएमडी), सरकारी निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशकों सहित छः सदस्य थे. श्री एस. रवि, सनदी लेखाकार और स्वतंत्र निदेशक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव सरकारी निदेशक, श्री पी. एस. शेनॉय, श्री सुभाष तुली और श्री निनाद कर्पे इसके अन्य सदस्य थे. श्री एम.ओ. रेगो (डीएमडी) एसीबी के स्थाई विशेष आमंत्रिती थे. एसीबी की भूमिका और उसके अधिकार कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों और सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार थे, जो नीचे दिए गए हैं :

अधिकार

समिति

- विचारार्थ विषयों के अंतर्गत किसी भी कार्यकलाप की जांच-पड़ताल कर सकती है;
- किसी भी कर्मचारी से सूचना मांग सकती है;
- जहाँ कहीं आवश्यक हो बाहरी कानूनी या व्यावसायिक सलाह ले सकती है;
- आवश्यक समझे जाने पर संबद्ध क्षेत्र की विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकती है.

भूमिका

समिति

- वित्तीय विवरणों की शुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण;
- रिज़र्व बैंक और शेयरधारकों से अनुमोदन की शर्त पर बोर्ड को लेखा परीक्षाओं की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारण की सिफारिश करना;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अन्य सेवाओं, यदि कोई हों, के लिए भुगतान की सिफारिश करना;
- वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित संदर्भों में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

  क. कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण में शामिल किए जानेवाले विषयों को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करना;

  ख. लेखांकन से जुड़ी नीतियों और पद्धतियों में बदलाव, यदि कोई हों, तथा उसके कारण;

  ग. प्रबंधन के निर्णय के प्रयोग पर आधारित प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;

  घ. लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

  ङ. सूचीबद्धता तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन;

  च. किसी संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण;

  छ. लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में अर्हताएं.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

- बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा;
- सांविधिक और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के कार्य-निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में प्रबंधन के साथ समीक्षा;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, यदि कोई है, जिसमें आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे और आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवधिकता शामिल है;
- किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श;
- लेखा-परीक्षा के स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श, साथ ही चिंताजनक विषय का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;
- लेखा-परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य.

लेखा-परीक्षा समिति द्वारा प्राप्त सूचना की समीक्षा

- प्रबंधन से विचार-विमर्श तथा वित्तीय स्थिति और परिचालन-परिणामों की समीक्षा
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विशेष महत्व वाले संबद्ध पक्ष लेन-देनों का विवरण (लेखा-परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार).
- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन संबंधी पत्र/आंतरिक नियंत्रण में शिथिलता संबंधी पत्र
- आंतरिक नियंत्रण संबंधी शिथिलता के बारे में आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014) के दौरान एसीबी की आठ बैठकें हुईं, जो 25 अप्रैल 2013, 28 मई 2013, 18 जुलाई 2013, 30 अगस्त 2013, 30 अक्तूबर 2013, 26 नवंबर 2013, 1 फरवरी 2014 और 28 फरवरी 2014 को संपन्न हुईं.

2. कारोबार समीक्षा समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कारोबार समीक्षा समिति (बीआरसी) का गठन 26 अगस्त 2013 को किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य समीक्षा और रिपोर्टिंग मदों पर चर्चा और बोर्ड को पहले प्रस्तुत की गईं सूचनार्थ मदों पर चर्चा करना है. बोर्ड बीआरसी बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करने के दौरान इन मदों पर की गई चर्चाओं को पर्यवेक्षित और रिकॉर्ड करता है. इस समिति के कार्य के अंतर्गत सचिवीय रिपोर्टिंग के अलावा सूचनार्थ दी गई समीक्षा मदों और ऐसी समीक्षा मदों (कैलेंडर समीक्षा सहित) पर चर्चा करना शामिल है जो सूचनार्थ प्रस्तुत की गई हों और जिनमें कोई अनुमोदन/ संशोधन/ रणनीति और रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत मदें शामिल न हों. यथा 31 मार्च 2014 को बीआरसी में छह सदस्य थे जिनमें तीन कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल थे. श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, समिति के अध्यक्ष और श्री बी.के. बत्रा व श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक और श्री पी.एस. शेनॉय, श्री एस.रवि और श्री पंकज वत्स अन्य सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014) के दौरान कारोबार समीक्षा समिति की पांच बैठकें हुईं जो 27 सितंबर 2013, 25 अक्तूबर 2013, 26 नवंबर 2013, 13 जनवरी 2014 और 13 फरवरी 2014 को संपन्न हुईं.

3. कार्यपालक समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड और बीआरसी के अलावा आपके बैंक में कार्यपालक समिति (ईसी) भी कार्यरत है, जो नीतिगत मामलों के साथ-साथ खास तौर पर ऐसे मामलों, जिन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है,पर विचार करती है और बोर्ड द्वारा इसे प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करती है. 31 मार्च 2014 को कार्यपालक समिति में तीन कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशकों सहित छः सदस्य थे. श्री एम.एस.राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समिति के अध्यक्ष थे और श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक व श्री एम.ओ. रेगो उप प्रबंध निदेशक, श्री पी.एस. शेनॉय, श्री एस. रवि और श्री निनाद कर्पे इसके अन्य सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2013 - 31 मार्च 2014) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल अठारह बैठकें हुईं जो 25 अप्रैल 2013, 22 मई 2013, 20 जून 2013, 18 जुलाई 2013, 26 अगस्त 2013, 27 सितंबर 2013, 25 अक्तूबर 2013, 26 नवंबर 2013, 6 दिसंबर 2013, 17 दिसंबर 2013, 30 दिसंबर 2013, 13 जनवरी 2014, 1 फरवरी 2014, 13 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2014, 13 मार्च 2014, 25 मार्च 2014 और 29 मार्च 2014 को संपन्न हुईं.

4. शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2014 को आपके बैंक की चार सदस्यों वाली शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसी) में दो कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक थे. श्री सुभाष तुली, स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक और श्री एस. रवि अन्य सदस्य के रूप में शामिल थे. इस समिति का गठन शेयर-अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने, घोषित लाभांश प्राप्त नहीं होने आदि से संबंधित शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014) के दौरान समिति की चार बैठकें 28 मई 2013, 26 अगस्त 2013, 26 नवंबर 2013 तथा 13 फरवरी 2014 को हुईं.

5. धोखाधड़ी निगरानी समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बैंक में एक धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) गठित की गई थी. 31 मार्च 2014 को समिति में छः सदस्य थे. इस समिति के अध्यक्ष श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे तथा श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, श्री सुभाष तुली, श्री एस. रवि और श्री निनाद कर्पे इसके अन्य सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2013 - 31 मार्च 2014) के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की कुल आठ बैठकें हुईं जो 25 अप्रैल 2013, 22 मई 2013,18 जुलाई 2013, 26 अगस्त 2013, 25 अक्तूबर 2013, 30 दिसंबर 2013, 28 फरवरी 2014 और 29 मार्च 2014 को संपन्न हुईं.

6. जोखिम प्रबंध समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2014 को आपके बैंक में 5 सदस्यों वाली जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) थी, जिसमें श्री पी. एस. शेनॉय अध्यक्ष थे तथा अन्य सदस्यों के रूप में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री.एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, श्री सुभाष तुली और श्री निनाद कर्पे शामिल थे. यह समिति बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन, उनमें कमी लाने और परिसंपत्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करती है.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि के दौरान (1 अप्रैल 2013 - 31 मार्च 2014) जोखिम प्रबंध समिति की चार बैठकें 25 अप्रैल 2013, 26 अगस्त 2013, 30 दिसंबर 2013 और 13 फरवरी 2014 को संपन्न हुईं.

7. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर), जिसमें 5 निदेशक थे जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक थे; का गठन 30 दिसंबर 2013 को संपन्न बोर्ड बैठक द्वारा किया गया था. यथा 31 मार्च 2014 को समिति के अध्यक्ष श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे तथा श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, श्री निनाद कर्पे, और श्री पंकज वत्स अन्य सदस्य थे.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के मुख्य दायित्व हैं.

क. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का गठन कर बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिये अनुसार बैंक द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी जाएगी.

ख. खंड (क) में दिये गये कार्यकलापों के लिए होने वाले व्यय की सिफारिश करना.

ग. बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति पर समय-समय पर निगरानी रखना.

बैठकों की संख्या

रिपोर्टिंग अवधि (1 अप्रैल 2013 - 31 मार्च 2014) के दौरान 13 मार्च 2014 को सीएसआर समिति की एक बैठक हुई.

8. ग्राहक सेवा समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और ग्राहकों को कारगर सेवा देने के लिए आपके बैंक द्वारा एक ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया. 31 मार्च 2014 को समिति के पाँच सदस्य

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

थे जिसमें अध्यक्ष के रूप में श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य सदस्यों के रूप में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक और श्री पी.एस. शेनॉय शामिल थे.

बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2013 - 2014 के दौरान ग्राहक सेवा समिति की 4 बैठकें 25 अप्रैल 2013, 26 अगस्त 2013, 30 अक्तूबर 2013 और 1 फरवरी 2014 को संपन्न हुईं.

9. सूचना प्रौद्योगिकी समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में सहायता करने, नए उत्पाद शुरूकरने और तत्संबंधी सेवाओं का प्रावधान करने हेतु प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी) का गठन किया है. 31 मार्च 2014 को समिति में पाँच सदस्य हैं. समिति के अध्यक्ष श्री निनाद कर्पे हैं और श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, श्री पी.एस. शेनॉय और श्री पंकज वत्स अन्य सदस्य हैं.

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान समिति की पाँच बैठकें 28 मई 2013, 26 अगस्त 2013, 25 अक्तूबर 2013, 13 जनवरी 2014 और 13 मार्च 2014 को हुईं.

10. पारिश्रमिक समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने और उसके भुगतान का अनुमोदन करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति (आरसी) का गठन किया गया है. 31 मार्च 2014 को समिति के चार सदस्य थे. समिति की अध्यक्षा सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक थीं तथा पी.एस. शेनॉय, श्री सुभाष तुली और श्री एस. रवि इस समिति के अन्य सदस्य थे. पारिश्रमिक समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार भी कार्य करेगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2013 - 31 मार्च 2014) के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 25 अप्रैल 2013 को सम्पन्न हुई.

11. नामांकन समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बैंकों व संस्थाओं में से चुने गए व्यक्तियों को छोड़ कर शेष सभी मौजूदा चयनित निदेशकों व शेयरधारक द्वारा चुने गए निदेशकों के 'उपयुक्त व उचित' होने की समुचित सावधानी वाली प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक नामांकन समिति (एनसी) बनाई गई. रिज़र्व बैंक ने यह निर्देश दिये थे कि समिति में निदेशक मंडल के सदस्यों में से न्यूनतम तीन निदेशकों (सभी स्वतंत्र / गैर-कार्यपालक निदेशक) को शामिल किया जाए. 31 मार्च 2014 को नामांकन समिति में चार सदस्य थे यथा अध्यक्ष के रूप में श्री पी.एस. शेनॉय और सदस्य के रूप में श्री एस. रवि तथा श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स अन्य सदस्य थे. नामांकन समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार भी कार्य करेगी.

12. मानव संसाधन संचालन समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन संबधी निम्नलिखित मामलों के लिए मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी) का गठन किया गया है :

- भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित नीतियाँ
- कार्यनिष्पादन प्रबंध, क्षतिपूर्ति और कैरियर विकास की पहल
- प्रबंध विकास और उत्तराधिकार नियोजन
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना.

31 मार्च 2014 को मानव संसाधन संचालन समिति में पाँच सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष के रूप में श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य सदस्यों के रूप में श्री बी.के. बत्रा, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक और श्री पी.एस. शेनॉय शामिल थे.

बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान मानव संसाधन संचालन समिति की पाँच बैठकें 25 अप्रैल 2013, 18 जुलाई 2013, 30 अक्तूबर 2013, 30 दिसम्बर 2013 और 13 मार्च 2014 को सम्पन्न हुईं.

13. वसूली समीक्षा समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

सरकारी दिशानिर्देशों/बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए, तनावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, ओएल मामलों, डीआरटी मामलों

आदि की समीक्षा करने के लिए वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) गठित की गई है. 31 मार्च 2014 को वसूली समीक्षा समिति में छः सदस्य थे. इसके अध्यक्ष श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं तथा इसके अन्य सदस्यों के रूप में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक श्री एस. रवि व श्री पंकज वत्स शामिल हैं.

बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वसूली समीक्षा समिति की चार बैठकें 28 मई 2013, 30 अगस्त 2013, 26 नवम्बर 2013 और 13 मार्च 2014 को सम्पन्न हुईं.

समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तालिका 3 में दर्शाई गई है.

तालिका 3 : समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति (1 अप्रैल 2013 से 31मार्च 2014 तक)

क्रम सं	निदेशक का नाम	एसीबी		बीआरसी		ईसी		एसआईजीसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएससी		आईटीसी		आरसी		एनसी		एचआरएससी		आरआरसी	
		एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए
1	श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05.07.2013 से)	-	-	5	5	15	15	-	-	6	6	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	4	4	3	2
2	श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(01.04.2013 से 31.05.2013 तक)	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
3	श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक	8	8	5	5	18	18	4	4	8	8	4	4	1	1	4	4	5	5	-	-	-	-	5	5	4	4
4	श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक(30.08.2013 से)	4	3	5	4	13	11	2	1	4	4	2	2	1	1	2	2	3	3	-	-	-	-	3	3	2	1
5	सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	1	1	-	-	5	5	4	4
6	श्री सुभाष तुली	8	8	-	-	4	4	4	3	8	7	4	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7	श्री पी. एस. शेनॉय	8	7	5	5	18	18	-	-	-	-	4	4	-	-	3	2	5	5	1	1	0	0	5	4	1	1
8	श्री एस. रवि	8	8	5	5	18	18	4	4	8	8	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	0	0	-	-	4	4
9	श्री निनाद कर्पे	7	6	-	-	18	13	1	1	8	6	4	4	1	1	-	-	5	5	-	-	0	0	-	-	1	1
10	श्री पंकज वत्स (30.09.2013 से)	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	0	0	-	-	2	2

एच - निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें.

ए - निदेशक ने कितनी बैठकों में भाग लिया.

महासभा की बैठकें

आपके बैंक की पिछली वार्षिक महासभा (एजीएम) 04 सितंबर 2013 को हुई थी. आईडीबीआई बैंक लि. की वार्षिक महासभाओं का विवरण तालिका 4 में दिया गया है.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

तालिका 4 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

गत तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान व समय	■ 08 सितंबर 2011 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई-400 018 में (आपके बैंक की 7वीं वार्षिक महासभा) ■ 06 सितंबर 2012 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई-400 018 में (आपके बैंक की 8वीं वार्षिक महासभा) ■ 04 सितंबर 2013 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई-400 018 में (आपके बैंक की 9वीं वार्षिक महासभा)
क्या पिछली वार्षिक महासभा में कोई विशेष संकल्प पारित किये गये थे.	हां, आपके बैंक की 04 सितंबर 2013 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में (i) कंपनी अधिनियम की धारा 224ए के अंतर्गत बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु तथा (ii) बैंक की पूंजी बढ़ाने के संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1ए) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विशेष संकल्प पारित किए गए थे.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्रों के जरिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किये गये थे - मतदान पद्धति का ब्योरा	हां. इक्विटी शेयरों का अधिमान्य आबंटन केवल भारत सरकार को करने के लिए अनुमोदन लेने हेतु डाक मतदान के ज़रिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1ए) के अंतर्गत विशेष संकल्प पारित किया गया.
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियम एंड कं. के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियम, सनदी लेखाकार.
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है	सूचीबद्धता करार के खंड़ 35(बी) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसार बैंक की आगामी 10वीं महासभा में सदस्यों को वोट देने के लिए ई-वोटिंग सुविधा/कागजी डाक मतदान सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

डाक मतदान के ज़रिए संकल्प पारित करना

आपके बैंक ने इक्विटी शेयरों का अधिमान्य आबंटन केवल भारत सरकार को करने तथा इस संबंध में लागू अन्य प्रावधानों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1ए) के अंतर्गत विशेष संकल्प पर अपने सदस्यों का अनुमोदन लेने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की.

मतदान की प्रक्रिया

(i) आपके बैंक के निदेशक मंडल ने 24 अक्तूबर 2013 को हुई अपनी बैठक में डाक मतदान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियम एंड कं. के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियम - कंपनी सेक्रेटरी को संवीक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया था.

(ii) सदस्यों को दिनांक 30 अक्तूबर 2013 की सूचना भेजी गई थी और आपके बैंक ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका वोट देने के लिए ई-वोटिंग का विकल्प प्रदान किया था.

(iii) डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख 20 दिसम्बर 2013 थी. संवीक्षणकर्ता के पास 4778 (दोनों कागजी रूप के मतपत्र और ई-वोटिंग सहित) मतपत्र प्राप्त हुए. मतदान में शामिल 114,99,57,106 कुल वोट में से 112,52,54,514 अर्थात् 97.85% ने संकल्प के पक्ष में तथा 2,47,02,592 अर्थात् 2.15% ने संकल्प के विपक्ष में वोट दिया.

(iv) भारत सरकार के दिनांक 22 अक्तूबर 2013 के पत्र और संवीक्षणकर्ता की दिनांक 21 दिसम्बर 2013 की रिपोर्ट के अनुसार ₹ 1800 करोड़ इक्विटी का अधिमान्य आबंटन भारत सरकार को करने के लिए संकल्प बहुमत से पारित किया गया. डाक मतपत्र का परिणाम मंगलवार 24 दिसंबर, 2013 को अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया और इसे आपके बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया. यह सदस्यों की जानकारी के लिए 25 दिसंबर 2013 को एक अंग्रेजी और एक मराठी समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा गया.

प्रकटन

1. 1 अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान निम्न को छोड़कर, ऐसी किसी भी कंपनी को सहायता प्रदान नहीं की गई, जिसमें आपके बैंक के किसी निदेशक की हितबद्धता हो.

(i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) - श्री एस. रवि कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक थे. तथापि, भेल को एक सरकारी कंपनी होने के कारण इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत सहबद्ध उधार प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

(ii) भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) - श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इस संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष तथा श्री पी.एस. शेनॉय सदस्य हैं. तथापि ईडीआईआई संस्थान को ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिए छूट भारतीय रिज़र्व बैंक - डीबीओडी के दिनांक 05 मार्च 2012 के पत्र द्वारा प्राप्त की गई है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि ऋण और अग्रिम प्रदान करना बैंकों के परिचालन का हिस्सा है आईडीबीआई बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार ईडीआईआई को ऋण प्रदान करने के बारे में निर्णय ले सकता है.

2. आपका बैंक सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. जैसे -

(i) संबद्ध पक्ष लेन-देनों, यदि कोई हों, की जानकारी बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है;

(ii) लेखाकंन पद्धति का स्पष्ट प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया जाता है;

(iii) बैंक बोर्ड को जोखिम आकलन और उन्हें न्यूनतम रखने की पद्धतियों की समीक्षा प्रस्तुत करता है.

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबन्धित किसी मामले पर आपके बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

वित्तीय वर्ष 2011-12	शून्य
वित्तीय वर्ष 2012-13	शून्य
वित्तीय वर्ष 2013-14	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंक पर ₹ 10 मिलियन का दंड लगाया है. (ii) सेबी ने, वेल्पसन इंडिया लि. के 50 लाख इक्विटी शेयर 22 अप्रैल 2010 को क्यूआईपी माध्यम से खरीदने के लिए सेबी के अधिग्रहण और पीआईटी विनियमनों के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकटन सूचना में प्राप्ति के विलंब के लिए आपके बैंक पर ₹ 2 लाख का दंड लगाया है.

आचार संहिता और सदाचार

आपके बैंक के निदेशक मंडल ने इसके निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए 'आचार संहिता तथा सदाचार' को अपनाया है. सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

ह/-

एम.एस. राघवन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

10 अप्रैल 2014

भेदिया व्यापार की रोकथाम

सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 1992 की अपेक्षाओं के अनुसरण में आपके बैंक ने भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए व्यापक आचार संहिता बनाई है.

सीईओ/सीएफओ द्वारा प्रमाणन

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त कर बोर्ड को प्रस्तुत किए गए हैं.

विसल ब्लोअर नीति

आपके बैंक के बोर्ड ने विसल ब्लोअर नीति को अपनाया है. इस नीति के अनुसार कर्मचारी बैंक के परिचालनों से संबंधित मुद्दों, यदि कोई हैं, को उठाने और निर्दिष्ट चैनलों के ज़रिये लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं. इस व्यवस्था के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है और बैंक के इंट्रानेट पर भी रखा गया है.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

सहायक कंपनियां

31 मार्च 2014 को आपके बैंक के पूर्ण स्वामित्ववाली पांच सहायक कंपनियां थीं, जिनके नाम हैं: आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि, आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.. आपके बैंक के बोर्ड के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को इसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी सहायक कंपनी संशोधित खंड 49 के अंतर्गत परिभाषित किये अनुसार तात्विक रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. बैंक की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों की समीक्षा करती है. असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त आपके बैंक की बोर्ड बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत किये जाते हैं.

अनुपालन अधिकारी

श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव, आपके बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं. वे परिचालनों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा सचिवीय अनुपालन के संबंध में यह सुनिश्चित करते हैं कि ये परिचालन प्रतिभूति कानूनों और सूचीबद्धता करार की अपेक्षाओं के अनुरुप हों.

सचिवीय लेखा परीक्षा

अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन अपनाने की पहल के रूप में आपके बैंक ने स्वतंत्र पूर्ण कालिक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए स्वैच्छिक रूप से सचिवीय लेखा परीक्षा करवायी है. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा भी की जा रही है. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2014-15 से बैंक सचिवीय लेखा परीक्षा पर कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 204 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा.

सूचना के साधन

आपके बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट (जिसमें प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण होता है) और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा आपका बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणामों को प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र में और मुंबई में व्यापक प्रसार वाले एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है. उपर्युक्त जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई सुंदर प्रस्तुतियों के साथ आपके बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर भी उपलब्ध कराई गई है.

ऐसे दस्तावेज, जो वर्णित हैं लेकिन वार्षिक महासभा की सूचना पाने के पात्र व्यक्तियों को नहीं भेजे गये हैं, वार्षिक महासभा की तारीख से 21 दिन पहले से बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे.

अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

आपके बैंक ने शेयर बाजारों के साथ जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 मे दी गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन निम्नानुसार हैं:

1.	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखना.	लागू नहीं क्योंकि आपके बैंक के पूर्ण कालिक कार्यपालक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं.
2.	बोर्ड द्वारा कार्यपालक निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज तैयार करने हेतु कंपनी की पारिश्रमिक नीति तैयार करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाना.	लागू नहीं क्योंकि कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा तय वेतन मिलता है. तथापि, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक को कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की अदायगी पर विचार करने लिए पारिश्रमिक समिति गठित की गई है. समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार भी कार्य करेगी.
3.	अर्ध वार्षिक वित्तीय कार्य निष्पादन की घोषणा के संबंध में शेयरधारकों के अधिकार.	आपका बैंक अपनी वेबसाइट www.idbi.com जो शेयरधारकों के लिए सुलभ है, पर अपने तिमाही वित्तीय परिणाम प्रदर्शित करता है. यह परिणाम राष्ट्रव्यापी संचलन वाले अंग्रेजी अखबार और महाराष्ट्र में व्यापक संचलन वाले देशी भाषा के अखबार में भी प्रकाशित किये जाते हैं.

4.	कंपनी अनर्ह वित्तीय विवरण व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकती है.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सामान्यतः अनर्ह होती हैं.
5.	बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण	बैंक समय-समय पर इकाई, नई दिल्ली, सीएएफआरएएल मुंबई आदि द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों को नामित करता रहता है.
6.	बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा गैर कार्यपालक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और गैर कार्यपालक निदेशकों की निदेशकता जारी रखने या न जारी रखने संबंधी निर्णय लेना.	रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में एक नामांकन समिति गठित की गई है जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बैंकों व संस्थाओं में से चुने गए व्यक्तियों को छोड़ कर शेष मौजूदा चयनित निदेशकों व शेयरधारक द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों के 'उपयुक्त व उचित' होने की समुचित सावधानी वाली प्रक्रिया को संचालित करती है. नामांकन समिति में चार स्वतंत्र सदस्य हैं. समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार भी कार्य करेगी.
7.	अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, और अन्य के संबंध में प्रबंधन संबंधी चिंताओं की रिपोर्टिंग के लिए कंपनी द्वारा विसल ब्लोअर नीति स्थापित करना.	आपके बैंक के बोर्ड ने विसल ब्लोअर नीति को अपनाया है. इस नीति के अनुसार कर्मचारी बैंक के परिचालनों से संबंधित मुद्दों, यदि कोई हैं, को उठाने और निर्दिष्ट चैनलों के जरिये लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं. इस व्यवस्था के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है और बैंक के इंट्रानेट पर भी रखा गया है.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के दौरान शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा शेयरधारकों से संबंधित अन्य सामान्य सूचनाओं का ब्योरा क्रमशः तालिका 5 और तालिका 6 में दिया गया है.

तालिका 5 : आम शेयरधारकों के लिए सूचना

(i)	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	30 जून 2014, सोमवार, अपराह्न 3.30 बजे., यशवंत राव चव्हाण केंद्र ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथ राव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021
(ii)	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014
(iii)	कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित सूचीबद्धता करार के खंड 35 (बी) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि	ई-वोटिंग अवधि सोमवार दिनांक 23 जून 2014 से प्रारम्भ होगी और बुधवार दिनांक 25 जून 2014 को समाप्त होगी. जिन सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके लिए कागजी वोटिंग अवधि, डाक मतदान के जरिए बुधवार दिनांक 25 जून 2014 को समाप्त होगी.
(iv)	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	28 जून 2014 से 30 जून 2014
(v)	लाभांश वारंट प्रेषण की तारीख	17 जुलाई 2014
(vi)	लाभांश भुगतान की तारीख	24 जुलाई 2014
(vii)	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)
(viii)	स्टॉक कोड/प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई -आईडीबीआई
(ix)	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, प्लॉट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद 500 081.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

(x)	शेयर अंतरण प्रणाली	शेयरों के अंतरण का अनुमोदन कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक से युक्त एक आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर किया जाता है.
(xi)	वित्तीय कैलेंडर	1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक
		1) 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही के परिणाम 18 जुलाई 2013 को अनुमोदित किए गए. 2) 30 सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही/छमाही के परिणाम 30 अक्तूबर 2013 को अनुमोदित किए गए. 3) 31 दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाही/नौ महीनों के परिणाम 1 फरवरी 2014 को अनुमोदित किए गए. 4) 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित परिणाम 30 अप्रैल 2014 को अनुमोदित किए गए.
(xii)	प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	28 जून 2014
(xiii)	तिमाही परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के भीतर
(xiv)	गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों तथा परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	यथा 31 मार्च 2014 को श्री एस. रवि, स्वतंत्र गैर कार्यपालक निदेशक के पास आईडीबीआई बैंक लि. के 200 शेयर थे.

आईडीबीआई के शेयरों का एनएसई और बीएसई में सक्रिय रूप से कारोबार होता है. एक्सचेजों के पास सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संदर्भ में वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क आज की तारीख तक अदा किया जा चुका है.

तालिका 6: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2013 - मार्च 2014

(₹)

माह	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
	उच्च	**निम्न**	**उच्च**	**निम्न**	**माह**	**उच्च**	**निम्न**	**उच्च**	**निम्न**
अप्रैल 2013	89.85	79.85	89.65	79.85	अक्तूबर 2013	68.6	60.00	68.60	60.05
मई 2013	90.80	79.75	90.65	79.80	नवंबर 2013	71.35	63.40	71.15	63.35
जून 2013	80.05	68.25	80.25	68.20	दिसंबर 2013	66.95	61.05	66.90	61.05
जुलाई 2013	74.65	64.65	74.70	64.75	जनवरी 2014	67.60	54.35	67.40	54.40
अगस्त 2013	62.10	54.70	62.15	54.75	फरवरी 2014	56.45	53.85	56.45	53.85
सितंबर 2013	64.55	53.00	64.55	52.95	मार्च 2014	65.80	56.20	65.70	56.10

शेयरधारिता का वितरण - यथा 31 मार्च 2014

मार्च 2014 के अंत में आपके बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता का ब्योरा और वितरण अनुसूची नीचे तालिका 7 और तालिका 8 में दिए गए हैं.

तालिका 7 : 31 मार्च 2014 के अंत में शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	1227018622	76.50
कर्मचारी	1135389	0.07
जनता	120419667	7.51
हिन्दू अविभाजित परिवार	3142869	0.20
कंपनी निकाय	18812090	1.17
संस्थाएं		
अ) बैंक	3269602	0.20
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	46302677	2.89
इ) राज्य वित्त निगम	35680	0.00
ई) वित्तीय संस्थाएं	14409594	0.90
उ) म्यूचुअल फंड	665441	0.04
सोसायटी	28960	0.00
न्यास	623989	0.04
बीमा कंपनियां	160920678	10.03
अनिवासी भारतीय	5376348	0.34
निदेशक एवं उनके रिश्तेदार		
i) श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक	1001	0.00
ii) श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक	460	0.00
iii) श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक	200	0.00
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	1775993	0.11
पात्र विदेशी निवेशक	0	0.00
कुल योग	**1603939260**	**100.00**

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

तालिका 8 : 31 मार्च 2014 के अंत में वितरण अनुसूची

क्रम सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का %	राशि (₹)	कुल राशि का %
	से	तक				
1	1	5000	392334	91.14	593577650.00	3.70
2	5001	10000	22779	5.29	174923440.00	1.09
3	10001	20000	9052	2.10	133757860.00	0.83
4	20001	30000	2354	0.55	59762550.00	0.37
5	30001	40000	1089	0.25	39023050.00	0.24
6	40001	50000	748	0.17	35259900.00	0.22
7	50001	100000	1110	0.26	81380590.00	0.51
8	100001 और अधिक		992	0.23	14921707560.00	93.03
कुल			**430458**	**100.00**	**16039392600.00**	**100.00**

शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशक शिकायत निवारण

शेयर अंतरण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरण ज्ञापन (एमओटी)को साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित करने के लिए कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति गठित की गई है.

1 अप्रैल 2013 को दो निवेशक शिकायतों का निवारण लंबित था. 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को शेयरधारकों/निवेशकों से कुल 11,316 शिकायतें प्राप्त हुईं. वर्ष के दौरान 11,102 शिकायतों का निवारण किया गया और 31 मार्च 2014 को 216 शिकायतों का निवारण लंबित था.

शेयरों के संबंध में 1 अप्रैल 2013 को अंतरण के लिए आठ मामले लंबित थे. 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को शेयरों के अंतरण के लिए कुल 1024 अनुरोध प्राप्त हुए. इनमें से 1032 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2014 को कोई भी अनुरोध लंबित नहीं था.

अदावी उचंत खाते में इक्विटी शेयर

सूचीबद्धता करार के खंड 5ए(I) के अनुसार आपका बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्यौरे रिपोर्ट कर रहा है:

अदावी उचंत खाते के ब्योरों का प्रकटन (सूचीबद्धता करार के खंड 5ए(I) के अधीन)

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(i)	दिनांक 1 अप्रैल 2013 को अदावी उचंत खाते में बकाया शेयरधारकों व शेयरों की कुल संख्या	4988	896389
(ii)	दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के दौरान अदावी उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	42	10235
(iii)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के दौरान अदावी उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	42	10235
(iv)	दिनांक 31 मार्च 2014 को अदावी उचंत खाते में बकाया शेयरधारकों व शेयरों की कुल संख्या	4946	886154

तालिका 9 : डीमटेरियलाइजेशन का विवरण तथा पत्राचार के लिए पता

शेयरों का डीमटेरियलाइजेशन और चलनिधि

शेयरधारिता का स्वरूप	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	प्रतिशत
कागजी रूप में	74553	17727974	1.10
एनएसडीएल (डीमटेरियलाइज्ड)	243894	329247468	20.53
सीडीएसएल (डीमटेरियलाइज्ड)	112011	1256963818	78.37
कुल	**430458**	**1603939260**	**100.00**

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

बकाया जीडीआर/एडीआर/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, आपके बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट: www.idbi.comपर उपलब्ध है.
पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लि.** सीआईएन - L65190MH2004GOI148838 इक्विटी कक्ष - बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., बीसवीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोन - 022 - 66552779, 66553062, 66552620 फैक्स - 022 - 2218 23 52 ई-मेल - idbiequity@idbi.co.in वेबसाइट - www.idbi.com **रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट** कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, प्लॉट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद 500 081. फोन : 040-44655000 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454001 फैक्स : 040-23420814 ई-मेल : einward.ris@karvy.com
सहायक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों के पते	**आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड** तीसरी मंज़िल, मफतलाल सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 **आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड** आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंजिल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 **आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 **आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड** पांचवीं मंज़िल, मफतलाल सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड** एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17, आर. कामानी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट मुंबई - 400 001

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

खिमजी कुंवरजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
सनशाइन टॉवर्स, लेवल 19
सेनापति बापट मार्ग
एलफिंस्टन रोड
मुंबई 400 013, भारत
टेलीफोनः +91 22 2439 1111
ई मेलः info@kkc.in

जी.डी. आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार
जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85,
भुसरी कॉलोनी (राइट)
पौड रोड
पुणे 411 038, भारत
टेलीफोनः +91 20 2528 0081
ई मेलः audit@gdaca.com

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्य,

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके बाद इसे बैंक कहा गया है) के भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49 में बताये अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी. यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करना है.

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों व प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार की शर्तों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन की बैंक के कार्यों को संचालित करने की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का द्योतक है.

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 105146W

गौतम वी. शाह
साझेदार (एफ-117348)

कृते **जी.डी. आप्टे एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्याः 100515W

सौरभ एस. पेशवे
साझेदार (एफ-121546)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2014

Corporate Governance Report

PHILOSOPHY OF CORPORATE GOVERNANCE

Your Bank is committed to upholding the highest standards of Corporate Governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with statutory requirements, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with your Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best Corporate Governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, your Bank is committed to ensure that your Bank's Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of your Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy; set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. Your Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to execute its role effectively.

BOARD OF DIRECTORS

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, the Articles of Association of your Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges. The Board functions directly as well as through various Board Committees, which are constituted to provide focused governance in the important functional areas of your Bank.

As on March 31, 2014, the Board comprised of nine Directors, including Chairman and Managing Director (CMD), two Deputy Managing Directors (DMDs), one Non-Executive Director and five Independent Directors. Shri M.S. Raghavan, Chairman and Managing Director as an Executive Director, Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, Dy. Managing Directors as Executive Directors, Ms. Snehlata Shrivastava, Central Government official as a Non-Executive Director, Shri Subhash Tuli, Shri P.S. Shenoy, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as Independent Directors constituted the Board, as on March 31, 2014.

RELATIONSHIP BETWEEN DIRECTORS INTER-SE

No Director on your Bank's Board is related to any other Director.

BOARD MEETINGS

During the period (April 01, 2013 to March 31, 2014), thirteen Board Meetings were held on April 25, 2013, May 28, 2013, June 20, 2013, July 18, 2013, August 26, 2013, September 4, 2013, October 30, 2013, November 26, 2013, December 30, 2013, January 13, 2014, February 1, 2014, February 28, 2014 and March 13, 2014. Out of these, the meetings of June 20, 2013 and July 18, 2013 were held in New Delhi, while all the other meetings were held in Mumbai.

The details of each Director of your Bank regarding their attendance at Board Meetings and the last Annual General Meeting (AGM), directorships in other companies and memberships of committees are given in Table 1.

TABLE 1: DIRECTORS' ATTENDANCE AT THE BOARD MEETINGS AND AGM, THEIR DIRECTORSHIPS AND COMMITTEE MEMBERSHIPS

Name of the Director	Attendance at your Bank's Board Meetings (Total No. of meetings Held - 13)	Attendance at the last AGM held on Sept. 04, 2013	Directorships in other companies	ACB/SGC Memberships/ (Chairman-ships) in other companies
Whole-Time Directors				
Shri M.S. Raghavan, CMD (w.e.f. 05.07.2013)	10(10)	Present	5	Nil

Name of the Director	Attendance at your Bank's Board Meetings (Total No. of meetings Held - 13)	Attendance at the last AGM held on Sept. 04, 2013	Directorships in other companies	ACB/SGC Memberships/ (Chairman-ships) in other companies
Shri R.M. Malla, CMD (till 31.05.2013)	2(2)	Not Applicable	5	Nil
Shri B.K. Batra, DMD	13(13)	Present	4	2(0)
Shri M.O. Rego, DMD (w.e.f. 30.08.2013)	7(8)	Present	2	Nil
Non-Executive Directors				
Ms. Snehlata Shrivastava	13(13)	Not Present	2	2(0)
Independent Directors				
Shri Subhash Tuli	11(13)	Present	0	Nil
Shri P.S. Shenoy	12(13)	Present	5	4(1)
Shri S. Ravi	13(13)	Present	7	8(3)
Shri Ninad Karpe	11(13)	Present	5	2(1)
Shri Pankaj Vats (w.e.f. 30.09.2013)	7(7)	Not Applicable	Nil	Nil

Figures in parantheses in the last column indicate chairmanships of committees

REMUNERATION OF DIRECTORS

Remuneration Policy

The remuneration and perquisites of the Chairman and Managing Director, and Deputy Managing Directors, who are appointed by the Government of India, are also fixed by the Government. The details of remuneration paid to CMD and DMDs are given in Table 2. There have been no pecuniary relationships/transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis your Bank during the period under review.

TABLE 2 : ELEMENTS OF REMUNERATION OF CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR AND DEPUTY MANAGING DIRECTORS

Salary and Allowances (As per Govt. orders)	Shri M.S. Raghavan, CMD (w.e.f. July 5, 2013) - Pay ₹ 80,000/- p.m. and DA @ 90% ₹ 72,000/- Total ₹ 1, 52,000/-. Shri R. M. Malla, CMD (till May 31, 2013) - Pay ₹ 80,000/- p.m. and DA @ 72% ₹ 57,600/- Total ₹ 1,37,600 /-. Shri B.K. Batra, DMD - Pay ₹ 71,030/- p.m. and DA @ 90% ₹ 63,927/- Total ₹ 1, 34,957/-. Shri M.O. Rego, DMD (w.e.f. August 30, 2013)- Pay ₹ 65,000/- p.m. and DA @ 90% ₹ 58,500/- Total ₹ 1,23,500 /-.
Entertainment	Actual entertainment subject to a ceiling of ₹ 6,000 p.a. (club membership is adjustable within the above ceiling) in respect to both CMD and DMDs.
Housing	Rent-free furnished accommodation with respect to both CMD and DMDs.
Conveyance	Entitled to free use of the Bank's car for official purpose.

Corporate Governance Report

TABLE 2 : ELEMENTS OF REMUNERATION OF CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR AND DEPUTY MANAGING DIRECTORS

Leave Travel Concession	For self and family, once in a block of two years, for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour with respect to both CMD and DMDs.
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post is held.
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than six months of service as Chairman and Managing Director/Deputy Managing Directors.
Tenure	Shri M.S. Raghavan – Appointed as CMD, vide Government of India's Notification F.No. 4/4/2012-BO.I dated July 5, 2013, from the date of taking over the charge for a period up to June 30, 2015 or until further orders, whichever is earlier. Shri Raghavan took charge on July 5, 2013. Shri R.M. Malla – Appointed as CMD, vide Government of India's Notification F.No.9/12/2009-BO.I dated July 7, 2010, with effect from July 09, 2010 for a period up to 31.05.2013 or until further orders, whichever is earlier. Shri B.K. Batra – Appointed as DMD, vide Government of India's Notification F.No.9/14/2009-BO.I dated January 12, 2012, with effect from January 13, 2012 till the date of superannuation (31.07.2016) or until further orders, whichever is earlier. Shri M.O. Rego – Appointed as DMD, vide Government of India's Notification F.No.7/3/2011-BO.I dated August 30, 2013, for a period of five years w.e.f. the date of his assuming charge of the post or until further orders, whichever is earlier. Shri Rego took charge on August 30, 2013.

The other Independent Directors were paid sitting fees only for each Board/ Committee Meeting attended by them at ₹10,000/- per meeting of Board, EC and ACB and at ₹ 5,000/- per meeting for other Board committee meetings. Apart from the remuneration to CMD and DMDs and sitting fees to Independent Directors, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by your Bank.

Amount of sitting fees paid to Independent Directors for FY 2013-14 are as detailed below:

Name of the Independent Director	Sitting fees paid for FY 2013-14 (₹)
Shri P.S. Shenoy	4,57,500
Shri Subhash Tuli	2,50,000
Shri S. Ravi	4,50,000
Shri Ninad Karpe	3,45,000
Shri Pankaj Vats	1,10,000

A. BOARD COMMITTEES

The Board has a total of thirteen Committees, namely:

- Audit Committee of the Board
- Business Review Committee
- Executive Committee
- Shareholders'/Investors' Grievance Committee
- Fraud Monitoring Committee
- Risk Management Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- Customer Service Committee
- Information Technology Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- HR Steering Committee
- Recovery Review Committee

1. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2014, the Audit Committee of the Board (ACB) comprised of six members with one Executive Director/Whole-Time Director (DMD), Government Director and four Independent Directors. Shri S. Ravi, a Chartered Accountant and an Independent Director, was the Chairman of the Audit Committee and Shri B.K. Batra, DMD, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, Shri P.S. Shenoy, Shri Subhash Tuli and Shri Ninad Karpe were the other members. Shri M.O. Rego, DMD was the permanent special invitee on ACB. The role and powers of ACB are in line with the provisions of the Companies Act, relevant RBI guidelines and revised Clause 49 of the Listing Agreement and are enumerated hereunder:

Powers

The Committee can

- Investigate any activity within its terms of reference;
- Seek information from any employee;
- Obtain outside legal or other professional advice, wherever required;
- Secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

Role

The Committee

- Oversees the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
- Recommends to the Board, the appointment, reappointment of auditors and fixation of audit fees, subject to the approval of the RBI as well as shareholders' approval;
- Recommends the payment to statutory auditors for other services, if any, rendered by them;
- Reviews the annual financial statements with the management before submission to the Board for approval, with particular reference to:
  a. Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement, which needs to be a part of the Board's report in terms of the relevant provisions of the Companies Act;
  b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
  c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by the management;
  d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
  e. Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
  f. Disclosure of any related party transactions;
  g. Qualifications in the draft audit report.
- Reviews the quarterly financial statements with the management before submission to the Board for approval;
- Reviews performance of statutory and internal auditors and adequacy of the internal control systems with the management;
- Reviews the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
- Discussing with internal auditors, any significant findings and follow-ups thereafter;
- Discussing with statutory auditors about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- Carries out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

Review of information by Audit Committee

- Management Discussion and Analysis of the financial condition and results of operations.

Corporate Governance Report

- Statement of significant related party transactions (as defined by the Audit Committee) submitted by the Management
- Management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors
- Internal audit reports relating to internal control weaknesses

Number of Meetings

The ACB met eight times during the period under review (April 1, 2013 – March 31, 2014) on April 25, 2013, May 28, 2013, July 18, 2013, August 30, 2013, October 30, 2013, November 26, 2013, February 1, 2014 and February 28, 2014.

2. BUSINESS REVIEW COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

The Business Review Committee (BRC) was constituted on August 26, 2013 to have focused discussion on review and reporting items and items for information that were earlier submitted to the Board. The Board observes and records the discussions held on these items, while noting the minutes of the BRC meetings. The Committee's functions also include discussion on the review items (including calendar reviews) which are submitted for information and does not involve any approval/ ratification/ strategy and items which are submitted for reporting other than secretarial reporting. As on March 31, 2014, BRC comprised of six members with three Executive Directors and three Independent Directors. Shri M.S. Raghavan, CMD, was the Chairman of the Committee with Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, DMDs, Shri P.S. Shenoy, Shri S. Ravi and Shri Pankaj Vats as the other members.

Number of Meetings

During the reporting period, from April 1, 2013 to March 31, 2014, five BRC meetings were held on September 27, 2013, October 25, 2013, November 26, 2013, January 13, 2014 and February 13, 2014.

3. EXECUTIVE COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

Apart from the Board and BRC, your Bank has an Executive Committee (EC) to take into account matters other than policies and those specifically required to be considered by the Board. It also exercises other powers as delegated to it by the Board. As on March 31, 2014, the Executive Committee comprised six members with three Executive Directors and three Independent Directors. Shri M.S. Raghavan, CMD, was the Chairman of the Committee; Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, DMDs, Shri P.S. Shenoy, Shri S. Ravi and Shri Ninad Karpe were the other members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2013 – March 31, 2014), eighteen Executive Committee meetings were held on April 25, 2013, May 22, 2013, June 20, 2013, July 18, 2013, August 26, 2013, September 27, 2013, October 25, 2013, November 26, 2013, December 6, 2013, December 17, 2013, December 30, 2013, January 13, 2014, February 1, 2014, February 13, 2014, February 28, 2014, , March 13, 2014, March 25, 2014 and March 29, 2014.

4. SHAREHOLDERS'/ INVESTORS' GRIEVANCE COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2014, the Shareholders'/ Investors' Grievance Committee (SIGC) of your Bank comprised of four members with two Executive Directors and two Independent Non-Executive Directors. Shri Subhash Tuli, an Independent Non-Executive Director, was the Chairman with Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, DMDs, and Shri S. Ravi as the other members. The Committee has been constituted to look into the redressal of shareholders' and investors' grievances pertaining to share transfers, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend, and so on.

Number of Meetings

During the review period from April 1, 2013 to March 31, 2014, four SIGC meetings were held on May 28, 2013, August 26, 2013, November 26, 2013 and February 13, 2014.

5. FRAUD MONITORING COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

A Fraud Monitoring Committee (FMC) had been set up in the Bank to detect frauds. As on March 31, 2014, the Committee comprised of six members with Shri M.S. Raghavan, CMD, as the Committee's Chairman and Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, DMDs, Shri Subhash Tuli, Shri S. Ravi and Shri Ninad Karpe as its other members.

Number of Meetings

During the year under review (April 1, 2013 – March 31, 2014), eight meetings of FMC were held on April 25, 2013, May 22, 2013, July 18, 2013, August 26, 2013, October 25, 2013, December 30, 2013, February 28, 2014 and March 29, 2014.

6. RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

The Risk Management Committee (RMC), as on March 31, 2014, consisted of five members with Shri P.S. Shenoy as Chairman and Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, DMDs, Shri Subhash Tuli and Shri Ninad Karpe as its other members. The Committee assessed various risks associated with your Bank's business, their mitigation and also addressed issues related to asset-liability mismatch.

Number of Meetings

During the reporting period (April 1, 2013 – March 31, 2014), the Risk Management Committee held four meetings on April 25, 2013, August 26, 2013, December 30, 2013 and February 13, 2014.

7. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

In accordance to the terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) Committee consisting five Directors, out of which two are Independent Directors, was constituted by the Board at its meeting held on December 30, 2013. As on March 31, 2014, the Committee comprised of Shri M.S. Raghavan, CMD, as Chairman and Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, DMDs, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as its other members.

The primary responsibilities of the CSR Committee are:

a) To formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy, which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank as specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013;

b) To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (a); and

c) To monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank from time to time.

Number of Meetings

During the reporting period (April 1, 2013 – March 31, 2014), one meeting of the CSR Committee was held, on March 13, 2014.

8. CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

The Customer Service Committee (CSC) was set up by your Bank to look into customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment. As on March 31, 2014, the Committee comprised of five members with Shri M.S. Raghavan, CMD, as Chairman and Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, DMDs, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director and Shri P.S. Shenoy as its other members.

Number of Meetings

During FY 2013-14, four meetings of the Customer Service Committee were held on April 25, 2013, August 26, 2013, October 30, 2013 and February 1, 2014.

9. INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

Your Bank has established an Information Technology Committee (ITC) to implement a technology platform to render various services to the clients, help in streamlining the approach, assist in launching new products and provide related services. As on March 31, 2014, the Committee consisted of five members with Shri Ninad Karpe as Chairman and Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, DMDs, Shri P.S. Shenoy and Shri Pankaj Vats as its other members.

Corporate Governance Report

Number of Meetings

During April 1, 2013 – March 31, 2014 period, five meetings of the Information Technology Committee were held on May 28, 2013, August 26, 2013, October 25, 2013, January 13, 2014 and March 13, 2014.

10. REMUNERATION COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

Pursuant to the directives of the Government of India, a Remuneration Committee (RC) has been set up to consider and approve the payment of annual performance-linked incentives to the CMD and DMDs. As on March 31, 2014, the Committee comprised four members with Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, as the Chairperson and Shri P.S. Shenoy, Shri Subhash Tuli and Shri S. Ravi as the other members. The remuneration committee would also function in terms of section 178 of the Companies Act, 2013.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2013 – March 31, 2014), one meeting of the Remuneration Committee was held on April 25, 2013.

11. NOMINATION COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

In compliance with the guidelines issued by the RBI, a Nomination Committee (NC) was constituted to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected Directors and the persons to be elected as Directors by shareholders other than the Central Government and Central Government Banks and Institutions. The RBI had directed that the Committee should comprise a minimum of three Directors (all Independent/ Non-Executive Directors) from among the Board of Directors. As on March 31, 2014, the Nomination Committee comprised four members with Shri P.S. Shenoy as Chairman and Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as the other members. The nomination committee would also function in terms of section 178 of the Companies Act, 2013.

12. H R STEERING COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

As per the Government of India's directives, the HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with matters related to human resources, namely:

- Policies pertaining to recruitment and training;
- Performance management, compensation and career development initiatives
- Management development and succession planning
- Alignment of the HR strategy to the business strategy and plan

As on March 31, 2014, the Committee consisted of five members, with Shri M. S. Raghavan, CMD, as Chairman and Shri B.K.Batra and Shri M.O. Rego, DMDs, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director and Shri P.S. Shenoy as the other members.

Number of Meetings

During FY 2013–14, five meetings of the HR Steering Committee were held on April 25, 2013, July 18, 2013, October 30, 2013, December 30, 2013 and March 13, 2014.

13. RECOVERY REVIEW COMMITTEE

Composition and brief terms of reference

Pursuant to Government directives/Board's recommendation, a Recovery Review Committee (RRC) of the Board has been constituted for reviewing NPAs, stressed accounts, written-off cases, OL cases, DRT cases, and so on. As on March 31, 2014, the Recovery Review Committee comprised of six members with Shri M.S. Raghavan, CMD, as Chairman and Shri B.K. Batra, and Shri M.O. Rego, DMDs, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, Shri S. Ravi and Shri Pankaj Vats as the other members.

Number of Meetings

During FY 2013–14, four meetings of the Recovery Review Committee were held on May 28, 2013, August 30, 2013, November 26, 2013 and March 13, 2014.

Details of attendance of Directors at Committee Meetings are given in Table 3.

TABLE 3 : DIRECTORS' ATTENDANCE AT THE COMMITTEE MEETINGS (APRIL 1, 2013 TO MARCH 31, 2014)

S.N.	Names of the Directors	ACB		BRC		EC		SIGC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITC		RC		NC		HRSC		RRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri M. S. Raghavan, CMD (w.e.f. 05.07.2013)	-	-	5	5	15	15	-	-	6	6	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	4	4	3	2
2.	Shri R.M. Malla, CMD (from 01.04.2013 to 31.05.2013)	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
3.	Shri B.K.Batra, DMD	8	8	5	5	18	18	4	4	8	8	4	4	1	1	4	4	5	5	-	-	-	-	5	5	4	4
4.	Shri M.O. Rego, DMD (w.e.f. 30.08.2013)	4	3	5	4	13	11	2	1	4	4	2	2	1	1	2	2	3	3	-	-	-	-	3	3	2	1
5.	Ms. Snehlata Shrivastava, Govt. Director	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	1	1	-	-	5	5	4	4
6.	Shri Subhash Tuli	8	8	-	-	4	4	4	3	8	7	4	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7.	Shri P.S.Shenoy	8	7	5	5	18	18	-	-	-	-	4	4	-	-	3	2	5	5	1	1	0	0	5	4	1	1
8.	Shri S. Ravi	8	8	5	5	18	18	4	4	8	8	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	0	0	-	-	4	4
9.	Shri Ninad Karpe	7	6	-	-	18	13	1	1	8	6	4	4	1	1	-	-	5	5	-	-	0	0	-	-	1	1
10.	Shri Pankaj Vats (w.e.f. 30.09.2013)	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	0	0	-	-	2	2

H – Meetings held during the Director's tenure

A – Meetings attended by the Director

GENERAL BODY MEETINGS

The last Annual General Meeting (AGM) of your Bank was held on September 4, 2013. Details of IDBI Bank Ltd.'s AGMs are given in Table 4.

TABLE 4 : DETAILS OF ANNUAL GENERAL MEETINGS OF IDBI BANK LTD.

Location and time of the last three AGMs	1) September 08, 2011 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018, at 3.30 p.m. (7th AGM of your Bank) 2) September 06, 2012 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018, at 3.30 p.m. (8th AGM of your Bank) 3) September 04, 2013 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018, at 3.30 p.m. (9th AGM of your Bank)
Whether Special Resolutions were passed in the last AGM	Yes, Special Resolutions for (i) appointment of Statutory Auditors of the Bank under section 224A of the Companies Act, 1956 and (ii) taking shareholders approval u/s 81(1A) of the Companies Act, 1956 to the proposal for enabling the Bank to raise capital and empowering the Board to take specific decision in this regard was passed at the last AGM of the Bank, held on September 04, 2013.
Whether any Special Resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	Yes, Special Resolution was passed u/s 81(1A) of the Companies Act, 1956, through postal ballot to approve preferential allotment of equity shares to the Government of India.
Person who conducted the postal ballot exercise	Shri S.N. Ananthasubramanian of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries.
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	In terms of section 108 of the Companies Act, 2013, read with clause 35B of the Listing Agreement, e-voting facility/physical Postal Ballot facility is being provided to the members to exercise their votes at the ensuing 10th AGM of the Bank.

Corporate Governance Report

PASSING OF RESOLUTION THROUGH POSTAL BALLOT

Your Bank successfully completed the process of obtaining the approval of its Members on the Special Resolution under Section 81(1A) of the Companies Act, 1956, and other applicable provisions for preferential allotment of equity shares to the Government of India.

PROCEDURE FOR POSTAL BALLOT

(i) Your Bank's Board of Directors had, vide Circular Resolution passed on October 24, 2013, appointed Shri S. N. Ananthasubramanian of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as Scrutiniser for conducting the postal ballot voting process.

(ii) The Notice, dated October 30, 2013, was sent to the members and your Bank offered e-voting as an alternative option to enable the members to cast their votes electronically.

(iii) The last date for receipt of postal ballot forms was December 20, 2013. The Scrutiniser received 4778 ballots (including both physical ballots and e-voting). Out of 114,99,57,106 votes polled, 112,52,54,514 comprising 97.85% of the total, voted in favour of the resolution and the balance 2,47,02,592 comprising 2.15%, voted against the resolution.

(iv) According to Government of India's letter dated October 22, 2013 and the Scrutiniser's report dated December 21, 2013, the resolution for Preferential Allotment of equity to the Government of India to the extent of ₹ 1,800 crore was passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on Tuesday, December 24, 2013 and displayed on your Bank's website. It was published on December 25, 2013 in an English and a Marathi newspaper for the information of members and was also forwarded to stock exchanges.

DISCLOSURES

1 No Company was assisted during April 1, 2013 – March 31, 2014 in which any of the Directors of the Bank was interested, except as under:

(i) Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) – Shri S. Ravi was an Independent Director in the Company. However, BHEL, being a Government Company, is exempted under the RBI Guidelines from connected lending provisions.

(ii) Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) - Shri M.S. Raghavan, CMD, is the President and Shri P. S. Shenoy is the member of Governing Body of the Institute. However, an exemption for grant of Loans and Advances to EDII has been obtained from RBI-DBOD, vide their letter dated March 5, 2012. The RBI had also advised that since grant of loans and advances is in the operational domain of banks, IDBI Bank may take a decision with regard to grant of loan to EDII in accordance with the Board-approved loan policy.

2 Your Bank complies with the mandatory requirements of Clause 49 of the Listing Agreement, such as

(i) Related party transactions, if any, are being reported to the Audit Committee of the Board;

(ii) Disclosure of Accounting Treatment is clearly made in the financial statements;

(iii) Your Bank submits the review on risk assessment and minimization procedures.

3 Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on your Bank by Stock Exchange or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years are as under:

FY 2011-12	Nil
FY 2012-13	Nil
FY 2013-14	(i) RBI levied a penalty of ₹ 10 mn on the Bank for violation of RBI instructions on KYC and AML guidelines. (ii) SEBI has imposed fine of ₹ 2 lakh on your Bank for delay in receipt of disclosure notice by Stock Exchange under SEBI's Takeover and PIT Regulations for acquiring 50 lakh numbers of equity shares of Welspun India Ltd. on April 22, 2010 through QIP route.

CODE OF CONDUCT AND ETHICS

Your Bank's Board of Directors has adopted a 'Code of Conduct and Ethics' for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Clause 49 of the Listing Agreement, a declaration signed by the

Chairman and Managing Director about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of your Bank is given below:

DECLARATION BY THE CEO

Pursuant to the provisions of the Clause 49 of the Listing Agreement, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2013-14.

Sd/-
M.S. Raghavan
Chairman and Managing Director
April 10, 2014

PREVENTION OF INSIDER TRADING

In accordance with the requirements of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, your Bank has instituted a comprehensive Code of Conduct to prevent insider trading.

CEO/CFO CERTIFICATION

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, the certification by the CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

WHISTLE BLOWER POLICY

Your Bank's Board has adopted a Whistle Blower Policy. In terms of this policy, employees are free to raise issues, if any, pertaining to Bank's operations and report them to the Audit Committee through specified channels. This mechanism has been circulated and also posted on your Bank's intranet.

SUBSIDIARY COMPANIES

As on March 31, 2014, your Bank had five subsidiaries, viz. IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Market Services Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Company Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on your Bank's Board is required to be inducted on the Board of its subsidiaries. This is because none of the subsidiaries is a material non-listed subsidiary company as defined under Clause 49 of the Listing Agreement. Your Bank's Audit Committee reviews the financial statements and, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at your Bank's Board meetings.

COMPLIANCE OFFICER

Shri Pawan Agrawal, Company Secretary, is your Bank's Compliance Officer. He supervises the operations to ensure that they comply with the requirements of the Securities Laws and Listing Agreements with the Stock Exchanges pertaining to secretarial compliances.

SECRETARIAL AUDIT

As an initiative to adopt good corporate governance practices, your Bank had voluntarily undertaken Secretarial Audit for FY 2012-13 conducted by an independent whole-time practicing company secretary firm. The Secretarial Audit for FY 2013-14 is also being conducted. Further, the Bank will be complying with the provisions of section 204 of the Companies Act, 2013 on Secretarial Audit w.e.f. the FY 2014-15 onwards.

MEANS OF COMMUNICATION

Apart from providing a detailed Annual Report on your Bank's working, consisting of Directors' Report (containing Management Discussion and Analysis) and Annual Accounts, your Bank regularly publishes quarterly results for information of its shareholders. It is printed in an English newspaper having nationwide circulation and in a regional newspaper having wide circulation in Mumbai. The aforesaid information is also displayed on your Bank's website (www.idbi.com), along with the official press release and stylised presentation done for institutional investors and analysts.

The documents referred to, but not sent to the persons entitled to receive the notice of the Annual General Meeting, will be made available for inspection of shareholders at your Bank's registered office during working hours for 21 days before the AGM.

MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

Your Bank has complied with all the applicable mandatory requirements, as provided in the revised Clause 49 of the Listing Agreement, entered into with the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed.

Corporate Governance Report

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at Company's expense	Not applicable as your Bank has a whole-time Executive Chairman and Managing Director.
2.	Board to set up a Remuneration Committee to formulate Company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	Not applicable as the Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However, a Remuneration Committee has been constituted to consider payment of Performance-linked Incentives to CMD and DMDs in terms of guidelines issued by the Government of India. This committee would also function in terms of section 178 of the Companies Act, 2013.
3.	Shareholder's rights to half-yearly declaration of financial performance.	Your Bank displays its quarterly financial results on its official website, www.idbi.com, which is accessible by the shareholders. These results are also published in an English newspaper having nationwide circulation and in a Vernacular newspaper with wide circulation in Mumbai.
4.	The Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	The Auditors' Reports are generally unqualified.
5.	Training of Board Members.	Your Bank has been periodically nominating Independent Directors for various programmes organized by ICAI, New Delhi, CAFRAL, Mumbai, etc.
6.	The evaluation of performance of Non-Executive Directors by other members of the Board, and the decision whether the Directorship of the Non-Executive Directors will continue.	A Nomination Committee of the Board has been constituted in compliance with the guidelines issued by the RBI, to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected Directors and the persons to be elected as Directors, by shareholders other than the Central Government and Central Government Banks and Institutions. The Nomination Committee consists of four Independent Members. This committee would also function in terms of section 178 of the Companies Act, 2013.
7.	The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviours, actual or suspected fraud, and so on.	Your Bank's Board has adopted a Whistle Blower Policy. In terms of this policy, employees are free to raise issues, if any, pertaining to the Bank's operations and report them to the Audit Committee through specified channels. This mechanism has been circulated and also posted on your Bank's intranet.

GENERAL SHAREHOLDERS' INFORMATION

General information relevant to shareholders and details of share price movement during April 1, 2013 – March 31, 2014 are provided in Table 5 and Table 6 respectively.

TABLE 5 : GENERAL SHAREHOLDERS' INFORMATION

i.	Date, time and venue of AGM	Monday, June 30, 2014, at 3.30 p.m. at the Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021.
ii.	Financial Year	April 1, 2013 to March 31, 2014
iii.	E-Voting period in terms of clause 35B of Listing Agreement and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.	E-voting period will commence on and from Monday, June 23, 2014 and end on Wednesday, June 25, 2014. Physical voting period for members not having access to e-voting facility on Postal Ballot papers, ends on Wednesday, June 25, 2014.
iv.	Book closure date	June 28, 2014 to June 30, 2014
v.	Date of dispatch of dividend warrants	July 17, 2014
vi.	Dividend payment date	July 24, 2014

vii.	Listing on Stock Exchanges	BSE Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
viii.	Stock code / Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI
ix.	Registrar and Share Transfer Agents	Karvy Computershare Pvt. Ltd. Unit : IDBI Equity Plot No.17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500081
x.	Share Transfer system	Share Transfers are approved on a weekly basis by an internal committee comprising of Executive Director / Chief General Manager.
xi.	Financial Calendar	April 1, 2013 to March 31, 2014:
		1) Results for the quarter ended June 30, 2013 were approved on July 18, 2013.
		2) Results for the quarter / half year ended September 30, 2013 were approved on October 30, 2013.
		3) Results for the third quarter / nine months period ended December 31, 2013 were approved on February 1, 2014.
		4) Audited Results for the year ended March 31, 2014 were approved on April 30, 2014.
xii.	Last date for receipt of proxy forms	June 28, 2014
xiii.	Board Meeting for considering the quarterly results	Within 45 days from the closure of the respective quarter.
xiv.	No. of shares and convertible instruments held by Non-Executive Directors	Shri S. Ravi, Independent Non-Executive Director held 200 number of shares of IDBI Bank Ltd, as on March 31, 2014.

IDBI Bank's scrip is actively traded on the NSE and BSE. The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

TABLE 6 : IDBI BANK LTD.'S SHARE PRICE MOVEMENT ON THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD. (NSE) AND BSE LTD.(BSE): APRIL 2013 – MARCH 2014

₹

Month	NSE		BSE		Month	NSE		BSE	
	High	Low	High	Low		High	Low	High	Low
April 2013	89.85	79.85	89.65	79.85	Oct 2013	68.60	60.00	68.60	60.05
May 2013	90.80	79.75	90.65	79.80	Nov 2013	71.35	63.40	71.15	63.35
June 2013	80.05	68.25	80.25	68.20	Dec 2013	66.95	61.05	66.90	61.05
July 2013	74.65	64.65	74.70	64.75	Jan 2014	67.60	54.35	67.40	54.40
Aug 2013	62.10	54.70	62.15	54.75	Feb 2014	56.45	53.85	56.45	53.85
Sept 2013	64.55	53.00	64.55	52.95	Mar 2014	65.80	56.20	65.70	56.10

Corporate Governance Report

Shareholding Pattern as on March 31, 2014

The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule, as at end-March 2014, in the Bank are presented in Table 7 and Table 8 below:

TABLE 7 : SHAREHOLDING PATTERN AS ON MARCH 31, 2014

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Government of India	1227018622	76.50
Employees	1135389	0.07
Public	120419667	7.51
Hindu Undivided Family (HUF)	3142869	0.20
Bodies Corporate	18812090	1.17
Institutions		
A) Banks	3269602	0.20
B) Foreign Institutional Investors	46302677	2.89
C) State Finance Corporation	35680	0.00
D) Financial Institutions	14409594	0.90
E) Mutual Funds	665441	0.04
Societies	28960	0.00
Trusts	623989	0.04
Insurance Companies	160920678	10.03
NRIs	5376348	0.34
Directors and Relatives		
i) Shri B.K. Batra, DMD	1001	0.00
ii) Shri M.O. Rego, DMD	460	0.00
iii) Shri S. Ravi, Independent Director	200	0.00
NSDL (transit)	1775993	0.11
Qualified Foreign Investors	0	0.00
GRAND TOTAL	1603939260	100.00

TABLE 8 : DISTRIBUTION SCHEDULE AS ON MARCH 31, 2014

S.No	Category		No. of share-holders	% to total share-holders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	392334	91.14	593577650.00	3.70
2	5001	10000	22779	5.29	174923440.00	1.09
3	10001	20000	9052	2.10	133757860.00	0.83
4	20001	30000	2354	0.55	59762550.00	0.37
5	30001	40000	1089	0.25	39023050.00	0.24
6	40001	50000	748	0.17	35259900.00	0.22
7	50001	100000	1110	0.26	81380590.00	0.51
8	100001 and above		992	0.23	14921707560.00	93.03
Total			430458	100.00	16039392600.00	100.00

SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTOR GRIEVANCES

To expedite the process of share transfers, an internal committee comprising of Executive Director/ Chief General Manager has been set up to approve the Memorandum of Transfers (MoTs) on a weekly basis.

As on April 1, 2013, two investor grievances were pending for redressal from April 1, 2013 to March 31, 2014, a total of 11,316 investor grievances were received from shareholders / investors by your Bank's Registrar and Transfer Agents. During the year, 11,102 grievances were redressed and 216 were pending for redressal, as on March 31, 2014.

With regard to shares, eight cases of transfers were pending as on April 1, 2013. During April 1, 2013 - March 31, 2014, a total of 1024 requests for transfer of shares were received by your Bank's Registrar and Transfer Agents. Of these, 1032 requests for transfer of shares were processed and no requests were pending as on March 31, 2014.

EQUITY SHARES IN THE UNCLAIMED SUSPENSE ACCOUNT

In terms of the Clause 5A(I) of the Listing Agreement, your Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Disclosure of details of Unclaimed Suspense Account (under clause 5A(I) of the Listing Agreement)

S.N.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account, as on April 01, 2013	4988	896389
(ii)	Number of shareholders who approached your Bank for transfer of shares from the Unclaimed Suspense Account during April 01, 2013-March 31, 2014	42	10235
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during April 01, 2013-March 31, 2014	42	10235
(iv)	Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account as on March 31, 2014	4946	886154

TABLE 9: DETAILS OF DE-MATERIALISATION AND ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

Dematerialisation of shares and liquidity

Nature of Holding	No. of shareholders	Shares	Percentage
Physical	74553	17727974	1.10
NSDL (Dematerialized)	243894	329247468	20.53
CDSL (Dematerialized)	112011	1256963818	78.37
Total	430458	1603939260	100.00

Corporate Governance Report

Outstanding GDRs / ADRs/ Warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ADRs/Warrants, and so on.
Plant Locations	Not applicable. However, information about locations of your Bank's branches is available on the website: www.idbi.com
Address for correspondence	**IDBI Bank Ltd.** CIN – L65190MH2004GOI148838 Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 Phone – 022 – 66552779, 66553062, 66552620 Fax – 022 - 2218 23 52 E-mail – idbiequity@idbi.co.in Website – www.idbi.com
	Registrar and Transfer Agents Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Plot No.17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081 Tel. No: (040) 44655000 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No: (040) 23420814 email : einward.ris@karvy.com
Registered Office Addresses of Subsidiary Companies	**IDBI Capital Market Services Ltd.** 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021 **IDBI Intech Ltd.** IDBI Building, 1st Floor, Plot No.39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614 **IDBI MF Trustee Company Ltd.** IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 **IDBI Asset Management Ltd.** 5th Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021 **IDBI Trusteeship Services Ltd.** Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001

Auditors' Report on **Corporate Governance**

Khimji Kunverji & Co
Chartered Accountants
Sunshine Tower, Level 19,
Senapati Bapat Marg,
Elphinstone Road,
Mumbai-400013, India
T: +91 22 2439 1111
E: info@kkc.in

G.D. Apte & Co
Chartered Accountants
GDA House, Plot No. 85,
Bhusari Colony (Right)
Paud Road,
Pune-411038, India
T: + 91 20 25280081
E: audit@gdaca.com

To
The Members of
IDBI Bank Limited

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as the Bank) for the year ended March 31, 2014 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchange of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to a review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given and representations made by the Directors and the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Khimji Kunverji & Co**
Chartered Accountants
FRN-105146W

Gautam V Shah
Partner (F-117348)

For **G. D. Apte & Co**
Chartered Accountants
FRN-100515W

Saurabh S Peshwe
Partner (F-121546)

Place : Mumbai
Date : April 30, 2014

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
Auditors' Report

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च 2014 के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं.

   यह लेखापरीक्षा इस प्रकार नियोजित व संचालित की गई कि विभिन्न प्रोसेसिंग केंद्रों / क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं में उपलब्ध रिकॉर्डों तथा बैंक के 77% अग्रिमों व 78% जमाराशियों को शामिल करते हुए केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीय बैंकिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से जनरेट हुई रिपोर्टों को शामिल किया जा सके तथा इसके अंतर्गत बैंक के 69 केंद्रों / कार्यालयों / शाखाओं का निरीक्षण किया गया. उक्त वित्तीय विवरणों में बैंक की दुबई शाखा की विवरणियां शामिल की गई हैं जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, जिनमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के साथ पढ़ी जाने वाली बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया गया है. इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में डिजाइन, कार्यान्वयन व आंतरिक नियंत्रण का अनुरक्षण शामिल है, जो किसी भी भौतिक अयथार्थ कथन से, चाहे वह धोखे से हो या गलती से, मुक्त है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक की शाखाओं और केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई / क्षेत्रीय प्रोसेसिंग इकाइयों सहित लेखापरीक्षा की थी. इन मानकों में यह अपेक्षित है

To
The Members of
IDBI Bank Limited

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of the IDBI Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014 and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

   The audit was planned and conducted as to cover records available at various processing centers/ regional offices/ branches and reports generated through centralized banking applications at central office level and visit at 69 centers/offices/branches of the Bank, covering 77% of Advances and 78% of Deposits of the Bank. Incorporated in the said financial statements are the returns of the Dubai branch of the Bank, audited by another auditor.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that gives true and fair view of financial position, financial performance and cash flows of the bank in accordance with provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 211 of the Companies Act, 1956 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit of the Bank including its branches and central processing unit/regional processing units in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कि हम अपनी लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में कोई भौतिक अयथार्थ कथन नहीं है.

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रिया का पालन करना शामिल है. यह चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी भौतिक अयथार्थ कथन की जोखिम का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी व निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं ताकि इन परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया रूपांकित की जा सके. लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के अलावा समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है.

राय

6. हमारे अभिमत में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण और उन पर टिप्पणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित रूप में देते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हैं :

(क) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 को बैंक के कामकाज की स्थिति;

(ख) लाभ-हानि लेखे के मामले में उसी तारीख़ को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ;

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख़ को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह.

Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5 We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6 In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given, the said financials statements together with notes thereon give full information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 1956, in the manner so required for banking companies and give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2014;

(b) in case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Bank for the year ended on that date;

(c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cashflows of the Bank for the year ended on that date.

मामले का महत्व

7. हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 7(ख) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के 20 दिसंबर 2013 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.77 / 21.04.018/ 2013-14 के अनुसरण में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता के सृजन को वर्णित किया गया है. इस मामले में हमारी राय अर्हता-प्राप्त नहीं है.

अन्य मामले

8. हमने बैंक की दुबई शाखा के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2014 को ₹ 241,007,883 हजार की कुल परिसंपत्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए ₹ 10,500,926 हजार के कुल राजस्व और ₹ 2,781,475 हजार के नकदी प्रवाह दर्शाते हैं. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त शाखा के निगमन के देश में लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् योग्यता प्राप्त अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमने बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उसका आधार लिया है. इस मामले में हमारी राय अर्हता-प्राप्त नहीं है.

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

10. हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

(क) लेखापरीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो जानकारी और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं;

(ख) हमारे ध्यान में आए बैंक के लेनदेन बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं;

(ग) बैंक के महत्वपूर्ण परिचालन पूर्णतः स्वचालित हैं तथा महत्वपूर्ण एप्लिकेशन कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए हैं. लेखापरीक्षा केंद्रीकृत रूप में की गई है, क्योंकि हमारी

Emphasis of Matter

7 We draw attention to Note.7(b) to the financial statements which describes creation of deferred tax liability on Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No. BP. BC.77/ 21.04.018/2013-14 dated December 20, 2013. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Other Matters

8 We did not audit the financial statement of the Dubai branch of the Bank, whose financial statement as at March 31, 2014 reflects total assets of ₹ 241,007,883 thousand, total revenues of ₹ 10,500,926 thousand and cash outflows of ₹ 2,781,475 thousand for the year then ended. These financial statements have been audited by another auditor, duly qualified to act as an auditor in the country of incorporation of the said branch, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for our opinion on the financial statements of the Bank. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9 The Balance Sheet and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the banking regulation Act, 1949 read with Section 211 of the Companies Act, 1956.

10 We report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;

(c) The key operations of the Bank are completely automated and key applications are integrated with the core banking systems, the audit is carried out centrally as all the necessary records

लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ सभी आवश्यक रिकॉर्ड उनमें केंद्रीकृत रूप में ही उपलब्ध हैं.

11. हमारी राय में इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा 3(सी) (जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में भी लागू रहेगी) में उल्लिखित लेखा मानकों, जहां तक वे बैंक पर लागू होते हैं, का पालन करते हैं.

12. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि :

(i) इस रिपोर्ट में विचार किए गए बैंक का तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखे - लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

(ii) बैंक की वित्तीय लेखाप्रणाली केंद्रीकृत है. अतः शाखाओं द्वारा लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं;

(iii) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है;

(iv) भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा 21 अक्तूबर 2003 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.829 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

कृते **खीमजी कुंवरजी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 105146डब्ल्यू

कृते **जी.डी. आप्टे एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या: 100515डब्ल्यू

गौतम वी. शाह
साझेदार (एफ-117348)

सौरभ एस. पेशवे
साझेदार (एफ-121546)

मुंबई
30 अप्रैल 2014

and data required for the purposes of our audit are centrally available therein.

11 In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with accounting standards referred to in Subsection(3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 (which continue to be applicable in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013), to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

12 We further report that:

(i) the Balance Sheet, Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;

(ii) the financial accounting system of the Bank are centralised and therefore, accounting returns are not submitted by the branches;

(iii) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books;

(iv) provision of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 are not applicable in terms of Notification No. G.S.R.829 (E) dated October 21, 2003 issued by Department of Company Affairs, Government of India.

For **Khimji Kunverji & Co**
Chartered Accountants
FRN: 105146W

For **G D Apte & Co**
Chartered Accountants
FRN: 100515W

Gautam V Shah
Partner (F–117348)

Saurabh S Peshwe
Partner (F–121546)

Mumbai
April 30, 2014

तुलन पत्र 31 मार्च 2014 को
Balance Sheet as at 31st March, 2014

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	1603 93 93	1332 74 83
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	22034 91 89	19902 50 62
कर्मचारियों का स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' Stock Options (Grants) Outstanding		44 67	76 89
जमाराशियां / Deposits	3	235773 63 25	227116 47 45
उधार राशियां / Borrowings	4	60146 29 04	65808 87 10
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	9437 40 16	8607 14 17
कुल / TOTAL		**328996 62 94**	**322768 51 06**
परिसंपत्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	12711 11 34	10543 94 99
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय Balances with banks and money at call and short notice	7	4106 79 60	7380 57 36
निवेश / Investments	8	103773 50 35	98800 92 68
अग्रिम / Advances	9	197686 00 36	196306 44 79
अचल परिसंपत्तियां / Fixed assets	10	2983 20 55	2925 28 77
अन्य परिसंपत्तियां / Other assets	11	7736 00 74	6811 32 47
कुल / TOTAL		**328996 62 94**	**322768 51 06**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	188202 72 37	180661 95 57
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		8337 95 21	7157 05 03
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 व 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 105146डब्ल्यू
FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 100515डब्ल्यू
FRN - 100515W

(एम.एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ़-117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ़-121546)
Partner (F-121546)

(एम.ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(बी.के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2014 / Date : April 30, 2014

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2014

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended 31-03-2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended 31-03-2013
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	26597 51 37	25064 30 04
	अन्य आय / Other Income	14	2978 75 43	3219 50 58
	कुल / TOTAL		**29576 26 80**	**28283 80 62**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	20576 03 81	19691 18 88
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	3318 83 68	3134 36 39
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies	18(B)(XII)	4559 99 04	3576 16 98
	कुल / TOTAL		**28454 86 53**	**26401 72 25**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / Net Profit for the year		1121 40 27	1882 08 37
	आगे ले जाया गया लाभ / Profit brought forward		903 86 08	672 64 50
	कुल / TOTAL		**2025 26 35**	**2554 72 87**
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण Transfer to Statutory Reserve		281 00 00	470 82 93
	पूंजी रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		9 31 79	191 81 86
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		400 00 00	150 00 00
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		250 00 00	300 00 00
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		44 10 83	466 46 19
	अन्तरिम लाभांश / Interim Dividend		116 29 01	-
	ईएसओपी पर लाभांश / Dividend on ESOPs		1 15	64
	लाभांश वितरण कर Dividend distribution tax		27 76 71	71 75 17
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		896 76 86	903 86 08
	कुल / TOTAL		**2025 26 35**	**2554 72 87**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2014

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended 31-03-2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended 31-03-2013
प्रति शेयर उपार्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(A)(6)		
मूल / Basic		8.00	14.70
न्यूनीकृत / Diluted		8.00	14.70
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ - हानि लेखा के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 105146डब्ल्यू
FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 100515डब्ल्यू
FRN - 100515W

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ़-117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ़-121546)
Partner (F-121546)

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(एम.एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

(एम.ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(बी.के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director &
Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2014 / Date : April 30, 2014

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 1 -पूंजी **SCHEDULE 1 - CAPITAL**		
प्राधिकृत पूंजी **Authorised capital**		
₹ 10 प्रत्येक के 300 00 00 000 (300 00 00 000) इक्विटी शेयर 300 00 00 000 (300 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	3000 00 00	3000 00 00
	3000 00 00	**3000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त, और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 160 39 39 260 (133 27 48 347) इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 टिप्पणी ग.2 (i) देखें) 160 39 39 260 (133 27 48 347) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 Note C.2 (i))	1603 93 93	1332 74 83
कुल / TOTAL	**1603 93 93**	**1332 74 83**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	2520 00 00	2049 17 07
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	281 00 00	470 82 93
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	2801 00 00	**2520 00 00**
II पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	509 23 36	317 41 50
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	9 31 79	191 81 86
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	518 55 15	**509 23 36**
III पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी क.1 देखें) Opening balance (Refer Schedule 18 Note A.1)	1762 78 10	1853 92 65
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	49 94 44	91 14 55
	1712 83 66	**1762 78 10**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV शेयर प्रीमियम / Share Premium		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	8149 66 45	7648 55 77
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1529 09 11	501 10 68
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	9678 75 56	**8149 66 45**
V राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve		
(क/a) **सामान्य रिज़र्व / General Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	4905 60 48	4755 60 48
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	400 00 00	150 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां (देखें अनुसूची 18 टिप्पणी क.7.ख) Deductions during the year (Refer Schedule 18 Note A.7.b)	279 95 97	-
	5025 64 51	**4905 60 48**
(ख/b) **स्टाफ कल्याण निधि / Staff Welfare Fund**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	29 01 11	29 01 11
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	29 01 11	**29 01 11**
(ग/c) **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	6 35 04	**6 35 04**
(घ/d) **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1116 00 00	816 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	250 00 00	300 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	1366 00 00	**1116 00 00**
VI लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss account	896 76 86	903 86 08
कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**22034 91 89**	**19902 50 62**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
ए A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	4083 91 46	3086 53 83
(ii) अन्य से / From others	20933 74 40	30202 42 97
	25017 65 86	**33288 96 80**
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**28334 05 38**	**23760 29 10**
III. सावधि जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	24129 07 05	23757 13 15
(ii) अन्य से / From others	158292 84 96	146310 08 40
	182421 92 01	170067 21 55
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**235773 63 25**	**227116 47 45**
बी B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	234987 41 31	225806 80 53
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	786 21 94	1309 66 92
कुल / TOTAL	**235773 63 25**	**227116 47 45**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
(ii) अन्य बैंक / Other banks	976 70 00	814 10 00
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies	-	-
(iv) टीयर I (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	2558 80 00
(v) अपर टीयर II बांड / Upper Tier II bonds	4286 20 00	4286 20 00
(vi) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	10279 80 00	10295 70 00
(vii) अन्य / Others *	19167 10 72	25436 57 23
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	23727 68 32	22417 49 87
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**60146 29 04**	**65808 87 10**

ऊपर I और II में शामिल सुरक्षित उधार राशियां - ₹ 10475 32 29 हजार (₹ 14210 81 96 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 10475 32 29 Thousand (₹ 14210 81 96 Thousand)

* इसमें ₹ 850 00 00 हजार (शून्य) का बेमीयादी ऋण लिखत शामिल है.
Includes Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 Thousand (Nil)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल / Bills Payable	1627 53 37	910 50 56
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	8 63 62	1 26 96
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	1939 71 56	2297 45 27
IV अन्य (प्रावधान सहित) Others (Including Provision)		
(क) (a) मानक परिसंपत्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	1237 23 52	1064 23 52
(ख) (b) प्राप्त अग्रिम भुगतान Advance payments received	677 81 64	681 09 91
(ग) (c) देय लाभांश तथा लाभांश कर Dividend and dividend tax payable	48 14 52	537 94 59
(घ) (d) विविध लेनदार Sundry Creditors	259 11 80	303 99 18
(ङ) (e) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर Service tax/TDS/Other taxes payable	41 59 75	65 18 02
(च) (f) विविध जमाराशियां Sundry Deposits	19 23 75	23 65 27
(छ) (g) अन्य प्रावधान Other provisions	1898 10 48	1491 84 79
(ज) (h) विविध Miscellaneous	1680 26 15	1229 96 10
कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**9437 40 16**	**8607 14 17**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1385 47 32	1369 22 39
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	11325 64 02	9174 72 60
(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**12711 11 34**	**10543 94 99**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I भारत में / In India		
(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	352 40 74	438 07 66
(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	356 93 00	84 45 00
(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास (a) with banks	-	3191 52 95
(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	-	-
	709 33 74	**3714 05 61**
II भारत से बाहर / Outside India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	99 90 20	90 43 55
(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	3181 48 65	3490 52 55
(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	116 07 01	85 55 65
	3397 45 86	3666 51 75
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**4106 79 60**	**7380 57 36**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 8 - निवेश SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	66974 40 02	71181 90 69
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
(iii) शेयर / Shares	3092 94 41	3497 99 62
(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	14111 64 99	6047 15 69
(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	643 69 82	618 69 82
(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, सिडबी, नाबार्ड एनएचबी और आरआईडीएफ जमा) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs, SIDBI, NABARD, NHB and RIDF Deposit)	18950 81 11	17455 16 86
	103773 50 35	**98800 92 68**
II भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	-	-
(ii) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
(iii) अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**103773 50 35**	**98800 92 68**
II भारत में निवेश / Investments in India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	105021 96 50	100026 75 09
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	1248 46 15	1225 82 41
निवल निवेश / Net investments	103773 50 35	98800 92 68
IV भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	-	-
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less:Aggregate provision / depreciation	-	-
निवल निवेश / Net investments	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
ए A.		
(i) खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	4883 77 75	4618 84 86
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	52098 53 31	50884 64 54
(iii) मीयादी ऋण / Term loans *	140703 69 30	140802 95 39
कुल / TOTAL	**197686 00 36**	**196306 44 79**
बी B.		
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत / Secured by tangible assets **	186371 97 67	181535 66 48
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** Covered by Bank / Government guarantees***	2023 25 45	524 48 81
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	9290 77 24	14246 29 50
कुल / TOTAL	**197686 00 36**	**196306 44 79**
सी C.		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	41191 44 82	34412 51 86
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	5507 56 38	10473 46 71
(iii) बैंक / Banks	109 31 85	352 76 56
(iv) अन्य / Others	133073 53 67	139381 22 99
कुल / TOTAL	**179881 86 72**	**184619 98 12**
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others:		
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	133 86 97	201 29 62
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	2233 30 50	2086 16 00
(ग) अन्य (c) Others	15436 96 17	9399 01 05
कुल / TOTAL	**17804 13 64**	**11686 46 67**
कुल (ग I और ग II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**197686 00 36**	**196306 44 79**

* ₹ 3100 00 00 हजार का अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल है (₹ 1295 60 00 हजार)
* Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ 3100 00 00 Thousand (₹ 1295 60 00 Thousand)
** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
** Includes advances against book debts
*** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
*** Includes advances against letter of credit issued by banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 10 - अचल परिसंपत्तियां SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी ए.1 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note A.1)		
प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	2756 66 96	2750 62 63
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	27 51 47	6 18 98
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year *	-	14 65
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	416 54 79	355 57 58
	2367 63 64	**2401 09 38**
II अन्य अचल परिसंपत्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	1259 28 64	1154 55 75
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	193 94 07	128 76 27
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	15 68 24	24 03 38
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	842 11 91	751 81 66
	595 42 56	**507 46 98**
III पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियां Assets given on Lease		
प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	601 81 79	643 55 77
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
पट्टा समायोजन लेखा / Lease Adjustment account	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	41 73 98
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	-	**-**
IV चालू पूंजीगत कार्य Capital Work-in-Progress	20 14 35	16 72 41
कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**2983 20 55**	**2925 28 77**

* परिसर की बिक्री पर (₹ 980 हजार) शून्य पुनर्मूल्यन रिजर्व शामिल है.
* Includes Revaluation Reserve of Nil (₹ 980 Thousand) on sale of Premises

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 11 - अन्य परिसंपत्तियां SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS			
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2467 83 92	2066 27 42
III	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	1632 97 53	1314 92 09
IV	लेखन-सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	12 69	12 14
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियां Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	81 45 18	55 08 00
VI	**अन्य / Others**		
	(क) (a) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) Deferred Tax Asset (net)	1998 33 40	1728 57 32
	(ख) (b) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड Shares / Bonds Pending allotment	511 37 40	44 84 03
	(ग) (c) विविध जमाराशियां व अग्रिम Sundry deposit and advances	75 45 24	79 29 83
	(घ) (d) प्राप्य दावे Claims receivable	296 48 53	268 45 20
	(ङ) (e) दबावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) को अंतरित मामलों के संबंध में खर्चे / संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	2 87 76	8 91
	(च) (f) विविध Miscellaneous	669 09 09	1253 67 53
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**7736 00 74**	**6811 32 47**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	114 12 40	103 13 68
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	47103 54 52	36088 97 25
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	51270 15 71	58917 55 80
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	5132 25 41	4746 02 38
IV	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	27313 00 22	26027 81 13
V	ब्याज दर के संबंध में देयता और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	50329 91 09	52698 32 24
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	5670 35 15	954 27 72
VII	विवादित आयकर, ब्याज, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	1264 15 61	1121 15 70
VIII	अन्य Others	5 22 26	4 69 67
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**188202 72 37**	**180661 95 57**

आकस्मिक देयताओं के विवरण के लिए अनुसूची 18 की टिप्पणी ए. 9 का संदर्भ लें.
Refer Schedule 18 Note A.9 for description of Contingent Liabilites

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED			
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest/discount on advances/bills	20257 32 27	19549 28 95
II	निवेशों से आय / Income on investments	6074 72 08	5335 14 69
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	103 34 38	156 11 59
IV	अन्य / Others	162 12 64	23 74 81
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**26597 51 37**	**25064 30 04**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 14 - अन्य आय SCHEDULE 14 - OTHER INCOME			
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1818 34 25	2237 34 55
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	521 70 78	391 17 36
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(99 29)	38 82 47
IV	भूमि, भवन, तथा अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(1 90 41)	(41 04)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	348 59 36	193 38 42
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	27 63 00	5 60 64
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	130 17 36	237 55 48
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	135 20 38	116 02 70
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**2978 75 43**	**3219 50 58**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED			
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	15465 17 12	15283 97 30
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / inter bank borrowings	1491 32 51	1276 00 95
III	अन्य / Others	3619 54 18	3131 20 63
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**20576 03 81**	**19691 18 88**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES			
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1491 60 79	1538 49 77
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	305 08 25	281 48 95
III	मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	45 46 62	39 38 28
IV	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	40 23 56	12 63 18
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास * Depreciation on bank's property *	113 16 71	124 12 08
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's fees, allowances and expenses	41 83	16 11
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय Auditor's fees and expenses	2 18 40	2 66 63
VIII	विधि प्रभार Law charges	11 78 55	13 51 85
IX	डाक-खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि Postage, telegrams, telephones etc.	91 78 20	66 38 42

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
X मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	207 09 40	160 71 97
XI बीमा Insurance	192 32 17	147 28 75
XII अन्य Others		
(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	47 32 44	54 70 59
(ख) कार्ड और एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	217 77 75	199 03 35
(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	3 88 88	4 86 16
(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	4 62 51	4 90 57
(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	162 37 03	153 80 01
(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	50 31 98	44 38 62
(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	33 12 40	30 78 04
(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	41 33 34	30 78 13
(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	5 05 70	5 47 33
(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	34 07 63	70 69 67
(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	217 79 54	148 07 93
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**3318 83 68**	**3134 36 39**

*₹ 41 84 07हजार (₹ 41 84 18 हजार) के पुनर्मूल्यन रिजर्व का निवल
*Net of revaluation reserve of ₹ 41 84 07 thousand (₹ 41 84 18 thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 तैयार करने का आधार \ Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक(एएस) और कंपनी (एकाउंटिंग स्टैंडर्स) नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) द्वारा अधिसूचित व भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों को अपनाया गया है. अपवाद रूप में जब तक अन्यथा न कहा गया हो, बैंक लेखांकन की उपचित विधि व परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and notified by the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शाई गई परिसंपत्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि आर्थिक फायदों का प्रवाह बैंक को होगा तथा राजस्व के परिणाम का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

   Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognised upon realisation as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी) / बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन की गणना साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि पर उपचित की जाती है.

   Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है और ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार उन्हें दर्शाया जाता है.

   Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार माना जाता है.

Income on discounted instruments is recognised over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जब लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है.

Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन ऋण करार / पुनर्संरचना पैकेज में विनिर्दिष्ट विनियोजन के क्रम के अनुसार किया जाता है.

In case of advances, recovery is appropriated as per the order of appropriation specified in the loan agreement / restructuring package.

4 अग्रिम व प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को गैर-निष्पादक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहां बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट / सृजित किया जाता है, वहां अग्रिमों को 'मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो के रूप में प्रतिभूति, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि पर प्रभार को 'मूर्त परिसंपत्तियां' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा ऋणी की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ व हानि खाते में निर्धारित किया जाता है.

Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognised in the Profit And Loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और निवेश के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता.

The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित /पुनः निर्धारित ऋणों और अग्रिमों को बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों के पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय बफर बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है.

The Bank makes countercyclical buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board and utilizes the same within the limits and in the circumstances permitted by RBI.

5 निवेश / Investments

वर्गीकरण / Classification

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन निम्नवत वर्गीकृत किया जाता है

In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorised as

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

i. परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्न रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाता है

Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

iii. शेयर / Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र, सिडबी/नाबार्ड/एनएचबी/आरआईडीएफ).

Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts and Pass Through Certificate, SIDBI/NABARD/NHB/RIDF Deposit).

वर्गीकरण का आधार

Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिवक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held For Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available For Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित' 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है.

d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries, joint venture are classified as 'Held To Maturity'.

मूल्यांकन / Valuation

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में :

In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकेंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज /प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत / बिक्री में से घटाया जाता है और ब्याज व्यय / आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिवक्वता तक धारित' निवेशों को, जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामले में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint venture under this category is provided for each investment individually.

iii) 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध निवेशों' के स्क्रिपवार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) ट्रेजरी बिलों तथा वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) क्रय-विक्रय/उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/भाव-सूची से लिया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्यों अथवा भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges. Government Securities are valued at market prices or prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA).

ग) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य यदि ताजा तुलनपत्र उपलब्ध हो तो अलग-अलग मूल्य/ निवल आस्ति मूल्य के अन्यथा 1 रुपये आधार पर निकाला जाता है. यूनिटों का मूल्य रिजर्व बैंक के संगत दिशा-निर्देशों के आधार पर निकाला जाता है. नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व वायटीएम दरों को एफआईएमएमडीए में प्रकाशित संबंधित दरों से लागू किया जाता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

c) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company and units are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

घ) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार ऐसे मामलों में जहाँ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुए निवल परिसंपत्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

d) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

ङ) अधिमान्य शेयर यदि कोट किए जाते हैं अथवा रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार परिपक्वता आधार पर उचित प्रतिफल, मोचन मूल्य से अधिक नहीं होता है तो उन्हें बाज़ार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है.

e) Preference share valued at market rates, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ - हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि परिपक्वता पर धारित निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है, उसके बाद वर्ष / अवधि की समाप्ति पर लागू निवल करों को काटकर कैपिटल रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in Held to Maturity category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.

Investments are shown net of provisions.

रेपो व रिवर्स रेपो लेन-देन / Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों [चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों को छोड़कर] में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं. रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (excluding transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

रिज़र्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए रेपो लेनदेनों के संबंध में रिज़र्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेन-देन की परिपक्वता पर वापस लौटाया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत

रिवर्स रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय माना जाता है.

In respect of repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of reverse repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as interest income.

6 डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions

'प्रतिरक्षा' (हेज) के रूप में नामित लेन-देनों में / In Transactions designated as 'Hedge':

क. डेरिवेटिव लेन-देनों पर भुगतान योग्य/प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख. हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/हानि को स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि या परिसंपत्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो; के आधार पर माना जाता है.

b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग. अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Redesignation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ. हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया गया हो. बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित हेज संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'क्रय-विक्रय' के रूप में नामित लेन-देनों में / In Transactions designated as 'Trading':

'क्रय-विक्रय' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खण्डों में क्रय-विक्रय के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा विकल्पों और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और इनका नकदी निपटान टी + 1आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों पर हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित माह अंत निपटान की तारीख को लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit & Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7 अचल परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation

i अचल परिसंपत्तियों को, पुनर्मूल्यांकित मामलों को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत (संस्थापन लागत सहित) पर लिया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई वृद्धि हुई हो तो उसे 'पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व' खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Fixed assets are carried at historical cost (inclusive of installation cost) except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the `Revaluation Reserve' Account. In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit And Loss Account.

ii ₹ 5000 से कम लागत की अलग - अलग अचल परिसंपत्तियों पर उन्हें शामिल करने के वर्ष में ही संपूर्णतः मूल्य ह्रासित कर दिया जाता है.

Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

iii मूल्यह्रास परिवर्धन की तारीख से सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा लगाया जाता है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी मूल्यह्रास की दरों को न्यूनतम दरें माना जाता है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी परिसंपत्ति को अर्जित करते समय उस अचल परिसंपत्ति के अनुमानित जीवन काल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/बाकी उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की उंची दर लगायी जाती है. इस नीति के चलते मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नलिखित दरों के अनुसार किया गया है :

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) from the date of addition. The rates of depreciation prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 are considered as the minimum rates. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

परिसंपत्ति Asset	मूल्यह्रास दर Depreciation Rate
परिसर / Premises	1.63%
फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स / Furniture and fixtures	8.33%
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	8.33%
मोटर वाहन / Motor vehicles	20.00%
कंप्यूटर (समाकलित सॉफ्टवेयर सहित) / Computers (including integral software)	33.33%
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	12.50%
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	10.00%
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	20.00%

iv वर्ष के दौरान परिवर्धित/बेची गयी अचल परिसंपत्तियों पर उस अवधि के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जिस दौरान परिसंपत्तियों को वास्तविक रूप में धारण किया गया था.

Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

v लीज़ वाली भूमि को लीज़ की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortised over the period of lease.

vi ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (गैर-समाकलित) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होती है.

Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

8 प्रतिभूतिकरण लेन-देन / Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन परिसंपत्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः हटा दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें परिसंपत्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

9 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निमाण कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री

Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निमाण कंपनियों (आरसी) को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के शोधन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से, जो कम हो, के आधार पर की जाती है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली पर होने वाले लाभ को लाभ-हानि लेखे में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एससी या आरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा अन्य एसआर/पीटीसी की वसूली से होने वाली हानि/कमी को पूरा करने के लिए प्रावधानों के तौर पर अलग से दर्शाया जाता है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली से होने वाली हानियों को पूर्ववर्ती लाभों से सृजित प्रावधानों के शेष, यदि कोई हैं, में से समायोजित किया जाता है और शेष हानि राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की जाती है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset. Gains arising on such sale or realisation are not recognised in the profit and loss account but earmarked as provisions for meeting the losses/ shortfall arising on sale of other financial assets to SCs/ RCs or sale/ realisation of other SRs/ PTCs. Losses arising on such sale or realisation are first set off against balance of provisions, if any, created out of earlier gains and residual amount of losses are charged to profit and loss account.

10 विदेशी मुद्रा लेन-देन / Foreign Currency Transactions:

i विदेशी मुद्रा लेन-देनों का आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख को जारी विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया जाता है. मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ- हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognised in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognised as income or expense in the period in which they arise.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii ऐसी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा की समयावधि में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को दर्शाया नहीं जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortised as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognised.

iii ऐसी बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं हैं, का पुनर्मूल्यन अंतिम फेडाई दरों पर किया जाता है. अन्य बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognised in the Profit and Loss Account.

iv विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की परिपक्वता-पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognised on the date of termination.

v बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विदेशी मुद्रा की संविदागत दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi विदेशी शाखा के परिचालनों को एकीकृत विदेशी परिचालनों में वर्गीकृत किया जाता है. परिसंपत्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). Income and Expenditure items are translated at quarterly average closing rates. The resultant gain or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

11 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

क) निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान के देय होने के आधार पर वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ख) निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित इकाई जमा विधि का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में पूरा दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.

b) For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

ग) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी द्वारा दी जानेवाली सेवाओं के बदले अदा किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

c) The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

12 खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

बैंकिंग तीन खंडों अर्थात होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ट्रेज़री सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण एएस-17 के अनुसार उत्पाद व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक की प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury services. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, परिसंपत्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारित राशि शामिल है. जो परिसंपत्तियां व देयताएं ज्ञात खंडों को आबंटित नहीं हैं उन्हें गैर-आबंटित परिसंपत्तियों व देयताओं के रूप में समूहन किया गया है.

Segment revenue, results, assets and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

13 आय कर / Income Tax

i कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर, आय कर की वह निर्धारित राशि है, जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूलीयोग्य) है.

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period.

ii वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उचित निश्चितता हो कि इनकी भविष्य में वसूली हो जाएगी.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर परिसंपत्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति भावी करयोग्य लाभों में से वसूल की जा सकती है.

Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

14 प्रति शेयर आय / Earnings Per Share

i बैंक लेखांकन मानक (एएस) 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर आय की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings Per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

15 परिसंपत्तियों की अनर्जकता / Impairment of Assets

जब कभी घटनाएं अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन से ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति की रखाव लागत वसूलीयोग्य नहीं है तो अचल परिसंपत्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित और इस्तेमाल की जाने वाली परिसंपत्तियों की वसूली हो सकने का आकलन उसकी वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना में उसकी रखाव लागत से किया जाता है. यदि इन परिसंपत्तियों को अनर्जक माना जाता है तो अभिनिर्धारित अनर्जकता का आकलन इससे हो सकेगा कि परिसंपत्तियों की रखाव राशि उसके वसूलीयोग्य मूल्य से कितनी अधिक है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset.

16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां / Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां एएस 29 के अनुपालन में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तब किया जाता है जब किसी पिछले संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv आकस्मिक परिसंपत्तियों को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Contingent Assets are not recognized.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS

अ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं
A DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अचल परिसंपत्तियां (एएस-10) / FIXED ASSETS (AS-10)

i. परिसर में ₹ 1339,70,11 हजार (₹ 1339,70,11 हजार) की लीज पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल हैं जिसका वर्ष 2006-07 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 1339 70 11 Thousand (₹ 1339 70 11 Thousand) which was revalued in the year 2006-07.

ii. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यांकन किया है. पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2063 91 00 हजार हुई है जो 31 मार्च 2007 को ₹ 529 02 00 हजार के निवल बही मूल्य और ₹ 2592 93 00 हजार की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है, जिसे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा कर दिया गया है. इस पर मूल्यह्रास समायोजित करने के बाद 31 मार्च 2014 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष ₹ 1712 83 66 हज़ार (₹ 1762 78 10 हज़ार) है.

The Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building based on valuations made by independent valuers during the year 2006-07. The net appreciation of ₹ 2063 91 00 Thousand arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 529 02 00 Thousand and revalued amount of ₹ 2592 93 00 Thousand as on March 31, 2007, was credited to Revaluation Reserve. The balance in revaluation reserve as at March 31, 2014 after adjusting depreciation on same is ₹ 1712 83 66 Thousand (₹ 1762 78 10 Thousand).

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

i. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes**

बैंक के कर्मचारी जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, को छोड़कर 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण की है, भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत शामिल हैं. बैंक मूल वेतन के निर्धारित प्रतिशत के रूप में पीएफएस में निश्चित अंशदान देता है. भविष्य निधि योजना का संचालन ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य (निधि) के प्रशासकों की समिति'' द्वारा किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) एवं आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान अदा कर दिए गए थे और इसके बाद से अंशदान उपर्युक्त निधि में जमा किया जाता है. वर्ष के दौरान ₹ 50,322 हजार (₹ 63688 हजार) की राशि पीएफएस में जमा की गई और लाभ-हानि लेखे को प्रभारित की गई.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year, ₹ 5 03 22 Thousand (₹ 6 36 88 Thousand) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

बैंक के जिन कर्मचारियों ने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है उन्हें निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत बैंक मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान ₹ 3,50,585 हजार (₹ 1,37,380 हजार) की राशि लाभ-हानि लेखे को प्रभारित की गई.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 35 05 85 Thousand (₹ 13 73 80 Thousand) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes

क. बैंक कर्मचारियों की ग्रैच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रैच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.

a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

ख. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के भी पात्र हैं, जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

b. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति से की जाती है.

The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शाई गईं राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है:

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as per AS-15(R).

(₹ करोड़) (In Crores)

	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014		यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013	
क) a) लाभ दायित्वों में परिवर्तन : Change in benefit obligations:				
वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	1329.56	401.80	963.78	370.01
ब्याज लागत / Interest cost	109.69	33.15	86.74	32.38
चालू सेवा लागत / Current Service cost	36.11	20.16	32.33	17.59
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-
अंतरित देयता आगम / (निर्गम) / Liability Transferred In/(Out)	-	-	-	-

(₹ करोड़) (In Crores)

	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014		यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013	
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(60.36)	(27.76)	(44.70)	(21.81)
बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain)/loss	(0.66)	(30.48)	291.41	3.63
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	**1414.34**	**396.87**	**1329.56**	**401.80**
ख) b) योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:				
वर्ष के आरंभ (1 अप्रैल 2013) में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year (April 1, 2013)	1155.76	402.40	920.37	302.09
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	98.24	35.01	80.99	26.58
नियोक्ता का अंशदान (निवल) / Employer's contributions (net)	241.29	0.02	201.46	87.89
अन्य कंपनी से अंतरण / Transfer from other company	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(60.36)	(27.76)	(44.70)	(21.81)
बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	10.81	1.77	(2.36)	7.65
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**1445.74**	**411.44**	**1155.76**	**402.40**
ग) c) दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान और योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	1414.34	396.87	1329.56	401.80
भविष्य में अभिनिर्धारित /उपबंधित की जाने वाली परिवर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/provided in future	-	-	-	-
31 मार्च 2014 को लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at March 31, 2014	1414.34	396.87	1329.56	401.80
31 मार्च 2014 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at March 31, 2014	1445.74	411.44	1155.76	402.40

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) (In Crores)

		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014		यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013	
	अधिशेष / (घाटा) Surplus/(Deficit)	**31.40**	**14.57**	**(173.80)**	**0.60**
घ) d)	**31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year ended March 31, 2014**				
	सेवा लागत / Service cost	36.11	20.16	32.33	17.59
	ब्याज लागत / Interest cost	109.69	33.15	86.74	32.38
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ / Expected return on plan assets	(98.24)	(35.01)	(80.99)	(26.58)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि / Net Actuarial (gain)/loss	(11.47)	(32.25)	293.77	(4.02)
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान निर्धारित परिवर्ती देयता Transitional liability recognized during the year	-	-	-	-
	उपर्युक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**36.09**	**(13.95)**	**331.85**	**19.37**
	अलिखित बीमांकिक देयता पर अधिक निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not witten back	**31.40**	**14.55**	**-**	**-**
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की कुल लागत Actual cost to P & L for the year	**67.49**	**0.60**	**331.85**	**19.37**
ङ) e)	**31 मार्च 2014 तक परिसंपत्तियों की श्रेणी Category of Assets as at March 31, 2014**				
	भारत सरकार की परिसंपत्तियां / Government of India Assets	726.48	-	626.70	-
	कॉरपोरेट बांड / Corporate Bonds	593.91	-	327.78	-
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds		402.39	-	402.39
	अन्य / Others	125.35	9.05	201.28	0.01
	कुल / Total	**1445.74**	**411.44**	**1155.76**	**402.40**

(₹ करोड़) (In Crores)

		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014		यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013	
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:**				
बट्टा दर / Discount rate		9.27%	9.31%	8.25%	8.00%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर / Rate of return on plan assets		8.70%	8.70%	8.50%	8.70%
वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate		5.75%	5.75%	5.00%	5.00%
ह्रास दर Attrition Rate	5 या अधिक वर्षों की सेवा के लिए For Service 5 Years & Above	1.45% प्र.व. / p.a	1.45% प्र.व. / p.a	4.21% p.a	4.21% p.a
	5 से कम वर्ष की सेवा के लिए For Service less than 5 Years	2.55% प्र.व. / p.a	2.55% प्र.व. / p.a	4.21% p.a	4.21% p.a
मृत्यु दर Mortality Rate		भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्युदर (2006-2008) अंतिम Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्युदर (2006-2008) अंतिम Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

iii. अन्य दीर्घावधि लाभ / Other long term benefits

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित/ विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते हैं. प्रति वर्ष अधिकतम 15 दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है.

Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

कर्मचारी अशक्तता सहायता के पात्र हैं, जिसे अशक्तता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.

Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.

Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन अनुमानित यूनिट-क्रेडिट पद्धति से किया गया है और वर्ष के दौरान ₹ 8 76 81 हजार (₹ 56 88 75 हजार) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.

Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 8 76 81 Thousand (₹ 56 88 75 Thousand) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)

SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक ने कारोबार खंड का प्राथमिक खंड के रूप में प्रकटन किया है. चूंकि बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक के बारे में यह माना गया है कि यह केवल देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

The Bank has disclosed business segment as the primary segment. The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

(₹ करोड़) (In Crores)

विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2014 Year Ended March 31, 2014	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 Year Ended March 31, 2013
खंड राजस्व Segment Revenue		
कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	25282 19 92	24493 98 94
खुदरा बैंकिंग / Retail banking	19626 15 10	18070 22 66
ट्रेजरी / Treasury	399 34 12	471 10 76
अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations		
कुल / TOTAL	**45307 69 14**	**43035 32 36**
घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	15731 42 34	14751 51 74
परिचालनों से निवल बिक्री / आय Net sales / income from operations	29576 26 80	28283 80 62
खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax		
कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	1903 03 47	2372 41 64
खुदरा बैंकिंग / Retail banking	-334 60 23	143 02 48
ट्रेजरी / Treasury	172 70 42	106 32 54
अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations		
कुल / TOTAL	**1741 13 66**	**2621 76 66**
अविनिधानीय व्यय / Unallocable expenditure		
अविनिधानीय आय / Unallocable income		
घटाएं:अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income		
कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax	**1741 13 66**	**2621 76 66**
आय कर / Income taxes	619 73 39	739 68 29
निवल लाभ / Net profit	**1121 40 27**	**1882 08 37**
खंड परिसंपत्तियां / Segment assets		

(₹ करोड़) (In Crores)

विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2014 Year Ended March 31, 2014	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 Year Ended March 31, 2013
कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	219277 63 87	217129 50 10
खुदरा बैंकिंग / Retail banking	98695 99 89	83990 09 95
ट्रेजरी / Treasury	7391 68 25	18605 41 60
अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations		
अविनिधानीय परिसंपत्तियां / Unallocated assets	3631 30 93	3043 49 41
कुल परिसंपत्तियां / Total assets	**328996 62 94**	**322768 51 06**
खंड देयताएं / Segment liabilities		
कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	161237 12 35	174230 44 72
खुदरा बैंकिंग / Retail banking	143143 94 77	126488 70 89
ट्रेजरी / Treasury	976 70 00	814 10 00
अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations		
अविनिधानीय देयताएं / Unallocated liabilities	1741 84 77	1791 79 21
कुल देयताएं / Total liabilities	**307099 61 89**	**303325 04 82**

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / Related Party Disclosures (AS-18)

i. सहायक संस्थाएं / Subsidiaries

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि. / IDBI Capital Market Services Ltd.

आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. / IDBI MF Trustee Company Ltd.

आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. / IDBI Asset Management Company Ltd.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. / IDBI Trusteeship Services Limited.

ii. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था / Jointly controlled entity

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि. / IDBI Federal Life Insurance Co Ltd.

iii. बैंक के प्रमुख प्रबंध कार्यपालक / Key management personnel of the Bank

श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2013 तक)

Shri R.M. Malla, Chairman & Managing Director (up to May 31, 2013)

श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05 जुलाई 2013 से)

Shri M.S. Raghavan, Chairman & Managing Director (w.e.f. July 05, 2013)

श्री बाल कृष्ण बत्रा, उप प्रबंध निदेशक

Shri Bal Krishan Batra, Deputy Managing Director

श्री मेल्विन रेगो, उप प्रबंध निदेशक (30 अगस्त 2013 से)

Shri Melwyn Rego, Deputy Managing Director (w.e.f. August 30, 2013)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. पक्षकार जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन किए गए

Parties with whom transaction were entered into during the year

लेखांकन मानक (एएस) 18 के परिच्छेद 9 के अनुसार ''सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों'' के संबंध में संबद्ध पक्षकार संबंधी किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है. साथ ही एएस 18 के परिच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंध कार्यपालकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेन-देनों का प्रकटन नहीं किया गया है.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of relatives of Key Management Personnel.

v. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन / शेषराशियां / Transactions/balances with related parties:

(₹ '000 में) (₹ in '000s)

विवरण / Particulars	संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम Jointly controlled entity	प्रमुख प्रबंध कार्यपालक Key Management Personnel	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां Deposits Received	7 07 00 (3 68 23)	36 78 (31 42)	7 43 78 (3 99 65)
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	30 56 88 (34 81 88)	1 56 55 (41 84)	32 13 43 (35 23 72)
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	34 85 38 (34 81 88)	1 72 36 (52 89)	36 57 74 (35 34 77)
निवेश Investments	384 00 00 (384 05 00)	- (-)	384 00 00 (384 05 00)
दिए गए अग्रिम Advances given	- (-)	- (-)	- (-)
बकाया अग्रिम Advances outstanding	- (-)	18 29 (22 98)	18 29 (22 98)
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	- (-)	22 98 (24 68)	22 98 (24 68)
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on advances	- (-)	2 11 (2 35)	2 11 (2 35)
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	- (-)	- (14)	- (14)
जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	3 32 60 (3 58 35)	6 50 (4 62)	3 39 10 (3 62 97)
पारिश्रमिक Remuneration	- (-)	60 49 (36 95)	60 49 (36 95)
अन्य आय Other income	45 84 52 (45 35 24)	- -	45 84 52 (45 35 24)
वर्ष के दौरान लाभ/ हानि का हिस्सा Share of profit/-loss during the year	38 45 64 (-5 17)	- (-)	38 45 64 (-5 17)

5. पट्टा (एएस-19) LEASES(AS-19)

परिचालनगत पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ आवास और एटीएम, जिसे बैंक के विकल्प पर निरस्त किया जा सकता है या निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे, का समावेश है.

Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines (ATMs), which are either cancellable at the option of the Bank or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसन योग्य/ निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ - हानि लेखे में ₹ 213,43,28 हजार (₹ 187,41,29 हजार) का प्रभार लगाया गया.

During the year ₹ 213 43 28 Thousand (₹ 187 41 29 Thousand) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/payable on cancellable/non-cancellable operating lease.

तुलन पत्र की तारीख तक निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टों के संबंध में भविष्य में पट्टे की न्यूनतम चुकौती का सारांश निम्नलिखित है:

The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at balance sheet date are summarized as under:

(₹ '000 में) (₹ in '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
एक वर्ष से कम नहीं / Not Later than one year	1 58 47.67	-
एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम Later than one year but not later than five years	-	-

6. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20) EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (₹ '000 में) Net profit considered for EPS calculation (₹ in '000s)	1121 40 27	1882 08 37
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	14011 19 943	12804 99 037
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	42 593
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	14011 19 943	12805 41 630
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	8.00	14.70
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	8.00	14.70
प्रति ईक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

क. समय में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित परिसंपत्तियों एवं आस्थगित देयता का घटक नीचे दिया गया है:

a. The Component of Deferred Assets and Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ '000 में) (₹ in '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2014	31 मार्च 2014 को शेष राशियां As at March 31, 2014	31 मार्च 2013 को शेष राशियां As at March 31, 2013
आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability			
अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	5 42 32	54 37 59	48 95 27
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं संचालित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	364 93 47	364 93 47	-
कुल (क) Total (A)	**370 35 79**	**419 31 06**	**48 95 27**
आस्थगित कर परिसंपत्ति / Deferred Tax Asset			
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत न किए गए एनपीए प्रावधान NPA provisions not allowed under Income tax Act, 1961	571 47 27	1715 33 88	1143 86 61
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Restructured Advances	110 31 73	592 83 95	482 52 22
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (आईए) आदि के अंतर्गत शामिल न किए गए Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-tax Act, 1961	(42 93 33)	108 20 43	151 13 76
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती द्वारा व्यय की पूर्ति Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	1 26 20	1 26 20	-
कुल (ख) / Total (B)	**640 11 87**	**2417 64 46**	**1777 52 59**

(₹ '000 में) (₹ in '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2014	31 मार्च 2014 को शेष राशियां As at March 31, 2014	31 मार्च 2013 को शेष राशियां As at March 31, 2013
आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति) (निवल) (क)-(ख) **Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)**	**(269 76 08)**	**(1998 33 40)**	**(1728 57 32)**
अलग-अलग विवरण / Breakup:			
लाभ एवं हानि खाते पर प्रभारित आस्थगित कर **Deferred tax charged to Profit & Loss Account**	**(549 72 05)**	**-**	**-**
आरक्षित निधि के प्रति समायोजित आस्थगित कर [नोट 7(बी) देखें] **Deferred tax adjusted against reserve [Refer note 7 (b)]**	**279 95 97**	**-**	**-**
निवल आस्थगित कर / Net Deferred Tax	**(269 76 08)**	**-**	**-**

ख. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता

b. Deferred Tax Liability on Special Reserve created under section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961

बैंक, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार कर में कटौती के लिए लाभ के विनियोजन द्वारा विशेष आरक्षित निधि का सृजन करता है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 दिसंबर 2013 के अपने परिपत्र के माध्यम से बैंकों को, विवेकपूर्ण विषय के रूप में, विशेष आरक्षित निधि में बकाया राशि पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन करने के लिए सूचित किया था. रिज़र्व बैंक के इन दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने 31 दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाही के दौरान आरक्षित निधि को घटाकर, 31 मार्च 2013 तक बकाया विशेष आरक्षित निधि पर ₹ 279.96 करोड़ की आस्थगित कर देयता का सृजन किया है. यदि इस राशि को भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया होता, तो वर्ष के लिए लाभ की राशि में उतनी ही राशि कम होती.

The Bank creates Special Reserve through appropriations of profits, in order to avail tax deductions as per section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Reserve Bank of India, though its circular dated December 20, 2013, had advised banks to create deferred tax liability (DTL) on the amount outstanding in Special Reserve, as a matter of prudence. In accordance with these RBI guidelines, during the three months ended December 31, 2013, the bank created DTL of ₹ 279.96 crore on Special Reserve outstanding at March 31, 2013, by reducing the reserves. Had this amount been charged to the Profit & Loss Account in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for the year would have been lower by such amount.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

8. संयुक्त उद्यम (ए एस 27) / JOINT VENTURES (AS-27)

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित ₹ 384 करोड़ (₹ 384 करोड़) शामिल हैं.

Investments include ₹ 384 Crores (₹ 384 Crores) representing Bank's interest in the following joint venture.

कंपनी का नाम / Name of the Company	निवास का देश Country of Residence	धारिता % Holding %
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरन्स कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत / India	48 %

एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है.

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank`s interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

(₹ '000 में) (₹ in '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 (अलेखापरीक्षित) March 31, 2014 (Unaudited)	31 मार्च 2013 (अलेखापरीक्षित) March 31, 2013 (Unaudited)
देयताएं / Liabilities		
पूंजी एवं रिज़र्व / Capital & Reserves	384 00 00	384 00 00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	77 17 78	85 46 49
कुल / Total	**461 17 78**	**469 46 49**
परिसंपत्तियां / Assets		
नकदी और बैंक शेषराशियां / Cash and Bank Balances	44 46 36	47 96 59
निवेश / Investments	151 17 64	133 08 27
स्थाई परिसंपत्तियां / Fixed Assets	5 00 27	6 57 54
अन्य परिसंपत्तियां / Other Assets	95 74 12	78 58 50
विविध व्यय / संचित हानि / Miscellaneous Expenditure/Accumulated Losses	164 79 39	203 25 59
कुल / Total	**461 17 78**	**469 46 49**
पूंजी वचनबद्धताएं / Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	-	-
आय / Income		
निवेशों से आय/ब्याज आय / Income from Investments/Interest Income	13 50 82	12 47 84
अन्य आय / Other income	25 75 72	2 67
कुल / Total	**39 26 54**	**12 50 51**
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	-	7 23 62
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	84 04	82 75
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	(3 14)	47
कुल / Total	**80 90**	**8 06 84**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) for the Year	**38 45 64**	**4 43 67**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

9. आकस्मिक देयताओं का विवरण / Description of Contingent Liabilities

क्रम. सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावा जिसे कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परणिामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	संघटकों की तरफ से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपनी बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से गारंटियाँ जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्रम. सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
IV	स्वीकृतियाँ, समर्थन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	ग्राहक की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, यह मद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करता है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाता है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक इन संविदाओं का दायित्व अपने ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए भी उठाता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बॉण्ड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. The bank underwrites Credit default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्रम. सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the bank is contingently liable	यह मद बैंक द्वारा अपने सामान्य कारोबार के क्रम में सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में अपनी ओर से जारी की गई गारंटियों को दर्शाती है. This item represents the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity.

* अनुसूची-12 का भी संदर्भ लें, आकस्मिक देयताएं / Also refer Schedule-12- Contingent Liabilities

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटन
B DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

I. पूंजी / Capital

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	विवरण / Particulars	बासेल II के अनुसार As per Basel II		बासेल III के अनुसार As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2013* As at March 31, 2013*
1	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (%) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	लागू नहीं	लागू नहीं	7.78%	-
2	टीयर I पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	8.01%	7.68%	7.79%	-
3	टीयर II पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	5.12%	5.45%	3.89%	-
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) Total Capital ratio (CRAR) (%)	13.13%	13.13%	11.68%	-
5	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in public sector banks	76.50%	71.72%	76.50%	-
6	जुटाई गई इक्विटी पूंजी राशि (₹ करोड़) Amount of equity capital raised (₹ in Crore)	1800	555	1800	-
7	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर I पूंजी राशि; जिसमें Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which	-	850	-	लागू नहीं
	पीएनसीपीएस / PNCPS:	-	-	-	NA
	पीडीआई / PDI:	-	850	-	-
					-

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	विवरण / Particulars	बासेल II के अनुसार As per Basel II		बासेल III के अनुसार As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2013* As at March 31, 2013*
8	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी राशि; जिसमें	-	1505	-	-
	ऋण पूंजी लिखत:	-	1505	-	-
	Amount of Tier 2 capital raised; of which Debt capital instrument:	-	-	-	-
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत: [शाश्वत संचयी] Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative]				
	अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर-संचयी Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative				
	अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)				

* दिनांक 28 मार्च 2013 के रिज़र्व बैंक परिपत्र डीबीओबडी.सं.बीपी.बीसी.88/21.06.201/2012-13 के अनुसार बैंकों को 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बासेल III पूंजी नियमों के तहत गणना किए गए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को प्रकट करना आवश्यक है. तदनुसार, पिछले वर्ष के विवरण लागू नहीं हैं.

in accordance with the RBI circular DBOD.NO.BP.BC.88/21.06.201/2012-13 dated March 28, 2013, banks are required to disclose capital adequacy ratio computed under Basel III capital regulations from the quarter ended June 30, 2013. Accordingly, details for previous year is not applicable.

II. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013
(1)	निवेशों का मूल्य / Value of Investments		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य / Gross Value of Investments		
	(क) भारत में / (a) In India	105021.97	100026.75
	(ख) भारत से बाहर / (b) Outside India	-	-
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provisions for Depreciation		
	(क) भारत में / (a) In India	1248.46	1225.82

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.		मदें / Items	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013
		(ख) भारत से बाहर / (b) Outside India	-	-
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
		(क) भारत में / (a) In India	103773.50	98800.93
		(ख) भारत से बाहर / (b) Outside India	-	-
(2)		निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ़ Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1225.82	1110.96
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add: Provisions made during the year	219.97	371.44
	(iii)	घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	197.33	256.57
	(iv)	अंतिम शेष Closing balance	1248.46	1225.82

III. रेपो लेन-देन / Repo Transactions

(₹ करोड में) (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under repo (Face Value)				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	5.00	3674.72	103.94	NIL
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	105.00	105.00	0.58	NIL
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under reverse repo (Face Value)				

(₹ करोड में) (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	40.00	8060.28	320.16	NIL
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	50.00	750.00	10.00	NIL

टिप्पणी - आंकड़ों में भारतीय रिजर्व बैंक से किए गए एलएएफ एवं एमएसएफ लेन-देन शामिल नहीं हैं.

Note – The figures are excluding LAF & MSF transactions, with Reserve Bank of India.

IV. गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non- SLR Investment Portfolio

1 गैर-एसएलआर निवेश की निर्गमकर्ता संरचना / Issuer composition of Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'below investment grade' securities	'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	2167.54	1054.34	153.74	164.04	341.42
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	18846.37	409.40	12.50	12.50	18473.83
3	बैंक / Banks	766.32	94.60	0.00	0.00	1.82
4	निजी कंपनियां Private Corporates	4826.87	1487.68	736.72	1328.83	2133.37
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / JV	643.70	215.60	0.00	0.00	643.70
6	अन्य / Others	10789.20	10092.56	0.00	0.00	10784.19
	सकल कुल / Gross Total	**38040.00**	**13354.18**	**902.96**	**1510.37**	**32378.33**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov held towards Dep.	1240.89				
	योग / Total	**36799.10**	**13354.18**	**902.96**	**1510.37**	**32378.33**

टिप्पणी: इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां नहीं माना गया है.

Note – Investment in Equities are not treated as unrated securities

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2 गैर-निष्पादक गैर- एसएलआर निवेश / Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	राशि / Amount
प्रारंभिक शेष / Opening balance	853.95
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	82.13
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	39.57
अंतिम शेष / Closing balance	896.51
धारित कुल प्रावधान (निष्पादक गैर- एसएलआर निवेशों के मूल्य में कमी के लिए ₹ 679.82 करोड़ के प्रावधान को छोड़कर) Total provisions held (excludes provision of ₹ 679.82 crore for diminution in the value of performing Non SLR investments.)	561.07

V. प्रतिभूतियों का हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी से/को विक्रय व स्थानांतरण

Sales and transfers of securities to/from Held to Maturity (HTM) category

क. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी से/को विक्रय व स्थानांतरण के मूल्य में (अकाउंटिंग वर्ष के प्रारम्भ में निदेशक मण्डल के अनुमोदन से प्रतिभूतियों का एक बार स्थानांतरण की बैंकों को अनुमति तथा रिज़र्व बैंक को विक्रय पूर्व-घोषणा के तहत खुला बाजार परिचालन नीलामी छोड़कर) वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य की 5% वृद्धि नहीं हुई है.

a. During the year ended March 31, 2014, the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding one time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year and sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions) have not exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year.

ख. दिनांक 23 अगस्त 2013 के रिजर्व बैंक परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 41/21.04.141/2013-14 के अनुसार रिजर्व बैंक ने बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों को एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरण की अनुमति दी. तदनुसार, बैंक ने ₹ 849.31 करोड़ अंकित मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियाँ एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित की है तथा ₹ 16.84 करोड़ के उक्त स्थानांतरण के परिणामस्वरूप लाभ-हानि खाते में हानि दर्ज की गई.

b. In terms of RBI circular DBOD.BP.BC. No. 41/21.04.141/2013-14 dated August 23, 2013, as a one-time measure, RBI permitted the Banks to transfer SLR securities from AFS/HFT category to HTM category. Accordingly, the Bank has transferred SLR securities with face value of ₹ 849.31 crore from AFS category to HTM category and has recognised a resulting loss from the said transfer of ₹ 16.84 crore in the Profit and Loss Account for the year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VI. एसजीएल बाऊंसिंग की घटना पर प्रकटन / Disclosure on instance of SGL bouncing

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म के बाऊंसिंग की तारीख Date of bouncing SGL form	एसजीएल बाऊंसिंग की राशि (₹ करोड़) Amount of Bouncing of SGL (₹ in crore)	टिप्पणी Remarks
2014 (वर्तमान वर्ष) 2014 (current year)	31.05.2013	5.06	चूंकि लेनदेन के दिन बैंक के पास पर्याप्त प्रतिभूतियाँ उपलब्ध थीं, रिजर्व बैंक के द्वारा कोई मौद्रिक दंड नहीं लगाया गया परंतु प्रतिभूतियों में कमी उन्हें समय पर एसजीएल खाते में स्थानांतरित न करने के कारण हुई. No monetary penalty has been imposed by RBI since securities were adequately available with the bank on the day of transaction but the shortfall in security occurred due to non-transferring of the security to SGL account on time.
2013 (विगत वर्ष) 2013 (Previous year)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VII. डेरिवेटिव / Derivatives

1. वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप / Forwards Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014		यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	9323.65	26903.76	8758.56	31372.70
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	70.92	251.71	193.63	91.71
(iii)	स्वैप करने के बाद बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण ((क) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (a) below)	-	-	-	-
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	(87.45)	(54.80)	168.94	(35.70)

(क) 31 मार्च 2014 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों का ऋण जोखिम का संकेंद्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण सहायता) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण सहायता का 57.25%(71.54%) है.

a. Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31 2014 is at 57.25 % (71.54 %) of the total current exposure from Corporate Clients to the bank.

ख. यथा 31 मार्च 2014 को स्वैप की प्रकृति और शर्तें निम्नानुसार हैं;

b. The nature and terms of the Swap as on March 31, 2014 are set out below:

प्रकृति Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	113	6,992.59	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Receivable v/s floating payable
ट्रेडिंग Trading	102	6862.01	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Payable v/s floating receivable
ट्रेडिंग Trading	51	1,731.00	मिफोर MIFOR	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Receivable v/s floating payable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

प्रकृति Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	33	1,175.00	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Payable v/s floating receivable
ट्रेडिंग Trading	16	4,414.61	एसआईआरएस SIRS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Receivable v/s floating payable
ट्रेडिंग Trading	26	4,939.52	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Payable v/s floating receivable
ट्रेडिंग Trading	5	428.23	सीआईआरएस CIRS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Receivable v/s floating payable
ट्रेडिंग Trading	5	360.80	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Payable v/s floating receivable
हेज Hedge	5	250.00	सीआईआरएस CIRS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Receivable v/s floating payable
हेज Hedge	3	289.81	सीआईआरएस CIRS	Fixed Payable v/s floating receivable
हेज Hedge	4	210.00	सीआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Receivable v/s floating payable
हेज Hedge	5	1983.19	एसआईआरएस SIRS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Payable v/s floating receivable
हेज Hedge	8	6590.65	एसआईआरएस (डीआईएफसी) SIRS (DIFC)	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Receivable v/s floating payable

यथा 31 मार्च 2013 को स्वैप की प्रकृति और शर्तें निम्नानुसार हैं ;

The nature and terms of the Swaps on March 31, 2013 are set out below :

प्रकृति Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	136	10,125	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Received v/s floating payable
ट्रेडिंग Trading	139	10,019	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Payable v/s floating receivable
ट्रेडिंग Trading	22	775	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Payable v/s floating receivable
ट्रेडिंग Trading	53	1,773	मिफोर MIFOR	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Received v/s floating payable
ट्रेडिंग Trading	11	2,562	एसआईआरएस SIRS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Received v/s floating payable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

प्रकृति Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	30	3,318	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Payable v/s floating receivable
ट्रेडिंग Trading	12	1,475	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Payable v/s floating receivable
ट्रेडिंग Trading	12	1,325	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्त Fixed Payable v/s floating receivable
हेज Hedge	5	720	सीआईआरएस CIRS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Received v/s floating payable
हेज Hedge	16	710	एसआईआरएस SIRS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Received v/s floating payable
हेज Hedge	9	7,328	एसआईआरएस SIRS	नियत प्राप्त बनाम परिवर्तनीय देय Fixed Received v/s floating payable
		40,131		

2. अ. बाजार में लेन-देन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव

a. Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	लेखा वर्ष के दौरान एक्सचेंज में लेन-देन किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the accounting year	313.90
(ii)	31 मार्च 2014 को एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2014	Nil
(iii)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं , की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil
(iv)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil

2. आ. मुद्रा विशेषताएँ - स्वामित्व

b. Currency Futures - Proprietary

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	लेखा वर्ष के दौरान एक्सचेंज में लेन-देन किये गये अनुमानित मूलधन राशि ब्याज दर डेरिवेटिव Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the accounting year	81.29
(ii)	31 मार्च 2014 को बकाया एक्सचेंज में लेन-देन किये गये अनुमानित मूलधन राशि ब्याज दर डेरिवेटिव Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2014	Nil
(iii)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं , की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil
(iv)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil

3. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन

Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative disclosures

(i) बैंक हेजिंग तथा साथ ही ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं.
The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.

(ii) बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंध विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य महा प्रबंधक हैं. जोखिम प्रबंध विभाग, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.
The Bank has a well defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization structure, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by a Chief General Manager. The Risk Management Department is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with regular reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(iii) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, पीवी01, अंतराल, ग्रीक्स, जोखिम-मूल्य, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.
Risk exposures in derivatives transactions are measured / assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, PV01, gaps, Greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(iv) डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है. जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की उल्लेखनीय लेखा नीतियां'' में दिये गए हैं.
The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

4. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	विवरण Particulars	यथा वर्ष 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014		यथा वर्ष 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional principal amount)				
	(क) (a) हेजिंग के लिए For hedging	2802.37	9323.65	2884.79	8758.00
	(ख) (b) ट्रेडिंग के लिए For trading	16998.31	26903.76	10626.56	31372.70
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट स्थितियां (1) Marked to Market Positions (1)				
	(क) (a) परिसंपत्तियां (+) Assets (+)	1686.25	322.63	578.48	285.34

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	विवरण Particulars	यथा वर्ष 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014		यथा वर्ष 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
	(ख) देयताएं (-) (b) Liability (-)	(1523.28)	(486.93)	(463.45)	(152.11)
(iii)	ऋण जोखिम (2) Credit exposure (2)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	251.04	197.90	-	139.53
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	3409.58	631.09	1779.45	551.12
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01) Likely impact of one percent change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	48.66	314.48	63.15	353.96
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	0.04	2.83	0.67	15.20
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and minimum of 100* PV01 observed during the year				
	हेजिंग पर / On hedging				
	- अधिकतम / Maximum	113.89	403.03	-	357.94
	- न्यूनतम / Minimum	48.66	314.48	-	4.25
	ट्रेडिंग पर / On trading				
	- अधिकतम / Maximum	2.34	26.80	1.78	16.41
	- न्यूनतम / Minimum	0.011978	1.4774	0.00430	0.23

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VIII. परिसंपत्ति गुणवत्ता / Asset Quality

1. गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (ऋण और अग्रिम तथा उन पर उपचित ब्याज)
Non-Performing Asset (Loans & Advances, interest accrued thereon)

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं.	मदें Items	यथा वर्ष 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा वर्ष 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013
(i)	**निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) Net NPAs to Net Advances (%)**	2.48	1.58
(ii)	**एनपीए में उतार - चढ़ाव (सकल) Movement of NPAs (Gross)**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	6449.98	4551.37
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (b) Addition during the year	5706.01	2739.69
	(ग) वर्ष के दौरान कमी (c) Reduction during the year	2195.83	841.08
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	9960.16	6449.98
(iii)	**निवल एनपीए में उतार - चढ़ाव / Movement of Net NPAs**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	3100.36	2910.93
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (b) Addition during the year	2383.25	562.43
	(ग) वर्ष के दौरान कमी/पुनर्वर्गीकरण (c) Reduction /Reclassification during the year	581.31	373.00
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	4902.30	3100.36
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार - चढ़ाव Movement of provisions for NPAs**		
	(मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	3253.39	1640.44
	(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (b) Provisions made during the year	3307.21	2177.25
	(ग) बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (c) Write-off/write back of excess provision	1587.09	564.32
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	4973.51	3253.39
(v)	**रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परिगणित कवरेज अनुपात का प्रावधान Provisioning Coverage Ratio computed in accordance with the RBI guidelines**	64.53%	70.83

2. 31 मार्च 2014 को पुनर्गठन के अधीन ऋण परिसंपत्तियों के विवरण
Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2014

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार / Type of Restructuring		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	परिसंपत्ति का वर्गीकरण Asset Classification		मानक Standard	उप मानक Sub-Standard	संदेहपूर्ण Doubtful	हानि Loss	कुल Total	स्टैंडर्ड Standard	सब-स्टैंडर्ड Sub-Standard	संदेहपूर्ण Doubtful	हानि Loss	कुल Total	स्टैंडर्ड Standard	सब-स्टैंडर्ड Sub-Standard	संदेहपूर्ण Doubtful	हानि Loss	कुल Total	स्टैंडर्ड Standard	सब-स्टैंडर्ड Sub-Standard	संदेहपूर्ण Doubtful	हानि Loss	कुल Total
	विवरण / Details																					
1	वित्त वर्ष के 01 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (आरंभिक आकड़े)* Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	54	4	9	0	67	0	0	0	0	0	235	134	65	1	435	289	138	74	1	502
		बकाया राशि Amount outstanding	5862.79	69.01	222.12	0	6153.92	0	0	0	0	0	5708.46	397.64	1303.70	0.65	7410.46	11571.25	466.65	1525.83	0.65	13564.38
		उस पर प्रावधान Provision thereon	347.45	2.43	17.02	0	366.90	0	0	0	0	0	133.82	1.00	75.79	0.00	210.61	481.27	3.43	92.81	0.00	577.51
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	20	6	3	0	29	0	0	0	0	0	53	7	5	0	65	73	13	8	0	94
		बकाया राशि Amount outstanding	2224.90	303	101.81	0	2629.91	0	0	0	0	0	1352.39	99.94	13.05	0	1465.38	3577.29	403.15	114.85	0.00	4095.29
		उस पर प्रावधान Provision thereon	134.72	8	3.23	0	146.03	0	0	0	0	0	60.66	0.25	0.17	0	61.08	195.38	8.33	3.40	0.00	207.11
3	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित स्टैंडर्ड श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	1				1	0				0	5				5	6				6
		बकाया राशि Amount outstanding	4.61				4.61	0				0	21.03				21.03	25.64				25.64
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0				0	0				0	0.02				0.02	0.02				0.02
4	पुनर्गठित स्टैंडर्ड अग्रिम जो उच्चतम प्रावधानीकरण को आकर्षित करने के लिए बंद कर दिए गए और / या वित्त वर्ष की समाप्ति पर अतिरिक्त जोखिम भार और इसके कारण अगले वित्त वर्ष के आरंभ में पुनर्गठित अग्रिम के रूप में दिखाया जाना आवश्यक नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	6				6	0				0	16				16	22				22
		बकाया राशि Amount outstanding	110.61				110.61	0				0	2197.50				2197.50	2308.11				2308.11
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.03				0.03	0				0	49.58				49.58	49.61				49.61
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन # Downgradations of restructured accounts during the FY#	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers		4	2	0	6		0	0	0	0		11	32	0	43		15	34	0	49
		बकाया राशि Amount outstanding		142.44	129.35	0	271.79		0	0	0	0		151.72	966.91	0	1118.63		294.17	1096	0	1390.42
		उस पर प्रावधान Provision thereon		0.00	0.00	0	0.00		0	0	0	0		0.15	2.68	0	2.83		0.15	2.68	0	2.83
6	वित्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्गठित खाते @ Write-offs of restructured accounts during the FY @	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	1	2	2	5
		बकाया राशि Amount outstanding	0	16.02	0	0	16.02	0	0	0	0	0	0	0	25.29	23.16	48.45	0	16.02	25.29	23.16	64.48
7	वित्त वर्ष के 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (अंतिम आकड़े)* Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers																				
		बकाया राशि Amount outstanding	60	10	8	0	78	0	0	0	0	0	217	19	186	0	422	277	29	194	0	500
		उस पर प्रावधान Provision thereon	6934.43	445.65	284.12	0	7664.20	0.00	0	0	0	0	5521.61	251.75	2014.75	0.00	7788.11	12456.04	697.40	2298.87	0.00	15452.31
		उस पर प्रावधान Provision thereon	455.30	8.08	3.23	0	466.61	0.00	0	0	0	0	176.52	0.40	72.65	0	249.57	631.82	8.48	75.88	0.00	716.18

* मानक पुनर्गठित अग्रिम जो उच्चतम प्रावधानीकरण या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं, के आकड़ों को छोड़कर (यदि लागू हो).

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

सीडीआर के तहत 2 मामले तथा सीडीआर से इतर 113 मामले अवमानक से संदिग्ध श्रेणी में अवनत हो गए.

2 cases under CDR and 113 cases other than CDR were slipped from sub standard to doubtful category

वित्त वर्ष के दौरान 93 मामले वापस लिए गए / पुनः अदा किए गए / पुनः प्रावधानित किए गए / पुनर्संरचना असफल हो गई C43

@ 93 Cases were marked as revoked / repaid / fully provided / restructuring failed / AOD during the FY

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. परिसंपत्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्योरा
Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	मदें Particulars	31 मार्च 2014 वर्ष के लिए For the year March 31, 2014	31 मार्च 2013 वर्ष के लिए For the year March 31, 2013
(i)	खातों की संख्या \ No. of Accounts	91	9
(ii)	एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	550.37	23.70
(iii)	सकल प्रतिफल / Aggregate Consideration	555.81	34.47
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ /(हानि) Aggregate gain/(loss) over net book value	5.44	10.77

4. खरीदी गई गैर-निष्पादक वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्योरा
Details of non-performing financial assets purchased

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	मदें / Items	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
(i)	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. (a) No. of accounts purchased during the year	-	-
	(ख) कुल बकाया राशि (b) Aggregate outstanding	-	-
(ii)	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या (a) Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
	(ख) कुल बकाया राशि (b) Aggregate outstanding	-	-

5. बेची गई गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का ब्योरा / Details of non-performing financial assets sold

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	मदें / Items	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
(i)	बेचे गए खातों की संख्या / No. of accounts sold	-	-
(ii)	कुल बकाया राशि / Aggregate outstanding	-	-
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल / Aggregate consideration received	-	-

6. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान / Provision on Standard Asset

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	मदें / Items	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
(i)	वर्ष के लिए मानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान Provisions towards Standard Assets for the year	173.00	172.00
(ii)	संचयी शेष (तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं व प्रावधान' के अंतर्गत शामिल) Cumulative Balance (included under `Other Liabilities & Provisions' in Schedule 5 to the Balance sheet)	1237.24	1064.24

IX. कारोबार अनुपात / Business Ratios

क्रम सं. SN	मदें / Items	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय$ Interest income as a percentage to working funds$	9.64%	9.64%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.08%	1.24%
3	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	2.06%	2.10%
4	परिसंपत्तियों पर प्रतिफल@/ Return on assets@	0.41%	0.72%
5	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां तथा अग्रिम)# (₹ हजार) Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ in 000's]	246530	256437
6	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार) / Profit per employee [₹ in 000's]	682	1217

$ कार्यशील निधियों का आकलन कुल परिसंपत्तियों के औसत (संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है, जैसा कि वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किया गया है.

Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year.

@ परिसंपत्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् कुल परिसंपत्तियाँ, इनमें संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के संदर्भ में है.
Return on Assets is with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).

प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियाँ एवं अग्रिम) की गणना के प्रयोजन से अंतर बैंक जमाराशियाँ छोड़ दी जाती हैं.
For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances) interbank deposits are excluded.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

X. एक्सपोजर / Exposure

1. रीयल इस्टेट क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

श्रेणी / Category	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
1. प्रत्यक्ष ऋण सहायता / Direct exposure		
(क) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages –		
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	31486.50	24811.02
उपर्युक्त में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम Of above priority sector advances	13924.45	11324.96
(ख) वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र - (b) Commercial Real Estate –		
वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	3534.10	4606.93
उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	449.44	-
(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता- (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
क. आवासीय / a. Residential,	-	-
ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र / b. Commercial Real Estate	-	-
2. अप्रत्यक्ष ऋण सहायता / Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	7631.36	9110.85
कोई अन्य अप्रत्यक्ष ऋण सहायता / Any other - Indirect Exposure	94.26	108.11
कुल / Total	**42746.22**	**38636.91**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2 पूंजी बाजार को ऋण सहायता / Exposure to Capital Market

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	ब्योरा / Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1681.31	1860.87
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या बेजमानती आधार पर अग्रिम Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	446.18	440.66
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	553.80	-
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों / परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है. Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	352.70	492.50

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	ब्योरा / Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	319.98	335.02
(vi)	शेयरों / बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या बेजमानती आधार पर संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के प्रमोटरों के अंशदान को पूरा करने के लिए कॉरपोरेट को मंजूर ऋण Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter`s contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गम के लिए कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में किए गए सभी निवेश इक्विटी के समान समझे जाएंगे. अतः पूंजी बाजार निवेश सीमा (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों) के अनुपालन के लिए इनको हिसाब में लिया जाएगा. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance will the capital market exposure ceiling (both direct and indirect)	248.34	267.23
	पूंजी बाजार में कुल निवेश / Total Exposure to Capital Market	**3602.31**	**3396.28**

3. **जोखिम श्रेणी-वार देश को ऋण सहायता / Risk Category wise Country Exposure**

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2014 को ऋण (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2014	31 मार्च 2014 को धारित प्रावधान Provision held as at March31, 2014	31 मार्च 2013 को ऋण सहायता (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2013	31 मार्च 2013 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2013
नगण्य / Insignificant	3232.03	-	2991.72	-
निम्न / Low	1568.81	-	1284.02	-
मध्यम / Moderate	24.48	-	24.43	-
उच्च / High	-	-	-	-
अति उच्च / Very High	-	-	-	-
नियंत्रित / Restricted	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट / Off-credit	-	-	-	-
कुल / Total	**4825.32**	**-**	**4300.17**	**-**

XI. विवेकपूर्ण ऋण सहायता सीमाएं / Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ताओं तथा समूह उधारकर्ताओं को दी गई बैंक की ऋण सहायता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के भीतर थीं:

During the year ended March 31, 2014, the Bank's exposure to single borrowers and group borrowers were within the prudential exposure limits prescribed by RBI.

एकल / समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2014 को कुल प्रतिबद्ध ऋण सहायता Total Committed Exposure as at March 31, 2014, as % of Capital Fund	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2014 को बकाया राशि Total Outstanding as at March 31, 2014, as % of Capital Fund
(i) **एकल उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower**		
कोई नहीं / Nil	-	-
(ii) **समूह का नाम / Name of the group**		
कोई नहीं / NIL	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XII. लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गये 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं' का विवरण

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provision for depreciation on Investment	180.48	154.71
गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान / Provision towards NPA	1681.30	1612.94
मानक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान / Provision towards Standard Asset	173.00	172.00
पुनर्संरचित परिसंपत्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	485.99	493.08
करों के लिए प्रावधान / Provision made towards Taxes	1169.45	1518.51
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	(549.72)	(778.82)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	1392.68	382.65
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Other Provision and Contingencies	26.81	21.10
कुल / Total	**4559.99**	**3576.17**

XIII. अप्रतिभूत अग्रिम / Unsecured Advances

उन अग्रिमों की कुल राशियां जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं शून्य है तथा 31 मार्च 2014 को अमूर्त प्रतिभूतियों का समरुप प्रभार पर अनुमानित मूल्य शून्य था.

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ Nil and the estimated value of intangible security as on March 31, 2014 is ₹ Nil

XIV. अस्थायी प्रावधान / Floating Provisions

क्रम सं. SN	विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
1	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष Opening balance in the floating provisions account	-	-
2	लेखा वर्ष के दौरान किये गए अस्थायी प्रावधानों की राशि The quantum of floating provisions made during the year	-	-
3	लेखा वर्ष के दौरान आहरण में कमी की राशि Amount of draw down during the year	-	-
4	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष Closing balance in the floating provisions account	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XV. आरक्षित निधियों से आहरण / Draw Down from Reserves

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 दिसंबर 2013 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.77/ 21.04.018/ 2013-14 के निबंधनों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि पर ₹ 279.96 करोड़ की आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) का सृजन किया जो आरक्षित निधियों को कम करते हुए मार्च 2013 तक दावाकृत तथा अनुमत थे (पिछले वर्ष कोई नहीं).

In terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated December 20, 2013, during the year, the Bank has created a Deferred Tax Liability (DTL) of ₹ 279.96 Crores on Special Reserve under Section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961, claimed and allowed till March 2013, by reducing the Reserves (previous year ₹ Nil).

XVI. शिकायतों/ अधिनिर्णयों का प्रकटन / Disclosure of Complaints/Awards

1. ग्राहक शिकायतें (इसमें बॉण्डों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं)

Customer Complaints (Includes complaints related to Bonds)

क्रम सं. SN	विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
(i)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	933	1181
(ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	52118	62948
(iii)	वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	52164	63196
(iv)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	887	933

2. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय / Awards passed by the Banking Ombudsman

क्रम सं. SN	विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
(i)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented awards at the beginning of the year	-	-
(ii)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	3	3
(iii)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards implemented during the year	3	3
(iv)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the end of the year	.	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. एटीएम से लेन देन संबंधी ग्राहकों की शिकायतें
Customer Complaints on Account of ATM Transactions

क्रम सं. SN	विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
(i)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	400	765
(ii)	वर्ष के आरंभ में प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	65350	81647
(iii)	वर्ष के आरंभ में निपटायी गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	65472	82012
(iv)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	278	400

XVII. प्रतिभूतिकरण / Securitisation

क. 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा ऋणों के किसी समूह को प्रतिभूतिकृत नहीं करवाया.

a. During the year ended March 31, 2014, the Bank has not securitized any pools of retail loans.

बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों का विवरण नीचे दिया गया है :

The detail of securitisation activity of the Bank is given below :

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013
प्रतिभूतिकृत की गई ऋण परिसंपत्तियों/ प्रतिभूतिकृत किये गये खुदरा ऋणों के समूहों की कुल संख्या Total number of loan assets securitized/Pools of retail loans securitized	-	-
प्रतिभूतिकृत ऋण परिसंपत्तियों का कुल बही मूल्य Total book value of loan assets securitized	-	-
प्रतिभूतिकृत ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल Sale consideration received for the securitized assets	-	-
प्रतिभूतिकरण के कारण निवल लाभ/ (हानि) Net gain / (loss) on account of securitization	-	-
निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त सेवाओं का विवरण: Details of services provided by way of :		
बकाया ऋण वृद्धि (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) Outstanding credit enhancement (second loss credit facility)	184.29	48.64
बकाया चलनिधि सुविधा* / Outstanding liquidity facility *	-	210.36
बकाया शोधन देयता / Outstanding servicing Liability	-	-

* प्रत्यक्ष समनुदेशन के मामलों के लिए ₹ शून्य (₹ 204.69 करोड़) सहित, जिनमें से ₹ शून्य (₹ 183.78 करोड़) गारंटी के रूप में हैं.
* Includes ₹ Nil (₹ 204.69 Crore) for direct assignment cases of which ₹ Nil (₹ 183.78 Crore) is in the form of a guarantee.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख. प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया गया है.

b. There are no SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions.

ग.

c.

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	सं./ ₹ करोड़ में राशि No. / Amount in ₹ crore
1.	प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या* No of SPVs sponsored by the bank for securitisation transactions*	
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर सहित पालन हेतु बैंक द्वारा प्रतिधारित ऋण सहायता की कुल राशि Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	क./a. तुलन पत्र से इतर ऋण सहायता /Off-balance sheet exposures	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	
	ख./b. तुलन पत्र ऋण सहायता / On-balance sheet exposures	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	
4.	एमआरआर के अतिरिक्त प्रतिभूतिकृत संव्यवहारों हेतु ऋण सहायता की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	
	क. a तुलन पत्र से इतर ऋण सहायता / Off-balance sheet exposures	
	i स्वयं प्रतिभूतिकृत हेतु ऋण सहायता / Exposure to own securitizations	
	पहली हानि / First loss	कोई नहीं
	अन्य / Others	
	ii थर्ड पार्टी प्रतिभूतिकरण ऋण सहायता / Exposure to third party securitisations	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	
	ख. b तुलन पत्र ऋण सहायता / On-balance sheet exposures	
	i स्वयं प्रतिभूतिकरण हेतु ऋण सहायता / Exposure to own securitisations	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	
	ii थर्ड पार्टी प्रतिभिकृत ऋण सहायता / Exposure to third party securitisations	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XVIII. बैंक ने वर्ष के दौरान कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है. (पिछले वर्ष शून्य)

The bank has not issued any letter of comfort during the year (Previous year ₹ NIL).

XIX. बैंकाश्योरेंस कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क तथा पारिश्रमिक

Fees and Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2013
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	47.69	45.35
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	4.55	3.87
	52.24	**49.22**

XX. वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक केवाईसी/ एएमएल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुपालन में कुछ कमी पाए जाने पर ₹ एक करोड़ का दंड लगाया गया है (पिछले वर्ष के लिए कुछ नहीं) तथा अधिग्रहण विनियमों एवं पीआईटी विनियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा ₹ दो लाख का दंड लगाया है (पिछले वर्ष के लिए कुछ नहीं). दोनों दंडो का भुगतान संबंधित प्राधिकरण को कर दिया गया है.

During the year a penalty of ₹ one crore has been imposed by Reserve Bank of India for certain deficiencies observed in compliance to the RBI instructions on KYC/AML (Previous year ₹ Nil) and a penalty ₹ two lakh by Securities Exchange Board of India for violation of Takeover Regulations and PIT Regulations (Previous year ₹ Nil). Both the penalties have been paid to the respective authorities.

XXI. परिसंपत्ति देयता प्रबंध / Asset Liability Management

परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (यथा 31 मर्च 2014)

Maturity Pattern of certain items of assets & liabilities (as at March 31, 2014)

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

	पहला दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक व 1वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि (1) Deposits(1)	1,700.09	7,358.82	4,811.37	8,237.02	26,266.81	33,562.66	51,967.22	69,584.65	12,161.75	20,123.24	2,35,773.63
अग्रिम Advances(1)	1,886.95	3,083.73	2,243.82	1,229.35	9,033.89	6,346.42	12,037.39	81,330.55	27,884.51	52,609.39	1,97,686.00
निवेश Investments	2,954.98	5,176.73	7.37	1,216.18	1,329.07	5,846.32	6,498.55	15,363.35	14,421.60	50,959.35	1,03,773.50
उधार (1) Borrowings (1)	228.00	893.67	-	239.25	3,529.38	5,179.06	8,156.69	12,991.16	11,288.09	17,640.99	60,146.29

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

	पहला दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक व 1वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (2) Foreign Currency Assets (2)	4,665.73	6,455.19	1,416.76	203.99	12,962.99	8,286.80	6,105.09	9,361.23	3,453.93	5,608.90	58,520.62
विदेशी मुद्रा देयताएं (3) Foreign Currency Liabilities (3)	2,942.28	4,020.74	1,500.95	1,040.90	12,348.99	8,623.11	10,032.25	6,592.83	6,398.50	2,946.68	56,447.22

1. विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
   includes foreign currency balances.
2. ₹33703.32 करोड़ की समतुल्य विदेशी मुद्रा - रुपया क्रय-विक्रय परिसंपत्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
   includes foreign currency – Rupee buy-sell assets equivalent to ₹ 33703.32 Crore and foreign currency advances.
3. ₹ 31629.92 करोड़ की समतुल्य विदेशी मुद्रा - रुपया क्रय-विक्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार राशियां शामिल हैं.
   includes foreign currency – Rupee sell – buy swap liabilities equivalent to ₹ 31629.92 Crore and foreign currency deposits and borrowings

XXII. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा गैर -निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण

Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

1 जमाराशियों का संकेंद्रण / Concentration of Deposits

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	41017.43	47637.91
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	17.40%	20.98%

2 अग्रिमों का संकेंद्रण / Concentration of Advances

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	66929.50	73070.67
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	16.29%	18.06%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3 एक्सपोजर का संकेंद्रण / Concentration of Exposures

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
बीस बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल ऋण सहायता Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	67671.24	73888.60
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को बैंक की कुल ऋण सहायता में बीस बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को ऋण सहायता का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	15.07%	17.09%

4 एनपीए का संकेंद्रण / Concentration of NPAs

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
चार शीर्ष एनपीए खातों को कुल ऋण सहायता Total Exposure to top four NPA accounts	2080.56	1311.34

XXIII क्षेत्रवार एनपीए / Sector-wise NPAs

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

क्रम सं. SN	क्षेत्र Sector	उस क्षेत्र में सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Gross Advances in that sector	
		31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture & allied activities	11.24	7.19
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम तथा वृहद) Industry (Micro & small, Medium and Large)	5.51	3.15
3	सेवाएं / Services	7.40	2.89
4	वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	1.18	1.28

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIV एनपीए में उतार-चढ़ाव / Movement of NPAs

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
सकल एनपीए 1 अप्रैल 2013 तक (आरंभिक शेष) Gross NPAs as on 1st April, 2013 (Opening Balance)	6449.98	4551.37
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए) / Additions (Fresh NPAs) during the year	5706.00	2739.69
उप-जोड़ (अ) / Sub-total (A)	**12155.98**	**7291.06**
घटाएं :- / Less :-		
(i) उन्नयन / Upgradations	36.79	207.29
(ii) वसूलियां (उन्नत किये गए खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	766.35	251.14
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण/ बट्टे खाते डाली गई राशि Technical/Prudential/Write-offs	516.92	367.49
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावे बट्टे खाते डाली गई राशि Write-offs other than those under (iii) above	875.76	15.16
उप-जोड़ (आ) / Sub-total (B)	**2195.82**	**841.08**
31 मार्च 2014 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March, 2014 (Closing Balance) (A-B)	**9960.16**	**6449.98**

XXV. बट्टे खाते डाली गई राशि का तकनीकी स्टॉक तथा उन पर निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार की गई वसूलियाँ.

Stock of technical write-offs and the recoveries made thereon as per the format below.

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
1 अप्रैल 2013 को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते का प्रारम्भिक शेष Opening Balance of Technical/Prudential written-off accounts as at 01st April, 2013	3794.69	3886.12
समायोजित: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते ADD: Technical/Prudential write-offs during the year	463.02	557.73
जोड़ (अ) / Sub-total (A)	**4257.71**	**4443.84**
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूलियाँ (आ) Less: Recoveries made from previously Technical/Prudential written-off accounts during the year (B)	606.60	649.15
31 मार्च 2014 को अंतिम शेष (अ-आ) Closing Balance as at 31st March, 2014 (A-B)	**3651.11**	**3794.69**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXVI. समुद्रपारीय परिसंपत्तियां, एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
कुल परिसंपत्तियां / Total Assets	24 100.78	19 517.86
कुल एनपीए / Total NPAs	10.89	-
कुल राजस्व / Total Revenue	1 050.09	605.53

XXVII. प्रायोजित एसपीवी जो तुलन पत्र में शामिल नहीं हैं (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी के नाम / Name of the SPV sponsored	
देशी / Domestic	विदेशी /Overseas
शून्य /NIL	शून्य / NIL

XXVIII. ऋण चूक स्वैप / Credit Default Swaps

बैंक एफ़आईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक कर्व और उनकी सीडीएस पोजीशनों के मूल्यांकन हेतु दैनिक गणना पद्धति के अनुसार सीडीएस संविदाओं के बाज़ार मूल्य को बही में दर्ज करने के लिए मानक मॉडल का प्रयोग करता है. एफ़आईएमएमडीए इस प्रयोजन के लिए दैनिक आधार पर सीडीएस कर्व प्रकाशित करता है.

The Bank is using standard model for marking to market the CDS contracts as per FIMMDA published daily CDS curve and day count convention to value their CDS positions. FIMMDA is publishing the CDS curves for this purpose on daily basis.

ग. अन्य प्रकटन

C OTHER DISCLOSURES

1 कर्मचारियों की स्टॉक ऑप्शन योजना (ईसॉप) / EMPLOYEES' STOCK OPTION SCHEME (ESOP)

i. शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसरण में यथा संशोधित ईसॉप के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 1,31,98,965 ऑप्शन (1,31,98,965 ऑप्शन) मंजूर किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

In terms of the ESOP, as amended, pursuant to the approval of the shareholders, 1 31 98 965 options (1 31 98 965 options) granted to eligible employees as detailed herein below:

समाप्त वर्ष / Year Ended	मंजूर ऑप्शनों की संख्या / Number of Options Granted
31 मार्च 2001 / March 31, 2001	16 76 951
31 मार्च 2002 / March 31, 2002	25 54 352
31 मार्च 2003 / March 31, 2003	32 77 542
31 मार्च 2004 / March 31, 2004	21 47 669
31 मार्च 2005 / March 31, 2005	19 58 451
31 मार्च 2006 / March 31, 2006	8 85 000
31 मार्च 2008 / March 31, 2008	6 99 000
कुल / Total	**1 31 98 965**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. ऑप्शनों के ब्योरे / Detail of Options:

मंजूरी की तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य (₹) Exercise Price (₹)	31 मार्च 2013 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as at March 31, 2013	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2014	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यपगत Lapsed During the year ended March 31, 2014	31 मार्च 2014 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2014	31 मार्च 2014 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2014	
							प्रयुक्त Exercised	व्यपगत Lapsed
श्रृंखला - I : 22 अगस्त, 2000 Tranche I : August 22, 2000	83,317	26.64	-	-	-	-	83,317	-
श्रृंखला - II : 1 अक्तूबर, 2000 Tranche II : October 1, 2000	14,26,035	28.49	-	-	-	-	9,63,171	4,62,864
श्रृंखला - III : 1 जनवरी, 2001 Tranche III : January 1, 2001	1,67,599	30.54	-	-	-	-	1,28,867	38,732
श्रृंखला - IV : 1 अप्रैल, 2001 Tranche IV : April 1, 2001	21,34,225	29.73	-	-	-	-	15,97,867	5,36,358
श्रृंखला - V : 1 अक्तूबर, 2001 Tranche V : October 1, 2001	4,20,127	26.2	-	-	-	-	2,97,219	1,22,908
श्रृंखला - VI : 1 अप्रैल 2002 Tranche VI : April 1, 2002	32,23,415	23.88	-	-	-	-	25,04,118	7,19,297
श्रृंखला - VII : 1 दिसंबर 2002 Tranche VII : December 1, 2002	54,127	28.5	-	-	-	-	47,881	6,246
श्रृंखला - VIII : 1 अप्रैल 2003 Tranche VIII : April 1, 2003	21,47,669	30.3	-	-	-	-	15,03,876	6,43,793
श्रृंखला - IX : 1 अप्रैल 2004 Tranche IX: April 1, 2004	16,41,549	50.95	-	-	-	-	9,83,721	6,57,828
श्रृंखला -X : 1 जुलाई 2004 Tranche X : July 1, 2004	3,16,902	58.06	-	-	-	-	2,81,691	35,211
श्रृंखला - XI : 1 अप्रैल 2006 Tranche XI : April1, 2006	8,85,000	98.11	99,180	5,075	46,325	47,780	2,27,697	6,09,523
श्रृंखला - XII : 25 अगस्त 2007 Tranche XII : Aug 25, 2007	6,99,000	75.7	1,85,495	19,825	57,900	1,07,770	2,52,145	3,39,085

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2 अन्य / Others

i (क) वर्ष के दौरान भारत सरकार को 30 दिसंबर 2013 को प्रति शेयर ₹ 56.38 (₹ 92.17) प्रीमियम पर कुल ₹1800 करोड़ (₹555 करोड़) की राशि के लिए 2711 66 013 (543 21 230) इक्विटी शेयर (10 रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले) आबंटित किए गए.

(a) During the year, 27 11 66 013 (5 43 21 230) Equity Shares (Face Value ₹ 10 per share) were allotted to Government of India on preferential basis on December 30, 2013 at a premium of ₹ 56.38 (₹ 92.71) per share, aggregating an amount of ₹ 1800 Crore (₹ 555 Crore).

(ख) वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा ईसॉप का प्रयोग किए जाने पर 24 900 (45 455) इक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया.

(b) 24 900 (45 455) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised by the employees.

ii. यथा 31 मार्च 2014 को चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना, 2007 के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता की स्थिति निम्नानुसार है:

Status for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007 as at 31st March, 2014 is as under:

(₹ करोड़) (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
वर्ष के दौरान दावा की गई कुल राशि Total amount claimed during the year	-	51.59
वर्ष के दौरान प्राप्त कुल राशि Total amount received during the year	6.80	44.77
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत अग्रिम Advances classified as Standard Asset in terms of RBI Guidelines	यथा मार्च 2013 को सभी 17 खाते बंद थे. As on March 2013 all 17 accounts were closed.	

iii. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत 'उद्यमों' की स्थिति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम नहीं है जिसके प्रति बैंक की ओर से कोई देयता बकाया हो जोकि 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक अवधि की हो, अतः वर्ष के अंत तक उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त/ देय ब्याज सहित अप्रदत्त राशियों का प्रकटन नहीं किया गया है. (पिछले वर्ष शून्य)

Based on the information to the extent received from 'enterprises' regarding their status under the 'Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006' there is no micro, small & medium enterprise to which the bank owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at March 31, 2014 and hence no disclosure relating to amounts unpaid as at the year ended together with interest paid/payable

as required under the said act is given (previous year Nil).

iv. पूंजीगत खाता पर निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं के संबंध में अनुमानित राशि (अग्रिमों को घटाकर), जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया ₹ 338 35 35 हजार (विगत वर्ष ₹ 155 38 59 हज़ार).

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 338 35 35 Thousand (₹ 155 38 59 Thousand).

v. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं, और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यस्थित किया गया है.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped / rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

1 से 18 लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director &
Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2014 / Date : April 30, 2014

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2014

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	31-3-2014 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31-03-2014	31-3-2013 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31-03-2013
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. Cash flow from Operating Activities		
(1) **कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ** **Net profit before tax and extra-ordinary items**	1741 13 66	2621 77 66
(2) **गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन:** **Adjustments for non cash items:**		
- अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) - (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	1 90 41	41 04
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व घटाकर) - Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	113 16 71	124 12 08
- प्रावधान / ऋणों के बट्टे खाते डालना / निवेशों तथा अन्य प्रावधान - Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	3970 32 38	2847 24 58
- निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) - Profit/ (Loss) on revaluation of Investments	99 29	(38 82 47)
	5827 52 45	**5554 72 89**
(3) **परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन:** **Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
- निवेश / - Investments	(5171 50 87)	(15741 44 57)
- अग्रिम / - Advances	(4952 13 19)	(18233 58 86)
- अन्य परिसंपत्तियां / - Other Assets	(363 67 60)	(749 65 21)
(4) **परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन:** **Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
- उधार राशियां / - Borrowings	(5662 58 06)	12331 22 97
- जमा राशियां / - Deposits	8657 15 80	16623 91 39
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / - Other liabilities and provisions	1146 73 85	1199 04 03
(5) **करों की वापसी / भुगतान** **Refund/ (payment) of taxes**	(1487 50 88)	(1330 25 26)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net Cash used in/generated from Operating activities**	**(2005 98 50)**	**(346 02 62)**
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. Cash Flow from Investing activities		
- अचल परिसंपत्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) - Purchase (net of sale) of fixed assets	(222 93 34)	(122 15 64)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त या से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Investing activities**	**(222 93 34)**	**(122 15 64)**

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2014

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	31-3-2014 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31-03-2014	31-3-2013 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31-03-2013
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
C. Cash Flow from Financing activities		
- ईक्विटी शेयरों का निर्गम / - Issue of Equity Shares	1800 28 20	555 47 35
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / - Dividend and dividend tax paid	(677 97 77)	(220 41 92)
वित्तपोषण कार्यकलापों से प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**1122 30 43**	**335 05 43**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	**(1106 61 41)**	**(133 12 83)**
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य / OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	17924 52 35	18057 65 18
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य / CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**16817 90 94**	**17924 52 35**
नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष / Cash & Balances with Reserve Bank of India	12711 11 34	10543 94 99
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice	4106 79 60	7380 57 36
कुल / Total	**16817 90 94**	**17924 52 35**

जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.
Figures for the previous period have been regrouped, wherever considered necessary.

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 105146W
FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 100515W
FRN - 100515W

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ़-117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ़-121546)
Partner (F-121546)

(एम. ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director &
Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2014 / Date : April 30, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति
निदेशक मंडल,
आईडीबीआई बैंक लि.

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) और इसकी सहायक संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यम (जिन्हें सामूहिक रूप से 'समूह' के नाम से जाना जाता है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2014 के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं. यह लेखा-परीक्षा इस प्रकार नियोजित व संचालित की गई कि विभिन्न प्रोसेसिंग केंद्रों / क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं में उपलब्ध रेकॉर्डों तथा बैंक के 77% अग्रिमों व 78% जमाराशियों को शामिल करते हुए केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीय बैंकिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से जनरेट हुई रिपोर्टों को शामिल किया जा सके तथा इसके अंतर्गत बैंक के 69 केंद्रों / कार्यालयों / शाखाओं का निरीक्षण किया गया. उक्त वित्तीय विवरणों में बैंक की दुबई शाखा की विवरणियां शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन ज़िम्मेदार है, जिनमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के साथ पढ़ी जानेवाली बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया गया है. इस ज़िम्मेदारी में वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में डिज़ाइन, कार्यान्वयन व आंतरिक नियंत्रण का अनुरक्षण शामिल है, जो किसी

To
The Board of Directors
IDBI Bank Limited

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of IDBI Bank Limited ('the Bank'), its subsidiaries, associate and Joint Venture (Collectively known as 'the group'), which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2014 and the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The audit was planned and conducted as to cover records available at various processing centers/ regional offices/ branches and reports generated through centralized banking applications at central office level and visit at 69 centers/offices/branches of the Bank, covering 77% of Advances and 78% of Deposits of the Bank. Incorporated in the said financial statements are the returns of the Dubai branch of the Bank, audited by another auditor.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that gives true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank in accordance with provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with section 211 of the Companies Act, 1956 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements

भी भौतिक अयथार्थ कथन से, चाहे वह धोखे से हो या गलती से, मुक्त है.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

3. हमारी ज़िम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. हमने बैंक की शाखाओं और केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सहित लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार की थी. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में कोई भौतिक अयथार्थ कथन नहीं है.

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रिया का पालन करना शामिल है. यह चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी भौतिक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी व निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं ताकि इन परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया रूपांकित की जा सके. लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखाकंन सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के अलावा समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है.

राय

6. हमारी राय तथा श्रेष्ठ जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तथा संयुक्त उपक्रमों के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण एवं उपर्युक्त पैरा 5,6 एवं 7 में उल्लिखित सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उपक्रमों व शाखा

that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit of the Bank including its branches and central processing unit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and on the consideration of reports of other auditors on separate financial statements and on consideration of the unaudited financial statement of Joint Venture and other relevant financial information of the

लेखापरीक्षकों की संबंधित वित्तीय जानकारी पर विचार करने के बाद उक्त समेकित वित्तीय विवरण व उनकी टिप्पणियाँ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 में यथाअपेक्षित जानकारी पूर्णतः उस रूप में उपलब्ध कराते हैं जैसी कि बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपेक्षित है तथा यह भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हैं:

(क) समेकित तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 को समूह के कामकाज की समेकित स्थिति.

(ख) समेकित लाभ-हानि लेखे के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ; और

(ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के समूह का नकदी प्रवाह.

मामले का महत्व

7. हम अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 8 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जो बैंक के एक संयुक्त उपक्रम के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में है, जो 31 मार्च 2014 के अनुसार ₹ 2,963,839 हजार की परिसंपत्तियों में बैंक के अंश को, ₹ 392,654 हजार के राजस्व में बैंक के अंश को तथा उस तारीख को ₹ 11,969 हजार के नकदी बहिर्प्रवाह को दर्शाती है. इस मामले में हमारी राय अर्हता-प्राप्त नहीं है.

अन्य मामले

8. हमने बैंक की पाँच सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2014 को ₹ 5,560,047 हजार की कुल परिसंपत्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2,499,082 हजार रुपये के कुल राजस्व और ₹ 274,386 हजार के नकदी प्रवाह दर्शाते हैं,. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमने बैंक के वित्तीय

Subsidiaries/ Joint Ventures and branch auditors referred to in para 5, 6 and 7 above, the said consolidated financial statements together with notes thereon give full information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 1956, in the manner so required for banking companies and give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) in the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2014;

(b) in the case of the consolidated Profit and Loss Account, of the profit of the Bank for the year ended on that date; and

(c) in the case of the consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Bank for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to note no 8 of schedule 18 regarding incorporation of unaudited financial statements of a joint venture of the Bank which reflect Bank's share in assets of ₹ 2,963,839 thousand as at March 31, 2014, the Bank's share of revenue of ₹ 392,654 thousands and of cash out flow of ₹ 11,969 thousand for the year then ended. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Other Matters

8. We did not audit the financial statement and other financial information of five Subsidiaries of the Bank, whose financial statement as at March 31, 2014 reflects total assets aggregating ₹ 5,560,047 thousand, total revenues aggregating ₹ 2,499,082 thousand and cash flows aggregate ₹ 274,386 thousand for the year then ended. These financial statements have been audited by another auditor, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for

विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उसका आधार लिया है. इस मामले में हमारी राय अर्हता-प्राप्त नहीं है.

9. हमने बैंक की दुबई शाखा के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2014 को ₹ 241,007,883 हजार की कुल परिसंपत्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए ₹ 10,500,926 हजार के कुल राजस्व और ₹ 2,781,475 हजार के नकदी प्रवाह दर्शाते हैं. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त शाखा के निगमन के देश में लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् योग्यता प्राप्त अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमने बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उसका आधार लिया है. इस मामले में हमारी राय अर्हता-प्राप्त नहीं है.

कृते **खीमजी कुंवरजी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 105146W

गौतम वी. शाह
साझेदार (एफ-117348)

कृते **जी.डी. आप्टे एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या: 100515W

सौरभ एस. पेशवे
साझेदार (एफ-121546)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2014

our opinion on the financial statements of the Bank. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

9. We did not audit the financial statement of the Dubai branch of the Bank, whose financial statement as at March 31, 2014 reflects total assets of ₹ 241,007,883 thousand, total revenues of ₹ 10,500,926 thousand and cash flows of ₹ 2,781,475 thousand for the year then ended. These financial statements have been audited by another auditor, duly qualified to act as an auditor in the country of incorporation of the said branch, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for our opinion on the financial statements of the Bank. Our opinion is not qualified inrespect of this matter.

For **Khimji Kunverji & Co**
Chartered Accountants
FRN: 105146W

Gautam V Shah
Partner (F–117348)

For **G D Apte & Co**
Chartered Accountants
FRN: 100515W

Saurabh S Peshwe
Partner (F–121546)

Mumbai
April 30, 2014

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च 2014 को
Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2014

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	1603 93 93	1332 74 83
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	22027 79 87	19868 50 73
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' Stock Options (Grants) Outstanding		44 67	76 89
अल्पसंख्यक ब्याज Minority Interest		43 63 88	36 39 23
जमाराशियां / Deposits	3	235572 84 22	226889 97 94
उधार राशियां / Borrowings	4	60146 29 04	65808 87 10
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	9563 27 42	8728 92 93
कुल TOTAL		**328958 23 03**	**322666 19 65**
परिसंपत्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	12714 60 70	10548 65 10
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय Balances with banks and money at call and short notice	7	4134 23 64	7411 12 33
निवेश / Investments	8	103419 09 53	98432 90 88
अग्रिम / Advances	9	197686 00 36	196306 44 79
अचल परिसंपत्तियां / Fixed assets	10	2999 52 17	2945 54 51
अन्य परिसंपत्तियां / Other assets	11	8004 76 63	7021 52 04
कुल / TOTAL		**328958 23 03**	**322666 19 65**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	188203 69 98	180683 52 02
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		8337 95 21	7157 05 03
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 105146W
FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 100515W
FRN - 100515W

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ़-117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ़-121546)
Partner (F-121546)

(एम. ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director &
Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2014 / Date : April 30, 2014

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2014

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended 31-03-2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended 31-03-2013
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	26608 13 86	25075 66 13
	अन्य आय / Other Income	14	3112 10 80	3333 96 30
	कुल / TOTAL		**29720 24 66**	**28409 62 43**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	20558 15 03	19674 10 56
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	3387 80 48	3211 97 00
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		4608 09 49	3617 25 45
	कुल / TOTAL		**28554 05 00**	**26503 33 01**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / Net Profit for the year		1166 19 66	1906 29 42
	घटाएं: सहायक संस्थाओं में हानि का अंश /Share of Loss in Associate		-	4 48 84
	घटाएं: अल्पसंख्यक ब्याज / Minority Interest		14 46 15	12 90 10
	समूह लाभ / GROUP PROFIT		**1151 73 51**	**1888 90 48**
	आगे ले जाया गया लाभ / Profit brought forward		547 78 82	325 49 80
	कुल / TOTAL		**1699 52 33**	**2214 40 28**
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		281 00 00	470 82 93
	पूंजी रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		9 31 79	191 81 86
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		402 75 04	161 55 90
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन निर्मित और बरकरार विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		250 00 00	300 00 00
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		44 10 83	466 46 18
	अन्तरिम लाभांश / Interim Dividend		116 29 01	-
	इसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		1 15	64
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		31 22 64	75 93 95
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		564 81 87	547 78 82
	कुल / TOTAL		**1699 52 33**	**2214 40 28**

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2014

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended 31-03-2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended 31-03-2013
प्रति शेयर उपार्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(6)		
मूल / Basic		8.22	14.75
न्यूनीकृत / Diluted		8.22	14.75
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ - हानि लेखा के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 105146W
FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 100515W
FRN - 100515W

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ़-117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ़-121546)
Partner (F-121546)

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director &
Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2014 / Date : April 30, 2014

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 1 -पूंजी **SCHEDULE 1 - CAPITAL**		
प्राधिकृत पूंजी **Authorised capital**		
₹ 10 प्रत्येक के 300 00 00 000 (300 00 00 000) इक्विटी शेयर 300 00 00 000 (300 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	3000 00 00	3000 00 00
	3000 00 00	**3000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 133 27 48 347 (160 39 39 260) इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 टिप्पणी ग.2 (i) देखें) 160 39 39 260(133 27 48 347) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 Note C.2 (i))	1603 93 93	1332 74 83
कुल / TOTAL	**1603 93 93**	**1332 74 83**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	2520 00 02	2049 17 09
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	281 00 00	470 82 93
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	2801 00 02	**2520 00 02**
II पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	586 82 70	395 00 84
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	9 31 79	191 81 86
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	596 14 49	**586 82 70**
III पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी क.1 देखें) Opening balance (Refer Schedule 18 Note A.1)	1762 78 10	1853 92 65
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	49 94 44	91 14 55
	1712 83 66	**1762 78 10**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV शेयर प्रीमियम / Share Premium		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	8149 66 46	7648 55 78
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1529 09 11	501 10 68
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	9678 75 57	**8149 66 46**
V राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve		
(क/a) **सामान्य रिज़र्व / General Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	5150 08 48	4988 43 84
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	402 75 60	161 64 64
वर्ष के दौरान कटौतियां (अनुसूची 18 टिप्पणी अ. 7 ख देखें) Deductions during the year (Refer Schedule 18 Note A.7.b)	279 95 97	-
	5272 88 11	**5150 08 48**
(ख/b) **स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	29 01 11	29 01 11
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	29 01 11	**29 01 11**
(ग/c) **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	6 35 04	**6 35 04**
(घ/d) **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1116 00 00	816 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	250 00 00	300 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	1366 00 00	**1116 00 00**
VI लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss account	564 81 87	547 78 82
कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**22027 79 87**	**19868 50 73**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूचियां 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	4083 91 46	3086 53 83
(ii) अन्य से / From others	20876 26 23	30147 09 33
	24960 17 69	33233 63 16
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**28334 05 38**	**23760 29 10**
III. मीयादी जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	24129 07 05	23757 13 15
(ii) अन्य से / From others	158149 54 10	146138 92 53
	182278 61 15	169896 05 68
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**235572 84 22**	**226889 97 94**
ख B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां Deposits of branches in India	234786 62 28	225580 31 02
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	786 21 94	1309 66 92
कुल / TOTAL	**235572 84 22**	**226889 97 94**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
(ii) अन्य बैंक / Other banks	976 70 00	814 10 00
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies	-	-
(iv) टीयर I (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	2558 80 00
(v) अपर टीयर II बांड / Upper Tier II bonds	4286 20 00	4286 20 00
(vi) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	10279 80 00	10295 70 00
(vii) अन्य / Others *	19167 10 72	25436 57 23
II. भारत के बाहर उधार राशियां / Borrowings outside India	23727 68 32	22417 49 87
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**60146 29 04**	**65808 87 10**

ऊपर I और II में शामिल सुरक्षित उधार राशियां - ₹ 10475 32 29 हजार (₹ 14210 81 96 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 10475 32 29 Thousand (₹ 14210 81 96 Thousand)

* ₹ 850 00 00 हजार (शून्य) के बेमीयादी ऋण लिखत शामिल.
* Includes Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 Thousand (Nil)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल / Bills Payable	1627 53 37	910 50 56
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	8 63 62	1 26 96
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	1930 03 48	2290 60 04
IV अन्य (प्रावधान सहित) Others (Including Provision)		
(क) (a) मानक परिसंपत्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	1237 23 52	1064 23 52
(ख) (b) प्राप्त अग्रिम भुगतान Advance payments received	681 79 41	684 51 53
(ग) (c) देय लाभांश तथा लाभांश कर Dividend and dividend tax payable	53 04 44	544 80 89
(घ) (d) विविध लेनदार Sundry Creditors	272 70 86	331 58 42
(ङ) (e) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर Service tax/TDS/Other taxes payable	43 31 19	65 55 70
(च) (f) विविध जमाराशियां Sundry Deposits	20 87 60	25 84 28
(छ) (g) अन्य प्रावधान Other provisions	1943 58 20	1523 21 68
(ज) (h) विविध Miscellaneous	1744 51 73	1286 79 35
कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**9563 27 42**	**8728 92 93**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1388 96 68	1373 92 50
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खातों में in Current Accounts	11325 64 02	9174 72 60
(ii) अन्य खातों में in Other Accounts	-	-
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**12714 60 70**	**10548 65 10**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31-03-2013
अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**		
भारत में / In India		
(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	394 52 08	483 43 93
(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	342 25 70	69 63 70
(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास (a) with banks	-	3191 52 95
(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	-	-
	736 77 78	**3744 60 58**
भारत से बाहर / Outside India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	99 90 20	90 43 55
(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	3181 48 65	3490 52 55
(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	116 07 01	85 55 65
	3397 45 86	3666 51 75
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**4134 23 64**	**7411 12 33**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		यथा 31-03-2014 को As at 31-03-2014	यथा 31-03- 2013 को As at 31-03-2013
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	67035 18 30	71230 85 50
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
(iii)	शेयर / Shares	3113 66 90	3522 37 82
(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	14151 35 23	6086 88 18
(v)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	25 50 00	25 50 00
(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी और आरआईडीएफ जमा) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs, SIDBI, NABARD, NHB and RIDF Deposit)	19093 39 10	17567 29 38
		103419 09 53	**98432 90 88**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	-	-
(ii)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**103419 09 53**	**98432 90 88**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	104667 55 68	99658 73 29
	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	1248 46 15	1225 82 41
	निवल निवेश / Net investments	**103419 09 53**	**98432 90 88**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	-	-
	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less:Aggregate provision / depreciation	-	-
	निवल निवेश / Net investments	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31-03-2014 को As at 31-03-2014	यथा 31-03- 2013 को As at 31-03-2013
अनुसूची 9 - अग्रिम SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क A.		
(i) खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	4883 77 75	4618 84 86
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	52098 53 31	50884 64 54
(iii) मीयादी ऋण / Term loans *	140703 69 30	140802 95 39
कुल TOTAL	**197686 00 36**	**196306 44 79**
ख B.		
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत / Secured by tangible assets **	186371 97 67	181535 66 48
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** Covered by Bank / Government guarantees***	2023 25 45	524 48 81
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	9290 77 24	14246 29 50
कुल TOTAL	**197686 00 36**	**196306 44 79**
ग C.		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	41191 44 82	34412 51 86
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	5507 56 38	10473 46 71
(iii) बैंक / Banks	109 31 85	352 76 56
(iv) अन्य / Others	133073 53 67	139381 22 99
कुल TOTAL	**179881 86 72**	**184619 98 12**
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य : / Due from others:		
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	133 86 97	201 29 62
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	2233 30 50	2086 16 00
(ग) अन्य (c) Others	15436 96 17	9399 01 05
कुल TOTAL	**17804 13 64**	**11686 46 67**
कुल (ग I और ग II) GRAND TOTAL (C I and C II)	**197686 00 36**	**196306 44 79**

* ₹ 3100 00 00 हजार (₹ 12956 000 हजार) निवल का अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं.
* Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ 3100 00 00 Thousand (₹ 1295 60 00 Thousand)
** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
** Includes advances against book debts
*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
*** Includes advances against letter of credit issued by banks.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	यथा 31-03-2014 को As at 31-03-2014	यथा 31-03- 2013 को As at 31-03-2013
अनुसूची 10 - अचल परिसंपत्तियां SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी क.1 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note A.1)		
प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	2764 22 95	2758 14 20
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	27 51 47	6 23 40
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year *	30 03	14 65
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	419 94 85	358 89 17
	2371 49 54	**2405 33 78**
II अन्य अचल परिसंपत्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	1325 63 78	1219 54 54
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	196 78 05	133 79 92
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	19 31 36	27 70 68
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	896 85 38	803 28 83
	606 25 09	**522 34 95**
III पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियां Assets given on Lease		
प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	601 81 79	643 55 77
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
पट्टा समायोजन लेखा / Lease Adjustment account	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	41 73 98
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	-	-
IV चालू पूंजीगत कार्य Capital Work-in-Progress	21 77 54	17 85 78
कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**2999 52 17**	**2945 54 51**

* परिसर की बिक्री पर शून्य (₹ 9.80 हजार) का पुनर्मूल्यन रिज़र्व शामिल है.
* Includes Revaluation Reserve of Nil (₹ 9 80 Thousand) on sale of Premises

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		यथा 31-03-2014 को As at 31-03-2014	यथा 31-03- 2013 को As at 31-03-2013
अनुसूची 11 - अन्य परिसंपत्तियां SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS			
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2466 43 99	2087 69 32
III	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	1712 58 36	1375 67 15
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	12 89	12 34
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियां Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	81 45 18	55 08 00
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	2000 36 52	1730 22 94
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares / Bonds Pending allotment	511 37 40	40 40 19
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	84 72 65	89 54 34
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	299 04 92	278 05 84
	(ड़) दबावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय / संवितरण (e) Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	2 87 76	8 91
	(च) विविध (f) Miscellaneous	845 76 96	1364 63 01
	कुल (I से VI) TOTAL (I to VI)		
	TOTAL (I to VI)	**8004 76 63**	**7021 52 04**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		यथा 31-03-2014 को As at 31-03-2014	यथा 31-03- 2013 को As at 31-03-2013
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES			
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	114 57 99	106 97 66
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	47103 54 52	36088 97 25
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	51269 99 93	58917 40 82
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	5132 25 41	4746 02 38
IV	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	27313 00 22	26027 96 11
V	ब्याज दर के संबंध में देयता और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	50329 91 09	52698 32 24
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	5670 35 15	954 27 72
VII	विवादित आयकर, ब्याज, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	1264 54 19	1138 73 93
VIII	अन्य Others	5 51 48	4 83 91
	कुल (I से VIII) TOTAL (I to VIII)	**188203 69 98**	**180683 52 02**

आकस्मिक देयताओं के विवरण के लिए अनुसूची 18 टिप्पणी 8 देखें.
Refer Schedule 18 Note 8 for description of Contingent Liabilities

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		31-03-2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED			
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest/discount on advances/bills	20257 31 81	19549 28 95
II	निवेशों से आय / Income on investments	6075 02 73	5335 46 54
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	105 59 88	158 63 94
IV	अन्य / Others	170 19 44	32 26 70
	कुल (I से IV) TOTAL (I to IV)	**26608 13 86**	**25075 66 13**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		31-03-2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 14 - अन्य आय SCHEDULE 14 - OTHER INCOME			
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1961 57 44	2343 74 11
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	527 07 37	394 76 85
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	7 48 78	42 23 83
IV	भूमि, भवन, तथा अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(2 01 56)	(51 26)
V	विनिमय लेन - देनों / डेरिवेटिवों पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	348 58 98	193 37 94
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	-	-
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	130 17 36	237 55 48
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	139 22 43	122 79 35
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**3112 10 80**	**3333 96 30**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		31-03-2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED			
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	15447 28 33	15266 86 45
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / inter bank borrowings	1491 32 51	1276 00 95
III	अन्य / Others	3619 54 19	3131 23 16
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**20558 15 03**	**19674 10 56**

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		31-03-2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES			
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1600 59 95	1742 88 07
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	307 82 64	285 19 09
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	46 79 74	41 29 95
IV	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	43 32 95	20 07 41
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास * Depreciation on bank's property *	116 59 89	128 33 74
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's fees, allowances and expenses	55 90	24 60
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय Auditor's fees and expenses	2 38 11	2 83 47
VIII	विधि प्रभार Law charges	12 14 45	13 83 00
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि Postage, telegrams, telephones etc.	94 41 02	69 37 92

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

		31-03-2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES			
X	मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	209 10 95	162 36 60
XI	बीमा Insurance	192 69 32	147 63 36
XII	अन्य Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	47 78 73	54 92 32
	(ख) कार्ड और एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	217 59 75	199 03 35
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	6 25 45	7 33 25
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	4 62 51	4 90 57
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	134 41 00	20 76 94
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	20 83 57	18 56 01
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	33 38 15	31 02 18
	(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	48 25 98	51 05 48
	(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	5 05 70	5 47 33
	(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing		
	(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	34 07 63	70 69 67
	कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	209 07 09	134 12 69
	TOTAL (I to XII)	**3387 80 48**	**3211 97 00**

* ₹ 41 84 07 हजार (₹ 41 84 18 हजार) के पुनर्मूल्यन रिज़र्व निवल को घटाकर

* Net of revaluation reserve of ₹ 41 84 07 thousand (₹ 41 84 18 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 – CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 तैयार करने का आधार / Basis of Preparation

समूह के वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, बीमा अधिनियम, 1938, कंपनी अधिनियम, 1956 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इकाई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) को पूरा करती हैं तथा इन्हें भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः लागू प्रथाओं के अनुरूप कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथासंशोधित) द्वारा अधिसूचित किया गया है. बैंक लेखांकन की उपचय पद्धति तथा ऐतिहासिक लागत प्रथा का पालन करता है, जब तक अन्यथा रूप से उल्लेखित न किया गया हो.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) & Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, the Companies Act ,1956 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and notified by the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2 समेकन तैयार करना / Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक (एएस)–21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखांकन मानक एएस–23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस–27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी- ''बैंक'') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its subsidiaries/associate / Joint Venture/ as defined in Accounting Standard (AS)-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/associate/joint venture used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2014.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर. (ख) इसके संयुक्त उद्यम की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर. समेकन पर अंतर-समूह लेन-देन हटा दिए गये हैं.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income & expenses. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

मूल संस्था के सहायक संस्थाओं में निवेश की लागत तथा सहायक संस्था की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरणपत्रों में साख / पूँजी रिजर्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the financial statements as goodwill/capital reserve.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल परिसंपत्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यक मानी जा सकने वाली इक्विटी राशि; तथा

(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था - सहायक संस्था संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का आवागमन

(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्रम सं. Sr. No.	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at 31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
क) A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiaries:**			
	1) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. IDBI Capital Market Services Limited.	भारत India	100	100
	2) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IDBI Asset Management Company Limited.	भारत India	100	100
	3) आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited.	भारत India	100	100
क) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं: Non Financial Subsidiary:**			
	1) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत India	100	100
	2) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	भारत India	54.70	54.70
ग) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम Life Insurance Joint Venture:**			
	1) आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited.	भारत India	48	48

आईडीबीआई इंफ्राफिन लि.:

IDBI Infrafin Ltd:

बैंक के निदेशक मंडल ने आईडीबीआई इंफ्राफिन लि. (आईआईएल) नामक एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ) की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है. इसमें 30% इक्विटीधारिता बैंक की रहेगी, जबकि 70 % धारिता बैंकों / वित्तीय संस्थाओं की रहेगी. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंक की 30% इक्विटीधारिता के साथ आईडीएफ की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है. आईआईएल का निगमन 27 फरवरी 2012 को हुआ था.

The Board of Directors of the Bank had approved the proposal for setting up of IDBI Infrafin Ltd. (IIL), an Infrastructure Debt Fund (IDF), with an equity holding of 30%; and balance 70% was to be held by other Banks/ Financial Institutions. Reserve Bank of India (RBI) had also given approval for setting up the IDF with 30% equity holding by the Bank. IIL was incorporated on February 27, 2012.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईआईएल ने कारोबार प्रारम्भ नहीं किया जैसा कि उसे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आईडीबीआई इंफ्राफिन लि. के इक्विटी में सहभागिता के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा थी. तथापि, भारत सरकार ने, आईडीबीआई बैंक द्वारा आईडीएफ़ की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी. आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने इसलिए, 28 फरवरी 2014 को हुई अपनी बैठक में आईआईएल के समापन का प्रस्ताव स्वीकृत किया और आईआईएल को कंपनी के समापन हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. आईआईएल में आईडीबीआई बैंक के निवेश को हमारे बही खाते में ₹ 1 तक घटाया गया है जिसके परिणामस्वरूप आईआईएल को समेकित उद्देश्य के लिए सहयोगी कंपनी बनाने से रोका गया है.

IIL did not commence business as it was awaiting GoI's approval for participation of various Public Sector Banks in the equity of IDBI Infrafin Ltd. GoI has however, not approved the setting up of IDF by IDBI Bank. The Board of Directors of IDBI Bank have, therefore, at its meeting held on February 28, 2014 approved the proposal for winding up of IIL and IIL has been advised to take necessary steps for winding up of the company. The investment of IDBI Bank in IIL has been written down to ₹ 1 in our books consequently IIL ceases to be associate company for consolidation purpose.

3 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाये जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई परिसंपत्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती है. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि आर्थिक फायदों का प्रवाह समूह को होगा तथा राजस्व का परिमाण विश्वश्त रूप से मापा जा सकता है.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

i. ब्याज आय तथा लीज किराये की गणना उपचित आधार पर की जाती है, जबकि गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के मामले में रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

   Interest income is recognized on accrual basis except in the case of nonperforming assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of RBI.

ii. साख पत्र / बैंक गारंटी पर कमीशन की गणना साख पत्र /गारंटी की अवधि में उपचित आधार पर की जाती है.

   Commissions on Letter of Credit (LC)/Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक से हुए करार के अनुसार कार्य की प्रगति के आधार पर लिया जाता है.

   Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय की गणना लिखत की अवधि पर स्थायी प्राप्ति के आधार पर की जाती है.

   Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जब लाभांश की प्राप्ति का अधिकार तय हो जाता है.

   Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन ऋण करार / पुनर्संरचना पैकेज में विनिर्दिष्ट विनियोजन के क्रम के अनुसार किया जाता है.
In case of advances, recovery is appropriated as per the order of appropriation specified in the loan agreement / restructuring package.

vii. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में

In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

क) कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि को निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

a) Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

ख) व्यापार दिनांकों के आधार पर सेकेंडरी मार्केट कार्य पर अर्जन दलाली और कमीशन का निर्धारण होता है. व्यापार दिनांकों के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल कार्य पर दलाली का निर्धारण होता है. विपणन निर्गम और संसाधन जुटाने के विषय में दलाली और कमीशन सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित हैं.

b) Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information.

ग) डिपॉज़िटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग और अन्य शुल्कों की गणना की उपचय आधार पर की जाती है.

c) Depository, Portfolio Management, Investment Banking and other fees are accounted for on accrual basis.

viii. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्युचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत परिसंपत्तियों के प्रतिशत पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्यूमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से ज्यादा न होने पाए.

In case of IDBI Asset Management Ltd, Investment Management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ix. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में

In case of IDBI MF Trustee Company Ltd,

क) ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्युचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत परिसंपत्तियों के प्रतिशत पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्यूमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से ज्यादा न होने पाए.

a) Trusteeship fees are recognized on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ख) आईडीबीआई म्युचुअल फंड की योजनाओं के व्यय की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1996 में विनिर्दिष्ट की गई सीमा से अधिक होने पर अतिरिक्त व्यय की राशि कंपनी वहन करेगी तथा इसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

b) Expenses of the scheme of IDBI Mutual Fund in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996 are required to be borne by the Company as per the said regulations and as such are charged to the Profit and Loss account.

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में समय तथा तात्विक आधार पर मूल्य निर्धारित संविदाओं से प्राप्त राजस्व को उस समय हिसाब में लिया जाता है जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबंधित लागत उपगत किए जाते हैं. उत्पादों की बिक्री से राजस्व को कार्य की प्रगति के आधार पर तथा सहमत शर्तों के अनुसार माल के स्वामित्व के अंतरण पर हिसाब में लिया जाता है. वार्षिक तकनीकी सेवा राजस्व को प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता है. राष्ट्रीय संविदा केंद्र से प्राप्त राजस्व को बिक्री की पुष्टि प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है.

x. In case of IDBI Intech Ltd, Revenue from contracts priced on time and material basis are recognized when services are rendered and related costs are incurred. Revenue from sale of products is recognized on achievement of milestone basis and transfer of property of goods as per agreed terms. Annual Technical Services revenue is recognized proportionately over the period in which the services are rendered. Revenue from National Contact Centre is recognized upon receipt of confirmation of sales.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की कोई बकाया राशि जो विगत किसी वर्ष में बट्टे खाते डाल दी गई हो, यदि वह चालू वर्ष में आय के रूप में उपचित हो जाती हो, तो उसे प्रतिवर्त कर दिया जाता है. लेखांकन नीति में परिवर्तन हुआ है क्योंकि पहले बट्टे खाते डाले जानेवाले अशोध्य ऋण एक वित्तीय वर्ष पूरा होते ही डाल दिए जाते थे.

xi. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amount outstanding against, such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination and current year income accrued, if any, is reversed. There is a change in the accounting policy as the write off of bad debts was previously done after completion of one financial year.

जब अंतिम समाधान अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते समझा जाता है.

Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd

(i) प्रीमियम आय / Premium Income:

गैर-संबंध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

For non-linked business, premium (net of service tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.

संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है.

Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium.

टॉप अप प्रीमियमों को एकल प्रीमियम माना जाता है.

Top up premiums are considered as single premium.

संबद्ध कारोबार के लिए संबद्ध यूनिटों के सृजन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.

For linked business, premium is recognized as income when the associated units are allotted.

(ii) संबद्ध निधि से आय / Income from Linked fund:

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंध शुल्क, नीति प्रशासन शुल्क, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

(iii) निवेशों पर अर्जित आय / Income Earned on Investments:

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय व ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी-पंक्ति आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है.

Interest income on investments is recognized on accrual basis. Accretion of discount and amortization of premium relating to debt securities is recognized over the holding/maturity period on a straight-line basis.

लाभांश आय का निर्धारण तब किया जाता है जब लाभांश प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाए.

Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

सहबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री विचार व परिशोधन का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.

Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

सहबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्युच्युअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री विचार व वहन राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है.

Profit or Loss on sale of equity shares and mutual funds units for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

सहबद्ध कारोबार के लिए धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री विचार व वहन राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.

Profit or loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

(iv) पुनर्बीमा प्रीमियम / Reinsurance premium:

सत्तांतरित पुनर्बीमा की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुए समझौते या सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारित करने के समय हिसाब में ली जाती है. सत्तांतरित पुनर्बीमा का लाभ या कमीशन पुनर्बीमा में अर्पित किए गए प्रीमियम में से घटाया जाता है.

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit or commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

(v) अर्जन लागत / Acquisition Costs:

अर्जन लागतें वे लागतें होती हैं जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये जिस अवधि में वहन की जाती हैं, तभी व्यय की जाती हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

(vi) प्रदत्त लाभ / Benefits Paid:

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ क़ा दावा निपटान, यदि कोई हो, शामिल है.

Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any.

मृत्यु, राइडर एवं अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरवर्ती लाभ दावे व परिपक्वता दावे तब हिसाब में लिए जाते हैं, जब वे देय होते हैं.

Death, rider and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due.

सम्बद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत आहरण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजना में हिसाब में लिए जाते हैं.

Withdrawals under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled.

पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

(vii) बीमांकिक देयता मूल्यांकन / Actuarial liability valuation:

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तमान बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम, 1938, इरडा विनियमन व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रुग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर यूनिट रिजर्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं.

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act 1938, IRDA regulations and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

5 अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए किये गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट / सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि पर प्रभार को 'मूर्त परिसंपत्तियां' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा ऋणी की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ व हानि खाते में निर्धारित किया जाता है.

Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

iv. ऋण और अग्रिमों की पुनर्रचना/पुनर्निर्धारण पर प्रावधान बैंकों द्वारा ऋण और अग्रिमों की पुनर्रचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

v. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की आवश्यकतानुसार बैंक प्रतिचक्रीय सुरक्षा बनाता है, जो बोर्ड के अनुमोदन से, समय-समय पर संशोधित होता है और इसका उपयोग रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत परिस्थितियों और सीमाओं के अंतर्गत करता है.

The Bank makes countercyclical buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board and utilizes the same within the limits and in the circumstances permitted by RBI.

6 निवेश / Investments:

वर्गीकरण / Classification:

रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

i. परिपक्वता तक धारित

Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा

Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित

Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को नियत रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है.

Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियाँ

Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

Other Approved Securities

iii. शेयर

Shares

iv. डिबेंचर तथा बॉण्ड

Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं /संयुक्त उद्यम

Subsidiaries/ Joint Ventures

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vi. अन्य (वाणिजियक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीद व प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, आरआईडीएफ जमा)

Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts & Pass Through Certificate, SIDBI/NABARD/ NHB/RIDF Deposit).

वर्गीकरण का आधार / Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री किए जाने के उद्देश्य से धारित निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उसके बाद उन्हें विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणियों में उन्हें अंतरित किया जाता है.

d) An investment is classified as 'Held to Maturity', 'Available for Sale' or 'Held for Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ड) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries, joint venture are classified as 'Held to Maturity'.

मूल्यांकन / Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में :

In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदी गयी इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में शामिल नहीं किया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत को भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' रखे गये निवेशों को अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है, लेकिन यदि उनका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो, तो परिपक्वता की शेष बची अवधि में उन्हें सीधी पंक्ति आधार पर परिशोधित किया जाता है. निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint venture under this category is provided for each investment individually.

iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों को स्क्रिप-वार अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल ह्रास, यदि कोई हो, को लाभ - हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को छोड़ दिया जाता है.

Investments 'Held for Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) क्रय -विक्रय/उद्धृत किये गये निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्यों अथवा भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges. Government Securities are valued at market prices or prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)

ग) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य विश्लेषित मूल्य/पुनर्खरीद मूल्य अथवा यदि नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध हो, तो निवल परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर अथवा रिजर्व बैंक के तत्संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹ 1 प्रति कंपनी की दर से निकाला जाता है, नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. इस प्रकार के सीमांकन व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

c) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else at ₹ 1 per company and units are valued at repurchase price, as per relevant RBI guidelines. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

घ) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्राप्त हुए निवल परिसंपत्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

d) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ड) अधिमान्य शेयर को अग्रिमों के रूप में माना जाता है तथा ये परिसंपत्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण के उन सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होते हैं, जो अग्रिमों पर लागू हैं.

e) Preference shares are valued at market rates, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ - हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि परिपक्वता पर धारित निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है, उसके बाद वर्ष / अवधि की समाप्ति पर लागू करों को काटकर कैपिटल रिजर्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in Held to Maturity category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.

Investments are shown net of provisions.

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेन / Repo and reverse repo transactions:

रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के तहत रिजर्व बैंक से किए गए लेनदेनों को छोड़कर) रेपो व रिवर्स रेपो के लेनदेन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेनदेन के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं. रेपो लेनदेन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेनदेन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (excluding transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

रिजर्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए रेपो लेनदेन के संबंध में रिजर्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेनदेन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो लेनदेन में रिजर्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेनदेन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय माना जाता है.

In respect of repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of reverse repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as interest income.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd

बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the IRDA (Investment) Regulations, 2000, and various other circulars/notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

निवेशों के खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें उपचित ब्याज को छोड़ कर दलाली और कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

वर्गीकरण / Classification:

तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष इरादे से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं.

Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as short term investments.

अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

मूल्यांकन- शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश

Valuation – shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और तदनुसार परंपरागत लागत अंकित की जाती हैं जो सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता / धारिता अवधि पर प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन है.

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

तुलन पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई') - प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई') द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी,यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्युचुअल फंड यूनिट के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ / हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में लिया जाता है और तुलनपत्र में आगे ले जाया जाता है.

Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि खाते में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यांकित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रासित हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ व हानि खाते में निर्धारित किया जाता है

Any impairment loss is recognized as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognized as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognized impairment loss is recognized in Revenue or Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

मूल्यांकन - संबद्ध कारोबार / Valuation - linked business

सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य आधार पर किया जाता है.

Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

मनी मार्केट लिखतों अर्थात - जमा प्रमाणपत्र , संपार्श्विक उधार तथा उधार लेन-देन संबंधी दायित्व का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो धारिता / परिपक्वता अवधि पर सीधी पंक्ति आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मनी मार्केट लिखतों जैसे - वाणिज्यिक कागजातों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन एफ़आईएमएमडीए से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है तथा इस प्रकार के लिखतों, जिनकी परिपक्वता अवधि 182 दिन या उससे कम शेष है, का मूल्यांकन पिछले मूल्यांकन मूल्य और मोचन मूल्य तथा संबंधित लिखत की शेष परिपक्वता अवधि पर एकसमान पिछले मूल्यांकन मूल्य के बीच के अंतर पर किया जाता है.

Money Market Instruments i.e. Certificate of Deposit, Collateral Borrowing and Lending Obligation are valued at cost, subject to accretion of discount or amortization of premium over the holding/maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued at prices obtained from FIMMDA and such instruments with remaining maturity period of 182 days or less are valued at last valuation price plus difference between the redemption value and last valuation price spread uniformly over the remaining maturity period of the respective instrument.

तुलन पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई') - प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई') - द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना जाता है. म्युच्युअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन विगत दिन के निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी,यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

निवेश पर न लिए गए लाभ / हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.

Unrealized gains/losses on investments are recognized in the respective fund's Revenue Account.

निवेशों का अंतरण / Transfer of investments

निवेशों का शेयरधारकों की निधि से पॉलिसीधारकों की निधि में अंतरण रखाव राशि या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है. तथापि ऋण प्रतिभूति के मामले में सभी अंतरण निवल परिशोधन लागत पर किए जाते हैं. यूनिट संबद्ध निधियों के निवेशों में अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है.

Transfer of investments from Shareholders' Fund to the Policyholders' Fund is at carrying amount or market price, whichever is lower. However in case of debt securities all transfers are carried out at the net amortized cost. Transfer of investments between unit linked funds is done at market price.

7 डेरिवेटिव लेन देन / Derivative Transactions:

'बचाव'(हेज) के रूप में नामित लेनदेनों में :

In Transactions designated as ´Hedge´:

क) डेरिवेटिव लेनदेन पर देय/प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/हानि को स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि या परिसंपत्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर तय किया जाता है.

b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognized over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज लेनेदेनों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Redesignation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज करारों को तब तक बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता है जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए चिह्नित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'क्रय-विक्रय' के रूप में नामित लेनदेनों में / In Transactions designated as 'Trading':

क्रय-विक्रय के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेनदेनों जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं, की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है. ऑप्शनों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्ज किया जाता है और इसे परिपक्वता/निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

विनिमय क्रय-विक्रय मुद्रा फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़') खंड में क्रय-विक्रय के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों जिनमें मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, की गणना उनके उचित मूल्य और टी+1 पर निपटायी गई नकदी पर की जाती है. इन लेन-देनों के फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किया जाता है.

Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit & Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

फ़्यूचर्स एवं ऑप्शन में लेनदेन / Transactions in Futures and Options

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में फ़्यूचर्स कांट्रेक्ट / ऑप्शन बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन राशि एक्सचेंजों में फिक्स्ड डिपॉजिट, नकदी जमा व प्रतिभूतियों के रूप में जमाराशियों से समायोजित की जाती है.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

फ़्यूचर्स कांट्रेक्ट में लेनदेनों को संविदा के कल्पित क्रय-विक्रय मूल्य पर खरीद व विक्रय के रूप में शामिल किया जाता है. तुलन पत्र की तारीख को फ़्यूचर्स में खुले ब्याज में से कल्पित मूल्य कम कर दिया जाता है.

Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

निपटान मूल्य अथवा विगत दिवस के एक्सचेंज के बंद भाव व अगले दिन के एक्सचेंज के बंद भाव के अंतर के कारण एक्सचेंज को अदा की गई या प्राप्त की गई राशि को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में चिह्नित किया जाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते की शेष राशि तुलनपत्र की तारीख तक फ़्यूचर्स कांट्रेक्ट के खुले ब्याज के मूल्य की घटबढ़ के फलस्वरूप अदा की गई या प्राप्त की गई निवल राशि होती है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते की निवल नामे शेष राशि राजस्व को प्रभारित की जाती है, जबकि निवल जमा शेष राशि को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है.

The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

ऑप्शनों के क्रय-विक्रय पर अदा की गई या प्राप्त की गई प्रीमियम तथा ऑप्शन के उपयोग के चलते अदा या प्राप्त की गई अंतर राशि को खरीदी या बिक्री के हिसाब में लिया जाता है. तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बिक्रीत ऑप्शनों के खुले ब्याज के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलनपत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है. तुलन पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे निर्धारित नहीं किया जाता है. इसी प्रकार ऑप्शन खरीदी के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलनपत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है किंतु तुलन पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे अनदेखा किया जाता है. बहुविध खुली स्थिति के मामले में क्रय व विक्रय, दोनों ही स्थितियों में प्रावधान किया जाता है या अतिरिक्त प्रीमियम को अनदेखा किया जाता है.

Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognized. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में प्राथमिक डीलरशिप परिचालनों के संबंध में बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित प्राथमिक राशि में से संबंधित परिसंपत्तियों और देयताओं को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप में लाभ या हानि को संविदा की शर्तों के अनुसार देय तारीख को हिसाब में लिया जाता है.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

8 अचल परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation

बैंक व आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट सर्विसेज लि.

Bank and IDBI Asset Management Ltd

i. अचल परिसंपत्तियों को जहां कहीं पुनर्मूल्यांकित किया गया हो, के अलावा परंपरागत लागत (संस्थापन लागत सहित) पर लिया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई वृद्धि हुई हो तो उसे 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से लाभ - हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Fixed assets are carried at historical cost (inclusive of installation cost) except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the `Revaluation Reserve' Account. In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit and Loss account.

ii. ₹ 5000 से कम लागत की अचल परिसंपत्तियों पर उनके अर्जन के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है.

Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

iii. मूल्यह्रास का प्रावधान परिवर्धन की तारीख से सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) के आधार पर किया जाता है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी मूल्यह्रास की दरों को न्यूनतम दरें माना जाता है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी परिसंपत्ति को अर्जित करते समय उस अचल परिसंपत्ति के अनुमानित जीवन काल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/बाकी उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है. इस नीति के अनुसरण में मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नलिखित दरों के अनुसार किया गया है :

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) from the date of addition. The rates of depreciation prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 are considered as the minimum rates. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

परिसंपत्ति Asset	मूल्यह्रास की दर Depreciation Rate
परिसर / Premises	1.63%
फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स / Furniture and fixtures	8.33%
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	8.33%
मोटर वाहन / Motor vehicles	20.00%
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) / Computers (including integral software)	33.33%
स्वचालित टेलर मशीनें / Automated Teller Machines	12.50%
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	10.00%
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	20.00%

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv. वर्ष के दौरान परिवर्धित/बेची गयी अचल परिसंपत्तियों पर वास्तविक अवधि के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है.

Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

v. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortized over the period of lease.

vi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होती है.

Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lakh is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायक संस्था / Financial and non financial subsidiary

i. बैंक की सहायक संस्थाओं के मामले में मूल्यह्रास बट्टा खाता मूल्य विधि (डब्ल्यूडीवी) से किया जाता है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी मूल्यह्रास दरों को न्यूनतम दरें माना जाता है.

In case of Bank's Subsidiaries, depreciation is provided on Written Down value (WDV) Method. The rates of depreciation prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 are considered as the minimum rates.

ii. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में जिन सॉफ्टवेयर का औचित्य अधिकार कंपनी के पास जारी है, उनकी बिक्री को लागत पर पूँजीकृत किया जाता है. कंप्यूटरों का 60% की दर से डब्ल्यूडीवी पद्धति से मूल्यह्रास किया जाता है. अमूर्त परिसंपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को पाँच वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

In case of IDBI Intech Ltd, the software sold on which propriety rights continue with the company, are capitalized at cost. Computers are depreciated on WDV method at the rate of 60%.Intangible assets (Computer Software) are amortized equally over a period of five years.

iii. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में अमूर्त परिसंपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) और वेब ट्रेडिंग पोर्टल का परिशोधन 3 साल की अवधि में किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप कार्ड 4.75% वार्षिक की दर से परिशोधित किया जाता है.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Intangible Assets (computer software) & web trading portal are amortized over a period of 3 years and Stock Exchange membership card amortized at 4.75% PA.

iv. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राईट्स का प्रयुक्त मूल्य के आधार पर आर्थिक मूल्य का अनुमान लगाता है. कंपनी उन मामलों को छोड़कर जहां इस बात के प्रमाण हों कि उपयोग अवधी कम होगी, 21 वर्ष की अवधि में परिशोधन करती है.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use. The company amortizes it over 21 years unless there is evidence that its useful life is shorter.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd

i. अचल परिसंपत्तियों को लागत में से संचयी मूल्यह्रास कम कर अवस्थित किया जाता है. लागत में क्रय मूल्य की राशि तथा उस परिसंपत्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक हालत में लाने के लिए आई प्रत्यक्ष लागत भी शामिल है. '20,000 (बीस हजार रुपये) तक की परिसंपत्तियों को अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतया मूल्यह्रासित कर दिया जाता है. मूल्यह्रास की दर उपयोग अवधि या कंपनी अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट दरों पर आधारित प्रबंधन के अनुमान से अधिक है. मूल्यह्रास संबंधित परिसंपत्ति की उपयोग अवधि के आधार पर अर्जन की तारीख से बिक्री की तारीख तक आनुपातिक आधार सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) से निकाला जाता है.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. Assets costing up to ₹ 20,000 (Rupees twenty thousands) are fully depreciated in the year of acquisition. The rate of depreciation

is higher of the managements estimate based on useful life or the rates prescribed under the Companies Act. Depreciation is provided using Straight-Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on estimated useful life for each class of asset.

ii. कंपनी भवनों पर 3%, फर्नीचर व फिक्सचर तथा मोटर वाहनों पर 25% की दर से मूल्यह्रास लगाती है, जो कि उपर्युक्त परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए बैंक द्वारा लगाई जानेवाली दरों से भिन्न है.

The company charges depreciation at the rate of 3% on buildings, 25% on furniture & Fixtures & motor Vehicles which is different than the rates adopted by the bank for charging depreciation on the abovementioned assets.

iii. सॉफ्टवेयर समाहित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से परिशोधन घटाकर अवस्थित किया गया है. इन्हें इनके उपयोग की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति द्वारा परिशोधन किया जाता है. सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण सुधारों को पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार का सुधार परिसंपत्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानक प्रदर्शन से अधिक आगामी आर्थिक लाभों को उत्पन्न करने में समर्थ करेगा और इस प्रकार के व्ययों की गणना और उनका आरोपण परिसंपत्ति की विश्वसनीयता पर किया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप हुए व्यय का परिशोधन सॉफ्टवेयर की शेष उपयोग अवधि पर किया जाता है. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट एवं रख-रखाव के व्ययों को अवधि जिसमें वे उपचित किए गए, में राजस्व खाते पर प्रभारित किया जाता है.

Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably. Subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account in the period in which they are incurred

9 प्रतिभूतिकरण लेन-देन / Securitization Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन परिसंपत्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/ प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें परिसंपत्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control of the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

10 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री

Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के शोधन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली पर होने वाले लाभ को लाभ-हानि लेखे में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एससी या आरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा अन्य एसआर/पीटीसी की वसूली से होने वाली हानि/कमी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधानों के तौर पर अलग से दर्शाया जाता है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली से होने वाली हानियों को पूर्ववर्ती लाभों से सृजित प्रावधानों के शेष, यदि कोई हो, में से समायोजित किया जाता है और हानि की शेष राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की जाती है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset. Gains arising on such sale or realization are not recognized in the profit and loss account but earmarked as provisions for meeting the losses/ shortfall arising on sale of other financial assets to SCs/ RCs or sale/ realization of other SRs/ PTCs. Losses arising on such sale or realization are first set off against balance of provisions, if any, created out of earlier gains and residual amount of losses are charged to profit and loss account.

11 विदेशी मुद्रा लेन-देन / Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the profit and loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं की गई हैं, के शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are revalued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are included in the profit and loss account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों,स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को एकीकृत विदेशी परिचालनों में वर्गीकृत किया जाता है. परिसंपत्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average closing rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

12 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, जब अंशदान देय है, को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वानुमानित यूनिट जमा विधि का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में पूरा दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.

For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

13 खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

समूह चार खंडों यथा होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं व अन्य बैंकिंग परिचालनों में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण एएस-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक की प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा समूह की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है. समूह ने कारोबार खंड को प्रमुख खंड के रूप में प्रकट किया है. समूह प्राथमिक रूप से भारत में परिचालन करता है अतः समूह को प्राथमिक रूप से देशी खंड में ही परिचालन करनेवाला माना जाता है तथा कोई भौगोलिक खंड रिपोर्ट योग्य नहीं हैं.

The Group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury services and other banking operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Group. The Group has disclosed business segment as the primary segment. The Group primarily operates in India, hence the group has considered to operate predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

खंड राजस्व, परिणाम, परिसंपत्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारित राशि शामिल है. जो परिसंपत्तियां व देयताएं ज्ञात खंडों को आबंटित नहीं हैं उन्हें गैर-आबंटित परिसंपत्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है.

Segment revenue, results, assets and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

14 आय कर एवं सेवा कर / Income Tax & Service Tax

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है, जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूलीयोग्य) है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period.

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उचित निश्चितता हो कि इनकी भविष्य में वसूली हो जाएगी.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर परिसंपत्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

15 प्रारंभिक खर्चे / Preliminary Expenses

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में प्रारंभिक खर्चों का परिशोधन दस वर्षों की अवधि पर किया जाता है. इस प्रकार के प्रारंभिक खर्चों (जो वर्तमान में बट्टेखाते या समायोजित नहीं हैं) को आईआरडीए के प्रावधानों के अंतर्गत यथा उल्लिखित शेयर पूंजी की अनुसूची में समायोजित किया जाता है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Preliminary expenses are amortized over a period of ten years. Such preliminary expenses (to the extent not written off or adjusted) are adjusted in the schedule of Share Capital as prescribed under the IRDA regulations.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट सर्विसेज लि. के मामले में विपणन एवं नए निधि प्रस्तावों के वितरण से उपचित खर्चों का परिशोधन निरंतर निधियों के मामले में 36 महीने की अवधि पर और नियत कालिक निधियों की अवधि पर किया जाता है.

In case of IDBI Asset Management Ltd, Expenses incurred towards marketing and distribution of new fund offers are amortized over a period of 36 months in case of open ended funds and over the tenure of the close ended funds.

16 प्रति शेयर आय / Earnings Per Share

i. समूह एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर आय की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता हैं. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अन्त में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

17 परिसंपत्तियों की अनर्जकता / Impairment of Assets

i. जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन यदि इसका संकेत देते हैं कि किसी परिसंपत्ति की रखाव-लागत वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल परिसंपत्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की वसूलीक्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना परिसंपत्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी परिसंपत्तियां अनर्जक मानी गयी हों तो अनर्जकता को उस परिसंपत्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the estimated current realizable value of the asset.

18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां / Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों के मामले में समूह प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब समूह यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Group recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक परिसंपत्तियों को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Contingent Assets are not recognized.

v. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी, दावों (बीमा दावों के अलावा), वाद, पुनर्निर्धारण, अर्थदंडों, दंडों आदि के लिए प्रावधान सृजित करती है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, The Company creates a provision for claims (other than insurance claims), litigation, assessment, fines, penalties, etc. when there is present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18: समेकित लेखों पर टिप्पणियां

SCHEDULE 18: NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. स्थायी परिसंपत्तियां (एएस-10) / FIXED ASSETS (AS-10)

i. परिसर में ₹ 1339 70 11 हजार (₹ 1339 70 11 हजार) की लीज पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल है जिसका वर्ष 2006-07 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 1339 70 11 Thousand (₹ 1339 70 11 Thousand) which was revalued in the year 2006-07.

ii. बैंक ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया है. पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2063 91 00 हजार हुई है जो 31 मार्च 2007 को ₹ 529 02 00 हजार के निवल बही मूल्य और ₹ 25 92 9300 हजार की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है जिसे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा कर दिया गया है. इस पर ह्रास के समायोजन के बाद पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष राशि ₹ 1712 83 66 हजार (₹ 1762 78 10 हजार) है.

The Bank has revalued its Freehold Land & Residential / Office building based on valuations made by independent valuers during the year 2006-07. The net appreciation of ₹ 2063 91 00 Thousand arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 529 02 00 Thousand and revalued amount of ₹ 2592 93 00 Thousand as on March 31, 2007, was credited to Revaluation Reserve. The balance in revaluation reserve after adjusting depreciation on same is ₹ 1712 83 66 Thousand (₹ 1762 78 10 Thousand).

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

बैंक के उन कर्मचारियों को छोडकर जिन्होने पेंशन का विकल्प दिया है, जो 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में आये हैं, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक ने एक निर्दिष्ट अंशदान तय किया है जो कि मूल वेतन के स्थायी प्रतिशत के रूप में पीएफएस में जाता है. भविष्य निधि योजना को "आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि (निधि) को प्रशासकों की समिति" द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फायनेन्स लि. (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्टस् लि. (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को मई 2011 तक का भविष्य निधि अंशदान कर दिया गया है और उसके बाद उपरोक्त निधि में अंशदान किया गया है. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 5 03 22 हजार (₹ 6 36 88 हजार) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31,2008 , are covered by Provident Fund Scheme(PFS).The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". In respect of employees of IDBI Home Finance Ltd (IHFL) and IDBI Gilts Ltd (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned fund. During the year, ₹ 5 03 22 Thousand (₹ 6 36 88 Thousand) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2008 के बाद आए हैं, उन्हे निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप मे अंशदान करता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹ 35 05 85 हजार (13 73 80 हजार रुपए) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance.

During the year, ₹ 35 05 85 Thousand (₹ 13 73 80 Thousand) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 62 93 हजार (₹ 69 71 हजार) भविष्य निधि अंशदान के लिए लाभ-हानि खाते में डाले गए.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, the company has recognized ₹ 62 93 Thousand (₹ 69 71Thousand) for the year ended 31st March 2014 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई एसेट मेनेजमेंट लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 61 34 हजार (₹ 59 88 हजार) भविष्य निधि अंशदान के लिए लाभ-हानि खाते में डाले गए.

In case of IDBI Asset Management Ltd the company has recognized ₹ 61 34 Thousand (₹ 59 88 Thousand) for the year ended 31st March 2014 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 6 82 हजार (₹ 6 74 हजार) भविष्य निधि अंशदान के लिए लाभ-हानि खाते में डाले गए.

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, the company has recognized ₹ 6 82 Thousand (₹ 6 74 Thousand) for the year ended 31st March 2014 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई फेडेरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण में अंशदान के लिए ₹ 2 27 41 हजार (₹ 2 26 38 हजार) लाभ-हानि खाते में डाले गए.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, the company has recognized ₹ 22741 Thousand (₹ 2 26 38 Thousand) for the year ended 31st March 2014 for the contribution towards statutory provident fund, Employee State Insurance & Employee Labor Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes

क. बैंक द्वारा 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान किया जाता है.

a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

ख. बैंक के कई कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जिसे 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा चलाया जाता है.

b. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ग. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में कंपनी की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा में पांच वर्ष या इससे अधिक पूरे कर लिए हैं, उसे जाते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹10,00,000 है.

c. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, the Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 10,00,000.

घ. आईडीबीआई एसेट मेनेजमेंट लि. के मामले में ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार भुगतान के लिए कंपनी ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो कि सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट रिटायरमेंट लाभ योजना है. इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने पर एकमुश्त राशि दी जाती है.

d. In case of IDBI Asset Management Ltd, In accordance with Payment of Gratuity Act, the Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ड. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में कंपनी ने ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के आगामी भुगतान के लिए एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका निधियन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है. भुगतान के आशय से एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गये के अनुसार वार्षिक ग्रेच्युटी अंशदान किए जाते हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी के दायित्व का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. ऐसी निर्धारित बीमांकिक देयता और निधि में अंशदान के अंतर को मामले के अनुसार देयता/ परिसंपत्ति माना जाता है.

e. In case of IDBI Intech Ltd, the company has created a trust for future payment of Gratuities & Leave Encashment, which is funded with Life Insurance Corporation of India (LIC). Annual Gratuity contributions are made as determined by LIC for purposes of payment. The liability for gratuity at the end of each financial year is determined based on actuarial valuation. The difference between such actuarially determined liability and contributions made to the fund is recognized as a liability/asset, as the case may be.

च. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में कंपनी ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप एलआईसी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान करके उन्हें लाभ- हानि खाते में डाला जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना परिसंपत्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिकृत भाग को दर्शाते हैं.

f. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, the company has created a separate Trust for Gratuity obligations. The Application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Dept is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis are paid and charged to Profit & Loss Account. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded Part of Gratuity Obligations of the company.

छ. चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में वेतन में बढ़ोत्तरी (4%) और आहरण (1% से 3%) माने जाते हैं, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक मान्यताओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्यांकन हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी देयताओं के गैर निधिकृत भाग के प्रतिनिधि) द्वारा एलआईसी योजना में निधि संचयन और वर्ष के अंत में देयताओं की राशि में अंतर का निर्धारण करना मान्यताप्राप्त है और इसे लाभ-हानि खाते में देयता के समायोजित प्रभार के रूप में दिखाया जाता है.

g. On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (4%) and withdrawal (1 to 3%) in actuarial computations, the company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuer, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined at year end obligations by Independent Valuer (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognized and presented as liability in accounts by appropriate charge to Profit & Loss Account.

ज. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी के मामले में ऐसे पात्र कर्मचारियों को जिन्होने 6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा पूरी की हो, सेवा छोड़ते समय पूरे किए गए वर्षों के लिए कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार प्रतिवर्ष हेतु 15 दिन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, the Gratuity is payable on separation as per the Employees Gratuity Act @ 15 days pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

झ. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्यों और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करते हुए की जाती है.

h. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2014 को समूह के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Group's financial statements as at March 31, 2014 which is as per AS-15(R).

(₹ करोड़ में / ₹ In Crores)

क्र सं	विवरण	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2014 को As at March 31, 2014		31 मार्च 2013 को As at March 31, 2013	
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	1329.56	408.30	963.78	374.48
	ब्याज लागत Interest cost	109.69	33.63	86.74	32.69
	वर्तमान सेवा लागत Current Service cost	36.11	21.50	32.33	18.87
	वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/(Out)	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(60.36)	(28.98)	(44.70)	(22.31)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain)/loss	(0.66)	(30.86)	291.41	4.57
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	**1414.34**	**403.59**	**1329.56**	**408.30**
ख) b)	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में (01 अप्रैल 2013) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year (April 1, 2013)	1155.76	407.61	920.37	305.62
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	98.24	35.45	80.99	26.89
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	241.29	1.20	201.46	89.85
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(60.36)	(28.98)	(44.70)	(22.31)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In Crores)

क्र सं	विवरण	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2014 को As at March 31, 2014		31 मार्च 2013 को As at March 31, 2013	
	बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss)	10.81	1.97	(2.36)	7.56
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**1445.74**	**417.25**	**1155.76**	**407.61**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान और योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	1414.34	403.59	1329.56	408.30
	भविष्य में अभिनिर्धारित / उपबंधित की जाने वाली अंतर्वर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/provided in future	-	-	-	-
	31 मार्च 2014 में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at March 31, 2014	1414.34	403.59	1329.56	408.30
	31 मार्च 2014 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at March 31, 2014	1445.74	417.25	1155.76	407.61
	अधिशेष / (घाटा) / Surplus/(Deficit)	**31.40**	**13.66**	**(173.80)**	**(0.69)**
घ) d)	**31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year ended March 31, 2014**				
	सेवा लागत / Service cost	36.11	21.50	32.33	18.87
	ब्याज लागत / Interest cost	109.69	33.63	86.74	32.69
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(98.24)	(35.44)	(80.99)	(26.89)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/loss	(11.47)	(32.66)	293.77	(2.98)
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई अंतर्वर्ती देयता Transitional liability recognized during the year	-	-	-	-
	उक्त अनुसार निवल लागत Net cost as per above	**36.09**	**(12.97)**	**331.85**	**21.69**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In Crores)

क्र सं	विवरण		पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
			31 मार्च 2014 को As at March 31, 2014		31 मार्च 2013 को As at March 31, 2013	
	बट्टा खाते में नहीं डाले गए बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not witten back		**31.40**	**14.55**	**-**	**-**
	उक्त अनुसार निवल लागत / Net cost of the above		**67.49**	**1.58**	**331.85**	**21.69**
ड़) e)	**परिसंपत्तियों की श्रेणी Category of Assets**					
	भारत सरकार की परिसंपत्तियाँ / Government of India Assets		726.48	0.94	626.70	0.86
	कॉरपोरेट बांड / एफडी / Corporate Bonds / FD		593.91	0.56	327.78	0.69
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds		-	406.39	-	406.03
	अन्य / Others		125.35	9.36	201.28	0.03
	कुल / Total		**1445.74**	**417.25**	**1155.76**	**407.61**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं : Assumptions used in accounting:**					
	बट्टा दर / Discount rate		9.27%	9.31%	8.25%	8.00%
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर / Rate of return on plan assets		8.70%	8.70%	8.50%	8.70%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate		5.75%	5.75%	5.00%	5.00%
	ह्रास दर Attrition Rate	5 वर्ष और उससे अधिक सेवा के लिए For Service 5 Years & Above	1.45% p.a	1.45% p.a	4.21% p.a	4.21% p.a
		5 वर्ष से कम सेवा के लिए For Service less than 5 Years	2.55% p.a	2.55% p.a	4.21% p.a	4.21% p.a
	मृत्यु दर Mortality Rate		भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

iii. अन्य दीर्घावधि लाभ / Other long term benefits

बैंक के अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित / साधारण छुटियों को संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.

Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कर्मचारीगण अशक्तता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन की जाने वाली अशक्तता सहायता के लिए पात्र हैं.

Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

events occur.

बैंक के कुछ कर्मचारीगण स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना सहायता के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.

Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा वर्ष के दौरान ₹ 8 76 81 हज़ार (₹ 56 88 75 हज़ार) को लाभ और हानि खाते में डाला गया है.

Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 8 76 81 Thousand (₹ 56 88 75 Thousand) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

आईडीबीआई फेडेरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी के मामले में कंपनी के कर्मचारी अपनी अर्जित / साधारण छुटियों को 30 दिन तक के लिए संचित कर सकते हैं जो कि नीति के अनुसार उनके द्वारा सेवा छोड़ते समय भुगतान योग्य / नकदीकरण योग्य हैं. वर्ष के दौरान ₹ 50 64 हजार (₹ 91 70 हजार) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान के रूप में उक्त लाभ के लिए आय या लाभ-हानि खाते में डाला गया है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, the Employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leave up to a maximum of 30 days which is payable/ encashable as per the policy on their separation. During the year, ₹ 50 64 Thousands (₹ 91 70 Thousands) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

समूह ने कारोबार खंड का प्राथमिक खंड के रूप में प्रकटन किया है. चूँकि समूह सामान्यतः भारत में परिचालन करता है, अतः समूह के बारे में यह माना गया है कि यह मुख्यतः केवल देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

The Bank has disclosed business segment as the primary segment. The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

(₹ हजार / ₹ in '000s)

क्रम सं.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2014 को Year Ended March 31, 2014	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 को Year Ended March 31, 2013
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	25224 73 96	24493 98 93
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	19626 15 10	18070 22 66
	ट्रेजरी / Treasury	398 44 54	569 50 70
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	202 33 38	267 50 75
	कुल / TOTAL	**45451 66 99**	**43401 23 04**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	15731 42 33	14991 60 61
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय Net sales / income from operations	29720 24 66	28409 62 43

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार / ₹ in '000s)

क्रम सं.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2014 को Year Ended March 31, 2014	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 को Year Ended March 31, 2013
ख. b.	**खंड परिणाम-कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	1926 55 54	2339 93 18
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(334 60 23)	143 02 48
	ट्रेजरी / Treasury	171 80 84	112 55 23
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	41 06 35	62 00 47
	कुल / TOTAL	**1804 82 50**	**2657 51 36**
	अविनिधानीय व्यय / Unallocable Expenditure	-	-
	अविनिधानीय आय / Unallocable income	-	-
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax	**1804 82 50**	**2657 51 36**
	आय कर / Income taxes	653 08 99	768 60 88
	निवल लाभ / Net profit	**1151 73 51**	**1888 90 48**
ग. c.	**खंड परिसंपत्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	218604 27 79	216475 36 76
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	98695 99 89	83990 09 95
	ट्रेजरी / Treasury	7391 68 25	18685 90 97
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	553 32 21	408 91 88
	अविनिधानित परिसंपत्तियां / Unallocated assets	3712 94 89	3105 90 09
	कुल परिसंपत्तियां / Total assets	**328958 23 03**	**322666 19 65**
घ. d.	**खंड देयताएं / Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	161063 37 57	174016 22 27
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	143143 94 77	126488 70 89
	ट्रेजरी / Treasury	976 70 00	814 10 00
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	142 46 88	116 15 45
	अविनिधानित देयताएं / Unallocated liabilities	1741 84 77	1821 54 70
	कुल देयताएं / Total liabilities	**307068 33 99**	**303256 73 31**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

i) संस्था के प्रमुख प्रबंध कार्यपालकों का विवरण / Details of Key Management Personnel

संस्था / Entity	प्रमुख प्रबंध कार्यपालक / Key Management Personnel
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd.	श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2013 तक) Shri R.M Malla, Chairman & Managing Director (up to May 31, 2013) श्री एम. एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05 जुलाई 2013 से) Shri M.S. Raghavan, Chairman & Managing Director (w.e.f. July 05, 2013) श्री बाल कृष्ण बत्रा, उप प्रबंध निदेशक Shri Bal Krishan Batra, Deputy Managing Director श्री मेल्विन रेगो, उप प्रबंध निदेशक (30 अगस्त 2013 से) Shri Melwyn Rego, Deputy Managing Director (w.e.f. August 30, 2013)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	श्री अभय बोंगिरवार, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri. Abhay Bongirwar, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	श्री संजय शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (30 जून 2013 तक) Shri Sanjay Sharma, Managing Director & C.E.O(up to June 30,2013) श्री इंदरपाल एस. कालरा ((01 जुलाई 2013 से) Shri. Inderpal S. Kalra (w.e.f from July 1,2013)
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	श्री जी वी नागेश्वर राव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (30 जून 2013 तक) Shri G. V. Nageswara Rao, Managing Director & C.E.O (up to June 30,2013) श्री आर. के. बंसल, निदेशक और कार्यवाहक सीईओ (01 जुलाई 2013 से 04 फरवरी 2014 तक) Shri R.K. Bansal Director & Acting C.E.O (From July 01,2013 to February 04,2014) श्री विघ्नेश शहाणे, सीईओ (स्थानापन्न) और पूर्णकालिक निदेशक (05 फरवरी 2014 से) Shri Vighnesh Shahane CEO (Officiating) & Whole Time Director (w.e.f. February 05, 2014)
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	श्री देबाशीष मलिक, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Debashish Mallick, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd.	श्री देबाशीष मलिक, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Debashish Mallick, Managing Director & C.E.O.
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Limited	श्री एच. जी. रोकड़े, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri. H. G. Rokade, Managing Director & CEO

ii) वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों से लेनदेन किया गया:

Parties with whom transactions were entered into during the year

एएस-18 के पैरा 5 की शर्तों के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों में प्रमुख प्रबंध कार्यपालकों और प्रमुख प्रबंध कार्यपालकों के संबंधियों सहित का प्रकटन नहीं किया गया है.

In Terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of Banker-customer Relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

iii) संबन्धित पक्षकारों के लेनदेन/शेषराशियाँ :
Transactions/balances with related parties:

(₹ हजार / ₹ in '000s)

विवरण / Particulars	प्रमुख प्रबंध कार्यपालक Key Management Personnel
प्राप्त जमाराशियां / Deposit Received	36 78 (31 42)
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	1 56 55 (41 84)
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	1 72 36 (52 89)
निवेश / Investment	- (-)
दिए गए अग्रिम / Advances given	- (-)
बकाया अग्रिम / Advances outstanding	18 29 (22 98)
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि / Maximum amount of advance due during the year	22 98 (24 68)
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on advances	2 11 (2 35)
अग्रिमों पर उपचित ब्याज / Interest accrued on advances	- (14)
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	6 50 (4 62)
पारिश्रमिक/प्रतिपूर्तियां / Remuneration/Reimbursements*	2 38 74 (2 40 53)

* आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में गैर कार्यपालक निदेशक श्री आर. के. बंसल 01 जुलाई 2013 से 04 फरवरी 2014 तक स्थानापन्न सीईओ के रूप में कार्यभार देख रहे थे और उन्हें कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

* In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd , Shri . R K Bansal, Non Executive Director of the Company was officiated as CEO from July 01, 2013 to February 04, 2014 and was not paid any remuneration.

5. पट्टे (एएस-19) / LEASES(AS-19)

परिचालनात्मक पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर, कार्यालय उपकरण (कम्प्यूटरों और मॉड्युलर फर्नीचर सहित), स्टाफ के आवास और एटीएम शामिल हैं जो कि या तो समूह के विकल्प पर निरसनयोग्य हैं या परिचालनात्मक पट्टा गैर-निरसन योग्य है.

Operating leases primarily comprise office premises, office equipments (including computers and modular furniture), staff residences and ATMs, which are either cancellable at the option of the Group or non-cancellable operating lease.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

वर्ष के दौरान निरसन योग्य परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ और हानि लेखे में ₹ 221 40 08 हजार (₹ 193 67 41 हजार) प्रभारित किए गए और गैर-निरसन योग्य परिचालनात्मक पट्टे हेतु ₹ 4 14 86 हजार (₹ 1 37 28 हजार) लाभ और हानि लेखे में प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों के रूप में प्रभारित किए गए.

'During the year ₹ 221 40 08 Thousand (₹ 193 67 41 Thousand) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/payable on cancellable operating lease & ₹ 4 14 86 Thousand (₹ 1 37 28 Thousand) has been charged to the Profit & Loss Account towards lease charges paid/payable on non-cancellable operating lease.

तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनयोग्य परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है

The future minimum lease payments in respect of non-cancelable operating leases as at the Balance Sheet date are summarized as under.

(₹ हजार/ ₹ in '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 March 31, 2014	31 मार्च 2013 March 31, 2013
एक वर्ष से अधिक नहीं / Not Later than One year	2 26 27	94 62
एक वर्ष के बाद लेकिन पाँच वर्ष से अधिक नहीं Later than one year but not later than five years	40 16	89 89

6. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 को March 31, 2014	31 मार्च 2013 को March 31, 2013
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (₹ हजार) Net profit considered for EPS calculation (₹ in '000s)	1151 73 51	1888 90 48
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for basic EPS	14011 19 943	12804 99 037
जोड़ें : मंजूर किए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईसॉप) का न्यूनीकृत प्रभाव Add : Dilutive impact of ESOP granted	-	42 593
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1401119 943	12805 41 629
प्रति शेयर आय (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	8.22	14.75
प्रति शेयर आय (न्यूनीकृत)(₹) / EPS(Diluted) (₹)	8.22	14.75
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

क. समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित परिसंपत्तिया और आस्थगित देयताओं के घटक इस प्रकार हैं:

a. The component of Deferred Assets & Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ हजार/₹ In '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013
आस्थगित कर देयता / **Deferred Tax Liability**			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	5 05 56	54 78 64	49 73 08
विपणन एवं वितरण व्यय का परिशोधन / Amortisation of marketing & distribution expenses	25 70	127 06	101 36
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि* Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961*	364 93 47	364 93 47	-
कुल (क) Total (A)	**370 24 73**	**420 99 17**	**50 74 44**
आस्थगित कर परिसंपत्ति **Deferred Tax Asset**			
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत न किए गए एनपीए और प्रावधान NPA and provisions not allowed under Income tax Act, 1961	571 47 27	1715 33 88	1143 86 61
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	1 70 29	329 35	159 06
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (i ए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-tax Act, 1961	(42 93 22)	108 22 53	151 15 75
आरंभिक व्ययों का परिशोधन Amortisation of Preliminary expenses	4 12	13 07	8 95
ग्रेच्युटी / Gratuity	(74)	7 88	8 62
अवकाश का नकदीकरण / Leave Encashment	1 33	18 83	17 50
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Restructured Advances	110 31 73	592 83 95	482 52 22

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ हजार/₹ In '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2013 As at March 31, 2013
आगे ले जाई गई हानि / Carried forward Loss	(148 66)	-	148 66
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अधीन कटौती द्वारा कवर व्यय Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	126 20	126 20	-
कुल (ख) Total (B)	**640 38 32**	**2421 35 69**	**1780 97 37**
आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति) (निवल)(क)-(ख) Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)	**(270 13 59)**	**(2000 36 52)**	**(1730 22 93)**
ब्रेक अप / Breakup:			
लाभ-हानि खाते में प्रभारित आस्थगित कर Deferred tax charged to Profit & Loss Account	**(550 09 56)**	**-**	**-**
आरक्षित निधियों के प्रति समायोजित आस्थगित कर [नोट 7(बी) का संदर्भ लें] Deferred tax adjusted against reserve [Refer note 7 (b)]	**279 95 97**	**-**	**-**
निवल आस्थगित कर देयता Net Deferred Tax Liability	**(270 13 59)**	**-**	**-**

ख. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधियों पर आस्थगित कर देयता

b. Deferred Tax Liability on Special Reserve created under section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961

बैंक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार कर कटौती के प्रयोजन से लाभों के विनियोजन के माध्यम से विशेष आरक्षित निधियों का सृजन करता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 20 दिसंबर 2013 के परिपत्र के माध्यम से बैंकों को सूचित किया था कि वे सावधानी के तौर पर विशेष आरक्षित निधियों में बकाया राशि पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन करें. आरबीआई की इन दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 दिसंबर 2013 को समाप्त तीन महीनों के दौरान बैंक ने आरक्षित निधियों को घटाकर 31 मार्च 2013 को विशेष आरक्षित निधि बकाया पर ₹ 279.96 करोड़ डीटीएल सृजित किया। भारत में समान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार यदि इस राशि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता तो वर्ष के लिए लाभ की राशि इतनी ही कम हो सकती थी।

The Bank creates Special Reserve through appropriations of profits, in order to avail tax deductions as per section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Reserve Bank of India, though its circular dated December 20, 2013, had advised banks to create deferred tax liability (DTL) on the amount outstanding in Special Reserve, as a matter of prudence. In accordance with these RBI guidelines, during the three months ended December 31, 2013, the bank created DTL of ₹ 279.96 crore on Special Reserve outstanding at March 31, 2013, by reducing the reserves. Had this amount been charged to the Profit & Loss Account in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for the year would have been lower by such amount.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

8. आकस्मिक देयताओं का विवरण / DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES

क्रम सं. S. No.	आकस्मिक देयताएं Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावा जिसे कर्ज नहीं माना गया है। Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परणिामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है जो डेरिवेटिव लिखत है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	संघटकों की तरफ से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपनी बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से गारंटियाँ जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

IV	स्वीकृतियाँ, समर्थन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	ग्राहक की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, यह मद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करता है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाता है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक इन संविदाओं का दायित्व अपने ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी उठाता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बॉण्ड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. The bank underwrites Credit default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.

VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों के और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the bank is contingently liable	यह मद बैंक द्वारा अपने सामान्य कारोबार के क्रम में सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में अपनी ओर से जारी की गई गारंटियों को दर्शाती है. This item represents the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity.

***** अनुसूची- 12 का भी संदर्भ लें, आकस्मिक देयताएं

*Also refer Schedule-12, Contingent Liabilities

9. इन लेखों में शामिल किए गए आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के वित्तीय विवरणों को उक्त कंपनी के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2014 को सम्पन्न बैठक में रिकॉर्ड किया गया है. बीमांकक की नियुक्ति के लिए आईआरडीए के पास विचाराधीन अनुमोदन को देखते हुए उपर्युक्त कंपनी के लेखों को अलेखपरीक्षित माना गया है.

Financial Statements of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd as incorporated in these accounts has been taken on record by the Audit Committee of the Board of the said Company held on 22nd April 2014. Pending approval of appointment of actuary which is under consideration by IRDA, the accounts of the said company are considered as unaudited.

10. i (क) वर्ष के दौरान भारत सरकार को 27 11 66 013 इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) अधिमानता आधार पर 30 दिसंबर 2013 को ₹ 56.38 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आबंटित किए गए जिनकी कुल राशि ₹ 1800 करोड़ है.

(a) During the year, 27 11 66 013 Equity Shares (Face Value ₹ 10 per share) were allotted to Government of India on preferential basis on December 30, 2013 at a premium of ₹ 56.38 per share, aggregating an amount of ₹ 1800 Crore.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(ख) बैंक के कर्मचारियों द्वारा ईसॉप अपनाए जाने के कारण वर्ष के दौरान 24 900 (45,455) इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

(b) 24 900 (45 455) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised by the Bank employees.

ii. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को सहायक कंपनियों की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नलिखित है

Summarized financial information of the subsidiaries under Section 212 of the Companies Act, 1956 as at March 31, 2014 are as under:

(₹ हजार/ ₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.
पूंजी / Capital	128 10 00	115 00 00	20 00	13 12 82	6 03 28
रिज़र्व / Reserves	186 12 71	(85 58 46)	47 88	16 32 42	90 30 03
कुल परिसंपत्तियां / Total Assets	343 35 11	36 58 84	71 19	32 03 43	143 31 90
कुल देयताएं (पूंजी एवं रिज़र्व को छोड़कर) Total Liabilities (excluding Capital & Reserves)	29 12 40	7 17 30	3 30	2 58 19	46 98 60
निवेश / Investments	134 72 25	26 79 60	59 50	0	1
कुल कारोबार / Turnover	93 58 82	20 74 93	55 04	78 71 37	56 30 65
कर पूर्व लाभ / Profit before taxation	31 20 70	(18 82 43)	20 85	2 26 57	48 22 05
कर / Tax	13 74 42	1 70 16	6 10	1 58 39	16 29 67
कर पश्चात लाभ / Profit after taxation	17 46 28	(20 52 58)	14 75	68 18	31 92 38
अंतरिम लाभांश / Interim Dividend (%)	0	0	0	0	155%
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend (%)	10%	0	0	0	70%

टिप्पणी : उपर्युक्त किसी भी सहायक कंपनी की कोई सहायक कंपनी नही है.

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

11. 'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत 'उद्यमों' से उनकी स्थिति के संबंध में यथाप्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम ऐसा नहीं है जिसकी समूह पर देयताएं शेष हों और जो 31 मार्च 2014 को 45 दिन से अधिक बकाया हो गई हों. अतः वर्ष के अंत में प्रदत्त / देय ब्याज सहित अप्रदत्त राशियों के बारे में ऐसी कोई संबंधित जानकारी नहीं दी गई है जिसका उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन किया जाना आवश्यक हो (पिछले वर्ष शून्य).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Based on the information to the extent received from 'enterprises' regarding their status under the 'Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006' there is no micro, small & medium enterprise to which the Group owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at March 31, 2014 and hence no disclosure relating to amounts unpaid as at the year ended together with interest paid/payable as required under the said act is given (previous year Nil).

12. संविदाओं की शेष अनुमानित राशि पूंजी खाते पर प्रभारित की जाएगी (अग्रिमों को घटाकर) और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, वह हजार ₹ 343 21 94 (₹ 156 57 33 हजार) है.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 343 21 94 Thousand (₹ 156 57 33 Thousand).

13. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रकटित ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

14. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों मे दिये गये हैं और उन्हें पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped /rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

1 से 18 लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director &
Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2014 / Date : April 30, 2014

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2014

(₹ हजार/₹ in '000s)

	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31/3/2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31/3/2013
क. A. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ Net profit before tax and extra-ordinary items	1819 28 65	2670 41 45
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: Adjustments for non cash items:		
- अचल परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री से (लाभ) / हानि (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	2 01 56	51 26
- साधारण रिज़र्व में अंतरण (उचित मूल्य समायोजन) Transfer to General reserve (fair value adjustment)	56	8 74
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	116 59 89	128 33 74
- ऋणों / निवेशों के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	3977 90 01	2873 31 01
- निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) Profit/ (Loss) on revaluation of Investments	(7 48 78)	(37 74 99)
	5908 31 89	5634 91 21
(3) परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन: Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
- निवेश / Investments	(5185 97 78)	(15739 22 68)
- अग्रिम / Advances	(4944 95 97)	(18233 58 86)
- अन्य परिसंपत्तियां / Other Assets	(408 41 30)	(745 30 36)
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
- उधार राशियां / Borrowings	(5662 58 06)	12331 22 97
- जमाराशियां / Deposits	8682 86 28	16645 81 04
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	1152 78 73	1201 21 48
(5) कर वापसी / (भुगतान) / Refund/ (payment) of taxes	(1540 09 95)	(1394 01 76)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net Cash used in/ generated from Operating activities	**(1998 06 16)**	**(298 96 96)**
ख. B. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing activities		
- सहायक संस्थाओं के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration for Acquisition of Subsidiary		
- अचल परिसम्पत्तियों की खरीद (निवल बिक्री) Purchase (net of sale) of fixed assets	(222 53 56)	(122 70 61)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net cash used in / raised from Investing activities	**(222 53 56)**	**(122 70 61)**
ग. C. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing activities		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम Issue of Equity Shares	1800 28 21	555 47 35
- लाभांश तथा प्रदत्त लाभांश कर Dividend and dividend tax paid	(690 61 58)	(226 05 85)

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2014

(₹ हजार/₹ in '000s)

	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31/3/2014	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31/3/2013
वित्तपोषण कार्यकलापों से प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Financing activities**	1109 66 63	329 41 50
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) **NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS**	(1110 93 09)	(92 26 07)
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य **OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS**	17959 77 43	18052 03 50
निम्नलिखित से अंतरित नकदी और नकदी समतुल्य : Cash and Cash Equivalents transferred from :		
आईटीएसएल, अधिग्रहण के अनुसार / ITSL, pursuant to acquisition		
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य / CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	16848 84 34	17959 77 43
नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	12714 60 70	10548 65 10
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	4134 23 64	7411 12 33
कुल / Total	16848 84 34	17959 77 43

जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.
Figures for the previous period have been regrouped, wherever considered necessary.

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 105146W
FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 100515W
FRN - 100515W

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ़-117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ़-121546)
Partner (F-121546)

(एम. ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director &
Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2014 / Date : April 30, 2014

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

1. प्रयोज्यता का क्षेत्र एवं पूंजी पर्याप्तता / Scope of Application and Capital Adequacy

तालिका डीएफ-1/Table DF-1: प्रयोज्यता का क्षेत्र / Scope of Application

समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है :आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

Name of the head of the banking group to which the framework applies: IDBI Bank Ltd.

(क) समेकन के लिए शामिल समूह संस्थाओं की सूची:

(a) List of group entities considered for consolidation:

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था लेखांकन क्षेत्र में समेकन के लिए शामिल है Whether the entity is included under accounting scope of consolidation	समेकन की विधि Method of consolidation	क्या संस्था विनियामक क्षेत्र में समेकन के लिए शामिल है Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation	समेकन की विधि Method of consolidation	समेकन की विधि में अंतर का कारण Reasons for difference in the method of consolidation	यदि केवल एक समेकन क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो उसके कारण Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / भारत IDBI Asset Management Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. / भारत IDBI MF Trustee Company Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
आईडीबीआई इंटेक लि. / भारत IDBI Intech Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	आईडीबीआई इंटेक लि. एक गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI Intech is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि./ भारत IDBI Trusteeship Services Ltd/India	हाँ Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड एक गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI Trusteeship is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(ख) लेखांकन व विनियामक, दोनों ही प्रयोजनों के लिए समेकन में शामिल न की गई समूह संस्थाओं की सूची:

समूह की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे लेखांकन व विनियामक, दोनों ही प्रयोजनों के लिए समेकन में शामिल न किया गया हो.

(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ग) विनियामक समेकन में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची:

(c) List of group entities considered for regulatory consolidation:

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ Million)

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि (i) क. में दर्शाया गया है.) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	संस्था का मुख्य कार्य का लाभ Principle activity of the entity	कुल तुलन-पत्र इक्विटी (जो विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में दर्शाई गई है.) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलन-पत्र परिसंपत्तियाँ (जो विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में दर्शाई गई है.) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/India	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादों का वितरण, मर्चेन्ट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services, etc.	1281.00	3433.50
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / भारत IDBI Asset Management Ltd/India	परिसंपत्तियों का प्रबंधन Manages Assets	1150.00	378.59
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. / भारत IDBI MF Trustee Company Ltd/India	म्यूच्युअल फंड कारोबार की निगरानी व देखभाल Monitors and oversees Mutual Fund business.	2.00	7.12

(घ) सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत विसंगतियों की समेकित राशि, जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात्, जिसे घटाया गया हो:

सहायक संस्थाओं में ऐसी कोई पूंजीगत विसंगति नहीं पाई गई है जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है.

(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in any subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(ड) बीमा संस्थाओं में बैंक के हित की कुल राशि (यथा चालू खाता मूल्य) जोकि जोखिम-धारित है:

(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ Million)

बीमा कंपनी का नाम/ निगमन देश Name of the insurance entities / country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलन-पत्र इक्विटी (जो विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में दर्शाई गई है.) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता/ वोटिंग अधिकार के अनुपात का % % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	जोखिम भारित प्रणाली बनाम पूर्ण कटौती प्रणाली का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on Regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि./ भारत IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. / India	जीवन बीमा कारोबार Life Insurance business	7996.74	48 %	कटौती दृष्टिकोण के तहत पूंजी आवश्यकता में ₹ 2976 मिलियन की वृद्धि होगी The capital requirement would increase by ₹ 2976 million under Deduction Approach

(च) बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रुकावट:

बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं है.

(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

There are no restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

तालिका डीएफ-2 /Table DF-2: पूँजी पर्याप्तता / Capital Adequacy

बैंक संभावित जोखिमों के विरुद्ध कुशन के रूप में तथा अपने अंशधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूँजी रखता है. बैंक की भावी पूँजी आवश्यकता को कारोबार रणनीति के अनुसार अपनी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. बैंक की पूँजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनिमय दर, नकदी स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाज़ार के व्यवहार की समीक्षा की जाती है. इसके अलावा तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है. साथ ही सटीक प्रक्षेपण दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स का भी उपादान किया जाता है.

The Bank maintains and manages capital as a cushion against the risk of probable losses and to protect its stakeholders, depositors and creditors. The future capital requirement of the Bank is projected as a part of its annual business plan, in accordance with its business strategy. To calculate the future capital requirements of the Bank a view on the market behaviour is taken after considering various factors such as interest rate, exchange rate and liquidity positions. In addition, broad parameters like balance sheet composition, portfolio mix, growth rate and relevant discounting are also considered. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections.

1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिज़र्व बैंक के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार कर रहा है.

In line with the Basel III effective since April 01, 2013, the Bank has been calculating its capital ratios as per the extant RBI guidelines.

बासेल III मानदंडों का प्रमुख ध्यान टियर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर तथा इस बात पर है कि बैंक की वर्तमान में उपलब्ध पूंजी की मात्रा विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करती है. वर्तमान में बैंक विभिन्न दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं से बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहा है. 31 मार्च 2014 को बैंक की एकल सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार है:

The main focus of Basel III norms is on the quality and quantity of Tier I capital and these regulatory requirements are currently met with the quantum of capital available with the Bank. At present the Bank is operating well above the minimum requirements as stipulated by the guidelines. The Standalone CRAR position of the Bank as on March 31, 2014 is as below:

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

सीआरएआर % / CRAR %	बासेल III / Basel III
सीईटी 1 (%) / CET 1 (%)	7.78%
टीयर 1 (%) / Tier 1 (%)	7.79%
कुल (%) / Total (%)	**11.68%**

वर्तमान व भावी जोखिमों की पहचान, मात्रा-निर्धारण और पूर्वानुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता और आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है. इस नीति के अंतर्गत ऐसे जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूँजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखने की प्रक्रिया शामिल है. आईसीएएपी कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से किया जाता है कि बैंक के पास चालू तथा भावी आवश्यकताओं के साथ अपनी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूँजी का पर्याप्त स्तर है. इस कार्य में विभिन्न दबाव परिदृश्य भी शामिल किए जाते हैं, जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूँजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी परिदृश्य के प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं. दबाव परीक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है और दबाव परिदृश्य के प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता और पूँजी पर्याप्तता पर विश्लेषण किया जाता है तथा इसकी रिपोर्ट बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) और निदेशक मण्डल को तिमाही आधार पर दी जाती है.

For identification, quantification and estimation of current and future risks, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing such risks, measuring their impact on the financial position of the Bank and formulating appropriate strategies for their containment & mitigation; thereby maintaining an adequate level of capital. The ICAAP exercise is conducted periodically to determine that the Bank has adequate capital to meet regulatory requirements in line with its business requirements. The Bank also has a comprehensive stress test policy covering regulatory stress conditions to give an insight into the impact of severe but plausible stress scenarios on the Bank's risk profile and capital position. Stress test exercises are carried out regularly and the impact of stress scenarios on the profitability and capital adequacy of the Bank are analysed and reported to the Risk Management Committee (RMC) of the Board and the Board of Directors on a quarterly basis.

31 मार्च 2014 को समेकित आधार पर बैंक का सीआरएआर निम्नानुसार है :

The Consolidated CRAR position, as on March 31, 2014 is as follows:

	(राशि मिलियन ₹ में) (Amt. in ₹ million)
पूंजी आवश्यकता / Capital requirement	
ऋण जोखिम पूँजी: / Credit Risk Capital:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो / Portfolios subject to standardised approach	214810.22
प्रतिभूतिकरण / Securitisation	37.03
बाज़ार जोखिम पूँजी : / Market Risk Capital:	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण / Standardised duration approach	
ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk	7971.98
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) / Foreign exchange Risk (including Gold)	450.00
इक्विटी जोखिम / Equity Risk	8834.14
परिचालन जोखिम पूँजी: / Operational Risk Capital:	
मूल संकेतक दृष्टिकोण / Basic indicator approach	10821.15

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	(राशि मिलियन ₹ में) (Amt. in ₹ million)
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूँजी / Total Minimum Capital required	242924.52
(प्रतिशत) / (Percentage)	
सामान्य इक्विटी टियर I, टियर I एवं कुल पूँजी का अनुपात: **Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total capital ratio**:	
सीईटी 1 (%) / CET 1 (%)	7.83%
टीयर I (%) / Tier 1 (%)	7.86%
कुल (%) / Total (%)	11.78%

2. जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन

Risk exposure and assessment

तालिका डीएफ-3 : ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures for All Banks

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा के अंतर्गत देयताओं को पूरा न करने और शर्तों का पालन न कर पाने के कारण उत्पन्न हो सकता है. ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के जरिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है. बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढाँचा बनाया गया है. जोखिम अभिशासन ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारी निर्धारण प्रस्तुत करता है. रिपोर्टिंग संबंध तथा प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है.

Credit risk is the risk of loss that may occur due to default of the counterparty or from its failure to meet its obligations as per terms of the financial contract. Any such event will have an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending, investment and contractual arrangements. To counter the effect of credit risks faced by the Bank, a robust risk governance framework has been put in place. The framework provides a clear definition of roles as well as allocation of responsibilities with regard to ownership and management of risks. Allocation of responsibilities is further substantiated by defining clear hierarchy with respect to reporting relationships and Management Information System (MIS) mechanism.

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां / Bank's Credit risk management policies

बैंक ने प्रक्रमों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरुपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किये हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों पर आबद्धकर हैं. बैंक की ऋण नीति ऋण सहायता के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है. यह नीति स्वीकार्य जोखिम समायोजित प्रतिफल के साथ अधिक कणिक कारकों जैसे कंपनियों, कारोबार समूह, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा ऋण उत्पादों में पोर्टफोलियो के विशाखन पर भी ध्यान देती है. मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में यह नीति ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है.

The Bank has defined and implemented various risk management policies, procedures and standards with an objective to clearly articulate processes and procedural requirements that are binding on all concerned Business groups. The Credit Policy of the Bank is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio by measurement, monitoring and control of the credit exposures. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across companies, business groups, industries, geographies and sectors. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in light of prevailing business environment and regulatory stipulations.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक की खुदरा परिसंपत्तियों को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं. यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है. इस नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाज़ार) की गति की प्रत्याशा में या के प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा में परिवर्तन करता है या जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है. यह नीति बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित है.

The Bank's Credit Policy also details the standards, processes and systems for growing and maintaining the Retail Assets portfolio of the Bank. The policy also guides the formulation of Individual Product Program Guidelines for various retail products. The Credit policy is reviewed annually in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory & market) in which the Bank operates or to change in strategic direction, risk tolerance, etc. The policy is approved by the Board of Directors of the Bank.

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूह कंपनियों के संबंध में ऋण सहायता मानदंड, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण, उद्योग को ऋण सहायता और अप्रतिभूत ऋण सहायता के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किये हैं. नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किये गये हैं. बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूँजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा विशिष्ट रूप से जारी किये गये निदेशों का पालन करता है. इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं.

To avoid concentration of credit risk, the Bank has put in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, groups, exposure to sensitive sector, industry exposure, unsecured exposures, etc. Norms have also been detailed for soliciting new business as well as for preliminary scrutiny of new clients. The Bank abides by the directives issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Commercial Real Estate, Capital Markets and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में ऋण-निवेश से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियाँ हैं.

The Bank has a specific policy on Counter Party Credit Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries.

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया: / Credit risk assessment process:

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है. बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए एक मुख्य साधन है.

The sanction of credit proposals is in accordance with the delegation structure approved by the Board of Directors. Credit risk rating, used by the Bank is one of the key tools for assessing its credit proposals.

बैंक ने बासेल अपेक्षाओं के अनुरूप आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है. यह रेटिंग के लिए एक द्वि-आयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है. उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है. प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके.

The Bank has implemented internal rating model Risk Assessment Module (RAM), a two - dimensional module for rating viz.; obligor and facility, in line with Basel requirements. Different risk parameters such as financial, business, management and industry are used for different rating models in accordance with the category and characteristics of the borrower. Qualitative and quantitative information of the proposal is evaluated by the credit risk analyst to ascertain the credit rating of the borrower.

एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के ऋण जोखिम समूह द्वारा केन्द्रीकृत रूप में की जाती है. बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपयुक्त रेटिंग समिति आतंरिक ऋण रेटिंग को प्रमाणित करती है. खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव को मूल्यांकन के अंक दिए जाते हैं.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Proposals over a certain threshold amount are rated centrally by rating analysts of the Bank. Suitable committee based approach is followed to validate the internal credit ratings. The committees are comprised of senior officials of the Bank. Approval of credit for retail products are guided by the individual retail product paper guidelines and each proposal is appraised through a scoring model.

उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है.

In addition to the above, a Credit audit process is in place, which aims at reviewing the loans and acts as an effective tool to evaluate the efficacy of credit assessment, monitoring and mitigation process.

अनर्जक परिसंपत्तियों की परिभाषाएं / Definitions of non-performing assets:

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में करता है.

The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with the extant RBI guidelines.

अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) ऐसे ऋण या अग्रिम को कहा जाता है, जहां;

The non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्तें 90 से अधिक दिन से अतिदेय हों.
- Interest and/ or installment of principal remains overdue for more than 90 days for a term loan,
- खाता लगातार 90 से अधिक दिन तक ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है. यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से कम हैं, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 से अधिक दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जो जमाराशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है.
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). 'Out of order' means if the account outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.
- क्रय किए गए या भुनाई किए गए बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हों.
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा/ अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय हो.
- In respect of an agricultural loan, the interest and / or installment of principal remains overdue for two crop seasons for short duration crops and for one crop season for long duration crops.

इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनपीए को अवमानक, संदिग्ध एवं हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अवमानक परिसंपत्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह या इससे कम अवधि से एनपीए हो. किसी परिसंपत्ति को संदिग्ध तब माना जाता है, जब यह अवमानक परिसंपत्ति की श्रेणी में 12 माह या इससे अधिक अवधि से हो. हानि परिसंपत्ति उसे कहा जाता है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु जिसे पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया हो.

NPAs are further classified into sub-standard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A substandard asset is one, which has remained as NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for more than 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or by the internal / external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया है, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उचित प्रावधान करता है.

In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes provisions as per provisioning norms prescribed by RBI for depreciation in the value of investments.

(क) कुल निधि आधारित व गैर- निधि आधारित सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

a. Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

विवरण Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर * Total Gross Credit Exposures*	**2733905.21**	**1458518.40**	**4192423.61**
देशी / Domestic	2555863.85	1442090.18	3997954.03
विदेशी / Overseas	178041.36	16428.22	194469.58

* अग्रिम एलसी, बीजी, एलईआर, स्वीकृतियों और अनाहरित मंजूरियों सहित

* includes advances, LCs, BGs, LERs, acceptances & undrawn sanctions

(ख) सकल ऋण सहायता प्राप्त शीर्ष 20 उद्योग : निधि आधारित व गैर- निधि आधारित

b. Top 20 industry type distribution of Gross credit exposures- fund based and non-fund based

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
बिजली / Power	326257.14	149850.36	476107.50
तेल एवं गैस/ पेट्रोलियम पदार्थ Oil & Gas/Petroleum Products	135972.04	163013.46	298985.50
इन्फ्रास्ट्रक्चर (अन्य) / Infrastructure Others	152639.98	136757.99	289397.97
सड़क व पुल/ पोर्ट / Roads & bridges / ports	173895.53	104749.71	278645.24
आवास ऋण / Housing Loans	242702.86	0.00	242702.86
लोह एवं इस्पात / Iron and Steel	133861.44	82782.75	216644.19
एनबीएफसी / NBFC	136670.18	10207.34	146877.52
दूरसंचार सेवाएं / Telecom	70369.51	74093.17	144462.68
व्यापार / Trading	66371.35	35425.30	101796.65
टेक्सटाइल / Textiles	84449.57	16268.87	100718.44
सामान्य मशीनरी एवं उपकरण General Machinery & Equipments	35499.25	64838.17	100337.42

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
बैंकिंग / Banking	20154.67	75826.98	95981.65
निर्माण / Construction	17727.46	75411.86	93139.32
सीमेंट / Cement	70239.29	11727.50	81966.79
रसायन और रसायन उत्पाद Chemical & Chemical Products	46188.88	33764.62	79953.50
उर्वरक / Fertilizers	39649.07	35340.28	74989.35
आवास वित्त कंपनिया / Housing Finance Companies	72733.95	0.00	72733.95
वित्तीय सेवाएँ (बैंक व एनबीएफ़सी को छोड़कर) Financial Services (other than Banks & NBFCs)	28173.26	42093.95	70267.21
विद्युत मशीनरी एवं उपकरण Electrical Machinery & Equipments	15859.76	45121.10	60980.86
चीनी व चीनी उत्पाद / Sugar & Sugar Products	44741.48	11326.46	56067.94
अन्य / Others	819748.54	289918.53	1109667.07
कुल / Total	**2733905.21**	**1458518.40**	**4192423.61**

(ग) जिन उद्योगों में सकल ऋण सहायता का 5% से अधिक हिस्सा है

c. Industries having more than 5% of the Gross credit exposures

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

उद्योग का नाम / Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total	% %
बिजली / Power	326257.14	149850.36	476107.50	11.36%
तेल एवं गैस/ पेट्रोलियम पदार्थ Oil & Gas/Petroleum Products	135972.04	163013.46	298985.50	7.13%
इन्फ्रास्ट्रक्चर (अन्य) Infrastructure Others	152639.98	136757.99	289397.97	6.90%
सड़क व पुल/ पोर्ट Roads & bridges / ports	173895.53	104749.71	278645.24	6.65%
आवास ऋण / Housing Loans	242702.86	0.00	242702.86	5.79%
लोह एवं इस्पात / Iron and Steel	133861.44	82782.75	216644.19	5.17%

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(घ) परिसंपत्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण

d. Residual contractual maturity breakdown of assets

(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	परिसंपत्तियां / Assets				
	नकदी एवं रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल परिसंपत्तियां एवं अन्य परिसंपत्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल परिसंपत्तियां Total Assets
पहला दिन / Day 1	49544.69	29549.79	18869.54	4725.10	102689.12
2 से 7 दिन 2 to 7 days	22014.80	51767.30	30837.30	2070.60	106690.00
8 से 14 दिन 8 to 14 days	3627.60	73.70	22438.20	4029.00	30168.50
15 से 28 दिन 15 to 28 days	4536.40	12161.80	12293.50	3438.70	32430.40
29 दिन से 3 माह तक 29 days & upto 3 months	19994.80	13290.70	90338.90	11219.10	134843.50
3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6923.40	58463.20	63464.20	7420.90	136271.70
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	21585.00	64985.50	120373.90	3771.70	210716.10
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	20763.40	153633.50	813305.50	227.00	987929.40
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	7267.20	144216.00	278845.10	36205.30	466533.60
5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	11921.80	509593.55	526093.90	34084.73	1081693.98
कुल / Total	**168179.09**	**1037735.04**	**1976860.04**	**107192.13**	**3289966.30**

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(ङ) 31 मार्च 2014 के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियाँ

e. Non Performing Assets as on March 31, 2014

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

एनपीए की राशि (सकल) / Amount of NPAs (Gross)	**99601.59**
अवमानक / Substandard	29015.20
संदिग्ध 1 / Doubtful 1	33988.09
संदिग्ध 2 / Doubtful 2	29884.92
संदिग्ध 3 / Doubtful 3	3368.87
हानि / Loss	3344.51
निवल एनपीए राशि / Net NPAs	**49023.04**
एनपीए अनुपात / NPA Ratios	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए / Gross NPAs to Gross Advances	4.90%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए / Net NPAs to Net Advances	2.48%
एनपीए में घट-बढ़ (सकल) / Movement of NPAs (Gross)	
• आरंभिक शेष / Opening Balance	64499.79
• परिवर्धन / Additions	57060.09
• बट्टे खाते / Write offs	13926.85
• कटौतियां / Reductions	8031.44
• अंतिम शेष / Closing Balances	99601.59
एनपीए के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ / Movement of provisions for NPAs	
• आरंभिक शेष / Opening Balances	32533.78
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	33072.12
• घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित Less : Transferred to Counter-Cyclical Provisioning Buffer	0.00
• घटाएं: बट्टे खाते डाली गई राशि / Less: Write off	13926.85
• घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / Less: Write back of excess provisions	1944.10
• अंतिम शेष / Closing Balances	49734.95
अनर्जक निवेशों की राशि / Amount of Non-Performing Investments	**8965.14**
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि Amount of provisions held for Non-performing Investments	**5610.74**
निवेशों (बांड व डिबेंचर सहित) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में घट-बढ Movement of provisions for depreciation on investments (including bonds and debentures)	
आरंभिक शेष / Opening Balance	12258.24
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	2199.69
बट्टे खाते में डाली गई राशि/ अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन Write offs / Write Back of excess provisions	1973.32
अंतिम शेष / Closing Balance	12484.61

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन:

Table DF-4: Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised approach

बैंक पूँजी गणना के लिए अपनी ऋण सहायता पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स (पूर्व फिच इंडिया), ब्रिकवर्क व स्मेरा तथा अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् फिच, मूडीज़ तथा स्टेंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करता है.

The Bank uses the solicited ratings assigned by the external credit rating agencies specified by RBI for calculating risk weights on its exposures for capital calculations. In line with the Basel guidelines, banks are required to use the external ratings assigned by domestic credit rating agencies viz. Crisil, CARE, ICRA, India Ratings (formerly Fitch India), Brickwork and SMERA and international credit rating agencies Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग अनुमत तरीके से तुलन-पत्र में तथा तुलन-पत्र से इतर अल्पावधि व दीर्घावधि सभी पात्र ऋण सहायताओं के लिए किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंगों पर विचार किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हों.

The ratings assigned, are used for all eligible exposures; on balance sheet & off balance sheet; short term & long term in the manner permitted by the guidelines. Only those ratings which are publicly available and in force as per the monthly bulletin of the rating agencies are considered.

जोखिम भारिता के प्रयोजन के लिए पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम सहायता की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाली ऋण सहायता के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाली ऋण सहायता के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.

To be eligible for risk weighting purposes, the entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

किसी कॉरपोरेट ऋण सहायता के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप है. जहाँ किसी कॉरपोरेट के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतर रेटिंग लागू की जाती है.

The process used to assign the ratings to a corporate exposure and apply the appropriate risk weight is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where multiple external ratings are available for a given corporate, the lower rating, where there are two ratings and the second lowest rating, where there are three or more ratings is applied.

3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात बैंकिंग बही में परिसंपत्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

The table given below gives the breakup of net outstanding amounts of assets in Banking Book and Non Fund Based Facilities after Credit Risk Mitigation in 3 major risk buckets as well as those that are deducted:

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

जोखिम-भार / Risk Weight	निवल सहायता राशि / Net Exposure
100% से कम / Less than 100%	2103656.63
100 % पर / At 100%	1164166.43
100 % से अधिक / More than 100%	476252.39
पूँजी से कटौती / Deduction from Capital	410.56
कुल / Total	**3744486.01**

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

संपार्श्विक प्रतिभूति उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक परिसंपत्ति या अधिकार है. ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक अपने निवेशों के प्रति संपार्श्विक प्रतिभूति लेता है. बैंक के पास संपार्श्विक प्रबंध और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में मानदंड, ऐसे संपार्श्विकों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं दी गई हैं.

A collateral is an asset or a right provided by the borrower to the lender to secure a credit facility. To mitigate credit risk, the Bank obtains collaterals against its exposures. The Bank has a Board approved policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques, which includes norms on acceptable collaterals, procedures & processes to enable classification and valuation of such collaterals.

तुलन-पत्रीय नेटिंग उन ऋणों और जमाराशियों तक सीमित है जहाँ बैंक के पास अन्य निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विशिष्ट धारणाधिकार सहित वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है. यह नेटिंग उसी प्रतिपक्षकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर ऋणों के लिए है जो निर्धारणीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है.

On-Balance sheet netting is confined to loans and deposits, where the Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien in addition to other stipulated conditions. The netting is only undertaken for loans against collaterals of the same counterparty and subject to identifiable netting arrangement.

बैंक द्वारा ऋण सहायता की बचाव व्यवस्था करने (हेजिंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है. उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण किया जाता है. बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमाराशियाँ, स्वर्ण, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां और विभिन्न प्रतिभूतियां शामिल हैं. गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा स्टॉक शामिल हैं. तथापि, खुदरा पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उत्पाद के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगा और ऑटो ऋण के लिए वाहन होगा. अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ जहाँ बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूँजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं जो ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं.

Both financial as well as non-financial collaterals are used to hedge its credit exposures. Appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Cash, Bank's own deposits, Gold, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra, Insurance policies with a declared surrender value and various Debt securities. The non-financial collaterals include Land & Building, Plant & Machinery, Stock, etc. However, under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage and an automobile is a collateral for auto loan. Most of the eligible financial collaterals, where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques, are in the form of Bank's own FDs which are not subject to credit or market risk.

बैंक अपने ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गारंटियों पर भी विचार करता है. तथापि, यह सिर्फ उन्हीं गारंटियों पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट तथा बिनाशर्त होती है. संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूँजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है.

The Bank also considers guarantees for securing its exposures; however only those guarantees which are direct, explicit and unconditional are considered. Sovereigns, Public Sector Entities, Banks, Primary Dealers, Credit Guarantee fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the Basel guidelines.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

बैंक संभावित ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) एक ऐसा साधन है जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक इसकी पूँजी आवश्यकता की गणना करते समय, प्रतिपक्षी को बैंक के ऋण की जोखिम को कम करने के लिए तैयार किया गया है. प्रतिपक्षी को ऋण जोखिम, उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद, पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा समायोजित किया जाता है. मूल्य में अस्थिरता का पता लगाने के लिए मार्जिन लागू किया जाता है जिसमें ऋण सहायता और संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए मुद्रा असंतुलन के कारण होनी वाली अस्थिरता भी शामिल है. पात्र गारंटियों के अंतर्गत पूँजी बचत का लाभ उठाने के लिए ऋण सहायता की राशि प्रतिभूत और अप्रतिभूत हिस्सों में बाँट दी जाती है. ऋण सहायता का प्रतिभूत हिस्सा गारंटीकर्ता के जोखिम भार को दर्शाता है, जबकि अप्रतिभूत हिस्सा बाध्यताधारी के जोखिम भार को दर्शाता है, बशर्ते कि बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए.

The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. CRM is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the value of eligible financial collateral. The credit exposure to a counter party is adjusted by the value of eligible financial collaterals after applying appropriate haircuts. The haircuts are applied to account for volatility in value, including those arising from currency mismatch for both the exposure and the collateral. For availing capital savings under eligible guarantees, the amount of exposure is divided into covered and uncovered portions. The covered portion of the exposure attracts the risk weight of guarantor, while the uncovered portion continues to attract the risk weight of the obligor subject to meeting requirements stipulated in the Basel guidelines.

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक की ऋण सहायता निम्नानुसार है :
The Bank's exposures where CRM techniques were applied are as follows:

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

विवरण / Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित* Non-Fund Based *
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल ऋण सहायता Total Exposures covered by eligible financial collateral	78823.58	133960.77
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद ऋण सहायता Exposure after taking benefit of eligible collateral	30191.12	102095.10

* गैर-बाजार संबद्ध / * Non-Market Related

जहां रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सीआरएम तकनीक के रूप में कॉरपोरेट गारंटियों का प्रयोग किया गया वहां यथा 31 मार्च 2014 को ऋण सहायता की राशि ₹ 22082.31 मिलियन थी.

The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹ 22082.31 million as on March 31, 2014.

तालिका डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

Table DF-6: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

बैंक की मुख्य प्रतिभूतिकृत ऋण-सहायता में पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों में किये गये निवेश शामिल हैं और इसमें द्वितीय हानि के रूप में ऋण वृद्धि प्रदान करना भी शामिल है. इन ऋणों/ प्राप्य राशियों को रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी/ एमएफआई से प्रतिभूतिकरण मार्ग से प्राप्त किया जाता है.

The main securitized exposures of the Bank are the investments made in securitized papers in the form of Pass Through Certificates (PTCs) and providing credit enhancements in the form of Second Loss. The loans/ receivables are acquired through the Securitization route from NBFCs/MFIs in accordance with the prevalent RBI guidelines.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

बैंक प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में निम्नलिखित में से कुछ या सभी भूमिकाएं अदा करता है:

The Bank acts in either some or all of the roles in securitization transactions as given below:

i. **निवेशक**: निवेशक जो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों अर्थात् पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) में निवेश करता है.

Investor: As an investor who invests in the securitized papers viz. Pass Through Certificates (PTCs) issued by the Special Purpose Vehicle (SPV).

ii. **ऋण वृद्धि प्रदाता (सीई)**: खुदरा ऋणों के प्रतिभूतिकरण लेन-देन सामान्यतः चलनिधि सुविधा (एलएफ), प्रथम हानि ऋण सुविधा (एफएलसीएफ) तथा द्वितीय हानि ऋण सुविधा (एसएलसीएफ) द्वारा समर्थित हैं. इन सुविधाओं को सामूहिक रूप से ऋण वृद्धि कहा जाता है. चलनिधि सुविधा का प्रयोग समूहन अंतर्वाहों में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए किया जाता है जबकि प्रथम हानि ऋण सुविधा और द्वितीय हानि ऋण सुविधा समूहन ऋण में कमियों को पूरा करने के लिए हैं.

Provider of Credit Enhancement (CE): Securitization transactions of retail loans are generally backed by Liquidity Facility (LF), First Loss Credit Facility (FLCF) and Second Loss Credit Facility (SLCF), collectively known as Credit Enhancement. While LF is used for meeting temporary mismatch in pool inflows, FLCF and SLCF are meant for meeting pool delinquencies.

बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :

The general qualitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank are as follows:

• प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य उस सीमा सहित जिस तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं. • The Bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक एक निवेशक के रूप में इन कार्यकलापों को करता है. ऋणों को दायित्व-रहित आधार पर प्रतिभूतिकृत किया जाता है जिसके द्वारा अंतर्निहित ऋणों का ऋण जोखिम एनबीएफ़सी/ एमएफ़आई द्वारा निवेशक (बैंक) को पूर्णतः अंतरित हो जाता है. In order to supplement, achievement of target in Priority Sector Lending (PSL), the Bank undertakes securitization activities as an investor. The loans are securitized on non-recourse basis whereby the credit risk of the underlying loans is fully transferred by NBFCs/MFIs to investor (Bank).
• अन्य जोखिमों का स्वरूप • The nature of other risks.	अर्जित समूहों को रेटिंग एजेंसी द्वारा तय की गई ऋण वृद्धि द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है. यदि समूहों में हानियों का स्तर ऋण वृद्धि से अधिक हो जाता है, तो हानियों को निवेशक द्वारा वहन किया जाता है. The pools acquired are adequately covered by Credit Enhancement as decided by Rating Agency. If the losses in the pool exceed level of credit enhancement, the losses are to be borne by investor.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

<table>
<tr><td>• प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभायी जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से हरेक में बैंक की सहभागिता की सीमा का संकेत.
• The various roles played by the Bank in the securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;</td><td>31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने निवेशक तथा प्रतिभूतिकरण लेन-देन में ऋण वृद्धि प्रदाता के रूप में भूमिकाएं अदा की है. यथा 31 मार्च 2014 को ऋण निवेश निम्नानुसार है:
During the year ended on March 31, 2014, the Bank has played the roles of an Investor and provider of Credit Enhancement in Securitisation transactions. The exposures as on March 31, 2014 is as under:
(₹ राशि मिलियन) / (Amt. in ₹ million)
<table>
<tr><th>क्र.सं.
Sr. No</th><th>अदा की गई भूमिका
Role played</th><th>लेन-देनों की संख्या
No. of transactions</th><th>अंतर्निहित राशि
Amount involved</th></tr>
<tr><td>1</td><td>निवेशक (बकाया)
Investor (o/s)</td><td>74</td><td>100925.65</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा)
Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility)</td><td>9</td><td>1842.90</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>• प्रतिभूतिकरण ऋण निवेशों के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण
• a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures.</td><td>बैंक ने खुदरा ऋणों के समूह/ संपत्ति पर ऋण (लैप) द्वारा समर्थित पीटीसी प्राप्त किये हैं. समूह को एएए (एसओ)/ एए (एसओ) रेटिंग प्राप्त है और पर्याप्त ऋण वृद्धि (सीई) द्वारा समर्थित हैं. बैंक वसूली निष्पादन, चुकौती, समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि के उपयोग, मार्क-टु-मार्केट तथा रेटिंग पूल की आवधिक निगरानी करता है.
The Bank has acquired PTCs backed by pool of retail loans/Loan Against Property (LAP). The pools are rated AAA (SO) /AA (SO) and supported by adequate credit enhancement (CE). The Bank periodically monitors the collection performance, repayments, prepayments, utilization of CE, Mark to Market value and rating of the pools.</td></tr>
<tr><td>• प्रतिभूतिकरण ऋण-निवेशों के जरिए प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण.
• a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;</td><td>बैंक मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक के 7 मई 2012 एवं 21 अगस्त 2012 के परिपत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करता है. बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को अर्जित करता है.
The Bank meticulously follows extant RBI guidelines on Securitisation of Standard Assets as outlined in RBI circular dated May 07, 2012 and August 21, 2012. The Bank acquires securitized assets with adequate CE as recommended by rating agencies.</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, निम्नलिखित सहित:
Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including :</td></tr>
<tr><td>• लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण.
• whether the transactions are treated as sales or financings;</td><td>प्रतिभूतिकृत कागजात के अर्जन को बैंक की बहियों में निवेश माना जाता है.
Acquisition of securitized papers is treated as investments in the books of the Bank.</td></tr>
<tr><td>• प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित)
• methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased</td><td>प्रतिभूतिकृत कागजात को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार फिम्मडा मूल्यांकन के आधार पर मार्क-टु-मार्केट किया जाता है.
The securitized papers are categorized under Available For Sale category and are marked to market based on FIMMDA valuations as per extant RBI guidelines.</td></tr>
</table>

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

• गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव • changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	शून्य / NIL
• उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं. • policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets.	रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार देयताएं तुलन पत्र में दर्शायी जाती हैं. Liabilities are recognized on the balance sheet in terms of RBI guidelines.
बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है. In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) used for securitization and the types of securitization exposure for which each agency is used.	प्रतिभूतिकृत ऋण-निवेशों को क्रिसिल, केयर, इक्रा तथा इंडिया रेटिंग्स द्वारा बाह्य रूप से रेटिंग प्राप्त है. The exposures securitized are externally rated by CRISIL, CARE, ICRA and India Ratings.
मात्रात्मक प्रकटन : बैंकिंग बही / Quantitative disclosures : Banking Book	
बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि The total amount of exposures securitized by the bank	द्वितीय हानि सुविधा के जरिए ₹ 1842.90 मिलियन ₹ 1842.90 million by way of second loss facility.
वर्तमान अवधि के दौरान प्रतिभूतिकृत हानियों के लिए बैंक द्वारा हिसाब में ली गई ऋण सहायता For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type.	शून्य / Nil
एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों की राशि Amount of assets intended to be securitized within a year	शून्य / Nil
इनमें से प्रतिभूतिकरण से एक वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई परिसंपत्तियों की राशि. Of the above, the amount of assets originated within a year before securitization.	शून्य / Nil
प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि (ऋण के प्रकार के अनुसार) और ऋण प्रकार के अनुसार बिक्री पर अभिलाभ या हानि न माने गये. The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	शून्य / Nil
निम्न की कुल राशि: / Aggregate amount of: • ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण • on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and	शून्य / Nil
• ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण. • off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	₹ 1842.90 मिलियन की द्वितीय हानि सुविधा के प्रति जारी की गई बैंक गारंटी Bank Guarantees issued towards second loss facility of ₹ 1842.90 million.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

• प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि और संबद्ध पूँजी प्रभार, ऋणों में विभक्त और हरेक विनियामक पूँजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार दायरे में पुनः विभक्त • Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach	शून्य / Nil
• ऋण जिन्हें टियर I पूँजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूँजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत (आई/ओ) और कुल पूँजी में से घटाए गए अन्य ऋण • Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.	शून्य / Nil
मात्रात्मक प्रकटन: व्यापारिक बही / Quantitative disclosures : Trading book	
बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं. Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान अर्जित प्रतिभूतिकृत कागजात : ₹ 97838.10 मिलियन Securitized papers acquired during FY 2014: ₹ 97838.10 million 31 मार्च 2014 को बकाया प्रतिभूतिकृत कागजात : ₹ 100925.65 मिलियन Securitized papers outstanding as on March 31, 2014: ₹ 100925.65 million
निम्न की कुल राशि : / Aggregate amount of: • ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण; तथा • on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान अर्जित प्रतिभूतिकृत कागजात : ₹ 97838.10 मिलियन Securitized papers acquired during FY 2014: ₹ 97838.10 million 31 मार्च 2014 को बकाया प्रतिभूतिकृत कागजात : ₹ 100925.65 मिलियन Securitized papers o/s as on March 31, 2014: ₹ 100925.65 million
• ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण. • off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.	शून्य / Nil
निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि : Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for: • विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण; तथा • securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and • विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण ऋण • securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	शून्य / Nil 31 मार्च 2014 को बकाया प्रतिभूतिकरण ऋण : ₹ 100925.65 मिलियन Securitization exposure o/s as on March 31, 2014: ₹ 100925.65 million.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

निम्न की कुल राशि : / Aggregate amount of:	(राशि मिलियन ₹ में) / (Amt. in ₹ million)			
• प्रतिभूतिकरण ऋणों के लिए पूँजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण जोखिम ढाँचे के अधीन • the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.	सुविधा / Facility	100% सीसीआर पर राशि Amt . at 100% CCR	रेटिंग / Rating	जोखिम भार Risk Weight
	निवेश बकाया Investment Outstanding	20698.7	एएए(एसओ) / AAA(SO)	20%
		72285.1	एए(एसओ) / AA(SO)	30%
		6284.1	ए(एसओ) / A(SO)	50%
		1657.7	बीबीबी (एसओ) /BBB(SO)	100%
• ऋण जिन्हें टियर I पूँजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूँजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूँजी में से घटाए गए अन्य ऋण • securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.	शून्य / Nil			

तालिका डीएफ-7: व्यापार बही में बाजार जोखिम:

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

बाजार जोखिम ब्याज दरों, इक्विटी दरों, विनिमय दरों और पण्य दरों जैसे बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों में उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि का जोखिम है. बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से भी किए जाने वाले कारोबारी कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है. बैंक इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय ऋण सहायता पर अपनी जोखिम प्रबंध व्यवस्था के तहत निगरानी व प्रबंधन रखता है, जिसके तहत वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों की पूँजी पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है.

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity prices, exchange rates and commodity prices, as well as volatilities therein. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system. The system takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and strives to minimise any adverse impact on the shareholders' wealth.

बैंक ने परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति तैयार की हैं. ये नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं. इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुरूप तथा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएं. इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं. कारोबार आवश्यकताओं व आर्थिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों और संशोधित नीति-निर्देशों तथा प्रक्रिया व उत्पाद नवोन्मेष को देखते हुए इनमें आवश्यक परिवर्तन के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है.

The Bank has formulated an Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk and Derivative Policy and an Investment Policy all of which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. These policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. These policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and changes in regulations in addition to process and product innovations.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन-पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके. एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाजार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) से ब्याज दरों में घट-बढ़ के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है.

The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meet regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of risks viz. liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis is measured through impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) of the Bank.

बैंक बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति के माध्यम से ऐसे व्यापार जोखिमों की पहचान करता है, जिनका प्रबंधन किया जाना हो. इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है. बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में व्यापार पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, पीवी01, संशोधित अवधि, हानि रोध सीमाएं, ग्रीक लिमिट्स, संभाव्य भावी ऋण सहायता, तनाव परीक्षण आदि शामिल हैं.

The Market Risk and Derivative Policy identifies the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure, tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The important risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, PV01, modified duration, Stop loss, Greek limits, Potential Future Exposure, stress testing etc.

निवेश नीतियां रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं. निवेश नीति में लिखतों में निवेश, ऐसे निवेशों का उद्देश्य तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं.

The Investment policy has been framed keeping in view market dynamics and various circulars issued by RBI in this regard. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

बैंक अपनी बाजार जोखिम का निम्न व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है:

The Bank manages its market risk with the broad objectives of:

1. निवेशों, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में निहित ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम व इक्विटी जोखिम का प्रबंध;

   Management of interest rate risk, currency risk and equity risk arising from investments, foreign exchange and derivatives portfolio;

2. विभिन्न पोर्टफोलियो में लेन-देन के संबंध में उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन व लेखांकन;

   Proper classification, valuation and accounting of the transactions in various portfolios;

3. डेरिवेटिव, निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय उत्पादों से संबंधित लेन-देनों की पर्याप्त व उचित रिपोर्टिंग;

   Adequate and proper reporting of the transactions related to derivative, investment and foreign exchange products;

4. बाजार से संबंधित लेन-देनों के परिचालन व निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण; और

   Effective control over the operation and execution of market related transactions; and

5. विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन.

   Compliance with regulatory requirements.

बैंक में अलग से एक बाजार जोखिम समूह (एमआरजी)/ मध्यम कार्यालय है, जोकि ट्रेजरी परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए एवं अपवाद की स्थितियों में उनकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है. यह समूह बाजार जोखिम को मापने के लिए नीतियों व प्रक्रियायों में परिवर्तन की भी सिफारिश करता है. इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

The Bank has an independent Market Risk Group (MRG)/Middle Office which is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations and to highlight exceptions, if any. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are:-

1. प्रत्यायोजनः ट्रेजरी परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है. निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति के पास निहित हैं. एमआरजी संबंधित नीतियों में यथा वर्णित विभिन्न सीमाओं की निगरानी करता है.

   Delegation: Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors various limits, which have been laid down in the policies.

2. नियंत्रणः सिस्टम में पर्याप्त डाटा एकीकरण नियंत्रण मौजूद है. इन नियंत्रणों का प्रयोग लेखापरीक्षा के लिए भी किया जाता है.

   Controls: The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose as well.

3. अपवाद संचालन प्रक्रियाः नीतियों के अंतर्गत तय की गई सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे लागू किया जा रहा है और अपवाद को न्यूनतम रखा जा सके. सीमाओं के उल्लंघन/ अपवाद, यदि कोई हो, को प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा विश्लेषित और अभिपुष्ट किया जाता है.

   Exception handling processes: The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are analyzed and ratified from the delegated authorities.

एमआरजी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समिति के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है. बैंक अपेक्षानुसार विभिन्न विनियामक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है. बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स पर सीमाएं रखी जाती हैं तथा उन पर आवधिक आधार पर निगरानी रखी जाती है.

The MRG periodically reports on forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

31 मार्च 2014 को बाजार जोखिमों के लिए पूँजी प्रभार का समूहन

Aggregation of capital charge for market risks as on March 31, 2014

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

जोखिम श्रेणी / Risk Category		पूँजी प्रभार / Capital charge
क.	**जोखिम विशेष के कारण पूँजी प्रभार**	**10882.66**
a.	**Capital Charge on account of specific risk**	
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related instruments	4302.48
ii)	इक्विटी पर / On equities	6580.18
iii)	डेरिवेटिव पर / On derivatives	0.00
ख.	**सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूँजी प्रभार**	**6373.46**
b.	**Capital charge on account of general market risk**	
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related instruments	3646.08
ii)	इक्विटी पर / On equities	2253.96

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

जोखिम श्रेणी / Risk Category		पूँजी प्रभार / Capital charge
iii)	विदेशी मुद्रा पर / On Foreign exchange	450.00
iv)	बहुमूल्य धातुओं पर / On precious metals	0.00
v)	डेरिवेटिव पर (एफएक्स विकल्प) / On derivatives (FX Options)	23.42
	व्यापारिक बही पर कुल पूँजी प्रभार (क + ख) **Total Capital Charge on Trading Book (a+b)**	**17256.12**
	व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां **Total Risk Weighted Assets on Trading Book**	**191734.68**

तालिका डीएफ-8 : परिचालन संबंधी जोखिम:

Table DF-8: Operational Risk

परिचालन संबंधी जोखिम का अर्थ हानि का जोखिम है जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों और पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर बाहरी घटनाओं के प्रभाव के कारण होता है. इसमें विधिक जोखिम तो शामिल हैं, किन्तु रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं.

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people & systems or from external events inherent in Bank's business activities. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks.

परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना

Operational Risk Management Framework

बैंक के पास सुपरिभाषित परिचालन जोखिम और कारोबार निरंतरता प्रबंध (ओआर और बीसीएम) नीति है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों में निहित परिचालन जोखिमों की पहचान, निर्धारण और उसकी सीमाओं का पता लगाना और उनको कम करना है. यह इन जोखिमों की निगरानी और इनको कम करने के लिए क्षमताओं, साधनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है.

The Bank has a well-defined Operational Risk & Business Continuity Management (OR & BCM) Policy. The main objectives of the policy are identification & assessment of operational risks attached to banking operations and developing capabilities, tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

बैंक में प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंध के लिए एक सक्षम परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना उपलब्ध है तथा इसने एक संगठनात्मक संरचना भी निर्मित की है, जिसमें निदेशक मण्डल, बोर्ड की आरएमसी और परिचालन जोखिम प्रबंध समिति (ओआरएमसी) शामिल हैं. परिचालन जोखिम प्रबंध कार्यकलापों पर एक समीक्षा रिपोर्ट ओआरएमसी एवं बोर्ड की आरएमसी को आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है.

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework and has also established an enabling organizational structure comprising of Board of Directors, RMC of the Board and Operational Risk Management Committee (ORMC) for effective management of Operational Risk. Review reports on Operational Risk management activities are periodically presented to ORMC and RMC of the Board.

एएमए में परिवर्तन के लिए बैंक की पहल

Bank's initiative in migrating to AMA

वर्तमान में, बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की संगणना हेतु बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का पालन कर रहा है. तथापि, उन्नत परिमापन दृष्टिकोण (एएमए) में अपेक्षित परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में बैंक अपनी परिचालनगत जोखिम प्रबंध प्रणाली व प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहा है. इस संबंध में बैंक के विभिन्न कार्यों से जुड़े परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु एक व्यापक

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

परिचालनात्मक जोखिम मूल्यांकक (कोर) का कार्यान्वयन किया गया है. इस प्रयोजन हेतु प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) तथा जोखिम व नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) का उपयोग किया जाता है. परिचालनात्मक जोखिम मापने हेतु बैंक लॉस डाटा कैप्चर (एलडीसी) मॉड्यूल के जरिए परिचालनात्मक हानि आंकड़ों का नियमित रूप से संग्रहण कर रहा है तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन हानियों को विभिन्न कारोबारी शृंखलाओं एवं इसके प्रकारों के तहत वर्गीकृत कर रहा है.

At present, the Bank follows the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of capital charge for Operational Risk. However, as a part of intended migration to Advanced Measurement Approach (AMA), the Bank is putting concerted efforts to further improve its Operational Risk management system & procedure in a time bound manner. In this regard, Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) has been implemented for management of Operational Risk attached to various functions of the Bank. For this purpose the Key Risk Indicator (KRI) and Risk & Control Self Assessment (RCSA) are used. For measurement of Operational Risk, the Bank is regularly collecting operational loss data across the Bank through Loss Data Capture (LDC) module and categorizes these losses under various business lines and loss types in line with the RBI guidelines.

कारोबार निरंतरता प्रबंध (बीसीएम) के अनुपालन हेतु बैंक की पहल

Bank's initiatives for implementation of Business Continuity Management (BCM)

मानव जीवन एवं बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा अवरोध / आपदा के दौरान निर्बाध बैंकिंग सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अपने विभिन्न जटिल कार्यों के लिए एक सुपरिभाषित बीसीएम व्यवस्था लागू की है, जो विनियामक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है.

In order to safeguard the human life & Bank's assets and to ensure uninterrupted banking services during disruption/ disaster, the Bank has put in place a well defined BCM for its various critical functions, which also fulfils regulatory requirements.

बीसीएम में कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंध योजना (डीएमपी) शामिल हैं. बीसीपी दस्तावेज, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार बाधित होने की स्थिति में तौर-तरीकों और इसके बाद बीसीपी द्वारा अपनाई जाने वाली नवीन प्रक्रिया को रेखांकित करता है. अवरोध की विभिन्न स्थितियों में इन योजनाओं की आघात सहनीयता का प्रायोगिक कवायदों, आपदा प्रबंधन कवायदों और बीसीपी के जरिए निरंतर परीक्षण किया जाता है. एक सशक्त और प्रभावी बीसीएम के जरिए बैंक को अपनी सेवा में निरंतरता और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में सुविधा होगी. प्रणाली की असफलता के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए बैंक ने चेन्नई में एक आपदा उद्धार (डीआर) साइट की स्थापना की है. बैंक आपदा उद्धार साइट के परीक्षण के लिए आवधिक रूप से डीआर अभ्यास आयोजित करता है. बैंक में विभिन्न कोर व सहायता कार्यों के लिए लागू बीसीएम प्रक्रिया बीएस25999 मानकों को पूरा करती है.

BCM comprises of Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP). These BCM documents, inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption/disaster and consequent recovery strategies & plans. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an ongoing basis through mock evacuation drills, DR drills and BCP testing exercises. A robust and effective BCM would enable the Bank to provide continuity in service and facilitate customer satisfaction. To mitigate the risk of system failure, the Bank has set up a Disaster Recovery (DR) site at Chennai. The Bank periodically carries out DR drill exercises to test the capabilities of DR site. The BCM processes followed within the Bank for various core & support functions complies with the BS25999 standards.

तालिका डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा परिसंपत्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है. ब्याज दर में सामान्य परिवर्तन के अलावा विभिन्न उत्पादों/ लिखतों में ब्याज दरों में घट-बढ़ (अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर, अग्रिमों पर उधार दर आदि) भी ब्याज दर

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹ में)/ (Amt in ₹ Million)

जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं. ब्याज दरों में परिवर्तन से निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाकर) में घट-बढ़ के माध्यम से बैंक की अर्जन पर तथा इसके साथ ही परिसंपत्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में निवल अंतर के माध्यम से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी असर पड़ता है. अर्जन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन की मात्रा मुख्यतः परिपक्वता के स्वरूप तथा परिमाण और बैंक की परिसंपत्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यन असंतुलन पर निर्भर करती है.

IRRBB refers to the potential impact on the Bank's earnings and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates. Besides the general change in interest rate, variation in the magnitude of interest rate change among the different products/ instruments (e.g., yield on Government securities, interest rate on term deposits, lending rate on advances etc.,) it is also a significant source of interest rate risk. Changes in interest rates affect the Bank's earning through variation in its Net Interest Income (Interest Income minus Interest Expenses) as well as economic value of equity through net variation in economic value of assets and liabilities. The extent of change in earning and economic value of equity primarily depends on the nature and magnitude of maturity and re-pricing mismatches between the Bank's assets and liabilities.

ब्याज दर जोखिम प्रबंध के महत्व को समझते हुए बैंक ने एक उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) सिस्टम तैयार किया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंध नीति तथा इस सिस्टम के लिए रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रक्रिया व सीमा संरचना शामिल की गई है. ब्याज दर जोखिम प्रबंध का उद्देश्य जोखिम के स्रोत की पहचान कर उपयुक्त पद्धति से उनका परिमाण मापना है. इस कुल ढाँचे के अंतर्गत परिपक्वता संरचना, मूल्यन, उत्पाद व ग्राहक समूह मिश्र के संबंध में उचित निधीयन, उधार और तुलन पत्र से परे रणनीतियां भी शामिल हैं. आईआरआरबीबी के लिए बैंक का सहनशीलता स्तर निवल ब्याज आय और इक्विटी में आर्थिक मूल्य पर भावी असर के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है. ब्याज दर जोखिम प्रबंध के लिए बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) जोखिम के मापन, निगरानी व जोखिम नियंत्रण पहल कार्य के लिए उत्तरदायी है. तुलन पत्र प्रबंध समूह (बीएसएमजी) एएलएम असंतुलन के बारे में नियमित रूप से आकलन और निगरानी करता है और इसके प्रभावी प्रबंध के लिए एल्को को रणनीति की सिफारिश करता है. दैनिक आधार पर एएलएम रिपोर्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली स्थापित की गई है.

Recognizing the importance of interest rate risk management, the Bank has put in place an appropriate ALM system which incorporates the Board approved interest rate risk management policy, procedures and limit structure in line with the RBI guidelines. The objectives of interest rate risk management are to identify the sources of risks and to measure their magnitude in terms of appropriate methods. It also includes appropriate funding, lending and off-balance sheet strategies with respect to maturity structure, pricing, product and customer group mix within the overall framework. The Bank's tolerance level for IRRBB is specified in terms of potential impact of net interest income and economic value of equity. The Asset Liability Committee (ALCO) of the Bank is responsible to ensure regular measurement, monitoring and control initiatives for the Bank's interest rate risk management. Balance Sheet Management Group (BSMG) regularly measures and monitors ALM mismatches and recommends strategies to ALCO for effective management. Adequate information system has also been put in place for system based ALM report generation on a daily basis.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों के मापन व निगरानी का कार्य ब्याज दर संवेदनशीलता (मूल्य का पुनर्निर्धारण) अंतर, अवधि अंतर पद्धतियों द्वारा तथा अर्जन (निवल ब्याज आय पर प्रभाव) एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव) जैसे दोनों ही परिदृश्य आधारित विश्लेषणों के जरिए किया जाता है. ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट की तैयारी करते समय विभिन्न मूल्य-समूह की ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं को उनकी परिपक्वता की शेष रही अवधि या मूल्य पुनर्निर्धारण की अगली तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर रखा जाता है. इस रिपोर्ट के लिए अपनाई जाने वाली धारणाओं में कोर बचत बैंक जमाराशियों को '3 माह से 6 माह तक' के समूह में डालना, मूल चालू खाता जमाराशियों को '1 वर्ष से 3 वर्ष तक' के समूह में डालना तथा बीपीएलआर या आधार दर से संबद्ध अग्रिमों को '3 माह से 6 माह तक' के समूह में डालना है, क्योंकि इन परिसंपत्तियों व देयताओं के मूल्य के पुनर्निर्धारण की कोई पूर्व-विनिर्दिष्ट तारीख नहीं होती. अवधि अंतर विश्लेषण ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं की अवधि व भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर किया जाता है. परिदृश्य विश्लेषण निवल ब्याज आय तथा विभिन्न ब्याज दर परिदृश्य के अंतर्गत पूँजी के आर्थिक मूल्य पर होने वाले प्रभाव का मापन करने के लिए किया जाता है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Measurement and monitoring of IRRBB are carried out through the methods of Interest Rate Sensitivity (repricing) gap, Duration gap and Scenario based analysis covering both earning (impact on net interest income) and economic value perspective (impact on economic value of equity). Preparation of interest rate sensitivity gap report involves bucketing of all interest rate sensitive assets and liabilities into different time buckets based on their respective remaining term to maturity or next repricing date, whichever is earlier. Assumptions made for this report are for bucketing of core saving bank deposits into "over 3 months to 6 months", core current account deposits into "over 1 year to 3 years" and advances linked to BPLR or Base Rate into "over 3 months – 6 months" as these liabilities and assets do not have prior-specified re-pricing date. Duration gap analysis is undertaken based on computation of duration and present value of future cash flows of the interest rate sensitive assets and liabilities. Scenario analysis is carried out to measure impact on net interest income and economic value of capital under different interest rate scenario.

एल्को ब्याज दर जोखिम की नियमित रूप से निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों की संरचना व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव/ निर्देश देती है, ताकि निर्धारित आंतरिक सीमाओं के भीतर आईआरआरबीबी को नियंत्रित किया जा सके. ब्याज दर जोखिम की स्थिति से बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति तथा रिज़र्व बैंक को नियमित रूप से अवगत कराया जाता है.

ALCO regularly monitors the interest rate risk exposures and suggests appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control IRRBB within the prescribed internal limits. Interest rate risk position is periodically reported to RMC of the Board and RBI.

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव
Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता (जोखिम पर अर्जन) (समयावधि : 1 वर्ष) Sensitivity of Net Interest Income to Interest rate change (Earning at Risk) (Time Horizon: 1 year)	ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) की संवेदनशीलता (जोखिम पर आर्थिक मूल्य) Sensitivity of Economic Value of Equity (EVE) to Interest rate change (Economic Value at Risk)
एनआईआई पर प्रभाव / Impact on NII	ईवीई पर प्रभाव / Impact on EVE
183.00	**11395.60**

तालिका डीएफ-10: प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित सहायता पर सामान्य प्रकटन

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

बैंक में किसी परिसंपत्ति के संबंध में प्रतिपक्षी के साथ जोखिम आकलन को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें निधि आधारित और गैर-निधि आधारित, दोनों सुविधाओं को शामिल किया जाता है. ऋण नीति, प्रतिपक्षी बैंक नीति, बाज़ार जोखिम व डेरिवेटिव नीति, निवेश नीति, संपार्श्विक प्रबंध नीति एवं प्रतिपक्षी जोखिम नीति के रूप में समुचित नीतिगत संरचना बनाई गई है, जो कि प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के प्रबंध के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है. विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति के तहत बैंक की पूंजी निधि में एकल ऋणकर्ता और किसी समूह के ऋण के संबंध में प्रतिपक्षी ऋण सहायता सीमाओं की विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की गई है. साथ ही, बैंक की निवल मालियत, कुल वचनबद्ध सहायता राशियों (टीसीई), कुल बकाया सहायता राशियों, अग्रिमों आदि के संबंध में भी विभिन्न आंतरिक प्रावधानों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया है. पूंजी बाज़ार खंड पर लागू विनियामक मानदंडों के साथ-साथ खंडगत सीमाओं के रूप में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं. वर्तमान में बैंक द्वारा सीसीआर पर पूंजी की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर तथा बासेल III विनियमों के अनुसार की जा रही है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

The Bank follows a structured process to ascertain the credit risk of an asset relationship with a counter-party covering both fund based and non-fund based facilities. Suitable policy frameworks are put in place in the form of Credit policy, Counterparty-Bank Policy, Market Risk & derivative Policy, Investment Policy, Collateral Management Policy and Country Risk Policy which outline the guiding principles to manage Counterparty Credit Risk (CCR). In line with regulatory guidelines, the Credit policy of the Bank stipulates broad contours of counterparty credit exposure limits in respect of single borrower and borrowings by a group in relation to the Bank's capital fund. In addition, various internal thresholds are stipulated prudentially in relation to Net Worth, Total Committed Exposures (TCE), Total Outstanding exposure, Advances etc. Prudential limits in the form of sectoral limits are also stipulated in addition to applicable regulatory norms on the capital market segment. Currently, the Bank is computing capital on CCR following the standardized approach and adhering to regulations under Basel III.

बैंक के व्यापक रेटिंग मॉड्यूल में कई रेटिंग मॉडल शामिल हैं, जो प्रतिपक्षी की आंतरिक ऋण रेटिंग में सहायता प्रदान करते हैं. ग्राहक की सुयोग्यता और पर्याप्तता के साथ-साथ लागू शर्तों एवं निबंधनों के संबंध में उत्पाद विशेष संबंधी दिशानिर्देश भी लागू किए गए हैं. बैंक में चुनिन्दा प्रतिपक्षी बैंकों के साथ एक ऋण सहायता एनेक्स (सीएसए) व्यवस्था भी है. सीएसए डेरिवेटिव प्रतिपक्षों के बीच संपार्श्विक अंतरण के लिए निबंधनों को परिभाषित करता है, ताकि डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके.

The Bank's rating module, encompassing various rating models, supports internal credit rating of counter-party. Product specific guidelines are also defined in terms of customer suitability and appropriateness along with applicable terms and conditions. The Bank also has a Credit Support Annex (CSA) arrangement with select counter-party banks. CSA defines the terms under which collateral is transferred between derivative counterparties to mitigate the credit risk arising from derivative positions.

संपार्श्विक प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों के समग्र कार्य-पहलुओं को इसके स्वीकार करने से लेकर ज़रूरत के समय इसकी विधिक प्रयोज्यता की प्रक्रिया तक को कवर किया जाता है. ऋण रिज़र्व तैयार करने के लिए बैंक कई प्रकार की वैकल्पिक तकनीकों को संपोषित करता है, जिनमें एस्क्रो तंत्र व इस पर प्रभार लगाना, ऋण चुकौती रिज़र्व खाते (डीएसआरए) को सक्रिय करना, बैंक के पास जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार लगाना, उच्च मार्जिन की शर्तें लगाना, वैयक्तिक एवं तृतीय पक्ष की गारंटी प्राप्त करना आदि शामिल हैं. बैंक ऋण फिल्टर मानकों और उत्पाद संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा गलत जोखिम सहायता के मामलों को पकड़ता है.

The process of Collateral Management covers the entire gamut of activities right from its acceptability to its legal enforceability at the time of need. In establishing credit reserve, the Bank caters to various alternative techniques including escrow mechanism and charges thereon, activating Debt Service Reserve Account (DSRA), lien mark on deposits with the Bank, stipulating conditions towards higher margin, obtaining personal and third party guarantee etc. Credit filtering standards and product guidelines of the Bank capture the associated wrong way risk exposure.

ऋण डेरिवेटिव हेजेज और विभिन्न प्रकार की वर्तमान संवितरित ऋण सहायता का अनुमानित मूल्यः

The notional value of credit derivative hedges and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure:

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

डेरिवेटिव / Derivatives	अनुमानित / Notional	वर्तमान एक्सपोजर Current Exposure
ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	362274.07	8289.91
मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	141303.33	26596.71
मुद्रा विकल्प / Currency Options	56703.52	10009.50
वायदा / Forwards	566519.96	26189.36

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

तालिका डीएफ़-11: पूंजी की संरचना

Table DF-11: Composition of Capital

भाग II: 31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त होने वाला टेम्पलेट (अर्थात बासेल III विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि के दौरान)

Part II: Template to be used before March 31, 2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ Million)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियाँ **Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**			
1	सामान्य शेयर पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) का जोड़ Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1,12,826.95		ए = ए1+बी2 A=A1+B2
2	प्रतिधारित उपार्जन / Retained earnings	8,150.22		बी6/B6
3	संचित व्यापक अन्य आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	99,003.09		बी3+बी4+बी5 B3+B4+B5
4	सीईटी 1 से फेज आउट किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-		
	1 जनवरी 2018 तक डाली जाने वाली तथा परिपक्व होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	-		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00		
6	विनियामक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	2,19,980.26		
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन **Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments**			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन Prudential valuation adjustments	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
8	गुडविल (संबंधित कर देयता को घटाकर निवल) Goodwill (net of related tax liability)	-		
9	बंधक चुकौती अधिकारों के अलावा अमूर्त परिसंपत्तियां (संबंधित कर देयता को घटाकर निवल) Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	91.91	137.86	एफ /F
10	आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred tax assets	8,004.92	12,007.37	जी /G
11	नकदी-प्रवाह बचाव प्रारक्षित निधियाँ / Cash-flow hedge reserve	-		
12	प्रत्याशित हानियों की तुलना में प्रावधानों में कमी Shortfall of provisions to expected losses	-		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ / Securitisation gain on sale	-		
14	उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अभिलाभ एवं हानियाँ Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15	सुनिश्चित लाभ पेंशन निधि निवल परिसंपत्तियाँ Defined-benefit pension fund net assets	-		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट की गई तुलन पत्र पर प्रदत्त पूंजी से निवल रूप में निर्धारित न की गई हो) Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in common equity	363.36		
18	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		
19	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Ref No.**
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक, संबंधित कर देयता में से घटाने पर निवल) Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से ऊपर की राशि Amount exceeding the 15% threshold	-		
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश of which: significant investments in the common stock of financial entities	-		
24	इसमें से: बंधक चुकौती अधिकार / of which: mortgage servicing rights	-		
25	इसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियां of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ) National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	123.59		
26 क/a	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-		
26 ख/b	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	123.59		
26 ग/c	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
26 घ/d	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय of which: Unamortised pension funds expenditures	-		
	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	इसमें से: उदाहरणार्थ: एएफ़एस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों से प्राप्त राशि (भारतीय संदर्भ में संगत नहीं) of which: For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Ref No.**
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 में किए गए कुल विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	8,583.78		
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET1)	2,11,396.48		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments				
30	सामान्य शेयर पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से जारी और संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़ (31+32) Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	-		
31	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर संचयी अधिमान शेयर) of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-		
32	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों (स्थाई ऋण लिखत) के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	-		
33	एटी1 पूंजी से फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत Capital instruments subject to phase out arrangements from AT1 capital	13,670.40		सी /C
34	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत) Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-		
35	इसमें से: फेज आउट के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	13,670.40		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	पारस्परिक अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	594.43		
39	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-		
40	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख) National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-		
41क/a	असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41ख/b	उन बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	12,237.93		
	इसमें से: आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / of which: Deferred Tax Assets	12,007.37		
	इसमें से : गैर-वित्तीय सहायक कंपनी में निवेश of which: Investment in Non - Financial subsidiary	92.69		
	इसमें से : गुडविल एवं अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ of which: Goodwill & Other Intangible Assets	137.86		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Ref No.**
42	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किए गए कुल विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	12,832.36		
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1) / Additional Tier 1 capital (AT1)	838.04		
44 क/a	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	838.04		
45	टियर 1 पूंजी (टी1= सीईटी1+एटी1) (29+44क) Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	2,12,234.52		
	टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान **Tier 2 capital: instruments and provisions**			
46	प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित अर्ह टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़ Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	-		
47	टियर 2 में से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी लिखत Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	94,812.00		डी/D
48	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखत (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखत) Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-		
49	इसमें से: फेज आउट के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
50	प्रावधान / Provisions	20,250.90		ई1+ई2/E1+E2
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी Tier 2 capital before regulatory adjustments	1,15,062.90		
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन **Tier 2 capital: regulatory adjustments**			
52	स्वयं के अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में निवेश Investments in own Tier 2 instruments	-		
53	पारस्परिक अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	890.32		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
54	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-		
55	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल) Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख) National specific regulatory adjustments (56a+56b)	92.69		
56 क/a	इसमें से: असमेकित सहायक कंपनियों की टियर 2 पूंजी में निवेश of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	92.69		
56 ख/b	इनमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 2 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
57	टियर 2 पूंजी के प्रति कुल विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	983.01		
58	टियर 2 पूंजी (टी2) / Tier 2 capital (T2)	1,14,079.89		
58 क/a	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गई टियर 2 पूंजी Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	105698.24		
58 ख/b	टियर 2 पूंजी के लिए गणना में ली गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital			
58 ग/c	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क + 58 ख) Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	105938.97		
59	कुल पूंजी (टीसी= टी1+ टी2) (45+58ग) Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	317932.76		
60	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ (60क + 60 ख+ 60 ग) Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	26,99,161.37		
60 क/a	इसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ of which: total credit risk weighted assets	23,87,191.69		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Ref No.
60 ख/b	इसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ of which: total market risk weighted assets	1,91,734.68		
60 ग/c	इसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ पूंजीगत अनुपात of which: total operational risk weighted assets Capital ratios	1,20,234.99		
पूंजीगत अनुपात / Capital Ratios				
61	सामान्य इक्विटि टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.83%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.86%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.78%		
64	संस्था आधारित बफर आवश्यकता (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त) Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%		
65	इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता of which: capital conservation buffer requirement	0.00%		
66	इनमें से: बैंक आधारित प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%		
67	इसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता of which: G-SIB buffer requirement	0.00%		
68	बफर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.83%		
राष्ट्रीय न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III से भिन्न हो) National minima (if different from Basel III)				
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Ref No.**
	कटौती के लिए प्रारम्भिक सीमा से नीचे की राशियाँ (जोखिम भार से पहले) **Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)**			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश Non-significant investments in the capital of other financial entities	2,504.06		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश Significant investments in the common stock of financial entities	9,681.90		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता में से निवल) Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	ला.न. N.A.		
75	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (संबंधित कर देयता में से निवल) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	ला.न. N.A.		
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू होने वाली ऊपरी सीमाएं **Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2**			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	20,250.90		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर सीमा Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	29,839.90		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	ला.न. N.A.		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर सीमा Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	ला.न. N.A.		
	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू) **Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)**			
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	ला.न. N.A.		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

	विनियामक समायोजनों की परिवर्तन अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Ref No.**
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक) Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	ला.न. N.A.		
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	ला.न. N.A.		
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक) Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	ला.न. N.A.		
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान सीमा Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	ला.न. N.A.		
85	सीमा के कारण टी 2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक) Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	ला.न. N.A.		

टेम्पलेट के लिए टिप्पणियाँ

Notes to the Template

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या **Row No. of the template**	विवरण / **Particular**	
10	संचित हानियों से सम्बद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ Deferred tax assets associated with accumulated losses	
	आस्थगित कर देयताओं में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (संचित हानियों से सम्बद्ध को छोड़कर) Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	20,012.29
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार कुल / Total as indicated in row 10	20,012.29

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या Row No. of the template	विवरण / Particular	
19	यदि सहायक बीमा कंपनियों में किए गए निवेशों को पूंजी से पूर्ण रूप से घटाया न गया हो और उसे 10% की प्रारम्भिक सीमा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र माना गया हो तो उसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	
	इसमें से : सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	इनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	इनमें से: अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में हुई वृद्धि / of which: Increase in Tier 2 capital	
26 ख/b	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में किए गए निवेशों की कटौती न की जाती हो तब भारित जोखिम निम्नानुसार होगा: If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि / Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	(ii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि / Increase in risk weighted assets	
44 क/a	पूंजी पर्याप्तता के लिए हिसाब में न ली गई आधिक्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (पंक्ति 44 में दर्शाए गए अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44 क में दर्शाए अनुसार स्वीकार्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के बीच का अंतर) Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	
	इसमें से: आधिक्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत टियर 2 पूंजी माना गया है of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	
50	टियर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र प्रावधान Eligible Provisions included in Tier 2 capital	12,543.14
	टियर 2 पूंजी में शामिल की गई पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	7,707.76
	पंक्ति 50 का योग / Total of row 50	20,250.90
58 क/a	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में न ली गई आधिक्य अतिरिक्त टियर 2 पूंजी (पंक्ति 58 में दर्शाए गए अनुसार टियर 2 पूंजी और पंक्ति 58 क में दर्शाये अनुसार टियर 2 पूंजी के बीच का अंतर) Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

तालिका डीएफ़-12: पूंजीगत संरचना - समाधान अपेक्षाएं

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

चरण 1. / Step 1.

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date
A	**पूंजी एवं देयताएं / Capital & Liabilities**		
	प्रदत पूंजी / Paid-up Capital	**16,039.39**	**16,039.39**
	रिज़र्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	**2,20,277.99**	**2,21,873.96**
	अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	436.39	-
	कुल पूंजी / Total Capital	**2,36,753.77**	**2,37,913.35**
	जमाराशियाँ / Deposits	**23,55,728.42**	**23,56,787.73**
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियाँ / of which: Deposits from banks	2,82,129.85	2,82,129.85
	इसमें से: ग्राहक से जमाराशियाँ / of which: Customer deposits	20,73,598.57	20,74,657.88
	इसमें से: अन्य जमाराशियाँ (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl.specify)	-	-
	उधार राशियाँ / Borrowings	**6,01,462.90**	**6,01,462.90**
	इसमें से: रिज़र्व बैंक से / of which: From RBI	0.00	0.00
	इसमें से : बैंकों से / of which: From banks	9,767.00	9,767.00
	इसमें से: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00
	इसमें से: अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधार राशियाँ सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds	4,28,947.90	4,28,947.90
	इसमें से : पूंजीगत लिखतें / of which: Capital instruments	1,62,748.00	1,62,748.00
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities & provisions	**95,637.21**	**94,078.97**
	कुल / Total	**32,89,582.30**	**32,90,242.96**

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date
ख B	**परिसंपत्तियां Assets**		
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष जमाराशि Cash and balances with Reserve Bank of India	**1,27,146.07**	**1,27,111.16**
	बैंक की जमाराशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with banks and money at call and short notice	**41,342.36**	**41,079.31**
	निवेश: / Investments:	**10,34,190.95**	**10,36,828.17**
	इसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ of which: Government securities	6,70,351.83	6,69,793.98
	इसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ of which: Other approved securities	0.00	0.00
	इसमें से: शेयर / of which: Shares	31,136.69	31,136.69
	इसमें से: डिबेंचर एवं बांड / of which: Debentures & Bonds	1,41,513.52	1,41,416.50
	इसमें से: सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / सहयोगी of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	255.00	4,403.98
	इसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	1,90,933.91	1,90,077.02
	ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances	**19,76,860.04**	**19,76,860.04**
	इसमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to banks	1,093.19	1,093.19
	इसमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to customers	19,75,766.85	19,75,766.85
	अचल परिसंपत्तियां / Fixed assets	**29,995.22**	**29,905.40**
	अन्य परिसंपत्तियां / Other assets	**80,047.66**	**78,458.89**
	इसमें से: गुडविल एवं अमूर्त परिसंपत्तियां of which: Goodwill and intangible assets	-	-

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

	वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date
इसमें से: आस्थगित कर परिसंपत्तियां of which: Deferred tax assets	20,003.65	20,001.44
समेकन पर गुडविल / Goodwill on consolidation	-	-
लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष Debit balance in Profit & Loss account	-	-
कुल परिसंपत्तियां/ Total Assets	**32,89,582.30**	**32,90,242.96**

चरण 2. / Step 2.

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ संख्या Reference No.
क A	**पूंजी एवं देयताएं Capital & Liabilities**			
i	प्रदत पूंजी / **Paid-up Capital**	**16,039.39**	**16,039.39**	
	इसमें से: सीईटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for CET1	16,039.39	16,039.39	ए1/A1
	इसमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for AT1	-	-	
	रिज़र्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	**2,20,277.99**	**2,21,873.96**	
	इसमें से: सीईटी1 लिए पात्र राशि of which : Amount eligible for CET 1	2,03940.87	2,03940.87	बी1/1
	शेयर प्रीमियम / Share Premium	96,787.56	96,787.56	बी2/B2

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ संख्या Reference No.
	सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve	28,010.00	28,010.00	बी3/B3
	पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve	5,961.45	5,904.51	बी4/B4
	अन्य प्रकटित निर्बंध रिज़र्व Other Disclosed Free Reserve	66,452.32	65,088.57	बी5/B5
	लाभ-हानि में शेष राशि Balance in P&L account	5648.19	8,150.22	बी6/B6
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व (विनियामक उद्देश्य हेतु इसमें 55% डिस्काउंट किया गया) Revaluation Reserve (For regulatory purpose it is discounted at 55%)	17,128.37	7,707.76	ई2/E2
	अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	436.39	-	
	कुल पूंजी / Total Capital	**2,36,317.38**	**2,37,913.35**	
ii	**जमाराशियाँ / Deposits**	**23,55,728.42**	**23,56,787.73**	
	इसमें से: बैंकों से जमाराशियाँ of which: Deposits from banks	2,82,129.85	2,82,129.85	
	इसमें से: ग्राहक जमाराशियाँ of which: Customer deposits	20,73,598.57	20,74,657.88	
	इसमें से: अन्य जमाराशियाँ (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl. specify)	-	-	
iii	**उधार राशियाँ / Borrowings**	**6,01,462.90**	**6,01,462.90**	
	इसमें से: रिज़र्व बैंक से / of which: From RBI	0.00	0.00	
	इसमें से: बैंकों से / of which: From banks	9,767.00	9,767.00	
	इसमें से: अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से of which: From other institutions & agencies	-	-	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ संख्या Reference No.
	इसमें से: अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधार राशियाँ, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds	4,28,947.90	4,28,947.90	
	इसमें से: पूंजीगत लिखतें of which: Capital instruments	1,08,482.40	1,62,748.00	
	इसमें से पात्र अतिरिक्त टियर 1 of which eligible Additional Tier 1	13,670.40	13,670.40	सी/C
	इसमें से पात्र टियर 2 of which eligible Tier 2	94,812.00	94,812.00	डी/D
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान** **Other liabilities & provisions**	**95,637.21**	**94,078.97**	
	इसमें से: मानक परिसंपत्तियों पर विवेकशील प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान जो टियर 2 पूंजी के अंतर्गत शामिल एनपीए की बिक्री से उत्पन्न हुए. of which: Prudential provisions against standard assets and excess provisions which arise on account of sale of NPAs included under Tier 2 Capital	12,543.14	12,543.14	ई1/E1
	कुल / Total	**32,89,582.30**	**32,90,242.96**	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ संख्या Reference No.
ख B	**परिसंपत्ति Asset**			
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि Cash and balances with Reserve Bank of India**	**1,27,146.07**	**1,27,111.16**	
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with banks and money at call and short notice	**41,342.36**	**41,079.31**	
ii	**निवेश / Investments**	**10,34,190.95**	**10,36,828.17**	
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ of which: Government securities	6,70,351.83	6,69,793.98	
	इसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ of which: Other approved securities	-	-	
	इसमें से: शेयर / of which: Shares	31,136.69	31,136.69	
	इसमें से: डिबेंचर एवं बांड of which: Debentures & Bonds	1,41,513.52	1,41,416.50	
	इसमें से: सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम/सहयोगी of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	255.00	4,403.98	
	इसमें से: अन्य (वाणिज्यिक कागजात, म्यूच्युअल फंड इत्यादि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	1,90,933.91	1,90,077.02	
iii	**ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances**	**19,76,860.04**	**19,76,860.04**	
	इसमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to banks	1,093.19	1,093.19	
	इसमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to customers	19,75,766.85	19,75,766.85	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ संख्या Reference No.
iv	**अचल परिसंपत्तियां / Fixed assets**	**29,995.22**	**29,905.40**	
	जिनमें से अमूर्त / out of which intangibles	250.42	229.76	एफ/F
	अन्य परिसंपत्तियां / Other Assets	**80,047.66**	**78,458.89**	
	इसमें से: गुडविल एवं अमूर्त परिसंपत्तियां of which: Goodwill and intangible assets	-	-	
	जिनमें से: / Out of which:	-	-	
	गुडविल / Goodwill	-	-	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर) Other intangibles (excluding MSRs)		-	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred tax assets	20,003.65	20,012.26	जी/G
vi	**समेकन पर गुडविल Goodwill on consolidation**	-	-	
vii	**लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष Debit balance in Profit & Loss account**	-	-	
	कुल परिसंपत्तियां / Total Assets	**32,89,582.30**	**32,90,242.96**	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

चरण 3: / Step 3:

(राशि मिलियन ₹) / (Amt. in ₹ million)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ-11 (भाग I / भाग II जो भी लागू हो)

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखतें एवं रिज़र्व

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of Regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र के नंबरों/पत्रों के संदर्भ पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	सीधे जारी किए गए अर्हताप्राप्त सामान्य शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समतुल्य) पूंजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	16,039.39	ए1/A1
2	प्रतिधारित आय / Retained earnings	8,150.22	बी6/B6
3	अन्य संचित व्यापक आय (तथा अन्य रिजर्व) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1,95,790.65	बी2+बी3+बी4+बी5 B2+B3+B4+B5
4	सीईटी1 से फेज आउट के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	-	
5	सहायक संस्थाओं द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of Regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र के नंबरों/पत्रों के संदर्भ पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	2,19980.26	
7	विवेकशील मूल्यनिर्धारण समायोजन Prudential valuation adjustments	-	
8	गुडविल (संबद्ध कर देयता को घटा कर) Goodwill (net of related tax liability)	-	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08U43	INE008A08U50	INE008A08T61
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार क्षेत्र-नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ़) तथा गौण ऋणों के समावेशन के लिए न्यूनतर टियर II पूंजी के रूप में पात्र होने पर लागू निबंधन एवं शर्तों तथा उसमें निहित विवेकसम्मत दिशानिर्देशों पर जारी दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र सं. डीबीओडी. सं.बीपी.बीसी.16/21.06 .001/2012-13. 3. सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008, यथा संशोधित और दिनांक 12 अक्तूबर 2012 के परिपत्र सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392 जारी सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2012.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	8000	4040	3875.2
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	25 अक्तूबर 2012	13 दिसंबर 2012	4 अगस्त 2011
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	25 अक्तूबर 2037	13 दिसंबर 2027	4 अगस्त 2021
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	हाँ	हाँ	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	25 अक्तूबर 2022 ; ₹ 1000.00	13 दिसंबर 2022; ₹ 505.00	शून्य; ₹ 484.40
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	25 अक्तूबर 2027 तथा 25 अक्तूबर 2032	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.25% प्रतिवर्ष	8.99% प्रतिवर्ष	9.38% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08U43	INE008A08U50	INE008A08T61
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	"Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Master Circular No. DBOD.No.BP.BC.16 /21.06.001/2012-13 dated July 02, 2012, issued by the Reserve Bank of India covering Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline- New Capital Adequacy Framework (NCAF) and laying down the terms and conditions applicable to subordinated debt to qualify for inclusion as Lower Tier II Capital. 3. SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, as amended and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 issued vide circular no. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 dated October 12, 2012, as amended."	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	8000	4040	3875.2
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	25-Oct-12	13-Dec-12	4-Aug-11
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25-Oct-37	13-Dec-27	4-Aug-21
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	25-Oct-2022 ; ₹ 1000.00	"13-Dec-2022; ₹ 505.00"	"Nil; ₹ 484.40"
16	Subsequent call dates, if applicable	25-Oct-2027 and 25-Oct-2032	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.25% p.a.	8.99% p.a.	9.38% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08T79	INE008A08T87	INE008A08T95
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	2000	4000	4800
9	लिखत का सममूल्य	₹10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	26 नवंबर 2011	30 नवंबर 2011	13 दिसंबर 2011
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	26 नवंबर 2021	30 नवंबर 2021	13 दिसंबर 2021
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 250.00	शून्य; ₹ 500.00	शून्य; ₹ 600.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.72% प्रतिवर्ष	9.7% प्रतिवर्ष	9.45% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08T79	INE008A08T87	INE008A08T95
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2000	4000	4800
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	26-Nov-11	30-Nov-11	13-Dec-11
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	26-Nov-21	30-Nov-21	13-Dec-21
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 250.00"	"Nil; ₹ 500.00"	"Nil; ₹ 600.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.72% p.a.	9.7% p.a.	9.45% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08U19	INE008A08S70	INE008A08S88
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	अतिरिक्त टियर I	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	बेमीयादी टियर I बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	8000	1960.8	2416
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	15 मार्च 2012	22 जून 2010	8 जुलाई 2010
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	बेमीयादी	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	15 मार्च 2022	कोई परिपक्वता नहीं	8 जुलाई 2025
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	हाँ	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 1000.00	22 जून 2020; ₹ 245.10	शून्य; ₹ 302.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हो	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.25% प्रतिवर्ष	9.15% प्रतिवर्ष	8.57 % प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	आंशिक विवेकाधिकार	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	इन लिखतों में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08U19	INE008A08S70	INE008A08S88
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Additional Tier 1	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Perpetual Tier I Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	8000	1960.8	2416
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	15-Mar-12	22-Jun-10	8-Jul-10
12	Perpetual or dated	Dated	Perpetual	Dated
13	Original maturity date	15-Mar-22	No maturity	8-Jul-25
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 1000.00"	"22-Jun-2020; ₹ 245.10"	"Nil; ₹ 302.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.25% p.a.	9.15% p.a.	8.57 % p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Partially discretionary	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	Yes. Step up 50 bps	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08S96	INE008A08T20	INE008A08T46
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	प्रवर टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	320	6848.8	8000
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	29 सितंबर 2010	20 जनवरी 2011	25 मार्च 2011
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	29 सितंबर 2020	20 जनवरी 2026	25 मार्च 2026
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 40.00	20 जनवरी 2021; ₹ 856.10	25 मार्च 2021; ₹ 1000.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	8.63% प्रतिवर्ष	9.04% प्रतिवर्ष	9.40% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	आंशिक विवेकाधिकार
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	हाँ, 25 बीपीएस की बढ़त	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08S96	INE008A08T20	INE008A08T46
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Upper Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	320	6848.8	8000
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	29-Sep-10	20-Jan-11	25-Mar-11
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	29-Sep-20	20-Jan-26	25-Mar-26
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 40.00"	"20-Jan-2021; ₹ 856.10"	"25-Mar-2021; ₹ 1000.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.63% p.a.	9.04% p.a.	9.40% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	Yes. Step up 25 bps	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08R55	INE008A08R63	INE008A08R89
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर टियर II बॉण्ड	प्रवर टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	4000	4000	256
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	26 जून 2009	25 सितंबर 2009	29 सितंबर 2009
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	26 जून 2024	25 सितंबर 2024	29 सितंबर 2018
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	हाँ	हाँ	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	26 जून 2019; ₹ 500.00	25 सितंबर 2019; ₹ 500.00	शून्य; ₹ 40.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	8.95% प्रतिवर्ष	9.00% प्रतिवर्ष	9.37% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	आंशिक विवेकाधिकार	आंशिक विवेकाधिकार	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08R55	INE008A08R63	INE008A08R89
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Upper Tier II Bonds	Upper Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4000	4000	256
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	26-Jun-09	25-Sep-09	29-Sep-09
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	26-Jun-24	25-Sep-24	29-Sep-18
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"26-Jun-2019; ₹ 500.00"	"25-Sep-2019; ₹ 500.00"	"Nil; ₹ 40.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.95% p.a.	9.00% p.a.	9.37% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes. Step up 50 bps	Yes. Step up 50 bps	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08R97	INE008A08S13	INE008A08S21
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	अतिरिक्त टियर I
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	बेमीयादी टियर I बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	2280	2420	2204
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	19 नवंबर 2009	23 नवंबर 2009	23 दिसंबर 2009
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	बेमीयादी
13	मूल परिपक्वता तारीख	19 नवंबर 2024	23 नवंबर 2019	कोई परिपक्वता नहीं
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	हाँ	नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	19 नवंबर 2019; ₹ 285.00	शून्य; ₹ 302.50	23 दिसंबर 2019; ₹ 275.50
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	8.90% प्रतिवर्ष	8.53% प्रतिवर्ष	9.20% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	आंशिक विवेकाधिकार	अनिवार्य	आंशिक विवेकाधिकार
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त	नहीं	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	इन लिखतों में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08R97	INE008A08S13	INE008A08S21
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Upper Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Perpetual Tier I Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2280	2420	2204
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	19-Nov-09	23-Nov-09	23-Dec-09
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Perpetual
13	Original maturity date	19-Nov-24	23-Nov-19	No maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"19-Nov-2019; ₹ 285.00"	"Nil; ₹ 302.50"	"23-Dec-2019; ₹ 275.50"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.90% p.a.	8.53% p.a.	9.20% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes. Step up 50 bps	No	Yes. Step up 50 bps
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08S39	INE008A08S47	INE008A08S54
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर I	टियर 2	अतिरिक्त टियर I
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	बेमीयादी टियर I बॉण्ड	प्रवर टियर II बॉण्ड	बेमीयादी टियर I बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	2449.6	4009.6	4400
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	29 जनवरी 2010	3 फरवरी 2010	10 मार्च 2010
12	स्थायी या दिनांकित	बेमीयादी	दिनांक	बेमीयादी
13	मूल परिपक्वता तारीख	कोई परिपक्वता नहीं	3 फरवरी 2025	कोई परिपक्वता नहीं
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	29 जनवरी 2020; ₹ 306.20	03 फरवरी 2020 ₹ 501.20	10 मार्च 2020; ₹ 550.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.25% प्रतिवर्ष	8.65% प्रतिवर्ष	9.65% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	आंशिक विवेकाधिकार	आंशिक विवेकाधिकार	आंशिक विवेकाधिकार
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	इन लिखतों में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08S39	INE008A08S47	INE008A08S54
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Tier 2	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Perpetual Tier I Bonds	Upper Tier II Bonds	Perpetual Tier I Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2449.6	4009.6	4400
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	29-Jan-10	3-Feb-10	10-Mar-10
12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated	Perpetual
13	Original maturity date	No maturity	3-Feb-25	No maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"29-Jan-2020; 306.20"	"03-Feb-2020 ₹ 501.20"	"10-Mar-2020; ₹ 550.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.25% p.a.	8.65% p.a.	9.65% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	"Yes. Step up 50 bps"	"Yes. Step up 50 bps"	"Yes. Step up 50 bps"
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08S62	INE008A08P73	INE008A08Q31
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	4800	240	128
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	23 मार्च 2010	13 जून 2008	29 सितंबर 2008
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	23 मार्च 2020	13 अक्तूबर 2015	29 सितंबर 2016
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 600.00	शून्य; ₹ 150.00	शून्य; ₹ 40.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.05% प्रतिवर्ष	10.39% प्रतिवर्ष	11.24% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08S62	INE008A08P73	INE008A08Q31
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4800	240	128
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	23-Mar-10	13-Jun-08	29-Sep-08
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	23-Mar-20	13-Oct-15	29-Sep-16
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 600.00"	"Nil; ₹ 150.00"	"Nil; ₹ 40.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.05% p.a.	10.39% p.a.	11.24% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08Q15	INE008A08Q56	INE008A08Q80
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	अतिरिक्त टियर I
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर टियर II बॉण्ड	प्रवर टियर II बॉण्ड	बेमीयादी टियर I बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	5200	4000	2656
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	29 सितंबर 2008	29 अक्तूबर 2008	26 मार्च 2009
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	बेमीयादी
13	मूल परिपक्वता तारीख	29 सितंबर 2023	29 अक्तूबर 2023	कोई परिपक्वता नहीं
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	29 सितंबर 2018; ₹ 650.00	29 अक्तूबर 2018; ₹ 500.00	26 मार्च 2019; ₹ 332.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	11.15% प्रतिवर्ष	11.40% प्रतिवर्ष	9.50% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	आंशिक विवेकाधिकार	आंशिक विवेकाधिकार	आंशिक विवेकाधिकार
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	इन लिखतों में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08Q15	INE008A08Q56	INE008A08Q80
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Upper Tier II Bonds	Upper Tier II Bonds	Perpetual Tier I Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5200	4000	2656
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	29-Sep-08	29-Oct-08	26-Mar-09
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Perpetual
13	Original maturity date	29-Sep-23	29-Oct-23	No maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"29-Sep-2018; ₹ 650.00"	"29-Oct-2018; ₹ 500.00"	"26-Mar-2019; ₹ 332.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.15% p.a.	11.40% p.a.	9.50% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	"Yes. Step up 50 bps"	"Yes. Step up 50 bps"	"Yes. Step up 50 bps"
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of investors shall be superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08R14	INE008A08N00	INE008A08N18
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	2800	0	230.4
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	31 मार्च 2009	6 अप्रैल 2007	7 मई 2007
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	31 मार्च 2024	6 जुलाई 2014	7 मई 2017
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	हाँ	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	31 मार्च 2019; ₹ 350.00	शून्य; ₹ 480.00	शून्य; ₹ 48.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.50% प्रतिवर्ष	10.09% प्रतिवर्ष	10.10% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	आंशिक विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	हाँ, 50 बीपीएस की बढ़त	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से अग्रणी रहेंगे तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08R14	INE008A08N00	INE008A08N18
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Upper Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2800	0	230.4
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	31-Mar-09	6-Apr-07	7-May-07
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	31-Mar-24	6-Jul-14	7-May-17
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"31-Mar-2019; ₹ 350.00"	"Nil; ₹ 480.00"	"Nil; ₹ 48.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50% p.a.	10.09% p.a.	10.10% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	"Yes. Step up 50 bps"	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08N42	INE008A08N75	INE008A08O33
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	0	0	2400
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	10 अगस्त 2007	29 सितंबर 2007	1 जनवरी 2008
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	10 अगस्त 2014	29 सितंबर 2014	1 जनवरी 2018
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 300.00	शून्य; ₹ 40.00	शून्य; ₹ 500.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.59% प्रतिवर्ष	9.79% प्रतिवर्ष	9.35% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08N42	INE008A08N75	INE008A08O33
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0	0	2400
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	10-Aug-07	29-Sep-07	1-Jan-08
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	10-Aug-14	29-Sep-14	1-Jan-18
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 300.00"	"Nil; ₹ 40.00"	"Nil; ₹ 500.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.59% p.a.	9.79% p.a.	9.35% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08L85	INE008A08M19	INE008A08M27
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	1108.48	800	1433.92
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	21 सितंबर 2006	16 नवंबर 2006	20 दिसंबर 2006
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	21 सितंबर 2016	16 नवंबर 2016	20 दिसंबर 2016
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 346.40	शून्य; ₹ 250.00	शून्य; ₹ 448.10
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	8.95% प्रतिवर्ष	8.85% प्रतिवर्ष	8.85% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08L85	INE008A08M19	INE008A08M27
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1108.48	800	1433.92
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	21-Sep-06	16-Nov-06	20-Dec-06
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	21-Sep-16	16-Nov-16	20-Dec-16
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 346.40"	"Nil; ₹ 250.00"	"Nil; ₹ 448.10"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.95% p.a.	8.85% p.a.	8.85% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08M35	INE008A08M43	INE008A08A54
3	लिखत के शासी नियम	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	1. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) नियम, 2004. 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी एवं अद्यतन किए गए पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000.	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिर्गमन तथा अंतर्नियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आबंटन तथा सूचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होंगे.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	960	109.76	80
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	22 दिसंबर 2006	5 फरवरी 2007	30 मार्च 2005
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	22 दिसंबर 2016	5 फरवरी 2017	30 जून 2015
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 300.00	शून्य; ₹ 34.30	शून्य; ₹ 50.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	8.95% प्रतिवर्ष	8.90% प्रतिवर्ष	7.15% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08M35	INE008A08M43	INE008A08A54
3	Governing law(s) of the instrument	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	1. Industrial Development Bank of India Ltd. (Issue and Management of Bonds) Rules, 2004. 2. Capital Adequacy Guidelines of Reserve Bank of India (RBI), issued and updated from time to time. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.	The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Industrial Development Bank of India Limited, Industrial Development Bank of India Ltd.(Issue and Management of Bonds) Rules, 2004, the Companies Act, 1956, Banking Regulations Act, 1949, relevant statutory guidelines and regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GOI), SEBI, Reserve Bank of India (RBI) and the Stock Exchanges concerned,
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	960	109.76	80
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	22-Dec-06	5-Feb-07	30-Mar-05
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	22-Dec-16	5-Feb-17	30-Jun-15
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 300.00"	"Nil; ₹ 34.30"	"Nil; ₹ 50.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.95% p.a.	8.90% p.a.	7.15% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08A70	INE008A08B04	INE008A08B87
3	लिखत के शासी नियम	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिर्गमन तथा अंतर्नियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आबंटन तथा सूचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होंगे.	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिर्गमन तथा अंतर्नियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आबंटन तथा सूचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होंगे.	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिर्गमन तथा अंतर्नियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आबंटन तथा सूचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होंगे.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	0	160	276.48
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	31 मार्च 2005	8 अप्रैल 2005	8 जून 2005
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	31 मार्च 2015	8 अप्रैल 2015	8 जून 2015
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 126.30	शून्य; ₹ 100.00	शून्य; ₹ 172.80
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हो	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	7.25% प्रतिवर्ष	7.25% प्रतिवर्ष	7.50% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08A70	INE008A08B04	INE008A08B87
3	Governing law(s) of the instrument	The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Industrial Development Bank of India Limited, Industrial Development Bank of India Ltd.(Issue and Management of Bonds) Rules, 2004, the Companies Act, 1956, Banking Regulations Act, 1949, relevant statutory guidelines and regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GOI), SEBI, Reserve Bank of India (RBI) and the Stock Exchanges concerned.	The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Industrial Development Bank of India Limited, Industrial Development Bank of India Ltd.(Issue and Management of Bonds) Rules, 2004, the Companies Act, 1956, Banking Regulations Act, 1949, relevant statutory guidelines and regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GOI), SEBI, Reserve Bank of India (RBI) and the Stock Exchanges concerned.	The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Industrial Development Bank of India Limited, Industrial Development Bank of India Ltd.(Issue and Management of Bonds) Rules, 2004, the Companies Act, 1956, Banking Regulations Act, 1949, relevant statutory guidelines and regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GOI), SEBI, Reserve Bank of India (RBI) and the Stock Exchanges concerned.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0	160	276.48
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	31-Mar-05	8-Apr-05	8-Jun-05
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	31-Mar-15	8-Apr-15	8-Jun-15
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 126.30"	"Nil; ₹ 100.00"	"Nil; ₹ 172.80"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.25% p.a.	7.25% p.a.	7.50% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE008A08C52	INE008A08E76	INE307A09014
3	लिखत के शासी नियम	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिर्गमन तथा अंतर्नियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आबंटन तथा सूचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होंगे.	बांड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था बहिर्गमन तथा अंतर्नियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (बांडों का निर्गम एवं प्रबंध) नियम, 2004, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारत सरकार, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों के आबंटन तथा सूचीबद्धता के लिए संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होंगे.	ऑफर किए जा रहे बांड अन्य बातों के साथ साथ इस ऑफर दस्तावेज के निबंधनों, आवेदन फॉर्म, बैंक के संस्था बहिर्नियम तथा अंतर्नियम और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है. इसके अलावा बांड ऐसे निबंधनों एवं शर्तों जो बांड न्यास विलेख/आबंटन पत्र में शामिल किए जाएं और लागू सीमा तक डिपॉज़िटरी अधिनियम, 1996 के प्रावधानों, भारत सरकार, सेबी तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रतिभूतियों के आबंटन तथा सूचिबद्धता के लिए समय-समय पर जारी संबंधित सांविधिक दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अधीन होंगे.
	विनियामक अभिक्रिया			
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	265.12	170.24	0
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	20 जुलाई 2005	27 सितंबर 2005	19 मार्च 2004
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	20 जुलाई 2015	27 अप्रैल 2016	19 जुलाई 2014
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 165.70	शून्य; ₹ 53.20	शून्य; ₹ 125.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	7.45% प्रतिवर्ष	7.45% प्रतिवर्ष	6.50% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE008A08C52	INE008A08E76	INE307A09014
3	Governing law(s) of the instrument	The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Industrial Development Bank of India Limited, Industrial Development Bank of India Ltd.(Issue and Management of Bonds) Rules, 2004, the Companies Act, 1956, Banking Regulations Act, 1949, relevant statutory guidelines and regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GOI), SEBI, Reserve Bank of India (RBI) and the Stock Exchanges concerned.	The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Industrial Development Bank of India Limited, Industrial Development Bank of India Ltd.(Issue and Management of Bonds) Rules, 2004, the Companies Act, 1956, Banking Regulations Act, 1949, relevant statutory guidelines and regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GOI), SEBI, Reserve Bank of India (RBI) and the Stock Exchanges concerned.	The Bonds being offered are subject, interalia to the terms of this Offer Document, the application form, the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and the provisions of the Act. In addition, the bonds shall be subject to such other terms and conditions to be incorporated in the Bond Trust Deed / Letter of allotment and to the extent applicable, the provisions of the Depositories Act 1996, the relevant Statutory Guidelines and Regulations for allotment and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), SEBI and the Stock Exchanges concerned.
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	265.12	170.24	0
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	20-Jul-05	27-Sep-05	19-Mar-04
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	20-Jul-15	27-Apr-16	19-Jul-14
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 165.70"	"Nil; ₹ 53.20"	"Nil; ₹ 125.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil	Nil
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.45% p.a.	7.45% p.a.	6.50% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2014)

तालिका डीएफ़ - 13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट

1	निर्गमकर्ता	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
2	विशिष्ट पहचान (अर्थात सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग पहचान)	INE979F08029	INE979F08037
3	लिखत के शासी नियम	"बॉन्ड्स संस्था के ज्ञापन के प्रावधानों तथा कंपनी की सम्पूर्ण ऋण सीमा के तहत सामान्य ऋण सीमा के भीतर एवं राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन होंगे. 2.बॉन्ड्स का निजी नियोजन दिनांक 30 जनवरी 2006 को आयोजित बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा पारित किए गए संकल्पों के अनुसार किया जा रहा है. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 (समय-समय पर संशोधित)"	"बॉन्ड्स संस्था के ज्ञापन के प्रावधानों तथा कंपनी की सम्पूर्ण ऋण सीमा के तहत सामान्य ऋण सीमा के भीतर एवं राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन होंगे. 2.बॉन्ड्स का निजी नियोजन दिनांक 30 जनवरी 2006 को आयोजित बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा पारित किए गए संकल्पों के अनुसार किया जा रहा है. 3. सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 (समय-समय पर संशोधित)"
	विनियामक अभिक्रिया		
4	संक्रमणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर-संक्रमणकालीन बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल की पात्रता	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड	गौण (अवर) टियर II बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तारीख तक, ₹ मिलियन में)	64	320
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	9 फरवरी 2007	28 मार्च 2009
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांक	दिनांक
13	मूल परिपक्वता तारीख	9 फरवरी 2017	27 मार्च 2019
14	पूर्व-पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तारीख, आकस्मिक मांग तारीख और प्रतिदान राशि	शून्य; ₹ 20.00	शून्य; ₹ 50.00
16	अनुवर्ती मांग तारीखें, यदि लागू हों	शून्य	शून्य
	कूपन / लाभांश		
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचकांक	9.25% प्रतिवर्ष	10.50% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोकने संबंधी अनुदेश	नहीं	नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, अंशत: विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धिशील या मोचन के लिए अन्य प्रोत्साहनों की विद्यमानता	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के स्वरूप का उल्लेख जिसमें परिवर्तित हो सके	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो लिखत के निर्गमकर्ता का उल्लेख जो लिखत को परिवर्तित करे	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौणीकरण अनुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत अधिमानी प्रकार के लिखत का उल्लेख करें)	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.	लिखत अन्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे.
36	गैर-अनुपालनकर्ता संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालनकर्ता विशेषताओं का उल्लेख	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ़-14: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों की शर्तें व निबंधन

''**डीएफ़-14: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों की शर्तें वेबसाइट पर** at http://www.idbi.com/pdf/basel/DF14-TermSheets-March2014/DF-14.htm" **पर उपलब्ध हैं.**

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2014)

Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instrument

1	Issuer	IDBI Bank Ltd.	IDBI Bank Ltd.
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE979F08029	INE979F08037
3	Governing law(s) of the instrument	"The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum of Association and within the general borrowing limits within the overall borrowing limits of the company and as per the norms stipulated by the National Housing Bank (NHB). 2.The private placement of bonds is being made pursuant to the resolutions of the Board of Directors passed at its meetings dated January 30, 2006. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 (as amended from time to time)."	"The Bonds will be subject to the provisions of the Memorandum of Association and within the general borrowing limits within the overall borrowing limits of the company and as per the norms stipulated by the National Housing Bank (NHB). 2.The private placement of bonds is being made pursuant to the resolutions of the Board of Directors passed at its meetings dated January 30, 2006. 3. SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000 (as amended from time to time)."
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	group & solo	group & solo
7	Instrument type	Subordinated (Lower) Tier II Bonds	Subordinated (Lower) Tier II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	64	320
9	Par value of instrument	₹ 10 lakh	₹ 10 lakh
10	Accounting classification	Liability	Liability
11	Original date of issuance	9-Feb-07	28-Mar-09
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	8-Feb-17	27-Mar-19
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	"Nil; ₹ 20.00"	"Nil; ₹ 50.00"
16	Subsequent call dates, if applicable	Nil	Nil
	Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.25% p.a.	10.50% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.	The instruments shall be subordinated to the claims of other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA

Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments issued by the Bank

"DF- 14 The Term Sheets for regulatory capital instruments issued by the Bank are available on the website at http://www.idbi.com/pdf/basel/DF14-TermSheets-March2014/DF-14.htm"

कॉरपोरेट जानकारी

प्रधान कार्यालय
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई 400005, महाराष्ट्र.

आंचलिक कार्यालय

- इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिल्डिंग
  1, रेड क्रॉस रोड
  पोस्ट बॉक्स नं. 231
  नई दिल्ली-110001
  दिल्ली (यूटी-एनसीटी)
- 44, शेक्सपियर सरणी,
  पोस्ट बॉक्स नं. 16102
  कोलकाता-700017
  पश्चिम बंगाल
- तृतीय तल, खिवराज कॉम्प्लेक्स-I
  480, अण्णा सालै, नंदनम,
  चेन्नई-600035
  तमिलनाडु
- आईडीबीआई कॉम्प्लेक्स
  लाल बंगला,
  सीजी रोड के पास,
  अहमदाबाद-380006
  गुजरात
- आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी
  कॉम्प्लेक्स
  कफ परेड, कोलाबा,
  मुंबई-400005
  महाराष्ट्र

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट
कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.

कंपनी सचिव
श्री पवन अग्रवाल

बीएसई/एनएसई कोड
500116(बीएसई) एवं आईडीबीआई/ईक्यू (एनएसई)

कंपनी पहचान संख्या
एल65190एमएच2004जीओआई148838

Corporate Information

HEADQUARTERS
IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai 400005, Maharashtra.

ZONAL OFFICES

- Indian Red Cross Society Bldg,
  1, Red Cross Road,
  Post Box Num 231,
  New Delhi 110001
  Delhi (UT - NCT)
- 44, Shakespeare Sarani
  PB No 16102
  Kolkata 700017
  West Bengal
- 3rd Floor, Khivraj Complex - I,
  480, Anna Salai, Nandanam,
  Chennai 600035
  Tamil Nadu
- IDBI Complex
  Lal Bungalows
  Off CG Road
  Ahmedabad 380006
  Gujarat
- IDBI Tower, WTC Complex
  Cuffe Parade, Colaba
  Mumbai 400005
  Maharashtra

REGISTRAR & TRANSFER AGENT
Karvy Computershare Pvt. Ltd.

COMPANY SECRETARY
Shri Pawan Agrawal

BSE/NSE CODES
500116 (BSE) & IDBI/EQ (NSE)

COMPANY IDENTIFICATION NUMBER
L65190MH2004GOI148838

Retail Banking | Corporate Banking & Infrastructure Financing | Priority Sector Lending

IDBI Bank Limited, Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005.

Call: 022 66937000. Call Toll Free: 1800 22 1070 / 1800 200 1947 | www.idbi.com |

CIN: L65190MH2004GOI148838

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
टोल फ्री नं.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
गैर-टोल फ्री नं.: 022-66937000.

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005.
Toll Free Nos.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
Non-Toll Free No.: 022-66937000.

www.idbi.com @idbi_bank /IDBIBank +IDBIBank /idbibank CIN: L65190MH2004GOI148838

concept, content and design at aicl (info@aicl.in) www.sapprints.com

IDBI BANK

गहराती दोस्ती **सँवरती** ज़िंदगी
Strengthening Friendship. **Touching** Lives

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT 2013-14